(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक-2] दसवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र का अठाइसवां दिवस [संख्या-18

मंगलवार,

22 मार्च, 1994

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : आज टेलीविजन का यह कार्यक्रम चला, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : आपका धन्यवाद तो सही है लेकिन आप अब जनता के सामने एक्सपोज हो रहे हो इस बात का भी ध्यान रखिये।

श्री रामस्वरूप : अभी तक तो आपके कमरे तक ही सीमित हैं।

श्री रामनारायण (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के 10 माननीय सदस्यों ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रकट किया है और उन्होंने कटौती प्रस्ताव दिये, सरकार की विफलता बतायी है। यदि यह बात सही है और इनकी भावना है सरकार के प्रति विफलता दर्शाने की तो मेरा जहां तक ख्याल है, क्वेश्चर आवर सस्पेंड होना चाहिये क्योंकि मुख्य मन्त्रीजी नहीं आ रहे हैं। कोई न कोई कारण तो होगा।

श्री अध्यक्ष : कल रात को 8 बजे उनको देखने के बाद भी आप कह रहे हैं कि नहीं आ रहे तो मुझे आश्चर्य है कि इस बात का।

चन्द्र महल परिसर में तोड़फोड़

485. श्री अमराराम (धोद) : क्या सामान्य प्रशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित चन्द्रमहल राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक महत्व का स्मारक है ? यदि हां, तो क्या उसके परिसर में तोड़फोड़ (मैटीरियल आलट्रेशन) की अनुमति नगर निगम या सचिवालय द्वारा दी गयी है ?

(2) क्या पूर्व प्रशासक, नगर निगम ने स्वयं जाकर ऐसे अनधिकृत कार्य को ध्वस्त करने के नोटिस दिये थे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) क्या भवानीसिंह या सवाई मानसिंह ट्रस्ट को यह सब कुछ करने की अनुमति या अधिकार सरकार द्वारा दिये गये हैं ? क्या यह सब कुछ "कन्वोनैन्ट" की मन्शा के विरुद्ध हो रहा है ? कन्वोनैन्ट व उक्त

(२१)

(श्री अमराराम)

चन्द्रमहल परिसर के नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। नैक्स्ट श्री दलीचन्द।

पीपलखूंट व तलवाड़ (बांसवाड़ा) में कन्या छात्रावास

486. **श्री दलीचन्द** (दानपुर) : क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा की पंचायत समिति पीपलखूंट व तलवाड़ में कुल कितने कन्या छात्रावास हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भविष्य में इस आदिवासी बहुल क्षेत्र के छोटी सरवन, पीपलखूंट, आबपुरा एवं कर्जी में कन्या छात्रावास खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, समाज कल्याण (श्री मदन दिलावर) : (1) बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति पीपलखूंट के अन्तर्गत विभाग का कोई कन्या छात्रावास संचालित नहीं है। पंचायत समिति तलवाड़ा के क्षेत्र में राजकीय कन्या छात्रावास, बांसवाड़ा का संचालन विभाग द्वारा किया जा रहा है।

(2) प्रश्नगत स्थानों पर कन्या छात्रावासों का खोला जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं स्थानीय आवश्यकताओं के आंकलन पर निर्भर करेगा।

श्री दलीचन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या बांसवाड़ा जिले में दानपुर विधान सभा क्षेत्र एक आदिवासी बाहुल क्षेत्र है जहां पीपलखूंट पंचायत समिति में अभी तक हमारे यहां पर कोई कन्या छात्रावास संचालित नहीं है ? एक लाख 11 हजार की आबादी वाली यह पंचायत समिति है जहां 99 प्रतिशत आदिवासी हैं, आज तक वहां कन्या छात्रावास क्यों नहीं खोला गया, इसका जवाब दें।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है परन्तु मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता रहा हूं कि इस जिले में 31 राजकीय छात्रावास चल रहे हैं, 11 अनुदानित छात्रावास चल रहे हैं और इनमें से 6 बालिका छात्रवास चल रहे है। इसमें भी एक–दो छात्रावास तो ऐसे हैं जैसे गढ़ी, गढ़ी छात्रावास में कन्याएं पर्याप्त नहीं मिल रही है। जितनी संख्या हमने स्वीकृत की है उतनी नहीं मिल रही है। फिर भी यदि आवश्यकता है और वहां से इस प्रकार की मांग आयी तो उस पर विचार किया जाएगा।

प्रश्न संख्या–487

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, फतेह सिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या–488

श्री कालूलाल गुर्जर।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या–489

श्री रतन लाल ताम्बी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री भीमराज मीणा

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निठाउवा गामड़ी (आसपुर)

490 **श्री भीमराज मीणा** (आसपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम निठाउवा तहसील गामड़ी (आसपुर) जिला डूंगरपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ? यदि हां तो कब ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त केन्द्र को यहां से हटाकर जिला टोंक में स्थानान्तरित कर दिया गया ? यदि हां तो क्यों ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस प्रकरण में किसी अधिकारी को दोषी मानती है ? यदि हां, तो क्या इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(2) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(4) जी नहीं, मापदण्डों के अनुसार पंचायत समिति आसपुर में 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है।

श्री भीमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह बात बिलकुल गलत है, इसका जो आदेश क्रमांक है वह आपको पढ़कर सुना दूं। राज्य राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ 1 (37) एम पी. एस. (ग्रुप–2) 89–90 दिनांक 1.12.89 द्वारा निठाउवा गामड़ी पंचायत समिति आसपुर में स्वीकृति दी गयी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की। परन्तु आदेश संख्या 2 (37) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) 89 दिनांक 27.1.90 द्वारा उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को अरनिया जिला टोंक में स्थानान्तरित कर दिया गया। (व्यवधान)। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का क्रमांक 34 पर स्थित है, वह आदिवासी बहुल क्षेत्र है और 40 हजार की आबादी है। देश की आजादी के बाद में आज भी स्थिति वही की वही है. वहां स्वास्थ्य सम्बन्धी किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस समय इसका आदेश मिला, उस आदेश में जिन अधिकारियों ने इसको

(श्री भीमराज मीणा)

स्थानान्तरित कराया उनको सजा दी जाए, उनके खिलाफ जो आपके नियमों में आती है कार्यवाही होनी चाहिये ।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, गलत सूचना देने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिये ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि आदेश संख्या प. 11 (37) चिकित्सा स्वास्थ्य (ग्रुप–2) 89 दिनांक 1.12.89 को 50 नवीन प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्वीकृत हुए थे । अध्यक्ष महोदय, उस समय जो प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्वीकृत किया गया उसका नाम भुताऊ गावड़ी न होकर निठाउवा गामड़ी के नाम से यह स्वीकृत हुआ । अध्यक्ष महोदय, जब यह स्वीकृत हुआ उस समय इधर बैठने वाले माननीय सयस्यों का शासन था और माधवसिंह जी दीवान ने इसको स्वीकृत किया । अध्यक्ष महोदय, उसके बाद चिकित्सा स्वास्थ्य मन्त्री बदले और 27.1.90 को जकिया इनाम जी चिकित्सा मन्त्री बनीं । चूंकि इसमें क्लैरिकल मिस्टेक थी, जो आदेश हुआ वह आदेश मीठा कुआ गामड़ी के नाम से हुआ । इस नाम का कोई भी गांव, अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर जिले में नहीं है । इसलिए उन्होंने आदिवासी क्षेत्र के इस प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र को अपने निर्वाचन क्षेत्र में अरानिया बेदार में स्थानान्तरित करा लिया । अध्यक्ष महोदय, यह प्रकरण पुराना है और एक प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के निश्चित मापदण्ड बने हुए हैं । उसके पश्चात् जनसंख्या के आधार पर आसपुर पंचायत समिति में 7 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र होने चाहिये जिनका लक्ष्य पूरा कर लिया गया है । अध्यक्ष महोदय, क्लैरिकल मिस्टेक के कारण गांव का नाम चूंकि गलत आदेश के अन्दर लिखा गया इसलिए बाद में जो तत्कालीन चिकित्सा मन्त्री थे उन्होंने इसको स्थानान्तरित किया है, यह सही है ।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, किस हैड से लिया गया ? ट्राइबल सबप्लान में था, वे चैन्ज कर ही नहीं सकते ।

श्री अध्यक्ष : आपको किसने बुलाया है, बीच में ख्वाहख्वाह खड़े हो रहे हैं ।

श्री भीमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए अब मन्त्री जी का अगले समय में क्या विचार है ? इसको खोला जाए या फिर है वैसे स्थिति में रहने देना है, यह मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिये कांग्रेस के माननीय सदस्यों के मन में कितनी बात है यह तो इस पूरे प्रकरण से सामने आ गयी (व्यवधान) फिर भी माननीय सदस्य अगर कहेंगे, मैं (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : इसमें कांग्रेस का क्या सवाल आया है ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने क्या किया चार साल के अन्दर, यह बताओ न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चूंकि यह सारा काम (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान) आर्डर प्लीज आर्डर प्लीज बैठिये, बैठिये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : कार्यवाही से उन शब्दों को निकाल दिया जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आप एक मिनट विराजिये। (व्यवधान)····

श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर) : पहली बार सदन के सामने आया है कि आदिवासियों के मानवाधिकारों का शोषण किस प्रकार से किया जाता है। कांग्रेस की सरकार ने किया है, कागजों में ट्राइबल सब प्लान में बदलकर अपने इलाकों में ले गये। (व्यवधान)

श्री भीमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बात को (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप एक मिनट बैठिये। देखिये, जब इस तरह की स्थिति होती है तो कृपया बैठ जाएं ताकि शान्ति हो जाए। मन्त्रीजी, आप मुझे बताइये कि इसमें लिखा हुआ है निठाउवा गामड़ी (व्यवधान) Let me ask him. कांग्रेस के नाम से इतने टची क्यों होते है यह तो चलता रहता है, रोज ही चलता है।

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें कांग्रेस पार्टी और जनता पार्टी का क्या मामला है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, बिल्कुल सरकार है और मुझे मेरी जिम्मेदारी का अहसास है। (व्यवधान)···

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी, मुझे यह बताइये निठाउवा गामड़ी··

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और यह जो सरकार बनी है वह कोई आपकी दया से नहीं बनी है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, आप क्यों उसमें एण्टर हो रहे हैं। आप बैठिये प्लीज। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : सरकार कैसी बनी है यह हमको भी पता है, सब जानते है, सारा राजस्थान जानता है कि क्या बनी है और कैसे बनी है और कैसे बनी है। बड़ा घमण्ड हो रहा है यह सरकार बनी है। यह + + + बना है और यह बिखर जाएगा। कुछ नहीं बनी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिल्कुल बनी है।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री भीमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं कि वास्तव में यह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए स्वीकृति दी गयी थी लेकिन इस तरह का बहाना बना दिया. क्लेरिकल मिस्टेक बता दी गयी और उसका स्थानान्तरण दूसरी जगह कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। माननीय मन्त्री जी, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें लिखा हुआ है निठाउवा तहसील गामड़ी और दूसरा नाम क्या बताया आपने

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जो आदेश जारी हुए थे। दिसम्बर, 1989 को

श्री अध्यक्ष : नहीं, दूसरा नाम क्या है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसमें लिखा है कि मीठा कुआं गावड़ी।

श्री अध्यक्ष : मीठा कुआ गांवड़ी और इसमें लिखा है निठाउवा गामड़ी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, वह क्लेरिकल मिस्टेक रही है।

श्री अध्यक्ष : नहीं; मीठा कुआं गांवड़ी टौंक में है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, अध्यक्ष महोदय, इसके बाद विडम्बना यह है इस आदेश के अन्दर चाहिए था निठाउवा गांमड़ी और हो गया मीठा कुआ गांवड़ी क्लैरिकल मिस्टेक के कारण तो एक शब्द के हेर-फेर के कारण तत्कालीन चिकित्सा मन्त्रीजी ने इसको अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्थानान्तरित करवा लिया,

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह तो मैं समझ गया, लेकिन आपकी जो लिस्ट है उस लिस्ट में कहीं जिले का नाम भी तो लिखा होगा ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लिखा है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कौनसे जिले में है यह ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह निठाउवा गांवड़ी जिला डूंगरपुर में है इस नाम का गांव। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, मैं समझ गया आपकी बात। देखिये, बात सीधी-सी है यह डूंगरपुर में खुलना चाहिए था और यदि गलती भी हुई है तो निठाउवा गांमड़ी की जगह इसमें टोंक तो नहीं आता है। सवाल इतना-सा है, जो हो गया वह तो हो गया मगर अभी जो आपने जवाब दिया उनको साफ करना चाहिये था। उसमें "जी नहीं" कह दिया उन्होंने लेकिन असल बात यह है कि डूंगरपुर में ओरिजनली खुलना चाहिये था। अब यदि गांव के नाम की गलती हुई है तो वह भी डूंगरपुर जिले में ही हुई है टौंक में तो हुई नहीं अब डूंगरपुर से टौंक में लाने में बड़ा अन्तर है लेकिन असल बात तो इसी गांव से सम्बन्धित है। अब आप ऐसा करिये····

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं मानता हूं कि अगर कहीं किसी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तरह की क्लैरिकल मिस्टेक रह गई है तो उसके संशोधन के लिए पूछना चाहिये था पर तत्कालीन चिकित्सा मन्त्रीजी ने पूछा नहीं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप उनको क्या रिलीफ देंगे ? यह गलती तो आपकी हुई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, निश्चित मापदण्ड बने हुए हैं कि 20 हजार की जनसंख्या पर एक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोलेंगे। सात प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र जनसंख्या के आधार पर पंचायत समिति आसपुर में होने चाहिये

श्री अध्यक्ष : नहीं, ये मापदण्ड सारे राजस्थान के लिये लागू हैं क्या ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 30 हजार की जनसंख्या साधारण क्षेत्र में, 20 हजार की जनसंख्या पर आदिवासी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और मरुस्थल क्षेत्र में। अध्यक्ष महोदय, जो जनसंख्या के अनुसार मापदण्ड थे उसके अनुसार तो इन्होंने पूरे कर लिये हैं पर माननीय सदस्य की भावनाओं को देखते हुए.....

श्री अध्यक्ष : कहीं न कहीं एडजस्ट करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नये प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र जब खोलेंगे उस समय एक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र इनके गांव में खोल दिया जाएगा।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : रेगिस्तानी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या पर खोले जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री हरिसिंह जी।

पशु चिकित्सकों के पदों पर नियुक्तियां

491. श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में पशु चिकित्सकों के कितने पद कब से रिक्त पड़े हैं ? क्या सरकार रिक्त स्थानों को शीघ्र भरने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

(2) वर्तमान में कितने पशु चिकित्सक विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त हैं तथा पशु चिकित्सकों की कमी के बावजूद भी इन्हें विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति देने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार पशु चिकित्सकों को विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति देने पर रोक लगाएगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, पशुपालन (श्री अर्जुनसिंह देवड़ा) : (1) राजस्थान में पशु चिकित्सकों के 373 पद रिक्त थे, 23-2-1994 को 150 चिकित्सकों के पदस्थापन के आदेश प्रसारित किये गये। अब 223 पद रिक्त हैं। डाक्टरों की नयी नियुक्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग से 235 पदों का प्रार्थना पत्र दिनांक 1-6-1993 को भेज दिया

(श्री अर्जुनसिंह देवड़ा)

गया है। आयोग से डाक्टर उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भर दिया जाएगा।

(2) वर्तमान में 100 पशु चिकित्सक विकास अधिकारी पद पर प्रतिनियुक्ति पर हैं। विकास अधिकारी का पद पदोन्नत पद होने एवं इस पद के लिये पशु चिकित्सकों की योग्यता मान्य होने के कारण पशु पशु चिकित्सक इस पद पर लगाये जाते हैं। विकास अधिकारी पदस्थापन नियमों में पशु पालन विभाग के अधिकारियों को भी पद-स्थापित करने का नियमों में प्रावधान है। इन नियमों में संशोधन होने के पश्चात् ही पशुपालन विभाग से विकास अधिकारी के पदस्थापन को रोका जा सकेगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्रीजी ने बताया है, 223 पद अभी भी पशु चिकित्सकों के इनके पास रिक्त है। 100 पशु चिकित्सक इन्होंने विकास विभाग को दिये है विकास अधिकारी के पद पर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि पश्चिमी राजस्थान में पशुधन की बहुतायत होने के कारण एक नियम यह बनाया गया था कि कुछ प्रतिशत में पशु चिकित्सकों को विकास अधिकारी बनाकर पश्चिमी राजस्थान की पंचायत समितियों में पदस्थापित कर दिया जाता है तो उससे वहां पर पशुधन और कृषकों को लाभ मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, जो पशु चिकित्सक इन्होंने विकास विभाग में प्रति-नियुक्ति पर दिये है इससे पश्चिमी राजस्थान से डिस्पेंसरीज खाली पड़ी हैं और वे पंचायत समितियों में भी नियुक्तियों पर नहीं हैं। क्या आपका विभाग पशु चिकित्सकों को पंचायत समितियों में प्रतिनियुक्तियों पर देता है उसके लिए आपने कोई सेवा शर्तें बना रखी हैं कि इतने प्रतिशत ही हम देंगे ? अगर राजस्थान का विकास विभाग 500 मांगे तो 500 को ही भेज देंगे ? ऐसा कोई नियम आपने बना रखा है क्या ?

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है मैं भी इस भावना से सहमत हूं क्योंकि काफी जगहों पर पशु चिकित्सालयों में डाक्टर नहीं हैं और ये 80 डाक्टर्स जो अभी लगाये गये हैं वे राष्ट्रपति शासन के दौरान लगाये गये हैं। हमने अभी 1500 डाक्टरों को नियुक्ति दी है और 223 के लिए और भेज दी है

श्री अध्यक्ष : इनका सवाल सीधा-सा है कि ये जो आप प्रतिनियुक्ति पर लगाते हैं उसका कोई पर्सेण्टेज है या वैसे ही।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : इसके पर्सेण्टेज के बारे में तो, अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मैं माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा अर्ज करना चाहूंगा कि यह जो हमारी टैक्निकल सर्विसेज हैं–मेडिकल, पशु चिकित्सा, इंजीनियरिंग; इसमें सोसाइटी बड़ा खर्चा करके इन लोगों को एज्यूकेशन देती है और जिस सब्जैक्ट के एक्सपर्ट्स हम बनाकर तैयार करते हैं उस एक्सपर-टाइजेशन का लाभ सोसाइटी को मिलता नहीं है, उनको दूसरी जगहों भेज पर दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके

(श्री हरिसिंह)

माध्यम से इतना–सा मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन के दौरान जिन 80 पशु चिकित्सकों को आपने प्रतिनियुक्ति पर विकास विभाग को भेजा है और आपके विभाग में पशु चिकित्सकों के पद खाली चल रहे हैं तो क्या आप उनकी प्रतिनियुक्ति के आदेश निरस्त कर विभाग में उनको वापस बुलवाएंगे ?

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, अगले महीने वेटरिनरी कालेज बीकानेर से पास आउट होकर आने वाले हैं उनको भी नियुक्ति दे दी जाएगी । उसके बाद में यदि और पद रिक्त रह जाते हैं तो निश्चित तौर से उनको भी वापस लिया जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : वापस लेंगे, ठीक है श्री गोपीराम जाट ।

पर्यटन स्थल आमेर का विकास

492. श्री गोपीराम जाट (आमेर) **:** क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार आमेर को जयपुर नगर निगम सीमा में शामिल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र का पर्यटन स्थल के रूप में विकास करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र के विकास की क्या योजना बनायी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि आमेर का पर्यटन विकास कार्य नगर निगम सीमा में बहुत ही मन्द गति से किया जा रहा है जबकि पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या निगम सीमा में लेने के बाद क्या-क्या विकास कार्य किये गये है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्रीमती नरेन्द्र कंवर) **:** (1) आमेर वर्तमान में जयपुर नगर निगम की सीमा में सम्मिलित है । आमेर वर्तमान में विश्व के पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात है ।

सम्भागीय आयुक्त, जयपुर की अध्यक्षता में आमेर के विकास हेतु गठित समिति की अभिशंसा पर निम्न कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं :—

1. आमेर महल के परकोटे पर रंग-रोगन का कार्य ।

2. पुराने महत्वपूर्ण भवनों पर रंग-रोगन का कार्य ।

3. जलेब चौक, आमेर में पर्यटकों की सुविधा हेतु लॉज का निर्माण ।

4. नाहरगढ़ किले की मरम्मत ।

5. आमेर में हाथी गांव का निर्माण ।

6. रोप-वे का निर्माण ।

7. आमेर में कैफेटेरिया का निर्माण ।

8. बायोलोजीकल पार्क का निर्माण ।

9. भारमल्ल की छतरियों का विकास कार्य ।

(श्रीमती नरेन्द्र कंवर)

10. आमेर महलों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार।

11. पन्ना मियां कुण्ड का विकास।

12. मावठा तालाब का विकास।

13. सागर क्षेत्र का विकास।

14. आमेर क्षेत्र में सड़कों का निर्माण/सुधार कार्य।

(2) यह सही नहीं हैं कि आमेर का पर्यटन विकास कार्य नगर निगम सीमा में बहुत ही मन्द गति से किया जा रहा है। आमेर क्षेत्र को नगर निगम सीमा में लेने के बाद निम्न कार्य कराये गये हैं :—

1. जगत शिरोमणि मन्दिर, नरसिंह मन्दिर व जैन मन्दिर तक सड़क निर्माण।

2. राम बाग का विकास कार्य।

3. केसर क्यारी, आमेर का विकास।

4. दलाराम बाग में विकास कार्य।

5. नाहरगढ़ में जन सुविधाओं का निर्माण।

6. महलों के नीचे पहाड़ी के संरक्षण का कार्य।

7. हाथी स्टैण्ड तथा कार पार्किंग।

8. भारमल्ल की छतरियों का संरक्षण कार्य।

9. पन्ना मियां कुण्ड का जीर्णोद्धार।

10. मावठा तालाब की खुदाई का कार्य।

11. सागर क्षेत्र का विकास कार्य।

श्री गोपीराम जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, आमेर में पर्यटन की दृष्टि से जो विकास कार्य कराये गये, काफी लम्बी सूची है, उसके लिए तो मैं माननीय मंत्रीजी का और सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन इसमें त्रुटि यह है कि जहां पन्ना मियां कुण्ड लिखा हुआ है, वह पन्ना मीणा कुण्ड है, पन्ना मियां कुण्ड नहीं है, यह इसमें अशुद्धि है।

इसके साथ-साथ, विकास कार्यों की धीमी गति के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि खोड़ी दरवाजा से लेकर बंध तालाब तक करीब एक किलोमीटर लम्बे नाले का निर्माण होना हैं। इस नाले की खुदाई हो चुकी है, मैटीरियल दोनों साइड में अस्त-व्यस्त पड़ा हुआ है, इससे आने-जाने वाले लोगों को काफी असुविधा होती है। नाले का निर्माण यदि बरसात से पूर्व नहीं हुआ तो वहां पर कुंडलाव कालोनी और हास्पिटल में जाने वाले लोगों को काफी असुविधा होगी क्योंकि उस नाले से जो पानी आएगा उससे रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। पहले भी उस नाले में बरसात के दिनों में जब सागर टूटा था तो एक कार बह गयी थी और उसमें 4–5 आदमी भी बह गये थे। उससे यह खतरनाक स्थिति फिर बन सकती है।

इसी के साथ-साथ इसमें मावठे की खुदाई के बारे में कहा हैं और हाथी स्टैण्ड और कार पार्किंग के कार्य के बारे भी लेकिन ये कार्य तो अभी हाथ में ही नहीं लिये गये हैं। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि एक तो इस नाले का निर्माण कब तक हो जाएगा और मावठे की खुदाई और

(श्री गोपीराम जाट)

हाथी स्टैण्ड का काम कब तक शुरू कर दिया जाएगा। पन्ना मियां कुण्ड की जगह पन्ना मीणा पढ़ा जाए।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : मियां की जगह मीणा, इस त्रुटि के लिये क्षमा चाहते हैं आपसे। 28 तारीख को भंवरलाल जी ने मीटिंग ली थी ··(व्यवधान) उस समय ये विधायक भी मौजूद थे और उन्हें पता होना चाहिये। अभी हमने जो लिस्ट दी है प्रश्न संख्या दी की, उसके लिये तो यह है कि इस साल में काम होगा। नाले का कार्य चालू है और बरसात में तो अभी 4 महीने बाकी है, 4 महीने में बहुत कुछ हो जाता है। बाकी ···(व्यवधान)

प्रश्न संख्या 493

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री मदन मोहन।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

नैक्स्ट। श्री बाबूलाल वर्मा।

फोरमैन से सहायक खनिज अभियन्ता के पद पर पदोन्नति

494. **श्री बाबूलाल वर्मा** (डग) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि फोरमैन से सहायक खनिज अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु होने वाली विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें होना पिछले दो-तीन वर्षों से लम्बित है? यदि हां, तो डी. पी. सी. की तिथि अनेक बार तय हो जाने के बावजूद भी बैठकें नहीं हो सकने एवं बार-बार स्थगित होने के क्या-क्या कारण रहे?

(2) डी. पी. सी. की बैठकें बुलाने की कार्यवाही अब कब तक पूर्ण कर ली जाएगी?

खान मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां। माननीय उच्च न्यायालय में स्वीकृत वरिष्ठ सर्वेयर के पदों को पूर्वगामी प्रभाव से सेवा नियमों में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में विचाराधीन रिट याचिकाओं का निर्णय होने के पश्चात् उक्त पदों को सेवा नियमों में सम्मिलित करने, इस पद को विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी.) के द्वारा चयन करने एवं इसके उपरान्त माइन्स फोरमैन ग्रेड–I व वरिष्ठ सर्वेयरों की इन्टर सी-सिनियोरिटी तैयार कर वर्षवार रिक्तियों का निर्धारण करने में समय लगना उक्त बैठक स्थगित करने का मुख्य कारण रहा है।

(2) डी. पी. सी. की बैठक शीघ्र बुलाने हेतु विभाग द्वारा तत्परता से कार्यवाही की जा रही है एवं निकट भविष्य में ही बैठक आयोजित कर ली जाएगी।

श्री बाबूलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि जवाब में कहा गया है कि इन पदों को डी. पी. सी के द्वारा चयन करने एवं उसके उपरान्त माइन्स फोरमैन ग्रेड-I एवं वरिष्ठ सर्वेयरों की इन्टर-सिनियोरिटी तैयार कर वर्षवार रिक्तियां निर्धारण करने में समय लगता है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि रिक्तियां निर्धारण करने में समय लगभग कितना लगता है, एक वर्ष दो वर्ष, तीन वर्ष? रिक्तियां निर्धारण करने

(श्री बाबूलाल वर्मा)

में इतना लम्बा समय लगना, जवाब ठीक नहीं लगता है। मैं निश्चित रूप से जानना चाहूंगा, इनका कोई निश्चित समय बताएं।

दूसरा, मैंने निश्चित रूप से इनको पूछा था कि डी. पी. सी. की बैठकें बुलाने की कार्यवाही कब तक पूरी कर दी जायेगी, मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि तत्परता से कार्यवाही की जा रही है। जबकि मैंने पहले ही निवेदन किया था कि 2 या 3 साल से लगातार बैठकें बुलाने की कार्यवाही की जा रही है, उनको स्थगित किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि एक निश्चित तिथि आज ये बताने की कृपा करे कि कब तक डी. पी. सी. की बैठक बुलाकर ये रिक्तियां पूरी कर देंगे?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न रखे हैं, दोनों के बारे में विलम्ब हुआ है, इसको मैंने स्वीकार किया है। अब उस विलम्ब के होने में जो विभाग ने कारण बताया हैं उसके औचित्य को मैं देख लूंगा, अगर उसमें विभागीय स्तर पर कुछ गड़बड़ी हुई है तो उस बारे में कार्यवाही कर लूंगा और डी. पी. सी. की बैठक विधान सभा समाप्त होने के बाद तुरन्त बुला ली जाएगी, उसमें कोई देरी अब नहीं होगी।

श्री बाबूलाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि बताया है विलम्ब हुआ है, विलम्ब होने के कुछ निश्चित कारण तो हुए होंगे, विभाग ने आपको बताया होगा कि इस वजह से विलम्ब हो रहा है तो जल्दी से जल्दी इसको दूर करने के लिए कार्यवाही करने का पूरा आश्वासन दें।

श्री अध्यक्ष : वह तो कर रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : कारण दूर हो गये।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री हीरालाल।

निर्वाचन क्षेत्र बामनवास में छात्रावास

495. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार बामनवास विधान सभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र के सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, बौंली, माध्यमिक विद्यालय बिरनी, माध्यमिक विद्यालय मलारना चोड़ तहसील बौंली एवं माध्यमिक विद्यालय बारनाला, पीपलाई तहसील बामनवास में छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

राज्य मंत्री समाज कल्याण (श्री मदन दिलावर) : यह सरकार के पास वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं स्थानीय स्थिति के आंकलन पर निर्भर करता है।

श्री हीरालाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि पास में निवाई, निवाई के अलावा लालसोट, सवाई माधोपुर, गंगापुर सभी तहसील हैड क्वार्टर पर छात्रावास हैं लेकिन बौंली और बामनवास में छात्रावास

(श्री हीरालाल)

में छात्रावास नहीं जबकि आपकी सरकार बार-बार धन्यवाद देती है, बार-बार कहती कहती है कि एस. सी., एस. टी. का हम उद्धार करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उद्धार करने की बात छोड़कर और नीचे गिराते जा रहे हैं। हमारे क्षेत्र के बाहर गांवों में बच्चे 8वीं, 9 वीं, और 10 वीं से आगे बिना पैसे के, बिना साधनों के शिक्षा लेने से वंचित रह जाते हैं। अगर दोनों तहसील मुख्यालयों में सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में छात्रावास खोले जाए तो गरीब काश्तकार, गरीब एस. सी., एस. टी. के बच्चों का भाग्य उज्जवल हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि विधान सभा क्षेत्र में कोई छात्रावास नहीं है, बौंली में जो कि माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र में आता है, एक छात्रावास खुला हुआ है। उसमें बालकों की स्वीकृत संख्या 25 है और उसमें मात्र 20 बालक ही मिल रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले की जहां तक बात है, 17 समाज कल्याण के छात्रावास हैं और 17 में से 2 कन्या छात्रावास है। मैं समझता हूं पर्याप्त छात्रावास हैं, फिर भी यदि माननीय सदस्य अपनी बात रखेंगे, विचार रखेंगे और वहां पर ऐसी आवश्यकता होगी तो उस पर विचार कर लिया जाएगा।

श्री हीरालाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो छात्रावास बताया है वह बामनवास और बौंली में, दोनों में से कौनसी जगह छात्रावास है? तहसील हैडक्वार्टर बौंली और बामनवास में से कौनसी जगह छात्रावास है आपका? वहां पर गरीब जनता नहीं रहती है, सभी पैसे वाले व्यक्ति ही रहते है, वहां नहीं है छात्रावास एक भी। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि आज ही घोषणा करें, दोनों तहसील हैडक्वार्टर पर एस. सी., एस. टी. के छात्रावास खुलने चाहिये।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मांग पर खोले जाते हैं कि वहां आवश्यकता भी है कि नहीं, फिर भी····(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह मांग ही तो है और क्या है?···· (व्यवधान) अगर यह मांग नहीं है तो और क्या है?

श्री अध्यक्ष : आप उत्तर नहीं सुनना चाहते?

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, फिर भी मैंने कहा कि वहां कई बातें आवश्यक होती हैं जहां छात्रावास खोले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वे पूछ रहे है कि बौंली में छात्रावास नहीं है, ऐसा बता रहे हैं और आप कह रहे हैं··· (व्यवधान)

श्री हीरालाल : नहीं है, बौंली और बामनवास दोनों में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : छात्रावास हो तो बता दें। आप कह रहे हैं बौंली में छात्रावास है और वे कह रहे हैं बौंली में छात्रावास नहीं है।

श्री मदन दिलावर : मेरी जानकारी के अनुसार बौंली में छात्रावास है। यदि मुझे गलत सूचना दी गयी है तो उसको दिखाउंगा।

श्री हीरालाल : आप बताओ ना कौन सी जगह है बौंली में? बौंली में है, नायलाडूंगर में है या और कहीं है?

श्री अध्यक्ष : इसका तो यही उत्तर हो सकता है, आप कह रहे हैं बौंली में नहीं है, ये जवाब दे रहे हैं, है। यदि जबाब गलत दिया है तो उसकी जांच करके एक्शन लेंगे।

श्री हीरालाल : कहां चल रहा है?

श्री रामनारायण चौधरी : अगर यहां नहीं है तो क्या आप यहां खोल देंगे?

श्री मदन दिलावर : इस पर विचार किया जायेगा। फण्ड की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा।

श्री हीरालाल : अभी करो विचार।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, बौंली में छात्रावास है।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं है, नहीं है।

श्री अध्यक्ष : तो आप कहिए ना कि नहीं है तो बौंली में खोल देंगे।

श्री मदन दिलावर : यदि बौंली में छात्रावास नहीं होगा तो खोल दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : हो जायेगा। नैक्स्ट, श्री किशन मोटवानी।

गोविन्दगढ़ बांध में हुई अनियमितताएं

496. **श्री किशन मोटवानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई खण्ड द्वितीय अजमेर के अधीन निर्मित गोविन्दगढ़ बांध पर ठेकेदार को हार्ड रॉक ब्लास्टेड का 2550 क्यूबिक मीटर का भुगतान किया गया है जबकि तखमीने में हार्ड रॉक ब्लास्टेड का सिर्फ 910 क्यूबिक मीटर का प्रावधान था?

(2) इतने बड़े डीविएशन हेतु किस सक्षम अधिकारी ने स्वीकृति जारी की थी?

(3) क्या यह सही है कि हार्ड रॉक ब्लास्टेड में औसतन 7 फीट से भी ज्यादा की खुदाई दिखायी गयी है?

(4) क्या यह सही है कि ठेकेदार से हार्ड रॉक ब्लास्टेड से प्राप्त पत्थर की रिकवरी 471.00 क्यूबिक मीटर की गयी व उक्त रिकवरी 15 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर की दर से की गयी जबकि रिकवरी की रेट 73.80 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर होनी चाहिये थी?

(5) क्या यह सही है कि ठेकेदार के प्रथम सात बिल टेक्नीकल सेंक्शन के एतराजों के विरुद्ध बिना गार्ड फाईल एवं सीमेंट कंजम्पशन रजिस्टर प्रेषित किये ही पास होते रहे?

(श्री किशन मोटवानी)

(6) क्या उपरोक्त कार्य का सीमेंट कंजम्पशन रजिस्टर तैयार किया गया अथवा नहीं तथा उक्त कार्य की गार्ड फाईल में खुदाई एवं चुनाई के लेविल मार्क किये हुए हैं अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो उपरोक्त दोनों कार्य हेतु कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ?

(7) उक्त कार्यों का अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता द्वारा कब-कब मौका मुआयना किया गया ? निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या गोविन्दगढ़ बांध पर की गयी लाखों रुपये की अनियमितताओं के लिए कोई कर्मचारी या अधिकारी दोषी है ? यदि हां, तो दोषी कर्मचारी या अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सिचाई मंत्री (श्री देवीसिंह भाटी) : (1) जी हां। तखमीना बनाते समय खुदाई के विभिन्न स्ट्रेटा की मात्रा अनुमानित होती है। खुदाई के दौरान विभिन्न स्ट्रेटा की वास्तविक मात्रा तथा तखमीने की अनुमानित मात्रा में अन्तर रहता है। तथापि परियोजना के रिवाइज्ड तखमीने में हार्ड रॉक ब्लास्टेड की मात्रा 2548 क्यूबिक मीटर ही ली गयी है।

(2) डीविएशन बढ़ा नहीं है। कार्य के प्रारम्भिक स्तर पर डीविएशन की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। कार्य पूर्ण होने के उपरांत अगर आवश्यकता हुई तो डीविएशन की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार करने पर विचार किया जाएगा।

(3) जी हां।

(4) 471 घन मीटर पत्थर की रिकवरी की गयी है। हार्ड रॉक ब्लास्टेड से प्राप्त पत्थर की रिकवरी 15 रुपये प्रति घन मीटर से की गयी है। रिकवरी की रेट 73.80 रुपये प्रति घन मीटर सही नहीं है।

(5) जी नहीं।

(6) जी हां। कार्य का सीमेंट कंजम्पशन रजिस्टर व गार्ड फाइल है तथा गार्ड फाइल में खुदाई व चुनाई के लेवल मार्क किये गये हैं। अतः किसी अधिकारी एवं कर्मचारी का दोषी होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(7) उच्च अधिकारियों द्वारा कार्य के निरीक्षण की दिनांक संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुसार है एवं निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट–2 में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(8) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री किशन मोटवानी : मेरा पहला प्रश्न है कि क्या आप इस प्रश्न के उत्तर से सेटिस्फाइड हैं ? क्या आपको इसमें अनियमितताएं नजर नहीं आ रही हैं ? आप काइंडली सर्टिफिकेट मत देना।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य को हमारे विभाग के किसी कर्मचारी ने या और किसी ने जानकारी दी है। वाकई में आपकी जानकारी सही हो सकती है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन जो मैंने फेक्ट्स जानने की कोशिश की उसमें मूल में जो आपका एतराज है वह यह कि जो ठेकेदार से हार्ड रॉक ब्लास्टेड से प्राप्त पत्थर की रिकवरी 471 मीटर क्यूबिक मीटर की गयी वह उक्त रिकवरी 15 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर की दर से की गयी। हकीकत में यह हुआ कि 15 रुपये मीटर के हिसाब से ही रिकवरी की गयी है जबकि होनी चाहिये थी इससे ज्यादा और यह कोई कारण नहीं है कि तुरन्त उससे रिकवरी कर ली जाए। वहां से जो भी पत्थर निकाला गया, वैसे उसका अलग से पूरा चार्जेज जैसा कि वह मशीनरी का वर्क है, पत्थर की अलग से उसकी रेट होती है उसकी लीड अलग से दी जाती है, उसकी घड़ाई अलग से दी जाती है, तो वह सारा मिलाकर हम उसे बाउण्ड है देने के लिये 72.80 रुपये। लेकिन उसके अन्दर हम लेस कर देते हैं यदि पत्थर वहां से उसका निकाला हुआ मिल गया, उसको उपयोग में लिया गया और उसकी जो लीड मिलती थी वह लेस कर दी 37.80 रुपये। तो 52.80 रुपये के हिसाब से उसके अन्दर लेस किया जाकर बाकि यदि इसमें कुछ भी है, हालांकि जैसे कि आपने यह प्रश्न या है तो मैंने काफी जानकारी की है। जैसे आपने पत्र के बारे में भी लिखा है जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बारे में है। हालांकि इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं है लेकिन एक लैटर चीफ इंजीनियर ने लिखा है उसने यह महसूस किया है : "Some masonary work was going on in the spillway section. There was practically no curing. The quality of masonary work was also poor. There were hollows in the masonary which was evident from the fact that the water poured in the masonary with the help of buckets ..." तो कुल मिलाकर आपकी मंशा के हिसाब से मैंने इसकी जानकारी की। जो इंस्पेक्शन हुआ उसके बाद में तुरन्त उसने जो काम करवाया था वह सारा हटाकर सारा दुबारा करवाया गया। फिर भी आपकी जो राय है या आपकी जो मंशा है उससे बिलकुल सहमत हूं और मैं इसकी पुनः जांच कराऊंगा तथा कहीं भी लेशमात्र भी गड़बड़ होगी तो मैं बख्शूंगा नहीं।

श्री किशन मोटवानी : इसमें एक सुझाव है। क्या आप इरिगेशन डिपार्टमेंट को छोड़कर किसी अन्य तकनीकी विभाग इसकी जांच कराएगे ताकि आपको सत्यता मिल जाए ? क्योंकि मेरा इसमें एक्सपीरियंस है कि विभाग वाले विभाग से मिलकर फिर उसकी लीपापोती कर देते हैं। अल्टीमेटली जाते-जाते चीफ इंजीनियर भी उसमें लैटर लिख जाते हैं कि अब मामले को समाप्त किया जाए क्योंकि वे जा रहे हैं तो उस मसले को भी जाने की कह कर छोड़ देते हैं। इसलिये आप किसी विशेषज्ञ से जो अपने पेरेंटल, मदर या सिस्टर डिपार्टमेंट से हो, इसकी जांच कराए।

श्री देवीसिंह भाटी : अब ऐसी व्यवस्था तो है नहीं फिर भी माननीय सदस्य ने ऐसा स्पेसिफिक प्रश्न उठाया और कोई दूरी भी ज्यादा नहीं है, मैं गैर तकनीकी आदमी हूं और आप भी गैर तकनीकी हैं, अपने विधान सभा सत्र के बाद में स्वयं मौके पर चले जाएंगे, हालांकि तकनीकी आदमियों को फिर भी साथ लेना पड़ेगा, उनको साथ ले लेंगे। अपन चलकर उसकी जांच कर लेंगे और आपको बिलकुल संतुष्ट करेंगे। दोषी होगा तो उसे सजा देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिलाल खोईवाल प्रश्न संख्या 497.

तहसील चित्तौड़गढ़ में अकाल राहत कार्य

497. **श्री शांतिलाल खोईवाल** (राजसमंद) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चित्तौड़गढ़ तहसील में कौन-कौन से ग्राम 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक फसली खराबे के कारण अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं ?

(2) उक्त ग्रामों में कहां-कहां पर क्या-क्या राहत कार्य आरम्भ किये गये हैं ? प्रत्येक कार्य पर स्वीकृत राशि एवं मजदूरों की संख्या कितनी-कितनी है ? किस-किस स्वीकृत कार्य पर कितने-कितने मजदूरों को रोजगार मिल रहा है ?

राज्य मंत्री अकाल सहायता (श्री सांवर लाल जाट) : (1) सम्वत 2050 की फसल गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार चित्तौड़गढ़ तहसील के 17 गांवों में 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत फसल खराबा आंका गया है। इन 17 ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "अ")

(2) उक्त गांवों में स्वीकृत किये गये राहत कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "अ")

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री शांतिलाल खोईवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मुझे जो प्रश्न का उत्तर भेजा है वह बहुत विचित्र है और प्रशासनिक संवेदनशीलता का एक विचित्र नमूना भी है। वहां पर 17 काम खोले गये 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक जिन गांवों में खराबे थे और 17 में से मात्र 3 गांवों में वे मजदूर एंगेज कर पाये। अब वहां से जब मैंने पता लगाया तो पता चला कि वहां के मजदूरों को एंगेज कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि एक राशन कार्ड पर एक व्यक्ति को एंगेज करेंगे और आप रोज विधान सभा में यह घोषणा कर रहे हैं कि इस प्रकार के डाइरेक्शन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को भिजवा दिये गये हैं कि इस प्रकार की कोई पाबंदियां नहीं लगाएं। मुझे लगता है कि यह सिर्फ आंकड़ों का जाल ही है, वास्तव में कोई काम ही नहीं रहा है, संवेदनशीलता का अभाव है और प्रशासनिक अधिकारी तथ्यों के बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।... (व्यवधान)... मुझे अपनी बात कह लेने दीजिये, मेहरबानी करके, आप मेरे बाद कह लेना। यह मैं आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं, मैं

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कोई भी रिमार्क कसने के पहले यह पूछ लीजिये कि इतने कम श्रमिक क्यों लगे।

श्री शांतिलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, 635 श्रमिकों की स्वीकृति है।

श्री अध्यक्ष : कम क्यों लगे यह पूछ लीजिये। इन्होंने दिया है साथ, जिन 4 गांवों में या 5 गांवों में जहां श्रमिक लगे हैं संख्या दी है।

श्री शांतिलाल खोईवाल : हां, 5 की दे रखी है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : तो यह पूछ लीजिये कि बाकी में क्यों नहीं लगे। यह तो पूछिये आप।

श्री शांतिलाल खोईवाल : बाकी में नहीं लगे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह पूछो क्यों नहीं लगे। आप कारण तो पूछो। हो सकता है आपके श्रमिक अवेलेबल ही नहीं हों।

श्री शांतिलाल खोईवाल : मंत्री महोदय इसके रीजंस बताइये कि क्या कारण हैं।

श्री सांवरलाल जाट : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया, माननीय सदस्य कह रहे थे कि बार-बार घोषणा की है। मैंने घोषणा यह की थी कि जहां जरूरत होगी श्रमिकों को नियोजित किया जायेगा। जब काम स्वीकृत किया उसके बाद भी हमने यहां से निर्देश जारी किये कि काम शुरू होने चाहिये इस प्रकार का अधिकारियों को देखना है। अब मेरे पास जो सूचना है और अधिकृत सूचना है कि जहां पर आवश्यकता थी, फसल की कटाई चल रही है इस वजह से कुछ राहत एजेंसियों ने यह सूचना दी कि श्रमिक आने के लिये तैयार नहीं हैं। माननीय सदस्य बार-बार यहां कहें, मौके पर जाकर यह कह दें कि इन गांवों के अन्दर यह कार्य स्वीकृत करा दिया। सरकार की मंशा अगर लोगों को लगाने की नहीं होती तो ये काम स्वीकृत करने का मकसद क्या है। इसलिये माननीय सदस्य अगर इस प्रकार कहें कि संवेदनशील नहीं हैं, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं और इस प्रकार का जो आरोप आपने लगाया है, मैं समझता हूं जानबूझकर। पता नहीं आप क्या चाहते हैं, यह मेरे समझ में नहीं आया।

श्री शांतिलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्वीकृति का प्रश्न है इसमें मुझे कोई प्रश्न नहीं पूछना है। मेरा निवेदन सिर्फ यह है कि वहां पर जो प्रशासनिक एजेन्सी है वह इस ढंग से एंगेज कर रही है मजदूरों को कि एक राशनकार्ड से एक व्यक्ति को एंगेज कर रही है तो वहां पर नहीं मिलना बहुत स्वाभाविक है। दूसरी बात वहां के अधिकारीगण इसमें इन्टरेस्ट ले नहीं रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन तो यही है कि माननीय मंत्री महोदय चित्तौड़ जिले के बारे में भी थोड़ा

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

विचार करें और उनको निर्देश दें कि यह व्यवस्था ठीक, सुचारू रुप से चलाये ।

श्री सांवरलाल जाट : अध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रकार की स्थिति होगी तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस बारे में संबंधित अधिकारियों को और निर्देशित कर दिया जाएगा और अगर जानबूझ कर काम शुरू नहीं करे तो निश्चित रूप से कार्यवाही होगी ।

श्री रामनारायण चौधरी : कार्यवाही क्या होगी, अध्यक्ष महोदय, 17 कार्य मंजूर हुए जिनमें....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, माईनिंग क्षेत्र होने के कारण इतने कम पैसे में मजदूर नहीं मिलते । फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य अगर कोई ऐसा स्थान बतायेंगे और मजदूर आने के लिये तैयार होंगे तो प्रत्येक को काम पर लगाया जायगा ।

श्री शांतिलाल खोईवाल : वह माईनिंग क्षेत्र नहीं है, मंत्री महोदय ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सारा निकट का क्षेत्र है वह ।

श्री शांतिलाल खोईवाल : चित्तौड़गढ़ नहीं है माइनिंग क्षेत्र ।

श्री अध्यक्ष : आप क्या पूछेंगे, अपने क्षेत्र का ?

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : ऐसा है श्रीमन्, यह अकाल से संबंधित मामला है और माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है....

श्री अध्यक्ष : आप अपने क्षेत्र का ही पूछेंगे न ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : क्षेत्र की बात नहीं है, अकाल से संबंधित बात पूछ रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : नहीं, अकाल से संबंधित नहीं है यह, यह चित्तौड़गढ़ का है ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : हां, चित्तौड़गढ़ की है और अकाल के बारे में है । श्रमिक जितने सेंक्शन्ड हैं, सरकार ने जो काम किये हैं, जो मंत्रीजी ने जवाब दिया है....

श्री अध्यक्ष : साफ प्रश्न यह है कि चित्तौडगढ़ तहसील में कौन-कौन से गांव में 75 से 100 प्रतिशत तक जहां अकाल है, चित्तौड़गढ़ के सारे गांवों की लिस्ट है, कितने काम शुरू हुए ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय मैंने प्रश्न पढ़ लिया है ।

श्री अध्यक्ष : तो इस बारे में पूछिये । चित्तौड़गढ़ के बारे में पूछ रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैंने प्रश्न पढ़ लिया, इसी के बारे में पूछ रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह नहीं । चित्तौड़गढ़ के बारे में पूछ रहे हैं तो पूछिये ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : हां, मैं चित्तौड़गढ़ के बारे में पूछूंगा ।

श्री अध्यक्ष : हां, पूछिये चित्तौड़गढ़ के बारे में।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने यह उत्तर दिया कि हमने काम स्वीकृत कर दिये और उसके अगेन्स्ट में मजदूर मिल नहीं रहे है, सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने भी यह जवाब दिया है। यह स्थिति राजस्थान के अन्दर सभी जगह, जहां इन्होंने काम सेंक्शन्ड बताये हैं, बहुत चिंता का विषय है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि यह इतनी चिंता का विषय है कि जितने काम आंकड़ों के अन्दर सेंक्शन्ड बताये गये हैं, उतने मजदूर जगह-जगह नहीं लगे हुए हैं, आधे से भी कम लगे हुए हैं जितने इन्होंने स्वीकृत बता रखे हैं।

श्री सांवरमल जाट : मजदूर मिल नहीं रहे हैं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : और वास्तव में स्थिति ऐसी है, मैं अनुरोध करना चाहूंगा, चूंकि यह ऐसा मानवीय प्रश्न है, मंत्री महोदय अपने निजी स्तर पर अधिकारियों से सभी जगह बात करें और यह पता लगाएं कि जो काम...

श्री अध्यक्ष : आपका सुझाव मान लिया गया। श्री चुन्नीलाल धाकड़।

निर्वाचन क्षेत्र बेगूं के विभिन्न विद्यालय में रिक्त पद

498. **श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय किस-किस ग्राम में चल रहे हैं, उनमें कक्षावार छात्रों की संख्या कितनी-कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में मापदण्ड के अनुसार कितने पद अध्यापकों के सृजित हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में किस-किस विद्यालय में कितने-कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं तथा रिक्त पदों को कब तक भरे जाने का सरकार विचार रखती है?

शिक्षा मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) : (1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र के माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की ग्रामवार, कक्षावार छात्र संख्या सहित सूची सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।

(2) उक्त विद्यालयों में मापदण्ड के अनुसार स्वीकृत अध्यापकों के पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमेंट्री प्रश्न यह है कि जहां आठ-आठ कक्षाएं चलती हैं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, वहाँ चार-चार अध्यापक और

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

पांच-पांच अध्यापक अगर हैं तो कैसे कक्षाएं सम्भालते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य,मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपने इस सवाल में इतने फिगर्स क्यों मंगाये, क्या आवश्यकता थी इनकी ? आपने सब जगह से छात्रों की संख्या पूछ ली, और पूछ ली, आपका प्रश्न तो यही था न कि जितने छात्र हैं उसमें कम अध्यापक हैं

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : जी हाँ।

श्री अध्यक्ष : आपने यह सारी लिस्टें क्यों मंगायी ? यह तो सरकार बार-बार कह चुकी है कि बहुत से पद हमको स्थापित करने हैं, पदों की कमी है। यह सारा पूछने से क्या मतलब हुआ ?

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : पद सृजित जो किये हैं....

श्री अध्यक्ष : वह नहीं, मैं तो यह पूछ रहा हूं कि आपके सवाल में....

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : आठ कक्षाएं चलती हैं, कम से कम आठ अध्यापक लगाओ।

श्री अध्यक्ष : पहले मुझे सुनिये आप। इतनी इन्फार्मेशन मंगाने का क्या मतलब ? यह फालतू सरकार का पैसा खर्च करवाने का क्या मलतब हुआ ?

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : ज्यादा खर्च नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मतलब क्या हुआ इसका ? आपका जो मेन प्रश्न है आप उसी तक सीमित रहिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : सॉरी श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष : आप भविष्य में भी ध्यान रखिये कि जब आप प्रश्न पूछें तो जो आपका उद्देश्य है वही मगाइये, व्यर्थ में आप हजारों सूचनाए मंगा लेते हैं जो कोई मतलब की नहीं होती है। अब पूछिये प्रश्न।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : जहां आठ-आठ कक्षाएं हैं क्या सरकार आठ कक्षाएं चलाने के लिये आठ अध्यापक लगाने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : बेगूं क्षेत्रों में 13 माध्यमिक विद्यालय और 36 उच्च प्राथमिक विद्यालय, कुल 49 विद्यालय हैं और इनमें हमारे स्वीकृत पदों के अनुसार 6 वरिष्ठ अध्यापक और पांच अध्यापक, केवल 11 पद वहां रिक्त हैं। बाकी जो हमारे स्वीकृत पद हैं 13 प्रधानाध्यापक, 110 वरिष्ठ अध्यापक और 276 तृतीय श्रेणी अध्यापक, इसकी तुलना में ये पांच थर्ड ग्रेड के और छह सेकण्ड ग्रेड के पद रिक्त हैं। इनके लिये भी आदेश दिये हुए हैं, जो सूची हमारे पास उपलब्ध हैं वरिष्ठता की उसके आधार पर 31 मार्च तक, क्योंकि ये दोनों ही भरे जा सकते हैं, उनसे निश्चित रूप से भर दिये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : मेरा प्रश्न यह था कि नार्म्स के अनुसार तो हैं लेकिन जहां आठ कक्षायें चलती है वहां पांच अध्यापक कैसे चलायेंगे। तो आप भविष्य में आठ कक्षाओं के लिये आठ अध्यापक लगाने की योजना रखते हैं?

श्री अध्यक्ष : तो आप सवाल यह पूछिये न।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, अभी जो नियम बनाये हैं उनके अनुसार 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक का हमने पद सृजित कर रखा है, उसी हिसाब से अभी पद दिये हुए हैं। इसके बारे में फिर से विचार करने के लिये मैंने पहले भी सदन में निवेदन किया था कि मंगल बिहारीजी की कमेटी की रिपोर्ट इसके बारे में आ रही है, संख्या के अनुपात में अध्यापक कितने हों, उनकी रिपोर्ट आने के बाद एक बार फिर से इन सारे पदों के बारे में विचार करके निश्चित करेंगे।

प्रश्न संख्या 499

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री भीमसेन चौधरी।

जिला संघ (बीकानेर) की राष्ट्रीय दुग्ध विकास मण्डल में बकाया

500. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या डेयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड एवं राजस्थान सरकार के बीच 2-3 वर्ष पूर्व राजस्थान सहकारी डेयरी निगम व जिला संघों की व्यवस्था भार सम्भालने बाबत समझौता हुआ था? यदि हां, तो कोई समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला संघ बीकानेर एन.डी.डी.बी में माह अप्रेल से दिसम्बर, 1993 के बीच करीब 40 लाख की राशि बकाया निकलती है? यदि हां तो बकाया भुगतान कब तक हो जायेगा।

(3) क्या जिला संघ, बीकानेर के संचालक मण्डल ने अपने प्रबन्ध संचालक को हटाकर 2 वर्षों के कार्यकलापों की तत्काल जांच की मांग भी की है?

राज्य मंत्री विकास डेयरी (श्री अर्जुनसिंह देवड़ा) : (1) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एवं राज्य सरकार के मध्य प्रस्तावित अनुबन्ध राजस्थान डेयरी फैडरेशन मय जिला उत्पादक सहकारी संघों की व्यवस्था के बारे में है। अनुबन्ध का प्रारूप परिशिष्ट–"क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। अपितु दिनांक 7.2.94 को सम्पन्न हुई संघ के संचालक मण्डल की विशेष बैठक में यह निर्णय अवश्य लिया गया कि संघ के दो वर्षों के लेखों की जांच किसी निष्पक्ष एजेन्सी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट से करवाई जाए।

(प्रारूप के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री भीमसेन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, उरमूल डेयरी के अध्यक्ष ने आर.आर.डी.एफ. को लिखा है कि हमारे काश्तकारों का एक महीने का करीब एक करोड़ रुपया आर. आर. डी. एफ. में बकाया है, इसके अलावा अन्य संस्थाओं को जो उन्होंने वहां से 60 लाख रुपये का माल भेजा है उसका आर.सी डी.एफ. में बकाया है और उसके अलावा दिल्ली जो ट्रांसपोर्ट करके माल भेजते हैं उसके पेटे एक करोड़ रुपया बकाया है और आप मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं कि कोई बकाया नहीं है। यह क्या बात हुई।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने वहां के एम. डी. को बुलाया जो जानकारी की उसके तहत बीकानेर डेयरी का कोई भी पैसा बकाया नहीं है वहां से मैंने रिपोर्ट मंगायी है, माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनकी भी वह रिपोर्ट बताकर आश्वस्त कर सकता हूं कि बीकानेर डेयरी का आर.सी.डी.एफ. में कोई पैसा बकाया नहीं है।

श्री भीमसेन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, उरमूल डेयरी के चेयरमेन की शिकायत पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भसीन साहब को इस कार्य के लिये नियुक्त किया था और भसीन साहब ने इस डेयरी का एक माह दिसम्बर का लेखा जांच कर यह पाया कि बीकानेर डेयरी का रुपया करीब सात लाख दूध के पेटे और बीस पैसे प्रति लीटर के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज का पैसा जो कुल एक करोड़ बनता है, यह सारा पैसा आंकड़ों की हेराफेरी करके बीकानेर डेयरी का आर. सी.डी. एफ. में बकाया पड़ा हुआ है जो ये भुगतान करना नहीं चाहते। भसीन साहब ने जो रिपोर्ट पेश की उससे यह सारा साबित है।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय यह बात सही है कि भसीन साहब से इसकी जांच करायी गयी थी, कुछ तथ्यों में गड़बड़ी थी। उसके बाद में बीकानेर के जो चेयरमेन थे अभी दो दिन पहले भी मुझे मिले, उन्होंने मेरे से यह शिकायत की कि हमारा 60 लाख रुपया बकाया है। है। मैंने उनको बात बतायी, मैंने यहां तक उनको कहा कि आप जिस व्यक्ति से चाहो दोनों अकाउन्ट्स मिला लिये जाएं, अगर उन अकाउन्ट्स में कोई फर्क होता है तो निश्चित तौर पर उसको देख लिया जाएगा। उन्होंने जिन अधिकारियों के नाम दिये मैंने उनकी नियुक्ति के आदेश दे दिये ताकि वे बैठकर जांच कर लेंगे, नम्बर एक। नम्बर दो, अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो इन्होंने जांच करने की बात बतायी है दो साल की उसके बारे में भी मैंने उनको कहा कि यदि आपको आर.सी. डी.एफ. के अधिकारियों पर कोई विश्वास नहीं है, आप बताइये कि बीकानेर डेयरी के किस अधिकारी द्वारा जांच करवाना आवश्यक है, वह करवाने के लिये भी मैं तैयार हूं। मेरी तरफ से आपके अध्यक्ष महोदय सन्तुष्ट होकर यहां से गये हैं शनिवार को।

श्री भीमसेन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, भसीन साहब की जांच के बाद ये सारी बातें सामने आई तो इससे यह जाहिर है कि जो अधिकारी एन. डी. डी. बी. के उस संघ में बैठे हुए हैं वे हमारे

(श्री भीमसेन चौधरी)

जिला संघ का हित नहीं देख करके एन.डी. डी.बी. का हित देख रहे हैं। तो क्या वहां के जिला संघ का यह मांगना उचित बात नहीं है? जो अधिकारी वहां बैठे हुए हैं एन.डी.डी.बी. के इन्टरेस्ट को वॉच करते हैं न कि बीकानेर जिले के काश्तकारों के। इसलिये उस अधिकारी को वे हटाने की मांग कर रहे हैं, उस मांग के बारे में आपको क्या कहना हैं?

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा बताया, जांच होने के बाद तथ्य सामने आ जायेंगे, क्या हैं। अगर उसमें दोषी पाया जाता है तो निश्चित तौर पर उसको हटा दिया जाएगा, इसमें कोई सवाल ही नहीं।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, एक मैं भी पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री हरजीराम बुरडक, आप अपना सवाल पूछिये। नहीं यह हो गया।

श्री हरजीराम बुरडक : नहीं, हुआ साहब, महत्वपूर्ण बात....

श्री अध्यक्ष : आप अपना पूछिये, वरना आपही का नम्बर आ रहा है।

ग्राम बैमोठ (डीडवाना) का आंगनबाड़ी केन्द्र

501. हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या महिला व बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बैमोठ, तहसील डीडवाना, जिला नागौर में आंगन बाडी केन्द्र चल रहा है? यदि हां, तो कब से व क्या इस केन्द्र के सम्बन्ध में में ग्रामवासियों की कोई शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या? शिकायतों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त शिकायतों की जांच की गयी? यदि हां, तो कब व किसके द्वारा तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस प्रकार के केन्द्रों को चलाने का का कार्य गांव में एक व्यक्ति विशेष को सौंपने के कारण हर गांव से इसमें भ्रष्टाचार होने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हो रही हैं? यदि हां तो क्या सरकार इसके संचालन का कार्य गांव के लोगों द्वारा सर्वसम्मत कमेटी को सौंपने का विचार रखती है? यदि नहीं तो क्यों?

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती नरेन्द्र कंवर) : (1) जी हां। तहसील डीडवाना (नागौर) के ग्राम बैमोठ में दिनांक 16-1-88 से आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहा है।

जी, हां कार्यकर्ता द्वारा निर्धारित मात्रा अनुसार पोषाहार न देने, पोषाहार अवैधानिक रूप से बेचे जाने एवं अनैतिक आचरण को बढ़ावा देने की शिकायतें ग्रामवासियों से प्राप्त हुई हैं जिसकी प्रति संलग्न है।

(श्रीमती नरेन्द्र कंवर)

(2) जी हां। जांच बाल विकास परियोजना अधिकारी, डीडवाना (नागौर) द्वारा माह फरवरी, 94 में की गयी। जांच के पश्चात् आंगनबाड़ी केन्द्र बैमोठ अस्थायी रूप से बन्द कर दिया गया। जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(3) जी नहीं। कुछ गांवों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं। शिकायतों के आधार पर आंगनबाड़ी संचालन का कार्य ग्रामवासियों द्वारा सुझायी गयी सर्वसम्मत कमेटियों को सौंपने का विचार विचाराधीन नहीं है।

जी नहीं, चूंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का चयन स्थानीय महिलाओं में से ही सरकार द्वारा नियुक्त समितियों द्वारा किया जाता है जिसमें स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, यह राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि इन आंगनबाड़ी केन्द्रों में सही रूप से काम नहीं हो रहा है। मेरा यह पूछना था कि अगर इनको सही रूप से चलाने के लिये गांव में कोई सर्वसम्मत कमेटी बना दी जाए, वह इनकी देख-रेख करे, इसमें सरकार को क्या आपत्ति है? दूसरी बात, आपने यह कहा कि इन केन्द्रों में संचालकों की जो नियुक्ति की जाती है, उसमें जनप्रतिनिधि और कमेटी होती है, वहां गाँव में कौनसे जन-प्रतिनिधि हैं? दो साल से पंचायतें नहीं हैं, पंचायत समितियां नहीं हैं, कौनसे जन-प्रतिनिधियों से आप उसका चयन करवाते हैं, आप इसका उत्तर दीजिये। दूसरा इसमें यह है कि आप इस सुझाव को मानने से क्यों इन्कार कर रहे हैं. अगर गांव की कोई कमेटी सर्वसम्मत पांच-सात महिलाओं की? वह बन जाए और उसकी देख-रेख करे, आपको इसमें आपत्ति क्या है? न तो उसमें कोई खर्चा होता है न आपको कुछ देना पड़ता है।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : इसमें प्रश्न तीन हैं। इन्होंने पूछा है कि केन्द्रों को चलाये में कोई शिकायतें आयी हैं, तो कुछ केन्द्रों में मैंने कहा शिकायतें आयी हैं और जो आपने शिकायतें की हैं उनको मैंने स्वीकार नहीं किया है। उसमें आपने डीडवाना, नागौर में श्रीमती....

श्री हरजीराम बुरडक : मैंने कोई शिकायत नहीं की, मैंने तो प्रश्न पूछा है और आपने उसको माना है।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : प्रश्न पूछा है, उसी का बोल रही हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न में आपने इन पर....

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : आप इसको सुनिये तो सही, फिर फरमाना आपको जो कहना है।

श्री अध्यक्ष : आपने यह इन्फरेंस ले लिया कि सरकार ने यह मान लिया आंगनबाड़ी में गड़बड़ हो रही है। यह नहीं माना है, इन्होंने कहा है जिनकी

(श्री अध्यक्ष)

शिकायतें आयी हैं वहां गड़बड़ हो रही है, सब जगह नहीं हो रही है ।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : और यह गांव बैमोठ में है, नागौर में श्रीमती चतरीदेवी....

श्री अध्यक्ष : कमेटी के लिये पूछ रहे हैं कि लोकल महिलाओं की कोई सर्वसम्मत हो जाए, देखरेख करे ।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : अब उसी का उत्तर दे रही हूं ।

श्री अध्यक्ष : हां, उसी का बता दीजिये और तो ठीक है ।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : हां, जो उन्होंने इसके लिये पूछा हैं; हमारे पास में गांव वालों की शिकायतें आयी हैं, जिसमें आधे तो बोलते हैं कि इसमें गड़बड़ की है....

श्री अध्यक्ष : आधे कहते हैं कि नहीं की ।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : और आधे कहते नहीं की, क्योंकि वे लोग भी उसको बदलवाना चाहते हैं । उसमें आपके चैनारामजी भी है, उनकी भी आई हुई है हमारे पास में, तो आप चाहे तो वह भी मैं भिजवा दूं और जो दूसरों की....आयी वह भी....

श्री हरजीराम बुरडक : मैंने यह नहीं पूछा हैं । गांव की सर्वसम्मत समिति बनाने में क्या एतराज है ? वे भी चाहे तो उनका भी नाम रख दें आप, मैं यह कह रहा हूं ।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : नाम कैसे रख दें, साहब, वहां तो एज पर रूल्स हमको लेडी को ही नियुक्त करना पड़ता है ।

श्री हरजीराम बुरडक : लेडीज गांव में नहीं हैं क्या ? वह एक ही है क्या ? यह आपके समझ में नहीं आता ।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : आप सुनिये । इसके लिये हमने निर्देश जारी कर दिये हैं और सर्वसम्मत समिति लेकर अब उसको नियुक्त कर देंगे । अभी अस्थायी रूप से उसको बन्द कर रखा है; चालू करवा देंगे वापस ।

श्री हरजीराम बुरडक : हां तो यह पहले ही कह देते ।

श्री अध्यक्ष : चलिये आप पूछिये । आप, नहीं पूछ रहे हैं ? आप, इन्दिरा मायाराम, सवाल पूछ रही हैं न ? आप सदस्य को दबाइये मत, देखिए मुझे उनके अधिकारों की रक्षा करनी है, आप पूछिये, सवाल पूछिये । नहीं, वे स्वयं नहीं चाहें तो मुझे आपत्ति नहीं है । आपको नहीं पूछना है ?

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं पूछना है ।

श्री अध्यक्ष : अच्छा इसलिये आप इसको दबा रहे थे । श्री परसादीलाल मीणा ।

विधायकों पर प्रस्तावानुसार विकास कार्यों पर व्यय

502. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) एवं **श्री हरिसिंह** (महुआ) : क्या

(श्री परसादीलाल मीणा)

विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार द्वारा वर्ष 1992–93 में विधायकों के प्रस्ताव के अनुसार विकास कार्यों पर खर्च करने हेतु आवंटित धनराशि के कार्य स्वीकृत कर पूर्ण करवा लिये गये हैं ? यदि हां, तो पूर्ण कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान विधान सभा सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित विकास कार्यों के लिये उक्त वर्ष में आवंटित राशि में से कुल कितनी राशि खर्च की गयी ? विधायकवार खर्च की गयी राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधायकों के अनुसार खर्च की जाने वाली राशि का प्रावधान आगे भी रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी ?

राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन (श्री अनंग कुमार जैन) : (1) विधायकों के प्रस्ताव के अनुसार राज्य "निर्बन्ध राशि" एवं "तीस जिला तीस काम" योजना में वर्ष 1992–93 में कुल 2001 लाख के स्वीकृत कर 1329 कार्य पूर्ण करवा लिये गये हैं। विधायकों के प्रस्ताव के अनुसार पूर्ण कराये गये कार्यों की सूची परिशिष्ट-1 पर प्रेषित है।

(2) वर्ष 1992–93 में विधायकों द्वारा प्रस्तावित कार्यों हेतु 2220 लाख रुपये स्वीकृत किये गये, जिसके विपरीत 1760 लाख रुपये व्यय किये गये। विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) जी हां, प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र में 5-5 लाख रुपये के कार्य निर्बन्ध राशि तथा तीस जिला बीस काम योजनान्तर्गत करवाये जाने के प्रावधान को अगले वित्तीय वर्ष में भी चालू रखने का सरकार विचार रखती हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया और सूची पेश की उससे ऐसा लगता है कि विधायकों के जो कार्य दो साल पहले 1992–93 में स्वीकृत हुए थे उसमें से अनेक कार्य अधूरे हैं। उन कार्यों को, जो शेष राशि बची हुयी है जिस-जिस विधान सभा क्षेत्र में, जैसे अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊंगा हमारे दौसा में दौसा और लालसोट के एम.एल.एज. की राशि बची हुयी है, धोलपुर में मुख्य मंत्रीजी के पुराने क्षेत्र की राशि बची हुयी है। 1992-93 से यह योजना चालू की, 1993-94 में जो अभी तीन महीने के लिये एम. एल. एज. का कार्यकाल आया, क्या उसके लिये आप राशि रखने का प्रावधान रख रहे हैं ? क्या यह जो 10 लाख रुपये आपका प्रावधान है, उसको आप ज्यादा बढ़ा रहे हैं ? नहीं, पांच-पांच दस-दस हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया वर्ष 1992-93 में दो हजार लाख रुपये इसके लिये अलॉट किये गये थे। उसके

(श्री अनंग कुमार जैन)

अगेन्स्ट में 2220 लाख रुपये के कार्य स्वीकृत किये गये, इसलिये दो हजार लाख रुपये अलावा 220 लाख रुपये के और कार्य स्वीकृत किये। इसके अन्दर 1760 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं और बाकी जो कार्य हैं, वे प्रगति पर हैं। तो यह एक सतत् प्रक्रिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कार्य चालू होता है वह जरूरी नहीं है कि 6 महीने में, चार महीने में पूरा हो जाए, लेकिन कार्य प्रगति पर है और फिर भी माननीय सदस्य यदि चाहते हैं, कोई पैसा किसी जिले में बच गया तो उसका कार्य भी सम्पादन करवा दिया जाएगा।

श्री परसादीलाल मीणा : 1993–94 में आप प्रावधान रख रहे हैं, क्या जैसे पार्लियामेण्ट में है ?

श्री अनंग कुमार जैन : 1993–94 में रख रहे हैं प्रावधान।

श्री परसादीलाल मीणा : कितना रख रहे हैं ? 1993–94 के लिएँ ?

श्री अनंग कुमार जैन : 1993–94 के लिए प्रावधान था और 1994–95 में भी सरकार प्रावधान रखने का विचार रखती है। 10 लाख रुपये आपके 1994–95 में दिये जाएंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : 1994–95 की नहीं, 93–94 की बात कर रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे 1993–94 में जो तीन महीने का एम. एल. ए. का कार्यकाल है, उसकी बात कर रहा हूं, क्या आप कोई राशि रख रहे हैं ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो अनटाइड फण्ड की राशि 10 लाख रुपये प्रत्येक विधायक को प्रति वर्ष दी जाती है इसको बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का इरादा रखते हैं या नहीं ? उसको बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ईयर 1993–94 जो अभी यह 31 मार्च आ रही है. पांच दिन इस फाइनेन्शियल ईयर के बाकी हैं, क्या इस वर्ष में भी दस लाख का प्रोवीजन रखा है ? क्या एक अप्रेल से आने वाले वर्ष के लिये दस लाख का प्रोवीजन रखा है ? प्रोवीजन को बढ़ाने के लिये मुख्य मंत्रीजी से वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा था कि 25 लाख कर देंगे। जैसा कि पार्लियामेंट में अभी एक करोड़ मिल रहा है लेकिन दो करोड़ की सिफारिश है हमारे यहां भी दस लाख की जगह 25 लाख कीजिये (व्यवधान)....

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, 1993–94 का जवाब दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(12.00)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

हिम्मतगढ़ तालाब पर कार्य

487. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करें :–

(श्री फतेह सिंह)

(1) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत हिम्मतगढ़ तालाब सिंचाई के उद्देश्य से अधूरा है ? यदि हां, तो पूर्व में इस तालाब पर कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इस वर्ष उक्त तालाब को प्लान में लेकर कार्य शुरु करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। अकाल राहत के अन्तर्गत 10.20 लाख रुपये व्यय हुआ है जिसका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष	खर्च की गई राशि
1985–86	4 29 लाख रुपये
1987–88	3.82 लाख रुपये
1988–89	2.19 लाख रुपये
कुल :–	10.20 लाख रुपये

(2) जी नहीं।

भीलवाड़ा जिले में अकाल राहत कार्य कार्य

488. श्री कालूलाल गुर्जर (माण्डल) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :––

(1) भीलवाड़ा जिले में अब तक कितने मजदूरों को राहत कार्य पर लगाया जा चुका है ? मजदूरों की संख्या का विवरण विधान सभा क्षेत्र के अनुसार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जरूरत मन्द सभी लोगों को कार्य उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक सभी को कार्य पर लगाया जायेगा और कितने मजदूर दिनांक 1 अप्रेल 1994 तक लगा दिये जायेंगे ?

(3) भीलवाड़ा जिले के माण्डल विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1985 से 1989 तक अकाल के समय अधिकतम कितने श्रमिक राहत कार्य पर लगाये गये ? क्या सरकार इस वर्ष भी पूर्व की तुलना में अधिकतम मजदूर की राहत कार्यों पर लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) मार्च, 1994 के लिए भीलवाड़ा जिले की श्रमिक सीमा 33,000 निर्धारित है। जिले में स्वीकृत राहत कार्यों पर 27435 श्रमिक लगाये जाने की स्वीकृति जारी कर दी गई है। दिनांक 11.3.94 को राहत कार्यों पर 19,699 श्रमिक कार्यरत थे। विधान सभा क्षेत्रवार स्वीकृत श्रमिक संख्या का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(परिशिष्ट–"क")

(2) जिले के अभावग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावित व्यक्तियों को राहत कार्यों पर व अन्य विभागीय कार्यों पर रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। माह अप्रेल 94 में श्रमिक सीमा में आवश्यकतानुसार समुचित वृद्धि की जावेगी।

(सहायता राज्य मंत्री)

(3) माण्डल विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1985 से 1989 तक राहत कार्यों पर नियोजित किये गये श्रमिकों की अधिकतम संख्या निम्न प्रकार थी :—

माह जून वर्ष 85–86	8615
माह जून वर्ष 86–87	9300
माह जून वर्ष 87–88	15481
माह जून वर्ष 88–89	10140

माण्डल विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में राहत कार्यों पर 4500 श्रमिक स्वीकृत किये गये हैं। श्रमिक संख्या में आगे आने वाले समय में आवश्यकतानुसार समुचित वृद्धि की जाएगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

शिक्षा विभाग के फील्डमेन रिकार्डर

489. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय में फील्डमैन, मिल्क रिकार्डर तथा प्रयोगशाला सहायक के पद स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो इनमें से कितने-कितने पद रिक्त हैं ?

(2) क्या यह सही है कि माध्यमिक विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय के कार्यरत प्रयोगशाला सहायक/मिल्क रेकार्डर फील्डमेन का वेतनमान वर्ष 1958 से 1988 तक समान था, यदि हां, तो वर्ष 1989 के वेतनमान में क्यों अन्तर रखा गया ?

(3) क्या वर्ष 1989 के वेतनमान प्रकाशित होने के बाद वर्ष 1992 में प्रयोगशाला सहायक का वेतनमान वर्ष 1200–2050 कर दिया गया ? यदि हां, तो समान योग्यता के समान पदों में फील्डमेन का वेतनमान भी 1200–2050 करने का सरकार का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 1985 के बाद फील्डमेन रिकार्डर का पद समाप्त कर दिया है तथा सरकार ने प्रयोगशाला सहायक के पद स्वीकृत करना प्रारम्भ कर दिया ? यदि हां, तो कब से ?

(5) क्या एक ही विषय वर्ग के एक ही कार्य (प्रयोगशाला कृषि) के लिए अलग-अलग पदनाम से नियुक्ति की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस असमानता को समाप्त करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। फील्डमेन एवं प्रयोगशाला सहायक के पद स्वीकृत हैं किन्तु मिल्क रिकार्डर के पद स्वीकृत नहीं है। इनमें से रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार हैं :–

फील्डमैन 13

प्रयोगशाला सहायक :—

II ग्रेड	III ग्रेड
24	263

(2) जी नहीं। मिल्क रिकार्डर का पद राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1983 जो कि 1-9-81 से

(शिक्षा मंत्री)

प्रभावशील है में सम्मिलित नहीं है। दिनांक 1-9-88 से राज्य कर्मचारियों के वेतनमान केन्द्रीय कर्मचारियों के समकक्ष पदों के अनुरूप किये जाने के फलस्वरूप फिल्डमैन प्रयोगशाला सहायक के पद के वेतनमान में अन्तर हुआ है।

(3) जी हां। प्रयोगशाला सहायक के पद का वेतनमान वर्ष 1992 में दिनांक 1-9-1988 से 1200-2050 केन्द्र के प्रयोगशाला सहायक के समान किया गया है। दिनांक 1-9-1988 से राज्य कर्मचारियों के वेतनमान केन्द्रीय कर्मचारियों के समकक्ष पदों के अनुरूप है। प्रयोगशाला सहायक एवं फील्डमैन पद के कर्त्तव्य एवं दायित्व भिन्न-भिन्न है। इसलिये फील्डमैन के पद का वेतनमान प्रयोगशाला सहायक के पद के के समान निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी नहीं। प्रयोगशाला सहायक के पद 1985 के पूर्व से ही स्वीकृत है।

(5) जी नहीं।

मेवात विकास बोर्ड में ग्रामों को सम्मिलित करने के मानदण्ड

493. श्री मदनमोहन (खेरथल) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति, कोटकासिम जिला अलवर मेवात विकास बोर्ड में शामिल है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) किसी क्षेत्र को मेवात विकास बोर्ड में शामिल करने का क्या आधार है?

(3) कठूमर पंचायत समिति (अलवर) को जिन आधारों पर मेवात विकास बोर्ड में शामिल किया गया है, क्या इन सभी आधारों को पंचायत समिति, कोटकासिम भी पूरा करती है? यदि हां, तो पंचायत समिति, कोटकासिम की उक्त क्षेत्र में सम्मिलित न किये जाने के क्या कारण हैं?

(4) क्या सरकार पंचायत समिति, कोटकासिम को मेवात विकास बोर्ड में शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। पंचायत समिति कोटकासिम मेव बाहुल्य क्षेत्र में नहीं आने से मेवात विकास बोर्ड में शामिल नहीं की गई है।

(2) मेव बाहुल्य ग्रामों को आधार मानकर किसी क्षेत्र को मेवात विकास बोर्ड में शामिल किया गया है।

(3) जी नहीं, मेवात क्षेत्रीय विकास मण्डल की प्रथम बैठक दिनांक 22 सितम्बर, 1987 में किये गये विचार विमर्श के अनुसार कठूमर पंचायत समिति को मेवात विकास बोर्ड में शामिल किया गया है। कठूमर पंचायत समिति जिसे मेवात विकास बोर्ड में शामिल किया गया है 16 गांव मेव बाहुल्य है, जबकि पंचायत समिति कोटकासिम में 5 गांव बाहुल्य है।

(4) जी हां, प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रदेश के चिकित्सालयों में एक्स-रे मशीन

499. श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान के कुल कितने राजकीय चिकित्सालयों में एक्स-रे मशीनें हैं, उनमें से कितनी मशीनें कार्यरत हैं एवं कितनी मशीनें कब से बन्द पड़ी हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर स्थित माइलोग्राम एक्सरे मशीन अधिकतर खराब रहती है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? उक्त एक्स-रे के लिए आउट डोर इन डोर मरीजों से कितना-कितना चार्ज लिया जाता है ?

उत्तर

(1) उपलब्ध सूचना के आधार पर राज्य के 264 चिकित्सालयों में 457 एक्स-रे मशीनें उपलब्ध हैं। जिनमें से 320 कार्यरत है एवं 137 बन्द पड़ी है। जिलेवार बन्द पड़ी मशीनों बाबत चाही सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां, माइलोग्राम मशीन पर अधिक कार्य दबाव होने के कारण कभी-कभी उक्त मशीन अन्य एक्सरे मशीन की भांति खराब हो जाती है। वर्तमान में मशीन चालू है।

आटो फाइनेन्स स्कीम के अन्तर्गत प्रति एक्सरे फिल्म का शुल्क रु. 35/– निर्धारित है, जिसे गरीब सेवानिवृत कर्मचारियों के अतिरिक्त आउट डोर व इनडोर रोगियों से चार्ज किया जाता है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में बिक्री कर की दरें

724. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हरियाणा राज्य में वाहनों पर बिक्री कर की दर राजस्थान से कम है ?

(2) राजस्थान में वाहनों पर बिक्री कर की दर क्या है और हरियाणा में क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि हरियाणा में वाहनों पर बिक्री कर कम होने के कारण लोग हरियाणा में वाहन खरीद कर राजस्थान में उनका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इस प्रकार की कार्यवाहियों से सरकार को बिक्री कर के रूप में कितनी हानि हुई है और इस प्रकार होने वाली हानि को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) यह कथन आंशिक रूप से सत्य है। ट्रेक्टर व भारी वाणिज्यिक वाहनों को छोड़ कर हरियाणा में वाहनों पर राजस्थान से कर दर कम है।

(वित्त मंत्री)

(2)

	विवरण	राजस्थान बिक्री कर	हरियाणा		
			बिक्री कर	सरचार्ज	कुल
1.	मोटरकार	10%	6%	0·6%	6·6%
2.	भारी वाहन	6%	10%	1%	11%
	(क) चैसिस	6%	4%	0·4%	4.4%
3.	जीप	10%	3%	0·3%	3·3%
4.	ट्रैक्टर	4%	4%	0·4%	4·4%
5.	दुपहिया वाहन	12%	10%	1%	11%
6.	हल्के वाणिज्यिक वाहन	10%	4%	0·4%	4·4%

(3) यह सही है कि अन्य राज्यों से वाहन खरीदे जाते हैं और उनका पंजीयन राजस्थान में कराया जाता हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए राजस्थान विक्रय कर अधिनियम के तहत एन्ट्री टैक्स का प्रावधान वर्ष 1988 में किया गया जिसके मुताबिक राजस्थान के बाहर से जो वाहन खरीद कर राजस्थान में लाये जाते हैं उन पर अन्तर कर की राशि को चैक पोस्ट पर एन्ट्री टैक्स के रूप में वसूलने का प्रावधान किया गया। लेकिन फिर भी लोग चैक पोस्टों के अलावा कच्चे रास्तों आदि से वाहन लाकर राजस्थान में पंजीकृत करवाते हैं इस कार्यवाही को हतोत्साहित करने के लिए नियमित वृत्तों के अधिकारियों एवं प्रति-करापवंचन शाखा के अधिकारियों द्वारा जांच की जाकर एन्ट्री टैक्स वसूल किया जाता हैं। स्पष्ट रूप से यह बताना सम्भव नहीं है कि पिछले तीन वर्षों में कितनी कर चोरी हुई है, लेकिन इस ओर विभाग के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप अभियोग बनाये जाकर जो एन्ट्री टैक्स वसूले किया गया है, उसकी स्थिति निम्न प्रकार है :-

वर्ष	बनाये गये कुल अभियोग	वसूल की गई राशि (लाखों में)
1990-91	425	27.76 लाख
1991-92	607	93.77 लाख
1992-93	1084	57.22 लाख

(वित्त मंत्री)

इस प्रकार से होने वाले करापवंचन को रोकने के लिए सरकार कारगर कदम उठाने पर विचार कर रही है।

आनुषांगिक प्रभार की दरों में बढ़ोत्तरी

725. **श्री भीखा भाई** (सागवाड़ा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि यात्रा भत्ते व विश्राम भत्तों की दरों में वृद्धि तथा समय-समय पर मंहगाई सूचकांक वृद्धि के पश्चात् भी आनुषांगिक प्रभार में वृद्धि नहीं की गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार अब आनुषांगिक प्रभार में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। आनुषांगिक प्रभार में बढ़ोतरी का प्रस्ताव सरकार के परीक्षणाधीन है।

खण्डीय लेखाकार

726. **श्री लक्ष्मण सिंह** (भीम) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार "खण्डीय लेखाकार" के कैडर को राज्याधीन लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) राजस्थान सरकार के कितने लेखाकार महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर के अधीन प्रतिनियुक्ति पर कब-कब से लिये गये ?

(3) खण्डीय लेखाकार के कितने पद कब-कब से कहां-कहां रिक्त पड़े हैं ? सरकार उन्हें कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) हां। भारत सरकार के पास मामला प्रेसिडेन्सियल आदेश जारी करने हेतु भिजवा रखा है। आदेश जारी होते ही केडर राज्याधीन ले लिया जावेगा।

(2) महालेखाकार राजस्थान, जयपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार 41 कनिष्ट लेखाकार संलग्न सूची परिशिष्ट "अ" के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।

(3) महालेखाकार से प्राप्त सूचना के अनुसार खण्डीय लेखाकार के 72 पद विभिन्न खण्डों में रिक्त पड़े हैं। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही केडर राज्याधीन आने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा की जावेगी। रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

प्रथम पंचवर्षीय से आठवीं पच वर्षीय योजना तक स्वीकृत राशि

727. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) **एवं श्री रामेश्वरलाल भाटी** (सुजानगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अष्टम पंचवर्षीय योजना एवं दो मध्यम-वर्ती योजनाओं में व्यय हेतु कुल कितनी-कितनी धनराशि योजनावार निश्चित की गई ?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) प्रत्येक योजना में कितनी धन-राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई और कितनी राज्य के स्त्रोतों से जुटाई गई ? निर्धारित राशि से कितना कम या अधिक व्यय किया गया एवं हर योजना में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई ? विवरणात्मक एवं तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अष्टम पंचवर्षीय योजना एवं मध्यवर्ती × योजनाओं में व्यय हेतु निम्नलिखित राशि निश्चित की गयी :—

क्र. सं.	पंचवर्षीय योजना	योजना की कालावधि	राशि (करोड़ रुपयों में)
1.	प्रथम पंचवर्षीय योजना	1951–56	64.50
2.	द्वितीय ,, ,,	1956–61	10.27
3.	तृतीय ,, ,,	1961–66	236.00
4.	चतुर्थ ,, ,,	1969–74	306.21
5.	पंचम् ,, ,,	1974–79	847.16
6.	षष्टम् ,, ,,	1980–85	2025.00
7.	सप्तम ,, ,,	1985–90	3000.00
8.	अष्टम् ,, ,,	1992–97	11500.00

× चार मध्यवर्ती योजनाओं में राजस्थान राज्य के लिए निम्नलिखित राशि निश्चित की गयी :—

क्र. सं.	मध्यवर्ती वार्षिक योजना	वर्ष	राशि (करोड़ रुपयों में)
1.	प्रथम वार्षिक योजना	1966–69	132.72
2.	द्वितीय ,, ,,	1979–80	275.00
3.	तृतीय ,, ,,	1990–91	956.00
4.	चतुर्थ ,, ,,	1991–92	1166.00

× नोट :—× मध्यवर्ती चार वार्षिक योजनाएं बनायी जाकर उन्हें लागू किया गया है । माननीय सदस्यों ने केवल दो मध्यवर्ती वार्षिक योजनाओं पर निश्चित की गयी राशि पूछी है लेकिन कौनसी दो वार्षिक योजनाओं के बारे में पूछा है, इसका प्रश्न में जिक्र नहीं है । अतः यहां समस्त चार वार्षिक योजनाओं में निश्चित की गयी राशि का विवरण दिया गया है ।

(वित्त मंत्री)

(2) 1. प्रत्येक योजना में कितनी धनराशि केन्द्र से प्राप्त हुई और कितनी राज्य के स्रोतों से जुटाई गई ? इसका वर्षवार विवरण अनुसंलग्नक "क" में दिया गया है ।

2. निर्धारित राशि से कितना कम या अधिक व्यय किया गया एवं हर योजना में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, इसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :—

(राशि करोड़ रुपयों में)

क.सं. पंचवर्षीय/ वार्षिक योजना	कालावधि	परिव्यय	व्यय	परिव्यय व व्यय का अन्तर कम (–) अधिक(+)	योजना में पूर्ववर्ती योजना से वृद्धि प्रतिशत
1. प्रथम पंचवर्षीय योजना	1951-56	64.50	54.14	(–) 10.36	—
2. द्वितीय ,,	1956-61	105.27	102.74	(–) 2.53	63.21%
3. तृतीय ,,	1961-66	236.00	212.70	(–) 23.30	124.18%
4. चतुर्थ ,,	1969-74	306.21	308.79	(+) 2.58	29.75%
5. पंचम ,,	1974-79	847.16	857.62	(+) 10.46	176.66%
6. षष्टम ,,	1980-85	2025.00	2130.69	(+) 105.69	139.03%
7. सप्तम ,,	1985-90	3000.00	3106.18	(+) 106.18	48.15%
8. अष्टम ,,	1992-97	11500.00 वर्ष 1992-93 के लिए प्रावधान रु. 1410.00	जारी है वर्ष 1992–93 का व्यय रु. 1406.67	जारी है	283.33%

(वित्त मंत्री)

क्र.सं.	वार्षिक योजना	वर्ष	परिव्यय	व्यय	
1.	प्रथम वार्षिक योजना	1966–69	132.72	136 75	(+) 4.03
2.	द्वितीय ,, ,,	1979–80	275.00	290.19	(+) 15.19
3.	तृतीय ,, ,,	1990–91	956.00	975.57	(+) 19.57
4.	चतुर्थ , ,,	1991–92	1166.00	1184.41	(+) 18.41

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें ।)

विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में औद्योगिक ग्रोथ सेन्टर

728. श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी (माण्डलगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र माण्डलगढ़ में खोले जाने वाला औद्योगिक ग्रोथ सेन्टर प्रारम्भ हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

(2) अब तक इसके सम्बन्ध में कौन-कौनसी औपचारिकताएं पूर्ण होना शेष है व क्या-क्या औपचारिकताएं पूर्ण करली गई है ?

(3) औद्योगिक ग्रोथ सेन्टर से इस क्षेत्र में औद्योगिक उन्नति के कौन-कौन से मार्ग प्रशस्त होंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) इस योजना के पूर्ण होने में होने वाली देरी के कारण क्या रहे हैं ? सरकार इसको शीघ्र संस्थापित करने के लिए क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा में औद्योगिक ग्रोथ सेन्टर का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है । यह कार्य केन्द्र सरकार से परियोजना की स्वीकृति प्राप्त होते ही प्रारम्भ कर दिया जावेगा ।

(2) माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा में औद्योगिक ग्रोथ सेन्टर का विकास करने के लिए 30 करोड़ रुपये लागत की विस्तृत परियोजना केन्द्र सरकार की नीति के अनुसार औद्योगिक विकास विभाग केन्द्र सरकार को 1 जनवरी 1991 को भेज दी गयी थी । यह परियोजना पानी उपलब्धता का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो सकने के कारण भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है । माण्डलगढ़ में ग्रोथ सेन्टर की स्थापना होने के बाद मुख्यत: खनिज आधारित उद्योग, वस्त्र आधारित उद्योग (पावर लूम एवं प्रोसेस हाऊस), कृषि आधारित

(उद्योग मंत्री)

उद्योग, व इंजीनियरिंग उद्योग लगने की सम्भावनाएं है।

(3) पानी की उपलब्धता के बारे में प्रमाण पत्र सिंचाई विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा यह योजना स्वीकृत नहीं की गई है। सर्व प्रथम इस परियोजना में जल की आपूर्ति के लिये गोवटा डेम की ऊंचाई को पांच फुट बढ़ाकर किये जाने का प्रस्ताव था, उसी के अनुसार योजना बनाई गई व केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए प्रेषित की गई।

स्वीकृति देने से पहले केन्द्र सरकार ने यह चाहा कि पानी की उपलब्धता के बारे में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। राज्य सरकार द्वारा गोवटी डेम की ऊंचाई बढ़ाना उचित नहीं पाया गया। इसलिए पानी की उपलब्धता के बारे में प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया जा सका। विकल्प के रूप में ग्रोथ सेन्टर की जल आपूर्ति के लिये भू-जल विभाग से सर्वेक्षण करवाया गया और उन्होंने सूचित किया है कि इस क्षेत्र में ग्रोथ सेन्टर को पानी उपलब्ध कराने के लिये पर्याप्त मात्रा में भू-जल उपलब्ध नहीं है एवं उनके द्वारा बनास नदी में पानी की उपलब्धता के बारे में विस्तृत सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

(4) इस योजना हेतु आस-पास के छोटे बांध हरसागर व देवरीनाला बनाकर ग्रोथ सेन्टर को पानी की आपूर्ति की योजना बनाई गई है। एवं उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिंचाई विभाग को जांच हेतु भेजी जा रही है। सिंचाई विभाग द्वारा पानी की उपलब्धता का प्रमाण पत्र मिलने पर योजना को केन्द्र सरकार से स्वीकृत कराने का प्रयास किया जायेगा।

वित्त निगम से ऋण प्राप्त इकाइयों के प्रकरण

729. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) एवं **श्री अमराराम** (धोद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में ऐसी कितनी इकाइयां हैं जो वित्त निगम से ऋण प्राप्त कर चुकी हैं और बन्द पड़ी हैं? इन इकाइयों में वित्त निगम को कुल कितनी राशि फंसी हुई है?

(2) वर्ष 1991 से अब तक प्रत्येक वर्ष बन्द पड़ी इकाइयों की संख्या क्या थी थी और उनमें वित्त निगम की कितनी-कितनी राशि फंसी हुई थी?

(3) वित्त निगम द्वारा उपरोक्त वर्षों से बन्द पड़ी हुई इकाइयों के संबध में क्या-क्या कार्यवाही की गई और उसके परिणाम स्वरूप फंसी हुई ऋण राशि में से कितनी-कितनी राशि की वसूली प्रत्येक वर्ष की जा रही?

उत्तर

(1) 31 मार्च, 1993 को निगम से सहायता प्राप्त 5518 इकाइयां बन्द पड़ी थी। इन इकाइयों में 144.33 करोड़ रुपया बकाया था।

(उद्योग मंत्री)

(2) वर्षवार सूचना निम्न प्रकार है :

(राशि करोड़ों में)

वर्ष	इकाइयों की संख्या	राशि
31 मार्च, 1991	3796	100.45
31 मार्च, 1992	5124	118.66
31 मार्च, 1993	5518	144.33

(3) बन्द इकाइयों के पुर्नजीवित के लिए निगम की एक निर्धारित प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत निगम प्रथम तो यह करता है कि ऋणी स्वय अपने स्तर पर इकाई को पुर्नजीवित करें। निगम ऋणी को अपने स्तर पर इकाई को पुर्नजीवित करने पर निम्न सुविधाए प्रदान करता है :—

1. मूलधन एवं ब्याज की किश्तों का पुन: निर्धारण।

2. इकाई को अतिरिक्त वित्तीय सहायता जहां आवश्यकता होती है।

3. बैंकों की कार्यशील पूंजी हेतु सिफारिश तथा बैंकों की इकाई की स्थायी परिसम्पित्तयों पर वित्तीय अधिकार स्वीकृत करना।

4. राज्य सरकार से सम्बन्धित विभागों को आवश्यक सुविधा प्रदान करने के लिए सिफारिश।

5. पुनर्जीवन योजनाओं के अन्तर्गत योग्य इकाइयों को पुर्नजीवन सहायता प्रदान करना।

6. आवश्यकतानुसार इकाई के प्रबंध/प्रवर्तकों में संशोधन/परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान करना।

7. निगम के नियमानुसार दण्डनीय ब्याज में छूट।

8. रूग्ण इकाइयों को जिनमें निगम द्वारा 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है को पांच लाख रुपये तक की कार्यशील पूंजी पुनर्जीवन हेतु, निगम की योजना में कवर होने वाली इकाइयों को प्रदान की जाती है।

जब ऋणी स्वयं इकाई में पुन: उत्पादन शुरु करने में प्रबन्ध अथवा आर्थिक व्यवस्था के कारण असमर्थ होता है तो निगम राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इकाई की परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण कर सार्वजनिक नीलामी द्वारा इकाई के प्रवर्तकों की स्वयं की सहमति से अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरण कर देता है।

इसके अतिरिक्त निगम रूग्ण एवं बन्द इकाइयों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की पुनर्जीवन योजनाओं के अन्तर्गत पुर्नजीवन सहायता प्रदान करता है। उपरोक्त प्रयासों से पिछले तीन वर्षों में निगम ने क्रमश: 909, 680 एवं 488 इकाइयों को पुनर्जीवित किया है।

वरिष्ठ निजी सहायकों के पद

730. श्री एमादुद्दीन अहमद खां (तिजारा) : क्या कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार की समान पद, समान कार्य एवं समान वेतन की नीति है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि वरिष्ठ निजी सहायक का पद सचिवालय सेवाओं एवं राजस्थान अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं में राजपत्रित हैं जबकि सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में वरिष्ठ निजी सहायक का पद अराजपत्रित है ? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से है ?

(2) क्या सरकार समान कार्य, समान पद एवं समान वेतन की नीति पर चलते हुए वरिष्ठ निजी सहायक के समस्त पदों को राजपत्रित घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। वरिष्ठ निजी सहायक के पद सचिवालय सेवाओं एवं न्यायिक सेवाओं में अधीनस्थ कार्यालयों की अपेक्षा अधिक जिम्मेदारी एवं महत्वपूर्ण प्रकृति के कार्य हैं। साधारण जिम्मेदारी व प्रकृति के होने के कारण राज्य सरकार अधीनस्थ कार्यालयों के वरिष्ठ निजी सहायकों के पद को राजपत्रित घोषित करना आवश्यक नहीं समझती।

(2) जी नहीं। प्रश्न एक के उत्तर में में उल्लेखित कारणों से सवाल ही नहीं उठता।

प्रदेश में शिक्षित एवं प्रशिक्षित बेरोजगारों को नौकरी देने के प्रकरण

731. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकारी नौकरी में ट्रेनिंग-शुदा व्यक्ति/शिक्षित बेरोजगारों को ओवर एज होने से पूर्व पद स्थापित किये जाने का कोई प्रावधान है ?

(2) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस समस्या का समाधान करने का विचार रखती है ? हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जिला सीकर के समीप पायराइट फास्फेट लिमिटेड के लिए आरक्षित भूमि प्रकरण

732. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खण्डेला तहसील श्री माधोपुर जिला सीकर के नजदीक पायराइट फास्फेट केमिकल लि. के लिये कितनी भूमि कब से आरक्षित की गई हैं ? उक्त भूमि में कम्पनी ने अब तक क्या-क्या विकास कार्य किये हैं ? क्या कम्पनी उद्योग लगाने के अपने प्रायोजन में सफल हो पाई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राकेश मेघवाल)

(2) उक्त आरक्षित भूमि में कितने-कितने क्षेत्र में कोन-कौन से खनिज कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उक्त खनिज क्षेत्रों का स्थिर भाटक कम्पनी से वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) खण्डेला तहसील–श्री माधोपुर जिला–सीकर के नजदीक पायराइट फॉस्फेट केमिकल लिमिटेड के लिये क्षेत्र के इन्फास्ट्रक्चरल–फेसिलिलिटी हेतु 143 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वर्ष 1981 से आरक्षित है । कम्पनी ने उक्त क्षेत्र के उस भाग में जहां खनन पट्टा स्वीकृत हुआ है, खनन कार्य के अलावा कोई कार्य नहीं किया गया है ।

जी नहीं, कम्पनी उद्योग लगाने के अपने प्रयोजन में सफल नहीं हो पाई । मामला भारत सरकार के यहां विचाराधीन है ।

(2) कम्पनी को 518 हैक्टर क्षेत्र के लिये लीज खनिज-पायराइट के लिये स्वीकृत है, जिसमें भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 120 मिलीयन टन खनिज-पायराइट के भण्डार हैं । क्षेत्र में मार्बल लाईमस्टोन व ग्रेनाइट भी उपलब्ध है, जिनकी सही मात्रा का आंकलन नहीं किया गया है ।

(3) जी हां, कम्पनी से खनन पट्टा वास्ते खनिज पायराइट क्षेत्र 518 हैक्टर का स्थिर भाटक 77,700/- रुपये प्रतिवर्ष की दर से वसूल किया जा रहा है । कम्पनी ने उक्त लीज क्षेत्र में से 318 हैक्टर क्षेत्र दिनांक 24-2-1994 से सरेण्डर करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है । उक्त आवेदन-पत्र स्वीकार होने पर तदनुसार स्थिर भाटक में कमी होगी । आरक्षित क्षेत्र में स्वीकृत मार्बल के "2" खनन पट्टों से 65,708/- रुपये वार्षिक स्थिर भाटक के वसूल किये जा रहे हैं । स्वीकृत खनन पटटा क्षेत्र के अलावा कम्पनी के पक्ष में इन्फ्रास्ट्रक्चरल-फेसिलिटी हेतु आरक्षित क्षेत्र का कोई स्थिर भाटक विभाग द्वारा वसूल नहीं किया जाता, क्योंकि स्थिर भाटक नियमानुसार स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से ही वसूल किया जा सकता है । लीज क्षेत्र से बाहर इन्फ्रास्ट्रक्चरल-फेसिलिटी हेतु आरक्षित क्षेत्र का नियमानुसार स्थिर भाटक वसूल करने का कोई प्रावधान नहीं है ?

खनिज अभियन्ता कार्यालय बूंदी

733. **श्री रामनारायण** (नैनवां) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बूंदी जिले में खनिज विभाग के कितने कार्यालय कार्यरत है ?

(2) उक्त जिले में कार्यरत खनिज अभियन्ताओं के क्षेत्राधिकार में कौन-कौन से क्षेत्र आते हैं ? गांवों की सीमा सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त खनिज अभियन्ताओं द्वारा 1 मई, 1991 से 14

(श्री रामनारायण)

फरवरी, 1994 तक खनिज लीजें स्वीकृत की गई है या पूर्व के लीजदारों के पक्ष में हस्तान्तरित की गई है ? यदि हां, तो लीजों की स्वीकृतियों सहित लीज हस्तान्तरण से सम्बन्धित आदेश की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त स्वीकृत लीजें किस-किस खसरा नम्बर की भूमि बाबत जारी की गई ? लीजवार विवरण ग्राम सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बून्दी जिले में खान एवं भू-विज्ञान विभाग के निम्न कार्यालय कार्यरत हैं :–

1. खनि अभियन्ता, बूंदी–प्रथम
2. खनि. अभियन्ता, बूंदी–द्वितीय
3. खनि अभियन्ता, बूंदी–तृतीय

(2) बूंदी जिले में कार्यरत खनि-अभियन्ताओं का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार है :–

1. खनि-अभियन्ता, बूंदी खण्ड–प्रथम

जिला बूंदी में बूंदी तहसील के ग्राम-लाम्बाखोह, नारोली, राजपुरा, गुढ़ा, छोटकाखेड़ा, ढ़सालिया, डबसर, सतड़ा, चैनपुरिया, धनेश्वर, खेड़ा, टपूकड़ा, डोरा, रामपुरिया, खड़ीपुर, गणेशपुरा, बंजारीदाता, थड़ी, कंवरपुरा, कछालिया एवं इनके मध्य पड़ने वाले गांव।

2. खनि-अभियन्ता, बूंदी खण्ड-द्वितीय

खनि-अभियन्ता खण्ड–प्रथम का उक्त क्षेत्राधिकार एवं खनि-अभियन्ता, कोटा को दिया गया क्षेत्र केशोराय पाटन तहसील उप तहसील ईन्द्रगढ़ तथा नैनवां तहसील का तलवास, आंतरदा, करवर, मोडासा, सहण व खजूरी पंचायत क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण बूंदी जिला है।

3. खनि-अभियन्ता, बूंदी खण्ड–तृतीय

खनि-अभियन्ता–तृतीय का क्षेत्राधिकार अभी निर्धारित नहीं हुआ है। वर्तमान में खनि-अभियन्ता–द्वितीय ही खनि-अभियन्ता–तृतीय का अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं।

(3) जी हाँ, उक्त खनि-अभियन्ताओं द्वारा 1 मई, 1991 से 14 फरवरी, 1994 तक लीजें स्वीकृत की गई, जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार है। उक्त अवधि में खनन पट्टे हस्तान्तरण भी किये गये, जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार है। लीजों की स्वीकृतियां एवं लीज हस्तान्तरण से सम्बन्धित आदेश की प्रतियां एकत्रित की जा रही है।

(4) खनन पट्टे की स्वीकृतियां खसरा नम्बर के आधार पर नहीं की जाकर "विवरण-सूची" (डिस्क्रप्शन-रिपोर्ट) के आधार पर स्वीकार की जाती है। लीजवार ग्रामों का विवरण सलग्न स्वीकृति-आदेश में अंकित है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जिला उदयपुर में झामरकोटड़ा में रॉक फॉस्फेट परिशोधन पर परिव्यय

734. **श्री कालूलाल गुर्जर** (मांडल) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लि० (RSSM) द्वारा झामरकोटड़ा उदयपुर में लगाये गये रॉक फॉस्फेट परिशोधन संयंत्र पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

(2) उक्त संयंत्र को स्थापित करने की सलाह किसने दी थी व उक्त संयंत्र की मशीनें कहां-कहां से मंगाई गयी है और कौन लाया ?

(3) क्या उक्त संयंत्र सफलता पूर्वक कार्य कर रहा है। उक्त संयंत्र की कार्य-क्षमता कितनी है और कितना उत्पादन इस समय दे रहा है ? क्या संयंत्र का कार्य व उत्पादन उपक्रम के लिये सन्तोषप्रद है ?

(4) उक्त संयंत्र को कब तक चालू होना था, और ये कब चालू हुआ, समय पर चालू नहीं होने के क्या कारण रहे हैं ?

(5) क्या इस संयंत्र के लगाने व मशीनें खरीदने आदि में अधिकारियों की मिली भगत खराब व घटिया किस्म की मशीनें खरीदने के कारण यह संयंत्र असफल हो रहा है। यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड द्वारा झामरकोटड़ा, उदयपुर में रॉक फास्फेट परिशोधन संयंत्र "झामरकोटड़ा समन्वित परियोजना के एक अंग के रूप में स्थापित किया गया है। कुल परियोजना में अब तक रु० 118.61 करोड़ व्यय हुए हैं परिशोधन संयंत्र पर लगभग रु० 58.00 करोड़ खर्च हुआ है।

(2) इस संयंत्र को स्थापित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति ने लिया था। निर्णय लेने से पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सलाहकारों एवं विशेषज्ञों की राय ली गई जिनमें फ्रांस की सोफ्रेमाइंस तथा बी आर.जी.एम. प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के उपक्रम मैसर्स इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड की राय भी ली गई और उनकी सिफारिश के आधार पर नीतिगत निर्णय लिया गया।

संयंत्र के निर्माण का ठेका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व के आधार पर मैसर्स लार्सन एण्ड टूब्रो तथा मैसर्स सिमको जैसी प्रतिष्ठित कम्पनियों को दिया गया था। इसके अतिरिक्त संयंत्र की विभिन्न मशीनों को या तो इनके द्वारा स्वयं निर्माण किया गया है अथवा मैसर्स इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड की राय लेने के पश्चात् स्वीडन, अमेरिका तथा फिनलेण्ड से भी कुछ हिस्से खरीदे गये हैं। इसके अतिरिक्त संयंत्र के कुछ हिस्से भारत सरकार के उपक्रम मैसर्स हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से बनवाये गये। एक विशेष क्रशर मैसर्स रोक्सन ओए, फिनलेण्ड द्वारा निर्माण किया गया है। इन दोनो कम्पनियों को खुली निविदा के आधार पर

(खनिज मंत्री)

ठेका दिया गया था। ठेका देने से पूर्व मैसर्स इंजीनियर्स इण्डिया लि० की पूरी राय एवं सहमति ली गयी थी। संयंत्र लगाने के समय मैसर्स इंजीनियर्स इण्डिया लि० की सम्पूर्ण देख-रेख रही।

(3) यह संयंत्र हांलाकि पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर रहा हैं, परन्तु इसको असफल नहीं कहा जा सकता। संयंत्र का कार्य माह अक्टूबर, 1993 में सम्पूर्ण हुआ और इसके पश्चात् ही इसको पूर्णरूपेण चालू किया जा सका। संयंत्र की कुल परिशोधन क्षमता 4.30 लाख टन निम्न श्रेणी रॉक फॉस्फेट खनिज परिशोधन प्रतिवर्ष है। वर्ष 1993-94 की जनवरी तक कुल 1.35 लाख टन श्रेणी रॉक फॉस्फेट खनिज का परिशोधन किया गया। संयंत्र को चालू करने की तिथि को मद्दे-नजर रखते हुए यह संयंत्र लगभग 55% क्षमता अर्जित कर चुका है। यह पूर्ण क्षमता से कम तो है, परन्तु सन्तोषप्रद है। इस प्रकार के बड़े संयंत्रों की स्थापना के बाद लगभग एक वर्ष तक धीरे-धीरे उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाती है तथा इसी बीच परिशोधन संयंत्रों में परिलक्षित कमियों को दूर किया जाता है। यह संयंत्र भी इसी दौर में है एवं शीघ्र ही पूर्ण उत्पादन क्षमता प्राप्त कर लेगा।

(4) यह परिशोधन संयंत्र माह सितम्बर, 1991 में पूर्ण होना था परन्तु अक्टूबर, 1993 में निर्माण कार्य सम्पूर्ण होने पर स्थापित घोषित किया गया है। समय पर चालू नहीं होने के कुल अपरिहार्य कारण रहे हैं जो निम्नलिखित हैं :–

(क) संयंत्र की स्थापना हेतु भूमिका अवाप्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने में कुछ विलम्ब हुआ।

(ख) स्थापना स्थल को ब्लास्टिंग द्वारा तैयार करना था। आबादी के नजदीक होने के कारण ब्लास्टिंग बड़ी सावधानी-पूर्वक तथा धीमी गति से करना पड़ा, जिससे विलम्ब हुआ।

(ग) प्लाण्ट की डिजाइन तथा इंजी-नियरिंग कार्य मैसर्स लार्सन एण्ड टूबरो लिमिटेड के स्तर पर भी विलम्ब से प्रारम्भ हुआ।

(घ) मण्डल आयोग के विरुद्ध आन्दो-लन तथा किसान अन्दोलन के कारण निर्माण सामग्री के यातायात में विलम्ब हुआ।

(ङ) केन्द्र सरकार की नयी आर्थिक नीतियों के अन्तर्गत कठोर आर्थिक नियंत्रण होने से देश के बाहर से आयतित होने वाली मशीनों के आयात में विलम्ब हुआ।

(च) ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल भी रही जिससे कार्य में विलम्ब हुआ।

(5) संयंत्र में घटिया प्रकार का सामान एवं मशीनें लगाने की कोई जान-कारी अब तक उपलब्ध नहीं हुई है। न ही इसके निर्माण में किसी अधिकारी विशेष की मिली-भगत होने जैसी कोई बात सामने आयी है। हर सामान तथा मशीनों की खरीद-फरोख्त तथा स्थापना मैसर्स इंजी-नियर्स इण्डिया लिमिटेड की राय से व

(खनिज मंत्री)

देखरेख में की गयी है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि संयंत्र असफल नहीं रहा है, तथा इसका अब तक कार्य सन्तोषप्रद ही कहना उचित होगा।

शेरगढ़ तहसील के भांग के ठेके

735. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) शेरगढ़ तहसील का अमल, अमल के डोडे व भांग (गांजा) का ठेका किस व्यक्ति को कितने में दिया हुआ है ?

(2) शराब की लाइसेंस शुदा कितनी दुकानें शेरगढ़ तहसील के किन-किन गांवों में दी हुई है ?

(3) क्या यह सही है विभाग द्वारा लाइसेंस शुदा दुकान मंजूर न होते हुए भी पुलिस व आबकारी विभाग की मिलीभगत से शेरगढ़ के विभिन्न गांवों में 211 दुकानें चल रही है ? क्या सरकार इसकी जांच करवाने का विचार रखती है ? - यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो क्यों ?

(4) जोधपुर जिले का शराब का ठेकेदार कौन है ? यह ठेका कितनी राशि में कितने वर्ष के लिये दिया गया है ?

उत्तर

(1) शेरगढ़ तहसील में डोड़ा चुरा एवं भांग घोटा का ठेका श्री कालूलाल पुत्र दल्ला मीणा (रावत) श्यामपुरा ग्राम-कँवलपुरा तहसील–बड़ीसादड़ी एवं श्री घनश्यामनाथ पुत्र बैजनाथ जोशी, सदर-बाजार, चित्तौड़, जिला-चित्तौड़गढ़ को राशि रुपये 9,50,000/– में दिया गया है।

(2) शेरगढ़ तहसील में देशी/विदेशी मदिरा की 12 दुकानें स्वीकृत की गई है जो निम्नानुसार हैं :–

क्र सं.	गांव का नाम
1.	देशी मदिरा शेरगढ़
2.	बालेसर
3.	बेलबा
4.	सेतरावा
5.	देऊ
6.	आगोलाई
7.	चौमू
8.	खिरजावास
9.	कलाऊफाटा
10.	ढाडियां
11.	भा. नि. वि. म. शेरगढ़
12.	भा. नि. वि. म. बालेसर

(3) जी नहीं, स्वीकृत दुकानों के अतिरिक्त कोई अवैध दुकानें चलने की जानकारी राज्य सरकार को नहीं है। अवैध दुकानों के बारे में शिकायत प्राप्त होते ही उसकी तुरन्त जाँच करा ली जाती है।

(4) जोधपुर जिले में मदिरा बिक्री के लिये दो समूहों में ठेके वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 की अवधि के लिये दिये गये हैं। जिनके ठेकेदार एवं ठेका राशि निम्नानुसार हैं :–

(आबकारी मंत्री)

क्र.सं	नाम समूह	नाम अनुज्ञाधारी	ठेके की राशि वर्ष 93-94
	1	2	3
1.	जोधपुर, बिलाड़ा, शेरगढ़, बावड़ी, मथानिया समूह	1-श्री सुनील पुत्र जयदीशलाल तलवार ए-53, शास्त्री नगर, जोधपुर	16,90,55,300
		2-श्री पुखराज पुत्र मोहनलाल सिसोदिया अमर नगरपाल रोड, जोधपुर	
		3-श्री भादरखां पुत्र अनूखा, धर्मनारायण का हत्था पावटा, जोधपुर	
		4-श्री मुरलीधर पुत्र रोचीराम गंगवानी, सुभाष चौक, रातानाड़ा, जोधपुर	
		5-श्री धर्मेन्द्र पुत्र श्यामलाल खेतानी, धर्मनारायण का हत्था जोधपुर, पावटा	
		6-श्री रामकिशन पुत्र लालचन्द मेवाड़ा, घोड़ों का चौक, जोधपुर	

(आबकारी मंत्री)

1	2	3
	7–श्रीमति वर्षादेवी पत्नी छगन गंगवानी, सुभाष चौक, जोधपुर	
	8–श्रीमति मीनादेवी पत्नी नरेन्द्रकुमार गंगवानी सुभाष चौक, जोधपुर	
	9–श्री कैलाशराम पुत्र राधाकिशन चौधरी, खरनाल गांव जिला–नागौर	
	10–श्री हेतराम पुत्र देल्लाराम भील ए/143, हनुमाननगर, जयपुर	
	11–श्रीमती कमला पत्नी चांदखां धर्मनारायण का हत्ता जोधपुर	
	12–श्री अनिलखा पुत्र बदरूदीन, 19, मीरा मार्ग, बनीपार्क, जयपुर	
	13–श्रीमती कामनी पत्नी मगन बिहारी कक्कड़, रणछोड़जी के मन्दिर के पास, जोधपुर	

(आबकारी मंत्री)

1	2	3
	14-श्रीमती अयोध्यादेवी पत्नी हीरालाल टांक, गांव मंगराना मेड़शा, जिला-नागौर	
	15-श्री सराजूदीन पुत्र मांगीलाल डांगा, भवन के सामने, बीकानेर	
2. फलोदी, बाप, ओसिया समूह	1-श्री भैरूसिंह पुत्र पुखराज मेवाड़ा, पंचायत भवन के पास, औसीया, जिला-जोधपुर	1,24,11,909
	2-श्रीमती श्यामादेवी पत्नी खीमराज मेवाड़ा, पंचायत भवन के पास, औसीया, जिला-जोधपुर	
	3-श्री रूपाराम पुत्र हनुमानाराम हिन्दू महामन्दिर के पास, जोधपुर	

वर्ष 1994-95 की एकाकी विशेषाधिकार राशि वर्ष 1993-94 की एकाकी विशेषाधिकार राशि में 15% जोड़कर निर्धारित की जावेगी।

वर्ष 1993–94 में नीमकाथाना ग्रुप में देशी व विदेशी मदिरों के ठेके

736. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीमकाथाना) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नीम का थाना ग्रुप का देशी व विदेशी मदिरा का वर्ष 1993-94, 94-95 का ठेका किस व्यक्ति के नाम ले छोड़ा गया तथा इस ग्रुप में कितने साझेदार हैं ? नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस ठेके में कुछ देशी व विदेशी मदिरा को कितनी मुख्य व उप दुकानें स्वीकृत की गयी है ? स्वीकृति नक्शे मौके एवं इन दुकानों में नियुक्त कर्मचारियों के नामों सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ठेका देते समय मुख्य व उपदुकानों की संख्या निर्धारित कर दी जाती है ? यदि हां, तो इसके बाद यह संख्या किन परिस्थितियों में घटाई बढ़ाई जा सकती है ?

(4) क्या इस नीम का थाना ग्रुप के ठेकेदार ने भी ठेके के समय निर्धारित मुख्य व उपदुकानों के अलावा कोई नयी दूकानें बढ़ाई-घटाई हैं ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित मुख्य व उपदुकानों की दूरी तय की जाती है ? यदि हां, तो नीम का थाना ग्रुप की दुकानों की आपसी दूरी कितनी-कितनी है ? अन्तर्राज्यीय सीमा से व अन्तर जिला से यह दूरी कितनी होनी चाहिये ?

(6) क्या नीम का थाना तहसील के नागरिकों द्वारा सरकार को इस ग्रुप द्वारा अवैध 51 दुकानें चलाये जाने की शिकायत की है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई, अब तक इन अवैध दुकानों को क्यों नहीं हटाया गया और अब कब तक इन अवैध दुकानों को हटा दिया जायेगा।

(7) क्या उपरोक्त ठेकेदार की अचला वाली ढाणी के नाम से कोई दुकान या उपदुकान स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो कब किस अधिकारी द्वारा स्वीकृत की गई ?

(8) क्या यह सही है कि अचलावाला ढाणी की दुकान या उपदुकान स्वीकृत करते समय आबकारी विभाग के किसी अधिकारी के द्वारा जांच की गई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1993-94 व 94-95 का ठेका मैसर्स शकुन्तला कंवर एण्ड पार्टी के नाम से छोड़ा गया है। ग्रुप के निम्न साझेदार हैं :–

1. श्रीमती शकुन्तला कंवर पत्नी श्री जगदेवसिंह राजपूत
2. श्रीमती खिल्लोरानी पत्नी मोहनलाल महाजन
3. अनवर अली पुत्र अल्लाद्दीन मुसलमान

(आबकारी मंत्री)

4. संजीव नागरा (राजीव) पुत्र चन्जनखां नागरा

5. हनीफ पुत्र लालमोहम्मद चौपदार।

(2) देशी मदिरा की मुख्य दुकान 15 व उपदुकान 17 स्वीकृत है। भारतीय निर्मित विदेशी मदिरा की मुख्य दुकान दो व उपदुकान तीन स्वीकृत हैं। स्वीकृत नक्शा मौका की प्रति एवं दुकानों व कर्मचारियों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट अ, ब एवं स पृ. 1 से 37)।

(3) ठेका देते समय ही मुख्य व उपदुकानों की संख्या निर्धारित कर दी जाती है। एवं बाद में घटाई एवं बढ़ाई नहीं जाती है बल्कि, स्थान परिवर्तन किये जाते हैं।

(4) ठेके के समय निर्धारित, मुख्य व उपदुकानों के अलावा कोई नयी दुकान नहीं घटाई एवं बढ़ाई है।

(5) मुख्य व उप दुकानों के बीच कोई आपसी दूरी तय नहीं की जाती है। अन्तर्राज्यीय सीमा व अन्तर जिला से भी कोई दूरी तय नहीं की जाती है। बल्कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के बीच 2½ किलोमीटर की दूरी तय है।

(6) हां, नीमकाथाना तहसील के नागरिकों ने शिकायत की थी, जिसकी जांच करने पर शिकायत निराधार पाई गई। वर्तमान में कोई अवैध मदिरा की दुकानें नहीं होने से हटाने का प्रश्न नहीं है।

(7) अचलावाली ढाणी के नाम से उपदुकान स्वीकृत है। उक्त दुकान जिला आबकारी अधिकारी, सीकर के द्वारा दिनांक 6-5-93 को स्वीकृत की गई है।

(8) हां, यह सही है कि अचलावाली ढाणी की उपदुकान स्वीकृत करते समय आबकारी निरीक्षक नीमकाथाना द्वारा जांच की गई थी जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है (पृष्ठ सं. 33–संलग्नक)

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

आबकारी विभाग के कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी लम्बित प्रकरण

737. **श्री प्रतापसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आबकारी विभाग में कर्मचारियों की सेवा से सम्बन्धित ऐसे कितने प्रकरण पेंडिंग है जिनमें स्थगन नहीं होते हुए भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का लाभ सम्बन्धित कर्मचारी को नहीं दिया गया ?

(2) कर्मचारी सेवा संघ संवर्ग के ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनमें माननीय उच्च-न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 'स्पेशल लीव पिटीशन' दायर करने की अवधि समाप्त हो गई हो अथवा दायर करने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की पिटीशन खारिज करदी, बावजूद इसके निर्णय लागू कर सम्बन्धित कर्मचारी को लाभ नहीं दिया

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

गया ? तीन वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(3) सरकार द्वारा जारी आदेश सं. एफ. 17 (6) डी. ओ. पी./एII/85 दिनांक 3-1-1987 के तहत ऐसे विभागाध्यक्षों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने पर सरकार विचार रखती है जो माननीय उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की क्रियान्विति नहीं कर कर्मचारियों को निर्णयानुसार देय परिलाभ नहीं देकर सरकार को न्यायालय अवमानना को दोषी ठहराते हैं।

उत्तर

(1) आबकारी विभाग में कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी तीन प्रकरण लम्बित हैं जिनमें स्थगन नहीं होते हुए भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का लाभ सम्बन्धित कर्मचारियों को इसलिये नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इनमें से दो में राज्य सरकार की ओर से अपील पेश की हुई है। एवं स्थगन आदेश प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। तृतीय में प्राइवेट रेस्पोन्डेन्ट्स की ओर से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है।

(2) कर्मचारी सेवा संवर्ग में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल लीव पिटिशन पेश करने की समयावधि समाप्त हो गयी हो। मात्र एक प्रकरण भंवरलाल मालाकार बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 24-11-90 के विरुद्ध स्पेशल लीव पिटिशन राज्य सरकार की ओर से पेश की गई जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई थी, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24-11-90 से प्रभावित होने वाले सेवा संवर्ग के दो आबकारी निरीक्षकों श्री नाथूलाल वर्मा एवं श्री चन्द्रशेखर सिंह झाला द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष रिव्यू पिटिशन पेश कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये गये। इसलिये सम्बन्धित कर्मचारी को लाभ नहीं दिया जा सके।

(3) राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश एफ. 17 (6) डी.ओ.पी./एII/85 दिनांक 3-1-1987 राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण के निर्णयों की क्रियान्विति के बाबत जारी किया हुआ है। ऐसा प्रकरण नहीं है जिसमें किसी अधिकारी को अवमानना का दोषी पाया गया हो। अतः ऐसी स्थिति में विभागाध्यक्ष के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

जिला राजसमन्द की भीम व देवगढ़ तहसीलों में देशी व विदेशी शराब के ठेके

738. श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजसमन्द जिले की भीम व देवगढ़ तहसीलों में देशी व विदेशी (आई. एम.एफ.एल.) शराब विक्रय करने हेतु किन किन ग्रामों में दुकानें लगाने की स्वीकृति ठेकेदारों को दी गई है ? दुकानों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री लक्ष्मण सिंह)

(2) उपरोक्त वैध व स्वीकृत दुकानों के अलावा किन-किन ग्रामों में अवैध दुकानें ब्रांच लगाकर शराब बेचने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

(3) सरकार उक्त अवैध दुकानों को बन्द करने के लिए क्या-क्या उपाय कर रही है ?

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले की तहसील देवगढ़ व भीम में निम्नानुसार देशी व विदेशी (आई.एम.एफ.एल.) शराब विक्रय करने हेतु वर्ष 1993-94 में लोकेशन नियम 75 के अन्तर्गत अनुमोदित किये गये हैं :—

क्र.सं.	नाम तहसील	देशी मदिरा दुकानात मुख्य दुकान	उप दुकान
1	2	3	4
1.	देवगढ़	1. देवगढ़	1, देवगढ़ (सूरज दरवाजा)
		2. लसानी	2. छापली
		3. कुंआथल	3. कामलीघाट चौराहा
		4. कालेसरिया	4. मालियों का वास
		5. कामली पीपली	5. मोटियों का आसन
		6. दीवेर	6. जस्सा खेडा
		7, सोपुरी	
		8. बघाना	
		9. चेता	
		10. उनालोका वास	
		11. मादा की बस्सी	
2.	भीम	1. ताल	1. भीम नं. 1
		2. लाखागुडा	2. भीम नं. 2
		3. कूंवाडा	3. सरूपा
		4. बरार	4. भीम (वली जस्सा खेड़ा)
		5. सारोठ	5. देवखेड़ा
		6. ड़ांसरिया	
		7. भीम	
		8. बार	
		9. बराखण्ड	
		10. अजीतगढ़	
		11. हीरागुडा	

(आबकारी मंत्री)

क्र.स.	नाम तहसील	मा. नि. वि. मदिरा दुकानात	
		मुख्य दुकान	उप दुकान
1	2	3	4
1.	देवगढ़	1. देवगढ़	1. कामलीघाट
2.	भीम	1. भीम	1. जसवन्तपुरा

(2) काछबली (हीरागुड़ा) जस्सा खेडा, सारोठ व अधूण ग्रामों में अवैध दुकानात की शिकायतें प्राप्त हुई।

(3) प्राप्त शिकायतों की जांच करवाने पर शिकायतें निराधार पाई गई।

प्रदेश में शराब की दुकानें खोलने के मानदण्ड

739. **श्रीमती इन्दिरा मायाराम** (सांगानेर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने शराब की दुकानें खोलने के बारे में कोई नीति बना रखी है ? यदि हां, तो स्कूल अस्पताल तथा धार्मिक स्थानों के पास दुकानें नहीं खोलने के बारे में क्या प्रावधान है ?

(2) क्या यह सही है कि सांगानेर में मालपुरा गेट स्कूल के पास जो शराब की दुकान खुली हुई हैं, वह उक्त नीति एवं प्रावधानों के विरुद्ध है ? यदि हां, तो उसे हटाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में शराब की दुकानें खोलनें के लिये नीति निर्धारित है। संबंधित नियम की प्रति संलग्न है। स्कूल, अस्पताल एवं धार्मिक स्थानों से 200 मीटर के अन्दर शराब की दुकानें खोलने पर प्रतिबन्ध है। पर्याप्त कारणों के आधार पर उक्त प्रतिबन्ध में शिथिलता दिये जाने का नियमों में प्रावधान है।

(2) जी नहीं। राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के अन्तर्गत सांगानेर से मालपुरा गेट, स्कूल के पास शराब की दुकान खोलने की स्वीकृति दी गई है।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट—7 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में जनसंख्या के आधार पर पंचायतें

740. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र टोडाभीम में कुल कितने ग्राम हैं उनकी जनसंख्या क्या हैं एवं कितनी पंचायत है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने जनसंख्या के आंकड़े जनगणना कराकर तैयार करवाये है ? यदि हां, तो कब-कब ?

(3) जनगणनावार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आंकड़े ग्रामवार सदन की की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र टोडाभीम में कुल 198 ग्राम हैं उनकी कुल जनसंख्या 2,13,670 है एवं कुल 61 ग्राम पंचायतें हैं।

(2) हां। सरकार ने जनसंख्या के आंकड़े जनगणना 1991 में कराकर तैयार करवाये हैं।

(3) जनगणना 1991 के अनुसार विधानसभा क्षेत्र टोडाभीम में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 45294 एवं अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या 70884 है। ग्रामवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें।)

किशनगढ़ क्षेत्रों के ग्रामों में कृषि हेतु पानी उपलब्ध

741. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के कौनसे गांवों में कृषि सिचाई के लिये खारा पानी उपलब्ध है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इस क्षेत्र का सर्वे करवाकर प्रायोगिक तौर पर ट्यूब-वैल लगाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार की कोई नीति डार्क-जोन क्षेत्र के किसानों को विशेष राहत देने की है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में डार्क-जोन घोषित क्षेत्र का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति सिलोरा के गांव आते हैं। पंचायत समिति सिलोरा के निम्नलिखित गांवों में खारा पानी है जो सिंचाई के लिये अनुपयुक्त हैं।

1. आउ   2. जाड़ोता
3. झाकोलाई   4. झाग
5. कोटरी   6. किशनगढ़ (शहर)

(भू-जल मंत्री)

7. मदनगंज 8. नोसल
9. सरगांव 10. उजोली

शेष गांवों में उपलब्ध पानी सिंचाई के लिए उपयुक्त है।

(2) इस क्षेत्र में विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण प्रगति पर है। प्रायोगिक तौर पर ट्यूब-वैल लगाना भू-जल सर्वेक्षण का भाग ही होता है। सर्वेक्षण वर्ष 1998 तक पूरा होगा।

(3) विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विचार किया जा सकेगा।

(4) सिलोरा (किशनगढ़) पंचायत समिति का कोई भी क्षेत्र अभी डार्क जोन में वर्गीकृत नहीं हैं।

समन्वय समिति

742. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में 'राज्य स्तरीय योजना समन्वय समिति" बनी हुई है? यदि हां, तो यह कब से गठित है तथा इसके सदस्य कौन-कौन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस समन्वय समिति के गठन के समय से 31 जनवरी, 1994 तक कुल कितनी बैठकें सम्पादित हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस समिति से राज्य स्तरीय योजनाओं को किस प्रकार गति व समन्वय मिला है?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य स्तरीय आयोजना एवं विकास समन्वय समितियों का गठन 13 जनवरी 1955 को किया गया था, जिनका समय-समय पर आवश्यकतानुसार पुनर्गठन किया गया है। नवीनतम पुनर्गठित समितियां एवं उनके सदस्यों की सूची परिशिष्ठ "अ" पर संलग्न है।

(2) गत 20 वर्षों में (वर्ष 1973 से 31.1.93 तक) कुल 375 बैठकें आयोजित हुई। वर्षवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) राज्य स्तरीय आयोजना एवं विकास समन्वय समितियों की बैठकों में सचिव महोदय द्वारा विस्तृत रूप से राज्य योजनाओं, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा की जाती है। इन बैठकों में आयोजना संबंधी योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव द्वारा जो विभागीय समस्याएं, अन्तर्विभागीय समस्याएं महसूस की जाती है, का समुचित निदान किये जाने हेतु समुचित दिशा-निर्देश प्रदान किये जाते हैं तथा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावी एवं महती भूमिका का निर्वाह करते हुए राज्य हित में समुचित सुझाव एवं मार्गदर्शन प्रदान किये गये हैं। पूर्व में लिये गये निर्णयों की अनुपालना की समीक्षा की जाती है।

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

आयोजना एवं विकास की गति में जो भी कमियां या रुकावटें अन्तर्विभागीय स्तर पर महसूस की जाती है, उन्हें दूर करने हेतु निर्णय लिये जाते हैं। इन बैठकों में लिये गये निर्णय निर्देशयात्मक होते हैं जिनकी अनुपालना त्वरित गति से की जाती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें।)

सलूम्बर सर्किट हाउस का निर्माण

743. **श्री फूलचन्द** (सलूम्बर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या कस्बा सलूम्बर जो उप-जिलाधीश मुख्यालय भी है, पर सर्किट हाउस निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो निर्माण कार्य की स्वीकृति कब तक दे दी जावेगी?

(2) आदिवासी बाहुल्य उपजिलाधीश मुख्यालय पर किस मापदण्ड से सर्किट हाउस खोले जाते हैं?

(3) जनजाति उपयोजना क्षेत्र के किस-किस स्थान पर सर्किट हाउस हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उपजिलाधीश मुख्यालय पर सर्किट हाउस खोलने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(3) सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–10 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र घाटोल में प्रस्तावित लघु सिंचाई योजना

744. **श्री जितेन्द्र नीनामा** (घाटोल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र घाटोल में लघु सिंचाई योजना में प्रस्तावित व अधूरे तालाब बोरी बान घाटी व खेरवा तालाबों से सिंचाई प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। घाटोल विधान सभा क्षेत्र में बोरी बान घाटी व खेरवा तालाब अकाल राहत के अधूरे कार्य हैं। इन में से बोरी बान घाटी जर्मन सहायता मद में प्रस्तावित हैं व खेरवा तालाब अकाल राहत मद का अधूरा तालाब हैं। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर ये कार्य पूरे कराये जा सकेंगें।

टाटगढ़ क्षेत्र में लघु काश्तकारों को सिंचित भूमि के लिए छोटे तालाबों का निर्माण

745. **श्री उगमराज मेहता** (ब्यावर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या टाटगढ़ क्षेत्र के लघु काश्त-कारों की भूमि सिंचित करने के लिये छोटे

(श्री उगमराज मेहता)

छोटे तालाब बनाने की सरकार की योजना है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस क्षेत्र के टूटे पड़े कई छोटे-छोटे तालाबों की मरम्मत नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) टाटगढ़ क्षेत्र में सिंचाई विभाग का कोई तालाब क्षतिग्रस्त नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र चौरासी में (अमरापुरा, मेवाड़ा) की लम्बित सिंचाई परियोजनाएं

746. **श्री शंकरलाल अहारी** (चौरासी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले के चौरासी विधान सभा क्षेत्र अमरापुरा व मेवाड़ा सिंचाई परियोजनाएं काफी लम्बे अरसे से अधूरी पड़ी हुई है और उक्त परियोजनाओं पर कोई कार्य नहीं चल रहा है ?

(2) उक्त दोनों परियोजनाओं को चालू करने के लिये विभाग ने क्या-क्या कार्यवाही की तथा इनकी अनुमानित लागत क्या थी एवं वर्तमान में अनुमानित लागत कितनी है ?

(3) उपरोक्त परियोजनाओं से जी. टी. सी. के अनुसार कितने कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई हो सकती है ?

(4) क्या यह भी सही है कि परियोजनाओं को पूर्ण करने से कृषकों की भूमि डूब क्षेत्र में जाती है ? यदि हां, तो ऐसे कितने कृषक हैं जिनकी भूमि डूब क्षेत्र में जायेगी ? नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इन दोनों परियोजनाओं पर अकाल राहत मद के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ कराया गया। इसके पश्चात वर्ष 84-85 में इन परियोजनाओं पर एस. आर. ई. पी. मद से एवं वर्ष 90–91 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आंशिक कार्य करवाया गया। इन परियोजनाओं की स्वीकृति के समय की अनुमानित लागत क्रमश: 508.16 लाख रुपये एवं 159.54 लाख रुपये थी जो अब बढ़कर अमरपुरा की 1170 लाख रुपये एवं मेवाड़ा की 412 लाख रुपये हैं।

(3) इन परियोजनाओं से निम्न सिंचाई की जा सकती है :—

1. अमरपुरा 1841 हैक्टेयर
2. मेवाड़ा 865 हैक्टेयर

(4) जी हां। प्रभावित कृषकों के नाम व भूमि का विवरण राजस्व विभाग से संकलित करने की कार्यवाही चल रही हैं।

वर्ष 1977-85 तक बस्सी, जिला के ग्रामों के निर्माण कार्य

747. **श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्ष 1977 से 1985 तक किन-किन गांवों में क्या-क्या निर्माण कार्य करवाये गए ? प्रत्येक कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निर्माण कार्यों में से कितने अपूर्ण है ? क्या सरकार अपूर्ण कार्य को पूर्ण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार इस वर्ष अपूर्ण बांध लालगढ़, फूटा बंध, टोडामाटा बंध दोपुर "झाजवाड" खारली बंध टेटडा बांध व जटवाडा (गिरधरवास) को पूर्ण करवाना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारम्भ हो जाएगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में 1977 से 1985 तक सिंचाई विभाग द्वारा कराये गये कार्यों एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) 13 कार्य अपूर्ण हैं। जी नहीं।

(3) लालगढ़ व झाजवाड बांध अपूर्ण नहीं है। खारली बांध निर्माणाधीन है। जिसकी जलग्रहण क्षमता का आंलन मोरेल बांध की जल ग्रहण क्षमता के अनुसार किया गया है। अन्य बांधों के निर्माण से मोरेल की जल भराव क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा अतः इनको पूर्ण कराना सम्भव नहीं है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट—11 देखें।)

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सिंचाई जोधपुर को स्वीकृत राशि सम्बन्धी प्रकरण

748. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या सिंचाई राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (सिंचाई) जोधपुर को वर्ष 1993-94 में कौन-कौन से प्रस्ताव (तकमीनें) कब-कब प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति के लिए प्राप्त हुए तथा इनमें से अब तक किन-किन प्रस्तावों (तकमीनों) की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं ? यदि नहीं तो, अब तक स्वीकृतियां जारी नहीं किये जाने के क्या कारण रहे इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

(2) क्या उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अतिरिक्त मुख्य सिंचाई अभियन्ता सिंचाई सम्भाग जोधपुर ने वर्ष 93–94 में संलग्न परिशिष्ट अ, ब, स, द में दर्शाये अनुसार तकमीने उनके सामने अंकित तिथि

(सिचाई राज्य मंत्री)

को प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए उनमें से जिनकी प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति जारी हो चुकी है, उनकी तिथि उनके सामने दर्शाई गयी है। तकमीनों में कमियां होने से तकमीने लौटाने के कारण बाकी की स्वीकृतियां जारी नहीं हुई। तकमीनों की कमियों को पूरा करने इत्यादि में समय लगता है। अतः स्वीकृतियां जारी नहीं किये जाने के कारण कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है।

(2) तकमीने स्वीकृत न होने के कारण कोई अधिकारी जिम्मेदार ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जिला अलवर के सिलीसेढ़ बांध से नहर द्वारा की जा रही सिंचित कैचमेंट एरिया प्रकरण

749. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला अलवर के सिलीसेढ़ बांध से नहर द्वारा की जा रही सिंचाई का कुल कितना कैचमेंट एरिया एवं सिंचित क्षेत्र है ?

(2) क्या यह सही है कि अलवर शहर के विस्तार के कारण इस बांध का सिंचित क्षेत्र प्रति वर्ष कम होता जा रहा है ?

(3) क्या इसकी नहरों पर अतिक्रमण किया हुआ है और पानी का बहाव भी कहीं कहीं रुका हुआ है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रति बीघा सिंचाई का कितना शुल्क अथवा लगान विभाग द्वारा लिया जाता है ? पिछले 10 वर्षों में इससे कितनी-कितनी आय हुई ?

उत्तर

(1) इस बांध का कैचमेंट एरिया 52.80 वर्गमील है। कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र 1784 हैक्टेयर है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। इस बांध की नहरों पर अतिक्रमण की वजह से ऊपर कैनाल की 12 कि. मी. से 13.5 कि. मी. टेल एवं लोवर कैनाल 11.50 कि. मी. से 15.5 कि. मी. टेल पर पानी का बहाव रुका हुआ है।

(4) सिंचाई का शुल्क निम्न तालिका में दर्शाया गया है :—

फसल किस्म	दर प्रति बीघा (रुपये में)
1. बाग	30.60
2. गेहूं/गोचनी/बिचड़	13.12
3. बाड़ी/मटर/सब्जी	12.50
4. दलहनी/तिलहन	11 25
5. जौ	9.37

पिछले 10 वर्षों में सिंचाई कर से 2,67,770/– रुपयों की आय हुई है।

तहसील बोंली के ग्राम सीसोलाव में वर्ष 1991–92 में स्वीकृत एनीकटों पर व्यय

750. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील बोंली के ग्राम सीसोलाव में वर्ष 1991–92 में एनीकट की स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो उस पर कितनी राशि का कार्य हुआ ?

(2) क्या यह भी सही है कि विगत 2 वर्ष से कार्य बन्द पड़ा है ? क्या सरकार उक्त कार्य को पुनः प्रारम्भ कर स्थानीय जनता को लाभ देना चाहती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । इस पर अब तक अनटाईडफण्ड योजना के अन्तर्गत 1.98 लाख रुपये की राशि का कार्य हो चुका हैं ।

(2) उक्त कार्य मार्च 93 के बाद से बन्द हैं, इस कार्य को उक्त योजना के तहत वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर पुनः प्रारम्भ किया जायेगा ।

राजकीय अग्रसेन कुमारी कन्या माध्यमिक विद्यालय, कानोड़ (उदयपुर) की क्रमोन्नति

751. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजकीय अग्रसेन कुमारी कन्या माध्यमिक विद्यालय कानोड़ जिला उदयपुर को क्रमोन्नत कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में बाद के कन्या माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया ? यदि हां, तो किस-किस को कब-कब किस आधार से नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय के क्रमोन्नति के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुये ? यदि हां, तो किस-किस के कब-कब ? क्या सरकार इसको अब भी क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? प्राप्त प्रस्तावों की प्रतियां मय की गई कार्यवाही के सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं । सीमित वित्तीय साधनों के कारण रा. अग्रसेन कन्या मा. वि. कानोड जिला उदयपुर को क्रमोन्नत नहीं किया गया ।

(2) जी हां । वर्ष 1993–94 में राज. बालिका माध्यमिक विद्यालय, खेरवाड़ को ग्राम की जनसंख्या छात्रा संख्या, भवन व्यवस्था, फीडिंग विद्यालयों की संख्या एवं गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नत किया गया ।

(3) वर्ष 94-95 में विद्यालय क्रमोन्नति हेतु प्रस्ताव आमन्त्रित किये है । राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सीमा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति

(शिक्षा मंत्री)

करने वाले विद्यालय को गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

रजिस्ट्रार, शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा अध्यापकों का पंजीकरण-

752. **श्री बाबूलाल (दूदू)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि रजिस्ट्रार शिक्षा विभागीय परीक्षायें, बीकानेर द्वारा राज्य के बी. एस. टी. सी प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों का पंजीयन किया जाता है एवं प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं।

(2) क्या वर्ष 1966 में श्री स्वामी केशवानन्द, बी. एस. सी. टी. प्रशिक्षण संस्थान जयपुर द्वारा बी. एस. टी. सी. की परीक्षा आयोजित की थी? यदि हां, तो प्रशिक्षणार्थियों के नाम, पिता का नाम एवं पूर्ण पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्य यह सही है कि रोल नम्बर 3625 की अंक तालिका सही प्रशिक्षणार्थी को न दी जाकर किसी अन्य को दी गई है जिसके द्वारा जालसाजी की गई? यदि हां, तो उक्त वर्ष में रोल नम्बर 3625 पर किस प्रशिक्षणार्थी को प्रमाण पत्र दिया गया था?

उत्तर

(1) जी नहीं। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर केवल प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं।

(2) जी हां। प्रशिक्षणार्थियों के नाम पिता के नाम सहित सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें।)

बांसवाड़ा में कन्या माध्यमिक विद्यालय

753. **श्री दलीचन्द (दानपुर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा के विधान सभा क्षेत्रों में कितने कन्या माध्यमिक विद्यालय हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार भविष्य में पीपलखूंट, छोटी सारवन, अकपुरा एवं नया गांव में कन्या माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले की विधान सभा क्षेत्रों में 14 कन्या माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विद्यालय क्रमोन्नत करने हेतु वर्ष 1994–95 में प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार अपनी वित्तीय सीमाओं व गुणावगुणों के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत करने पर विचार कर सकेगी जिसमें छात्रा विद्यालय को प्राथमिकता दी जावेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–13 देखें।)

संस्कृत शिक्षा विभाग में आशुलिपिक ग्रेड द्वितीय के पदस्थापन

754. **श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि संस्कृत शिक्षा विभाग में जब से स्टेनों ग्रेड II का पद स्वीकृत हुआ है तब से आज तक रिक्त चल रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा पद की पूर्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इस पद पर किसी दूसरे कैडर के पद के कर्मचारी को स्थानान्तरण पर लिया हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) संस्कृत शिक्षा विभाग में स्टेनों III ग्रेड से II ग्रेड का एक पद दिनांक 21-12-68 से क्रमोन्नत हुआ था। इस पद पर निम्नांकित प्रकार नियुक्ति रही हैं :—

क्र.सं.	अवधि	नियुक्त व्यक्ति
1.	21.12.68 से 9.8.70 तक	श्री मथुरा प्रसाद बेनीवाल
2.	10.8.70 से 31.3.89 तक	श्री राम गोपाल शर्मा
3.	1.4.89 से 27.9.91 तक.	पद रिक्त रहा।
4.	28.9.91 से	श्री ऋषि राज शर्मा निरन्तर।

(2) उक्त पद रिक्त नहीं है, अतः पद पूर्ति हेतु कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(3) जी नहीं। पद पर आयोग द्वारा चयनित स्टेनो II ग्रेड का व्यक्ति कार्यरत हैं।

विधान सभा क्षेत्र डीग के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

755. **श्री अरूण सिंह (डीग) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डीग विधान सभा क्षेत्र के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को फीड करने के लिए क्या उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की कोई योजना है ? यदि हां तो कहां-कहां ?

(2) डीग उप खण्ड में कितने ऐसे कस्बे हैं जहां माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय तो हैं किन्तु उनके फीड करने के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है ?

(3) डीग उप-खण्ड में कितने संस्कृत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय है ? यदि नहीं है तो क्यों ? क्या भविष्य में इनके खोले जाने की कोई योजना है ?

(4) डीग विधान सभा क्षेत्र के लिए आगामी सत्र 1994-95 में कितने प्राथमिक उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की सरकार की योजना है।

उत्तर

(1) प्रस्ताव प्राप्त होने पर ग्राम की जनसंख्या, भवन की स्थिति, विद्यालय की

(शिक्षा मंत्री)

छात्र संख्या फिडिंग स्कूलों की संख्या आदि व गुणावगुण के आधार पर वित्तीय सीमा को ध्यान में रखते हुये विद्यालय क्रमोन्नती पर विचार किया जाता है।

(2) डीग उप-खण्ड में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय जुरहरा व पहाड़ी के के लिये फिडिंग बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है।

(3) डीग उप-खण्ड में एक संस्कृत प्राथमिक विद्यालय है तथा संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर मानदण्डों की पूर्ति करने पर द्वितीय सीमा में संस्कृत प्राथमिक विद्यालय खोलने तथा प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर में क्रमोन्नत करने पर विचार किया जा सकेगा।

(4) वर्ष 94-95 के लिये प्रस्ताव चाहे गये है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विद्यालय खोलने/क्रमोन्नति पर विचार किया जा सकेगा।

जोधपुर की इंगलिश मीडियम सैन्ट्रल एकडमी स्कूल को मान्यता

756. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर की इंगलिश मीडियम सैन्ट्रल एकेडमी स्कूल को विभागीय मान्यता प्राप्त है ?

(2) सैण्ट्रल एकेडमी स्कूल की जोधपुर की कुल कितनी शाखाएं हैं तथा किस-किस शाखा को मान्यता मिली हुई हैं ?

(3) क्या यह सही है कि सैण्ट्रल एकेडमी द्वारा छात्रों को दिया जाने वाला स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र पर शाखा का नाम तथा पंजीयन संख्या मुद्रित नहीं की जाती ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि संस्था के सभी कार्य कागजों में है वास्तविक नहीं ? इस संस्था की प्रबन्ध समिति के सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया की विभाग ने कभी जांच की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि संस्था बिना विभागीय अनुमति के भारी भरकम राशि फीस के रूप में वसूल करती रही हैं ?

(6) क्या विभाग द्वारा कभी इस संस्था के मिनिट्स रजिस्टर तथा रिकार्डों की जांच की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(7) इस संस्था के बिना मान्यता वाली शाखाओं के बच्चों को दिये जाने वाले टी. सी. पर अन्य स्कूलों में प्रवेश कैसे तथा किस आधार पर दिया जाता रहा है ?

(8) यह कार्यवाही जोधपुर वासियों के लिये उन्हें अन्धेरे में रख कर कब तक की जाती रहेगी ? अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सैन्ट्रल एकेडमी स्कूल, जोधपुर की कुल 4 शाखाएं हैं जो मान्यता प्राप्त है।

(शिक्षा मंत्री)

1. सेन्ट्रल एकेडमी सीउमावि, शास्त्रीनगर
3. सेन्ट्रल एकेडगी उप्रावि, रातानाड़ा
3. केन्द्रीय अकादमी, उप्रावि पावटा
4 सेन्ट्रल एकेडमी, उप्रावि चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर

(3) जी हां। इस अनियमितता की जांच की जा रही है।

(4) जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।

(5) जी हां।

(6) जी नही। जंच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

(7) संस्थायें मान्यता प्राप्त होने के कारण उनके द्वारा जारी टी. सी. के आधार पर अन्य विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है।

(8) जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांचोपरान्त तद्नुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में उच्च प्राथमिक विद्यालय

757. **श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कुल कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय कौन कौन से गांवों में हैं?

(2) उक्त विद्यालयों में कितने-कितने अध्यापक वर्तमान में कार्यरत हैं तथा किस-किस शाला में कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रत्येक कक्षा में कम से कम एक अध्यापक को लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सरकार ने उक्त शालाओं में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व शारीरिक शिक्षक की भी नियुक्ति कर रखी है? यदि हां, तो कहां-कहां पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) जिन विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व शारीरिक शिक्षक नहीं है सरकार वहां कब तक लगाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में 57 छात्र तथा 5 छात्रा उच्च प्राथमिक विद्यालय है। ग्रामवार विद्यालयों की सूची संलग्न है।

(2) उक्त विद्यालयों में स्वीकृत तका कार्यरत अध्यापकों का शालावार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) विद्यालयों में छात्र संख्या एवं आवश्यकता के आधार पर वित्तीय सीमा में पद सृजित करती है।

(शिक्षा मंत्री)

(4) जी नहीं। शारीरिक शिक्षक एवं चतुर्थ श्रेणी के पद जहां है उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) सिद्धान्ततः प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद होने चाहिये। बजट की उपलब्धता के अनुसार पद सृजन की कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें।)

पंचायत समिति, कुचामन सिटी में शिक्षाकर्मी स्कूल

758. **श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पंचायत समिति, कुचामन सिटी के गावों में शिक्षाकर्मी योजना के अन्तर्गत स्कूलें चल रही हैं? यदि हां, तो कितनी तथा किस गांव में किस तारीख से? इन स्कूलों के प्रारम्भ किये जाने के पूर्व क्या वहां प्राथमिक विद्यालय चल रहे थे? यदि हां, तो उनको शिक्षाकर्मी योजना में परिवर्तित करने के क्या कारण रहे हैं?

(2) क्या शिक्षाकर्मी योजना में शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर शिक्षक की नियुक्ति की जाती है? यदि हां, तो पंचायत समिति, कुचामन सिटी में प्रशिक्षण देने की क्या व्यवस्था है तथा प्रशिक्षण देने वाले अधिकारी कौन हैं?

(3) पंचायत समिति कुचामन सिटी में शिक्षाकर्मी योजना के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है तथा नियुक्ति कौन करता है?

(4) पंचायत समिति, कुचामन सिटी में शिक्षाकर्मी योजना के अन्तर्गत कितने शिक्षक कार्यरत हैं? उनके नाम, निवास स्थान, जाति तथा जहां वे पढ़ा रहे हैं उस गांव के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि पंचायत समिति कुचामन सिटी के गांवों में शिक्षाकर्मी योजना में शिक्षकों की नियुक्ति बाबत शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) हां, पंचायत समिति कुचामन सिटी में शिक्षाकर्मी योजना के अन्तर्गत 20 प्राथमिक विद्यालयों को लिया गया था जिनका नाम व प्रारम्भ करने की तिथि निम्नानुसार है–

क्र.सं.	नाम गांव	प्रारम्भ तिथि
1.	रूपपुरा	18-3-89
2.	सिडियास	17-3-89
3.	पालडी	18-3-89
4.	उलाना	18-3-89
5.	गुढा	17-3-89
6.	रेवासा	18-3-89
7.	खुसिया	23-3-89

(शिक्षा मंत्री)

8.	गांवरिया	24-3-89
9.	घारबाणी	24-3-89
10,	बाटलिया	24-3-89
11,	नोलासिया	27-3-89
12.	भाटीपुरा	20-3-89
13.	नानणा	24-3-89
14.	कोका की ढाणी	31-1-92
15.	गुसाईयों की ढाणी	31-1-92
16.	गुदलीनाडी	31-1-92
17.	खोरण्डा	2-2-92
18.	बावड़ी	1-2-92
19.	माथासुरथ	1-2-92
20.	अजीतपुरा	1-2-92

शिक्षाकर्मी योजना के अन्तर्गत 89-90 व 91-92 में उन्हीं प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षाकर्मी योजना के अन्तर्गत लिया गया था जहां राज्य सरकार द्वारा खोले गये विद्यालयों में शिक्षकों की अनियमितता के कारण नामांकन एवं ठहराव की स्थिति बहुत कम थी तथा छात्राओं का नामांकन तो नाममात्र का था। ऐसे विद्यालयों को ही शिक्षाकर्मी योजनान्तर्गत लिया गया था। पंचायत समिति कुचामन सिटी के 90 विद्यालय ऐसे ही विद्यालयों की श्रेणी में आते थे इसलिए उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस योजना के अन्तर्गत लिया गया था।

(2) जी हां। पंचायत समिति कुचामन सिटी में शिक्षाकर्मियों के प्रशिक्षण के लिए गैर सरकारी संगठन एकट कोटडी (अजमेर) को चुना गया। इस संस्थान ने मीठडी (नागौर) में 29 शिक्षा कर्मियों को तथा कोटडी (नागौर) में 16 शिक्षाकर्मियों को प्रशिक्षित किया। शिक्षाकर्मियों के नाम, प्रशिक्षण स्थान तथा प्रशिक्षण की तिथियां संलग्नक "ख" पर दी गई है। वर्तमान में यह संस्था पंचायत समिति कुचामन सिटी की शिक्षाकर्मी योजना से जुडी हुई नहीं है। शिक्षाकर्मी परियोजना में शिक्षाकर्मियों के प्रशिक्षण का दायित्व "संधान" तिलक नगर, जयपुर का है।

(3) पंचायत समिति, कुचामन सिटी के गांवो के अप्रभावी विद्यालयों में गांव वालों की सहमति से उसी गांव या पास के गांव के युवक युवतियों को ग्रामवासियों की सहमति के आधार पर चयन किया जाता है। उसके पश्चात् उन्हें 37 दिवसीय प्रशिक्षण में भेजा जाता है। प्रशिक्षण में सफल होने पर राज. शिक्षाकर्मी बोर्ड के निवेदन पर सम्बन्धित विकास अधिकारी उन्हें विद्यालय में कार्य करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(4) पंचायत समिति, कुचामन सिटी में शिक्षाकर्मी योजना के अन्तर्गत 45 शिक्षाकर्मी कार्य कर रहे हैं। उनके विषय में चाही गई सूचना संलग्नक "क" पर है।

(5) पंचायत समिति, कुचामन सिटी के गांवों से शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें।)

निर्वाचन क्षेत्र चौरासी के स्कूलों का क्रमोन्नयन एवं शाला भवन

759. **श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी):** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

डूंगरपुर जिले के, चौरासी, क्षेत्र में किन-किन गांवों में कुल कितने मिडिल स्कूल सैकण्डरी व सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हैं ? क्या विद्यालयों में भवनों का भी भाव है ? यदि हां, तो क्या सरकार भवनों को बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब-तक ?

उत्तर

डूंगरपुर जिले के चौरासी क्षेत्र में विद्यालयों की स्थिति निम्नानुसार है :–

	उप्रावि	मावि	सा उ मावि	कालेज
1. छात्र	39	14	03	01
2. छात्रा	09	02	निल	निल
योग	48	16	03	01

जी हां, उच्च प्राथमिक छात्र एवं माध्यमिक तथा सीनियर उच्च माध्यमिक छात्र में वर्तमान भवन कम पड़ते हैं। आगामी बजट में वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर भवन निर्माण पर विचार किया जा सकेगा । भवनों के बनाने में जन सहयोग का प्रयास भी किया जायेगा ।

जी नहीं । सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों को महाविद्यालय में क्रमोन्नत नहीं किया जाता है ।

ग्राम कान्होर (कामां) की राजकीय प्राथमिक विद्यालय की क्रमोन्नति

760. **श्री तैय्यब हुसैन (कामां) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भरतपुर जिले के कामां विधान सभा क्षेत्र में ग्राम कान्होर की राजकीय प्राथमिक विद्यालय कब से चालू हुआ है ?

(2) क्या उक्त विद्यालय क्रमोन्नति हेतु वांछितसभी लक्ष्य पार कर चुका है ?, यदि हां, तो सरकार इसको कब तक क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले के कामां विधान सभा क्षेत्र में ग्राम कान्होर की प्राथमिक विद्यालय सन् 1954 से चल रही है ।

(2) वर्ष 94–95 के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं । क्षेत्र की आवश्यकता, भवन की स्थिति, ग्राम की जनसंख्या, विद्यालय की छात्र संख्या, एवं गुणावगुण के आधार पर राज्य सरकार की वित्तीय सीमान्तर्गत विद्यालय क्रमोन्नति पर विचार किया जा सकेगा ।

निर्वाचन क्षेत्र पुष्कर के विद्यालयों के भवन

761. **श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)**– क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री विष्णु मोदी)

(1) पुष्कर निर्वाचन क्षेत्र के किन-किन प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवनों में छात्रों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए कितने-कितने कमरों की कमी है ?

(2) प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवनों में कमरों की संख्या का निर्धारण किन-किन मापदण्डों के आधार पर होता है ?

(3) पुष्कर निर्वाचन क्षेत्र के उक्त विद्यालयों में कमरों की कमी को राज्य सरकार कब तक पूरा करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पुष्कर निर्वाचन क्षेत्र के निम्न विद्यालयों में छात्रों को दृष्टिगत रखते हुये कमरों की कमी है :–

विद्यालय का नाम	कमरों की कमी
1. रामावि बाघपुरी	03
2. ,, पाचोलिया	03
3. ,, नांद	02
4. ,, मकरेड़ा	01
5. ,, न्योरा	02
6. ,, झडबासा	03
7. ,, भगवानपुरा	03
8. ,, नरवर	02
9. राबामावि, पिसागन	03
10. ,, गोविन्दगढ़	06
11. ,, सराधना	07
12. रा.बाउप्राबि. जेठाना	04
13. ,, लामाना	04
14. ,, कडेल	04
15. ,, भगवाना	07
16. राप्रावि. बडगांव	05
17. ,, गतीडांग	05
18. ,, नौसर	03
19. हरिजन बस्ती पुष्कर	02

(2) माध्यमिक, सी. उ. मा. वि. हेतु निम्न प्रकार से मापदण्ड निर्धारित हैं :–

कमरों का विवरण	कमरों की सं.	प्रत्येक कमरे का साईज
हाल	एक	60 × 40
6 से 12वीं तक प्रत्येक वर्ग के लिए एक कक्ष	–	20 × 25
पुस्तकालय एवं वाचनालय	1	40 × 25
प्रधानाध्यापक कक्ष	1	20 × 15
कार्यालय कक्ष	1	20 × 15
अध्यापक कक्ष	1	20 × 15
भण्डार गृह, खेल समान्य	2	300 बर्ग फुट
चौकीदारी	1	120वर्गफुट
प्रयोपशाला	1	20 × 25
वैकल्पिक विष्य हेतु	1	30 × 25
शौचालय/मूत्रालय	2	

(शिक्षा मंत्री)

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक हेतु–

1. 1 से 8 तक कक्षा-कक्ष प्रत्येक वर्ग हेतु	1	24×12
2. प्र. अ. कक्ष	1	12×12
3. भण्डार	1	12×09

(3) राज्य सरकार की वित्तीय उपलब्धता के अनुसार भवनों का अतिरिक्त निर्माण करवाया जाता है।

शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय परसारामद्वारा की मान्यता

762. श्री बाबूलाल (दूदू)–क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजकीय उद्योग शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय परसरामद्वारा में शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि पहले इस केन्द्र में प्रशिक्षण लिए हुए प्रशिक्षणार्थियों को सामान्य शिक्षक मानकर शिक्षा विभाग में नियुक्तियां दी जाती थी तथा अब इस केन्द्र में प्रशिक्षण लिए हुए प्रशिक्षणार्थियों को सामान्य शिक्षक न मान कर केवल उद्योग शिक्षक ही माना जाता है ? यदि हां, तो यह किस आदेश के तहत किया गया है ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त नीति से कई प्रशिक्षणार्थियों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है ? यदि हां, तो सरकार इन प्रशिक्षणार्थियों को नियुक्ति दिलाने के सम्बन्ध में क्या विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त आदेशों से पूर्व ट्रेनिंग किये हुये प्रशिक्षणार्थियों को सरकार सामान्य शिक्षक मानकर नियुक्ति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं। प्रशिक्षण संस्थान 1989-90 से बंद कर दिया गया है।

(3) जी, नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की क्रियान्विति के अनुसार उद्योग विषय पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, बल्कि समाज उपयोगी उत्पादक कार्य सम्मिलित किया गया है।

(4) जी, नहीं। इस प्रशिक्षण एवं सामान्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अंतर है।

राज्य एवं राज्य के बाहर देवस्थान के मन्दिरों की सूची

763. श्री रामनारायण (नैनवां) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर स्थित मन्दिरों में विभाग द्वारा कतिपय मन्दिरों को मान्यता देकर उनकी सूची बना रखी है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण)

(2) क्या उक्त सूची में विभाग द्वारा रद्दोबदल भी की जाती है ? यदि हां, तो किस आधार पर ? इस सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवंनियंत्रित मन्दिरों की सूची बनी हुई है। सूची सदन की पटल पर रख दी है।

(2) जी हां। उक्त सूची में परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश नहीं है, किन्तु न्यायालय के आदेश एवं मंदिर सम्बन्धी दस्तावेज का परीक्षण करके गुणावगुण के आधार पर श्रेणी परिवर्तन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

राजकीय अस्पताल छबड़ा में एक्सरे मशीन

764. **श्री प्रतपासिंह सिंघवी** (छबड़ा), **श्री फूलचन्द** (सलूम्बर) एवं **श्री रंगजी** (सपोटरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) छबड़ा के राजकीय अस्पताल में एक्सरे मशीन कब से स्थापित हैं ?

(2) क्या एक्सरे मशीन संचालन की वहां समुचित व्यवस्था है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) छबड़ा राजकीय अस्पताल में एक्सरे मशीन दिनांक 30–4–92 से स्थापित है।

(2) जी हां। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधाएं

765. **श्री मदन मोहन** (खैरथल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्रामीण इलाकों में कौन-कौन सी सुविधाएं मरीजों को दी जा रही है ?

(2) ग्रामीण लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार नये अस्पताल खोलने का मानस बना रही है ? यदि हां, तो किस आधार पर व कितने-कितने ?

उत्तर

(1) ग्रामीण इलाकों में निम्न चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है :–

1—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
2—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
3—उपकेन्द्र

(2) जी हां। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 30,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर सामान्य क्षेत्रों में तथा प्रति 20,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर जनजाति व रेगिस्तानी क्षेत्रों

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के मापदण्ड के अनुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 में 40 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का लक्ष्य है।

सामुदायिक चिकित्सालय (कामां) में रिक्त पद

766. श्री तैय्यब हुसैन (कामां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भरतपुर जिले के कामां कस्बा के सामुदायिक चिकित्सालय में चिकित्सकों, कम्पाउन्डरों एवं अन्य कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं ? इनमें से कितने पद कितने समय से रिक्त चल रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन रिक्त पदों से आई अव्यवस्था से जनता में भारी रोष है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अव्यवस्था को दूर करने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कामां जिला भरतपुर में तीन कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद रिक्त हैं अन्य वर्ग के कर्मचारियों में से केवल एक वाहन चालक का पद रिक्त है। स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण संलग्न है।

(2) चिकित्सकों के पद रिक्त होने के कारण जनता द्वारा प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त किया जाना स्वाभाविक है। विभागीय पदोन्नति समिति के निर्णय के उपरान्त ही चिकित्सकों के रिक्त पद भरे जा सकेंगे, जिसके लिये कार्यवाही की जा रही है। वाहन चालक के दो पदों में से एक पद रिक्त है जिसे भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-16 देखें।)

किशनगढ़ में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र

767. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़)– क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कितने मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र संचालित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भविष्य में इस क्षेत्र में और नये मातृ शिशु कल्याण केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितने व कहां-कहां व कब तक ?

उत्तर

(1) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में एक मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र, किशनगढ़ में संचालित है।

(2) वर्तमान में नये मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र नहीं खोले जा रहे है, किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों के प्रा. स्वा. केन्द्र के साथ प्रसूति सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर राज्य के अन्य प्रा. स्वा. के. के साथ किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के प्रा. स्वा. के. में प्रसूति सेवायें उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

राज्य में फिजियोथैरेपिस्ट के रिक्त पद

768. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में फिजियोथैरेपिस्ट/सीनियर फिजियोथैरेपिस्ट के कितने पद रिक्त हैं ?

(2) राज्य में बेरोजगार पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त फिजियोथैरेपिस्ट को नियुक्ति नहीं देने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार द्वारा डिग्री प्राप्त फिजियोथैरेपिस्ट को नियुक्ति देने हेतु पैनल बनाया गया है ? यदि हां, तो अब तक कितनों को नियुक्ति दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) फिजियोथैरेपिस्ट का कोई पद रिक्त नहीं है। सीनियर फिजियोथैरेपिस्ट का एक पद रिक्त है।

(2) पद रिक्त नहीं है।

(3) जी हां। वर्ष 1989 में नियमानुसार सात अभियार्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई थी।

जोधपुर शहर के अस्पतालों पर व्यय

769. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जोधपुर शहर में महात्मा गांधी अस्पताल, उम्मेद अस्पताल, न्यूटीचिंग अस्पताल में वर्ष 1989-90, 1990-01 व 1992-93 तक भवन में नये उपकरण दवाइयां, फर्नीचर आदि पर कितनी राशि व्यय करने का प्रावधान रखा गया व कितना व्यय किया गया ?

(2) जोधपुर में महिलाबाग, पावटा, रेजीडेन्सी, नव चौकिया अस्पतालों को क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव सरकार के पास है ? यदि हां, तो कब तक इसकी घोषणा करदी जायेगी ?

उत्तर

(1) विवरण संलग्न है।

(2) वित्तीय वर्ष 1994-95 में पावटा चिकित्सालय की रोगी शैयायें 14 से बढ़ा कर 30 करने का प्रस्ताव है, शेष डिस्पेंसरियों को क्रमोन्नत करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें।)

खटवा (लालसोट) के उपस्वास्थ्य केन्द्र का क्रमोनयन

770. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि लालसोट तहसील के ग्राम खटवा में उप स्वास्थ्य केन्द्र वर्ष 1979-80 से कार्यान्वित है ? यदि हा, तो इसे अब तक क्रमोन्नत न करने के

(श्री परसादीलाल मीणा)

क्या कारण है ? इसे अब कब तक क्रमोन्नत कर दिया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त केन्द्र पर इस समय ए. एन. एम. (नर्स) का पद रिक्त चल रहा है ? यदि हां, तो अब उक्त पद पर पदस्थापना कब तक कर दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि इस केन्द्र के भवन में विद्युत कनेक्शन नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो अब कब तक करा लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) लालसोट तहसील के ग्राम खटवा में उपकेन्द्र वर्ष 1979-80 में स्वीकृत किया गया था। वित्तीय संसाधन के अभाव में इसे क्रमोन्नत नहीं किया जा सका। वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर क्रमोन्नत करने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) फिलहाल खटवा उप स्वास्थ्य केन्द्र पर विद्युत कनेक्शन नहीं है, क्योंकि उप केन्द्र भवन पूर्ण निर्मित नहीं था। ग्राम पंचायत खटवा भवन को पूर्ण करा रही है जिसमें विद्युत कनेक्शन भी उनके द्वारा कराया जाना शेष है।

पंचायत समिति मैंसरोडगढ़ में आंगनबाड़ी केन्द्र

771. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या महिला एवं बाल विकास पोषाहार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के क्या-क्या आधार है ?

(2) क्या मैंसरोडगढ़ पंचायत समिति के कोई गांव इस योजना के अधीन आते हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से गांव और इन गांवों में केन्द्र खोलने के सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गये हैं ?

उत्तर

(1) आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का मुख्य आधार जनसंख्या है। शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र एवं अनुसूचित जाति व जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के लिये जनसंख्या का आधार निम्नानुसार है :–

1. शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र	1000 या अधिक की सामान्य आबादी पर एक केन्द्र
2. अनुसूचित जाति व जनजति बाहुल्य क्षेत्र	750 की जनसंख्या पर एक केन्द्र
3. पहाड़ी क्षेत्र व दूर-दूर फैले गांवों की स्थिति में	350 की जनसंख्या पर एक केन्द्र

(2) जी नहीं।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के त्यागपत्र

772. श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री महादेव सिंह)

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम में पिछले एक वर्ष में कितने किस श्रेणी के स्थाई कर्मचारियों ने विभागीय अधिकारियों की ज्यादतियों अथवा दवाब एवं पारिवारिक परेशानी वश तंग आ कर त्याग पत्र दिये ? मय नाम, पदनाम, पदस्थापित स्थान सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारियों द्वारा (अपनी भूल उनकी परिस्थितियां ठीक होने पर तीन माह तक भी जब भी उनका त्याग पत्र मंजूर नहीं हुआ तो) पुनः ड्यूटी पर उपस्थित होने की बार-बार सूचना दी गई थी फिर भी विभाग ने उन्हें अवगत नहीं कराया और वे लगातार ड्यूटी पर उपस्थित हो रहे हैं किन्तु उनको हस्ताक्षर नहीं करने दिया जा रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि किसी स्थाई कर्मचारी का त्याग पत्र मंजूर करने अथवा नहीं करने की सूचना दिया जाना नियमानुसार आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या-क्या सूचना सम्बन्धित को दी गई ? दिए गये पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या विभाग उन स्थाई कर्मचारियों के जिनके त्याग पत्र मंजूर नहीं हुए पुनः नियमित सेवा में लेने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि चार वर्ष तक निगम को बिना सूचना दिये अनुपस्थित रहने के बावजूद भी किसी कर्मचारी/अधिकारी को पुनः नियमित सेवा में लिया गया ? यदि हां, तो सूची नाम व पद के सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) ऐसा कोई मामला पिछले एक वर्ष (92–93) में निगम के समक्ष नहीं आया है ।

(2) ऐसा कोई मामला निगम के समक्ष नहीं आया है ।

(3) जी हां । त्याग पत्र के स्वीकृति आदेश की प्रति कर्मचारी को प्रेषित कर दी जाती है । चूंकि वर्ष 1992–93 में निगम में ऐसा कोई मामला नहीं आया, अतः पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं है ।

(4) प्रश्न नहीं उठता ।

(5) ऐसे किसी अधिकारी/कर्मचारी को नियमित सेवा में नहीं लिया गया ।

प्राथमिक विद्यालय खेड़ी (नैनवा) का भवन

773. **श्री रामनारायण** (नैनवा) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि प्राथमिक विद्यालय खेड़ी (पंचायत समिति नैनवा) में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग कक्षावार बैठकर विद्या अध्ययन करने के लिए भवन पर्याप्त नहीं है ? यदि

(श्री रामनारायण)

हां, तो भवन निर्माण कब तक करवा दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय में विद्याध्ययन करने वाले छात्रों में अधिकतर विद्यार्थी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हैं ? यदि हां, तो क्या कमरे (भवन) निर्माण में उक्त विद्यालय को प्राथमिकता दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। प्राथमिक शाला भवन का निर्माण जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 94-95 में करवा दिया जावेगा।

(2) जी हां।

पंचायत समिति आसपुर (डूंगरपुर) की विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत राशि

774. श्री भीमराज मीणा (आसपुर) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति आसपुर में मार्च में 1992 एवं 93 स्वीकृत इन्दिरा आवास भवनों एवं जीवन-धारा कुओं का भुगतान मार्च 1992 एवं 93 में ही कर दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि एक ही माह के कम समय में पांच से आठ लाख रुपये का भुगतान किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि कार्य पूर्ण नहीं होने पर भी अनियमित भुगतान किया जा कर राशि का दुरुपयोग किया गया है ?

(4) क्या यह भी सही है कि ऐसे कुछ तथ्य जिला प्रशासन के ध्यान में आने के उपरांत भी कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

(5) क्या यह भी सही है कि रामगढ़, काठड़ी, लिलवासना और नांदली, अहाड़ा भेखरेड़, पारड़ईटीवार और कटारा क्षेत्र की सोलज आदि पंचायत क्षेत्रों में विशेष तौर से अनियमितताएँ पाई गई हैं ?

(6) क्या यह सही है कि सरकार इस प्रकार की अनियमितता के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर रही हैं ?

(7) क्या सरकार सम्पूर्ण जांच भौतिक सत्यापन के साथ कराने का विचार रखती जीवन धारा है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति आसपुर में मार्च 1992 एवं 93 में स्वीकृत 375 अधूरे इन्दिरा आवास तथा 346 अधूरे कुओं का भुगतान किया गया।

(2) जी हां। मार्च 1992 में इन्दिरा आवास एवं जीवन धारा योजना के अन्तर्गत 9,89,970 एवं मार्च 1993 में 5,17,970 राशि का भुगतान किया गया।

(3) रिकार्ड के अनुसार कार्यों पर राशि का भुगतान ग्रामीण कार्य निर्देशिका में दिये गये मापदण्ड एवं निर्धारित मात्रा तक कार्य पूर्ण करने के पश्चात् ही किया

(विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री)

गया। इस प्रकरण में जांच विचाराधीन हैं।

(4) श्री उदयलाल जैन, पूर्व प्रधान पंचायत समिति आसपुर की शिकायत पर क्षेत्रीय उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग डूंगरपुर द्वारा जांच की गयी। इसके अतिरिक्त विभागीय स्तर पर भी इस मामले की जांच करवाई गई थी, रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है। दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(5) विस्तृत जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।

(6) राज्य सरकार जांच रिपोर्ट का अध्ययन कर उचित कार्यवाही करेगी।

(7) जी हां। भौतिक सत्यापन के आदेश दे दिए गए हैं, यह कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

विधान सभा क्षेत्र घाटोल में स्वीकृत एनीकट्स

775. श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

विधान सभा क्षेत्र घाटोल में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा कितने एनीकट वर्ष 19.2-93 में स्वीकृत किये गये है ? उनमें से कितने चालू हैं व कितने बन्द है ? यदि बन्द है, तो क्यों व सरकार इनको कब तक चालू करवाकर पूर्ण करवाने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र घाटोल में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बांसवाड़ा द्वारा वर्ष 92-93 में 7 एनीकट स्वीकृत किये गये थे। उनमें से 3 एनीकट पूर्ण है। 1 एनीकट प्रगति पर है। 3 एनीकट अपूर्ण हैं। एनीकट जीवनधारा योजना के दिशा निर्देशों के विपरीत स्वीकृत किये गये थे। स्वीकृत एनीकटों का विवरण निम्न प्रकार हैं।

क्र.सं.	गांव का नाम	कार्यकारी एजेन्सी का नाम	कार्य की स्थिति
1	2	3	4
1.	घतेलापाडा	पं. स. घाटोल	अपूर्ण (लेकिन कार्य प्रगति पर है।)
2.	सांचोर	"	पूर्ण
3.	माटिया	"	"
4.	महापुरा रोड़	"	"

(विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री)

1	2	3	4
5.	भागपुरा	सिचाई विभाग	अपूर्ण (कार्य बन्द है)
6.	देवाडा	,,	,,
7.	हेनिया	,,	,,

अपूर्ण एनिकटों को अकाल राहत के अन्तर्गत पूर्ण कराने पर विचार किया जावेगा।

समाज कल्याण विभाग के राजपत्रित अधिकारी

776. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडा-भीम) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) समाज कल्याण विभाग में पूरे प्रदेश में कुल कितने राजपत्रित अधिकारी कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर मय पद एवं नाम के रखने की कृपा करें।

(2) क्या इन पदों के लिये अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूरा कर लिया गया है ? यदि हां, तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कुल कितने अधिकारी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस आरक्षण कोटे को पूरा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि पिछले 10 वर्षों से विभागीय पदोन्नत समिति की बैठक बुलाई जाकर राजपत्रित अधिकारियों को पदोन्नतियां दी गई हैं ? यदि हां, तो समिति की बैठक कब-कब बुलाई गई तथा कितने-कितने अधिकारियों को पदोन्नत किया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पदोन्नति समिति की बैठक बुलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग में पूरे प्रदेश में 107 राजपत्रित अधिकारी कार्यरत हैं। विभागीय सम्वर्ग के अधिकारियों की सूची परिशिष्ट "अ" पर तथा गैर विभागीय सम्वर्ग के अधिकारियों की सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति का आरक्षण कोटा पदोन्नति हेतु उपलब्ध पदों पर नियमानुसार पूरा कर लिया गया है। सीधी भर्ती के पदों हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति के उपरान्त ही आरक्षण कोटा पूरा हो सकेगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कुल 17 अराजपत्रित अधिकारी कार्यरत

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

है। जिनकी सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाई जाकर राजपत्रित अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है। पदवार समिति की बैठक की दिनांक एवं पदोन्नत किये गये अधिकारियों के नामों की सूची परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राजकीय छात्रावास ग्राम पण्डेर (भीलवाड़) का भवन निर्माण

777. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के पण्डेर ग्राम में लगभग 32 वर्ष से राजकीय छात्रावास चल रहा है? यदि हां, तो उसके भवन निर्माण के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार द्वारा पंचायत से छात्रावास भवन हेतु भूमि प्राप्त की गई थी? यदि हां, तो किस योजनान्तर्गत तथा अब तक भवन नहीं बनने का क्या कारण है?

उत्तर

(1) जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के पण्डेर ग्राम में विमुक्त एवं घुमन्तु जाति का राजकीय छात्रावास वर्ष 1964 से संचालित है। भवन निर्माण सरकार के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(2) पण्डेर ग्राम में राजकीय विमुक्त एवं घुमन्तु जाति के छात्रावास भवन हेतु पंचायत ने भूमि उपलब्ध करादी है। भवन निर्माण कराया जाना सरकार के पास वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

जिला भीलवाड़ा के छात्रावास भवन

778. **श्री कालूलाल गुर्जर** (माण्डल) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भीलवाड़ा जिले में कौन-कौन से छात्रावास ऐसे हैं जिसके सरकारी भवन नहीं है?

(2) उक्त छात्रावासों के लिए सरकारी भवन बनाने की सरकार की क्या योजना है और कब तक छात्रावास भवन बन जायेंगे।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में निम्नांकित छात्रावास ऐसे है जिसके लिये सरकारी भवन उपलब्ध नहीं होने से किराये के भवन में चल रहे है :—

(I) अनुसूचित जनजाति छात्रावास

1. शक्करगढ़ (जहाजपुर)
2. पारोली

(II) अनुसूचित जाति छात्रावास

1. बदनोर
2. शाहपुरा

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

3. गंगापुर
4. हुरड़ा
5. कोशीथल
6. करेढा

(III) विमुक्त एवं घुमन्तु जाति छात्रावास

1. पण्डेर
2. बागोर

(2) यह राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विधान सभा क्षेत्र माण्डल में छात्रावास

779. श्री कालुलाल गुर्जर (माण्डल) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

माण्डल विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गुरजों माण्डल, भगवानपुरा, ज्ञानगढ़ आदि में समाज कल्याण विभाग के छात्रावास कब तक खोलने का सरकार का प्रावधान है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

यह सरकार के पास वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा स्थानीय स्थिति के आंकलन पर निर्भर करेगा।

विभागीय कार्यालय टोंक का जांच प्रकरण

780. श्री जगदीश प्रसाद मीणा (उनियारा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

समाज कल्याण विभाग टोंक कार्यालय की सत्र 1992-93 तथा 1993-94 की विशेष जांच कराई गई थी? यदि हां, तो जांच में पाई गई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

जी हां। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, कार्यालय टोंक का वर्ष 1991-92 व 1992-93 का विशेष आडिट वर्ष 1993-94 में कराया गया है। आडिट रिपोर्ट के आधार पर अनियमितता करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है।

कस्तूरबा गांधी छात्रावास डूंगरपुर

781. श्री भीमराज मीणा (आसपुर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सेवा संघ डूंगरपुर द्वारा छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास, कस्तूरबा गांधी के नाम से चलाया जा रहा था?

(2) क्या यह सही है कि अब अन्य स्थान पर छात्रावास निर्माण के कारण गांधी आश्रम खाली हो गया है?

(3) क्या यह सही है कि फिर भी मुख्य व्यवस्थापक, उक्त छात्रावास के नाम राजकीय सहायता प्राप्त कर इसका दुरुपयोग कर रहे हैं?

(श्री भीमराज मीणा)

(4) क्या यह सही है कि उक्त राशि का काफी दुरुपयोग हुआ है और मुख्य व्यवस्थापक ने फर्जी लेखा-जोखा तैयार कर काफी घोटाला कर भ्रष्टाचार फैलाया है ?

(5) क्या सरकार आवश्यक जांच कर उचित कार्यवाही करेगी और भ्रष्ट कर्मचारियों को हटायेगी ?

उत्तर

(1) यह सही है कि, राजस्थान सेवा संघ डूंगरपुर द्वारा छात्राओं के लिए कस्तूर बा गांधी कन्या छात्रावास के नाम से डूंगरपुर में छात्रावास संचालित किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। गांधी आश्रम में राजस्थान सेवा संघ द्वारा नूतन बापा छात्रावास संचालित किया जा रहा है।

(3) जी नहीं। राजस्थान सेवा संघ, डूंगरपुर द्वारा संचालित निम्न छात्रावासों हेतु नियमानुसार अनुदान स्वीकृत किया जाता है :—

1. नूतन बापा छात्रावास, डूंगरपुर।
2. कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास डूंगरपुर।
3. पुर्नवास कालोनी, सागवाडा

(4) जी नहीं। उक्त छात्रावासों हेतु नियमानुसार अनुदान दिया जा रहा है एवं इससे सम्बन्धित कोई शिकायत विभाग में लम्बित नहीं है।

(5) शिकायत प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

विधान सभा क्षेत्र बामनवास के अकाल राहत कार्य

782. **श्री हीरालाल मीणा** (बामनवास) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बामनवास विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1991-92 में कौन-कौन से कार्य अकाल राहत के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये थे ? स्वीकृत कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में स्वीकृत कार्यों पर कितनी-कितनी राशि खर्च हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बामनवास विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1992 में 202 राहत कार्य स्वीकृत किये गये थे। स्वीकृत कार्यों की विभागवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(परिशिष्ट "क")

(2) राहत कार्यों पर व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(परिशिष्ट "क")

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

ग्राम पंचायत रोडू (लाडनूं) के अकाल राहत कार्यों में अनियमितताएं

783. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या अकाल राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत रोडू तहसील लाडनूं जिला-नागौर ने पूर्व में अकाल राहत के तहत पशु शिविर व चारा परिवहन में गबन घोटाला का मामला सरकार के ध्यान में आया था ? यदि हां, तो किस प्रकार से क्या-क्या गबन घोटाले किए और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गयी ? यदि हां, तो किसके द्वारा और उसका क्या नतीजा रहा ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन्हीं आरोपों के आधार पर उक्त सरपच को निलम्बित भी किया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(4) अब इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करना शेष है, तथा कब तक पूर्ण की जा सकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। विधायक श्री हरजीराम बुरड़क द्वारा पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत रोडू पंचायत समिति लाडनूं के विरुद्ध अकाल राहत के मामले में गबन कथित घोटाले की शिकायत की थी।

(2) जिला कलक्टर नागौर द्वारा उक्त सरपंच के विरुद्ध प्राप्त शिकायत उनके पत्र क्रमांक 12997 दिनांक 30.9.88 द्वारा उपखण्ड अधिकारी डीडवाना को जांच हेतु भिजवाई गयी थी, जो अभी लम्बित है।

(3) जी हां। निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक 7940-46 दिनांक 16-12-88 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत रोडू को निलम्बित किया गया था। सरपंच द्वारा निलम्बन आदेश के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लिया गया था।

(4) जांच लम्बित है।

विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया के अकालग्रस्त ग्राम

784. श्री नारायण मीणा (लसाड़िया): क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) लसाड़िया विधान सभा क्षेत्र (उदयपुर) में कितने अभावग्रस्त गांव है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा अब तक सभी अभावग्रस्त गांवों में अकाल राहत कार्य चालू कर दिये गये हैं। यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) लसाड़िया विधान सभा क्षेत्र में तहसील धरियावाद के 247 गांव तथा तहसील सलूम्बर के 112 गांव कुल 359

(अकाल राहत राज्य मंत्री)

गांव अभावग्रस्त हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(परिशिष्ट—"क")।

(2) लसाड़िया विधान सभा क्षेत्र में अब तक 32 राहत कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जो सभी चालू हो गये हैं। स्वीकृत राहत कार्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(परिशिष्ट—"ख")।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

पशु चिकित्सालय, अलवर में स्वीकृत पद

785. **श्रीमती मीना अग्रवाल** (अलवर): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा अलवर में पशु चिकित्सा पोली क्लिनिक प्रारम्भ की गई है ? यदि हां, तो इसमें किस-किस तरह के पद स्वीकृत किये गये है तथा अन्य स्थानों पर कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं ?

(2) क्या सरकार इन पदों पर विशेषज्ञ लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, बहु-उद्देश्यीय (पोलि-क्लिनिक पशु चिकित्सालय, अलवर में एवं अन्य बहु-उद्देश्यीय पशु चिकित्सालयों में श्रेणीवार स्वीकृत पदों की सूची संलग्न है।

(2) स्वीकृत विशेषज्ञों के सभी पदों पर पदस्थापित किया हुआ है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट—18 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ अजमेर के पशु चिकित्सालय

786. **श्री जगदीप धनखड़** (किशनगढ़): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में कितने पशु चिकित्सालय क्रियाशील है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त में स्वीकृत स्टाफ कितना है व वर्तमान में कितने खाली पद हैं तथा इन्हें कब तक भर दिये जायेंगे ?

(3) आगामी वर्ष में इस क्षेत्र में कहां-कहां नये पशु चिकित्सालय खोलने की सरकार की योजना है ?

(4) उक्त क्षेत्र में पशु नस्ल सुधार के क्या-क्या कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 7 पशु चिकित्सालय क्रमशः किशनगढ़, रूपनगढ़, अराई, कोठड़ी, करकेड़ी, बान्दर सिंधरी, तिलोनिया एवं एक पशु औषधालय बोराड़ा में कार्यरत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में कार्यरत पशु चिकित्सालय औषधालयों में

(पशुपालन राज्य मंत्री)

स्वीकृत स्टाफ की सूची संलग्न है। इनमें से करकेड़ी में डाक्टर का पद रिक्त है, जिसकी पूर्ति डिग्रीधारक उपलब्ध होने पर कर दी जावेगी।

(3) आगामी वर्ष में नये पशु चिकित्सालय/औषधालय खोलने का वर्तमान में कोई प्रावधान है।

(4) नस्ल सुधार के लिए देशी गौवंश विकास परियोजना अजमेर के माध्यम से गीर नस्ल के उत्तम हिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कराया जा कर, गीर गौ वंश का विकास किया जा रहा है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–19 देखें।)

प्रदेश के अवशीतन केन्द्र

787. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या डेयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में दूध को ठण्डा करने (अवशीतन) के केन्द्र कहां-कहां कब-कब से कार्य कर रहे हैं ?

(2) अवशीतन केन्द्र खोलने के क्या मानदण्ड रहे हैं ? क्या उपरोक्त केन्द्रों को खोलते समय इन मानदण्डों का ध्यान रखा गया था ?

(3) बिलाड़ा (जोधपुर) में वर्तमान में कितना दूध इकट्ठा होता है ? पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादन डेयरी समिति जोधपुर के अन्तर्गत किन-किन केन्द्रों पर कितना-कितना दूध इकट्ठा होता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या बिलाड़ा (जोधपुर) में अवशीतन केन्द्र खोलने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में अवशीतन केन्द्रों की सूचना परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) अवशीतन केन्द्र साध्यता (फिजीबिलटी) एवं तकनीकी बिन्दुओं विशेषकर भौगोलिक, दुग्ध उपलब्धता एवं स्थिति के आधार पर परियोजना प्रस्तावों (प्रोजेक्ट प्रपोजल) की स्वीकृति उपरान्त ही खोले गये हैं।

जी हां। मानदण्डों का ध्यान रखा गया था।

(3) बिलाड़ा पथ से वर्तमान में औसतन 8600 लीटर दूध प्रतिदिन एकत्रित किया जाता है। इस पथ में नौ समितियां कार्यरत है जिनमें से बिलाड़ा समिति का वर्तमान में औसतन दुग्ध संकलन 5450 लीटर प्रतिदिन है। जोधपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में निम्न अवशीतन केन्द्र कार्यरत है एवं इन पर निम्न प्रकार वर्तमान में औसतन दुग्ध संकलन है :

1. मेड़तासिटी	2280 लीटर	प्रतिदिन
2. पोकरण	2740 ,,	,,
3. नागौर	3280 ,,	,,
4. फलौदी	4600 ,,	,,
5. बालोतरा	8400 ,,	,,
6. बाडमेर	2950 ,,	,,

(डेयरी विकास राज्य मंत्री)

(4) बिलाड़ा में अवशीतन केन्द्र खोलने का कोई मामला विचाराधीन नही है। बिलाड़ा (जोधपुर) से मात्र 80 कि. मी. दूरी पर है। इसके साथ ही इसके पास ही पाली जिला शुरू हो जाता है। बिलाड़ा से पूर्व उत्तर में लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर मेड़तासिटी अवशीतन केन्द्र स्थित है। अतः बिलाड़ा का दुग्ध तीन घंटे में जोधपुर मुख्य संयंत्र पर आसानी से लाया जा सकता है। इस प्रकार यातायात व्यय एवं अन्य खर्चों को मध्यनजर रखते हुए बिलाड़ा में अवशीतन केन्द्र खोलना विचाराधीन नहीं है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 20 देखें।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री भीमसेन चौधरी एवं 6 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर द्वारा नवम्बर, 92 व मई, 93 में कुछ पदों पर नियुक्तियों हेतु आवेदन पत्र मांगे जाने तथा उनमें से कुछेक को बिना साक्षात्कार नियुक्ति दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान विधान सभा की ओर से बूंदी जिले के विद्युत उपकेन्द्र करवर द्वारा बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं किये जाने से किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से निम्न आशय की जानकारी प्राप्त हुई है :–

(1) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले के ग्राम हनोत्या के रास्ते में सिंचित क्षेत्र विकास की हनोत्या माइनर से आने वाले धोरे से कतिपय ग्रामों का आवागमन अवरूद्ध हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि चम्बल सिंचित क्षेत्र के अन्तर्गत धोरे (वाटर कोर्स अथवा खाला) कृषकों की सम्पत्ति हैं। धोरे कच्चे बने हुए हैं एवं लगभग 33 वर्षों में कृषकों द्वारा ही व्यवस्थित हैं। इसकी सफाई, टूट-फूट की मरम्मत एवं समस्त रख रखाव का कार्य सम्बन्धित लाभान्वित होने वाले कृषकों की जिम्मेदारी है एवं इन धोरों के रख रखाव की कमी के कारण अगर कोई रास्ता खराब होता है तो वह उन्हीं के द्वारा ठीक किया जाना अपेक्षित है।

(श्री रामनारायण मीणा)

हालांकि यह कार्य सम्बन्धित कृषकों द्वारा अपेक्षित है फिर भी इस रास्ते को किस प्रकार सुधारा जा सकता है इसके लिये परियोजना अधिकारियों से विस्तृत जांच कर प्रस्ताव मांग लिये गये हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा ताकि इस समस्या का निवारण हो सके।

(2) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से यातायात विभाग की अकर्मण्यता से निजी बस मालिकों द्वारा राष्ट्रीय राज मार्गो पर बसों के अवैध संचालन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि अवैध वाहनों से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को होने वाली हानि का आंकलन किया जाना सम्भव नहीं है। विभाग द्वारा नियमित रूप से ऐसे वाहनों की चैकिंग की जाती है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर कैम्प लगाकर भी इस वाहनों को चैक कर चालान करने की तथा वाहन जब्त करने की कार्यवाही की जाती है। जयपुर में भी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर नियमित रूप से चैकिंग की जाती है तथा अभी हाल ही में इस मार्ग पर विशेष चैकिंग अभियान चलाकर ऐसे वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है।

बिना परमिट वाले अथवा परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने वाले सभी प्रकार के वाहनों के अवैध चलन को रोकने हेतु विभाग हर सम्भव प्रयासरत है।

(3) श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले के गांव खेड़ली गड़ासिया के जगतावर सिंह के हत्यारों का पुलिस थाना बयाना द्वारा पता नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि इस मामले में रिपोर्ट व मुकदमा न. 381/93 दिनांक 22-9-93 के अन्तर्गत धारा 302 भा. द. स. पुलिस थाना बयाना पर पंजीबद्ध करवाकर घटना स्थल पर उपस्थित थानाधिकारी ने अनुसंधान प्रारम्भ किया। अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का व लाश का मुआयना किया गया। मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा किये गये अन्वेषण के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मण शर्मा, अध्यापक को पूछताछ हेतु बुलाये जाने पर उसके भाई रोशनलाल शर्मा ने महानिरीक्षक पुलिस, सी. आई. डी. सतर्कता शाखा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभियोग का निष्पक्ष अन्वेषण करवाया जाकर उसके परिवार की रक्षा की जाए। परिवाद के बिन्दुओं को परीक्षण करने हेतु पत्रावली पुलिस मुख्यालय मंगवायी जाकर उसका परीक्षण करवाया गया। परीक्षण से स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्त की तलाश हेतु किये गये प्रयासों को उचित मानते हुए अभियोग का अग्रिम अनुसंधान अपर पुलिस अधीक्षक जिला भरतपुर को करने हेतु निर्देशित किया है जो अभियोग का गहनता से अन्वेषण कर रहे हैं। स्कूल के स्टाफ एव गांव में आपसी पार्टीबाजी के कारण इस

(श्री हरिसिंह)

प्रकरण में सही अभियुक्त का पता लगाये जाने में विलम्ब हो रहा है, जिसके लिये स्थानीय पुलिस तत्परता से एवं सजगता से सही मुलजिमान का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

(4) श्री किशन मोटवानी, सदस्य विधान सभा की ओर से आर्य समाज शिक्षा सभा, अजमेर द्वारा पांच सुप्रसिद्ध शिक्षण संस्थाओं को बन्द किये जाने के नोटिस से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि आर्य समाज शिक्षा सभा, अजमेर द्वारा निम्नलिखित शिक्षण संस्थाऐ संचालित की जा रही है, जिनके संबंध में समिति द्वारा बन्द करने का निर्णय नहीं लिया गया है :—

1. डी. ए वी. सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय	80 प्रतिशत
2. जियालाल आर्य कन्या माध्यमिक विद्यालय	90 प्रतिशत
3. सुगनकंवर तामरा प्राथमिक विद्यालय	80 प्रतिशत
4. दयानन्द कालेज, अजमेर	90 प्रतिशत
5. केन्द्रीय कार्यालय	90 प्रतिशत

इन संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा लगभग 95.00 लाख रुपये के अनुदान का भुगतान प्रति वर्ष किया जाता है। इस प्रकार आर्य समाज शिक्षा सभा अजमेर द्वारा संचालित 10 संस्थाओं को प्रति वर्ष राज्य सरकार द्वारा 1.17 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह क्या सारा डेकोरम ही खराब कर दिया, इनको समझाइये आप। दो-दो मन्त्री घूम रहे हैं... (व्यवधान)....यह क्या हो रहा है ? ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी, आप विराजिये और आप भी विराजिये, गुलाबसिंह जी। (व्यवधान) अब आप पहले दिन टेलीविजन में दिख रहे हैं और आप ऐसे सवाल उठा रहे हैं जो लोगों को ध्यान में नहीं और आप अपनी बात कह रहे हैं।

वर्ष 1993-94 में नये अनुदान नियमों के प्रभाव में आने से अनुदानित संस्थाओं के अध्यापकों व कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता, शहरी भत्ता आदि की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। राज्य सरकार द्वारा संस्थाओं को उनके अनुदान के अनुपात में इन भत्तों पर व्यय का पुर्नभरण किया जा रहा है। इस वर्ष के आय-व्यय के आंकड़े प्राप्त होने पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ण जानकारी मिलेगी तत्पश्चात राज्य सरकार इन संस्थाओं को देय अनुदान के सम्बन्ध में उपयुक्त निर्णय लेने की स्थिति में होगी।

उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में

(श्री अध्यक्ष)

रखते हुए इन पांच संस्थाओं के अनुदान प्रतिशत को बढ़ाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

1. श्री शंकरलाल अहारी, सदस्य विधान सभा की ओर से डूंगरपुर राज्य प्रजा मण्डल के स्वतंत्रता सेनानियों को पेन्शन नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. डा. हरिसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर जिले की तहसील बस्सी के ग्राम कानोता में स्थित गांधी पार्क की जमीन कथित भू-माफिया द्वारा हथियाने तथा पार्क में लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़ने की कथित वारदात से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. श्री बद्रप्रसाद गुरूजी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सहायक अभियन्ता कार्यालय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, माण्डलगढ़ को अधिशासी अभियन्ता कार्यालय भीलवाड़ा से हटा कर अधिशासी अभियन्ता कार्यालय, शाहपुरा के अधीन करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4. श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले के इटावा कस्बे में ए. सी. एम. कोर्ट खोले जाने के सम्बन्ध में।

5. श्री बाबूलाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से आबकारी सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हेतु न्यूनतम अवसर उपलब्ध होने से अधिकारियों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

6. श्री बिष्णु मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के विभिन्न शहरों में साईकल रिक्शा चालकों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में।

7. श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में विधायकों को प्रशासन की ओर से पंचायत समितियों द्वारा वाहन (जीप) उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

8. श्री रघुवीरसिंह मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के काश्तकारों की भूमि को अमीनों द्वारा सिवायचक घोषित करवाने के सम्बन्ध में।

9. श्री भीखा भाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के दक्षिणी भाग में लिफ्ट इर्रिगेशन योजना का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

10. श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से सांगानेर पंचायत समिति के ग्राम महापुरा के पास एक ढाणी में लगी आग के

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

पीड़ितों को सहायता प्रदान करवाने के सम्बन्ध में।

11. श्रीमती मीना अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगर परिषद अलवर में चुंगी की वसूली में सुधार करने तथा परिषद में व्याप्त अव्यवस्था के सम्बन्ध में।

12. श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से सूरतगढ़ ताप बिजली घर के प्रथम चरण में बीरधवाल रेल्वे स्टेशन से नेशनल हाइवे नम्बर 15 को जोड़ने वाली 13 किलोमीटर सड़क निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

13. श्री राजेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के कतिपय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

14. श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले के मेहन्दीपुर बालाजी कस्बे में बालिका विद्यापीठ की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

15. श्री अर्जुनदास मदान, विधान सभा की ओर से हाड़ोती अंचल की लश्करी नामक पिछड़ी जाति को अनुसूचित जाति/जनजाति की अनुसूची में जुड़वाये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

शून्य काल के लिये मेरे पास आज बहुत बड़ी लिस्ट आयी है इसलिये आप कृपया कम समय लें तो मैं समझता हूं, सबका नम्बर आ जायेगा।

श्री किशन गोपाल कोगटा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक....

श्री अध्यक्ष : एक-एक बोल लें। शून्यकाल में बोल रहे हैं। आप भी बोल लेना बाद में।

श्री हरजीराम बुरड़क : मेरा तो 157 का है।

श्री अध्यक्ष : 157 का अभी नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क : एक मिनट का समय लूंगा मैं।

श्री अध्यक्ष : पहले ये सब बोल लें।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक समस्या के ऊपर दिलाना चाह रहा हूं कि पिछला बजट जो 28-2-94 को केन्द्र सरकार ने प्रस्तुत किया उसमें बूलन यार्न पर 15 प्रतिशत शुल्क व 15 प्रतिशत सरचार्ज लगाना

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

प्रस्तावित किया । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा टैक्स है जिसका असर राजस्थान में और खास कर ऊन उद्योग पर पड़ा है। ब्यावर मेरे विधान सभा क्षेत्र का हिस्सा है जहां बहुत बड़ा व्यापार ऊन का होता है। वहां जो कृषि उपज मण्डी है उसका 90 प्रतिशत भाग ऊन व्यवसायियों पर निर्भर है। यह जो सरचार्ज लगाया है वूलन पर, यार्न पर, जो हैण्ड मेड कारपेट है इसमें इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। इसका 90 प्रतिशत उत्पादन निर्यात किया जाता है और 15 प्रतिशत का जो सरचार्ज लगाया है और 15 प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगाया है इससे इस व्यवसाय पर बहुत भारी असर पड़ रहा है। अभी से ऊन के भाव वर्तमान से आधे हो गये हैं और इसका असर भेड़ पालकों पर भी पड़ेगा। भेड़ पालकों को अपनी ऊन का पर्याप्त मूल्य नहीं मिलेगा तो वे भेड़ों को नहीं पाल पाएंगे और बजाय पालने के भेड़ों को कसाईखाने में कटने के लिये भेजने को मजबूर होना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करूंगा कि वस्तुस्थिति का अवलोकन कर कर केन्द्र सरकार को अपनी राय भेजे कि यह जो उत्पादन शुल्क वूलन यार्न पर लगाया है उसको समाप्त किया जाएं जिससे यह व्यवसाय राजस्थान से समाप्त नहीं हो और भेड़ पालकों को लाभ मिले।

श्री अध्यक्ष : श्री उगमराज मेहता।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने ऊन पर 15 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी और 15 प्रतिशत सरचार्ज लगाया है इससे सारे राजस्थान में ऊन के व्यापारी आज धन्धा बन्द किये हुए बैठे हैं। सबसे बड़ी मण्डी बीकानेर और ब्यावर है। आज सारे व्यापारियों का धन्धा चौपट हो गया केन्द्र सरकार के इस टैक्स के भार के कारण। यह ऊन जो यार्न है यह ट्विस्टेड यार्न नहीं है हैण्ड यार्न है और उसके कारण सारे कारपेट में काम आता है। हैण्डलूम से कारपेट में काम आता है उसके कारण से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप केन्द्र सरकार पर दबाव डाले नहीं तो यहां का एक्सपोर्ट का धन्धा चौपट होने जा रहा है और वह बन्द हो जाएंगा। आज हम टिक नहीं सकते हैं नेपाल चीन और पाकिस्तान जो इस बाजार में लगे हुऐ हैं उनके आगे। इस एक्साइज ड्यूटी और सरचार्ज के बढ़ने के कारण हमारा धन्धा चौपट हो जाऐगा। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ब्यावर के अन्दर आज इन्टक ने एक ऐसा तमाशा खड़ा कर रखा है कि वहां पर इन्टक ने ऊन बाजार में हड़ताल करा रखी है 22 रुपये केन्द्र सरकार की दर है वह व्यापारी उनको आलरेडी दे रहे हैं फिर भी बाजार बन्द है और हड़ताल करके बैठे हुए हैं कर्मचारियों को उकसा करके इन्टक वाले जबरदस्ती। इन्टक के इन्हीं विभागों ने तीनों मिलों में अभी वहां पर हस्ताक्षर किये हैं, एग्रीमेन्ट किया है कि 22 रुपये दिये जाएं। यहां पर जबरदस्ती हड़ताल करके सारे बाजार में इस प्रकार का वातावरण बना रखा है। मैं मंत्री दयम होसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां

(श्री उगमराज मेहता)

पर प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में अग्रसर करें।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवण कुमार।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं। राजस्थान का ऊन व्यापार का सम्बन्ध है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि ऊन पर 15 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी लगी है और उसके कारण से भेड़पालकों को भारी नुकसान हुआ है और रॉ ऊन के आधार पर जो उद्योग चल रहे हैं उनके सामने भी एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गयी है। कारपेट इण्डस्ट्रीज यदि इसी प्रकार की एक्साइज ड्यूटी रही तो निश्चित रूप से इससे प्रभावित होगी। मैं माननीय सदस्यों को इतना ही कह सकता हूं कि भारत सरकार को इसके सम्बन्ध में पत्र भी लिखूंगा और चर्चा भी करूंगा और कोशिश यह करूंगा कि एक्साइज ड्यूटी हट जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवण कुमार।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को धन्दवाद देना चाहता हूं। 1980-81 में एक योजना शिक्षित बेरोजगारों को स्वावलम्बी बनाने हेतु पारित की गयी थी। उसके बाद सभी यन्त्रों के मूल्य बढ़ गये और आज 1994 में भी शिक्षित बेरोजगारों को 25 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की जाती है। और उस 25 हजार रुपये स्वीकृत करने के बाद भी बैंकों से उन को केवल 10-12 हजार रुपये ही मिल पाते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि इस राशि को 25 हजार से बढ़ा कर 50 हजार किया जाए जिससे शिक्षित बेरोजगार कोई धन्धा करें। वह उसमें मशीनें खरीद सकता है, कच्चा माल खरीद सकता है और अपना धन्धा चला सकता है। 25 हजार रुपये स्वीकृत करने पर उनको 12 हजार रुपये दिये जाते हैं उसमें न तो वह अपना धन्धा कर सकता है और न वह नौकरी कर सकता है। भारत सरकार ने आज तक उसकी कोई योजना नहीं बदली है, 25 हजार रुपये ही है। भारत सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति के विकास के लिये भी नियमों को बदला है जैसा कि समाज कल्याण विभाग में पहले 10 रुपये दिये जाते थे अब वहां 20 रुपये दिये जाते हैं, उसी तरह शिक्षित बेरोजगारों को मात्र 50 हजार रुपये कर दिये जाए तो उनका धन्धा अच्छी तरह से चलेगा और वह स्वावलम्बी बन पाएंगे।

एक ओर मैं अवगत कराना चाहता हूं कि पिछड़े वर्गों की रोस्टर प्रणाली निर्धारित की गयी थी किन्तु आज तक न तो रोस्टर प्रणाली लागू की गई है और मण्डल आयोग की जो योजना एवं सिफारिश की गयी थी न उसका अभी तक कोई चिन्तन किया गया है। उसमें देरी है तो क्यों की जा रही है? उसको जल्दी से जल्दी लागू करवाया जाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढा) : मैं निवेदन करना चाहूंगा झुन्झुनूं जिले में उदयपुरवाटी तहसील है। जिसकी आबादी करीब चार लाख है। आधा क्षेत्र पहाड़ी है और दूर-दूर गांव बसे हुए हैं। तहसील मुख्यालय उदयपुरवाटी कस्बे में है जो पूरी तहसील के आखरी में है। मैं राजस्व मंत्री जी का, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि लोगों को बड़ी दुविधा हो रही है आने जाने में। इस क्षेत्र में एक गुढ़ा कस्बा है जिसकी आबादी 10-12 हजार के आस-पास है, इस गुढ़ा में सब तहसील कायम की जाए। सरकार ध्यान दे और जल्दी से जल्दी सब तहसील कायम की जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके और आने-जाने वाले लोगों को सहूलियत हो। इस गुढ़ा के आस-पास बहुत घना आबादी का क्षेत्र है, सड़कों के साधन हैं, अतः गुढ़ा में सब तहसील कायम की जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : भारत सरकार ने 8 महीने पहले उदयपुर शिक्षण अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर को चार लाख 40 हजार रुपये प्रति जिले में शिक्षा के उपकरण और बुक खरीदने के लिये दिये। उसके बावजूद भी इस आखरी महिने में 40 हजार रुपये के चैक दिये गये बिना टेण्डर्स के। टेण्डर्स लोकल पेपर्स में भी दिये जा रहे हैं और लोकल पेपर्स में तब प्रकाशित हो रहे हैं जबकि टेण्डर्स की डेट निकल गयी। जिस तरह से आपाधापी की जा रही है उस पैसे का दुरुपयोग करने, उससे सही यन्त्र नहीं खरीदने, सही ढंग से किताबें नहीं खरीदने और गलत बिल बना कर उस पैसे को हजम करने की बात हो रही है, मेरा जहां तक ख्याल है। यदि सरकार इसके सम्बन्ध में ध्यान दे तो उस भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। इस समय रोकने की स्थिति में है। अतः मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भारत सरकार ने पैसा दिया है आप तो बराबर भारत सरकार का नाम लेते हो, अब उसने दे दिया तो उसका दुरुपयोग हो ही रहा है, आप थोड़ा ध्यान दें ताकि उस पैसे का दुरुपयोग रोका जा सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन चौधरी।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, सिंचित घड़साना के एक क्षेत्र के एक्स. ईएन. ने वहां 3.94 को काश्तकारों को एक नोटिस निकालकर काश्तकारों की बारी के सम्बन्ध में जो नये नियम बनाये हैं उनसे काश्तकारों में बेचैनी है। पहले ही काश्तकारों की बारी बांधते थे वह दो साल के लिए रहती थी अब वह दो साल की अवधि को बढ़ा कर दो की बजाय छह साल कर दी तो इससे किसानों में काफी असन्तोष है। इसको ठीक किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं जहां किसान की फसल को बरबाद करने के लिये, जब पूरी फसल छह महीने में पक कर तैयार हो गयी है तो इस मार्च महीने में बकाया के नाम पर सरकार बिजली के कनेक्शन काट रही

(श्री अमराराम)

है। जबकि आज तक यह व्यवस्था होती रही है कि फसल पकने पर मार्च और अप्रेल के महीने में किसी भी बकाया के नाम पर सरकार बिजली के कनेक्शन नहीं काटती। लेकिन इस बार भयंकर अकाल पूरे राजस्थान में है और मैं समझता हूं कि अनाज के रूप में और चारे रूप में जो किसान पैदा कर रहा है उसका कनेक्शन काट कर के उस किसान के साथ और राजस्थान की सम्पूर्ण जनता के साथ अन्याय किया गया। जब 15 तारीख को यहां प्रदर्शन हो रहा और प्रतिनिधि मण्डल मुख्य मन्त्रीजी से मिला था तो मुख्य मन्त्रीजी ने यह आश्वस्त किया था कि पहले भी सरकार ने यह आश्वासन दिया है और कनेक्शन नहीं काटे हैं फसल पकने पर, तो आपकी फसल पकने तक और कटने तक किसी भी किसान का बकाया के नाम पर कनेक्शन नहीं काटेंगे। लेकिन आज भी पूरे के पूरे राजस्थान में बिजली बोड एक ही काम में लगा हुआ है और जिस भी किसान का एक हजार रुपया भी बकाया है तो उसका कनेक्शन काटा जा रहा है। मैं तो आपके माध्यम से यह अनुरोध करूंगा कि तमाम राजस्थान में डेढ़ महीने के लिये जब तक पकी हुई फसल नहीं कटे तब तक किसी भी किसान का बकाया के नाम पर कनेक्शन नहीं काटा जाऐं। राजस्थान के इस अकाल में उस किसान का सहयोग रहेगा इसलिये यही आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री किशन मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, आज से चार दिन पूर्व मैंने ध्यान आकर्षित किया था कि अजमेर में ऐतिहासिक घटना घटने जा रही है, उसकी पुनरावृत्ति मेरी यह मान्यता है कि बी. जे. पी. की सरकार अजमेर निवासियों को दे रही है। पूर्व में 48 घण्टे पानी मिलता था, फिर 72 घण्टे हुआ, फिर 96 घण्टे हुआ और अब 100 घण्टे में अजमेर की जनता को पेयजल मिल रहा है। मैं आपके आदेश से आज का यह पत्र सदन में रखता हूं ताकि माननीय मंत्री जी इसको पढ़ें, स्वयं इसका अवलोकन करें और इसका निदान निकालें। मैं सोनगराजी से भी निवेदन करूंगा, इसमें आपके लिये भी लिखा है कि बी.जे.पी. के दो-दो मंत्री हैं अजमेर जिले से फिर भी इस तरह की व्यवस्था वहां घटित हो रही है। मैं आप से यह निवेदन करूंगा कि शहर में पहले 48 घण्टे से पानी दिया जाता था, यद्यपि यह भी ज्यादा ही था परन्तु यहां के वाशिन्दों ने इसे ही किस्मत समझ कर आदत बना लिया था। वह दो दिन का अन्तराल भी हर दिन शहर के किसी कोने में तीन दिन के लिये बढ़ जाया करता था। कोई दो महीने पहले ब्यावर में अतिरिक्त पानी देने के कारण पेयजल सप्लाई 72 घण्टे होने लगी तब जलदाय विभाग ने कहा था कि सप्ताह भर में वह वापस 48 घण्टे कर दी जाएगी परन्तु विभाग के लिए वह सप्ताह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी भीषण अकाल का दौर आना है परन्तु जल किल्लत की स्थिति मार्च में ही मई-जून के जैसी हो गयी है। सिर्फ पांच महीने हुए हैं जब राज्य विधान सभा चुनाव के दौरान आप को और हम को भी कोसा गया था। आपके जो बी. जे. पी. के विधायक हैं उनको तो

(श्री किशन मोटवानी)

कोसा गया, हमें भी कोसा गया है इसलिये हमारी भी दिक्कत यही है और इसीलिये मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि अजमेर की इस घटना को आप सीरियसली लें और उसका निदान तुरन्त निकालें। आज ही कुछ बात आप कर लें तो मैं समझता हूं कि अजमेर की जनता को कुछ आश्वासन मिल जाए, माननीय मन्त्रीजी।

श्री भंवर लाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह समस्या आप ध्यान में लाये हैं, मैंने अभी माननीय मंत्रीजी से सलाह की है और अभी मैं आप से भी बात करना चाहूंगा। थोड़ी देर बाद मैं अधिकारियों से बात कर के क्या समाधान हो सकता है, इसका निश्चित प्रयत्न करूंगा।

श्री किशन मोटवानी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को आगे दो बिन्दुओं पर बढ़ाना चाहता हूं कि केरोसीन ऑयल की दिक्कत भी इसका एक द्योतक है, अजमेर की जनता को वापस इसके लिये एजिटेशन करना पड़ेगा। कल व्यवस्था दी गयी, 10 लीटर में से पांच लीटर दे दिया और ढाई सौ किलो लीटर अजमेर की घासलेट की कटौती कर के मंत्री महोदय हनुमानगढ़ ले गये। सोनगराजी, मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेर शहर में अब कालाबाजारी बहुत ही भयंकर रूप से बढ़ रही है। कल जवाब आया कालाबाजारी नहीं है, आप यह कृत्रिम अभाव बना कर के जो कालाबाजारी करा रहे हैं इसको रोकिये।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीप धनखड़।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय....

एक माननीय सदस्य : ऊपर भी देख लो।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : आज तो देखना बहुत जरूरी है क्योंकि जैसा मुद्दा उठा रहा हूं उसमें मुझे चेयर का प्रोटेक्शन भी चाहिये और उन लोगों का भी प्रोटेक्शन चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, रविवार को मैं किशनगढ़ गया, दो कार्यक्रम थे एक स्वतन्त्रता सेनानियों का और एक आयुर्वेद सम्मेलन था। अनेक कार्यकर्त्ताओं ने मुझे कहा कि धनखड़जी, समाचार पत्रों में, दूरदर्शन पर, रेडियो पर जगदीप की जगह जगदीश का नाम लिखा जाता है। मान्यवर मैंने स्वयं भी देखा है अनेक समाचार पत्रों में जब बारबार जगदीश और ब्रेकिट में किशनगढ़ लिखा जाता है तो मन को भारी पीड़ा होती है।

श्री अध्यक्ष : इसीलिये कि आप के पूर्ववर्ती जगदीश थे। वे जगदीश थे न?

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्षजी, भारतीय संस्कृति में नामकरण का विशेष स्थान है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, वे जगजीत थे। ये जगदीप हैं। ये जगत में दीप करते हैं वे जगत को जीत रहे थे इसलिये दोनों को बढ़ाकर, जगदीश कर दिया। बढ़िया किया।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय संस्कृति में नामकरण का

(श्री जगदीप धनखड़)

विशेष स्थान है, माता-पिता, परिजन, विद्वान पंडित सब मिलकर यह कार्य करते हैं और उन्होंने जो विवेकपूर्ण निर्णय किया उसको मैं मानता हूं कि जो भी ऊपर बन्धु हैं उसको बिल्कुल चुनौती नहीं देते हैं पर पता नहीं किन कारणों से इस प्रकार की ज्यादती लगातार मेरे पर हो रही है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जहां तक आपका रिकार्ड है वह ठीक है पर लगातार समाचार पत्रों में, रेडियो पर दूरदर्शन पर नाम न आये तो भी पीड़ा होती है और गलत नाम आये तो ज्यादा पीड़ा होती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि....

श्री अध्यक्ष : यह आपकी च्वाइस है कि जगत के दीया रहना चाहते हैं कि जगत के ईश्वर बनना चाहते हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष जी, यह मेरे माता-पिता की च्वाइस थी, परिजनों की च्वाइस थी, विद्वान पंडितों की थी इसमें मेरा तो कोई लेना-देना ही नहीं है, मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आसन से इस प्रकार की व्यवस्था करें कि भविष्य में मेरा नाम जगदीप ही पुकारें।

श्री अध्यक्ष : निश्चित आपका नाम जगदीप ही पुकारा जाएगा। श्री बद्री प्रसाद गुरुजी।

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़) **:** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से तकनीकी शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र और राजस्थान में कई जगह एक महीने से आई. टी. आई. के छात्र हड़ताल पर हैं, उनकी पढ़ाई भी खराब हो रही है और अपनी मांगों को लेकर वे हड़ताल कर रहे हैं। राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को केन्द्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के समकक्ष मान्यता के सवाल पर वे लोग हड़ताल कर रहे हैं। उनको नौकरी में उनके बराबर हिस्सेदारी नहीं मिलती है, राजस्थान में बराबर हिस्सेदारी नहीं मिलती है इसके कारण से वे हड़ताल कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि इस पर गम्भीरता से विचार करें और जो छात्र अपने भविष्य को ले कर लड़ रहे हैं, भविष्य के बारे में चिन्तित हैं उनकी ओर ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) **:** माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला सवाई माधोपुर में पहले ही भयंकर अकाल था, पचास प्रतिशत फसल तो उस समय ही नष्ट हो गयी थी बाकी की फसल के साथ बहुत-बड़ा अन्याय हो रहा है। किस प्रकार से किसान अपनी फसल को बोता है और कितनी मेहनत करता है। जिस प्रकार से माता अपने बच्चे को पालती है, गर्भ में रखती है, पोषण करती है और फिर जब बड़ा हो जाता है तब सोचती है मुझे कुछ निहाल करेगा, आज वही हालत किसान के साथ हुई। किसान ने अपनी फसल तैयार कर ली। बड़ी मुश्किल से मेहनत करके, बिजली के संकटों को झेलते हुए, प्राकृतिक प्रकोपों को झेलते हुए। आखिर में जाकर एक बहुत बड़ा हादसा उसके साथ हुआ है। जिला सवाई माधोपुर में एक बहुत बड़ा तूफान

(श्री रामस्वरूप मीणा)

आया, तूफान के कारण ओलावृष्टि भी हुई और सारी फसल जो एक गयी थी वह बिल्कुल खेतों में बिछावनी हो गयी है। दाने टूटकर नीचे गिर गये हैं, जो कुछ बचा था किसान के पास वह नष्ट हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिला सवाई माधोपुर में टोडा-भीम, नादौती, गंगापुर, हिण्डौन, बामनवास और हमारे यहां जो भी दूसरी तहसीलें हैं उन सब में इस प्रकार का नुकसान हुआ है। इसके बारे में आज ही एक ही न्यूज भी निकली है उसमें साफ लिखा हुआ है कि जिला सवाई माधोपुर में कुछ तहसीलों की फसलें बिल्कुल चौपट हो चुकी हैं। इसीलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से किसानों की इस भयंकर समस्या का जो एक बहुत बड़ा कारण बन गया है इसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उनको मुआवजा दिलाया जाए जिससे किसानों को कुछ लाभ मिल सके।

श्री अध्यक्ष : श्री जितेन्द्र नीनामा।

श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि घाटोल विधान सभा क्षेत्र में एक महीने पहले जवाहर रोजगार योजना के तहत पंचायत हैडक्वार्टर को रोड से जोड़ने के काम पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा चालू किये गये थे लेकिन अचानक 18 तारीख को सभी रोड के काम बन्द कर दिये गये जिससे वहां के मजदूरों को काफी तकलीफ हो रही है। काफी है, अकाल के कारण मजदूर भटक रहे हैं और एकदम 18 तारीख को काम बन्द होने से वहां जनता में चिन्ता व्याप्त है। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि काफी पैसा खर्च हो गया है, टेण्डर भी हो गये हैं लेकिन अचानक सभी रोड बन्द कर दिये गये। इसका क्या कारण है, मंत्री जी मुझे बताने की कृपा करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे जवाहर रोजगार योजना में कोई टेण्डर नहीं होते इसलिये सूचना मुझे समझ में नहीं आयी है। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य मुझे लिखित में वह बात दे दें क्योंकि जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, ये रोजगार योजनाएं हैं इनमें कान्ट्रेक्ट कहीं बीच में नहीं आता। कान्ट्रेक्ट वाली बात होगी तो किसी और बात में होगी (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र नीनामा : माननीय मंत्री महोदय, उसमें मेटीरियल डालने का टेण्डर हुआ है, खाली मेटीरियल का।

श्री अध्यक्ष : श्री राकेश मेघवाल।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मकराना के औद्योगिक क्षेत्र विध्यांद में रोड बनाने के बाबत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं। मकराना विश्व विख्यात औद्योगिक क्षेत्र है जहां से सरकार को रायल्टी और सेल्स टैक्स की करोड़ों

(श्री राकेश मेघवाल)

रुपये की वार्षिक आमदनी होती है परन्तु वहां आवागमन की सड़कों की बड़ी दुर्दशा है, जगह-जगह खड्डे हैं तथा बरसात में तो आवागमन इतना अधिक अवरुद्ध हो जाता है कि कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। इसी का औद्योगिक क्षेत्र विध्याद है जहां से रोड सीधी परबतसर के लिये बनायी गयी है परन्तु यह सिंगल रोड है जब कि मकराना से परबतसर होकर अजमेर, अहमदाबाद, काण्डला बन्दरगाह को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला यह मार्ग है। इस मार्ग पर चैक पोस्ट व धर्म कांटा भी स्थापित होने वाला है जिससे अधिकांश माल इधर से उधर जायेगा। इस प्रकार इस मार्ग पर मौजूदा वक्त में काफी ट्रैफिक है और इससे भी अधिक ट्रैफिक बढ़ने की सम्भावना है। मकराना औद्योगिक क्षेत्र विध्याद की 50 प्रतिशत आबादी इस क्षेत्र में बसी हुई है तथा मकराना में बढ़ रहे भयंकर प्रदूषण के कारण परबतसर की ओर लोग अपना रहवास बना रहे हैं जिससे आवागमन बढ़ रहा है तथा और बढ़ने की सम्भावना है। मकराना के वर्तमान रास्तों पर जाम लग जाता है, दो-दो घन्टे तक आवागमन अवरूद्ध हो जाता है जिस से दूर के कौने-कोने से आने वाले व्यापारी तथा मजदूरों को भारी परेशानी होती है। इस सारी समस्या के समाधान हेतु विध्याद मकराना, परबतसर रोड पर्याप्त चौड़ाई होकर डबल बना दी जाए व मकराना से इस पूरे मार्ग पर अच्छा डामरीकरण हो जाता है तो मकराना-परबतसर की बाई पास यह रोड हो जायेगी। इसे स्टेट हाईवे की परिधि में माना जाकर शीघ्र सुधार कर लिया जाये। इस रास्ते से करीब 20 किलोमीटर की दूरी भी कम होती है अतः जनहित को मद्देनजर रखते हुए इस बाई पास रोड को प्राथमिकता के आधार पर बनवाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिये मैं बार-बार आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजी राम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक ऐसे विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें सारे सदन के विशेषाधिकारों का हनन हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट में यह व्यवस्था है, इसकी धारा 61 आप देखें।

"Annual financial statement.

In February of each year the Board shall submit the State Government a statement in the prescribed form of the estimated capital and revenue receipt and the expenditure of the ensuing year. इसी में आगे 3 में लिखा है : The State Governmnet shall, as soon may be, after the receipt of the said statement, lay on the table of the House of the State Legislature, as the case may be, and the said statement shall be opened to discussion thereon but shall not be subject to vote.

(श्री हरजीराम बुरडक)

इसके आगे यह भी लिखा है : The Board shall take into consideration... may commence the State Legislature." तो अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि राज्य सरकार ने न तो यह स्टेटमेंट पेश किया और न कोई इसको बेस के लिये ओपन किया। इसमें यह कम्पलसरी है। जैसे दूसरी रिपोर्ट पेश करनी हैं या नहीं करनी हैं स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी है, वैसा इसमें नहीं है। इसमें हर फरवरी में यह स्टेटमेंट तैयार होकर पेश होना चाहिये, उस पर विधान सभा में विचार होना चाहिये। दूसरा, इसमें यह भी लिखा है कि विधान सभा में विचार हो और सदस्यों के जो सुझाव हों उन पर बोर्ड को कन्सिडरेशन करना भी जरूरी है। जब यहां विचार ही नहीं होगा तो कन्सिडरेशन कैसे होगा ? दूसरा, इसी एक्ट के सैक्शन 69 में एकाउण्ट एण्ड आडिट, यह भी इसी हाउस में पेश होना चाहिये। इस पर भी सब-सैक्शन 5 है– "The State Government shall close the account of the Board together with the audit report thereon forwarded under sub–section 4 of the...."

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात मेंशन करिए। यह तो ठीक है, आप अपनी क्या कह रहे हैं यह बताइये।

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं यह कह रहा हूं कि स्टेट गवर्नमेंट को पेश करना चाहिये, पेश नहीं किया है। इस प्रकार से ये तीन सैक्शन हैं अलग अलग।

श्री अध्यक्ष : हां, ठीक है।

श्री हरजीराम बुरड़क : और तीन तरह की ये रिपोर्ट हैं, तो पेश करके हाउस में डिस्कशन करना चाहिये। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यह हाउस के अधिकारों का हनन है। इसमें हाउस में विचार किया जाए या इसको आप कमेटी को रैफर करें।

श्री अध्यक्ष : आपने नोटिस दिया है न।

श्री हरजीराम बुरड़क : हां, दिया है।

श्री अध्यक्ष : बस, मैं एग्जामिन कर रहा हूं।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, एग्जामिन इसमें क्या लम्बा-चौड़ा है ? यह तो सीधे आप दिखवा लें।

श्री अध्यक्ष : डिसीजन दे दूं अभी ?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह तो महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष : इसीलिये कह रहा हूं कि इसको मैं एग्जामिन कर रहा हूं। आप कहें तो डिसीजन दे दूं।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, इसमें तो आप डिसीजन दें।

श्री अध्यक्ष : हां, तो डिसीजन मैं कायदे से दूंगा। मैं कोई अपने ही दिमाग से नहीं दूंगा। जो पहले डिसीजन हुए हैं उन्हीं का हवाला देकर दूंगा, ऐसे थोड़े ही दूंगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : पहले तो हाथों हाथ ही हुआ है, यहां पर ही हाउस में हुआ है।

श्री अध्यक्ष : हां, ठीक है। इतनी जल्दी क्यों डिसीजन ले रहे हैं तो आप? आपने कर दिया मेंशन, ठीक है।

श्री शंकरलाल अहारी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

डूंगरपुर राज्य प्रजा मण्डल के समय से चले आ रहे स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जिला डूंगरपुर में डूंगरपुर राज्य प्रजा मण्डल के समय से चले आ रहे स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

(12.40)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

डूंगरपुर राज्य प्रजा मण्डल के समय में समय-समय पर डूंगरपुर राज्य की एकतन्त्रीय सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को डूंगरपुर महारावल साहब की सरकार द्वारा पाश्विकता एवं दमन के द्वारा मारा गया, पीटा गया तथा बन्दूकों की गोलियों से भून दिया गया था जेल के सीखंचों में बन्द कर दिया गया। असत्य मुकदमे बनाकर जेल यातनाएं दी गयीं। कार्यकर्ताओं को पीने के लिये पानी मांगने पर पेशाब दिया गया। रास्ता काण्ड में नानाभाई खाट तथा अन्य लोगों को मोटरगाड़ी के पीछे बांध कर घसीटा गया। बीरबाला, कालीबाई तथा अन्य पांच महिलाओं को गोलियों से भूना गया। पाल झीथरी के 40 भीलों को पूनाबाड़ा में गिरफ्तार कर बुरी तरह से मारा गया जिससे उनके अंग आज तक दर्द करते हैं। वे घरू कृषि कार्य करने में भी असमर्थ हो गये। उनमें कितने तो मर गये हैं। मरने वालों की बेवाएं आज भी अपने बाल-बच्चों के भरण-पोषण तथा शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था में असमर्थ तथा असहाय होकर कराह रही हैं। ऐसे पीड़ित और असमर्थ कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य सरकार द्वारा घोषित पेंशन दिये जाने के नियमों के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र लम्बे समय से प्रेषित किये गये हैं। उन्हें हाल तक पेंशन उपलब्ध नहीं हो रही हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करता हूं कि डूंगरपुर जिले के स्वतन्त्रता सेनानियों को नियमानुसार पेंशन दिलाकर लाभान्वित कराएं। स्टेट की करकार द्वारा इस प्रकार दमन, उत्पीड़न मारपीट आदि की दमनात्मक पत्रावलियों को उत्तरदायी शासन के पूर्व ही तलब कर जला दिये जाने से जेल प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं हो रहे हैं।

राजस्थान राज्य स्वतन्त्रता सेनानी नियम, 1956 के अनुसार पेंशन प्राप्त करने हेतु निम्न कार्यकर्ताओं ने डूंगरपुर जिले से प्रार्थना-पत्र प्रेषित किये हैं :—

1. श्री रागजी पुत्र लेम्बाजी
2. श्री मावजी पिता पेमाजी
3. श्री कालिया पिता पेमाजी
4. श्री लालू पिता श्री धीराजी
5. श्री धर्मदत्त पुत्र श्री मावजी

श्री शंकरलाल अहारी)

6. श्री बागा पिता होमाजी
7. श्री रूपा पिता हलीमाजी
8. श्री नाना पिता कानजी
9. श्री रामजी पिता नीमनाजी
10. श्रीमती लाली बेवा धीताजी
11. श्रीमती बाली बेवा दलजी
12. श्रीमती रतनबाई बेवा मानाजी
13. श्रीमती मंगलीबाई बेवा मनजी
14. श्रीमती खातरीबाई बेवा बकसी
15. श्रीमती मलालबाई बेवा श्री नाथाजी
16. श्रीमती बजीबाई बेवा बीरजी
17. श्रीमती लालीबाई बेवा बीरजी
18. श्रीमती नातीबाई बेवा मामताजी
19. श्रीमती जमनाबाई बेवा वकसीजी
20. श्रीमती मंगलीबाई बेवा मनजी
21. श्री बुद्धदेव पिता सातराजी
22. श्री गंगाराम पिता हूरजी
23. श्री राधाकृष्ण पुत्र देवाजी
24. श्री गोपालकृष्ण पिता थावरा
25. श्री मगनलाल पिता मानाजी
26. श्री लालू पिता लछाजी
27. श्री हुकरा पिता कचराजी
28. श्री सुखदेव
29. श्री मोजराज पुत्र श्री सेवारामजी
30. श्री भगवान पुत्र शुलाजी
31. श्री जयकृष्ण पुत्र हुकाजी
32. श्री जीवराज पुत्र बवसाजी
33. श्री दिनेशचन्द्र पुत्र कनजी
34. श्री प्रतापभाई
35. श्री गणेशलाल
36. श्री कालूरामजी शर्मा
37. श्री किशनलालजी गर्ग
38. श्री कल्याणसिंह पुत्र चन्दनसिंहजी
39. श्री गोमतीशंकर पण्ड्या
40. श्री कुरीचन्द पिता चुन्नीलालजी
41. श्री प्रेमचन्द पुत्र सबजी रोल
42. श्री सोमदत्त पुत्र मावजी
43. श्री केवा पुत्र कुरियाजी
44. श्री रतनलाल पुत्र सोमाजी
45. श्री नन्दकिशोर पिता माणाजी धोबी।

धन्यवाद।

श्री सभापति : डॉ. हरिसिंह जी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : आपने 295 शुरू कर दिया क्या ?

श्री सभापति : जी हां।

श्री विष्णु मोदी : मेरा जीरो आॅवर के अंदर, माननीय अध्यक्ष जी को मैंने निवेदन किया था कि कल श्री पालखीवाला साहब यहां जयपुर में पधारे थे....

श्री सभापति : आये होंगे।

श्री विष्णु मोदी : आये हुए होंगे और मैंने अभी....

श्री सभापति : यहां जयपुर में बहुत लोग आते हैं, माननीय सदस्य, मैं नहीं उठाने दूंगा।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, नहीं, क्या नहीं उठाने देंगे ?

श्री सभापति : जयपुर में बहुत से लोग आते हैं।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, नहीं, एक बार सुनिये साहब, जो मैं बात कह रहा हूं।

श्री सभापति : मैं नहीं सुन रहा हूं।

श्री विष्णु मोदी : आप मुझे पूरी बात कहने दीजिये।

श्री सभापति : आप बिराजिये : नहीं सुनूंगा मैं।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, नहीं. कैसे नहीं सुनेंगे।

श्री सभापति : बिराजें आप।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, नहीं, आप मेरी बात सुनिये।

श्री सभापति : कोई पाइण्ट ऑफ आर्डर नहीं है। मैं नहीं सुनूंगा। आप बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सदन की मर्यादा का सवाल है।

श्री सभापति : अंकित नहीं होगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ×××

श्री विष्णु मोदी : ×××

श्री सभापति : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ×××

श्री विष्णु मोदी : ×××

श्री राधेश्याम : ×××

श्री सभापति : डॉ. हरिसिंह जी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ×××

श्री सभापति : डॉ. हरिसिंह जी के अलावा कोई और नहीं बोलेगा। आप बिराजें तो मैं बताऊं।

श्री विष्णु मोदी : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री विष्णु मोदी : ×××

श्री सभापति : अलाऊ नहीं है पढ़ना यहां पर। नहीं पढ़ेंगे और न ही लिखेंगे।

श्री विष्णु मोदी : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें। आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री विष्णु मोदी : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें, विष्णु जी।

श्री विष्णु मोदी : ×××

श्री सभापति : अंकित नहीं होगा। सदन की ऐसे कार्यवाही नहीं चलेगी।

श्री विष्णु मोदी : ×××

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें। आसन पैरों पर हैं। पहले आप बिराजें। माननीय सदस्य, कोई भी प्रश्न आप उठाएं उसकी कार्यविधि तय है।

××× अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री समापति)

अगर किसी के विशेषाधिकार का हनन हुआ है तो अपने नियमों में प्रावधान है कि सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से एक घण्टे पहले इसका नोटिस देंगे और प्रश्न काल समाप्त होने के तुरन्त पश्चात वह माननीय सदस्य खड़े होंगे और खड़े होकर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से वह प्रश्न उठाएंगे। आपने इन दोनों प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया इसलिये मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। यदि आपको इस संबंध में प्रश्न उठाना है तो आप प्रक्रिया के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय को लिखित में नोटिस दें और उसके बाद प्रश्न उठाएं। मैं आपको डिसअलाउ करता हूं। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। इस मामले में। अब डाक्टर हरिसिंह को बुला रहा हूं।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री समापति : अब आप इसका उल्लंघन नहीं करें, माननीय सदस्य। आप बिराज जाएं।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री सभापति : नहीं दे रहे हैं तो मैं नहीं सुन रहा हूं।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री समापति : नहीं होगा अंकित, कोई अंकित नहीं होगा। विष्णुजी ने जो कुछ कहा है सब निकाल दीजिये।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री समापति : आप बिराज जाएं। यह तय नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री सभापति : यह यहां तय नहीं होगा।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री सभापति : यह तय भी नहीं होगा और आपको अलाउ भी नहीं करता हूं इस प्रकार से।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री सभापति : सदन के काम में इस प्रकार से बाधा डालेंगे, मैं अलाउ नहीं करूंगा आपको।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप सदन में जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं....

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर....

श्री समापति : व्यवस्था का प्रश्न, श्री महावीरजी।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, मेरा पाइण्ट ऑफ आर्डर यह है कि....

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री महावीर प्रसाद जैन : सदन में प्रिविलेज मोशन भी मूव होता है और सदन के माननीय सदस्य सदन के ऊपर कोई इस प्रकार का और कोई आरोप लगाएं, ये सब बातें हैं। लेकिन यह प्रिविलेज मोशन ऐसी परिस्थितियों में लाया जाता है और चर्चा की जाती है जब कोई व्यक्ति कोई इस प्रकार का विद्वान व्यक्ति हमारे ऊपर किसी प्रकार के रिमार्क्स लेता है या कोई इस प्रकार की हमारे कण्डक्ट के बारे में चर्चा करता है। निश्चित रूप से अपने आचरण के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा भी करते हैं कि आज हमारा आचरण गिरता जा रहा है, सदन की गरिमा कम होती जा रही है, हम केवल प्रिविलेज के माध्यम से सारे देश को, सारे राजस्थान की जनता को क्या बताना चाहते हैं ...

श्री सभापति : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, इसको चर्चा का विषय नहीं बनाओ, बिराजो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह इस प्रकार का गंभीर विषय है। मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि वास्तव में यदि कहीं कोई गरिमा हमारे व्यवहार से हो रही है तो उस पर चिन्ता करनी चाहिये बजाए इसके कि हम छोटे-छोटे मामलों में और एक पालखी वाला....

श्री सभापति : चर्चा का विषय नहीं है, बिराजें।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री सभापति : आसन पैरों पर है आप बिराजिये।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री सभापति : मैं आपको किस नियम में अलाउ करूं ? आप चाह रहे हैं, आप उनको रेनसम रखना चाहते हैं। आप बिराजिये।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री सभापति : आप बिराजिये, माननीय सदस्य। श्री विष्णुजी मोदी, आप बिराजिये। आपका एक भी वाक्य अंकित नहीं होगा। इनका एक भी शब्द अंकित नहीं होगा और ये सदन का समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री सभापति : कोई अंकित नहीं हो रहा है। आप सदन का समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री सभापति : मैं कोग्निजेंस नहीं ले रहा हूं। यह कोई भाषण नहीं हो रहा है।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किये गये।

(श्री सभापति)

ये सदन को रेनसम रखना चाहते हैं। डाक्टर हरिसिंह जी, बोलिये, आपका लिखा हुआ है।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री सभापति : डाक्टर हरिसिंह जी का भाषण आपके पास है, वे बोल रहे हैं। आप लिखिये....(व्यवधान) श्री विष्णु जी मोदी का एक भी शब्द अंकित न हो।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री सभापति : मैं आपकी तरफ देख ही नहीं रहा हूं।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री सभापति : मैंने डाक्टर हरिसिंहजी को पुकारा है, वे बोलेंगे पहले।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री सभापति : डाक्टर साहब, आप बोलिये, आपका अंकित हो रहा है।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री सभापति : मैं नहीं सुनूंगा इस प्रश्न पर बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मैंने व्यवस्था दे दी है और मैं यहीं सुनूंगा माननीय सदस्य।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप मुझे नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये बाध्य कर रहे हैं।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री सभापति : आप बिराजिये, धारीवाल साहब। आप नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये मुझे बाध्य कर रहे हैं।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री सभापति : बिराजिये, माननीय सदस्य। आसन पैरों पर है, बिराज जाएँ।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री सभापति : मुझे नाम से पुकारना पड़ेगा। आप बिराजिये, माननीय सदस्य। मुझे आपको नाम से पुकारने के लिये बाध्य होना पड़ेगा। आप बैठिये, आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री सभापति : कोई समय नहीं दूंगा, एक सैकिण्ड का भी नहीं दूंगा। डाक्टर हरिसिंह जी।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री सभापति : आप बिराजिये। आज जिस प्रकार से व्यवहार हो रहा है आसन के साथ, मैं सैकिण्ड नहीं दूंगा। आप बिराजिये, धनखड़ साहब। नहीं, बिल्कुल नहीं। डाक्टर हरिसिंह जी, बोलिये।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किये गये।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री सभापति : माननीय शान्तिकुमार धारीवाल जी, आप बोलते हैं तो मुझे आपका नाम लेकर पुकारना पड़ेगा। मैंने एक बार व्यवस्था दे दी कि इस प्रश्न पर यदि....

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री सभापति : कोई भी अंकित नहीं होगा। कोई भी कार्यवाही अंकित नहीं होगी।

श्री शांती कुमार धारीवाल : × × ×

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री किशन गोपाल कोगटा : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री सभापति : I'll not allow you, gentleman, Please sit down.

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री सभापति : डाक्टर हरिसिंह जी। मुझे बहुत दुःख है, मैंने एक बार व्यवस्था दे दी, प्रक्रिया बता दी और उसके बाद भी इस प्रकार सदन के समय को बरबाद करना किसी प्रकार उचित नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री सभापति : डाक्टर हरिसिंह जी। आप सदन की मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री सभापति : आप विराजिये। सभी माननीय सदस्य विद्वान हैं इस सदन में। आप गलतफहमी मत पालिये। डाक्टर हरिसिंह जी।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री सभापति : नियमों के अन्तर्गत उठाना सीखिये अगर चर्चा करानी है तो। नियमों के लिये क्लास नहीं लगायी जाएगी आसन के द्वारा।

भू-माफिया गिरोह द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का खण्डन

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि जयपुर जिले की तहसील बस्सी के ग्राम कानोता में जयपुर-आगरा रोड व बस स्टैण्ड के मध्य स्थित गांधी पार्क में वर्षों से स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति को भू-माफिया गिरोह ने सरकारी भूमि को हथिया कर कुछ दुकानें आवंटित करने की नीयत से खंडित कर दिया, जिससे जनता में घोर असंतोष है।

जयपुर-आगरा रोड पूर्व में कानोता वर्तमान बस स्टैण्ड पर होकर घूमकर जाती थी। बाद में यह रोड सीधी निकाल दी गयी और भूमि अवाप्ति के बाद भूमि का मुआवजा दे दिया गया। पूर्व व वर्तमान

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किये गये।

(डा. हरिसिंह)

में बनी सड़क के मध्य एक बीघा 15 बिस्वा भूमि सरकारी थी जिस पर सार्वजनिक निर्माण एवं भवन व.पथ विभाग ने इस भूमि की तारबंदी की और इस पार्क में जन सहयोग से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित कर दी गयी।

गांधी पार्क की सरकारी भूमि हथियाने के लिये भू-माफिया ग्रुप से कोड़ियों के भाव एक जयपुर के व्यापारी ने खरीद ली लेकिन कई वर्षों तक काबिज न होने पर प्रभावशाली भू-माफिया ग्रुप को चार लाख रुपये में सरकारी भूमि बेच दी। इससे पूर्व हल्का पटवारी से मिलकर राजस्व रिकार्ड में हेराफेरी कर डाली। प्रभावशाली भू-माफिया गिरोह ने पहले ही कानोता में तालाब की पाल जिसका रकबा 7 बीघा और बाजार भाव से 40 लाख रुपये की कीमत है, पर भी बुलडोजर कराकर अतिक्रमण कर लिया जिसे प्रशासन ने पुलिस थाना बस्सी व जयपुर विकास प्राधिकरण में स्थापित थाने में मुकदमा दर्ज कराया लेकिन धन के बल पर अतिक्रमियों के विरूद्ध सरकारी भूमि हथियाने के मामले में कारगर कार्यवाही नहीं हुई।

इसी भू-माफिया गिरोह ने गांधी पार्क की जमीन पर गृह निर्माण सहकारी समिति के नाम से चार लाख रुपये में खरीद कर कब्जा करने की नीयत से महात्मा गांधी की मूर्ति को खंडित कर दिया और उस घटना का विरोध करने वाले गांव के प्रतिष्ठित 13 लोगों के खिलाफ पुलिस थाना बस्सी में मुकदमा दर्ज करा दिया गया।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति खंडित करना राष्ट्र का अपमान है। इस गंभीर प्रकरण में स्थानीय पुलिस प्रशासन व राज्य सरकार सभी ने मौन धारण कर रखा है जिससे भू-माफिया गिरोह के हौंसले और बुलन्द हुए हैं।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति हटाने व सरकारी भूमि पर कब्जा करने की नीयत के दौरान गांव वालों के आ जाने पर हटा न पाने पर मूर्ति को खंडित कर दिया। इस घटना की मैं निन्दा करता हूं तथा राज्य सरकार से सरकारी भूमि हथियाने वाले भू-माफिया गिरोह ने जो मूर्ति खंडित की है उनको गिरफ्तार करने की सरकार से मांग करता हूं।

श्री सभापति : श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी।

कार्यालय सहायक अभियंता पीएचईडी, माण्डलगढ़

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी (माण्डलगढ़) : सभापति महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि सहायक अभियंता कार्यालय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, माण्डलगढ़ को अधिशासी अभियता, पीएचई.डी; भीलवाड़ा से हटाकर अधिशासी अभियंता, शाहपुरा के अधीन करने से माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र की जनता को हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि सहायक अभियन्ता कार्यालय, पी एच

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

ईडी; माण्डलगढ़, अधिशासी अभियन्ता, पी. एच. ई. डी; भीलवाड़ा के अधीन होकर कई वर्षों से कार्य कर रहा था, जनता को कोई तकलीफ नहीं थी परन्तु अभी कुछ दिनों पूर्व आदेश जारी करके इसे शाहपुरा अधिशासी अभियन्ता के अधीन कर दिया गया जो इस क्षेत्र की जनता के साथ सरासर अन्याय है जहां वैसे ही भयंकर पेयजल संकट है। माण्डलगढ़ से भीलवाड़ा 40 किलोमीटर दूर है जबकि शाहपुरा 90 किलोमीटर दूर है।

(13.00)

आज कोई भी समस्या होती है पेयजल की तो माण्डगढ़ क्षेत्र की जनता को, जन प्रतिनिधियों को भीलवाड़ा होकर शाहपुरा जाना पड़ता है। विभाग के कर्मचारियों को भी भयंकर परेशानी उत्पन्न हो गयी है, सामान लेने शाहपुरा जाना पड़ता है। यह बहुत ही अव्यावहारिक निर्णय विभाग ने किया है। जिससे जनता को भारी परेशानी हो रही है।

अतः इस विषय में निवेदन है कि अविलम्ब पुनः आदेश प्रदान करें कि सहायक अभियन्ता कार्यालय, पीएचईडी, माण्डलगढ़; अधिशासी अभियन्ता, पीएच-ईडी; भीलवाड़ा के अधीन ही रखा जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामगोपाल बैरवा।

इटावा में ए. सी. एम. कोर्ट की स्थापना

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख है कि इटावा कस्बा कोटा से 80 किलोमीटर दूर है। इस क्षेत्र की जनता को मुकदमे एवं राजस्व मामलों को निपटाने हेतु लम्बी दूरी तय करके कोटा जाना पड़ता है।

वर्षा काल में काली सिंध चार माह के लिये रास्ता अवरूद्ध कर देती है जिससे कोई संबंधित कार्य के लिये जाने वालों को वाया बोरा जाना पड़ता है जिससे समय पर नहीं पहुंच पाते हैं तथा जिससे जनता को समय व धन की हानि उठानी पड़ती है। इटावा क्षेत्र पूर्णतया राजस्व प्रधान क्षेत्र है जिससे राज्य सरकार को जिले में सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। इटावा जनसंख्या के अनुपात में भी कोटा जिले का सबसे बड़ा कस्बा है। यहां पर करीब 2500 राजस्व व धारा 107,151 सीआरपीसीओ. 145 से सीआर-पीसी. के प्रकरण कोटा के राजस्व न्यायालय में विद्यमान हैं। अतः यहां के नागरिकों को कोटा जाने में काफी परेशानी उठानी पड़ती है।

तहसील दीगोद कोटा जिला मुख्यालय से मात्र 20 किलोमीटर दूर है। तहसील दीगोद में एसीएम. कार्यालय लगभग 6 वर्ष पूर्व स्थापित कर दिया गया है। इटावा क्षेत्र की जनता पिछले 10 वर्षों से एसी-एम. कार्यालय स्थापित करने हेतु मांग करती रही है। इस संबंध में समय-समय पर जिला अधिकारियों व क्षेत्रीय राजनेताओं

(श्री रामगोपाल बैरवा)

को ज्ञापन देते रहे हैं व आन्दोलन भी किये जाते रहे हैं।

ए.सी.एम. कोर्ट कार्यालय हेतु इटावा में पर्याप्त सरकारी इमारत उपलब्ध है। पूर्व सी.ए.डी. तहसील कार्यालय को जो गत 12 वर्षों से रिक्त पड़ा हुआ है, उपयोग में लिया जा सकता है तथा इटावा में विद्युत व पानी तथा आवागमन के हर प्रकार के साधन उपलब्ध हैं।

इटावा में मुन्सिफ कोर्ट भी विद्यमान है जो फौजदारी मुकदमों का निस्तारण करती है। मात्र रेवेन्यू से संबंधित प्रकरणों के लिये कोटा जाना पड़ता है। इटावा में पीपल्दा तहसील क्षेत्रफल की दृष्टि से भी जिले में सबसे बड़ी है जिसका क्षेत्रफल 1002 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहां के लोगों को सस्ते व सुलभ न्याय के स्थान पर अति दुर्लभ न्याय मिलता है।

अतः 295 के माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि इटावा क्षेत्र की जनता के हितार्थ इटावा में ए.सी.एम. न्यायालय, सहायक कार्यालय, दण्डनायक एवं अतिरिक्त जिलाधीश का पद सृजित किये जाने एवं न्यायालय खोले जाने हेतु निवेदन है।

श्री सभापति : श्री बाबूलाल वर्मा।

आबकारी सेवा में पदोन्नति

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहूंगा कि अपने प्रांत में आबकारी विभाग राजस्व अर्जन का प्रमुख स्रोत है। दस वर्ष पूर्व इस विभाग की वार्षिक आय 80 करोड़ रुपये थी जो इस वर्ष लगभग 480 करोड़ अर्थात् 600 प्रतिशत अधिक होने जा रही है। इस आय वृद्धि में आबकारी सेवा के अधिकारियों का भी समर्पित योगदान रहा है। किन्तु इस सेवा के अधिकारी पदोन्नति के अवसरों के अभाव के कारण निरन्तर कुंठित एवं प्रताड़ित अनुभव कर रहे हैं। समान प्रकृति के विभाग जैसे कि वाणिज्य कर में पदोन्नति के अवसर अतिरिक्त आयुक्त तक हैं। और तो और आबकारी विभाग की ही शाखा निरोधक दल में भी पदोन्नति अतिरिक्त आयुक्त तक होती है किन्तु मुख्य आबकारी सेवा में पदोन्नति महज जिला आबकारी अधिकारी तक ही है। वर्तमान वित्त सचिव जब आबकारी आयुक्त थे तब उन्होंने राज्य सरकार को अपने पत्र संख्या प० 1 (आ) (8) संस्था/82/955 दिनांक 2.11.93 द्वारा लिखा भी था कि "आबकारी विभाग राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। साथ ही वह विभाग एक तकनीकी विभाग है। आबकारी सेवा संवर्ग का कोई उच्चाधिकारी उपलब्ध नहीं होने से तकनीकी जानकारी एवं निर्णय लेने में कठिनाई अनुभव की गयी है। आबकारी सेवा के सदस्यों की संख्या निरोधक दल से अधिक होते हुए भी पदोन्नति के अवसर न्यूनतम होने से सेवा के सदस्यों में असंतोष है।

किन्तु आर.ए.एस. संवर्ग के जो इन उच्च पदों पर डेपुटेशन पर आते हैं, दबाव के

(श्री बाबूलाल वर्मा)

कारण राज्य सरकार ने वित्त सचिव की राय पर कोई निर्णय नहीं लिया एवं आबकारी सेवा के साथ खिलवाड़ जारी रहा। राज्यकोष को इसका भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। यूं तो कई उदाहरण हैं, पर यहां एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा। राष्ट्रपति शासन के दौरान ठेकों के पिछले बन्दोबस्त में आबकारी सेवा के अनुभवी व्यक्ति आयुक्त जैसे उच्च पदों पर नहीं होने के कारण राज्य सरकार की नीति का सही क्रियान्वयन नहीं हो पाया। अतः विवश होकर 8 बड़े शहरों के पैंडिंग ठेकों का रिजर्व प्राइस राज्य सरकार को 15 करोड़ रुपये कम करनी पड़ी। इस प्रकार राज्य कोष अनुभवी एवं प्रतिभाशाली विभागीय अधिकारियों के अनुभव से वंचित रहा। आरएएस. संवर्ग को वैसे भी सामान्य प्रशासन के महत्वपूर्ण पद तथा पदोन्नति आईएएस. तक उपलब्ध है। अतः राज्य सरकार अतिरिक्त आयुक्त तक के पदों से आरएएस. को हटा कर आबकारी सेवा से पदोन्नति द्वारा भरने की कार्यवाही कब तक करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ? उल्लेखनीय होगा कि विभाग में जिला आबकारी अधिकारी के रूप मे वर्ष 1980 से अर्थात् लगभग 13-14 वर्ष से कार्यरत अनुभवी अधिकारी उपलब्ध हैं जो कि निकट भविष्य में बिना और पदोन्नति लिये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। पदोन्नति के अवसर उपलब्ध नहीं होने से उनका मनोबल क्षीण हो गया है। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री विष्णु मोदी।

राजस्थान के साइकिल रिक्शा चालकों की समस्याएं

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अधीन सूचना देना चाहता हूं कि राजस्थान के विभिन्न शहरों में साइकिल रिक्शा चालकों की समस्याओं के निराकरण का प्रश्न अब बहुत अधिक महत्व ग्रहण कर चुका है और इस ओर तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। यह एक शुभ लक्षण है कि रिक्शा चालक भी अब संगठित हो रहे हैं और अपनी परेशानियों और कठिनाइयों को दूर करने की मांग उठाने लगे हैं।

जयपुर और कुछ अन्य शहरों/नगरों में रिक्शाओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है और इस प्रकार वे नगरों की यातायात व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहे हैं। चूंकि मध्यम वर्ग और कम आय वाले नागरिकों के लिये यह सवारी सबसे सस्ती और सहज उपलब्ध है, यह वर्ग इसका सर्वाधिक उपयोग कर रहा है। यह सहज ही कहा जा सकता है कि रोजाना लाखों लोग इस सवारी से अपने गन्तव्य स्थानों पर पहुंच रहे हैं। हजारों रिक्शा चालक अपने श्रम और पसीने से नगरीय क्षेत्रों की एक बहुत बड़ी समस्या के निराकरण में योगदान दे रहे हैं।

यह सही है कि यातायात पुलिस के लिये कुछ परेशानियां साइकिल रिक्शाओं

(श्री विष्णु मोदी)

के कारण पैदा होती हैं परन्तु प्रदूषण रहित यातायात का साधन भी यही हैं। पुलिस की ज्यादती भी रिक्शा चालकों को सहनी पड़ती है। साथ ही रिक्शा चालकों की गरीबी का लाभ रिक्शा मालिक भी उठा रहे है और उनका शोषण हो रहा है।

साइकिल रिक्शा अब बड़े शहरों/नगरों में यातायात का मुख्य साधन बन चुका है और इसका विकल्प निकट भविष्य में सम्भव नहीं है। अतः उचित यही है कि हम इस व्यवस्था को युक्ति संगत ढंग से सुधारने के लिये आवश्यक कदम उठाएं। कानून जितने रिक्शा लाइसेंस दिये हुए हैं उनसे कहीं अधिक संख्या ऐसे रिक्शा चालकों की है जो बिना किसी लाइसेन्स के चल रहे हैं। अतः साइकिल रिक्शाओं की संख्या, रिक्शा चालकों को लाइसेन्स, रिक्शा चालकों के स्वास्थ्य की जांच, रिक्शा चालकों को आर्थिक सहायता और उनकी सभी समस्याओं के हल के लिये जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाना चाहिये। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री नाथूराम अहारी।

विधायकों को वाहन

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय सभापति महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत जिला प्रशासन द्वारा विधायकों को वाहन उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

राजस्थान में विधायकों को प्रशासन की तरफ से पंचायत समितियों द्वारा वाहन (जीप) उपलब्ध होना था लेकिन अभी राष्ट्रपति शासन के बाद यह सुविधा नहीं है और कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन के समय सरकार ने, विधायकों जो वाहन सुविधा दी जाती थी वे आदेश निरस्त किये हैं। अतः पुनः आदेश आने पर ही ये सुविधा दी जाएगी।

मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करता हूं कि सरकार से जिला कलेक्टरों को आदेश दिलाएं कि पूर्व की भांति वर्तमान विधायकों को वाहन (जीप) की सुविधा दिलायी जाए।

श्रीमान, आजकल भयकर अकाल है, अकाल के कारण दूर दराज कार्यों को देखने एवं अभाव अभियोगों को सुनने जाना पड़ता है। अतः उक्त आदेश शीघ्रातिशीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करें।

श्री सभापति : श्री रघुवीर सिंह मीणा।

सराडा तहसील के किसानों की भूमि अमीनों द्वारा सिवाय चक घोषित करना

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : माननीय सभापति महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत तहसील सराड़ा जिला उदयपुर के काश्तकारों की आवंटित शुदा भूमि को अमीनों द्वारा सिवायचक घोषित करने के क्रम में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(श्री रघुवीर सिंह)

मेरे विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के लगमग दो सौ काश्तकारों की भूमि पिछले सैटलमैण्ट के समय अमीनों द्वारा सिवायचक (बिलानामा) घोषित कर दी गयी है। गरीब काश्तकार दस-पन्द्रह वर्षो से काबिज थे जिनको भूमि आवंटित थी परन्तु अमीनों को पैसे नहीं मिले इस कारण से यह भूमि सिवायचक कर दी गयी। हालात यह बन गये हैं कि पटवारी-तहसीलदार काश्तकारों को धमका-धमकाकर मन मुताबिक पैनल्टी वसूल कर रहे हैं। अभी किसानों में बड़ा असन्तोष फैला हुआ है। वहां का गरीब आदिवासी किसान मुकदमा लड़ने की हालत में नहीं है और अभी अकाल का भी समय है अतः सरकार से मेरा सानुरोध आग्रह है कि अविलम्ब वसूली रुकवाकर गरीब किसानों को भय तथा असन्तोष से मुक्त कराएं साथ ही अमीनों द्वारा किये गये अव्यावहारिक कृत्य को सुधार कर किसानों की भूमि को पुनः रेगुलराइज कराए जिससे यह महसूस हो सके कि सरकार किसानों के प्रति संवेदन-है। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भीखा भाई।

(अनुपस्थित)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

सांगानेर के महापुरा ग्राम के पास ढाणी में लगी आग

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय सभापति महोदय मैं विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सांगानेर पंचायत समिति के महापुरा ग्राम के पास एक ढाणी में लगी आग के सम्बन्ध में निवेदन कर रही हूं।

4 मार्च, 1994 को दिन के करीब तीन बजे सांगानेर पंचायत समिति के महापुरा ग्राम के पास की एक ढाणी में भयकर आग लग गयी थी, इस आग में जान-माल दोनों की हानि हुई। एक सात माह की बच्ची जल कर मर गयी तथा एक वर्ष की बच्ची काफी झुलस गयी थी तथा खाने-पीने का सारा सामान, बेचने के लिये बचाया हुआ अनाज, पहनने एवं ओढ़ने-बिछाने के कपड़ें, जेवरात, रुपये पैसे, बर्तन आदि सब ही जलकर समाप्त हो गया।

जलने के तुरन्त बाद तहसीलदार साहब, एसडीओ. साहब, डीएसपी. साहब आदि वहां पहुंचे। उन्होंने सारी हालत का निरीक्षण किया और उन ग्रामवासियों को आश्वासन दिया कि कल ही कुछ न कुछ राहत भेज दी जाएगी, जिलाधीश महोदय से बातचीत करके टीन छत के लिये आकस्मिक सहायता भेज दी जाएगी किन्तु अफसोस के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आज तक उन सात परिवारों को कोई सहायता नहीं दी गयी है। उन्हें तुरन्त सहायता दिलवाने की कृपा करें ताकि आसमान के नीचे पड़े ये गरीब किसान इस संकट से दूर हो सकें।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्रीमती मीना अग्रवाल।

अलवर नगर परिषद में अव्यवस्था

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : माननीय सभापति महोदय, मैं अलवर जिले

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

में नगर परिषद में चुंगी की लापरवाही के बारे में बताना चाहती हूं कि :

1. चुंगी चौकी पर कर्मचारियों की ड्यूटी सुबह 6 बजे से है लेकिन वे लोग सुबह सात बजे आते हैं।

2. वहां तैनात गार्ड ड्यूटी पर जब मन होता है तब आते हैं।

3. चुंगी पर जो पैसा आता है उसमें खुले पैसे नहीं होते, वे रुपये कहां जाते हैं ?

4. कम से कम देहली रोड पर एक चुंगी नाके पर 225 के करीब गाड़ियां गुजरती हैं। उनसे जो पैसा आता है वह कहां जाता है ?

5 नगर परिषद के अधिकारी यह कहते हैं कि हमारी तनख्वाह पूरी नहीं है, कैसे काम करें।

6. (1) लाइट, गलियों की सड़कें टूटी-फूटी हैं और कूड़े का ढेर काफी है। नगर परिषद के पास लाखों की कीड़े मारने की मशीन पड़ी हुई है लेकिन नगर परिषद वाले कहने के बाद भी नहीं चलाते हैं। इससे जनता में भारी रोष है कि हम नगर परिषद को हाउस टैक्स, चुंगी कर, विज्ञापन कर, रिक्शा कर आदि, कई तरह के किराये व टैक्स देते हैं।

इसीलिये मेरा सुझाव है, अलवर में पहले से काफी व्यापार बढ़ा है, इसकी जांच करायी जाए कि चुंगी का पैसा कितना आ रहा है। (2) छोटे व्यापारियों को लाइसेंस दिया जाता है वह हर साल न देकर 5 साल में दिया जाए और इकट्ठा पैसा लिया जाए। (3) रिक्शाओं के प्राइवेट मालिक जो टैक्स देते हैं उनसे भी इकट्ठा पैसा लिया जाए।

श्री सभापति : श्री शिव किशोर सनाढ्य।

(अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र चौधरी।

बिलाड़ा में पेयजल व्यवस्था

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : सभापति महोदय, मैं नियम प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत बिलाड़ा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था करने के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं। बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में कई गांव व दो नगरपालिका क्षेत्र पीपाड़ शहर व बिलाड़ा शहर आते हैं वहां वर्तमान में पेयजल की भीषण समस्या है। पीपाड़ के वार्ड माखरी की ढाणी नम्बर 16 में सांखला, बेरा क्षेत्र वार्ड नं. 7 (1) व अन्य क्षेत्र में पानी की भारी कमी है। पाइप लाइन लगी हुई है परन्तु कुछ वर्षों से पानी नहीं आ रहा है। बिलाड़ा नगर में जटियों के मोहल्ले में वार्ड नं. 12 में व अन्य क्षेत्रों में पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के देवनगर, सारणों की ढाणी (रसकुंड़िया) सुरगिया खुर्द, सरगिया कलां, बुनाणा मलार (ढूंढियों सेणनों की ढाणी), मालियों की ढाणी (नाथू खां की ढाणी), पीपाड़ रोड खेड़ी की ढाणी, खेड़ी सांगवा, खेड़ी

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

चारणा, रामणवास कलां, रामणवास खुर्द कूड, खोखरिया, जाटियावास, सांगिया, मादलिया, बागरों की ढाणी, पटेल नगर, खोलों की ढाणी, गुजरों की ढाणी (हरिया ढाणी) बागासनी मुकांसनी (जटियों की ढाणी) चौकड़ी कलां, चौकड़ी खुर्द, घोड़वासिसियारा, ख्वासपुरा, खारिया मीठापुर, कीरो की ढाणी, रायको की ढाणी (पिचयाक) हरियाडा, सोमराडो की ढाणी (रावणियाणा), बीजवाड़िया, उजतियावास, बरणा, हर्ष आदि गांवों में पेयजल की वर्तमान में जो व्यवस्था है इसका लाभ जनसाधारण को नहीं मिल रहा है। जनता को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अतः इन स्थानों पर नये नलकूपों को खोदने, स्थानीय कुओं को, यदि उपलब्ध हों तो जलदाय विभाग द्वारा विद्युतीकृत करना एवं हैण्डपम्प खोदने एवं पाइप लाइन नयी लगाने एवं पुरानी बदल कर नाप बढ़ाकर लगाने के सम्बन्ध में सरकार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करावे धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामस्वरूप मीणा।

मेहन्दीपुर बालाजी में बालिका विद्यापीठ को स्थापना

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत दौसा एव सवाई माधोपुर क्षेत्र में व्याप्त निरक्षरता को दूर करने के विषय में चर्चा हेतु निवेदन कर रहा हूं।

हमारे देश में निरक्षरता एक बहुत बड़ा अभिशाप है। इस सम्बन्ध में देश व राज्य में कई सारक्षता अभियान चल रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या निरक्षर है। यह राज्य सरकार व जनता पर कलक है। जहां तक नारी शिक्षा का प्रश्न है इसमें तो राज्य में 80% से अधिक सख्या निरक्षर महिलाओं की है जो बहुत ही गम्भीर व वेदना की बात है।

यह कि राज्य में सघन साक्षरता अभियान गति में है लेकिन वास्तविकता में इस ओर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ज्ञान की ज्योति बड़े शहरों में नहीं आंचलिक ग्रामों, कस्बों में प्रज्जवलित करने की बहुत सख्त आवश्यकता है।

इसी क्रम में दौसा एवं सवाई माधोपुर व इस क्षेत्र में कस्बा मेहन्दीपुर बालाजी के शिक्षित सभ्रान्त व समाजसेवी लोगों की यह ह्रदिक इच्छा है कि इस क्षेत्र में एक बालिका पीठ विद्यालय (वनस्थली विद्यापीठ समान संस्था) प्रारम्भ की जाएं जिससे क्षेत्र की बालिकाओं को साक्षर व सुसंस्कृत किया जा सके जो देश, राज्य व क्षेत्र को गौरव दिलवा सकें।

उपरोक्त सन्दभ में मेहन्दीपुर बालाजी के महन्त श्री किशोर पुरी जी व ट्रस्ट पदाधिकारियों से वार्तालाप की गयी तो महन्त जी महाराज व ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने भरपूर आर्थिक सहयोग कर करीबन 5 करोड़ रुपये की लागत से बालिका विद्यापीठ के निर्माण की तीव्र अभिलाषा प्रकट की। यह बहुत आवश्यक भी है क्योंकि यह क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक

(श्री रामस्वरूप)

पिछड़ा हुआ है। जनजाति बहुल क्षेत्र है, ऐसे विद्यापीठ की बहुत आवश्यकता है। राज्य सरकार को पूर्व में ज्ञापन भी प्रेषित करना चाहिये करते हैं लेकिन इसके लिये भूमि उपलब्ध नहीं करायी गयी जो कि इस पुनीत कार्य को सम्पन्न करने के लिये सबसे प्रथम आवश्यकता है।

क्षेत्रवासियों एवं महन्त श्री महाराज व ट्रस्टियों की यह सबसे बड़ी अभिलाषा है कि बालिका विद्यापीठ की स्थापना हो। इसकी घोषणा कई बार हो चुकी है एवं जिला प्रशासन व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा भूमि मुहैया कराने की कई बार घोषणा कर देने के बाद तथा उन को ज्ञापन देने के बाद भी उक्त कार्य के लिए कोई भूमि उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

अतः उक्त बालिका विद्यापीठ की स्थापना हेतु तुरन्त उपयुक्त भूमि कस्बा मेहन्दीपुर बालाजी में उपलब्ध करायी जाए जिससे राज्य में मील का पत्थर लगाने की शुरूआत हो सके एवं क्षेत्र का उच्च स्तरीय विकास प्रारम्भ किया जा सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर नियमानुसार सदन में राज्य सरकार व सम्बन्धित मन्त्री महोदय से चर्चा करने की अनुमति प्रदान की जाकर चर्चा करायी जाए।

ट्रस्ट भूमि के अलावा राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद की अपेक्षा नहीं रखता है, व अपने आर्थिक स्त्रोतों से ही महिला विद्यापीठ के लिये कृतसंकल्प है।

श्री सभापति : श्री अर्जुनदास मदान।

लश्करी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा

श्री अर्जुनदास मदान (लाड़पुरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत समाज कल्याण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

सभापति महोदय, निवेदन है कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से अपने यहां की पिछड़ी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों की इस आशय से सूची चाही है ताकि और अधिक जातियां लाभान्वित हो सकें। मेरा विश्वास है कि राज्य सरकार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में बसी उन जातियों की सूची तैयार रही होगी अथवा कर ली होगी जिन्हें जुड़वाने हेतु केन्द्र सरकार को अपनी अनुशंसा भेजेगी या भेज चुकी होगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र लाड़पुरा के अतिरिक्त पूरे हाड़ौती अंचल अर्थात कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां जिलों में लश्करी जाति के लोग काफी संख्या में रहते हैं। यह जाति न केवल पिछड़ी है अपितु समाज के सवर्ण इन्हें उस वर्ग में गिनते हैं जिनमें बैरवा, चमार, रेगर, खटीक आदि गिने जाते हैं। मेरी भी यह मान्यता है कि लश्करी जाति यदि अनुसूचित जाति में न भी ली जा सके तो कम से कम अनुसूचित जनजाति में तो अवश्य सम्मिलित की जानी चाहिये क्योंकि समाज का यह

(श्री अर्जुनदास मदान)

वर्ग उपेक्षित एवं तिरस्कृत जीवन जीता है। रहन-सहन की दृष्टि एवं समाज के अन्य लोगों के इनके प्रति व्यवहार देखते हुए मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि लश्करी समाज को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किये जाने हेतु सरकार को अपनी अनुशंसा भेजे। यदि आप चाहें तो मेरे इस कथन की प्रमाणिकता हेतु संबंधित चारों जिलों के जिलाधीशों से भी रिपोर्ट मंगा सकते हैं।

अनुसूचित जाति की सूची केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत होती है अत: जब तक केन्द्र सरकार लश्करी जाति को अनुसूचित जन-जाति में सम्मिलित नहीं करती तब तक के लिये राज्य सरकार से मेरा यह भी आग्रह है कि समाज के इस वर्ग को उन समस्त लाभों से लाभान्वित करे जो पिछड़ी जाति को दिये जा रहे हैं क्योंकि पिछड़ी जातियों का चयन करना, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है। अत: जब तक केन्द्र सरकार अन्तिम सूची का निर्धारण नहीं करती तब तक लश्करी समाज को पिछड़ी जाति का लाभ मिलना नितान्त आवश्यक है। इस प्रतिवेदन के माध्यम से मेरा विश्वास है कि राज्य सरकार लश्करी समाज को अनुसूचित जनजाति में जुड़वाने हेतु केन्द्र सरकार को लिखेगी और तब तक के लिये इसे पिछड़ी जाति के लाभ देने तो आरम्भ करें। इस प्रतिवेदन के माध्यम से मैं राज्य सरकार से समुचित कार्यवाही की अपेक्षा करता हूं।

श्री सभापति : श्री शिवकशोर सनाढ्य।

सूरतगढ़ ताप बिजली घर में नेशनल हाईवे के सड़क निर्माण कार्य में अनियमितताओं के सम्बन्ध में

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत माननीय मुख्य मन्त्री महोदय एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान सूरतगढ़ ताप बिजलीघर में नेशनल हाईवे के सड़क निर्माण कार्य में अनियमितताओं के सम्बन्ध में आकर्षित करता हूं।

सूरतगढ़ ताप बिजलीघर के प्रथम चरण में बिरदवाल रेल्वे स्टेशन के नेशनल हाईवे 15 नम्बर को 13 किलोमीटर तक का टेण्डर पीडब्ल्यूडी ने बीएसआर की दरों पर 4 ठेकेदारों को कार्य करवाया। इनमें से 3 ठेकेदारों को एक एक काम एवरेज 32 प्रतिशत अधिक बीएसआर दर पर दिया गया जब कि उस समय सूरतगढ़ सार्वजनिक निर्माण विभाग में 18 प्रतिशत अधिक पर कार्य चल रहा था यानि 20 लाख रुपये का फायदा उक्त ठेकेदारों को अधिक हुआ। सरकार द्वारा जमीन अधि-ग्रहण न होने की वजह से ठेकेदारों द्वारा एक किलोमीटर दूर से मिट्टी लानी तो सही मानी जा सकती है लेकिन विभाग मिट्टी खोदने और उसको एक किलोमीटर पर डालने का फर्जी एन्ट्री दिखाकर ठेकेदारों को राज्य सरकार का लाखों रुपया दिलवा दिया। मुख्य अभियन्ता श्री के. के. कपूर और अधीक्षण अभियन्ता एस. सी. पाटोदिया द्वारा भी इस ओर ध्यान दिलाने पर कार्य-वाही नहीं की गयी जिससे राज्य सरकार को भारी आर्थिक हानि हुई। इसी तरह

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

से दूसरी बार एस.टी.पी. साइट के नाम से 40 लाख रुपये की सड़क निर्माण के टेन्डर 17–9–93 को हुए इसमें भी जो अधिक रेट दी गयी उसके फलस्वरूप विभाग को लाखों रुपयों का यानि 30 लाख रुपये का नुकसान हुआ। विभाग ने ठेकेदारों से मिलीभगत कर सवा करोड़ रुपये के ऊपर का कार्य बी एस आर. की दर से 36, 95 से अधिक को करवाया। आर. डी. कन्सट्रशन कम्पनी, सूरतगढ़ को बिना टेन्डर करवाये लगभग 30 लाख रुपये का कार्य दिया गया और अतिरिक्त कार्य भी 30 लाख कुल 60 लाख रुपये का इसी से कार्य करवाया गया। इसमें विभाग को काफी नुकसान हुआ है। ईसी तरह मुख्य अभियन्ता श्री के. के. कपूर को लेकर के अनेक गड़बड़ियों के आरोप नगर मण्डल सूरतगढ़ आदि ने लगाये। ऐसे अनेक आरोपों के साथ उदाहरण भी प्रस्तुत किये हैं। इस प्रकार के अपव्यय से शासन की बदनामी हो रही है। अतः इस गम्भीर स्थिति की ओर माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो यह बताएं कि किस समय की बात है ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : सितम्बर, 1993 की। मैंने 93 की ही बात कही है सारी की सारी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : राष्ट्रपति शासन की ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : राष्ट्रपति शासन के दौरान की ही बात कही है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी अविलम्ब जांच करायी जाएगी। वैसे तो अभी तक मुझे इसलिये समझ में नहीं आया कि सूरतगढ़ ताप बिजलीघर में पीडब्ल्यूडी कहां चली गयी ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : आन डेपुटेशन आपके यहां से आते हैं और काम करते हैं।

श्री सभापति : आप कहां-कहां जाते हैं इसका पता तो आपको ही है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : फिर तो बिजली विभाग...

श्री नरपतसिंह राजवी : माननीय सभापति महोदय, जिन अधिकारियों के नाम ले रहे हैं वे नोन करप्ट आदमी हैं। उनके खिलाफ जांच आप तुरन्त करायें। आपने आश्वासन दे दिया है बहुत-बहुत धन्यवाद

श्री सभापति : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव श्री किशन मोटवानी

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

नगर सुधार न्यासों में कार्यरत कर्मचारियों को पेन्शन सुविधा से वंचित रखने से व्याप्त असन्तोष

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया तथा

(श्री किशन मोटवानी)

कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत राजस्थान के नगर सुधार न्यासों में कार्यरत कर्मचारियों को पेन्शन सुविधा से वंचित रखने से उनमें व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, यह जो प्रकरण है इसमें सिद्धान्ततः सरकार ने इनको पेन्शन देने की बात मई में स्वीकार कर ली थी और वित्त विभाग को भेजी थी। वित्त विभाग ने भी इसकी स्वीकृति दे दी है। नियम बन रहे हैं कि किन नियमों के आधार पर इनको पेन्शन दी जाए। मेरा विश्वास है कि वे वेटिंग हो रहे हैं और जल्दी ही नियम बनने के बाद इनको लाभ मिल जाएगा।

श्री किशन मोटवानी : दो सवाल करना चाहता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह लाभ मिलेगा 1–9–92 से।

श्री किशन मोटवानी : मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सिर्फ दो सवाल करना चाहूंगा। आपने जो वेटेज के लिये वित्त विभाग को नियम बनाकर भेजे हैं वे क्या तक आप उनसे मंगवा लेंगे ? क्या इस सत्र के दरम्यान मंगवा कर इसकी घोषणा करेंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो कानून में वेट होगा। उसमें जल्दी से जल्दी करेंगे। हम खुद ही इण्ट्रस्टेड हैं, हम खुद ही चाहते हैं कि जल्दी मिले इनको।

श्री सभापति : नियमों को सदन में लाने की आवश्यकता नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री किशन मोटवानी : कर देंगे तो श्रेय मिलेगा आपको। मैं तो आपको श्रेय देना चाहता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं तो खुद ही कह रहा हूं।

श्री किशन मोटवानी : मैं थोड़े ही लेना चाहता हूं, आपको देना चाहता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह मई, 1992 में ही हमने भेज दिया था और दिसम्बर, 93....

श्री किशन मोटवानी : क्या आप इसमें तुरन्त कार्यवाही करवा कर लाभ कर्मचारियों को देंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह सरकार पुनः आने के बाद उसको वेट के लिये भेज दिया है। यह बहुत प्रगति पर है।

श्री किशन मोटवानी : आप मैण्टली तो इस बात के लिये तैयार हैं न कि इसको तुरन्त करवाकर लाभ प्रदान करें ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं तो बिल्कुल तत्पर हूं। क्यों नहीं ?

श्री किशन मोटवानी : हां तो करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं कह रहा हूं, तैयार हूं।

श्री सभापति : दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री राकेश मेघवाल नियम 131 में ध्यान आकर्षित करेंगे।

चौसला तहसील नावां जिला नागौर के ग्राम कुणी खसरा नम्बर 761 की सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : सभापति महोदय, पंचायत क्षेत्र चौसला तहसील नावां (नागौर) के ग्राम कुणी की खसरा नम्बर 761 की सिवाय चक नाकाबिल काश्त गोचर भूमि 600 बीघा पर ग्रामवासियों के आवागमन पर रुकावट पैदा करने के सम्बन्ध में राजस्व मन्त्री जी का प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नावां) : इजाजत हो, सभापति महोदय, तो इसके सही फैक्ट्स मैं बता दूं क्योंकि मेरे क्षेत्र का ही यह मामला है।

श्री सभापति : मैं आपको अलाउ करूंगा, आप विराजें।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, ग्राम कुणी तहसील नावां में स्थित भूमि खसरा नम्बर 237 रकबा 600 बीघा जमा बन्दी संवत 2034 में गैर मुमकिन गोचर दर्ज थी जिसे राज्य सरकार के आदेश संख्या पं० 6 (132) राजस्व/79 दिनांक 20.9.79 के क्रम में दिनांक 3.10.79 द्वारा भेड़ चारागाह विकास हेतु परियोजना निदेशक, डीपीएपी. नागौर को आवंटित की गयी जिसका नामान्तरण संख्या 462 दिनांक 17.7.80 को स्वीकृत हुआ।

तहसील नावां में दौराने बन्दोबस्त कार्यवाही सं० 2046 में इस खसरा नंबर 237 के नये खसरा नंबर 761 रकवा 92.15 हैक्टेयर बनाया गया तथा इसे सिवाय चक नाकाबिल काश्त गोचर दर्ज किया गया। वर्तमान में खसरा नंबर 761 राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक नाकाबिल काश्त गोचर दर्ज है।

संवत् 2049 में श्री शिवकरण पुत्र श्री मेवाराम, अध्यक्ष, कुणी भेड़ पालक सहकारी समिति, कुणी ने खसरा नम्बर 761 मिन रकबा 10.24 हैक्टेयर पर अतिक्रमण करके ग्वार की फसल बोयी थी, जिसके विरुद्ध तहसील नावां में मुकदमा नम्बर 34/92 दर्ज कर फसल नीलामी एवं बेदखली की कार्यवाही की गयी। फसल नीलामी रुपए 30,100 राज कोष में दिनांक 21.10.92 को जमा कराये गये तथा तहसीलदार नावां के निर्णय दिनांक 29.10.92 को भेड़ पालक सहकारी समिति कुणी को गोचर भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया।

उक्त निर्णय के विरुद्ध अध्यक्ष श्री शिवकरण ने एक दावा भेड़ पालक सहकारी समिति बनाम राजस्थान सरकार सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, परबतसर के यहां बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा तथा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। जिस पर दिनांक 31.10.92 को न्यायालय सिविल जज, परबतसर ने अग्रिम आदेश

118

(श्री गंगाराम चौधरी)

तक यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जो आज भी प्रभावी हैं। इस कारण उक्त भूमि पर से तारबन्दी नहीं हटायी गयी है। वर्तमान में यह वाद सिविल जज, परबतसर के यहां से अन्तरित होकर मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नावां के यहां विचाराधीन है।

खसरा नम्बर 761 रकबा 10.24 हैक्टेयर के अलावा शेष रकबा 81.91 हैक्टेयर पर ग्राम के मवेशी आज भी चर सकते हैं जब कि परियोजना निदेशक, डीपीएपी, नागौर के पक्ष में हुए आवण्टन एवं नामान्तरकरण संख्या 462 के आधार पर जिला भेड़ एवं ऊन अधिकारी, नागौर के अधीन बताते हुए भेड़ पालक सहकारी समिति, कुणी के अध्यक्ष के रूप में श्री शिवकरण इस भूमि पर अपने अधिकार दर्शाता है। ग्रामवासियों के उक्त भूमि पर प्रवेश तथा पशु ले जाने पर उनके विरुद्ध पुलिस में एफआईआर नंबर 100/92 तथा 72/93 दर्ज करायी गयी है, जिसमें मुल्जिमान के विरुद्ध पुलिस चालान पेश किये गये हैं।

श्री शिवकरण, अध्यक्ष कुणी भेड़ पालक सहकारी समिति, कुणी द्वारा एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध तसीलदार नावां के निर्णय दिनांक 29.10.92 के न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर में प्रस्तुत की गयी है जो सुनवाई हेतु न्यायालय, अपर कलक्टर, नागौर को हस्तान्तरित कर दी गयी है। जो मुकदमा नम्बर 90/92 पर दर्ज किये जाकर रैस्पोण्डेण्ट्स की तलबी में चल रहे हैं, जिसमें इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का स्थगन आदेश अथवा यथास्थिति बनाये रखने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है एवं प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 24.3.94 को निश्चित की हुई है।

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां की रिपोर्ट के अनुसार इस समिति का प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष व निर्वाचित संचालक मण्डल द्वारा किया जाता रहा है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में वर्णित समिति के चुनाव न कराने अथवा एक ही अध्यक्ष लगातार बने रहने का व नियमानुसार बैठकें न आयोजित कराने सम्बन्धी जो आरोप लगाये गये, उनके सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि इसके चुनाव दिनांक 31.3.80. 25.8.81, 25.8.85 व 25.12.92 को हुए हैं। उनमें क्रमशः श्री गोधाराम, श्री रामसिंह राठौड़, श्री शिवकरण तथा पुनः श्री शिवकरण अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। अतः यह सही नहीं है कि समिति के चुनाव नहीं हुए अथवा प्रारम्भ से ही एक ही व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में चला आ रहा है। श्री शिवकरण 28.9.85 व 25. 12.92 के चुनावों में समिति के अध्यक्ष चुने गये हैं। सहकारी कानून के अनुसार दो टर्म अथवा छः वर्षों की अवधि से अधिक कोई एक व्यक्ति संस्था का संचालक नहीं रह सकता किन्तु समिति के अध्यक्ष श्री शिवचरण का अध्यक्ष के पद पर निर्वाचन दिनांक 25.12.92 को हुआ है वह नियमानुकूल नहीं है। यद्यपि उक्त अनियमित निर्वाचन के सम्बन्ध में सहकारिता विभाग के समक्ष कोई विवाद प्रस्तुत नहीं हुआ है किन्तु हाल ही में करवायी गयी जांच पर यह तथ्य

(श्री गंगाराम चौधरी)

सामने आने पर श्री शिवकरण को समिति की प्रबन्धकारिणी समिति की सदस्यता से नियोग्य घोषित किये जाने हेतु अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

श्री शिवकरण के परिवार के अनेक सदस्यों को समिति का सदस्य बनाये जाने का जहां तक सम्बन्ध है मात्र दो सदस्य श्री मेवाराम पुत्र मुरा राम व श्री रामेश्वर लाल पुत्र मुराराम एक ही परिवार के बताये गये हैं तथा शेष सभी सदस्य अलग-अलग परिवारों के हैं। अतः यह आरोप कि श्री शिवकरण के परिवार के ही अनेक सदस्यों को सदस्य बनाकर समिति में गड़बड़ी की जा रही है, सही प्रतीत नहीं होता है।

समिति की प्रबन्ध तथा आम सभा की बैठकें समय-समय पर होती रहती हैं। समिति के कार्यकलापों की जांच से कोई अनियमितता, गबन, घोटाला प्रकाश में नहीं आया है। समिति का लगातार नियमित आडिट वर्ष 1992–93 तक का हो चुका है।

(13.40)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन।)

उपरोक्तानुसार विवरण से यह स्पष्ट है कि समिति के कार्यकलापों से सम्बन्धित आरोप सही नहीं हैं। अध्यक्ष के विरुद्ध नियोग्यता प्रमाणित होने के सम्बन्ध में अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। समिति में प्रशासक लगाये जाने की स्थिति नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल चौधरी : सभापति महोदय, परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मेरे क्षेत्र के गांव कुणी की भेड़ पालक सोसाइटी की जमीन के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है उसके सही तथ्य मैं बताता हूं आपको।

श्री सभापति : माननीय, आप बहुत जल्दी कर गये। जिनका प्रस्ताव है पहले उनको बोलने दें और उसके बाद आप बोलें तो उचित रहेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : बोलने का टाइम देना।

श्री सभापति : दूंगा, टाइम अवश्य दूंगा, परन्तु जिनका प्रस्ताव है वे तो बोलेंगे ही अपनी बात।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने जो फरमाया हालांकि उसमें कुछ तथ्य सही हैं, कुछ जानकारी गलत दी गयी है, सदन को गुमराह किया गया है। सही तथ्य जो मेरे सामने आये, हो सकता है इनमें भी गलती हो लेकिन जो मेरे सामने आये हैं वह मैं आपको बता रहा हूं—

(1) बन्दोबस्त कार्यवाही संख्या 2046 के विरूद्ध कोई वाद कब तक किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है? क्या अन्दर मियाद खसरा नम्बर 76।

(श्री राकेश मेववाल)

रकबा 92.15 हैक्टेयर के लिये किसी न्यायालय में वाद प्रस्तुत हुआ ? यदि हां, तो उसकी क्या स्थिति है, सरकार की ओर से कौन-कौन पैरवी कर रहा है ?

(2) क्या किसी ग्राम की सम्पूर्ण गोचर सरकारी भूमि को किसी संस्था को आवंटित किया जा सकता है ? यदि हां, तो ग्रामवासियों के मवेशियों को चराने की क्या व्यवस्था होगी ?

(3) राजस्थान सरकार ने वर्ष 92 में इस सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में खसरा नम्बर 761 की 92.15 हैक्टेयर भूमि को राजकीय भूमि गोचर होना स्वीकार किया है तथा इसमें 10.24 हैक्टेयर भूमि पर श्री शिवकरण पुत्र श्री मेवाराम, अध्यक्ष, भेड़ ऊन समिति का अतिक्रमण होना माना है। शेष करीब 82 हैक्टेयर भूमि मौके पर खाली होना बताया है जिससे ग्रामवासियों के प्रवेश व ग्राम के मवेशी चरने में कोई रुकावट नहीं बतायी है व आज भी सरकार का यही मत है– सरकारी कार्य में यह गोचर भूमि, तो सिर्फ शिवकरण के कहने पर ग्रामवासियों के उक्त भूमि पर प्रवेश तथा पशु ले जाने पर उनके विरुद्ध पुलिस में एफआईआर. दर्ज करवायी गयी। पुलिस वालों से सांठ-गांठ करके उनके विरुद्ध सी. आर. नम्बर 100/92 व 92/93 के मार्फत पुलिस द्वारा चालान प्रस्तुत कराकर ग्रामवासियों को परेशान किया गया तथा श्री शिवकरण ने उनके माध्यम से भूमि पर अपना कब्जा जताने के सबूत तैयार करने की कुचेष्टा की। ऐसे पुलिस अधिकारी के विरुद्ध सरकार कब तक कार्यवाही करेगी ?

(4) श्री शिवकरण द्वारा तहसीलदार, नावां के मुकदमा नम्बर 34/92 में निर्णय के विरुद्ध दावा मुन्सिफ एवं मजिस्ट्रेट, नावां के यहां कर रखा है। सरकार की ओर से यहां कौन-कौन पैरवी कर रहा है ? इस सम्बन्ध में एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 जिला कलक्टर, नागौर के यहां की जिसका मुकदमा नम्बर 90/92 है। सरकार की ओर से यहा कौन पैरवी कर रहा है ?

(5) शिवकरण का भेड़ व ऊन सहकारी समिति का अध्यक्ष पद पर निर्वाचन 25.2.92 को नियमानुसार नहीं तथा शिवकरण प्रबन्धक कार्य समिति का सदस्य निर्योग्य घोषित होने के योग्य वर्ष 92 में भी विधान सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से रजिस्ट्रार, सहकारी समिति का ध्यान करा दिया गया है, इसके बावजूद अब तक उन्हें अध्यक्ष निरन्तर बनाये रखना सहकारी विभाग के अधिकारियों की सांठ-गांठ होना प्रमाणित होता है। इतनी बड़ी जमीन से उद्धृत पैदावार जैसे खेजड़ियां, छरड़िया, लकड़ी, भेड़ों की ऊन, भेड़ों की मैंनन, खाद आदि का बड़ा गबन हुआ है। सामग्री का गबन तो हुआ ही है, सरकारी भूमि का भी गबन हो रहा है। परन्तु सहकारी विभाग ने अधिकारियों की सांठ-गांठ के तथ्यों को छिपाया है। क्या सरकार इस समिति की विस्तृत जांच किसी बड़े अधिकारी से कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

(श्री राकेश मेघवाल)

(6) सहकारी विभाग ने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में समिति के उन परिवार के दो सदस्यों का नाम होना बताकर गलत जानकारी दी है और सदन को गुमराह किया है। वास्तविकता यह है कि करीब 20 सदस्य उनके परिवार के, कुटुम्ब हैं व 17 सदस्य उनके सगे सम्बन्धी हैं जिनकी सूची निम्न प्रकार है। सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण गौर करने लायक बात है इस सदन के लिये कि इसमें 20 जो माननीय सदस्य हैं उक्त अध्यक्ष के वे निम्न हैं। मैं आपके सामने नाम प्रस्तुत करता हूं। शिवकरण पुत्र मेवा राम जाट, मेवाराम पुत्र भूराराम जाट, चन्द्रादेवी स्त्री मेवाराम जाट, भंवरीदेवी स्त्री शिवकरण जाट, भंवरलाल पुत्र श्योराम जाट, किशनाराम पुत्र मेवाराम जाट, हेमाराम पुत्र मेवाराम जाट, खेमाराम पुत्र मेवाराम जाट, रूघाराम पुत्र मेवाराम जाट, रामेश्वर पुत्र मेवाराम जाट, नेमाराम पुत्र प्रेमाराम जाट, लूणाराम पुत्र हीराराम जाट . .

श्री सभापति : माननीय सदस्य पूरी सूची की आवश्यकता नहीं है।

श्री राकेश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, यह सरकार को गुमराह किया गया है कि एक ही परिवार के दो सदस्य हैं यह तो लम्बा-चौड़ा परिवार है। पूरा सदन इस पर ध्यान देगा, इसमें मुख्य बात क्या है वह कहने जा रहा हूं मैं।

श्री सभापति : सदन को क्या पता है कि कौन किसका रिश्तेदार है, आप बता दीजिये जो आपने बताये हैं।

श्री राकेश मेघवाल : यही तो नोट करने वाली बात है, मैं आपके समक्ष ये नाम दे रहा हूं। सदन में गलत सूची पेश की हुई है, सरकार को गुमराह किया हुआ है कि दो ही सदस्य एक ही जाति या एक ही घर के हैं.... (व्यवधान).... जमीन चाहता हूं सरकार की मुझे कुछ नहीं चाहिये। हनुमान पुत्र हीराराम जाट, जयराम पुत्र उदाराम जाट....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैंने आपसे निवेदन किया, आवश्यक नहीं है सूची का पढ़ना। आप जो प्रश्न पूछ चुके हैं और कोई प्रश्न बाकी बच गया हो तो और पूछ लीजिये।

श्री राकेश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, इसमें 20 ऐसे सदस्य हैं सभी जाट और 17 दूसरे ऐसे सदस्य भी है वे सभी जाट हैं। इसमें एक भी अनुसूचित जाति का या किसी भी और जाति का सदस्य क्यों नहीं है ? मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा कि इसमें एक मात्र सदस्य भी अनुसूचित जाति का लिया जा सकता था। अगर यह मेरी बात गलत है तो, माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि यह गांव वालों ने लिस्ट दी है। सभी के अंगूठा सहित, दस्तखत भी कराकर मंगायी है। हो सकता है मेरी भी जानकारी गलत हो जाए, इसके लिये मैंने सही सबूत मंगाये हैं। वह सदन के पटल पर रख दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, अतः इन अधिकारियों ने सदन को जो गलत जानकारी दी है उनके विरुद्ध कार्यवाही की

(श्री राकेश मेघवाल)

जाए। श्री शिवकरण, अध्यक्ष का चुनाव नियमानुसार नहीं, सरकारी कानून के अनुसार नहीं। संस्था का संचालक दो वर्ष अथवा 6 वर्ष की अवधि से ज्यादा कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। 25.12.92 को निर्वाचन ही नियमानुसार नहीं हुआ। इन्हें तुरन्त बर्खास्त कर इस संस्था में प्रशासक नियुक्त किया जाए व सम्पूर्ण रिकार्ड की जांच किसी उच्च अधिकारी से करायी जाए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करता हूं कि यह गोचर भूमि जो है इसकी सही जांच करवाई जाए उच्च अधिकारी से ताकि सरकारी भूमि पर किसी भी सदस्य का या किसी भी मैम्बर का अतिक्रमण नहीं हो। अगर हो तो सरकार से यह निवेदन करता हूं कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया जाए। आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री राजेन्द्र गहलोत।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रामेश्वरलाल जी।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नावां) **:** माननीय सभापति महोदय, परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस कुणी की भेड़ पालक सोसाइटी की जमीन के सम्बन्ध में जो बात बतायी है वह सब तथ्यों से परे है। बात तो ऐसी है, आज के करीब 15 साल पहले भेड़-ऊन विभाग को राज्य सरकार की ओर से सहकारी समितियों को जो प्रोत्साहन देने की बात थी उस हिसाब से मेरे यहां करीब पांच सोसाइटियों को ये जमीन पांच गांवों में अलग-अलग जगह दी गयी थी जिसमें कुणी भी है। कुणी के अलावा जातीनगर, पनवाड़ी, इस तरीके से पांच जगह ये भेड़ पालक सोसायटियां कायम की गयी थीं और उनमें एक यह कुणी भी है। कुणी के अन्दर, मेरा निवेदन यह है कि भेड़ पालन विभाग की ओर से कुएं बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं, तारबन्दी की हुई है और करीब 15-16 वर्षों से सुचारू रूप से उस सोसाइटी का काम चल रहा है। अब आप कहते हैं कि गोचर और नहीं है, वहां गांव में उसके पास ही करीब 500 बीघा भूमि और है और गांव में करीब 1000-1500-2000 बीघा गोचर भूमि और है। जैसा कि परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, यह तो महज गांव में भीमराज नाम का नोटोरियस, बदमाश आदमी है उसके कहने से ही एक ग्रेजुएट सरपंच है जो बहुत अच्छा है और सोसाइटी का मास्टरपीस आदमी है उसके ऊपर ऐलिगेशन लगाकर इस सोसाइटी को किसी तरह से रुलाना चाहते हैं। इसकी कई तरह से जांच हो गयी है। इस बार हमारे यहां सैटलमैण्ट हुआ तो उस साइट के सैटलमैण्ट वालों और भीमराज ने मिल कर उस खाते की जमीन को भेड़ ऊन की बजाय गोचर में दर्ज करवा ली। जब सोसाइटी को मालूम हुआ कि ऐसी बात है तो उन्होंने लीगल कोर्ट में जहां भी दावा पेश करना था एसीजेएम के, कलक्टर के या तहसीलदार के कर दिया एसीएम में उसका दावा रेगुलर चल रहा है और उनका पजेशन आज तक है। मेरे इलाके में जो

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)

भी भेड़-ऊन सोसाइटी है, उनमें यह सबसे पहले नम्बर की भेड़ सोसाइटी है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो माननीय सदस्य ही चल कर देख लें कि वाकई हालात सही क्या हैं और क्या नहीं हैं। ठीक है यह तो कोई पार्टीबाजी की वजह से ऐसा कर रहे हैं जो मैं समझता हूं कि सहकारिता के सिद्धान्त के खिलाफ होगा। मैं समझता हूं एक घर के आदमी नहीं हो सकते हैं। आज आप समझते हैं और सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि एक बाप के 5 बेटे हैं वे पांचों एक जगह नहीं रहते हैं, पांचों अलग-अलग रहते हैं, पांचों के घर अलग-अलग होते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए। समस्या उनकी है, आपको जवाब नहीं देना चाहिये, जवाब मन्त्रीजी देंगे।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : मेरे इलाके की है ... (व्यवधान)

श्री सभापति : उनके साथ आपकी सहानुभूति है तब तो आप बोलिये, आप क्या जवाब दे रहे हैं ?

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : यह उसको गुमराह करके (व्यवधान)

श्री सभापति : वह बात नहीं है। बिराजिए आप।

श्री राकेश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं जो कोई मुझे गुमराह कर सके। मैं कोई पार्टीबाजी को लेकर नहीं चल रहा हूं.... (व्यवधान)....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री राकेश मेघवाल : सरकारी भूमि है और सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटाया जाना चाहिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय मंत्रीजी। ...(व्यवधान)

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : जो भेड़-ऊन पालक सोसाइटी का.... (व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप बिराजिये।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : बैठ जाएंगे, जोर क्यों कर रहे हैं ?

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, प्रस्तावक महोदय ने कुछ प्रश्न यहां पर उठाये हैं मैं एक-एक करके उनके बारे में जानकारी दूंगा। बहुत कुछ तो मैंने मेरे उत्तर में पहले ही कह दिया है। बन्दोबस्त के खिलाफ कोई कार्यवाही के सम्बन्ध में राजस्व विभाग को जानकारी नहीं है। यह सही है कि सम्वत् 2046 में जिस क्षेत्र का सैटलमैण्ट हुआ था, सैटलमैण्ट के वक्त यह जमीन गोचर लिख दी गयी थी, उसके खिलाफ अगर किसी ने कार्यवाही की है तो जानकारी नहीं है। पूरी भूमि गोचर आवंटित की जा सकती है या नहीं, मैंने पहले भी अर्ज किया और भी निवेदन करता हूं कि वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम के अन्तर्गत उस

(श्री गंगाराम चौधरी)

वक्त डीपीएपी को कुछ राशि आवंटित की गई थी और डीपीएपी ने भेड़-पालन के सम्बन्ध में एक योजना बनायी थी। 1979 में। उस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने 600 बीघा भूमि यानि 100 हेक्टेयर भूमि उन दिनों आवंटित करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया था हरेक सोसाइटी को, चाहे बंजर भूमि अलाट करे चाहे चरागाह भूमि अलाट करे। उसके अन्तर्गत भूमि में से 600 बीघा भूमि यानि लगभग 100 हेक्टेयर भूमि अलाट की थी डाइरेक्टर, डीपीएपी को। हमने सोसाइटी को अलाट नहीं की है। राज्य सरकार ने डाइरेक्टर, डीपीएपी को की थी और डाइरेक्टर, डीपीएपी ने शीप एण्ड वूल डिपार्टमैण्ट को फर्दर इसका कब्जा सौंपा। शीप एण्ड वूल डिपार्टमैण्ट ने जगह-जगह सोसाइटीज बनायीं। यह कोई एक कोने की बात नहीं है, राजस्थान में चूरू, जोधपुर, नागौर, जालौर, 4–5 जिलों के अन्दर इस तरह की सोसइटीज को जमीन उन दिनों में अलाट की गयी थी, उनमें से एक यह भी है। तो इस सोसाइटी को उस वक्त में आवंटित की। सरकार ने तो आवंटित की थी डीपीएपी को और सोसाइटी को फर्दर कब्जा दिया था। वर्ल्ड बैंक की ओर से जो पैसा आया डीपीएपी ने यह पैसा शीप एण्ड वूल को दिया और शीप एण्ड वूल ने सोसाइटीज को कुछ सहायता दी। उसमें इस सोसाइटी को भी सहायता मिली है जिसके अन्तर्गत इन्होंने अपने शेड्स बनाये हैं, ग्वाला की हट बनायी है, तारबन्दी की है, इस तरह के कई काम किये हैं। 1985 तक सरकारी सहायता इन सोसाइटीज को दी गयी है, उसके बाद नहीं दी गयी है। लगभग उसी मौके सम्वत् 2046 में यह जमीन पुनः दर्ज गोचर कर ली गयी सेटलमैण्ट में। उसके बाद भी और उसके पहले भी चरने के लिये तो कोई किसी को मनाही नहीं थी और न किसी ने कभी शिकायत की और न शिकायत आयी। 1980 में इस सोसाइटी का जमीन पर कब्जा हुआ सबसे पहले, 1980 से लेकर 1992 तक कोई शिकायत नहीं आयी। 1992 में पिछली बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जरूर आया था जबकि इस सोसाइटी के अध्यक्ष ने यहां ग्वार बो दिया था। उस ग्वार बोने के खिलाफ जनता ने शिकायत भी की और सब कुछ हुआ, हमने 91 की कार्यवाही भी की और उसमें उसको बेदखल भी कर दिया। राज्य सरकार ने यहां से आदेश जारी किया कि इसकी नीलामी तहसीलदार या नायब तहसीलदार करे, उससे नीचे का कोई अधिकारी नहीं करे। उस फसल की नीलामी भी हुई और जैसा कि मैंने अपने जवाब में बताया, 3100 रुपये की वसूली भी हो गयी। ठीक है उसके बारे में मि. शिवकरण ने कोई कोर्ट में टेम्परेरी इंजेक्शन प्राप्त किया है, इससे हम उसको बेदखल नहीं कर सके। कुछ और जगह अदालत में 91 के खिलाफ उन्होंने कार्यवाही शुरू की है, अपील की है, उसकी पैरवी हमारे तहसीलदार कर रहे हैं। कोर्ट में एफ.आई.आर. है उसकी कोर्ट में पैरवी एपीपी करते हैं। इस तरह से पैरवी की जो बात है वह बात तो यह है।

(श्री गंगाराम चौधरी)

अब बात यह है कि सहकार विभाग से सम्बन्धित कुछ मसले आपने उठाये हैं। मुझे जो भी जानकारी मिली है उसके अनुसार मैं इतना ही कह सकता हूं कि मि शिवकरण सहकारी कानून के अन्तर्गत चुनने के योग्य नहीं हैं। 6 साल लगातार वे रह गये हैं, सहकारी विभाग उनको नोटिस दे रहा है और नोटिस देने के बाद वह आवश्यक कार्यवाही करेगा। हमारा राजस्व विभाग इस सम्बन्ध में सहकारी विभाग को लिख देगा।

दूसरी बात आयी मैम्बरशिप की, यह भी मुझसे सम्बन्धित नहीं है। मैम्बरशिप एक ही परिवार की है या नहीं है, सहकारी विभाग से जो भी जानकारी मुझे मिली है मैंने कह दी। माननीय सदस्य चाहें तो, सहकारी विभाग से और जानकारी इसके बारे में कर सकते हैं कि एक ही परिवार के हैं या नहीं है। इसके बारे में राजस्व विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है, केवल सहकारी विभाग को जानकारी ही दे सकता है। इस गांव के अन्दर और भूमि, चरागाह की ज्यादा नहीं है, 6 हेक्टेयर, और 29 हेक्टेयर के करीब चरागाह भूमि और उपलब्ध है। यह भूमि हमारे रिकार्ड के हिसाब से सारी की सारी चरागाह है और चारागाह के उपयोग के सम्बन्ध में जनता को किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। मुकदमें जो भी किये हैं उनकी पैरवी सरकार की ओर से जितनी हो रही है वह हो रही है और पब्लिक के लोग अपने आप इस सम्बन्ध में करेंगे। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कह सकता हूं कि आज राजस्व विभाग यह भूमि अपनी मानता है, चारागाह मानता है और चारागाह होने के नाते कोई भी अतिक्रमण इस पर होगा तो कोर्ट के इंजेक्शन के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, राजस्व विभाग अपनी ओर से नियमों के अन्तर्गत पूरी कार्यवाही करेगा बेदखली की।

श्री सभापति : प्रश्न कुछ बहुत महत्वपूर्ण उठाये गये हैं सहकारिता के बारे में, सहकारिता मंत्रीजी कुछ बताना चाहेंगे।

श्री सुजानसिंह यादव (सहकारिता मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, राजस्व विभाग से सम्बन्धित है, सरकारी भूमि....

श्री सभापति : प्रश्न उनका यह है कि एक ही परिवार के सदस्यों की समिति बन गयी, दूसरे लोग नहीं हैं, एक ही जाति के हैं, दूसरी जाति के नहीं हैं। इस प्रकार की समिति कार्य कर रही है तो इस बारे में तो....

श्री सुजानसिंह यादव : मेरी जानकारी में नहीं है। माननीय सदस्य मुझे कुछ आवेदन देंगे तो उस पर जांच करवा लूंगा।

श्री सभापति : कुछ और बच गया है क्या ?

श्री राकेश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय मंत्री महोदय का हृदय से मैं आदर करता हूं और उनसे तर्क-वितर्क भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनसे तर्क-वितर्क करने के काबिल भी नहीं हूं इसलिए

(श्री राकेश मेघवाल)

इन्हें जो जानकारी अधिकारियों ने दी है उसको मैं गलत नहीं मान रहा हूं लेकिन जानकारी देने वालों की मिलीभगत हो तो जानकारी कैसे आएगी ?

श्री सभापति : खास बात हो तो बोलिये ।

श्री राकेश मेघवाल : खास बात यही है, माननीय सभापति महोदय, इसकी जांच.... (व्यवधान).... मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं फिर आप भी मत बोलिये ।

(14.00)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिये, सहकारिता के बारे में और कोई बात रह गयी हो, जो कि मैंने कह दी है, आप अपनी जो भी जानकारी है माननीय मंत्रीजी को दे दीजिये, ये जांच करा लेंगे और जहां तक राजस्व का मामला है, वह बहुत स्पष्ट कर दिया गया है ।

श्री राकेश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, इस मामले में इनको जो जानकारी दी हुई है वह सत्य नहीं है ।

श्री सभापति : अब आप सब जानकारी दे देना । चर्चा समाप्त हुई । बिराजिये । नियम 131 के अन्तर्गत श्री कालीचरण सराफ, सदस्य, विधान सभा जयपुर डेयरी में अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

जयपुर डेयरी में भ्रष्टाचार व अनियमितता

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये जयपुर डेयरी में व्याप्त अधिकारियों की मिलीभगत से खुले भ्रष्टाचार से जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री टीकमचन्द कान्त : माननीय सभापति महोदय, इतना तो कहिये कि बोलते समय मुंह में पान तो नहीं रखें ।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी ।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा (राज्य मन्त्री, पशुपालन एवं डेयरी) : यह सही नहीं है कि जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में उच्चाधिकारियों के सहयोग एवं मिलीभगत से कोई अनियमितता की जा रही है । यह भी सही नहीं है कि जयपुर डेयरी में प्रशासन और परिवहन वितरकों की मिलीभगत के कारण डेयरी को 25 लाख रुपये का नुकसान पहुंचा है ।

वस्तुस्थिति यह है कि जयपुर दुग्ध संघ की कार्यप्रणाली में पिछले 2–3 वर्षों से बहुत ज्यादा सुधार हुआ है जिसके कारण घाटे में चल रहे दुग्ध संघ को वर्ष 1990-91 से लगातार प्रतिवर्ष वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई है । वर्ष 1993-94 में तो संघ के शुद्ध लाभ की स्थिति में आने की सम्भावना है । कार्य प्रणाली में सुधार की प्रक्रिया के तहत प्रथम बार वर्ष 1989 में राजस्थान

(श्री अर्जुनसिंह देवड़ा)

डेयरी फैडरेशन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जयपुर शहर में भी अन्य कई डेयरियों एवं राज्यों की भांति रोकड़ संग्रह का कार्य डेयरी के कर्मचारियों के स्थान पर परिवहन वितरकों के माध्यम से कराया जाए। इस हेतु निविदाएं भी जारी की गयी लेकिन कुछ कारणों से ऐसा नहीं किया जा सका। इसके पश्चात् वर्ष 1991 में जयपुर शहर में एक ही वितरक की मोनोपोली समाप्त करने के उद्देश्य से शहर को चार जोनों में में विभक्त किया गया तथा प्रत्येक जोन में एक वितरक को कार्य दिया गया। साथ ही चार में से एक जोन में रोकड़ संग्रह का परिवहन वितरक के माध्यम से प्रारम्भ करवाया गया गया। इसके पश्चात् वर्ष 1992 में जयपुर डेयरी का जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में मर्ज कर दिये जाने के बाद संघ के बोर्ड द्वारा सर्वसम्पति से यह निर्णय लिया गया कि पूरे जयपुर शहर में ही रोकड़ संग्रह का कार्य परिवहन वितरकों के माध्यम से करवाया जाए जिसके मुख्यतया निम्न कारण थे :—

(1) शहर में स्थित बूथों से पैसा लाकर बैंक में जमा कराने तक की पूरी जोखिम वितरक की होगी जबकि पूर्व में यह संघ की होती थी।

(2) दुग्ध विक्रेताओं पर बकाया राशि की वसूली की पूर्ण जिम्मेदारी वितरक की होगी।

(3) संघ के कर्मचारियों के माध्यम से रोकड़ संग्रह करने पर संघ के बैंकों द्वारा छोटी राशि के नोट स्वीकार नहीं किये जाते थे जिसके कारण ये नोट संघ के रोकड़ विभाग में जमा किये जाते थे तथा संघ के पास लगभग 15 से 20 लाख रुपये की राशि छोटे नोटों के रूप में हमेशा ब्लाक रहती थी। अब वितरकों से भुगतान पे-ग्रार्डर-द्वारा प्राप्त किया जाता है जिससे यह समस्या समाप्त हो गयी है।

(4) संघ के कर्मचारियों द्वारा पूरा पैसा न जमा कराने पर अथवा हिसाब-किताब प्रस्तुत करने में देरी करने पर लेखे अपूर्ण रहते थे जिससे दुग्ध विक्रेताओं को कमीशन का भुगतान करने में देरी होती थी। अब इस तरह की कोई समस्या नहीं है एवं दुग्ध विक्रेताओं को हाथो-हाथ कमीशन दिया जा रहा है।

(5) जयपुर शहर में विकास के साथ डेयरी के द्वारा प्रति वर्ष नये सप्लाई मार्ग बनाये जा रहे हैं। अपने कर्मचारियों के माध्यम से रोकड़ संग्रह करवाने में प्रतिवर्ष कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करनी पड़ती है जो उपयुक्त नहीं था।

संचालक मण्डल में उक्त निर्णय के अनुरूप संघ द्वारा रोकड़ संग्रह का समस्त कार्य वितरकों के माध्यम से करवाया जाना प्रारम्भ किया गया। वितरकों की नियुक्ति निविदा के आधार पर प्रति वर्ष बोर्ड द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी की जिसमें संचालक मण्डल के तीन सदस्य एवं संघ के चार अधिकारी हैं, सिफारिशों के आधार पर की जाती है। इस कमेटी के अध्यक्ष संघ के चैयरमैन हैं। इसी उच्च स्तरीय कमेटी के निर्णयानुसार जब भी वितरक

(श्री अर्जुनसिंह देवड़ा)

नियमानुसार राशि जमा नहीं करवाता है तो निम्न प्रकार पैनल्टी लगायी जाती है :—

एक लाख रुपये तक	18 प्रतिशत
एक से तीन लाख रु. तक	24 प्रतिशत
तीन लाख से ऊपर	36 प्रतिशत

इस कार्य हेतु पचास हजार रुपये की अमानत राशि तथा ढाई से तीन लाख रुपये तक की बैंक गारन्टी ली जाती है।

आडिट द्वारा कुछ समय पूर्व वितरकों की ओर से रह रही बकाया राशि के बारे में ध्यान आकर्षित किया गया था लेकिन संघ द्वारा कार्यवाही पहले ही प्रारम्भ कर दी गयी थी। यह अवश्य है कि परिवहन वितरकों द्वारा विभिन्न कारणों से बिक्री राशि देर से जमा करवायी गयी है लेकिन उसकी वसूली संघ द्वारा प्रारम्भ से ही संचालक मण्डल द्वारा तय प्रक्रिया के तहत मय पैनल्टी के की गयी है एवं इससे संघ के आर्थिक हितों को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

वर्तमान में विभिन्न परिवहन वितरकों पर बकाया राशि का वितरण संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–21 देखें।)

इससे स्पष्ट है कि संघ की कुल बकाया दूध की राशि, जो बैंक गारंटी, अमानत राशि, वितरकों के बिल इत्यादि से ऊपर है, वह मात्र रुपये 1.37 लाख है जबकि परिवहन वितरकों से बकाया राशि के साथ-साथ रुपये 3.00 लाख पैनल्टी के रूप में वसूल किये गये हैं।

इस वर्ष परिवहन वितरकों के माध्यम से किये गये कुल 17 करोड़ के दूध व्यापार के परिप्रेक्ष्य में यह बकाया राशि कतई अधिक नहीं है।

संघ में सभी निर्णय निर्वाचित संचालक मण्डल द्वारा संघ के सभी हितों को ध्यान में रखते हुए लिये गये हैं तथा साथ ही दिन-प्रतिदिन के निर्णयों से भी संचालक मण्डल को पूर्णतः अवगत रखा गया है।

यह भी सही नहीं है कि परिवहन वितरकों से जो चैक प्राप्त किये गये थे उनमें से कई लाख के चैक बिना भुगतान के लौट रहे हैं। वास्तविकता यह है कि बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करने के लिये संघ द्वारा वितरकों से चैक भी प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था तथा कुल प्राप्त चैकों में से मात्र दो लाख के चैक बिना भुगतान के वापस हुए थे, जिन्हें भी सम्बन्धित वितरक से वार्ता कर भुगतान हेतु पुनः प्रस्तुत कर दिया गया तथा उनका भुगतान भी प्राप्त हो गया।

उक्त से स्पष्ट है कि वितरकों द्वारा देरी से जमा करवायी जाने वाली राशि के कारण संघ कोई आर्थिक हानि नहीं हुई है। कार्य प्रणाली में कुछ कठिनाइयां अवश्य आयी हैं जिनके निवारण एवं सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री सभापति : माननीय कालीचरणजी

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी ने जवाब में कहा है, यह सही नहीं है कि परिवहन वितरकों से जो चैक प्राप्त किये गये थे उनमें कई लाख के चैक बिना भुगतान लौट रहे हैं, वास्तविकता यह है कि बकाया राशि की वसूली करने के लिये संघ द्वारा वितरकों से चैक भी प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था।" जो एग्रीमेन्ट हुआ था, उसमें यह लिखा है. सभापति महोदय, The distributor would be responsible for depositing the full amount for these quantity of milk taken by him in the morning and proceeding evening by way of DD, pay order transfer advice issued by bank in case account of distributor in the same bank in which he is having its amount. यानी इसका मतलब यह है, एग्रीमेंट में यह स्पष्ट लिखा है कि पेमेन्ट हुआ तो पे-आर्डर से होगा या डिमाण्ड ड्राफ्ट से होगा या ट्रांसफर एडवाइज से होगा। यह निर्णय कब लिया गया कि उन्हें चैक से पेमेंट किया जाएगा ? चैक यदि वापस आ गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी ? वास्तविकता यह है, इन्होंने जो आंकड़े दिये हैं कि बैंक की गारंटी होती है और बैंक की गारंटी होने के कारण यदि कोई बकाया रहती है तो इसको हम फुलफिल कर सकते हैं, बैंक की गारंटी तो स्क्रेप्स से सम्बन्धित होती है। यह वास्तविकता है कि हर समय ये जो परिवहन ठेकेदार है उनमें कभी 28 लाख, कभी 22 लाख, कभी 25 लाख रुपये बाकी रहते हैं और इसका कारण यह है कि ये जो बकाया राशि रहती है, अधिकारी और परिवहन ठेकेदार उसको बिजनस में इनवेस्ट करके उससे बिजनस करते हैं और आपने कहा कि कोई बकाया नहीं है। अब मैं आंकड़े बताता हूं। 17.1.94 को रुपये 28,01,663.22 बाकी थे, 15.2.94 को 20,32,358 रुपये बाकी थे, 16.2.94 को 20,33,867 रुपये बाकी थे, 17.2.94 को 22,02,937 रुपये, 18.2.94 को 21,63,784 रुपये, 19.2.94 को 21,64,498 रुपये, 21.2.94 को 19,89,695 रुपये। इसी प्रकार से 22.2 को 18 लाख, 26.2 को 19 लाख 28 2 को 18 लाख, 5.3 को 18 लाख, 7.3 को 19 लाख, 8.3 को 19 लाख, 12.3 को 19 लाख और 15.3 को 22 लाख। इतना पैसा जो बाकी रहता है, एग्रीमेण्ट के हिसाब से आप इतनी बकाया राशि कैसे छोड़ रहे हैं ? क्या यह सही है कि जो चैक से इन्होंने पेमेंट लिया उसमें से कई बार चैक वापस हो गये ? आपने कहा कि 2 लाख रुपये के चैक वापस हो गये। चलिये मैं आपकी बात मान लेता हूं. परन्तु जब एग्रीमेंट में स्पष्ट है कि या तो डीडी. से पेमेंट लिया जाए या पे-आर्डर से लिया जाए तो आपने चैक से पेमेंट कैसे स्वीकार किया ? कौनसी ऐसी मीटिंग हुई जिसमें आपने यह निर्णय लिया ? जो ऑडिट की गयी उसमें भी उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाये, उनके बारे में भी आपने कुछ नहीं बताया। माननीय मंत्री महोदय, जो आपको जवाब लिखकर दे दिया वही आपने यहां पर पढ़ दिया। इसके लिये तो हम विधान सभा में प्रश्न उठाते नहीं हैं।

(श्री कालीचरण सराफ)

आपने बहुत बड़ाई की और कहा कि बहुत अच्छा प्रोफिट हो रहा है. यह हो रहा है, बहुत अच्छी बात है परन्तु यह जो घोटाला हुआ है कि पेमेंट डीडी. से होना चाहिये था पे-आर्डर से होना चाहिये वह पेमेंट आपने चैक से लिया और चैक वापस हो गया, यह क्यों हुआ ? इसका एक मात्र कारण यह है कि अधिकारियों और परिवहन ठेकेदारों की मिलीभगत है और जो अमाउन्ट बाकी रहता है उसको दोनों मिलकर बिजनस में इन्वैस्ट करते हैं। इसके बारे में में कृपया बताएं ताकि फिर मैं आगे पूछूं।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : सभापति महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि चैक वापस हुए, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा।

श्री कालीचरण सराफ : आप तो एग्रीमेंट में क्या था वह बताओ।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, विराजिये। अन्य प्रस्तावक महोदय माननीय राजपाल सिंह जी शेखावत, माननीय गोपी राम जाट, माननीय श्री रामेश्वर भारद्वाज, कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे ? नहीं ? माननीय धनखड़ साहब।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, मैं इस प्रश्न पूछना चाहूंगा।

श्री कालीचरण सराफ : बड़ा स्पेसिफिक प्रश्न है।

श्री सभापति : एक साथ ही दे देंगे मंत्रीजी जवाब, वरना बार-बार खड़ा होना पड़ेगा और बार-बार बैठना पड़ेगा।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति जी, एक अत्यन्त गम्भीर मामले में जहां इस सदन के साथ एक तरीके फ्रॉड किया गया है, मंत्रीजी ने कितनी सरलता से अपना जवाब पढ़ दिया, अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया जवाब जो किसी भी तरह से लोजिकल नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट का क्लॉज नं. 2 है : This agreement shall come into effect only after deposit of cash security of Rs. 50,000 and submission of bank guaranty of Rs. 2.5 lakhs.

माननीय सभापति महोदय, अब आप जवाब को देखिये। इन्होंने जो जानकारी दी है, कि कुछ बाकी क्यों नहीं है, उसमें 13 लाख की बैंक गारंटी को भी इन्होंने कंसीडर किया है। माननीय सभापति महोदय, आपको तो इतना अनुभव है, क्या बैंक गारंटी को इसमें कंसीडर किया जा सकता है ? How can this be done ? This trick is being played on all of us. मंत्रीजी ने बिल्कुल आवश्यक नहीं समझा कि इसको एनेलाइज कर दें। यह एक ऐसा करप्शन का गंभीर मुद्दा है जहां एग्रीमेंट के हर क्लॉज को इन्होंने वायोलेट किया है। पहला, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है क्लॉज नं० चार, The distributor shall also collect the cash from retail outlets daily and shall be

(श्री जगदीप धनखड़)

liable to deposit the same under proper receipts to the union the same day. अमाउंट लाखों में है, क्या यह गम्भीर एम्बेजलमेंट का मामला नहीं है? जहां आपको एक दिन की रियायत नहीं है वह रियायत ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर एक प्रैक्टिस बन गयी है और बड़े आश्चर्य की बात है कि ऑडिटर की रिपोर्ट की ऑडिट की गयी है किनके द्वारा? जो गिल्टी हैं, जो करप्ट हैं। मैं नहीं कहता, माननीय मंत्रीजी, उसमें किसी प्रकार की अनदेखी कर रहे हैं पर इनकी आंखों में धूल झोंक दी और माननीय मंत्री जी की मार्फत हम सबकी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से तीन बातें पूछना चाहता हूं। पहली, जब चैक्स को स्वीकार करने का कोई प्रावधान नहीं है और इसके पीछे एक भावना है तो चैक्स को स्वीकार क्यों किया गया? और यदि चैक्स को स्वीकार किया गया तो मंत्रीजी अपने जवाब में कहते हैं कि दो लाख के चैक डिसऑनर हो गये। आप देखिये, मान्यवर, पेज नं० तीन पर। कुल प्राप्त चैकों में से मात्र दो लाख के, राजस्थान की गरीब जनता का पैसा लूटा जा रहा है, इस संस्था को एक तरीके से जर्जर हालत में डाला जा रहा है, मात्र दो लाख के चैक बिना भुगतान के वापस हुए। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि यदि अधिकारियों की मिलीभगत नहीं थी तो चैक डिसऑनर के मामले में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत कार्यवाही क्यों नहीं की गयी? क्यों फौजदारी प्रकरण जारी नहीं किये गये?

तीसरी बात, यह मामला इतना आसान नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आपको इतना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, 20 लाख से ऊपर का अमाउंट लगातार इन यूज रहा है, दिन-ब दिन, रहा है और आडिट रिपोर्ट में, इसका लगातार हवाला आता रहा है। बैंक गारंटी लेने की एक कंडीशन है, इन लोगों ने आपसे बैंक गारंटी की बजाय कैश ले रखा है। आपकी मंशा है 2.5 लाख की बैंक गारंटी और उल्टा हो गया। 2.5 लाख की बैंक गारंटी की बात छोड़िये, 25 लाख कैश ले रखे हैं इन्होंने आप लोगों से। और उस पर कुछ नहीं कहा गया।

मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे जिन्होंने आपकी मार्फत इन कागजात के आधार पर इस सदन को गुमराह करने की चेष्टा की है? नम्बर दो, जो पैसा है जिसकी वसूली बहुत पहले हो जानी चाहिये थी, जो चैक्स डिसऑनर हो गये तो क्या उस संबंध में आप फौजदारी प्रकरण जारी करेंगे, शुरुआत करेंगे? नम्बर तीन, इस संस्था के जो शीर्ष अधिकारी हैं, जिनकी मिली-भगत के बिना यह कार्य संपन्न ही नहीं हो सकता, क्या उनको पद से हटाकर जांच करना सरकार वाजिब नहीं समझती है?

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : सभापति महोदय, पहला सवाल यह पूछा गया था

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

कि यह बैंकों से चैक द्वारा पेमेंट क्यों लिया जाता था। 1 जनवरी, 1994 को बोर्ड ने निर्णय लिया था कि यदि बैंक से चैक के माध्यम से पैसा ले लिया जाए क्योंकि काफी....

श्री कालीचरण सराफ : इसका कारण क्या है ? जब एग्रीमेंट में स्पष्ट लिखा है कि आप डीडी. से पेमेंट लेंगे, पे-ऑर्डर से लेंगे तो चैक से पेमेंट का निर्णय कैसे लिया ?

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : वह बोर्ड ने निर्णय लिया।

श्री कालीचरण सराफ : यही मिलीभगत है।

श्री जगदीप धनखड़ : पूरा बोर्ड करप्ट है।

श्री कालीचरण सराफ : चैक से पेमेंट लेने का निर्णय बोर्ड ने लिया कैसे ? वह इस बात के लिये कैसे अधिकृत है, यह बताएं।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : माननीय सभापति महोदय, बोर्ड ने निर्णय लिया उसको....

श्री सभापति : बोर्ड ने निर्णय लिया वह आपकी निगाह में सही था क्या, यह पूछ रहे हैं। आखिरकार जब आप जवाब दे रहे हैं तो बोर्ड का निर्णय उचित था क्या, यह बताएं।

श्री कालीचरण सराफ : बोर्ड निर्णय ले कैसे सकता है ? जब एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो फिर कैसे निर्णय ले सकते हैं ?

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : माननीय सभापति महोदय, बोर्ड जो निर्णय लेता है वह अपने आप में सक्षम है कि उसको क्या करना है, क्या नीति निर्धारण करनी है।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट सुनिये। (व्यवधान)... इसी से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत है। नहीं तो बोर्ड को यह निर्णय लेने की क्या आवश्यकता पड़ी और बोर्ड ने यह निर्णय क्यों लिया ?

श्री जगदीप धनखड़ : उसमें वे सरकार की भागीदारी चाहते हैं।

श्री कालीचरण सराफ : ये सरकार की भागीदारी और चाहते हैं इसमें।

श्री सभापति : बिराजिये, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : आप तथ्यों को छिपा रहे हैं।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, मैं कोई तथ्यों को नहीं छुपा रहा हूं और मुझे ऑफिसर्स को बचाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन जो सही चीज है वह आप सुन लें। 1 जनवरी, 1994 को बोर्ड ने निर्णय लिया था। उसके बाद में जो दो चैक का .... (व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप बिराजिये, बोल तो लेने दीजिये उनको।

श्री कालीचरण सराफ : सभापति महोदय, इसके क्या कारण रहे, क्यों चैक से पेमेंट लेने का निर्णय लिया गया, वह बताएं आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बात पूरी तो करने दो।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : सभापति महोदय, दो चैक आये। ये आये 31.2.94 को दो दो लाख रुपये के। चार तारीख को मालूम पड़ा कि इन-इन चैकों का पेमेन्ट नहीं हुआ है।

श्री जगदीप धनखड़ : 31.2.? नहीं, नहीं, वह तो हो ही नहीं सकता। आज तक इतिहास में 31.2 नहीं आयी। उन्होंने रिकार्ड ऐसा बनाकर आपको दिया है कि पूरा फर्जी है। सभापति महोदय, चाहे आप इसको स्थगित कर दें, इनको पूरी जानकारी का अवसर दें।

श्री सभापति : आप बिराजिये पहले। कोई बात बच गयी तो स्थगित कर देंगे, कुछ भी कर देंगे पर उनकी बात तो समाप्त होने दीजिये पहले।

श्री कालीचरण सराफ : यह बताओ कि पेमेन्ट का निर्णय कैसे लिया आपने?

श्री सभापति : कृपया बिराजिये, उनको अपनी बात तो पूरी कह लेने दीजिये। फिर उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन्स होंगे तो फिर पूछ लीजियेगा।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : सभापति महोदय, यह मैंने मेरे हाथ से लिखा था, शायद मैं इसमें गलती कर गया हूं।

श्री सभापति : कोई बात नहीं, करैक्ट कर दीजिये।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : अब क्या हुआ कि 4.3 को हमें मालूम पड़ा। उस पार्टी को बुलाया और यह पेमेन्ट आठ तारीख को उस पार्टी ने कर दिया। सभापतिजी, मैं यहां बताना चाहूंगा कि जयपुर डेयरी में डेली सवा चार लाख रुपये का दूध शहर में बिकता है। दो-तीन दिन की छुट्टी हो जाती है, 12 लाख रुपये, 15 लाख रुपये, अभी ईद की छुट्टी हुई, संडे हुआ, सैकण्ड सैटर डे हुआ तो उनके पास रहता है जब 17-18 करोड़ का बिजनस होता है, सभापतिजी, तो उसमें जो 17–18 लाख रुपये रह जाते हैं उस पर भी इन्टरेस्ट है, उनको कोई वैसे नहीं दिये जाते हैं कि आपकी मर्जी आये उतने आप यूज करें। अगर एक लाख की सीमा है तो उस पर 18 प्रतिशत, उससे ज्यादा है तो 26 प्रतिशत और उससे भी ज्यादा, अगर तीन लाख से ज्यादा है तो 36 प्रतिशत तक उनसे पैनेल्टी ली जाती है और पैनेल्टी के भी तीन लाख रुपये लिये। 31.1.93 है, उसको 31.2.93 मैंने बता दिया उसके लिये मैं क्षमा चाहूंगा।

जहां तक जयपुर डेयरी का सवाल है, पिछले दो सालों से जयपुर डेयरी ने काफी अच्छी प्रगति की जबकि यह डेयरी काफी घाटे में चल रही थी। पिछले साल भी काफी प्रगति की, इस साल भी करीब 65 लाख के प्रोफिट में है। जहां तक काश्तकारों का सवाल है, एक भी काश्तकार एक भी

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

सोसाइटी ऐसी नहीं है जिनका टाइमली पेमेन्ट नहीं होता हो, उनकी वर्किंग के मामले में कोई दिक्कत हो। राजस्थान में एक मात्र डेयरी है जिसका कामकाज अच्छा है। जहां तक माननीय सदस्य ने बताया कि कुछ पैसे ज्यादा रखे, रोज बैलेंस में सवा चार लाख रुपये आते हैं. डेली बैलेंस शीट बनती है, कभी तीन दिन की छुट्टी होती है तो पैसा ज्यादा ऊपर बढ़ जाता है, वापस वह पैसा रिकवर होता है और जो किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि 19 लाख, मैं भी कह रहा हूं कि 19 लाख बकाया है लेकिन उनके पेटे इतने लाख की तो हमारे पास में है बैंक गारंटी और यह पैसा और यह पैसा और यह भी 6 तारीख को यह कान्ट्रेक्ट खत्म होगा....

श्री कालीचरण सराफ : बैंक गारंटी मिला कर कह रहे हैं...

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : मैं मिला नहीं रहा हूं....

श्री जगदीप धनखड़ : बैंक गारंटी मिलाने के बावजूद बकाया है....

श्री कालीचरण सराफ : यह क्या जवाब दे रहे हो?

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : मैं कह रहा हूं कि इतने पैसे बकाया हैं और उस बकाया पैसे का बकायदा उनकी पेनेल्टी के सहित इन्टरेस्ट भी लिया जाता है। यह मैंने जैसे बताया कि सवा चार लाख रुपये डेली का कलेक्शन होता है उनमें यह जरुर है कि कुछ छुट्टियां हों, कुछ दूसरे कारण हों, कुछ उन्होंने पैसे जमा भी नहीं कराये तो यह पैसे रहे। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि पैसे नहीं रहे। इस सम्बन्ध में यह जरूर रहा है, इसके अलावा भी जो अधिकारियों ने कोई गलती की या कोई भी गलत सूचना मुझे दी है तो निश्चित रूप से उसके बारे भी एक्शन ले लिया जाएगा कि इसके बारे में क्या हो जो उन्होंने गलत तथ्य दिये। लेकिन....

श्री सभापति : माननीय विष्णु मोदी। वे एक सवाल पूछ रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ : सभापतिजी, हम तो केवल एक ही बात पूछना चाहते हैं कि आपके एग्रीमेंट....

श्री जगदीप धनखड़ : मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं....

श्री कालीचरण सराफ : जगदीप जी, एक मिनट।

श्री सभापति : माननीय धनखड़जी, बिराजिये। पहले प्रस्ताव को....

श्री कालीचरण सराफ : एक ही बात पूछना चाहते हैं हम तो कि जब आपके एग्रीमेंट में स्पष्ट प्रावधान है—एक बार फिर सुन लीजिये—डी डी. से पेमेन्ट होगा, पे आर्डर से पेमेन्ट होगा तो ऐसे कौन-से कारण रहे कि आपने चैक से पेमेन्ट लेने का निर्णय बोर्ड की मीटिंग में किया? इससे स्पष्ट यह परिलक्षित होता है कि अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत थी।

दूसरे, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है? आडिट रिपोर्ट में पढ़कर

(श्री कालीचरण सराफ)

सुनाना चाहता हूं। ये सुरेन्द्र शर्मा हैं, समवर्ती अंकेक्षक, इन्होंने लिखा है—उप प्रबन्ध, जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड—परिवहनकर्ताओं से बकाया राशि वसूल करने के सम्बन्ध में—"संस्था के रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्नांकित परिवहनकर्ताओं में संस्था की निम्न राशि दिनांक 17.1.94 तक बकाया है : मैसर्स क्वालिटी ट्रेड—4,83,977 रुपये, अपोलो फ्रेट कैरियर्स–दस लाख रुपये, कामदार फ्रेट कैरियर–6,19,032 रुपये और जैन कैरियर्स–6,98,655.21 रुपये। कुल 28,01,663 रुपये।" फिर बाद में लिखा है उन्होंने आडिट रिपोर्ट में—"ज्ञातव्य है कि उपरोक्त राशियां इन परिवनकर्ताओं की सिक्योरिटी राशि से भी अत्यधिक हैं। इस सम्बन्ध में रिकार्ड का अवलोकन करने से यह भी स्पष्ट है कि सम्बन्धित लेखा, शाखा द्वारा समय-समय पर इसकी सूचना सम्बन्धित अधिकारी को दी गई है। यह स्थिति अत्यन्त गम्भीर है तथा ऐसी स्थिति में यदि कोई परिवहनकर्ता बीच में अनुबन्ध तोड़कर चला जाए तो संस्था को अत्यधिक हानि उठानी पड़ सकती है। अतः आपका व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट कर लेख है किसंस्था की 28,01,663 रुपये 21 पैसे की राशि परिवहनकर्ताओं से अविलम्ब वसूल करें।" यह आडिट रिपोर्ट है। आपने कह दिया, निर्णय ले लिया। यह निर्णय लिया, यही तो परिवहन ठेकेदारों की और अधिकारियों की मिलीभगत है। और मैं कहना क्या चाहता हूं ? ये इस बकाया राशि से बिजनस करते हैं, बिजनस में इनवेस्टमेंट करते हैं और आप कह रहे हैं कि बहुत प्रोफिट में है। प्रोफिट में भगवान करे और आये, बहुत अच्छी बात है पर प्रोफिट में आने का मतलब यह है क्या कि लाइसेंस दे दिया आपने उनको कि चाहे जो करो। यह है हमारा तो, इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं वह बताइये।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापतिजी, इनका अकाउन्ट्स डिपार्टमेंट कहता है कि पैसे बकाया है, इनका ऑडिटर कहता है कि पैसे बकाया है, लाखों में बकाया हैं पर मंत्रीजी कहते हैं....

श्री कालीचरण सराफ : 28 लाख रुपये।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : मैं भी कह रहा हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, आप कहां कहते हैं ? मंत्रीजी, एक बार सोचिये, आपने किस आधार पर बैंक गारण्टी के अमाउन्ट को डिडक्ट किया ? आप यह देखिये, ढाई लाख की बैंक गारंटी हरेक से लेते हैं, उसको डिडक्ट करने का क्या कारण है ? सभापतिजी, मैं मंत्री महोदय से आपकी मार्फत पूछना चाहता हूं, आपके क्लाज–4 में साफ लिखा हुआ है—"The distributor shall collect the cash from retail outlets daily and shall be liable to deposit the same under proper receipt to the Union on the same day." आपने किस बात की महीनों की छूट दे रखी है ? दूसरी बात–आपकी

(श्री जगदीप धनखड़)

आडिट रिपोर्ट से, आपके अकाउन्ट्स डिपार्टमेंट से यह बात एस्टेब्लिश हो चुकी है कि जितने की आपकी बैंक गारंटी है उससे हर वक्त आपने ज्यादा राशि उनमें आउटस्टेन्डिंग रख रखी है।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : सभापति महोदय, यह इतनी मिलीजुली मिलीभगत का मसला है कि 20.11.93 को उसका कांट्रेक्ट भी खत्म हो गया है। इसके बावजूद निरन्तर पैसे बकाया रहे और अभी जो मन्त्रीजी ने कहा कि इन्टरेस्ट लेते हैं, वह शास्ति है, पैनल्टी है, यह जो आपने एक लाख पर, दो लाख पर, तीन लाख पर बताये। मैं तो आपके माध्यम से एक ही बात जानता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस सारे प्रकरण में कोई जांच बैठाएंगे कि इसमें कितनी शास्ति लगी है, कितना उस पर इन्टरेस्ट आया है, इन्टरेस्ट भी वसूल किया गया है या खाली पैनल्टी ही वसूल की गई है, और कब-कब कितना पैसा बकाया रहे है और वे किस-किस तरह से उठाया गया है और आगे भविष्य में इस तरह की बात नहीं हो। क्योंकि एग्रीमेंट में तो यह है कि सुबह पैसा कलेक्ट करेंगे वह शाम को जमा कराएंगे और शाम को कलेक्ट करेंगे वह सुबह जमा कराएंगे। उसके बावजूद निरन्त यह बकाया रही है तो आगे यह नहीं रहे और उसके अलावा अब तक जो कुछ रही है उसकी क्या प्रोपर पैनल्टी और इन्टरेस्ट डेयरी में रिकवर हुआ है या नहीं हुआ है? उसके ऊपर कोई जांच बैठाएंगे या नहीं?

श्री भीमसेन चौधरी : सभापति महोदय, आपने जो बताया है....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सभापति महोदय, मेरे को भी दो मिनट....

श्री सभापति : दूंगा, आप बिराजिये। माननीय भीमसेनजी।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : सभापतिजी, जो माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया कि बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की मीटिंग हुई उसमें एग्रीमेंट के विपरीत चैक से पेमेन्ट करने की बात की है....

श्री सभापति : यह तो आ गया, माननीय सदस्य। जो बात पूछी जा चुकी है उसको क्यों रिपीट कर रहे हैं?

श्री भीमसेन चौधरी : यह बात सही नहीं है, बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की मीटिंग ही नहीं हुई है पांच-छह महीने में।

श्री सभापति : तो ये दो-दो, तीन-तीन पूछ चुके हैं। माननीय बुरडक साहब।

श्री कालीचरण सराफ : मेरा जवाब नहीं दे रहे हैं मंत्रीजी।

श्री सभापति : देंगे, देंगे।

श्री कालीचरण सराफ : जो हमने पाइंटेड मामले उठाये उनके बारे में तो बताइये।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : हां, अभी बताते हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : सभापति महोदय, यह एक सहकारी संस्था है,

(श्री हरजीराम बुरड़क)

आप कोआपरेटिव सैक्रेटरी रहे हैं, आपको इसका सब ज्ञान है कि यह जो भी कार्यवाही हुई है उसमें कोआपटेटिव एक्ट का कहां तक पालन हुआ है। जो भी इसमें एक्शन होना चाहिये। उसमें कोआपरेटिव एक्ट का भी ध्यान होना चाहिये। जहां तक आडिट का सवाल है, आडिट तो होता है सहकारी संस्था अधिनियम के अन्तर्गत, बाकी कार्यवाही यह पशुपालन मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं, इसमें वास्तव में उत्तर तो देना चाहिये। को-आपरेटिव मंत्री को।

श्री सभापति : बिराजिये। जिनसे पूछा वो ही जवाब देंगे, दूसरे थोड़े ही देंगे। माननीय विजयेन्द्रपाल जी।

श्री हरजीराम बुरड़क : इसका पेरेन्ट डिपार्टमेंट है। क्लीयर तो करने दें, श्रीमन्।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सभापतिजी, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री सभापति : एक मिनट, बैठिये। एक्साइटेड मत होइये। ठहरिये, उनका प्रश्न समप्त नहीं हुआ है।

श्री हरजीराम बुरड़क : कोआपरेटिव एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संस्था है, इसका पैरेन्ट डिपार्टमेंट कौन है? क्या डेयरी होने से पशुपालन मंत्री हो गये? मेरा यह निश्चित मानना है कि इसका पैरेन्ट डिपार्टमेंट कोआपरेटिव डिपार्टमेंट है और इस ऑडिट रिपोर्ट की जो भी कार्यवाही होगी वह कोआपरेटिव एक्ट के अन्तर्गत होगी न कि पशुपालन विभाग से इस बारे में मंत्रीजी को क्या कहना है?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : सभापति महोदय, मैं दो तीन स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से। पहली बात तो यह है कि हम एक बोर्ड की बात कर रहे हैं जैसे आरएसईबी. एक बोर्ड है, वह करोड़ों रुपये के घाटे में चल रहा है। यह संस्था जो प्रोफिट बता रही है करोड़ों का और जो दो-तीन दिन का पेमेंट होता है, वह नेचुरली 10–12 लाख हो जाता है तीन-चार दिन का यह रह जाए तो इसमें कोई बात नहीं दो लाख रुपये की बात की, दो लाख रुपये क्या चीज होती है? जब करोड़ों का प्रोफिट है तो पर्सण्टेज के हिसाब से 00 पर्सण्टेज आता है। क्या फालतू की बातें करते हैं, यह क्या बात करते हो किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान)....

श्री सभापति : बिराजिये, विजयेन्द्रपाल सिंहजी। माननीय मंत्रीजी।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : माननीय सभापति जी जैसा पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजें। मैं कह चुका हूं उनसे मैं बैठा हुआ हूं यहां पर देखने के लिये आप बिराजिये, व्यवधान नहीं डालिये।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : सभापति महोदय, जैसा कि बताया गया, मैं भी कह रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि 19 लाख रुपये बकाया है, अलग-अलग जैसे

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

पैसा जमा कराते हैं। जैसा कि अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि 20-11-93 को इसका कान्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, माननीय सभापति महोदय, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि इसके बारे में जांच करा लें, मैं यही कह सकता हूं कि इसके बारे में यदि उन्होंने मुझे गलत आश्वासन दिया है तो जैसा चाहा है, एक तो इसकी जांच, कि अगर आपका कान्ट्रैक्ट 20-11-1993 को खत्म हो गया था तो वापस क्यों लगा और इसके अलावा जो इण्ट्रेस्ट सही लिया गया है, जो पैनल्टी लेनी चाहिये थी विभाग के द्वारा वह सही ली गयी या नहीं ली गयी। क्योंकि काफी रकम बकाया रही, ...(व्यवधान) यह इण्ट्रेस्ट मेरे गलती से निकल जाता है, इसके लिये मैं माफी चाहता हूं, उसमें भी अगर कोई कमी रह गयी है तो इसके बारे में भी निर्णय ले लिया जाएगा। मैं इस पूरे प्रकरण की जांच करवा लेता हूं और जो भी तथ्य आये, माननीय सदस्यों के सामने रखता हूं, मुझे कोई अधिकारियों को बचाना नहीं है।

श्री सभापति : यह भी जांच करवाएं कि बोर्ड ने जो निर्णय लिया एग्रीमेंट के रूल के खिलाफ वह सही है या नहीं है, और राज्य सरकार इसमें क्या....(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : ठीक है, सभापति महोदय।

श्री जगदीप धनकड़ : जांच के दौरान अधिकारियों को हटाइये वरना जांच निष्पक्ष नहीं होगी। वे कोर्ट को टेम्पर कर रहे हैं।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। श्री अनंग कुमार जैन। माननीय अनंग कुमार जैन, मंत्री, कार्मिक विभाग राजस्थान लोक सेवा आयोग का 37 वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

राजस्थान लोक सेवा आयोग का 37 वां प्रतिवेदन

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मन्त्री, कार्मिक) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान लोक सेवा आयोग का 37वां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रेल, 1986 से 31 मार्च, 1987 तक) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री हरजीराम बुरड़क : सभापति महोदय, यह कब का रख रहे हैं? यह कोई रखने का तरीका थोड़े ही है। 1985 का प्रतिवेदन आज रख रहे हैं, इसकी क्या उपयोगिता है?

श्री सभापति : याचिकाओं का उपस्थापन। श्री कालूलाल गुर्जर, सदस्य, विधान सभा दो याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री कन्हैयालाल पाटीदार, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

याचिका का उपस्थापन

पिड़ावा-झामर रोड़ का डामरीकरण

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : माननीय सभापति महोदय, मैं पिड़ावा-झावर रोड़ पर डामरीकरण कराये जाने बाबत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री कैलाश मेघवाल, गृहमन्त्री मांग संख्या–16 पुलिस विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16-पुलिस की प्रस्तुति

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16–पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2 अरब 75 करोड़ 84 लाख 46 हजार तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या 16 पर कटौती प्रस्ताव

ग्राह्य कटौती प्रस्तावों की सूचना

मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :—

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

1. प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस प्रशासन के पुनर्गठन एवं थानों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

2. प्रदेश में पुलिस द्वारा जनता पर की जा रही ज्यादातियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़)

3. राजस्थान पुलिस का वैज्ञानिक आधार पर पुनर्गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

4. राजस्थान पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)

5. प्रदेश में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चर्चा के लिये।

6. पुलिस थानों में होने वाली ज्यादातियों को रोकने के लिए कारगर कदम नहीं उठाए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

7. पुलिस तन्त्र को जन-साधारण के प्रति संवेदनशील बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

8. पुलिस थानों में विस्फोटक सामग्री की चोरी की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़)

9. पुलिस द्वारा जनता के साथ किये जाने वाले दुर्व्यवहार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

10. पुलिस कर्मियों का वेतन, मैस भत्ता व अन्य भत्ते बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

11. बोर्डर होमगार्ड के जवानों को पुलिस कर्मियों के समान भत्ते दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम)

12. प्रदेश में कत्ल एवं चोरी की बारदातों से व्याप्त भय एवं आतंक से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी)

13. पुलिस विभाग में व्याप्त अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़)

14. राज्य में पुलिस प्रशासन का पुनर्गठन कर सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)
डा. जितेन्द्रसिंह (खेतड़ी)

15. संविधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में व्याप्त आतंक एवं अपराधों को रोकने में पुलिस की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़)

16. माण्डलगढ़ क्षेत्र में बढ़ती हुई चोरियां, लूटपाट, डकैतियां आदि की घटनाओं के प्रति पुलिस की निष्क्रियता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़)

17. झुन्झुनूं जिले में पुलिस द्वारा ग्राम पाथडिया पंचायत समिति सुरजगढ़ में हरिजनों पर अत्याचारों से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिए।

18. झुन्झुनूं जिले में पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

19. राजस्थान में लगातार बढ़ रही चोरियों की वारदातों को रोकने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर)

20. ब्यावर में दिनांक 24-10-1990 को पुलिस द्वारा चलाई गई गोली में घायल हुए व्यक्तियों को मुआवजा दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. ब्यावर के साकेतनगर व बराखन पंचायत में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दलीचन्द (दानपुर)

22. प्रदेश में हो रही गौ-हत्या को रोकने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये।

(श्री दलीचन्द)

23. प्रदेश में चोरी, डकैती आदि को रोकने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये।

24. प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार व बलात्कार को रोकने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

25. प्रदेश की गरीब जनता पर पुलिस द्वारा किये जा अत्याचार को रोकने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़)

26. पुलिस द्वारा अनुसंधान करते समय उनके द्वारा किये जाने वाली ज्यादतियों से नागरिकों को राहत दिलाने के सम्बन्ध में पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

27. जिला अलवर में बढ़ते हुए अपराधों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. कस्बा नौगांवा में पुलिस थाना स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट)

29. सवाईमाधोपुर जिले के थाना-गढ़मोरा में दर्ज मुकदमा नम्बर 8/94 एवं 92/93 में चालान पेश नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

30. जयपुर जिले के थाना बस्सी में दर्ज मुकदमा नम्बर 281/93 में मुलजिमान को गिरफ्तार कर चालान पेश नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मण्डी)

31. रामगंज मण्डी क्षेत्र में पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को अपराधों से राहत नहीं दिये जाने एवं ट्रेफिक के नियमों की पालना नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (महुआ)

32. राजस्थान अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई भ्रष्टाचार सम्बन्धी जांच पर चालन पेश करने की राजकीय स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

34. राजस्थान के पुलिस थानों को आवश्यकतानुसार स्टेशनरी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली)

35. पुलिस द्वारा नया गांव में हत्या को आत्महत्या में बदलने के प्रयत्न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर)

36. पुलिस उप अधीक्षक रींगस द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(दीपेन्द्रसिंह)

37. पुलिस थाना अजीतगढ़, रींगस, थोई में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

38. पुलिस थाना अजीतगढ़, थोई, रींगस (सीकर) में चोरियों की रिकवरी नहीं होने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

39 पुलिस थानों में किए जाने वाले अत्याचारों से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

40. अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों पर पुलिस द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री भरत सिंह (खानपुर)

41. सांगोद व खानपुर तहसील में कुछ जाति विशेष के लोगों द्वारा फसलों की चोरी करने तथा चोरी पकड़े जाने पर उल्टा गम्भीर केस की रिपोर्ट दर्ज करवाकर किसानों को परेशान करने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

42. सांगोद में सी.ओ. का मुख्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट)

43. 11 नवम्बर, 1993 को हुए विधान सभा चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र लालसोट में पोलिंग स्टेशन कुटकया में मतदान के दौरान फ़ायरिंग करने वाले अपराधियों को नामजद होने के बाद भी गिरफ्तार कर चालान नहीं करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

44. एट्रोसिटी एक्ट का पुलिस एवं सवर्ण जाति के लोगों की मिलीभगत से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर हो रहे अत्याचार पर चर्चा के लिये ।

45. प्रदेश के थानों में पदस्थापित कर्मियों द्वारा प्रतिदिन सायंकाल खुलेरूप में शराब पीकर कार्य करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)

46. पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में पुलिस प्रशासन द्वारा गरीब जनता के प्रति किये जाने वाले अत्याचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

47. बढ़ते अपराधों तथा जनसंख्या को देखते हुए नये थाने एवं पुलिस चौकियां स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री नारायण सिंह (दातारामगढ़)

48. सीकर जिले में बिगड रही कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री घासीराम यादव (मुण्डावर)

49. अलवर जिले के बहरोड़ थाना इन्चार्ज की चोरों से मिलीभगत से ग्राम नागरिकों में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर)

50. जिला चुरू में पुलिस के संरक्षण में विभिन्न गांवों में शराब के ठेकेदारों द्वारा शराब की की जा रही अवैध बिक्री से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

51. जिला चुरू पुलिस थाना सिधमुख क्षेत्र में पुलिस की मिलीभगत से हो रही डोडा पोस्त की तस्करी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री घासीराम यादव (मुण्डावर)

52. अलवर शहर के सी. ओ. तथा थानाधिकारी शिवाजी पार्क द्वारा विद्यार्थियों पर जानबूझकर झूठा मुकदमा लगाकर उनको गिरफ्तार करने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण)

53. जनजाति के कर्मचारी और अधिकारी उपलब्ध होते हुये भी जनजाति क्षेत्र में स्थित पुलिस थानों में उनका पदस्थापन नहीं करने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)

54. पुलिस विभाग में सभी पदों पर अनुसूचित जाति, जन-जाति के आरक्षित कोटे को नई नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां विशेष अभियान चलाकर पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

55. प्रदेश के सभी विधान सभा क्षेत्रों में महिला थानों की व्यवस्था कर महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की रोकथाम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

56. केशवरायपाटन व कापरेन पुलिस थानों के भवन की दयनीय स्थिति को देखते हुए नये भवन बनाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

57. केशवरायपाटन क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्थाओं के सुधार निमित जनहित में जैथल एवं दईखेड़ा गांवों में पुलिस चौकी स्थापित करने पर आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

58. केशवरायपाटन क्षेत्र में अडीला लक्ष्मीनाथ मन्दिर, मेघवालों के श्री रामदेव मन्दिर कापरेन, वराह भगवान की मूर्ति केशवरायपाटन आदि में हुई चोरियों के बरामद न होने से पुलिस विभाग के प्रति जनता में हो रहे अविश्वास पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना)

59. दिनांक 7-3-94 को नीमकाथाना के पास जीर की चौकी में गोली चला

(श्री मोहनलाल मोदी)

कर हरियाना रोडवेज की बस रोकने की कोशिश करने वाले व्यक्तियों को पुलिस द्वारा नहीं पकड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

60 नीमका थाना जिला सीकर में कानून की बिगड़ती स्थिति को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

61. नीमकाथाना में हो रही चोरियों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई)

62. टोंक जिले में डाली गई डकैतियों के मुल्जिमों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर)

63. धौलपुर जिले में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर चर्चा के लिये ।

64. धोलपुर जिले में डकैती, चोरी, कत्ल की घटनाओं में निन्तर वृद्धि होने से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

65. धौलपुर शहर में दिनांक 9 फरवरी, 94 को एक व्यापारी के रुपये 13 हजार लूटकर ले गये परन्तु आज तक बरामद नहीं होने के कारण जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में पर चर्चा के लिये ।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर)

65. पुलिस विभाग में दिन-प्रतिदिन बढ़ते हुये भ्रष्टाचार से उत्पन्न जन असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

67. राज्य में थानों पर पुलिस कर्मचारियों की संख्या बढ़ानें की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

68. गंगापुर थाने में पुलिस बल बढ़ाने की आवश्यकता पर पर चर्चा के लिये ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली)

69. कोटा जिले में दर्ज किये गये कई मुकदमों की तफ्तीश अन्यत्र स्थानांतरित करने पर भी कोई प्रगति नहीं होने से उत्पन्न जन असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

70. कोटा शहर में बढ़ती हुई चोरियों के मुलजिमों एवं माफिया गिरोह को पुलिस अधिकारियों द्वारा संरक्षण देने से उत्पन्न जन असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

71. कोटा सभाग में साम्प्रदायिक सद्‌भावना हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा प्रभावशाली उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

72. पुलिस द्वारा हिण्डौली तहसील में बढ़ रही सट्टा प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में पर चर्चा के लिये ।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)

73. मेवाड़ भील कौर खैरवाड़ा में सहायक कमान्डेट के पद का सृजन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

74. मेवाड़ भील कौर खैरवाड़ा में कमान्डेड के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. मेवाड़ भील कौर खैरवाड़ा का बैण्ड स्वतंत्रता एवं गणतंत्र दिवस पर खैरवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में बजाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. मेवाड़ भील कौर खैरवाड़ा में आदिवासियों को 50 प्रतिशत पदों पर भर्ती किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. खैरवाड़ा में उप अधीक्षक का कार्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा)

78. पिड़ावा (झालावाड़) क्षेत्र के गांव हिम्मतगढ़ में वर्षा के समय उपस्थित विषम परिस्थितियों को मध्ये नजर रखते हुए एक पुलिस चौकी खोली जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. पिड़ावा (झालावाड़) क्षेत्र के थाना सुनेल के थानेदार व ए. एस. आई. के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ को की गई शिकायतों की जांच कर उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. पिड़ावा (झालावाड़) क्षेत्र के थाना पिड़ावा के थानेदार ए. एस. आई. एवं हैड कांस्टेबल के विरुद्ध शिकायतें होने के कारण अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण (नैनवां)

81 पुलिस थाना गांधीनगर (जयपुर) में दर्ज मुकदमा नम्बर 280/91 का समय पर न्यायालय में चालान पेश नहीं करके मुलजिम को बचाने वाले पुलिस कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

82. उप अधीक्षक पुलिस नैनवां के कार्यालय भवन के निर्माण की स्वीकृति में की जा रही देरी से उत्पन्न आक्रोश पर चर्चा के लिये।

83. ग्राम रिहाणा (जिला-बूंदी) में नवीन पुलिस चौकी स्थापित किये जाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

84. गेन्डोली (बूंदी जिला) पुलिस थाने के लिये कार्यालय भवन निर्माण करवाने में विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री रामनारायण)

85. मुकदमा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 209/91 थाना बनीपार्क के मुलजिम को फरार करवाने वाले पुलिस कर्मचारी के खिलाफ फरियाद द्वारा की गई शिकायत के बावजूद कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

86. पुलिस प्रशासन द्वारा नागरिकों पर किये जा रहे अत्याचारों पर रोक लगाने में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

87. पुलिस चौकी डुगरा थाना कुशलगढ़ के पुलिस कर्मियों द्वारा ग्राम पडवाल के आदिवासियों से रिश्वत लेने के एवं उन्हें परेशान करने की शिकायत जिला कलक्टर एवं एस. पी. को किये जाने के बाद भी वहां के स्टाफ को नहीं हटाये जाने से उत्पन्न आक्रोश पर चर्चा के लिए।

88. पुलिस थाना कुशलगढ़ के अन्तर्गत चोरी, डकैती में नामजद मुलजिमों को नहीं पकड़ने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

89. कुशलगढ़ पुलिस थाना के अन्तर्गत ग्राम बोरखेड़ी मध्य प्रदेश की सीमा पर चोरीयां होने के कारण अस्थायी चौकी स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

90. प्रदेश में महिलाओं एवं अन्य कमजोर वर्गों पर होने वाले अत्याचार पर त्वरित गति से कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न जन असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

91. पुलिस थाना बालोतरा में पुलिस इस्सपेक्टर का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

92. राजस्थान पुलिस सेवा में अधिकारियों के पदोन्नति के मामले में राज्य सरकार द्वारा सही निर्णय नहीं किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

93. थाना जसवन्तगढ़, जिला नागौर में तैनात थानेदार के विरुद्ध चल रही कार्यवाही के कारण डी. आई. जी. रेंज द्वारा हटाये जाने के उपरान्त भी पुलिस अधीक्षक, नागौर द्वारा वापिस वही तैनाते किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

94. कस्बा लाडनूं, जिला नागौर शमशान भूमि के नाजायज कब्जे के मामले में एक व्यक्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में थाना लाडनूं में दर्ज 302 के अपराध में कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

95. जयपुर जिले के थाना रेनवाल में मामला संख्या 15/93 के सम्बन्ध में फर्जी मनगढ़त घटना बताकर गलत कार्यवाही की गई उसकी जांच दुबारा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. थाना परबतसर, जिला नागौर में मामला संख्या 27 दिनांक 1.3.94 की जांच सही रूप से न होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)

97. उदयपुर में यातायात पुलिस की कमी के कारण ट्राफिक की अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

98. उदयपुर नगर की जनसंख्या को देखते हुए उदयपुर के पुलिस थानों में पुलिस बल की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. पुलिस विभाग में आई. जी. के अनेक पद सृजित कर दिए जाने से पुलिस प्रशासन में आई शिथिलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

100. पुलिस विभाग में समय पर डी. पी. सी. नहीं होने से पदोन्नतियों में होने वाले विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

101. उदयपुर नगर में सन् 1990 से हुई हत्याओं के मुलजिमों को अभी तक भी नहीं पकड़ पाने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री भीखा भाई (सागवाड़ा)

102. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों पर अत्याचार रोकने वाले अधिनियम सन् 1989 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

103. राज्य के देहाती क्षेत्रों में पुलिस की रात्रि गश्त चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. पुलिस द्वारा इनवेस्टिगेशन के दौरान थर्ड ग्रेड मेथड बन्द किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. पुलिस बल में संवेदनशीलता पैदा करने के लिये उचित ट्रेनिंग की व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. राज्य में वाहनों की चोरी की बढ़ती वारदातों को रोकने हेतु कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. राजस्थान प्रदेश में बाहर के असामाजिक तत्वों के आने के कारण अपराधों में हो रही वृद्धि से उत्पन्न जन असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (आसीन्द)

108. पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

109. प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) एवं
श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल)

110. कालवाड़ पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. पुलिस थाना हरमाड़ा का निजी भवन नया बनाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)
श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल)
एवं **श्री गोपीराम जाट** (आमेर)

112. महिला थाना जयपुर में सही अनुसंधान को प्रभावित किये जाने से उक्त थाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

113. महिला शोषण के मामलों में हत्याओं को आत्म हत्याओं के केसों में बदलने से विभाग की गिरती छवि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

114. सभी चौकियों में पुलिस बल को सही समय पर पदोन्नति उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) एवं
श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल)

115. भ्रष्ट अधिकारी एवं कर्मचारियों से सम्बन्धित चालान प्रस्तुत किये जाने में हो रही देरी से विभाग की गिरती छवि पर चर्चा के लिये।

116. जयपुर जिले में थाना स्तर पर पुलिस बल को सशक्त किये जाने व साधन सम्पन्न कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा)

117. पीलीबंगा पुलिस थाना क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

118. बामनवाली ट्रिपल मर्डर केस के अनुसंधान में पुलिस की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 16 पर विचार

श्री सभापति : माननीय श्री रामकिशन जी वर्मा। अनुदान की मांगों पर आपके विचार, इसमें यह भी बोल दीजिये आप।

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंजमंडी) : यह पहले बोलूंगा।

श्री सभापति : हाँ पहले बोलिये।

श्री रामकिशन वर्मा : सभापति महोदय इस सदन के अन्दर दोनों ओर के सदस्यों ने बहुत चिन्ता जताई और केरोसिन हादसे के ऊपर लम्बी-चौड़ी बहस भी हुई, उसके बावजूद रामगंज मंडी क्षेत्र में कल रात को पांच आदमी जल गये। एक आदमी की मृत्यु हो गयी, बाकी चार का झालावाड़ अस्पताल में इलाज चल रहा है। 21 तारीख को छीपाबड़ौद के अन्दर भी चिमनी भभकने से धोबी समाज के पति-पत्नी की मृत्यु हो गयी, दोनों जल गये। नैनवां के अन्दर भी ये हादसे होते चले आ रहे हैं। सभापति महोदय, मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी बड़ी तत्परता दिखाकर चिन्ता जताई थी, पांच-पांच मंत्री महोदय भाग दौड़ करके इस हादसे को रोकने के लिये आदेश करने को वहां पर पहुंचे थे लेकिन प्रशासन के अन्दर इतनी भी संवेदनशीलता अभी तक नहीं आयी कि ये हादसे रोकें या इन हादसों को रोकने के लिये कोई बात की कोशिश करें। क्या वास्तव में अभी भी वह तेल बचा हुआ है, वह सप्लाई हो रहा है या उस तेल को उन्होंने बदल दिया है? वह नहीं बदला। अगर बदल दिया तो यह तेल बाकी कहां से आ रहा है? ऐसी स्थिति के अन्दर मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि आप प्रशासन को और अधिक आदेश प्रसारित करें, ताकि वह जितना भी तेल दूरदराज के गांवों में गया है, जहां पर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं मिली हो, अपने अधिकारियों, पटवारियों को भिजवाकर के उस तेल को बदला दें और उनको दूसरा तेल दिलवा दें। रामगंज मंडी क्षेत्र के अन्दर अनुसूचित जन जाति के गरीब लोग रहते हैं, मजदूर रहते हैं। इन मजदूरों को सवेरे काम पर जाना होता है, और क्योंकि लकडी का अभाव है, गैस यहां पर है नहीं इसलिये तेल से ही स्टोव जला कर, चिमनी जलाकर अपनी पढ़ाई में, खाना बनाने में इसका उपयोग करना पड़ता है। जब वे इस काम को चालू करते हैं, चिमनी जलाते हैं, चिमनियां भभक जाती हैं और लोगों का जीवन इस हादसे के अन्दर समाप्त हो जाता है। यह खिलवाड़ उनके साथ रोका जाए। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि अपने अधिकारियों को इस प्रकार के कड़े निर्देश दिलाएं कि वे संवेदनशील बन कर, गांव-गांव जाकर इन गरीबों के जीवन को बचाने की कोशिश करें।

श्री सभापति : आगे बढ़िये, आप वाद-विवाद में बोलिये, आपका नाम है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : माननीय सदस्य को भी मालूम है कि इन मरने वालों में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं, जिनको इस बात की अच्छी तरह से जानकारी थी कि इस तेल का उपयोग नहीं किया जाए, इसमें एडल्टरेशन है, उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने उसे जलाया और उसके कारण से घटनाएं हुई। राज्य सरकार की ओर से सब जगह यह प्रचारित किया गया है कि यह तेल मिलावटी है, इस तेल का उपयोग नहीं किया जाए। हम आईओसी, पर भी इस बात का दबाब डाल रहे हैं, कल भी उनकी टीम वहां पहुंची हुई है, कि इसको दुबारा डिस्ट्रीब्यट किया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जाए। हमने हमारी तरफ से भी प्रचार किया है और तेल भी सप्लाई कर रहे हैं। माननीय सदस्य को जो चिन्ता हुई, जानकारी मिलते ही चिन्ता हुई। मैंने पूछा भी, यह हुआ क्यों तो एक-एक की डिटेल्स भेजी....(व्यवधान) ...

श्री सभापति : माननीय रामकिशनजी।

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय मुख्य मन्त्री जी, मैं इतना ही चाहता था कि जहां पर इस बात के समाचार नहीं पहुंचे वहां पर....(व्यवधान)....

श्री सभापति : आप डिमाण्ड्स पर बोलिये। आप डिमाण्ड पर बोलना चाहें तो बोलिये। आपने 10 मिनट + + + कर दिये। इस बात को तीन-चार दफा कह दिया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उनकी कान्स्टीट्युएंसी में मरे हैं, ये नहीं बोलें तो अच्छा नहीं है।

श्री सभापति : नहीं, इन्होंने तीन-चार दफा उसी पाइण्ट पर बोल दिया इसलिये निवेदन किया है....(व्यवधान)....

श्री परसादीलाल मीणा : + + + शब्द निकाल दें।

श्री सभापति : अच्छा, निकाल देंगे।

श्री रामकिशन वर्मा : सभापति महोदय, पुलिस का कार्य एक अहम् कार्य है और पूरे प्रदेश की जनता इस कार्य के प्रति देखती है और सूचित रहती है कि कोई भी हादसा हो जाए, कोई भी कार्य हो जाए, कोई भी नुकसान हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो पुलिस को तत्काल तत्परता दिखा कर उन कामों में हाथ बंटाना चाहिये और लोगों को राहत देनी चाहिये। यह बात मैं मानता हूं कि पुलिस के पास जो ड्यूटी है, ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे 24 घण्टे की उनकी ड्यूटी होती है। हर आदमी इन्सान है। 24 घंटे काम करते-करते नीरसता भी आती है, उतनी स्फूर्ति, उतनी तत्परता लगातार 24 घंटे नहीं बनी रह सकती। 24 घंटे उसकी ड्रैस चढ़ी रहती है। तो हमें यह भी ध्यान देना होगा कि क्या इनके काम के घण्टों का भी बंटवारा हो। इस बात की भी चिन्ता करें, वे आज यह हमारे ही परिवार जनों में से लोग हैं तो इनको भी कहीं आराम चाहिये, इनको भी अपने समय के अनुसार काम करने के लिऐ मौका और समय की आवश्यकता है, आराम की आवश्यकता है। सभापति महोदय, ऐसी हालत में मैं चाहूंगा कि दो-दो, तीन-तीन आदमियों के बीच यह काम का बंटवारा हो जाए तो निश्चित रूप से इस काम में प्रगति होगी।

अक्सर यह देखा गया है कि अमुक व्यक्ति ने आकर थाने में कोई रिपोर्ट कर दी। रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति प्रभावशाली है तो उस व्यक्ति के खिलाफ बिना जांच किये ही पुलिस सीधी पहुंचती है और घर पर आवाज लगाती है कि, पधारिये, आपको सीआई साहब, डीवाईएसपी. साहब,

---

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामकिशन वर्मा)

डीएसपी. साहब थाने में बुला रहे हैं। उस व्यक्ति को यह पता ही नहीं कि मुझे किस काम के लिये बुलाया जा रहा है, मैंने कौनसा अपराध किया है। तो मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा कि उस इलाके के अन्दर पुलिस के लोग जाकर के पहले छानबीन करें कि ऐसा हादसा हुआ भी है या नहीं, उसके बाद इसकी कार्यवाही की जाएं तो निश्चित रूप से जो हम सफलता की आशा करते हैं, हमें सफलता मिलेगी। अन्यथा यही हैं कि किसी आदमी ने कोई अपराध किया भी नहीं लेकिन वह भी आ जाता है और अपराध करने वाला सरासर बच जाता है। अक्सर यह देखने को मिला है।

दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पुलिस के पास साधनों का भी अभाव रहता है कि घटना ज्यों ही घटी वहां पहुंचकर उस बात की जानकारी करें। एक तो उनके पास साधनों की कमी है और फिर डिस्टेन्स का भी सवाल है, वहां जाने के बाद उन्हें पता लगता है कि जब दुर्घटना घटी तो उस घटना को करने वाले लोग वहां से फरार हो जाते हैं. उनकी रोकथाम का कोई साधन नहीं मिलता।

आज जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि तमाम थानों के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड पर लिखा है, "क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूं, मेरे योग्य सेवा आप बताएं।" पर वहां तो सेवा के लिये जाते ही लोग डरते हैं और जो जाते हैं उन लोगों का कार्यक्रम कुछ और ही होता है। छोटी-छोटी बात कहता हूं, आज पुलिस की थोड़ी-सी कमजोरी की खातिर पूरे समाज के अन्दर ऐसी बुराइयां व्याप्त हो गई हैं कि थानों के इलाके के अन्दर सट्टे चल रहे हैं, माता-बहिन, नौजवान बच्चे, विद्यार्थी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं और जीवन बरबाद कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं यह चाहता हूं कि उस इलाके के अन्दर ये कार्यक्रम न चलें। देखने में कई जगह यह आता है कि अमुक थाने से यह कहा जाता है कि 'ए' सट्टा खाने वाला उस कोने में बैठेगा, 'बी' सट्टा खाने वाला उस थड़ी के पीछे बैठेगा। इस प्रकार उनसे चौथ भी वसूल हो रही है और सट्टे भी चालू हैं। इस पर रोक लगे, यह मेरा आपसे विशेष रूप से आग्रह है।

दूसरा आग्रह इस बात का है कि सबसे बड़ा खतरनाक काम इस देश में चालू हुआ, यह हमारे देश के दुश्मनों ने चालू किया है स्मैक का कार्यक्रम। स्मैक बेचने का काम जो चल रहा है उसके अन्दर छोटे-छोटे बच्चे, नौजवान अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं और यह लत एक दफा लगने बाद छोड़ना बड़ा मुश्किल है। बड़े-बड़े पोस्टर छपवाते हैं, अखबारों में एडवरटाइजमेंट देते हैं, बड़े-बड़े भाषण भी करते हैं और कहते हैं कि स्मैक छुड़ाओ, अभियान चलाओ। इन अभियानों से तो स्मैक छूटती नहीं लेकिन यह तभी सम्भव हो सकता है जब जिस थाने के इलाके में स्मैक बिके, उस थाने का थानेदार निलम्बित हो। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि वहां पर स्मैक बिक नहीं सकती। स्मैक की जिसकी लत पड़ गयी है वह तो जाकर

(श्री रामकिशन वर्मा)

लेगा क्योंकि वह लत छुट नहीं सकती। यह बड़ा खतरनाक रोग है इस आधार पर मैं यह बात भी खास तौर से कहना चाहता हूं कि उन लोगों की इस लत को छुड़ाने के लिये चोर नहीं चोर की मां को पकड़ने का प्रयास करना चाहिये, स्मैक कहां से आती है, इन सारी बातों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

मैं इस बात की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज ट्रैफिक के मामले में जगह-जगह लाल बत्तियां तो लगा दीं लेकिन कई दफा रात को यह पता ही नहीं लगता, जिन लोगों को लाल बत्ती लगाने का अधिकार नहीं है वे भी अपनी गड़ियों में लाल बत्ती लगाकर आ रहे हैं। हम देखते हैं कि पीछे से यह गाड़ी लाल बत्ती सिगनल की है या किसी वीआईपी. की है और जब मालूम करते हैं तो वह तो टैक्सी वाले होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई अधिकार लाल बत्ती लगाने का नहीं है। उनकी कहीं रोकथाम नहीं है, उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। यहां पर इसी सदन में माननीय मुख्य मन्त्री जी जब विपक्ष के नेता हुआ करते थे उन्होंने इस बात की चर्चा की थी और यह कहा था कि लाल बत्तियां अति विशिष्ट व्यक्तियों के ही लगनी चाहिये। आपके स्वयं के पास ही यह विभाग है, यह राज भी है उसके बाद भी लाल बत्तियां उसी क्रम में चालू हैं, लाल बत्तियां रूक नहीं रही हैं।

हमारे ट्रैफिक पुलिस के जो लोग हैं उनका कार्यक्रम यह है कि आने-जाने वाले किस आदमी ने हेलमेट नहीं पहन रखा, किस की गाड़ी का लाइसेंस नहीं है उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं कि चौराहे पर कौन टकराएगा, लाल बत्ती हो रही है, गाड़ियां दौड़ रही हैं। यह मैं जयपुर के बारे में निवेदन कर रहा हूं। आज भी जब हम विधान सभा के लिये आ रहे थे तो लाल बत्ती हो रही थी, ट्रक धड़ा-धड़ जा रहे थे और पुलिस वाले सिर्फ दो आदमियों से पैसा वसूल कर रहे थे। यह हालत जिस जगह पर होगी वहां कैसे हम ट्रैफिक का सुधार कर पाएंगे? कोटा की बात कहता हूं, हेमलेट पहनना अनिवार्य है, जरूर है तो आप गाड़ी रोकिये, उसके डुप्लीकेट कागज ले लीजिये, उसका चालान बनाइये और हाथों-हाथ उनको रसीद दे दीजिये। लेकिन आपके पास रसीदें ही नहीं हैं। क्या पता यह उनकी अकर्मण्यता है या हैडक्वार्टर की अकर्मण्यता है। आदमी कोर्ट के माध्यम से गाड़ी छुड़ाने जाता है, बहुत तकलीफ होती है, दो-दो, तीन-तीन दिन वकीलों के पीछे लगकर कोर्ट से वह गाड़ियां छुड़ानी पड़ती हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस हमें राहत देने वाली होनी चाहिये। पुलिस के अधिकारी, पुलिस के कर्मचारी हमें मार्ग-दर्शन दें, हमने कहां गलतियां कीं उन गलतियों की ओर ध्यान इंगित करें तो निश्चित रूप से ट्रैफिक सुधारने का काम भी करेंगे, नियमों का पालन भी करेंगे और इस व्यवस्था को सुधारने की ओर भी अग्रसर होंगे।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहां पर जो पुलिस के कर्मचारी विधान सभा में लगाते हैं इनको

(श्री रामकिशन वर्मा)

दैनिक भत्ता भी न के बराबर मिलता है। दो रुपये का टीए. डीए इनको मिलता है। सभापति महोदय, इस जमाने में दो रुपये में एक चाय का कप भी नहीं आता, एक कचौरी भी नहीं आती। महंगाई आसमान छू रही है, इन लोगों को कम से कम पांच रुपये का भत्ता तो दिया जाए ताकि ये लोग भी इस बात को महसूस करें, लगातार ड्यूटी पर चढ़े हुए कुछ लोग तत्परता से थोड़ा बहुत नाश्ता करके अपने को स्फूर्तीदायक बना सकें और लोगों की सच्ची सेवा कर सकें।

सभापति महोदय, अधिकतर केसेज में यह देखा गया है कि दुर्घटनाएं घटीं, और ज्यों ही रिपोर्ट करते हैं तो कई दफा थानों में लोग ही नहीं मिलते हैं, उनकी एफ आई-आर. ही नहीं लिखी जाती। एफ आई आर. लिखने का काम तो तत्परता से होना चाहिये। अगर किसी ने गलत भी लिखायी तो लिखनी चाहिये। जांच करने के बाद आप उसके खिलाफ कार्यवाही करिये, उसके खिलाफ केस चलाइये ताकि लोग गलत कार्य की ओर अग्रसर न हों। लेकिन ये सारी बातें इस बात का प्रमाण हैं कि कहीं न कहीं अकर्मण्यता है, नर्वसता है, निकम्मापन है। मैं यह कहना चाहता हूं कि बड़ी-बड़ी घटनाएं जहां होती हैं वहां तो पुलिस वाले पहुंच नहीं पाते और छोटी घटनाओं पर लोगों को पकड़ कर ले आते हैं और दुर्व्यवहार करते हैं। आज कई जगह लोगों में भय है, डर भी है। यहां तक डर है कि कई इलाकों के अन्दर बदमाश किस्म के लोग लोगों से चौथ वसूलियां करते हैं। वे चौथ वसूलियां रुकनी चाहिये. इन बदमाशों में डर पैदा होना चाहिये और आम जनता को राहत मिलनी चाहिये। मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूं क्योंकि मेरे गले में कुछ खराबी-सी लग रही है। आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16 पुलिस के बारे में आज सदन में चर्चा चल रही है उसमें मैं अपने आपको जोड़ते हुए अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं राजस्थान के मुख्य मन्त्री माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत और गृहमंत्री आदरणीय मेघवाल साहब को इस बात के लिये बधाई देना चाहूंगा कि पिछले चार साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी है, प्रदेश की कानून व्यवस्था में संतोषजनक सुधार हुआ है। आज यदि पड़ौसी राज्यों की कानून व्यवस्था और राजस्थान की कानून व्यवस्था की तुलना की जाए चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे हिमाचल हो, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही संतोषजनक है।

सभापति महोदय, एक जनवरी, 1993 से दिसम्बर 1993 तक 81.75 तक प्रतिशत मुकदमों में चालान पेश पुलिस के द्वारा किये गये। मेरे ख्याल से पुलिस

(श्री कालीचरण सराफ)

विभाग में यह रिकार्ड है कि 81.75 प्रतिशत मुकदमों में चालान पेश किये गये। इसी प्रकार से इस वर्ष में 22 करोड़ 18 लाख 87 हजार 390 रुपये की सम्पत्ति की चोरी हुई, आपको यह जानकर खुशी होगी कि उसमें से 14 करोड़ 8 लाख 20 हजार 569 रुपये यानि 63.46 प्रतिशत चोरी गयी सम्पत्ति की रिकवरी पुलिस के द्वारा की गयी, बरामद की गयी, निश्चित रूप से यह भी स्वागत योग्य है। अपराधों में भी निश्चित रूप से कमी आयी है। प्रगति विवरण में जैसा बताया गया है, 1991 में 92 डकैती की घटनाएं हुई, 1992 में 104 घटनाएं और 1993 में केवल 90 घटनाएं हुई। इसी प्रकार से लूट की 1991 में 1257 घटनाएं, 1992 में 1228 घटनाएं, 1993 में 1038 घटनाएं हुई। इसमें 15.47 प्रतिशत की कमी हुई है। हत्या की वारदातें 1991 में 1421, 1992 में 1473 और 1993 में 1406 हुई यानि इसमें भी 4.54 प्रतिशत की कमी हुई। यह हमने जो दुरुस्ती की थी उसी का परिणाम था, हमने जो व्यवस्था पुलिस प्रशासन में की थी उसी का परिणाम था और वही बताने जा रहा हूं मैं। चार साल के आंकड़े बता रहा हूं। इसी प्रकार से बलवों की घटनाएं 1991 में 18,122 हुई और 1993 में 17,668, यानि इसमें भी 4.10 प्रतिशत की कमी हुई। नकबजनी की घटनाएं 1991 में 7,872 और 1993 में 7,551, इसमें भी 5.7 प्रतिशत की कमी हुई। चोरी की घटनाएं 1991 में 15,013 और 1993 में 14,202, इसमें भी 8.83 प्रतिशत की कमी हुई। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आयी है पुलिस प्रशासन में जो चुस्ती और दुरूस्ती व्यवस्थाओं के कारण पैदा हुई है उसी का यह परिणाम है कि आज अपराधों में निश्चित रूप से कमी आयी है। अपराधों में ही कमी नहीं, डकैती उन्मूलन के मामले में भी पुलिस ने भारी सफलता प्राप्त की है। जनवरी 1993 से दिसम्बर, 1993 तक 17 मुठभेड़ें हुई जिनमें 12 डकैतों को मार गिराया, 86 डकैतों को जिन्दा गिरफ्तार किया गया और 40 हथियार बरामद किये गये।....(व्यवधान).... जो वास्तविकता है उसको बताना चाहिये। केवल विरोध के लिए विरोध मत करिये। पुलिस प्रशासन ने यदि प्रशंसनीय कार्य किया है तो उसकी प्रशंसा निश्चित रूप से की जानी चाहिये। 40 हथियार बरामद किये गये और भारी मात्रा में गोला-बारूद भी बरामद किया गया। इतना ही नहीं, अवैध हथियारों के मामले में भी पुलिस ने जो भूमिका अदा की है वह प्रशंसनीय है। 705 अपराधियों को जनवरी, 1993 से दिसम्बर, 1993 तक गिरफ्तार किया गया। 705 अवैध हथियार बरामद किये गये, 1413 कारतूस बरामद किये गये। इतना ही नहीं, अनुसूचित जाति के जो मामले इस वर्ष में हुए उसमें आपको यह जानकर खुशी होगी कि जितने मामले पेश हुए उनमें शत-प्रतिशत मामलों में चालान पेश कर दिये गये। यह भी निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। तस्करी के मामले में भी आप देखिये, 1991 में 35 करोड़ 30 लाख 41 हजार 991 रुपये की तस्करी का माल पकड़ा गया था। यह पुलिस की

(श्री कालीचरण सराफ)

कार्य क्षमता और चुस्ती दुरुस्ती का ही परिणाम है कि 1993 में 62 करोड़ 18 लाख 7 हजार 705 रुपये का माल पकड़ा गया। सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिक पार्टी है। आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि 1993 में अपने राजस्थान में एक भी साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ। आज तक एक भी साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ। केवल साम्प्रदायिक तनाव की कुछ 19 घटनाएं हुई, उन पर पुलिस ने चुस्ती के के साथ काबू पा लिया। माननीय सभापति महोदय, मैं इसके लिये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, काम पुलिस का बहुत बढ़िया, प्रशंसनीय कार्य, चाहे वह तस्करी के मामले में हो चाहे डकैती के मामले में हो, चाहे चोरी के मामले हो चाहे अपराधों के मामले में हो, परन्तु यदि पुलिस के वेतनमानों को देखा जाए तो इसमें हमें बड़ी तकलीफ होती है। आज यदि पुलिस के वेतनमानों की सरकारी कर्मचारी एलडीसी., यूडीसी. के वेतनमानों से तुलना की जाएं तो आप देखेंगे कि उनके वेतनमान और पुलिस के वेतनमानों में भारी विसंगतियां हैं। सरकारी कर्मचारी संगठित हैं, आन्दोलन कर सकते हैं, आन्दोलन करके प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी गिरफ्तारियां दे सकते हैं, धरना दे सकते हैं और उनकी मांगें तो मान ली जाती हैं पर पुलिस क्योंकि एक अनुशासित विभाग है उसके लोग आन्दोलन नहीं कर सकते, अपनी मांग के लिये वे कह नहीं सकते इसलिये उनके वेतनमान कम हैं। तो गृह में गृहमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पुलिस के वेतनमान जितने हैं, ज्यादा भी नहीं तो, कम से कम राज्य कर्मचारियों के जितने वेतनमान हैं उसके अनुकूल या उसके बराबर निश्चित रूप से होने चाहिये। मुझे आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि गृह मंत्री जी जब रिप्लाई देंगे तो इसकी घोषणा भी करेंगे।

पुलिस की मेस के बारे भी बताना चाहूंगा। ऐसे ही मैं एक बार बजाज नगर थाने में किसी काम से गया था वहां दो पुलिस के कर्मचारी खाना खा रहे थे। मैंने जब उस खाने को देखा, मैं आपको वास्तविक रूप से बताना चाहता हूं कि मैं कल्पना ही नहीं कर सकता या इस प्रकार का खाना होगा। दाल का केवल पानी-पानी, दाल का नामोनिशान नहीं, यानि इस प्रकार का खाना पुलिस के लोग खा रहे थे। मैंने उनको पूछा कि इस प्रकार का खाना कैसे आप लोग खा रहे हैं, तो उन्होंने कहा, साहब, मजबूरी है, क्या करें, इसी प्रकार का खाना मिलता है। सभापति महोदय, हम यदि पुलिस से यह उपेक्षा करें कि वह जागरूक रहे, अपनी ड्यूटी मुकम्मल रूप से निभाएं तो उसके लिये यह भी आवश्यक है कि उनकी तंदुरुस्ती और चुस्ती के लिए भी हम भी ध्यान रखें। मुझे आशा है, माननीय गृहमंत्री जी जो भी मेस भत्ता उनको मिलता है उसके बारे में भी निश्चित रूप से वृद्धि की घोषणा करेंगे।

(श्री कालीचरण सराफ)

गृह मंत्री महोदय, पहले यह व्यवस्था थी कि पुलिस का कोई भी कर्मी चाहे वह कांस्टेबल हो, चाहे हैड कांस्टेबल हो, चाहे एसपी. हो, चाहे डीवाईएसपी. हो, किसी भी व्यक्ति की यदि ड्यूटी पर मृत्यु हो जाती थी तो उसके आश्रितों को पुलिस महकमे में नौकरी मिलती थी परन्तु पिछले एक-दो साल से यह व्यवस्था भी खत्म कर दी गयी है। तो मैं यह भी कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इसके बारे में भी माननीय गृह मंत्रीजी को सोचना चाहिये।

आरएसी. के जो पुलिसकर्मी हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ–(20) एक एफ.डी. ग्रुप 2/92, दिनांक 25.1.92 के तहत राज्य कर्मचारियों को नौ, अठारह और सत्ताइस वर्ष की सेवा पर चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है।

(15.00)

इसके पैरा चार में वर्णित है कि किस सेवा अथवा कैडर में अगले प्रमोशन का पद या प्रथम, द्वितीय, तृतीय चयनित वेतनमान अगले प्रमोशन पद की वेतन श्रृंगार में दिया जाएगा तथा जिस सेवा अथवा कैडर में आगे प्रमोशन का पद नहीं है उन्हें इस आदेश के पैरा पांच के तहत चयनित वेतनमान दिया जाएगा। आरएसी में प्रमोशन के पद कांस्टेबिल से हैड-कांस्टेबिल, हैड-कांस्टेबिल से उप-निरीक्षक और उप-निरीक्षक से निरीक्षक हैं और 1950 में आरएसी. का गठन हुआ उसके बाद यही व्यवस्था चली आ रही थी। तत्कालीन महानिदेशक महोदय आर. शेखर ने अपने कार्यालय आदेश क्रमांक एफ. 3 (2) पुलिस/854921 दिनांक 23.10.92 द्वारा राज्य सरकार के उक्त आदेश के क्रम में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 26 (1) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप माउण्टेन, एम.टी., आर्मरर, एम.पी.बी., फोटोग्राफर सैक्शन तथा आर.ए.सी. विभाग में हैड-कांस्टेबिल पद के पश्चात् सहायक उपनिरीक्षक का पद सृजित नहीं होने पर 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्लाटून कमाण्डर, यानि उप निरीक्षक के पद का एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर कम्पनी कमाण्डर के पद का चयनित वेतनमान स्वीकृत किया गया और इसी आदेश की अनुपालना में आरएसी. के कर्मचारी दिनांक 25.1.92 से चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त कर रहे थे परन्तु, माननीय सभापति महोदय, महानिदेशक पुलिस, राजस्थान के.एन.ठाकुर ने अपने कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 3 (2) पुलिस फोर्स/लिपिक/851075 दिनांक 9.3.94 के द्वारा अपने ही कार्यालय के पूर्व आदेश दिनांक 23.10.92 को रद्द कर के राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.1.92 में पैरा पांच में विहित प्रावधानों के अनुसार कैडर में हैड-कांस्टेबिल के पद की 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर सहायक उपनिरीक्षक के पद की तथा 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उपनिरीक्षक के पद की चयनित वेतन श्रृंखला स्वीकृत की है। आरएसी. में हैड-कांस्टेबल के पश्चात् सहायक उपनिरीक्षक का पद नहीं होने पर इस पद पर चयनित वेतनमान दिया जाना न्यायोचित नहीं है

(श्री कालीचरण सराफ)

जबकि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.1.92 का अनुच्छेद चार अपने आप में में निहित है सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इसके बारे में भी निश्चित रूप से माननीय गृह मंत्रीजी कोई न कोई निर्णय लेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं जयपुर से चुन कर आया हूं इसलिये जयपुर के बारे में भी कुछ बात, कुछ समस्याएं और कुछ सुझाव यहां देना चाहता हूं। सभापति महोदय, जयपुर शहर की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार 15 लाख 73 हजार व्यक्ति जयपुर में निवास कर रहे हैं। यदि इसकी तुलना में थानों की और सर्किल्स की हम विवेचना करें तो हम देखेंगे कि जयपुर में जितने थाने होने चाहिये, सर्किल्स होने चाहिये उनमें निश्चित रूप से कमी है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि जयपुर शहर की कानून और व्यवस्था मुकम्मल रहे। इसके लिये आवश्यक है कि यहां कम से कम 10 थाने और पांच नये सर्किल होने चाहिये, इसकी घोषणा माननीय गृह मन्त्रीजी अपने जवाब में करेंगे।

माननीय सभापति महोदय जयपुर एक संवेदनशील शहर बन गया है। पिछले चार-पांच वर्षों में यहां तीन बार साम्प्रदायिक दंगे हो चुके हैं। सभापति महोदय, मैं भी चाहूंगा कि जो इस प्रकार के संवेदनशील इलाके हैं उनको पाइण्ट आऊट करके वहां पुलिस की चौकियों का निर्धारण किया जाय, जिससे उस क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सकें।

सभापति महोदय, यहां एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यह राजस्थान की राजधानी होने के नाते यहा वी. आई. पीज. आये दिन आते रहते हैं—कभी प्रधान मंत्री आ रहे हैं तो सारे पुलिस का महकमा उनकी व्यवस्था में लग जाता है, कभी राष्ट्रपति आ रहे हैं तो सारा महकमा उनकी व्यवस्था में लग जाता है, कभी कोई केन्द्रीय मंत्री आ रहे हैं तो सारा महकमा उनकी व्यवस्था में लग जाता है। मेरे कहने का मतलब कि जब सारा महकमा उनकी व्यवस्था में लग जाता है तो पीछे से सारे थाने खाली हो जाते हैं और वहां पर यदि कोई अपराध हो जाए तो उसके बारे में सुनने वाला कोई नहीं रहता। अब जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर आये, किसी थाने में मैंने फोन किया कि साहब हैं? तो उन्होंने कहा कि, इन्चार्ज साहब नहीं हैं, मैंने कहा कि सैकण्ड इन्चार्ज से बात कराओ तो कहा वे भी नहीं हैं, कहां गये? तो कहा कि साहब पी. एम. की ड्यूटी में लगे हुए हैं। क्योंकि राजधानी है वी. आई. पीज. यहां पर आते रहेंगे इसलिए मेरा एक सुझाव यह है कि उनको ट्रीट करने के लिये राजधानी में स्पेशल वीआईपी सिक्योरिटी स्कवाड का निर्माण किया जाना चाहिये। यदि इसका निर्माण हो जाएगा तो थानों पर जब कोई भी वीआईपी आता है तो थाने खाली हो जाते हैं, उससे हमें निजात मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, जयपुर की यातायात की व्यवस्था पुलिस के अन्तर्गत आती है पर जैसा कि मैंने पहले बताया कि जनसंख्या, 1981 में थी 9,66,667 और 1991 में हो गयी

(श्री कालीचरण सराफ)

15,14,425। मोटर यान जो 1981 में थे 73,575 वर्ष 1991 में उनकी संख्या बढ़ कर हो गयी 3 तीन लाख 282। नगर का क्षेत्रफल पहले 18 किलोमीटर था अब 55 किलोमीटर हो गया। और पुलिस की व्यवस्था है? 1979 में जो पुलिस की क्या व्यवस्था थी जितने पुलिसकर्मी थे वही आज हैं। आज जयपुर शहर में जितने ट्रैफिक पाइण्ट हैं उनमें से 80 पाइण्ट खाली रहते हैं, वहां पर कोई यातायात पुलिस की व्यवस्था नहीं है। तो मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि जयपुर की भारी-भरकम यातायात व्यवस्था को दुरस्त करने के लिए, पुलिस की संख्या में निश्चित रूप से जितनी आवश्यकता है वृद्धि की की जानी चाहिये।

सभापति महोदय, जयपुर में आजकल एक नया ट्रेण्ड चला हुआ है, जमीनों की कीमतें अनाप-शनाप बढ़ रही हैं और कई भूमि माफिया गिरोह जयपुर शहर में सक्रिय हैं पुलिस के अधिकारियों से मिली-भगत कर के जिस प्रकार से भूमि माफिया बेरोकटोक जयपुर शहर में काम कर रहे हैं, अखबारों के माध्यम से आपको भी इसकी जानकारी मिलती होगी। जयपुर शहर में एडजेस्टेमेण्ट पुलिस अधिकारी हैं, आप यदि ध्यान से देखें तो कई पुलिस अधिकारी इस प्रकार के हैं कि बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे जनता दल की सरकार हो, वे जयपुर में ही रहते हैं। बीजेपी में किसी को पकड़ लिया और सिफारिश करवा दी और फिर जयपुर में आ गये, कांग्रेस का राज आया तो कांग्रेस के किसी नेता को पकड़ लिया और फिर जयपुर में आ गये। उनके इन भूमि माफियों से रिलेशंस बन गये हैं, उनके साथ इनका एडजेस्मेण्ट हैं, तो मेरा यह सुझाव है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में यह भूमि माफिया गिरोह समाप्त हों इसके लिये कोई भी पुलिस का अधिकारी, चाहे वह एसपी हो चाहे वह एडीशनल एसपी हो चाहे वह डीवाई एसपी हो चाहे वह थाने का इन्चार्ज हो, चाहे वह अन्य कोई पुलिसकर्मी हो, दो साल से ज्यादा जयपुर में नहीं रहना चाहिये। यदि यह व्यवस्था सरकार ने कर दी तो निश्चित रूप से हम इस अव्यवस्था पर काबू पा सकते हैं।

सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा। पिछली बार भी मैंने सदन में यह कहा था कि जयपुर अब महा-नगर बन गया है, जयपुर शहर मैट्रोपोलिटन सिटी बन गया है। 10 लाख के ऊपर जनसंख्या होने पर पुलिस कमिश्नर पद्धति की व्यवस्था हिन्दुस्तान के कई शहरों में है, कलकत्ता में पुलिस कमिश्नर है, बम्बई में पुलिस कमिशनर है, दिल्ली में पुलिस कमिशनर है, हैदराबाद में पुलिस कमिशनर है, मद्रास में पुलिस कमिशनर है और अहमदाबाद में पुलिस कमिशनर है तो मैं यह भी मांग करना चाहूंगा कि जयपुर में भी यदि पुलिस कमिश्नर पद्धति की व्यवस्था की जाए तो निश्चित रूप से जयपुर शहर में जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है, जिस प्रकार से यहां अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है उसमें निश्चित रूप से हमें काबू पाने में फायदा होगा। आज जयपुर शहर में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार

(श्री कालीचरण सराफ)

के कई बड़े-बड़े कार्यालय हैं, हजारों की संख्या में कर्मचारी हैं जयपुर शहर में कई सरकारी और गैर-सरकारी निगम हैं, बड़े-बड़े उद्योग धन्धे जयपुर शहर में लगे हुए हैं, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां जयपुर शहर में लगी हुई हैं, विश्वविद्यालय और 15–20 कॉलेजेज हैं, जयपुर विश्व का एक प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्र है हजारों, लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष यहां पर विदेशी और देशी पर्यटक भी आते हैं, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इन सब चीजों को देखते हुए कानून और व्यवस्था जयपुर शहर की सुचारु रूप से रहे इसके लिए पुलिस कमिश्नर पद्धति लागू करनी चाहिये। अब पुलिस कमिश्नर पद्धति से क्या फायदे हैं ? पुलिस कमिश्नर पद्धति लागू हो जाएगी तो मजिस्टीरियल पावर पुलिस को मिल जाएगे। 107, 109, 151 और 110 के तहत जो छोटे-छोटे मुकदमें बनते हैं, जिनके लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट के बीच चक्कर लगाने पड़ते हैं, फैसले नहीं होते हैं, अपराधियों पर अंकुश नहीं लगता, यह पुलिस को अधिकार मिल जाएगा तो पुलिस की जनता के प्रति सीधी जवाबदारी हो जाएगी और निश्चित रूप से अपराधों पर अंकुश लगने का फायदा मिलेगा। जो आदतन अपराधी हैं उनको शहर से बेदखल करने का अधिकार पुलिस कमिशनर पद्धति होगी तो पुलिस के पास आ जाएगा। इसी प्रकार शस्त्र नियम और मोटर व वाहन अधिनियम के अन्तर्गत भी लाइसेन्स देने, पंजीकरण करने का अधिकार पुलिस को मिल जाएगा। यह सब व्यवस्थाए होने से निश्चित रूप से जयपुर शहर की कानून-व्यवस्था, जो निरन्तर जनसंख्या की वृद्धि के कारण, जनसंख्या के दबाव के कारण, कास्मोपोलिटन सिटी बनने के कारण, मैट्रोपोलिटन सिटी बनने के कारण बिगड़ती जा रही है, पुलिस कमिशनर पद्धति यदि जयपुर शहर में लागू हुई तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था में सुधार लाने में हमें सफलता मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, पिछली बार जब यह मामला उठा था सदन में उसके बाद राज्य सरकार ने गम्भीरता से इस बारे में विचार भी किया था और एक बार घोषणा भी कर दी थी कि पुलिस कमिशनर पद्धति जयपुर में लागू की जाएगी और उसकी सारी व्यवस्था भी हो गयी थी परन्तु फिर क्या पता क्या हुआ ?

श्री बनवारीलाल शर्मा : यह सरकार तो सो रही है। अण्डरग्राउण्ड पानी का पता लगा रही है क्या ?

श्री कालीचरण सराफ : फिर, माननीय सभापति महोदय, क्या पता क्या हुआ कि वह योजना एकदम से पीछे हट गयी और पुलिस कमिशनर पद्धति जो जयपुर में लागू हो रही थी वह एकदम से समाप्त हो गयी। मैं हमारे काम्पीटेंट गृह मंत्रीजी से आशा करूंगा कि पुलिस कमिशनर पद्धति जयपुर शहर में लागू हो इसके बारे में भी वे गम्भीरता से विचार करें। आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री रामेश्वरलाल चौधरी।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नावां) : सभापति महोदय, आज मांग संख्या–16 पर माननीय सदन के सदस्य अपने विचार रख रहे हैं। माननीय सदस्य तो अपने विचार रखेंगे कि पुलिस क्या करती है, कैसे करती है और क्या होना चाहिये, परन्तु मैं तो इस पुलिस का भुक्तभोगी आदमी हूं और मेरी बात आपके माध्यम से राज्य सरकार को बताना चाहता हूं।

श्रीमान, 1987 की बात है, आपकी इजाजत हो तो मैं इस सदन की जो प्रोसिडिंग है वह आपको पढ़कर सुना दूं। मेरे साथ में जो घटना घटी उसके सम्बन्ध में जिन भी माननीय सदस्यों ने करीब चार या पांच घण्टे का टाइम लेकर यहा इस डिबेट में भाग लिया, चाहे वे आज सदस्य हैं या नहीं हैं, उनको मैं मेरी ओर से धन्यवाद देता हूं। अब रहा सवाल कि उस टाइम की कांग्रेस सरकार ने अपना निर्णय क्या लिया तो वह मैं आपकी इजाजत से आपको निवेदन कर कर दूं :–

"इस प्रकरण में परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए....

इसी माध्यम 9-10-87 को राज्य सरकार द्वारा श्री रामेश्वरलाल चौधरी के साथ पुलिस द्वारा की गयी मारपीट के आरोप के सम्बन्ध में जांच करने हेतु सम्भागीय आयुक्त, अजमेर को नियुक्त किया गया और दूसरी ओर पुलिस अधीक्षक नागौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नागौर सर्किल आफिसर, मकराना थानेदार, मकराना एवं मकराना के समस्त स्टाफ को स्थानान्तरित कर दिया।"

माननीय, जब मेरे साथ सुलूक किया पुलिस ने और यहां सदन में हंगामा हुआ उस समय हमारी गवर्नमेंट थी और उसने एसपी. से लेकर थाने के सारे स्टाफ को स्थानान्तरित कर दिया। उसके बाद में अफसोस तो इस बात का है कि किसी पब्लिक मैन के खिलाफ अगर पुलिस में दो या तीन रिपोर्ट हो जाती हैं तो उसका 151, 107 और 117 में चालान कर दिया जाता है कि ऐसी बात है और एक कानून का जानकार, आईपीएस. आफिसर उसके खिलाफ तीन-तीन कोर्ट्स में कान्नीजेंस हो गये, इसी सदन के फैसले के हिसाब से उसको वहां से हटाया गया और आज इसी सदन की उन बातों का अपमान करते हुए उसको उसी अजमेर रेंज में अपग्रेड करके, यानी डीआईजी, की पोस्ट के ऊपर लगाया गया है, यह बड़े + + + की बात है। पुलिस आपके प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर इस तरह की हालत होगी तो आप ही समझ सकते हैं कि उस पुलिस के डर से, उस बड़े अधिकारी के डर से नीचे वाले अफिसर क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे।

माननीय, ये जो डीआईजी. हमारे रेंज में आये हैं गवर्नर शासन आये। गवर्नर शासन में जितने भी अधिकारी पुलिस के लगे उनको हमारे हाउस के नेता ने तत्काल, जो दूसरी कौम के आदमी थे, विशेष कौम के आदमी थे उनको तो ऐसी पोस्ट

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)

पर किसी एक को भी रहने नहीं दिया, उनको सबको आउट कर दिया। इनके लिये भी आदेश आये थे पहले दिन अखबार में और दूसरे दिन अखबार देखा तो फिर कैंसिल हो गये। डी.आई.जी. कोई भी रहे मुझे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं इस देश का एक सभ्य नागरिक हूं और मैं कोई गलत बात नहीं करता हूं, मैं तो आपके प्रशासन की बात करता हूं कि प्रशासन आपको चलाना है, नाम और बदनामी आपकी ही होगी। तो एक अफसर को डिले के लिये हटाया गया, उसने जो गलती की उस गलती का उस पर तीन तीन कोर्ट्स में काग्नीजेंस चल रहा है, एक तो आपका सेशन कोर्ट के अन्दर काग्नीजेंस है, एक आपके मकराना में काग्नीजेंस था, एक आपके परबतसर में काग्नीजेंस है। मकराना के काग्नीजेंस में तो ये अफसर आये और सिफारिश कर कराकर उसको कर दिया तो हम हाई कोर्ट में ले गये। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर एक उच्च अधिकारी इस तरीके से आकर अपने इन्फ्लूएंस से, उसके खिलाफ जो भी मुकदमें दर्ज हैं उनको वह सैट-राइट करना चाहता है तो यह तो आपके देखने की बात है। हम तो ठीक हैं कहेंगे, कोई बात नहीं, जहां तक हमें जाने का होगा वहां हम जाएंगे मगर आपको यह बता दूं कि आपकी यह संवेदनशील सरकार, नाम बहुत बड़ा है, संवेदनशील है, गृह मंत्री भी बहुत चुस्त आदमी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बता दूं कि यह आपकी पहली संवेदनशीलता का नमूना है। ये डी.आई.जी आये उसके बाद में उन्होंने क्या-क्या किया, वह भी मैं थोड़ा-सा बता दूं :—

बंशीधर ब्राह्मण, हमारे कुचामन का है, उसके करीब डेढ़ दो लाख की चोरी हुई। तत्कालीन डी.वाई.एस.पी. कुचामन और मौजूदा सी.आई., मकराना ने दो भांभियों के लड़के गोरावड़ के, उनको गिरफ्तार किया और पैसे ऐंठकर उनको छोड़ दिया। इसी सन्दर्भ में कुचामन एस.एच.ओ., रामनारायण, और एक कासिम खां हैड-कान्स्टेबल था, उन्होंने वह बरामदगी की। आज इस डी.आई.जी. की मेहरबानी से उसी केस में वे दोनों सस्पेंड हैं, एक काम यह हुआ। दूसरा, 12-1-94 को नावां में एक नमक का व्यापारी था सुरेश बेनीवाल उसने किसी एक आदमी से मारुति कार खरीदी और चैक से पेमेंट किया। अब पंजाब पुलिस उसको पकड़ने आती है। इसी डी.आई.जी. ने मकराना थाने में फोन किया जब कि नावां में थाना था, कुचामन में सर्किल आफिसर था उसको नहीं करके मकराना थाने के ए.एस.आई., भंवरसिंह को किया कि पुलिस फोर्स के साथ आप जाओगे और उसको ट्रेस आउट करके उसको लेकर जाएगी यह पुलिस। रात को दो बजे एक सभ्य व्यापारी को उसकी कार सहित पंजाब ले गये, दीवाली का या कुछ ऐसा ही नजदीक का दिन था। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करूं कि यह संवेदनशील नाम है, यह काहे को रखते हो, इसके अन्दर संवेदनशीलता का तो कोई तुक ही नहीं है कि संवेदनशील है। वह व्यापारी बनिया था, हम तो जाट हैं आखिरी दम तक लड़ेंगे, इसमें कोई दो

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)

राय नहीं है। चाहे सुप्रीम कोर्ट और उससे भी ऊंची अगर कोई कोर्ट हो तो मैं जाऊंगा, इसमें कोई राय नहीं है। जब मेरे साथ में ज्यादती की है, एक एस.पी. ने तो उससे हिसाब से बात करूंगा। वह बनिया था, मैंने उससे पूछा कि आपके साथ क्या हुआ? कि काहे को? भैरोंसिंहजी बुला लिया और म्हांकी फोटो खिचवा लिया, या बात है। तो यह है।

मैं आपसे निवेदन करूं कि इस तरीके से हाऊस के नेता पुलिस का प्रोटेक्शन करें तो यह तो जांच का विषय है, आप जांच करें। अगर मेरी बात गलत हुई तो चाहे जैसा मैं करने को तैयार हूं वरना जिस अधिकारी ने फोन से ए. एस. आई. को भेजा और उस आदमी को पकड़वाया और वे ले गये, उसकी जांच कराएं। वह भंवरसिंह भी आज, मकराना थाने का ए. एस. आई. सस्पेंड है, 18.2.94 को दो लड़के, एक गोविन्द राम और रामनिवास, रात को मास्टर से पढ़कर अपने घर जा रहे थे। कुछ असामाजिक तत्व वहां स्टैण्ड के पास खड़े थे उन्होंने उनको पीटना शुरु किया तो गोविन्द राम तो भाग गया और रामनिवास को किडनैप करके ले गये। तीसरे दिन उनको छोड़ा जिसका पुलिस थाने में केस दर्ज हुआ। वहां एक हैड-कांस्टेबल, लक्ष्मण नाम का था। क्योंकि वह जाट था तो डी.आई. जी. भी आये, एस. पी. भी आये, सारे ही आये और उस गरीब को लाईन हाजिर कर दिया सस्पेंड करके कि तू जाट है। दूसरा ए.एस.आई., धर्माराम था हमारे कुचामन थाने में उसको भी लाइन हाजिर कर दिया कि जाटों की सफाई करो, कोई खास बात नहीं है। तीसरा जाट एक डी. वाई. एस. पी. रहा है, तो वह आपकी मर्जी हो, करो तो करो हमारे तो कोई तुक वाली बात नहीं है।

फिर इसी सन्दर्भ में जब यहां असैम्बली चल रही थी 23.2.94 को, मैं 22.2.94 को यहां आया। हमारे एस. पी., नागौर वहां आये हुए थे, मैंने एस. पी. से बात की कि जी, वहां इस तरीके से टेंशन है और आप इस टेंशन को मिटाने की कोशिश करें वरना तो यह बिना मतलब का झगड़ा हो जाएगा। तो एस.पी. साहब ने मुझे, हालांकि एस पी. साहब से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, अच्छा आदमी है एस पी.। एडिशनल एस. पी. भी अच्छा है, डी. एस. पी. अच्छा है, सारे अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। डी. आई.जी. भी आये वहां मगर देर से आये। दो आदमियों की या तीन आदमियों की, तीन जाटों के लड़कों की मेडिकल की दुकानें तोड़ी, लाखों रुपये का नुकसान किया। आज तक उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है और कोई ऐसी बात नहीं है पर कह रहे हैं कि भाई राजीनामा करो। हां, भाई, करेंगे, राजीनामा करेंगे, इसमें कौनसी बात है। उल्टा उन्हीं आदमियों की गिरफ्तारी के लिये आर्डर दिये। उसमें एक पलड़ा के सरपंच को जो मेरा भतीजा है हरिराम, रात को दो बजे पुलिस बुलाने गयी कि डी.आई. जी. साहब बुला रहे हैं। वह आया रात को कि बोलो साहब क्या बात है? कि कुछ नहीं, इसको छोड़ दो। यह तो कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से सभ्य नागरिकों को रात के टाइम पर उठा-उठाकर इस तरह अटैनिंग दें, इस तरीके से जलील करें यह

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)

पुलिस का काम है क्या ? मैं समझता हूं ऐसी कोई खास बात नहीं है। इस तरीके से उच्च अधिकारी, नीचे वाले अफसर तो क्या करें, एक इतना बड़ा अफसर रेंज का का डी.आई.जी. अगर इस तरीके से हरकत करे तो फिर आप ही देख लो इसका मालिक कौन हो। कोई नहीं, भगवान ही मालिक है, इस संवेदनशीलता का तो। और उसी डी.आई.जी. ने फिर उन्हीं मुल्जिम पार्टी के घर में रात को खाना खाया, शराब पी, सारी बातें कीं। मेरे चुनाव में जितनी डी. आई.जी. ने खिलाफत करनी थी उतनी की। खुदा का शुक्र है कि आज तक मैं जितने रेकार्ड से जीता कोई भी नहीं जीता। आज इस 45-50 साल के अन्दर सबसे ज्यादा रिकार्ड वोटों से मैं जीता। यह मेहरबानी डी.आई.जी की थी क्योंकि उसने जितनी ज्यादा खिलाफत की, लोग उतने ही ज्यादा मेरे साथ में आये। (व्यवधान) मैं साढ़े ग्यारह हजार से....

श्री भंवर सिंह : धन्यवाद दो उनको।

श्री रामेश्वर लाल चौधरी : धन्यवाद दूं कि उन्होंने ज्यादा खिलाफत करी। यह तो प्रशासन के वास्ते ठीक नहीं है, सरकार के लिये ठीक नहीं है। मेरे वास्ते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे डी.आई.जी. रखो, चाहे और कोई, बीने तो जाणो पड़सी या पक्की है। दो साल बाद नहीं, तीन साल बाद में, वह तो जाएगा। हम तो वहां के रहने वाले हैं हम तो मरेंगे वहीं, जियेंगे वहीं। चाहे आप किसी को लगाओ, हमें कोई एतराज नहीं है।

2-3-94 को मकराने में बैंक डकैती हुई। उस बैंक डकैती के अन्दर एक धर्मवीर नाम का एक जाट का लड़का था। उसने डाकुओं को पकड़ा पर इसी डी.आई.जी. की मेहरबानी से उस सी.आई. को इनाम दिलाने के लिये कागज आपकी पुलिस ने बनाये कि उनको इनाम दिया जाए। जबकि देना चाहिए था इनाम उस धर्मवीर को ? ये सारी बातें हैं।

इसी तरीके से, पिछली जनता पार्टी सरकार के टाइम की बात है। 1977 के अन्दर हमारे कुचामन में बिजली बोर्ड और किसानों के झगड़ा हो गया। उस टाइम पर भूरसिंह नाम का एक हैड-कांस्टेबल था। अब आज वह प्रमोशन होकर के इस संवेदन शील सरकार के अन्दर उसी एरिये में वापिस थानेदार लगा है जबकि नये थानेदार की शिकायत नहीं थी। यह आप क्या करना चाह रहे हैं. मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कोई आपको कौम से एलर्जी है क्या ? आप जिन चौधरियों की बैसाखियों पर बैठे हैं, वह तो उनमें न मालूम क्या है, किस तरीके से वे शांति धरे बैठे हैं, जिस दिन वे बिगड़ गये, उस दिन से यह पार्टियां साफ हो जाएगा।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपको इसलिये मिनिस्टर बनाया है क्या ?

श्री रामेश्वर लाल चौधरी : मन्दिर में देवता के दर्शन करने जाते हैं तो बिना फूल के चले जाते हैं, पुलिस में जाते हैं तो बिना दिये कुछ होता ही नहीं है।

श्री सभापति : दूसरे चौधरी जी बहुत उत्सुक हो रहे हैं बोलने के लिये। माननीय श्री भंवर सिंह चौधरी।

श्री रामेश्वर लाल चौधरी : मेरा आपके मार्फत यह निवेदन है कि गृह मंत्री जी, मैं कोई उस डर से नहीं बोल रहा हूं कि आप उसको हटाओ या मत हटाओ, यह तो आपके राज की और आपके हिसाब की व्यवस्था की बात है। अब आप उचित समझें, वैसा करें। धन्यवाद।

श्री भवरसिंह चौधरी (मेड़ता) : माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और राजस्थान के गृह मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने सीमांत क्षेत्र के थानों को सुदृढ़ व सुसज्जित करने का इस बजट में प्रावधान रखा। पुलिस विभाग की जो शक्ति है, जो इसके कार्य हैं उससे आम जनता नाराज क्यों है, पहले मैं इस पर प्रकाश डालूंगा। हम किसी भी शासन के, चाहे वह अंग्रेजों का शासन था, चाहे किसी पार्टी का शासन रहा, आदेशों की पालना, उसके कानूनों की पालना करते हैं। कुछ ज्यादा आंटा पुलिस के पेट में है इसलिये हम भी शामिल हैं। मैं निवेदन कर दूं, कुछ कानून सामाजिक बनते हैं जैसे मृत्यु भोज बन्द करना, बाल विवाह, जो समाज को पसन्द नहीं। और हमें उस कानून को लागू करना पड़ता है। कुछ कृत्य हम ऐसे करते हैं कि आप आन्दोलन करते हैं, सही मांगे हैं या नहीं, उसमें हमें कोई मतलब नहीं, हम आपकी रक्षा के लिये, जनता की रक्षा के लिये कभी-कभी बल प्रयोग भी करते हैं। इसके अतिरिक्त क्षमा चाहता हूं, माफी दें मुझे, यह पुलिस विभाग कई कृत्य ऐसे करता है जो आप मानें न मानें सेवा करते वक्त आप कुछ न कुछ नाराज होते हैं। हम व्यवस्था करते हैं आप इधर से नहीं जाए, इससे आप नाराज होते हैं। हम हाथ खड़ा करते हैं कि रूक जाइये, आप रूकते नहीं हैं। कई सारे ऐसे कृत्य हैं।

यह गौरवमय इतिहास है राजस्थान पुलिस का, सन् 1950 से लेकर, मैं आपको बताऊं इस राजस्थान में, ढाणियों में, शहरों में डकैतों के कारण आदमी नींद नहीं ले सकते थे। यह राजस्थान पुलिस की टीम; जिसने कुर्बानियां दीं और राजस्थान के पूरे रेगिस्तानी क्षेत्र और अरावली पहाड़ियों में से इन दस्युओं का उन्मूलन किया, वे सेवाएं राजस्थान के इतिहास में लिखने योग्य हैं और इतिहास में लिखी हुई हैं।

सभापति महोदय, अब मैं इस तथ्य पर आता हूं कि राजस्थान पुलिस के साथ जनता का व्यवहार अच्छा क्यों नहीं। और हमारा व्यवहार उनसे अच्छा क्यों नहीं। जो तथ्य मैंने आपको बताये, वे जनता को दुखदायी हैं। और वह कानून में प्रस्ताव बनाने के लिए हैं। अगर वे सोचें कि कानून के अन्तर्गत कर रहे हैं और इनका करने का यह फर्ज है तो कोई भी पुलिस को दोष नहीं देगा। राजस्थान पुलिस का निर्माण जब 1949 में हुआ, स्टेट के थानों में, जो स्ट्रैन्थ थी, जो शक्ति थी, जो बल था इससे अधिक नहीं हुआ है। आबादी बढ़ी, अपराध बढ़े, अपराधों की तकनीकी बढ़ी और इसके अलावा मुख्य काम अन्वेषण

(श्री भंवरसिंह चौधरी)

और अपराधों की रोकथाम थी उससे हट-कर पुलिस को अनेक काम मजबूरन करने पडते हैं। पहले सिर्फ चार वी.आई.पी. होते थे और पांच-दस साल से विक्टोरिया या इंग्लैण्ड का राजा आता एक वी.आई.पी. भारत का वायसराय दूसरा वी.आई.पी.रेजीडेण्ट तीसरा वी आई.पी. और हमारे स्टेटों के महाराजा चौथे वी. आई. पी.। आज वी.आई.पीज. की गिनती करने जाएं तो निश्चित नहीं कर पाते कौन-कौन वी.आई.पी. हैं। उन सब वी.आई.पीज. के लिये पुलिस को व्यवस्था करनी पड़ती है। पहले सिर्फ दो धार्मिक पर्व थे जिन पर हम पुलिस का इन्तजाम करते थे, सरकार इन्तजाम करती थी, पुलिस विभाग करता था। पहला मोहर्रम और दूसरा दशहरा। आज कोई भी धर्म का ऐसा फंक्शन नहीं, ऐसा जुलूस नहीं, किसी राजनैतिक पार्टी की कोई भी ऐसी सभा नहीं, कोई राज-नैतिक पार्टी का आन्दोलन नहीं, जहां पुलिस खड़ी न रहे। छोटे–छोटे ब्याह-शादियों में भी पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ती है। इतनी सारी पुलिस की ड्यूटी बढ़ गयी है उस ड्यूटी को छोड़कर जो मुख्य ड्यूटी है-कानून में बने अपराधों का अन्वेषण और उनकी रोकथाम करना। इसको देखते हुए अभी तक जो यार्डस्टिक ले रखी है, मापदण्ड ले रखा है, जनसंख्या और अपराध, इन दो को लेकर पुलिस बल दिया जा रहा है। कोई नहीं गिनता इन कामों को, जो मैंने अभी निवेदन किये।

मैं निवेदन करूंगा, सभापति, महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय को कि वे इस पर सोचें कि पुलिस कर्मी कितने घण्टे ड्यूटी देता है। और कैसी ड्यूटी देता है। सदन को सूचित करते हुए मुझे खुशी होती है कि पुलिस विभाग के कर्मचारी कभी भी कोई त्यौहार नहीं मना सकते। न उनकी होली होती है न उनकी दीवाली होती है और यहां तक कि ब्याह-शादी से एक-दो दिन पहले बच्चे पहुंचते हैं। यह ऐसी सख्त ड्यूटी है कि समाज से कटकर रहते हैं। पंखों के नीचे के बैठे एल.डी.सी. यू.डी.सी. और बड़े-बड़े अफसर और हम सब मौसमों को सहन करते हैं, यह पुलिस सब मौसम सहन करती है। बरसात हमारे ऊपर पड़ती है, सर्दी हम सहन करते हैं, गर्मी हम सहन करते हैं और सेवा देते हैं। दोनों सेवाओं में भिन्नता देखिये आप। अभी आंदोलन चल रहा है, दो दिन से हड़ताल है लगातार और राज्य सरकार द्वारा प्रसारित राजस्थान पत्रिका में सूचनाएं है कि राजस्थान के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के बराबर वेतन भत्ते दिये जाएं। ये दोनों समाचार पत्रिका हैं। इस पुलिस में कितनी असमानता है। 950 पर केन्द्र में सिपाही भरती होता है और यहां पर 825 में भरती होता है। सेवा वही की वही है बल्कि दिल्ली से ज्यादा कठिन है। दिल्ली में आठ घण्टे बाद वह ड्यूटी से आफ हो जाता है, कोई विशेष कारणों की तो मैं नहीं कहता और यहां 24 घंटे खड़ा रहता है। सभापति महोदय, आपके सामने उदाहरण है। हम यहां पर 12–12 घंटे बैठते हैं और 12 घंटे ही वहां पर आपके सामने प्रहरी खड़े रहते हैं। इस पुलिस की सेवा का आपके सामने उदाहरण है। तो

(श्री भंवरसिंह चौधरी)

मेरी प्रार्थना है आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय को कि एक सिपाही की तनख्वाह एल.डी.सी. से ज्यादा की जाए और उसी स्तर से सब अधिकारियों की तनख्वाह को बढ़ाया जाए। प्रथम बात यह कहूंगा। द्वितीय, अगर आप आठ घण्टे से अधिक किसी भी सिपाही या अधिकारी से ड्यूटी लें तो कृपया हार्ड ड्यूटी तो नहीं गिनें, हार्ड ड्यूटी का तो अभी मैंने डिफरेंस बता दिया है पंखे के नीचे बैठना और तीनों मौसमों को सहन करना, जो अधिक ड्यूटी देते हैं उनको प्रति घंटे के हिसाब से आठ घंटे अधिक वेतन में पैसे दिये जाएं।

मैस अलाउंस की बात करूं, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि थोड़ा दाल थी उसमें भी दाल नहीं। वे देख कर आये है, मैंने भी बहुत बार देखा है। 165-150 रुपये मैस अलाउंस के देते हैं, उससे क्या खाना बनता होगा, क्या खाते होंगे? केन्द्रीय बल हैं जिनका मेरे पास सबूत है, उनको 375 रुपये मैस अलाउंस के मिलते हैं। वे भी आदमी हैं और ये भी आदमी हैं, ड्यूटी दोनों की बराबर है बल्कि यहां की वास्तव में ज्यादा ड्यूटी है। यहां तो रात्रि में भी ड्यूटी करते हैं वहां तो परेड से ही काम निकल जाता है। तो वेतनमानों में चिन्तन करना पड़ेगा, वह राहत इनको देनी पड़ेगी। आप घोड़ों को खुराक नहीं देंगे और सवारी करना चाहोगे तो वह घोड़ा भी गिरेगा और आप भी गिरेंगे। तो इनको पूरी खुराक दीजिये, इनको तनख्वाह दीजिये और फिर सेवा लेकर देखिये कि हमारी राजस्थान की गौरवमय पुलिस आपको सेवा और ही अच्छी देगी।

सभापति महोदय, आपसे प्रार्थना करता हूं यह विषय ऐसा है जिस पर मैं बोलना चाहता हूं। आवास के लिये पुलिस विभाग की वार्षिक रिपोर्ट मैंने देखी है। इसमें लिखा है 60 पर्सेण्ट आवास गृह और 40 पर्सेन्ट बैरक और इनके पास उपलब्ध हैं 18 आवास गृह। आप सोचिये, अगर रात को दो घंटे, चार घंटे भी कोई आदमी अपने परिवार के साथ रह कर सुख दु:ख की बात नहीं कर सकता तो उसका मन कहां रहेगा। क्या उसका सेवा में मन लग जाएगा? अपने बूढ़े मां-बाप को साथ रखे और उनकी सेवा नहीं कर पाये और जब वह सेवानिवृत्त होगा, तब तक बूढ़े मां-बाप तो चल दिये होंगे, तो वह पुलिस कर्मचारी कुछ नहीं कर पाता, फर्ज भी पूरा नहीं कर पाता। मैंने निवेदन किया था कि पुलिस के मद में पैसा कम है तो अधिक से अधिक पैसा अकाल राहत के मद में से ले लीजिये और लेकर के आवास गृह बनाइये। आवास गृह सिपाही से ही शुरु कीजिये। मैंने इसमें प्रतिशत देखा है, अधिकारियों के आवास गृह का प्रतिशत ज्यादा है और सिपाहियों का कम। मैं निवेदन करूंगा आपको कि इस पुलिस को विभाजित करना पड़ेगा सेवाओं के अन्दर विशेषत: शहर की पुलिस को आपको विभाजित करना पड़ेगा। अन्वेषण करने वाले पुलिस को अलग रखना पड़ेगा, आठ-आठ घंटों की शिफ्टों में रखना पड़ेगा। आपके थाने में अन्वेषण करने वाले व्यक्ति जनता की रिपोर्ट लिखने वाले व्यक्ति नहीं मिलेंगे। दूसरा, वी.आई.पी.

(श्री भंवरसिंह चौधरी)

और पैट्रोलिंग का दल आपको दूसरा बनाना पड़ेगा। अन्वेषण में दक्षता आएगी, जिम्मेदारी उन पर ठहरायी जाएगी और कार्यवाही होगी।

पुलिस का एक और निवेदन कर दूं। हम यहां देखते कि हर ट्रैफिक पाइण्ट पर एक सिपाही सुबह से शाम तक खड़ा रहता है। माननीय कालीचरणजी ने स्ट्रेन्थ बताकर बताया था कि बल को और ज्यादा बढ़ाया जाए। अजमेर का तो मैं जानता हूं कि नहीं बढ़ा है। कृपया ऐसी व्यवस्था करें कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक पाइण्ट हों ताकि जनता को सहूलियत मिले और आठ घण्टे से ज्यादा एक सिपाही से ड्यूटी न ली जाए जिससे बाद में आपको कुशलता मिलेगी और यहां प्रतिपक्ष या पक्ष के दोनों तरफ से जो आदमी पुलिस के खिलाफ बोलते हैं उनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा।

बहुत खुशी की बात है, बधाई देता हूं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय को कि सारे आयुक्त मुख्यालयों पर महिला पुलिस थाना बना दिया। बहुत खुशी की बात है, हम तो चाहते हैं कि वे उससे भी आगे बढ़ें। महिलाओं के होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिये इसकी बहुत आवश्यकता है, अन्वेषण की परम आवश्यकता है। यह निवेदन करूंगा गृह मंत्री महोदय, आप एक चीज नोट करें कि महिला पुलिस के साथ न्याय करने के लिये इनका कैडर बिल्कुल अलग करें और उनको भत्ते महिला के कैडर से ही दिये जाएं। तभी जाकर आप प्रोत्साहित कर सकेंगे और उनमें दक्षता ला सकेंगे। आपने एक तरफ कैडर परिवर्तन का लिखा है कि आर.ए.सी. को लगा दिया सिविल पुलिस में और सिविल को लगा दिया आर.ए.सी. में। हमें एतराज नहीं है, ट्रेनिंग देने के बाद में आदमी सब वैसे के वैसे ही होते हैं। ये सी.आई.डी. (आईबी.) वालों ने क्या गुनाह किया है जो सालों से उसी कबूतरखाने में बैठे हैं? उनको भी आप मौका दीजिये। परिवर्तन से हमेशा कुशलता और दक्षता आती है, उनको बाहर लगाइये ताकि वे भी काम में आगे बढ़ सकें।

धुलाई भत्ते के लिये निवेदन करूंगा। जितना आप धुलाई का भत्ता देते हो उससे साबुन नहीं आता है। ड्रेस के लिये एक छोटा सा पाइण्ट है। आज युग आ गया है टेरेलीन का। सूती कपड़ा पहनते हैं तो एक दिन पहनते हैं और दूसरे दिन खराब हो जाता है। कई राज्यों में टेरीलन आ गयी है, आप भी वहां दीजिये और धुलाई के पैसे पूरे दीजिये।

मैं इतना ही निवेदन कर दूं, मुझे विश्वास है मेरी सरकार में, भैरोंसिंहजी की सरकार में मुझे विश्वास है कि ये जो बातें कह रहा हूं उसमें मुझे कामयाबी मिलेगी और मुझे आशीर्वाद मिलेगा।

अन्तिम बात कह दूं। पुलिस विभाग में भी मछलियां हैं जो पानी गन्दा करती हैं। पुलिस के जो सजा के नियम हैं वे इतने ढीले हैं, लचीले हैं कि कोई सजा पाता ही नहीं है। भ्रष्ट अधिकारी अपने बस में

(श्री भंवरसिंह चौधरी)

नहीं आते। एक्ट बनाया जाए पुलिस का सजा देने के लिये, पेटी समरी कोर्टस बनाये जाएं और शीघ्रताशीघ्र हमारे यहां पर भ्रष्ट अधिकारियों को निकाला जाए जिससे पुलिस विभाग की छवि ऐसी साफ बन जाए कि राजस्थान पुलिस का नाम और आगे बढ़ सके। इतना ही कहता हूं। आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री पूनम चन्दजी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : सभापति महोदय, राजस्थान पुलिस का मैं लगभग 35–40 साल से प्रशंसक रहा हूं और इन्होंने बहुत से कार्य माननीय मेड़ना से आने वाले सदस्य ने बताये, प्रशंसनीय कार्य किये हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस ढलती उम्र में कुछ कारणों से पुलिस के प्रति जो मेरे विचार थे वे बदलते जा रहे हैं। पूरे बदलने की तो बात नहीं है, आज भी यदि हम हमारे पड़ौसी प्रदेशों से हमारी पुलिस का मुकाबला करें तो चाहे उनकी प्रणाली हो चाहे उनका जनता के साथ व्यवहार हो उनसे तो आज भी ठीक है लेकिन फिर भी इसमें बहुत कुछ सुधार की जरूरत है।

पुलिस किसी भी सुसंगठित समाज का नींव का पत्थर है, अगर पुलिस प्रशासन हिल जाता है तो समाज भी धराशयी हो जाएगा। हमारे यहां पर जिक्र किया, जब राजस्थान बना था, डकैतों की समस्या थी उसको दूर किया और करीब-करीब जो पुराने डकैत हुआ करते थे इस तरह की डकैतियों का तो उन्मूलन ही कर दिया। आज भी हम शांती और व्यवस्था की स्थिति देखें तो दूसरों के मुकाबले में हम बहुत अच्छे हैं। विदेशों में, खासतौर से संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी में पैदल कोई व्यक्ति एक-दो मील चल कर बिना लुटे हुए वापस घर नहीं आ सकता। हमारे यहां पर नौजवान लड़की सोने का गहना पहनकर आधी रात को सड़क पर चलती है, वास्तव में चलती है और जाकर आ सकती है, कोई खतरा नहीं है। पुलिस का ढांचा करीब-करीब अभी तक वही है। आबादी हमारी पहले के मुकाबले में ढाई-तीन गुना बढ़ गई। शहरों के आकार हैं वे प्रत्येक शहर के दस गुना-बारह गुना अधिक हो गये। लेकिन उस अनुपात के अन्दर पुलिस बल को नहीं बढ़ाया थानों की संख्या नहीं बढ़ायी। आज। आवागमन के साधन, संचार के साधन, चोरी-डकैती और अपराधों के तरीके बदल गये। पहले या तो कोई किसी का ऊंट ले जाता, बैल ले जाता या नकदजनी हो जाती, अब तरह-तरह के अपराध होने लग गये। उन अपराधों के अनुसंधान के लिये जिस तरह की सुविधाएं, जिस तरह की ट्रेनिंग पुलिस को होनी चाहिये वह नहीं है। पुलिस कर्मियों को जो सुविधाएं मिलती हैं—तनख्वाह, भत्ते, वे बहुत कम हैं। मेरा सुझाव है कि इनको अधिक सुविधाएं दी जाएं, इनके वेतन अच्छे किये जाएं। हमारा बहुत बड़ा प्रदेश है तो इसमें इनको गाड़ियां वगैरह सब कुछ ज्यादा दी जाएं। लेकिन साथ ही साथ जो प्रारम्भ में मैंने बात कही कि इनकी छवि गिर

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

रही है, पुलिस के अधिकारियों को चाहिये कि उस छवि को वे सुधारें। गिरावट के दो मुख्य कारण हैं—पहली बात भ्रष्टाचार और दूसरी बात पुलिस के अत्याचार, पुलिस द्वारा पिटाई निर्दोष लोगों की। कई तरह के मामले की शिकायत के इस तरह के आते हैं कि लोगों का मन हट जाता है पुलिस के प्रति, इनको जब तक हम नहीं सुधारेंगे तब तक हम पुलिस की ख्याति के अन्दर वृद्धि नहीं ला सकेंगे।

महोदयजी, आप अच्छी तरह से जानते हैं बीलवाड़ी काण्ड आपको याद है, राजस्थान के अन्दर खनन का धन्धा है और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान और उदयपुर में यह लोगों का मुख्य धन्धा है जिसमें खासतौर से पत्थर निकालने के लिये, मार्बल और मकराना निकालने के लिये, कुएं खोदने के लिये विस्फोटक पदार्थों की जरूरत होती है। विस्फोटक का जब हम नाम सुनते हैं तो बड़ा डर लगता है क्योंकि पहले पंजाब के अन्दर था अब कश्मीर में, पूर्वोत्तर राज्यों के अन्दर आतंकवाद फैला हुआ है। अलगाववादी लोग वहां सक्रिय हैं इसलिये सरकार को शस्त्रों के बारे में और विस्फोटकों के बारे में सख्त कानून बनाने पड़ते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये विस्फोटक लोगों की आमदनी का साधन है, लोगों के रोजगार का साधन हैं। इस कमजोरी को देखकर पुलिस वाले काफी भ्रष्टाचार करते हैं विस्फोटकों के मामले में। चाहे तो आपका भीलवाड़ा का इलाका हो चाहे जोधपुर के, कई डिस्ट्रिक्ट हो, उदयपुर हो, आज कल जहां कहीं भी कुओं की खुदाई होती है वहां पुरानी पद्धति से नहीं खुदते, सब विस्फोटकों से खोदे जाते हैं और उसके अन्दर तरह-तरह से विस्फोटकों के जो व्यापारी हैं, लाइसेंस होल्डर हैं उनको भी तंग करते हैं। विस्फोटक कायदे से ले जाते हैं उसके अन्दर भी उनसे पैसे लिये जाते हैं और जो छोटे-मोटे इस कानून को तोड़ देते हैं, अच्छी तरह से जानते हुए भी कि यह कोई आतंकवादी नहीं है, इसका प्रयोग आतंकवाद के लिये नहीं होने वाला है पुलिस अच्छी तरह से जानती लेकिन उस सत्ता का बुरी तरह दुरुपयोग करके जनता को लूटा जा रहा है।

गांवों के अन्दर जो ग्रामीण जातियां हैं उनके अन्दर भी शिक्षा का प्रसार हुआ है आजादी के बाद में लेकिन रोजगार के अवसर ग्रामीणों के लिये, ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर बिल्कुल नहीं हैं। नतीजा यह है कि इनमें से बहुत से लोग शहर में आते हैं, नौकरी नहीं लगती है तो छोटी-मोटी मजदूरी करते हैं या अब एक नया धन्धा अपनाया है ट्रकों के चलाने का। जोधपुर डिवीजन के अन्दर कृषकों ने हजारों ट्रक खरीदे हैं। वे खुद ही उन ट्रकों को चलाते हैं, दूर-दूर ले जाते हैं। आप भी सब जाते हुए देखते होंगे, जगह-जगह पुलिस वाले खड़े हैं। कोई हाई-वे पुलिस है, ट्रेफिक पुलिस है, थानों की पुलिस है, दूसरी पुलिस है, तीसरी पुलिस है, जगह-जगह लूट होती है और आवागमन है अपने सामान का और वस्तुओं का, उसके अन्दर वे भारी रुकावट डालते हैं, उनसे बहुत ज्यादा वसूली की जाती है। बहुत से ऐसे ट्रकों वाले लोग मिलते रहते हैं। हमारे नजदीक हैं, सब ग्रामीण हैं, वे कहते कि साहब, जयपुर जैसे शहर के अन्दर से निकलने में हमारा हजार

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

डेढ़ हजार रुपया खर्च होता है। जगह-जगह इनकी लूट मची हुई है। अ्रह मंत्रीजी आप इस समस्या की ओर ध्यान दीजिये और ऐसे आदेश प्रसारित कीजिये कि एडीशनल सुपरिन्टेंडेंट आफ पुलिस के नीचे दर्जे का व्यक्ति है। उसको अधिकार नहीं होना चाहिये ट्रकों को इस तरह से रोकना का। मैं निवेदन करता हूं, कई दफा ट्रकों के एक्सीडेंट हो जाते हैं और उसके अन्दर जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं—साग-सब्जियां, फल-फूल भरे होते हैं। अगर उसमें कुछ घण्टों की देर हो गयी तो वह सब सामान सड़ जाता है। गुजरात के अन्दर ऐसा नियम है कि अगर किसी ट्रक एक्सीडेंट हो गया तो उस ट्रक की उसी वक्त जमानत ले ली जाती है और उसको छोड़ दिया जाता है ताकि उसको नुकसान नहीं हों। यहां अपन देखते हैं कि कई दफे प्याज और कई दफे आम, कई दफे सेब और कई तरह के फूल बिखरे हुए सड़कों के ऊपर पड़े रहते हैं और जब तक अदालत से वह व्यक्ति छूटे नहीं, उसका ट्रक तब तक वहां रहता है।

जहां तक पुलिस अत्याचार का सवाल है, देखिये, हमने जनतन्त्रवाद कबूल किया है। मैं अपने जीवन में बाहर पढ़ने गया तो अंग्रेजी पुलिस का व्यवहार भी देखा, चूंकि रजवाड़ों से अपन सब आते हैं तो राजशाही पुलिस थी उसका व्यवहार भी देखा और आज का पुलिस व्यवहार भी देखा। उस हम एक स्वतन्त्र देश के या जनतान्त्रिक देश नागरिक नहीं थे, हम सामन्तशाही राज की प्रजा थे लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं उस वक्त की पुलिस को कि उसने लिये भी सबसे कीमती वस्तु यह थी कि भाई, नागरिक का जो मान सम्मान है वह दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। आप और हम सब जानते हैं कि धन अर्जित करते हैं तो इज्जत प्राप्त करने के लिये, पढ़ाई करते हैं तो इज्जत प्राप्त करने के लिये, आईपीएस, आईएएस, डाक्टर इंजीनियर बनते हैं तो इसके लिये बड़े-बड़े आविष्कार करते हैं तो मान-सम्मान के लिये और अगर किसी व्यक्ति के मान-सम्मान को आप ठेस पहुंचा देते हैं कि जाकर के भले आदमी के बिना कारण के सौ रुपये की चोरी हो गयी इसलिये हम इससे पूछताछ कर रहे हैं, तो उसके लाख रुपये, करोड़ रुपये में भी अपनी इज्जत नहीं देना चाहेगा। अगर किसी प्राइवेट नागरिक ने किसी को थप्पड़ मार दिया तो वह लाख रुपया खर्च कर देगा लेकिन उसको दण्डित करवाकर छोड़ेगा या अन्य तरीके से बैर लेगा लेकिन जनतन्त्रवादी पुलिस उसका खुलेआम हनन करे यह कहां का न्याय है। ठीक है, मैं जानता हूं इंग्लैण्ड के अन्दर भी अगर कोई हाई बोल्ड टाइप अपराधी है तो पुलिस के पास वहां भी सब कुछ आधुनिक अनुसंधान के और अन्वेषण के साधन होते हुए भी आखरी उपचार उनके पास भी डण्डा ही है, यह बात सही है लेकिन बहुत ही सोच समझकर कि इसमें दूसरा कोई तरीका नहीं है, उसके बाद में उसका इस्तेमाल करते हैं। अपने यहां जाते ही पहले पिटाई शुरू या बच्चे हैं कोई गलती कर गये तो वहां खुले आम सड़क के ऊपर ही आप पीट रहे हैं, कर रहे हैं। मैं समझता हूं

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

कि हमने जनतन्त्रवाद देकर जनता की आदत ही बिगाड़ दी। हालांकि एक स्वतन्त्र देश के नागरिक हैं, पर स्वतंत्र देश के नागरिक की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है, उनको जिम्मेदार लोग बनना चाहिये। वह जनता की गलती है लेकिन फिर भी स्वतंत्र देश के नागरिक को, जिसका मान-सम्मान और स्वाभिमान सबसे बड़ी चीज है, इस तरह से पुलिस के थानों में बुलाकर या अनुसंधान के नाम पर हम अत्याचार करें, यह कतई तौर पर क्षम्य नहीं है और पुलिस को इस बारे में सतर्क होना चाहिये। मैं आपको कहता हूं कि ये दो-चार कमियां हैं जो पूरी कर दो तो सरकारी अधिकारियों में सबसे प्रिय पुलिस वाले हो जायेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यदि हम यह नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे बुरी बात और कोई हो नहीं सकती। कई बार यहां पर प्रश्न उठते हैं, कि साहब, थानेदार साहब ने बुलाया है और खुलेआम यहां भी कहते हैं और मंत्रीजी तक ने जवाब दिया कि उनको बुलाने का अधिकार है। मैंने कहा, जुबानी बुलाने का कोई अधिकार नहीं है, गलतफहमी है कि पुलिस को अधिकार है। पहली बार लिखित के अन्दर बुलाने का गवाही के लिये या अपराध के सम्बन्ध में पूछताछ करने के लिये और यदि उसको तत्काल गिरफ्तार करना है या उसको अपने सामने लाना है तो वारण्ट से या एसएचओ खुद यदि अपराध उसके सामने हो रहा है तो वह अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। ये दो ही तरीके हैं लेकिन यह कह देना कि थाने में बुलाया है और बुलाने के बाद में दस घण्टे बैठाया, दुर्व्यवहार किया उसके बाद में उसको छोड़ दिया और फिर दूसरे दिन बुला दिया, सात-सात दिन तक बुलाए रखा यह मैं समझता हूं कि बिल्कुल कतई तौर से कानून की मंशा के विरुद्ध है और अंग्रेजों को इस बात के लिये तो धन्यवाद देता हूं कि एक कोलोनियल और इम्पीरियलिस्ट सत्ता होते हुए भी उन्होंने 24 घण्टे से ज्यादा पुलिस हिरासत में नहीं रखने का कानून बनाया, ज्यादा समय तक रोकना है तो रिमाण्ड का कानून बनाया। उन्होंने भी उस तरह के प्रावधान कर रखे थे। तो जैसा मैंने पूर्व में कहा कि जनतंन्त्रवादी देश है तो कानूनों का पूरा पालन हमको करना चाहिये।

एक बात और है, सामंती पुलिस का भी अनुभव है और सामंतशाही का भी अनुभव लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं आज की जो पुलिस है गांव में अगर कोई अपराध हुआ ढाणी में अपराध हुआ, वह गरीब आदमी है और शहर में मान लो गया हुआ नहीं है या कानून का दरवाजा उसने कभी देखा हुआ नहीं है, थानेदारजी सीधे वहां जाकर के भटकेंगे तो उनके देखते ही उनके होश उड़ जाएंगे। पुराने सामंतशाही के जमाने में भी पुलिस जाती थी तो पहले या तो ठाकुर होता था उसके पास जाते थे। ठाकुर कहता, भाई चौधरियों को या इनका मुखिया है उनको बुला लेते हैं, अपन बात करते हैं। उसके बाद में उस व्यक्ति को बुलाते, बात करते तो क्या है कि लोगों को विश्वास में लेकर पुलिस कार्यवाही करती थी। आज पुलिस के बारे में कई तरह की तो गलत

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

धारणाएं भी चलती हैं कि पिटाई कर देंगे, यह करेंगे, वह करेंगे। उसमें किसी गांव वाले को, पंच को, सरपंच को, मुखिया को, उसकी जात-बिरादरी के मुखिया को साथ लिये बगैर पुलिस जाती है तो मैं समझता हूं कि वह नागरिक है वह घबरा जाता है। घबराने के कारण पुलिस को को भी एक मौका मिल जाता है भ्रष्टाचार करने का। पुलिस को चाहिये कि वह अनुसन्धान करने जाए तो गांव के जो बुजुर्ग लोग है, गांव के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको विश्वास में ले और उसके बाद में कार्यवाही करे।

जहां तक और बातें हैं काफी विस्तार में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कह दिया कि पुलिस को जो वेतन मिलता है और उनको जो दूसरी सुविधाएं बहुत कम हैं। पुलिस को यदि हम वास्तव में ईमानदार बनाना चाहते हैं तो उनकी तनख्वाह, वेतन-भत्ते, और दूसरी सुविधाएं हमको बढ़ानी पड़ेगी। वे जब तक नहीं बढ़ाते तब तक भूखे पेट हम उनसे बहुत ही ईमानदार और बहुत ही दक्ष और बहुत ही चुस्त होंने की उम्मीद नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर जैसे बोर्डर होम गार्ड्स के लोग हैं वे राजधानी में दो-दो साल से लगे हुए हैं काफी बड़ी संख्या है, कोई हजार-डेढ़ हजार हो सकते है। पक्की तो मुझे गिनती मालूम नहीं लेकिन दूसरे पुलिस वालों की तरह उनको कोई भी सुविधा नहीं है। मैं समझता हूं कि दूसरे पुलिस कर्मियों को जो सुविधा है उस तरह की उतनी नहीं तो उससे कम उनको देने का प्रावधान हमको करना चाहिये। मैंने जो अपने सुझाव थे, वे दिये। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री सभापति : माननीय श्री विजयेन्द्र पाल सिंह।

(16.00)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सभापति महोदय, मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी आप मेरा नाम पुकार लेंगे।

श्री सभापति : गलती ठीक कर लूं ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आप दो-तीन के बाद में नाम पुकार लें तो मैं तैयारी कर लूं।

श्री सभापति : माननीय श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय सभापति महोदय, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने, राजस्थान पुलिस के सन्दर्भ में प्राप्त विवरण के आधार पर जो जानकारियां दीं वे सचमुच चौंकाने वाली जानकारियां हैं कि राजस्थान के अन्दर भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद जिस तरीके से पुलिस प्रशासन चुस्त और दुरूस्त हुआ है, जिस तरीके से पुलिस ने अपना काम करना शुरू किया है वह सचमुच बधाई का पात्र है। ऊपर के अधिकारियों की संख्या बढ़ी है और उनमें डाइरेक्टर जनरल और उसके साथ-साथ हमारे यहां पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस और 9 आईजीपी हैं। कभी शायदा एक आईजीपी. हुआ करता था और सारे राज्य

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

को संभालता था लेकिन आज इतने आफिसर्स लगा दिये हैं और उसका परिणाम भी सामने दिखाई पड़ रहा है। इतने आफिसर्स को लगाने के बाद हर क्षेत्र में पुलिस प्रशासन अच्छा काम करने लगा है। लेकिन एक आग्रह मैं करना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री जी से कि ये सारे भारतीय पुलिस सेवा के व्यक्ति हैं लेकिन जो राजस्थान पुलिस सर्विस के लोग हैं उनकी समय पर डीपीसी. होने लग जाएं जो कि पिछले दो तीन सालों में नहीं हुई है तो उनको समय पर प्रमोशन मिलने लग जाएंगे। एक इन्सपेक्टर डीएसपी. और एक डीएसपी. एडीशनल एसपी. बनेगा तो प्रमोशन पाने पर आदमी के मन में एक उत्साह रहता है काम करने का। मेरा आपसे आग्रह है कि समय पर डीपीसी. हो और समय पर इनकी पदोन्नतियां हो तो काम अच्छा होगा।

आपके यहां सीआईडी. ब्रांच में आप आप लगा देते हैं, सीबी. में लगा देते हैं और कुछ लोगों को सिविल में रखते हैं या कुछ लोगों को प्रशिक्षण के दौरान भेज देते हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि पंजाब की तरह से, हिमाचल प्रदेश की तरह से और खास करके दिल्ली का जो पैटर्न है यदि उस पैटर्न को राजस्थान अपना ले तो रोटेशन से सब लोग लगने लग जाएंगे। कुछ समय वे सीआईडी. में रहेंगे, कुछ समय सीबी. में रहेंगे और कुछ समय वे सिविल सेवा में भी रहेंगे और कुछ समय तक थानों में भी रहेंगे। इन लोगों के अन्दर के कुछ प्रभावशाली लोग थानों में या अच्छी जगह लग जाते हैं और कहा जाता है कि वहां पर ये बहुत रिश्वतें कमाते हैं—यह 50 हजार रुपये का थाना है, यह ऐसी पोस्ट है। तो इस तरह से एक परिवर्तन अगर रोटेशन में होगा तो इन लोगों में उस तरह का फस्ट्रेशन नहीं पैदा होगा।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी शिकायतें है पुलिस के व्यवहार की, अंग्रेजों के जमाने से जिस तरह का आपका मेनुअल चला आ रहा है, जिस तरह की आईपीसी. की धाराएं हैं और जिस तरह से इनका प्रशिक्षण है। जब कान्स्टेबल का का रिक्रूटमेन्ट होता है और प्रशिक्षण के लिये वह जाता है तो ट्रेनिंग देने वाले जो लोग हैं वे गाली देकर बात करते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो इनके मन में भी उसी तरह का पुलिस का-सा व्यवहार रहता है। यदि इनको संवेदनशील बनाना है, यदि इन थानों को हमें सचमुच में न्याय के मन्दिर का रूप देना है तो इनकी ट्रेनिंग में हमें परिवर्तन करना होगा। वहां पर तो वे बन्दूक चलाना सीखते हैं और जब बोरी के ऊपर बार करते हैं तो केवल मारना ही मारना सिखाते हैं पर क्योंकि उन्हें मनुष्य के साथ काम करना है, जनता के बीच में आना है तो इन लोगों का जो प्रशिक्षण के है उस प्रशिक्षण के ऊपर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये। यह ट्रेनिंग और उसके बाद में इन सर्विस भी प्रशिक्षण होना चाहिये। आपके इस प्रतिवेदन में प्रशिक्षण का पूरा एक ब्यौरा आपने दिया है जहां इन को प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं। राजस्थान के बाहर भी इनको प्रशिक्षण के लिये भेजते हैं और इनका प्रशिक्षण आप राजस्थान में भी करते हैं सभी तरह का आप प्रशिक्षण देते हैं पर इस प्रशिक्षण को

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

जितना संवेदनशील आप बना सकेंगे उतना ही यह पुलिस इफेक्टिव होगी।

मैं इसके साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जब कभी भी हम चर्चा करते हैं यहां के पुलिस अधिकारियों के साथ तो पता लगता है कि पुलिस की बहुत कमी है। आपका जो प्रतिवेदन है इसके पेज 6 पर लिखा है : 'आलोच्य वर्ष में गत वर्ष की रिक्तियों के विरुद्ध 2447 कान्स्टेबल, महिला कान्स्टेबल एवं 187 कान्स्टेबल ड्राइवरों की भर्ती की गयी है तो वर्ष 1993 की रिक्तियों के विरुद्ध 1382 कान्स्टेबल/महिला कान्स्टेबलों की भर्ती राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर की जाएगी। यदि वास्तव में इतने कान्स्टेबल कम होंगे तो किस तरीके से वे काम करेंगे? मैं उदयपुर के हाथीपोल थाने की या सूरजपोल थाने की यदि जयपुर के बड़ी चोपड़ या छोटी चौपड़ के थाने से तुलना करूं; वहां पर जो क्राइम्स दर्ज होते हैं उनको देखें और जयपुर के क्राइम्स को देखें; जयपुर राजधानी होने के कारण वीआईपी. यहां बहुत आते हैं तो उदयपुर पर्यटन स्थल होने से वहां भी वी.आईपी. बहुत जाते हैं; कई तरह की मीटिंग भी उदयपुर में केवल इसलिये रखी जाती हैं कि बाहर के लोगों को देखने का मौका मिलेगा, लेकिन वहां के थानों की गिनती है उस हिसाब से वहां पुलिस वालों की कमी है। यहां के थानों की गिनती अधिक है और गुजरात की सीमा से मिला होने के कारण से उदयपुर जिले में शराब की स्मगलिंग भी इन दिनों बढ़ी है, शराब माफिया वहां पर हावी हुए हैं और इन वर्षों में कई तरह के मर्डर और कई तरह के क्राइम्स वहां पर बढ़े हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जितने भी संवेदनशील जिले हैं, जहां पाकिस्तान से हमारी सीमा मिलती है वहां तो बार्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग रहते हैं और हमारी पुलिस भी सक्रिय रहती है लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान या बंगलादेश के अनेक नागरिक वहां के प्रभावशाली लोगों का सहारा लेकर वहां जमीन लेकर बस गये। अनेक लोग जो पासपोर्ट पर आते हैं, यह बराबर रिपोर्ट्स छपती रहती हैं कि इतने लोग गायब हैं, उनका पता नहीं लग रहा है। सचमुच में राजस्थान जैसा संवेदनशील आपका यह महकमा है, यहां आने वाले लोगों की एन्ट्री होनी चाहिये, वे कहां कहां रहते हैं इसका भी पता लगाना चाहिये और खास तौर से जैसे गुजरात को शराब की तस्करी होती है इन सब को रोकने के लिये कुछ विशेष बल बनाया जाना चाहिये। जैसे आपने डकैतों का उन्मूलन किया है तो निश्चित रूप से डकैतियां कम हुई हैं, कई डकैत मारे भी गये हैं, उसी तरीके से यदि प्रयत्न किया गया तो हम इसमें सफल होंगे।

मान्यवर, जिस तरह की आये दिन अखबारों में रिपोर्ट छपती रहती हैं, क्राइम्स किस तरीके से होते हैं मैं उसमें बहुत समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन मैं केवल संकेत देना चाहता हूं कि न्याय कैसे मिले, महीनों तक तो जांच ही पूरी नहीं होती। एफआईआर थानों में दर्ज ही नहीं होती और झूठे मुकदमों में फंसाकर पुलिस जुल्म ढा रही है। जो हमारा सशक्त मीडिया है, उसमें गरीब लोगों को जो ऐसी कुछ खबरें छपती हैं उनकी निश्चित रूप से हमारे

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

विभाग को जांच करनी चाहिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मई में प्रतापगढ़ के अन्दर ...

(16.10)

(श्री किशन मोटवानी, सभापति, पदासीन।)

बांसवाड़ा के कुछ वनवासी श्रम करने के लिए आये थे। वे सोये हुए थे। पुलिस के लोग जीप लेकर जाते हैं और सूरता नाम की उस नौजवान लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हैं। उसका जो नतीजा है वह उससे भिड़ जाता है। उसको पुलिस मारती है और उसके साथ बलात्कार किया जाता है और उन्हें कुएं में डाल दिया जाता है यह राष्ट्रपति शासनकाल में हुआ है जिसकी मैं याद दिला रहा हूं। लेकिन वनवासियों पर यह अत्याचार है, यह जुल्म किसी भी शासन में हुआ हो, किसी समय हुआ हो, अत्याचार तो अत्याचार है और उसे अत्याचार के रूप में ही लेना चाहिये। उसके बाद पुलिस का प्रतापगढ़ के अन्दर बर्बर व्यवहार रहा, उन महिलाओं ने बयान दिये हैं। दूसरे दिन पुलिस ने गोली चला दी और वहां पर जो जनता इकट्ठी हुई थी ज्ञापन देने के लिये, जो लोग अन्दर बैठे हुए थे, एस.डी.एम. से बात कर रहे थे नगरपालिका के अन्दर, उन लोगों पर भी केसेज लगाये गये हैं।

इसी तरह आपके जोधपुर के अन्दर संध्या राजपुरोहित की हत्या हुई। संध्या राजपुरोहित की हत्या में हमारे जवाब में तो यह बता दिया गया है, आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने 295 लगाया कि इसमें हत्या नहीं हुई। लेकिन यदि सारी उस कहानी को आप देखें तो लड़का जोधपुर से उनके साथ जाता है, नामजद लोगों के साथ जाता है। बताया जाता है कि पेट में दर्द हो रहा था। ऐसा शायद कोई गांव नहीं है जहां जीप अवेलेबल नहीं हो, जहां बसें अवेलेबल नहीं हों और उस गांव में में तो बहुत साधन थे लेकिन उस लड़के को वे बताते हैं कि ऊंट के गाड़े में डालकर के केरू ले जाते हैं और केरू का वह कहता है कि इसकी मृत्यु हो गयी। जोधपुर जाकर के वार्डन को सूचना देते हैं लेकिन वह लड़का उसके परिवार के लोगों को उदयपुर सूचना नहीं देता है, पुलिस थाने के लोग उदयपुर सूचना नहीं देते। पोस्टमार्टम 7 तारीख को हुआ है, हत्या 4 तारीख को हुई। और उसके बाद में आप लिखते हैं कि विसरा की रिपोर्ट आयी। यदि कीटनाशक उसको दिया गया है, किसी तरह का जहर दिया गया है और विसरा इतने दिन बाद निकालकर के भेजेंगे तब तक तो वह सारे शरीर में घुल जाएगा। प्रेमराज विश्नोई करके वहां पर थाने के इन्चार्ज थे उन्होंने उस केस की लीपापोती की है और सम्बन्धित व्यक्ति के परिवार के लोगों का विश्वास नहीं किया जाता। इसलिये मैं आपसे चाहूंगा कि ऐसे केसेज के अन्दर निश्चित रूप से आप अपने सीनियर अधिकारियों को भेजकर इनकी जांच कराएं ताकि जनता का विश्वास पुलिस पर हो सके। मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि प्रतापगढ़ का यह जो मसला है दुबारा इसकी जांच कराकर के देखें तो निश्चित रूप से जो दोषी लोग हैं उन दोषी लोगों

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

को सजा मिल सकेगी। पुलिस ने पहले तो उन दोनों को गिरफ्तार किया, जनता ने पहचान लिया और महिलाओं ने पहचान लिया, आई विटनैस थी कि हमारे सामने ये सारे कुकृत्य हुए हैं। लेकिन उनको गिरफ्तार किया फिर उनको छोड़ दिया, इस तरीके से नहीं होना चाहिये।

दहेज हत्याओं के मामले में भी मेरे पास बहुत से केसेज हैं मेरा आपसे आग्रह है कि दहेज हत्याओं, हत्याओं के या जो भी इस तरह के संवेदनशील काण्ड हैं आप इनकी पुनः जांच कराएं तभी निकल सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं उदयपुर का पारसोला काण्ड, चावण्ड काण्ड। चावण्ड काण्ड में जिन लोगों ने हत्या की, इतनी बारीकियां हैं कानून की और पुलिस की इतनी लापरवाही की हत्यारे छूट गये लेकिन मुकदमों में जो लोग फंस गये वे आज भी फसे हुए हैं। सरावरा काण्ड के जो दोषी थे वे तो छूट गये लेकिन जो निर्दोष लोग थे वे आज भी फंसे हुए हैं। पुलिस को यह ध्यान निश्चित रूप से रखना होगा कि दोषी लोगों को कम से कम सजा हो और निर्दोष लोग उसके गुनहेगार नहीं हो सकें।

मैं उदयपुर के सन्दर्भ में दो बातें कह कर मेरी बात को समाप्त करूंगा कि उदयपुर में पौरवाड़ी के अन्दर पुलिस चौकी थी। उस पुलिस चौकी को जला दिया गया, वह पुलिस चौकी समाप्त हो गयी। जबकि जो धोलीबावड़ी का क्षेत्र है, जो पौरवाड़ी है वह बहुत ही संवेदनशील स्थान है। मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था कि पौरवाड़ी की पुलिस चौकी वापस कायम होनी चाहिये। वह पुलिस चौकी किसीकिराये के मकान या मंदिर में थी इसलिये उसे जला दिया गया और वह पुलिस चौकी वहां से समाप्त हो गयी। धोलीबावड़ी के ऊपर मध्य में पार्क के लिये छोड़ा हुआ जो स्थान था उस बावड़ी को ढ़क दिया गया है, अगर वहां पुलिस चौकी कायम कर दी जाए तो निश्चित रूप से उस संवेदनशील इलाके में स्थान मिलेगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि परसाद जो स्थान हैं उस परसाद के ऊपर थाने की आवश्यकता है, ट्राइबल बाहुल जिला है उदयपुर, उसमें परसाद मौके पर स्थित है और नेशनल हाई वे पर है। परसाद में पुलिस थाना खोला जाना चाहिये।

पर्यटन की दृष्टि से जयसमन्द बहुत बड़ा स्थान बनता जा रहा है पर वहां किसी तरह की पुलिस चौकी नहीं है: गुजरात से पर्यटक आते हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से एक पुलिस चौकी जयसमन्द में कायम की जाए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने नेशनल हाई-वे के ऊपर सब जगह चल-पुलिस का प्रबन्ध किया है, उदयपुर से से रतनगढ़ तक प्रबन्ध किया है लेकिन अजमेर से उदयपुर तक आपने कोई प्रबन्ध नहीं किया है। आये दिन वहां घटनाए घटित होती हैं इसलिये वहां भी प्रबन्ध कीजियेगा। उदयपुर से पिण्डवाड़ा और आबू जाने वाले लोग उस रास्ते से जाते

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

हैं और अक्सर वहां पर लूटमार होती रहती है तो वहां प्रबन्ध कीजियेगा ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप आंकड़े उठाकर देखें तो इस यातायात के कारण से पुलिस वालों पर तो कई तरह के आरोप लगते हैं कि वे चौथ वसूली करते हैं लेकिन उसके साथ-साथ मौतें देखें आपके रिकार्ड के अनुसार ही तो राजस्थान में 1993 में कुल 12,756 दुर्घटनाएं हुईं । 12756 दुर्घटनाएं एक साल में हुईं जिनमें 3828 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 15224 व्यक्ति घायल हुये । इतनी घटनाएं घटित होती हैं अगर पुलिस विभाग यह पता नहीं लगाते कि इन घटनाओं का कारण क्या है । जिस तरीके से शराब पीकर के ट्रक वाले चलाते हैं, जिस तेजी से ट्रक चलाते हैं, जिस तरीके से टैंकर्स चलते हैं, यह यातायात पुलिस उनको रोकने के लिये है, रोकना चाहिये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उदयपुर सिटी की जो यातायात की व्यवस्था है उसमें पुलिस वालों की संख्या कम हो जाने वजह से वे पूरे चौराहों पर खड़े नहीं रह पाते । मैं यह अनुरोध करूंगा कि उदयपुर की दृष्टि से आप यातायात पुलिस की संख्या बढ़ाने की कृपा करें और खासकर के यातायात पुलिस को चैकिंग की दृष्टि से उनको यह भी अधिकार होना चाहिये कि ड्राइवर या जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं-उसमें कई तरह के लोग हो सकते हैं, उन सब लोगों की चैकिंग कर सकें ।

मैं यह भी आपसे आग्रह करूंगा कि पांचवां वेतन आयोग बैठने को है और चतुर्थ वेतन आयोग की पूरी सिफारिशें पुलिस के लिये लागू नहीं हो सकीं । पुलिस के लिये जो-जो सिफारिशें की थीं उनमें से बहुत कम लागू की गयी हैं और पांचवा वेतन आयोग बैठने वाला है । आज उसको 855 रुपये और 25-30 रुपये अधिक अलाउन्स के रूप में दिया गया है पर उसे आप 855 रुपये से प्रारम्भ करते हैं और फिर उस पुलिस वाले से हम यह चाहें कि वह अच्छा व्यवहार करेगा । तो जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा है, मैं निवेदन करूंगा कि पुलिस का वेतन बढ़ाया जाना चाहिये । आज आप जो भत्ता देते हैं उसमें वर्दी भी नहीं आ सकती है और आप उससे यह भी चाहते हैं कि वह बिलकुल टिप-टाप रहे । आप उसका मैस भत्ता बढ़ाएं, आप उसकी वर्दी का भत्ता बढ़ाएं और उसे मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वे भी बढ़ाएं ।

श्री सभापति : समाप्त करिये, माननीय सदस्य ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैंने आजकल यह भी देखा है....

श्री सभापति : Now you Cooperate please.

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : एक सैकण्ड यह अन्तिम वाक्य कह कर मैं समाप्त कर रहा हूं ।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

मरने वाले लोगों में आतंकवादियों के हाथ से पुलिस वाला मर जाए तो उसको इतना रुपया प्राप्त होगा और डाकू के हाथ से मर जाए या अपनी ड्यूटी देते हुए मर जाए तो उसे इतना रुपया प्राप्त होगा मेरा आग्रह है कि मरने वालों के संदर्भ में यह भेदभाव न किया जाए। आतंकवादी देश के दुश्मन हैं उन लोगों को जब हम गिरफ्तार कर लेते है तो उसको पुनः बसाने के लिये लाखों रुपये हम उन पर खर्च कर रहे हैं ताकि वे अपना जीवन प्रारम्भ कर सकें तो जो पुलिस कर्मी आतंकवादियों के हाथ से मर जाते हैं उनके परिवार को बसाने के लिये, अगर हम उनके परिवार में वे किसी एक आदमी को नौकरी देते हैं और उनके परिवार को पालने के लिये मदद देते हैं तो यह कार्य तो हमें करना ही चाहिये। मैं आपको धन्यवाद देते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री दीपेन्द्र सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री बनवारीलाल शर्मा।

श्री कैलाश मेघवाल : आप रोज-रोज ही बोलेंगे क्या ?

श्री बनवारीलाल शर्मा : आपको बुरा लगता है क्या ?

श्री सभापति : यह काम तो आसन का नहीं है, यह तो इस तरह से....

श्री परसादीलाल मीणा : आप क्यों रोज-रोज जवाब देते हैं हर डिमाण्ड का ?

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : अब चूंकि आप डिमाण्ड का जवाब देते हैं इसलिये मैं खड़ा हो जाता हूं।

सभापति महोदय, पुलिस की मांग पर सदन में विचार-विमर्श हो रहा है और कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। माननीय गृह मंत्री जी, पुलिस के असन्तोष के प्रति माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये हैं इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस के व्यवहार, पुलिस की कार्य प्रणाली के विरुद्ध आम जनता में असन्तोष है। फिर भी मुझे इस बात को कहने में संकोच नहीं है कि अगर अन्य प्रान्तों की पुलिस से तुलना की जाए तो राजस्थान की पुलिस कहीं अच्छी है। राजस्थान की पुलिस ने पश्चिमी राजस्थान में जो डकैतों की समस्या थी या पूर्वी राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर, सवाई-माधोपुर जिलों में जो समस्या थी उस पर काफी काबू पाया है, लेकिन फिर भी.... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : आप यहां आ गये वैसे ही यह कम हो गयी।

श्री बनवारीलाल शर्मा : मैं तो पहले भी था। लेकिन फिर भी आपको और हमको यह गहराई से सोचना चाहिये कि आखिर यह असंतोष पुलिस के प्रति क्यों है। बहुत-सी बातें ऐसी हैं जिन पर विभाग थोड़ी सी सतर्कता बरते तो, मान्यवर, इस असन्तोष को दूर किया जा सकता है। सबसे पहले कोई भी फरियादी अगर थाने

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

में जाता है तो पुलिस का व्यवहार इस प्रकार का होता है कि उसका असन्तोष वहां से शुरु हो जाता है, क्योंकि पुलिस के कर्मचारी या थानाधिकारी अपने आपको समाज से अबव समझने लग गये है। तो मेहरबानी करके, मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि उनको व्यवहार के प्रति इस प्रकार की ट्रेनिंग दें, इस प्रकार का प्रशिक्षण दें कि वे व्यवहार में सुधार लाएं, तो निश्चित तौर से असन्तोष कम किया जा सकता है।

दूसरा कार्य मुझे यह दिखता है कि आप किसी भी थाने में जाएं तो पूरा का पूरा थाना ही शराब में डूबा हुआ होगा। शराब का प्रचलन इतना ज्यादा हो गया है कि शराब के नशे में होकर, मान्यवर, उनको होश नहीं रहता कि अपराधी के साथ क्या व्यवहार करें या किसी फरियादी के साथ क्या व्यवहार करें। अगर इस असन्तोष को आप रोकना चाहते है तो शराब पर जितना अंकुश लगा सकें उतना लगाने का प्रयास करें।

मान्यवर, एफ.आई.आर. का कानून तो है कि एफ.आई.आर. की नकल दी जाएगी लेकिन आम आदमी को एफ.आई.आर. की नकल नहीं दी जाती है। आप इस प्रकार की व्यवस्था करवाएं कि आम आदमी को एफ. आई.आर. की नकल मिल सके। मान्यवर, जैसा विश्नोई साहब ने कहा, यह सही है कि अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो 24 घण्टे के अन्दर उसको किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए लेकिन थानों में आम तौर पर देखा जाता है कि तफ्तीश के लिए बुला लिया जाता है और एक दिन रखा, 4 दिन रखा और हमारे धौलपुर जिले में तो मैं आपको सही अर्ज करता हूं कि 2–2 महीने तक थाने में रखा जाता है। अगर अदालत से कोई आदमी आकर देखता है तो थाने से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं और वह वापस हो जाता है....

श्री रामनारायण चौधरी : वे शातिर लोग हैं।

श्री बनवारीलाल शर्मा : मेरा निवेदन यह है कि मेहरबानी करके इस प्रथा पर थोड़ा-सा अंकुश लगाएं।

सबसे बड़ी बात आप इतना बड़ा बजट रखते हैं पर स्टेशनरी के लिये कुछ बजट ही नहीं देते हैं और बेकार ही पुलिस को बदनाम करने की बात करते हैं। वहां कोई भी आदमी जाता है तो सबसे पहले फरियादी को कहते हैं कि कागज का दस्ता लेकर आओ, एक पेंसिल लें आओ, एक बाल पैन ले आओ। आखिर धारा 323 के मुकदमे के बारे में 25–25 पेज की रिपोर्ट जाती हैं आपकी, क्या आपके विभाग ने कभी यह महसूस किया है कि यह बजट इसके लिये नहीं रखा गया है या कितना बजट रखा गया है। 10-20-50 लाख रुपये और बढ़ जाएंगे लेकिन आम आदमी का, आम जनता का जिसमें एक असन्तोष बढ़ता है उस असन्तोष को रोकने के लिये अगर विभाग सतर्कता रखे और इसके लिये बजट रखे तो निश्चित तौर से असन्तोष कम होगा।

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

मान्यवर, पुलिस बेरियर चैक करने के लिये लगाये जाते हैं ताकि कोई भी अपराधी भाग नहीं जाए, आतंकवादी भाग नहीं जाए लेकिन मेरे ख्याल से पुलिस के बेरियर पर आज तक कहीं भी कोई भी आतंकवादी या कोई भी अपराधी नहीं पकड़ा गया होगा। हां, यह जरूर है कि मीलों लम्बी लाइनें लग जाती हैं, आम जनता को परेशान किया जाता है और पैसा कमाने का एक जरिया इस बेरियर्स पर हो जाता है।

मान्यवर, ट्रेफिक कन्ट्रोल के लिए ट्रेफिक पुलिस है लेकिन देखते हैं तो जो बाहर से आने वाले ट्रकों से चौथ वसूली करते हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सब जगह चौथ वसूली ही है।

श्री बनवारीलाल शर्मा : जुए-सट्टे का कानून तो है, यह बात सही है मगर जुए-सट्टे में कोई पकड़ा गया तो आज उसकी वहीं की वहीं जमानत हो जाती है। सट्टे का भी कोई ऐसा सख्त कानून नहीं हैं लेकिन मेरा निवेदन यह है, हम देखते हैं कि जुए, सट्टे वालों से मिल कर पुलिस अधिकारी-कर्मचारी लोग उनको प्रोत्साहित करते हैं पैसे लेकर। इससे जुए-सट्टे का जोर बढ़ रहा है, इस पर थोड़ा-सा अंकुश लगने की आवश्यकता है।

पुलिस के खिलाफ अगर कोई आदमी अवगुण बताने के लिये भी हिम्मत कर ले तो उसको झूठे मुकद्मे में फंसा दिया जाता है। सही बात की जानकारी लेने की अगर कोशिश करते हैं तो उसको बदले की भावना से फंसाया जाता है। मान्यवर, विभाग में 109, 110, आर्म्स एक्ट के लिये अभियान चलाया जाता है। अब मुश्किल यह आती है कि पूरे साल तो यह अभियान चलता नहीं है, कुछ हफ्तों-महीनों का अभियान चलाया जाता है और उसके टार्गेट्स फिक्स कर दिये जाते हैं। इससे सम्बन्धित थानेदार की आफत आ जाती है कि कोई 110 का आदमी नहीं है तो जबर्दस्ती पकड़ लिया, कोई सिनेमा देख कर आ रहा है या कोई फैक्ट्री से मजदूर अपनी नौकरी करके आ रहा है तो उसको 109 में कर दिया। आर्म्स एक्ट में अगर कहीं उसके थाने में कोई अवैध हथियार नहीं हैं तो अपने पास से कट्टा लेकर रख दिया, क्योंकि उसको तो टार्गेट्स पूरे करने हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या उन्हीं दिनों 109 या 110 के अपराधी या आर्म्स एक्ट के केसेज पाये जाते हैं? अवैध हथियार रखने वाले तो कभी भी पकड़े जा सकते हैं, केवल उन अभियानों के दौरान ही नहीं पकड़े जाते हैं। इसलिये यह जो हफ्ते-महीने का अभियान चलाते हैं और टार्गेट्स फिक्स कर देते हैं यह मेरे ख्याल से प्रथा अच्छी नहीं है। विभाग में डिस्पोजल के चक्कर में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एस. पी. साहब थानेदार को कह देते हैं और हाबड़-तोड़ में, जल्दबाजी में चालान कर दिये जाते हैं और उनमें कई खामियां रह जाती हैं और केस फैल हो जाते हैं।

मेरा निवेदन यह है कि आपके पास में स्टाफ की कमी है मैं यह मानता हूं, क्यों नहीं चौकीदार की जो प्रथा थी उसको

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

उसको आप शुरू करते हैं, जिस तरह की पुराने जमाने में थी कि जो दूरदराज के गांव थे वहां पहले चौकीदार थे जो थाने को इत्तला देते थे, जानकारी देते थे कि कौन अपराधी, किस प्रवृत्ति का आदमी कौन से गांव में क्यों आया है, किस प्रकार का है। मेरा यह आपसे निवेदन है कि इस चौकीदारी की प्रथा को आप क्यों नहीं शुरू करते हैं ? या सरकार को चाहिये कि न्याय पंचायतों का गठन जैसे पहले था उसी प्रकार की न्याय पंचायतों का गठन किया जाए। छोटे-छोटे मुकदमों के कारण, पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा है, बहुत से केसेज न्याय पंचायतों के द्वारा सुलझाये जाएं तो निश्चित तौर से पुलिस पर जो दबाव बढ़ रहा है, थाने पर जो दबाव बढ़ रहा है उसको कम किया जा सकता है। सक्षम अधिकारी को लगाया नहीं जाता है, एप्रोचेबल आदमी को लगा दिया जाता है। आज जो केपेबल आदमी है, जो कि एक्सपर्टस है उनको लगाते नहीं हैं और पोलिटिकल प्रेशर या और कोई कारण से लगा देते हैं। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिले में काम लेता है एसपी. लेकिन उसकी पोस्टिंग डी.जी. के यहां से या राजनैतिक सिफारिश की वजह से गवर्नमेंट आर्डर डाइरेक्ट थाने में पोस्टिंग हो जाती है। जिले में उसकी पोस्टिंग हो वहां तक तो मान सकते हैं लेकिन डाइरेक्ट थाने में पोस्टिंग हो गयी तो वह सी.ओ. और एस.पी. को क्या मानेगा, जब डी.जी ने उसका ट्रांसफर किया है या किसी मिनिस्टर ने ट्रांसफर किया है या राजनैतिक प्रेशर से किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस प्रथा को रोकिये, इस पर थोड़ा अंकुश लगाइये। आरएसी., सी.आई.डी., एन्टी-करप्शन, जैसे भी है किसी को भी सी.आई.डी. में भेज दिया, या तो रोटेशन से इनको लगाइये वरना जो एप्रोच वाले होते हैं किन्हीं तरीके से वहां से हटने की कोशिश करते हैं। सी.आई.डी. में कोई रहना नहीं चाहता, सीआईडी. में तो पनिशमेंट में लगाया जाता है। जो तफ्तीश है थाने की रेगुलर, पुलिस नहीं कर पाती है और जिनको अक्षम माना जाता है, उनको सी.आई.डी. में भेजा जाता है, उनको आप तफ्तीश सौंपते हैं। खासकर सी.आई.डी. के लोग तफ्तीश क्यों लेना चाहते हैं ? जो अपराधी तत्व के लोग होते हैं, जो इन्वाल्व होते हैं, वे कोशिश करते हैं कि सीआईडी. में केस को ट्रांसफर किया जाए जिससे कि बस्ता-ए-ख़ामोशी में, कोल्ड स्टोरेज में डाला जाए जिससे कि केस लम्बा समय खींच सके। मेरा तो आपसे यह निवेदन है कि आप मेहरबानी कर अगर सी.आई.डी. में किसी केस को ट्रांसफर करें तो बहुत सोच-समझ कर देखने के बाद करें, जांच करने के बाद करें क्योंकि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इन्ट्रेस्टेड लोग हैं वे ही कोशिश करते हैं कि इसको सीआईडी. में ट्रांसफर किया जाए।

श्री कैलाश मेघवाल : और बस्ता-ए-ख़ामोशी में चला जाता है।

श्री बनवारी लाल शर्मा : आज अदालतों में पोलिटिकल आधार पर वकीलों की नियुक्ति की जाती है। मान्यवर, मेरा यह निवेदन है कि इसको चैक किया जाए क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वे सक्षम तो होते ही नहीं, राजनैतिक

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

आधार पर उनकी नियुक्ति हो गयी केसेज फेल होते हैं अदालतों में और उन पर कोई अंकुश नहीं है। अगर आप विभाग के किसी एक्सपीरियेंस्ड आदमी को लगाते हैं तो उसमें थोड़ा अंकुश हो जाता है, सर्विस कन्डक्ट रूल्स उस पर लागू होते हैं। इन राजनीतिज्ञों से तो कुछ होता नहीं है और उन पर कोई चैक नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेहरबानी करके प्रयास करके किसी प्रकार से इन पर अंकुश लगाइये। आखिर कारण क्या है? कुछ आर्थिक कारण है, कुछ विभाग में कठिनाई है जिसकी वजह से भी असन्तोष बढ़ रहा है। जीप या मोटरसाइकिल है, दोनों थानों में हैं नहीं और अगर जीप दे भी रखी है तो वह बहुत खस्ता हालत है।

(16.33)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

एक एस. पी. साहब ने थाने के पुलिस के ड्राइवर से कहा कि हीरो होण्डा पर दो अपराधी भाग कर गये हैं, इनको जल्दी से पकड़ो। वह ड्राइवर कहता है, उन दोनों अपराधियों को इस जीप से? वे तो हीरो-होण्डा से गये हैं, अगर वे हीरो साइकिल से भी जाते तो भी इस जीप से उनको नहीं पकड़ सकूंगा, आपकी जीप की हालत ऐसी है। अगर आप वास्तव में यह चाहते हैं तो आप उनको क्यों नहीं सुविधाएं दे रहे हैं? जीपों की सुविधा दीजिये, वायरलैस सेट लगाइये, ज्यादा से ज्यादा आधुनिक हथियार दीजिये, आजकल क्रिमिनल्स में इतनी चेतना हो गयी है और कुछ सिनेमाओं की मेहरबानी हो गयी है कि उनसे भी अपराध करने की प्रवृत्ति सीख लेते हैं। आज आपकी पुलिस के पास तो थ्री-नोट-थ्री है, आपकी पुलिस के पास तो खड़खड़िया जीप है और वे जिप्सी में आते हैं और ए. के.–47 लेकर आते हैं। फिर आप विभाग के सिपाही और अधिकारियों से यह उम्मीद करें कि ए.के–47 का थ्री-नाट-थ्री से मुकाबला कर लें, यह कैसे सम्भव है? पुलिस स्ट्रैन्थ आपकी बाबा आदम के जमाने की है। आज 12 सिपाही एक थाने में होते हैं, 4 सिपाही ड्यूटी चौकीदारी पर संतरी हो गये, 2–3 सिपाही मुंशीगीरी पर चले गये, 1–2 तफ्तीश के लिये चले गये, 1–2 सम्मन तालीम के लिए चले गये और एक-आध कोई छुट्टी पर चला गया। अब आप अन्दाज लगाइये कि जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, एरिये का दबाव बढ़ रहा है, एरिया का दबाव बढ़ रहा है उसके लिहाज से क्राइम्स बढ़ रहे हैं और क्राइम्स का पेटर्न बढ़ रहा है और आपकी स्ट्रैन्थ उतनी की उतनी है, तो आपको मेहरबानी कर असन्तोष को दूर करना चाहिये, स्ट्रैन्थ को बढ़ाइये।

पुलिस कर्मचारियों की सुविधा के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि उनमें फस्ट्रेशन भी है। वे भी इस समाज के एक अंश हैं, क्यों नहीं आप उनके एम्युनिटीज को बढ़ाते हैं, उनकी सुविधाओं को बढ़ाते हैं? चाहे वह ओवरटाइम भत्ते का मामला हो, चाहे वह फैमिली क्वार्टर में रहने का मामला हो, चाहे सिपाही के वेतन का एल. डी. सी. के वेतन से मुकाबला करने की बात हो। मेरा तो आपसे निवेदन

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

है कि जिस प्रकार सेना में मिलिट्री स्कूल कायम किये गये है, क्यों नहीं आप पुलिस के बच्चों के लिये सेन्ट्रल स्कूल कायम करे, ताकि वे भी भी अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढा सकें ?

मान्यवर, मैं धौलपुर से आया हूं, उस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हालांकि इसमें कोई सन्देह नहीं है, कि जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स थे, 100–100, 50–50 आदमियों के गैंग्स होते थे, वे खत्म हो गये हैं लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि वे पूर्ण रूप से खत्म हो गये हैं। आज धौलपुर जिले में खानों का धन्धा होता है, डकैतों के 4 आदमी इकट्ठे होकर खानों में जाकर उन मजदूरों को पीटते हैं, थाने में बन्द कर देते हैं और चौथ वसूली करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप पुलिस में पेट्रोल की व्यवस्था करें या इस प्रकार कोई भी व्यवस्था करें। धौलपुर जिले के लिये मेरा खासकर निवेदन है कि आपके विभाग में बंदूक के लाइसेंस देने की जो प्रक्रिया है वह बहुत ही गलत है। वहां पर सबसे बड़ी मुश्किल यह आती है कि जब आदमी दरख्वास्त देता है तो उसको हाथों-हाथ दे नहीं पाते हैं, 6–6 महीने तक, 8–8 महीने तक उसको डिस्पोजेल नहीं होता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर किसी थानेदार ने उसके करैक्टर को सर्टिफाईड कर दिया कि अच्छा करैक्टर है, एस.डी. एम. ने कर दिया, पटवारी ने कर दिया तो फिर आखिर क्या कारण है कि उसको लाइसेंस नहीं दिया जाता ? अगर उसको बंदूक का गलत लाइसेंस मिल जाता है या उस हथियार का वह गलत इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लो, लेकिन जिन आदमियों को जरूरत है, आप उनको लाइसेंस देते नहीं हैं। परिपाटी आपने ऐसी बना ली है कि दोनों कलक्टर और एस. पी. आपस में मुलाकात कर लेते हैं, बैठ जाते है और 6–6 महीने तक 2–2 महीने तक चाहे जिस आदमी का लाइसेंस किसी के कहने पर कैंसिल कर देते हैं। आज 40–45 हजार रुपये में एक हथियार आता है और किसी आदमी के ······(व्यवधान)······मैं तो 10 बोर की बात कर रहा हूं। वह भी तो डेढ़ लाख रुपये में रिवाल्वर आता है। आप देखिए 315 बोर और जो भी बोर है, 1–1 लाख रुपये में आता है और आपके जरा-से आदेश से आपने उसकी बंदूक को जमा कर लिया। वह सड़ रही है, आपके थाने में जंग लग रही है, वे लोग परेशान हो रहे हैं, डकैत आकर मार जाते हैं। अब पुलिस वाले क्या कहते हैं, आपके घर से कोई मरा तो है ही नहीं, तब लाइसेंस देंगे। मेरा निवेदन है कि या तो आप ऐसा कानून बना लीजिये कि कोई किसी को आकर मार दे तभी उसको लाइसेंस दें। तो कम से कम इसको देखिये और जो जिनाइन हैं उनको आप लाइसेंस दीजिये।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदया, मैं दो मिनट और निवेदन करना चाहता हूं।

श्री खेतसिंह राठोड़ : बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

श्री बनवारीलाल शर्मा : हरिजनों के बारे में कहना चाहता हूं, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। अब जो जंगल में रहते हैं, वे हरिजन + + + कहां से अपनी सुरक्षा करें? आपकी पुलिस सुरक्षा कर नहीं सकती है, तो उनको ज्यादा जरूरत है लाईसेंस देने की पुलिस फोर्स को बढ़ाइये वहां पर।

राजाखेड़ा में आप क्यों नहीं डी वाई एस पी. का हैडक्वार्टर करते जबकि आप डिसेन्ट्रलाइजेशन करते जा रहे हैं? 2-2, 3-3, 4-4 थानों में डी. वाई. एस. पी. कायम किये हुए हैं तो राजाखेड़ा में अगर सी. ओ. बना दें तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था में सुधार आएगा। ए एस. पी आफिस वहां पर है नहीं, जिला हैडक्वार्टर बने हुए काफी दिन हो गये, सी. ओ. आफिस में काम करे या क्षेत्र में काम करे? तो मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर ए.एस.पी. कार्यालय खोला जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदया, दोनों तरफ से काफी लोग बोल चुके हैं। निर्दलीयों को एक भी अवसर नहीं मिला है अभी तक आप किसी को तो दीजिये।

श्री सभापति : आएगा सब बिराजिये आप। श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री रतनलाल ताम्बी : दोनों तरफ से बोलने के बाद मौका मिलना जरूरी था, अब तक एक भी नहीं मिला।

श्री सभापति : आएगा, आएगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) : सभापति महोदय, आज यह सदन अनुदान की मांग संख्या–16 पर विचार करने के लिये बैठा हुआ है। पुलिस विभाग के बारे चर्चा हो रही है और··· (व्यवधान)···· दाढ़ी भी पुलिस वाले के डर से कट गई। दिल्ली की रैली में जाना था और पुलिस वाले गिरफ्तार कर रहे थे, भेष बदलने के लिये दाढ़ी कटवानी पड़ गयी और फिर वापस बढ़ी नहीं।····(व्यवधान)। भुक्तभोगी हूं। इसी तरह है 1975 से 77 तक कई बार दाढ़ी बढ़ी और कई बार कटवाई पुलिस के डर से।

सभापति महोदया, पुलिस के बारे में चर्चा करना उतना ही खतरनाक है, उतना ही डर पैदा करने वाला है, मांग संख्या 16 के बारे में चर्चा करना, जितना कि पुलिस वाले को सी. सी. ए. रूल 16 से डर लगता होगा। क्योंकि पुलिस वाले कब कहां किसको घेर लें, किस रूप में क्या व्यवहार करें, कुछ कहा नहीं जा सकता। सभापति महोदया, आज की डाक में एक परिपत्र की कॉपी मिली है जिसमें पुलिस विभाग को यह निर्देश दिया गया है कि हम लोगों के साथ यानि विधायकों और सांसदों के साथ वे ठीक से पेश आएं।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

यह सर्कुलर जारी करने की आवश्यकता पड़ी है, यानि कहीं न कहीं गड़बड़ तो है।

श्री सभापति : इसमें तो उन्होंने आपकी सिफारिश की है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उसकी डेफिनेशन क्या की है ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : बड़ी कृपा की है। अब उस सर्कुलर को यदि उनके मातहत मानेंगे तो हम बहुत सुरक्षित हैं, नहीं तो ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : "ठीक से पेश आएं" तो वह ठीक क्या है ? ठीक से कोई मतलब है कि कैसे पेश आएगी अपने साथ ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : ठीक से पेश आने की परिभाषा करने के लिये एक चुटकला याद आ रहा है। एक पहलवानजी की शादी हुई। सुहाग रात की बात आयी तो दोस्तों ने सलाह दी कि भैया, जरा नरमी से पेश आना, ये लोग बहुत ही नाजुक होते हैं। उसने कहा बहुत नरमी से पेश आऊंगा। जब आमना-सामना हुआ तो बहुत सोच-समझकर पहलवानजी ने कहा, पहला ही वाक्य बोले, अच्छा बेगम, पंजा लड़ाओगी। पहलवान जब नरम से नरम बात भी करेगा तो पंजा लड़ाने से कम तो क्या करेगा ? पुलिस वाले भी नरम से नरम बात करेंगे तो, ठीक है डंडा नहीं बरसाएंगे पर गाली-गलौच से कम चलेंगे इसकी उम्मीद तो नहीं की जा सकती।

श्री बनवारीलाल शर्मा : आपके साथ तो नहीं किया कभी ? भुक्तभोगी हैं क्या आप ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : मैं तो आपका दुःख रो रहा हूं। आप भुक्तभोगी हैं आपका दुःख रो रहा हूं।

सभापति महोदय, जब हम संवेदनशील सरकार की बात करते हैं, संवेदनशील प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जिसका पब्लिक से सीधा वास्ता पड़ता है, अक्सर वास्ता पड़ता है, रोज वास्ता पड़ता है, सोते-बैठते हर वक्त वास्ता पड़ता है उस पुलिस विभाग में संवेदनशीलता पैदा करना बहुत आवश्यक है। अब संवेदनशीलता की कमी क्यों है ? उसके कारणों के बारे में मुझसे पहले बोलने वाले कई माननीय सदस्यों ने विचार रखे, परम्परायें उन्होंने रखीं कि कांग्रेस के जमाने से लेकर सामन्तशाही के जमाने में क्या-क्या होता था, कैसा उनका व्यवहार रहता था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस व्यवहार, पुलिस का काम करने का तरीका नीचे के तबके तक, थानों के लेवल तक पिछले 25–30 साल तक सामंतशाही काल में जैसा रहता था उससे कोई बदला हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। विशेषकर जालौर जिले में जहां लोग पढ़े-लिखे भी कम हैं और सामंती आतंक भी बहुत है, आज भी है। दुर्भाग्य से, सौभाग्य से या संयोग से, हरीसिंह जी, आपके ध्यान में लाऊं कि जालौर जिले के 90 पर्सेन्ट सामंत

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

कांग्रेस पार्टी से सम्बन्धित हैं और आज भी आपका उनको प्रश्रय है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सामंतों का और कांग्रेस का कोई मेल ही नहीं है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : और इसलिये इस सामंतशाही व्यवस्था को जालौर जिले में जीवित रखने में, माफ करें, आपकी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। आज भी उन्हें आपकी पार्टी का, आपके नेताओं का प्रश्रय प्राप्त है और आज भी वहां किसी जमाने के नम्बर दो रहे + + + उनकी मरजी के बिना, उनको धोक दिये बिना कुछ भी राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त करने में कोई सक्षम नहीं है उस जिले में।

श्री हरिसिंह (महुआ) : कांग्रेस ने सामंतशाही को समाप्त किया है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : जालौर में नहीं कर पाये। जालौर में आपने उनको पनपाया है, दूध पिलाया है वहां। आज भी जालौर जिले में कई गांव ऐसे हैं जहां पुलिस की कार्यवाही करने से पहले थानेदार उस ठिकाने में जाता है, ठाकुर साहब के पास जाकर उनसे निवेदन करता है कि आपके गांव में ऐसा-ऐसा अपराध घटित हुआ है, उस व्यक्ति से हम पूछताछ करना चाहते हैं, आप इजाजत देंगे क्या। और फिर वे अपने व्यक्ति को भेजकर, अपने कारिन्दे को भेजकर अपने रावले में बुलाते हैं, वहां बैठकर जैसा वे चाहते हैं वैसी ही तफ्तीश होती है। जिसको वे बचाना चाहते हैं बचा लेते हैं और जिसको मारना चाहते हैं उसको मार देते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कहां है ऐसा?

श्री जोगेश्वर गर्ग : सियाना, भैंसवाड़ा, मेरा अपना गांव है भैंसवाड़ा–डोडियाली (व्यवधान) ... किसके साथ में? वह तो ऊपर वाला ही जानता है। कुल मिलाकर मुद्दे की बात यह है कि इसमें पुलिस का दोष कितना है। मैं नहीं कह सकता, पर पुलिस को अपने व्यवहार को बदलना चाहिये, पुलिस को अपने काम करने का तरीका जो 30 साल पहले था वह आज भी न रखते हुए उसमें परिवर्तन लाना चाहिये। उसमें परिवर्तन लाने का बहुत बड़ा तरीका यह है कि अपनी स्वतन्त्र स्थिति बनाकर अपने स्वतन्त्र तरीके से वे काम करें, किन्हीं प्रभावशाली लोगों के दबाव में आकर, प्रभावशाली लोगों का मोहरा बनकर वे काम नहीं करें। आज भी राजनीतिक हथकण्डों से, राजनीतिक लाभ के लिये जब चाहे तब पुलिस वालों को मोहरा बनाया जाता है।

सभापति महोदय, मैं उदाहरण देना चाहूंगा मेरे विधान सभा क्षेत्र में रायपुरिया एक गांव है। वहां राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण एक परिवार के खिलाफ, संयोग से उस परिवार का मुखिया भी पुलिस का रिटायर्ड आदमी है, शायद एस. आई. के लेवल से वह रिटायर हुआ है, उस परिवार के खिलाफ कम से कम 8–10 केस दर्ज हुए हैं पिछले चार सालों में। सिर्फ इसलिये कि उस परिवार का

+ + + नाम अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

राजनीतिक वर्चस्व बढ़ रहा था। स्थानीय पुलिस ने, यहां तक कि डी. वाई. एस. पी. और एस.पी. ने उस परिवार को राजनीतिक दृष्टि से क्रश करने में, दबाने में अहम् भूमिका अदा की है और दूसरे पक्ष को खुले आम मदद की है। जितने सारे केस दर्ज हुए उनमें से एकाध को छोड़कर सारे केस फर्जी दर्ज हुए हैं और उन फर्जी केसों में चालान पेश हुए हैं और उनके साथ वास्तव में ज्यादती हुई। उन्होंने वास्तव में जो सही थे वे केस दर्ज कराये मगर उनमें एफ. आर. लग गई। ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। जालौर जिले में तो बहुत सारे मिलेंगे।

मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। भीनमाल पुलिस थाने का एक केस है कि कैसा व्यवहार पुलिस करती है, कैसा काम करती है। यह जो किताब दी है इसमें तस्करी का कितना माल पकड़ा और कितने आदमी पकड़े इसके बहुत बड़े-बड़े आंकड़े दिये गये हैं। परन्तु मैं तस्करी के दो उदाहरण देना चहता हूं। एक भीनमाल थाने का है और एक करड़ा थाने का है। भीनमाल पुलिस थाने में एक गांव है सावेदर। वहां मोहना नाम का कोई भील है, उसके घर पर पुलिस का सिपाही सादी वर्दी में जाता है। यह ज्यादा पुरानी बात नहीं है, दो-तीन महीले की बात है। सादी वर्दी में पुलिस का सिपाही जाता है, एक थैला वहां रखने को कहता है कि ले भैया, यह बैग थोड़ा संभालकर रख, दूसरा आदमी आएगा वह ले जायेगा, मैं आगे जा रहा हूं। आधा घण्टे के अन्दर पुलिस की जीप वहां पहुंचती है, बाकायदा वर्दी में सारे लोग पहुंचते हैं। मोहना उस समय घर पर नहीं होता है उसका रिश्तेदार कृष्णा होता है। उस कृष्णा को कहता है कि वह बैग कहां है। कृष्णा निकालकर वह बैग दे देता है कि यह ले जाओ। मुखबिरों के सामने बैग खोला गया आधा किलो अफीम अन्दर से बरामद की गयी। उसको बरामद दर्शाया गया और कृष्णा आज तक अन्दर बैठा है, उसके खिलाफ चालान पेश होने की तैयारी है।

ऐसा ही एक केस और हुआ करड़ा थाने में। फगलूराम विश्नोई के घर पर बिलकुल इसी तरह से प्लाण्ड-वे में अफीम पहुंचाई गयी और फिर उसके खिलाफ केस बनाया गया। वह भी अभी ताजा ही केस हैं, तीन-चार महीने पुराना है। इस तरह की कार्यवाहीं, इस तरह का काम हमारे पुलिस के निचले दर्जे के लोग करते हैं। परन्तु यह सारी स्थिति क्यों आती है? जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने निवेदन किया, इसमें स्थिति इसलिये बनती है कि एक तो उन्हें मानवीय व्यवहार, मानव के साथ कैसा व्यवहार हो उसका प्रशिक्षण शायद कम मिलता होगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कैसा व्यवहार किया जाए, वह प्रशिक्षण आज के जमाने में उनको नहीं मिलता, पुराने जमाने के ही थर्ड डिग्री के तरीके चल रहे हैं। और दूसरा, उनको जितना वेतन और सुविधाएं मिलनी चाहिये वे नहीं मिलती हैं, जितने साधन मिलने चाहिये वे नहीं मिलते हैं। उसके कारण भी उनको कई बार मजबूर होकर इस तरह के घटिया तरीके

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

अपनाने पड़ते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी अपनाने पड़ते हैं। इस सब दृष्टि से दोनों दिशाओं में काम होना चाहिये। मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस के व्यवहार को ठीक करने की दृष्टि से उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था हो और उसके साथ-साथ उनको पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हों, साधन उपलब्ध हों-आधुनिक स्तर के साधन जो उनकी ड्यूटी को निभाने में काम आ सकें। उनका व्यक्तिगत जीवन स्तर ऊंचा हो, उस दृष्टि से उनको पर्याप्त सुविधाएं मिलें, पुराने जमाने के मापदण्ड बदल कर, तो उनके व्यवहार में बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। यह उदाहरण देने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि कुल मिलाकर कार्य पद्धति में, स्थिति में परिवर्तन आये। बहुत कुछ परिवर्तन आया है निश्चित रूप से, पर जितना आना चाहिये था उतना अभी तक नहीं आया है और इसलिये मैं यह सब निवेदन करना चाहता था।

मैं निवेदन करना चाहता हूं एस.सी. और एस.टी. के बारे में। इसमें मेरे दो मुद्दे रहेंगे। एक तो आम जनता में अनुसूचित जाति के जो लोग हैं और दूसरे इस विभाग में अनुसूचित जाति, जनजाति के जो लोग हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग जो इस विभाग में कार्यरत हैं उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं होता है। भर्ती में उनके साथ भेदभाव हो जाता है लेकिन भर्ती में तो रोस्टर प्रणाली है इसलिये अधिक नहीं हो पाता। प्रमोशन में उनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो जाता है। जोन आफ कन्सीडरेशन से कैसे उनको बाहर निकाला जाए, इसके लिये तिकड़म भिड़ाते हैं। एक पद पर पांच गुना तक बुला सकते हैं। पिछली बार का उदाहरण मेरे सामने है, डी.एस.पी. से एडीशनल एस.पी. लेवलतक प्रमोशन होने थे। 14 पद थे, 14 के हिसाब से 70 लोगों को बुलाना या तो चार एसपी. के अधिकारी कन्सीडरेशन में आ रहे थे। उस वैकेंसी को तोड़ा गया दो टुकड़ों में, 10 को पहले बुलाया, 4 महीने बाद चार को बुलाया। उससे हुआ यह कि दस गुना पांच करने पर पचास लोगों में से वे चार लोग वंचित रह गये। उनको हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, कोर्ट की शरण में उनको जाना पड़ा, मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी। इस प्रकार का व्यवहार तो प्रमोशन में उनके साथ होता है। अधिकारियों के साथ ऐसा हुआ, उसके साथ-साथ उससे नीचे के लेवल की मैं बात करना चाहूंगा। कांस्टेबल लेवल के जो एससी., एसटी. के लोग हैं थानों में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। पुलिस पर जिम्मेदारी है अनुसूचित जाति पर होने वाले अत्याचारों को, छुआछूत को रोकने की पर आज इस सदन के माध्यम से निवेदन करता हूं, गृह मंत्रीजी, बहुत सौभाग्य से आप भी उस तबके से हैं इसलिये मैं आपसे विशेष तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस थानों में, विशेषकर जो दूर-दराज के पुलिस थाने हैं उनमें आज भी एस.सी., एस.टी. के साथ छुआछूत का व्यवहार होता है। उनके मटके अलग होते है, उनके बर्तन अलग होते हैं, उनके बिस्तर एक कोने में अलग लगाये जाते हैं। यह स्थिति आज भी है, उसमें परिवर्तन आना चाहिये। दूसरी बात, जो एस.सी. के लोग हैं, जिनके केस दर्ज होते हैं

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

उनके साथ उनका व्यवहार ठीक हो, और अधिक संवेदनशील हो, और अधिक मधुरता का व्यवहार हो। बहुत कुछ परिवर्तन आया है, एस.सी., एस.टी. के मामले जो दर्ज होते हैं उनमें पिछले साल में 3547 मामले दर्ज हुए हैं और जैसी मेरी सूचना है, एससी., एसटी. एट्रोसिटीज एक्ट में जो केस दर्ज हुए हैं उनमें सौ प्रतिशत मामलों में चालान पेश हुआ है। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी है। चालान पेश हों पर उसमें मैं यह और निवेदन करना चाहता हूं कि इस एक्ट का दुरूपयोग करने के लिये भी बहुत लोग प्रयत्नरत हैं, बहुत लोग हैं जो एससी., एस.टी. के लोगों को अपनी राजनीति का मोहरा बनाकर झूठे केस भी दर्ज करवा देते हैं, बनावटी केस भी दर्ज करवा देते हैं। उन केसों के झूठे अथवा सच्चे की पहचान ठीक से हो और उसके हिसाब से चालान पेश हो, वरना यह कानून बदनाम हो जाएगा और यह कानून यदि बदनाम हुआ तो इस कानून से जो प्रोटेक्शन मिला है इस समाज को, इस तबके को, उसमें कमी आएगी।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदया, आप अवश्य समय देंगी इसके लिये, क्योंकि मैं महिलाओं से सम्बन्धित बात कर रहा हूं। मंत्रीकाल में जो मेरा आवास था वह महिला पुलिस थाने के सामने था और यह प्रांत का एकमात्र महिला पुलिस थाना है। वहां की स्थिति यह है, अभी जो प्रतिवेदन दिया गया है उसके अनुसार, कि 31 अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल पोस्ट वहां सेंक्शन्ड हैं उनमें से महिला कर्मचारी सिर्फ दस हैं। घोषणा यह की गयी है. इसी प्रतिवेदन में कहा गया है कि उस थाने के स्थापना इसलिये की गयी कि महिलाएं अपने प्रति होने वाले अत्याचारों को खुल कर बयान कर सकें, निसंकोच और बेझिझक अपनी बात कह सकें। लेकिन स्थिति यह है कि 31 में से दस और उन दस में भी छह या सात को कांस्टेबल लेवल के हैं, ऊपर के लेवल पर सारे के सारे अधिकारी पुरुष हैं। उनका पब्लिक के साथ व्यवहार कैसा होगा, होता होगा मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता, पर जो कांस्टेबल या हैड कांस्टेबल हैं, उनके साथ भी पुलिस के अफसरों का अपना व्यवहार अच्छा नहीं है, उनके साथ असम्मानजनक ढंग से वे पेश आते हैं। जैसी स्थिति एससी., एसटी. के कर्मचारियों की है वैसी ही बदतर स्थिति महिला कर्मचारियों की इस विभाग में है। उनके प्रति सम्मानजनक व्यवहार हो। उनके प्रति यदि सम्मानजनक व्यवहार नहीं कर पाएंगे अफसर लोग तो फिर आम जनता में से आने वाली महिलाओं के साथ कैसे सम्मानजनक व्यवहार कर पाएंगे यह एक दर्दनाक स्थिति है और इसलिये, सभापतिजी, मैं इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वे इस स्थिति में परिवर्तन की दृष्टि से उचित कार्यवाही करें।

सीमावर्ती जिलों के सुदृढ़ीकरण के लिये जो साधन उपलब्ध करवाये गये हैं वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। वहां स्थिति यह है अभी जैसे जालौर जिले में

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

सरवाड़ा पुलिस थाने को सीआई. लेवल के पुलिस थाने में क्रमोन्नत किया....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : समापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16-पुलिस पर विचार होने के पश्चात् डिमाण्ड को पास होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

माँग संख्या 16 पर विचार

अब आप भी पूरा करें

श्री जोगेश्वर गर्ग : समापति महोदया, सरवाड़ पुलिस थाने में एसएचओ. की पोस्ट सीआई. की बना दी। लेकिन उनके जो जीप है वह बहुत पुरानी है, उस जीप से साईकिल से भागने वाले अपराधी का भी वे पीछा नहीं कर सकते तो शातिर अपराधी, जो जिप्सी या बुलेट मोटर साईकिल पर काम करते हैं उनको पकड़ने में कैसे सफल होंगे ? ये जो साधन उनको मिलने वाले हैं उनके कारण निश्चित रूप से सुधार आएगा उनकी कार्य-प्रणाली में।

इसके साथ एक विषय पर मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं सदन का। एसीडी., जो रंगे हाथों पकड़ता है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। जो बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही होनी चाहिये, इस सरकार की घोषणा है और अपराधियों के पक्ष में या भ्रष्टाचारियों के पक्ष में, रिश्वतखोर लोगों के पक्ष में बोलने की मेरी कोई नीयत नहीं है पर देखने में यह आया है कि एसीडी. द्वारा ट्रैप करना एक प्लान्ड कार्यक्रम होता है। प्लान्ड कार्यक्रम के बिना आप ट्रैप कर नहीं सकते रंगे हाथों और प्लान्ड कार्यक्रम जहां होगा वहां गलती की गुंजाइश भी होती है और साजिश की गुंजाइश भी होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से कि ऐसे केसों में विशेष ध्यान दिये जाने की दृष्टि से कुछ योजना बनाएं कि किसी निरपराध को नहीं फंसा दिया जाए। ऐसे केस मेरी जानकारी में आये हैं कि आदमी बेईमान नहीं था लेकिन उसको फंसा दिया गया. रंगे हाथों ट्रैप कर लिया। और एक बार ट्रैप हो गया तो वह गया काम से, दुबारा उससे निकलने में, उस जाल में से निकलने में उसको वर्षों लग जाते हैं। बदनामी जो होती है वह अलग, मानसिक तनाव झेला वह अलग और नुकसान अलग। इसलिये किसी निरपराध के साथ कुछ ऐसा हादसा नहीं हो जाए और जो अपराधी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, आदतन बदमाश हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो। उसमें किसी को कोई एतराज नहीं पर निरपराध लोगों को बचाया जाए।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

और अन्त में छोटा-सा निवेदन करना चाहूंगा। पुलिस है कानून की रक्षा करने के लिये....

श्री सभापति : बहुत लोग बोलने वाले हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : पुलिस है कानून का पालन करवाने के लिये लेकिन हालत यह देखने में आती है, खासकर जयपुर में मैं देखता हूं कि पुलिस भी कई बार नियमों को तोड़ती है। जैसे कि ट्रैफिक का नियम है रोंग साइड में नहीं चलना। मैंने पुलिस की वर्दी में, पुलिस की गाड़ी को रोंग साइड चलते हुए अनेक बार देखा है। उच्चाधिकारी यहां बैठे हैं, सुन रहे हैं इस बात को भी, यदि किसी तरह कन्ट्रोल कर सकें तो पुलिस के आदेशों की ज्यादा अच्छी पालना हो सकेगी। अपने समय दिया, सभापति महोदया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री जगदीप धनखड़।

(17.00)

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदया, गृह मंत्रीजी विचार-विमर्श कर रहे हैं, अधिकारियों से। गृह मंत्रीजी स्थान ग्रहण करें। गृह मंत्रीजी चाहे माइन्स विभाग हो, चाहे गृह विभाग हो, चाहे और कोई विभाग हो, जवाब मंत्री हैं।

एक माननीय सदस्य : आलराउण्डर हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदया, पुलिसकर्मियों को इस सरकार से काफी आशाएं हैं, इसका एक कारण है कि मुख्य मंत्री पुलिसकर्मी रहे हैं और चूंकि मुख्य मंत्री पुलिसकर्मी रहे हैं, निश्चित रूप से वे उनकी ओर ज्यादा ध्यान देंगे। माननीय सभापति महोदया, किसी भी सरकार की छबि, प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो चाहे अन्य कोई व्यवस्था हो, उसके आकलन का एक ठोस सिद्धान्त है कि जनता पुलिस के बारे में क्या सोचती है। मैं समझता हूं कि पूरे सदन की राय होगी कि–वर्तमान स्थिति में....

श्रीमती कमला : एक आंकलन सही नहीं है। किसी भी समाज और राष्ट्र का आकलन इस बात से होता है कि वहां महिलाओं की क्या स्थिति है।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदया, वरिष्ठ सदस्या कमलाजी ने जो बात कही है मैं उस पर जरूर कुछ कहना चाहूंगा, इन्होंने बहुत सही बात कही है और माननीय मुख्य मंत्रीजी होते तो मैं जरूर कहता कि भारतीय जनता पार्टी की किसी भी महिला सदस्या के साथ न्याय क्यों नहीं किया गया, किसी को भी मंत्री परिषद् में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया।....(व्यवधान).... कहां किया है? यह तो स्वतन्त्र है। निर्दलियों के साथ तो न्याय भरपूर किया है। सभापति महोदया, मुख्य मंत्रीजी आएंगे तो मैं कमलाजी की भावनाओं के ऊपर उनको दुबारा कहूंगा।

श्री सभापति : आप तो अपनी भावना में चलें।

श्री जगदीप धनखड़ : मेरी भावना तो यह है कि आपको जल्दी मंत्री बनाया जाए।

श्रीमती कमला : पंचायतों और नगर पालिकाओं में हो जाने दो, फिर अपने आप ही ले लेंगे।

श्री जगदीप धनखड़ : वर्तमान सरकार की जो छवि जनता के बीच में है, मैं समझता हूं कि वह सरकार के लिए काफी चिन्ता का विषय होना चाहिये। वीकर सेक्सन पर एट्रोसिटीज बढ़ती जा रही हैं, गरीबों के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जुगताराम आपकी एक जबर्दस्त उपलब्धि है, ऐसी उपलब्धि है, मैं समझता हू कि जिसके बारे में बिना विवाद के आप और हम मान सकते हैं कि इस सरकार ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन किया है और जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनके ऊपर पूर्ण रूप से कुठारघात किया है।.... (व्यवधान)... इस सरकार का जो पहले आचरण रहा और अब भी रहा, भटेरी रेप कांड पर इस सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने क्या कहा, कि कोई रेप नहीं हुआ। इस सदन में मुख्य मंत्रीजी ने कहा, कोई रेप नहीं हुआ और सी.बी.आई. ने उस केस में संचालन किया। मान्यवर, जहां-जहां समस्याएं हुई हैं—भरतपुर के अन्दर कास्ट कनफ्लिक्ट हुआ सवाई माधोपुर में सैंक्चुरी के अन्दर जबर्दस्त समस्या हुई—इस सरकार रे उन अधिकारियों को रिवार्ड कर दिया। आपकी नीति बहुत स्पष्ट है कि पुलिस जनता को राहत देने का माध्यम नहीं बन सकती। आप पुलिस को बचाने का कार्य करते हैं, उसको सुधारने का कार्य नहीं करते हैं।

मेरा निवेदन है कि जहां पुलिस से आप और हम इतनी उम्मीद रखते हैं, क्या जनता और सरकार पुलिस की इतनी मदद कर रही है ? आप और हम चाहते हैं कि पुलिस की छवि बहुत बढ़िया हो और जनता इस छवि को समझती है कोई वरिष्ठ अधिकारी से नहीं, कान्स्टेबल, हैड कांस्टेबल से। माननीय सभापति महोदया, पुलिस के नीचे के स्तर पर जो स्थिति है, बड़ी दयनीय है। उनकी कठिनाइयों का, उनकी परेशानियों का, उनकी दिक्कतों का कोई निराकरण नहीं हो रहा है उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अनेक सदस्यों ने इस विषय के ऊपर मुद्दे उठाये हैं। सभापति महोदया, मुझे भी कुछ लोगों ने प्रतिवेदन दिये। मैंने उनका अध्ययन किया और मैंने पाया कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। जो एलोकेशन उनके लिये निश्चित किया गया है वह भी पूरा नहीं पड़ा है। उदाहरण के तौर पर, माननीय सभापति महोदय, अजमेर रेंज में तीन साल में नीचे के स्तर पर के पुलिस-कर्मियो के लिये जो एलोकेशन था—वर्दी के के लिये, उसमें सरकार ने 50 लाख की कटौती की पिछले तीन वर्ष में। राज्य सरकार ने मात्र अजमेर रेज में नीचे के स्तर के पुलिसकर्मियों को वर्दी के एलोकेशन में 50 लाख की कमी की, इसका अर्थ क्या हुआ, उन गरीब पुलिस वालों ने कहीं न कहीं से उसकी व्यवस्था की है, हो सकता है जनता पर भार पड़ा हो, हो सकता है उन पर भार पड़ा हो। मैं माननीय गृह

(श्री जगदीप धनखड़)

मंत्रीजी से गुजारिश करूंगा कि नीचे के स्तर पर पुलिसकर्मियों को जो भी सहायता सरकार देती है, जितना भी उनका हक है, उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाए और अजमेर रेंज के सम्बन्ध में कटौती हुई है, उसकी जांच करवायी जाए।

माननीय सभापति महोदया, यह सरकार कह चुकी है कि राज्य के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के समकक्ष स्तर दे रखा है पर जहां तक राजस्थान के पुलिसकर्मियों का प्रश्न है, मेड़ता सिटी से आने वाले माननीय सदस्य खुद पढ़कर सुनाया कि राजस्थान के पुलिसकर्मियों की स्थिति क्या है और अन्य प्रान्तों में पुलिसकर्मियों को राजस्थान के मुकाबले ज्यादा तनख्वाह मिल रही है। सिपाही का मामला लीजिये, राजस्थान में यहां 850 रुपये प्रतिमाह है, दिल्ली में 955, हरियाणा में 1050, उत्तर प्रदेश में 950 और पंजाब में 1350 उनको जो सुविधाएं दे रखी हैं, माननीय सभापति महोदया, इन सुविधाओं में भी शीघ्र बढ़ोतरी की आवश्यकता है। अगर नीचे के स्तर पर पुलिस कर्मी की हालत पर ध्यान नहीं दिया गया तो जनता को राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि गरीब और वल्नरेबल सेक्शन्स आफ सोसायटी का सम्पर्क पुलिस के उच्च अधिकारियों से न होकर के उन लोगों के मार्फत होगा। मैस भत्ते के बारे में, राजस्थान में तनख्वाह तो देते हैं अर्द्ध सैनिक बलों के बराबर, क्यों नहीं आप उनको उस लेवल का मैस भत्ता दें? मैस भत्ता राजस्थान में 100 रुपये से कुछ अधिक है। माननीय गृह मंत्रीजी से मेरी गुजारिश है जिन अर्द्ध सैनिक बलों के समकक्ष आप नीचे के स्तर के पुलिसकर्मियों की तनख्वाह दे रहे हैं मेहरबानी करके सुविधा भी उस स्तर की दें ताकि पुलिस का मनोबल बढ़ सके।

माननीय सभापति महोदया, पुलिस थाना देखने में कहीं भी दिक्कत नहीं है, जो बिल्डिंग्स सबसे ज्यादा जर्जर हालत में हो, टूटी-फूटी हो, आप अन्दाजा लगा सकते हो कि वहां पर पुलिस थाना होगा। ऐसा क्यों है? पुलिस थाने की जो भयानक स्थिति है उसमें सुधार के लिये आवश्यक है कि सरकार इस ओर शीघ्र ज्यादा ध्यान दे। माननीय सभापति महोदया, मैंने मुख्य मन्त्रीजी से कहा कि पुलिस को माडर्नाइज करने के लिये जो सैन्ट्रल फण्ड आते हैं उनका पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। उन्होंने कहा, नहीं, राजस्थान में पूरा उपयोग कर रखा है। आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति नहीं है। सैण्ट्रल फण्ड्स लैप्स होते हैं, उनका प्रोपर टाइमली यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। मैं चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्रीजी ध्यान देकर के न केवल उन फण्ड्स को यूटिलाइज कराने की व्यवस्था करें, बल्कि इस प्रकार की व्यवस्था भी करें कि राजस्थान पुलिस को माडर्नाइज करने के लिये ज्यादा से ज्यादा सैण्ट्रल असिस्टेंस मिल सके।

सभापति महोदया, पुलिस के मोरल को ऊंचा रखने के लिये यह अति आवश्यक है कि हर वर्ष ट्रेनिंग कम्पलसरी हो। यदि ट्रेनिंग बीच-बीच में नहीं होगी तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की सेवा जनता

(श्री जगदीप धनखड़)

को मिलनी चाहिये, जिस प्रकार की सेवा सरकार जनता को देना चाहती है उसमें कमी आएगी। ट्रेनिंग के लिए जो इन्सेन्टिव्ज होने चाहिये इस बारे में केन्द्र में एक कमेटी का गठन हुआ था। उस कमेटी ने कुछ निर्देश दिये थे, मैं समझता हूं सरकार उनकी अनुपालना करके इस प्रकार की व्यवस्था करेगी कि समय-समय पर इस ट्रेनिंग को निश्चित रूप से लागू किया जाए।

सभापति महोदय, पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है उससे आम जनता के अधिकारों का कितना लेना-देना है इस विषय में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। जब किसी के विरुद्ध मुकदमा हो जाता है तो वह एक ही बात की मांग करता है–निष्पक्ष जांच की। भटकता-फिरता है कि मैं हूं तो निर्दोष, पर मुझे लिप्त किया जा रहा है, गलत तरीके से मुझे परेशान किया जा रहा है। इसके, सभापति महोदय, दो कारण हैं। एक तो इन्वेस्टिगेशन की जितनी स्किल इम्पार्ट होनी चाहिए वह दे नहीं पाते हैं और उस सिद्धान्त पर काम करते हैं कि कुर्सी कोतवाल बना देती है, कि जो भी कोई उस कुर्सी पर बैठ गया उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आज कल स्थिति ऐसी नहीं है। कानून इतने स्ट्रिन्जेंट हो गये हैं कि, मान लो किसी को नारकोटिक्स के मामले में गलत फंसा लिया तो इसके बहुत गम्भीर परिणाम हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जब कानून यहां बहुत स्ट्रिन्जेंट होते जा रहे हैं, क्या आपकी पुलिस को आपने इस प्रकार प्रशिक्षण दे रखा है ? क्या आपने इनको इन्वेस्टिगेशन एड्स दे रखी हैं ? जो सहूलियतें उनको मिलनी चाहिये वे क्या उनको प्राप्त हैं ? मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस प्रकार की व्यवस्था राजस्थान में नहीं है। सामान्य क्राइम्स के इन्वेस्टिगेशन की बात तो दूसरी है, काफी वर्षों से पुलिस करती आ रही है पर जिस प्रकार के क्राइम्स आजकल हो रहे हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिये निश्चित रूप से सरकार की नयी पद्धति के तहत ज्यादा ट्रेनिंग और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन एड्स पुलिस को उपलब्ध करानी चाहिये।

सभापति महोदया, इन्वेस्टिगेशन के तहत यह अति आवश्यक है कि स्टेट फोरेन्सिक साइन्स लेबोरेटरी डिपार्टमेंट की तरफ भी सरकार पूरा ध्यान दे। दो वर्ष पूर्व जरूर सरकार ने इस विषय में पांच करोड़ का प्रावधान किया था पर देखने में आया है कि वर्षों तक अदालत में मुकदमे लम्बित रहते हैं, एफएसएल. रिपोर्ट के लिये मुकदमे पैण्डिंग रहते हैं और बहुत-से मामले ऐसे हैं जहां मामले निर्णीत हो जाते हैं क्योंकि रिपोर्ट नहीं आती है और एक्यूज्ड परसन्स को लाभ मिल जाता है। नतीजा न्याय नहीं हो पाता है। जिस मुकदमे को आपने रजिस्टर किया, जिस मुकदमे का आपने अनुसंधान किया, जिस मुकदमे में आपने चालान किया, जिस मुकदमे को आपने अदालत में प्रोसीक्यूट किया वह मुकदमा मात्र इस बात के लिये एक्वीटल में एण्ड हो गया कि एफएसएल. रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष नहीं आ पायी। आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूं कि स्टेट फोरेन्सिक साइन्स लेबोरेटरी को इतना

(श्री जगदीप धनखड़)

मजबूत बनाइये, उसको इतने एफीशिएन्ट आर्गेनाइजेशन का रूप दीजिये कि अपने प्रान्त ही नहीं दूसरे प्रान्त के लोग भी इसका फायदा ले सकें। वर्तमान स्थिति यह है कि स्टेट फोरेन्सिक साइन्स लेबोरेटरी पूरी तरह से....(व्यवधान) ...

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : सभापति महोदया, लास्ट में जिनका नम्बर आएगा, एक-एक मिनट भी नहीं बोलने देंगे।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदया, जब भी कभी विकास की बात करते हैं या जब भी कोई बेसिक ढांचे को क्रीएट करने की बात होती है तो जिन लोगों ने सदा ढांचे को ढहाया हो वे भला ढांचा निर्माण के अन्दर कहां योगदान देंगे। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। सभापति महोदया, मेरा सुझाव है सरकार को और मुझे आशा है, गृह मन्त्रीजी खास तौर से इसको नोट करेंगे कि स्टेट फोरेन्सिक साइंस लेबोरेटरी के लिये जरूरी है कि उसको टेक्नीकल पर्सोनल मैनेज करे पर ले देकर इन्वेस्टिगेशन एजेन्सी का उसमें इन्वाल्टमेंट अवश्य होना चाहिये। मेरा सुझाव है कि एक सीनियर पुलिस अधिकारी इस लेबोरेटरी के मेनेजमेंट में अवश्य लगे ताकि इन्वेस्टिगेटिव एजेन्सी का को-आर्डिनेशन इस लेबोरेटरी से रह सके।

सभापति महोदया, प्रोसीक्यूशन पुलिस के हाथ में नहीं है। मेरा सुझाव है कि सरकार गम्भीरता से इस बात पर विचार करे कि जो प्रोसीक्यूशन वर्तमान में पुलिस के हाथ में नहीं है और जिस प्रोसीक्यूशन के लिये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास समय नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रोसीक्यूशन को वह अहमियत नहीं दे पाता है वह प्रोसीक्यूशन पुलिस के हाथ में दिया जाए। कुछ अन्य प्रान्तों में इसकी व्यवस्था है और वहां यह सफलतापूर्वक हो रहा है। मेरा सुझाव, सभापति महोदया, इस बात पर आधारित है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेन्सी को यदि आप प्रोसीक्यूशन का भी काम देंगे तो निश्चित रूप से प्रोसीक्यूशन एक हायर लेवल का होगा। आज देखने में आता है कि जब कोई मुकदमा गलत पैरवी हो जाता है तो प्रोसीक्यूटिंग एजेन्सी इन्वेस्टिगेट एजेन्सी को ब्लेम करती है और इन्वेस्टिग एजेन्सी प्रोसीक्यूटिंग एजेन्सी को ब्लेम करती है क्योंकि दोनों अलग-अलग कन्ट्रोल में रहते हैं यदि दोनों का कन्ट्रोल एक ही रखा जाएगा तो निश्चित रूप से प्रोसीक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन में हारमनी आएगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदया, राजस्थान में इन्टेलीजेंस की स्थिति बड़ी दयनीय है और राजस्थान ने इस मामले के अन्दर बड़ी कीमत करोसीन काण्ड के रूप में दी है। यदि इन्टेलीजेंस बहुत ही सुदृढ़ होता तो निश्चित रूप से जयपुर में इसकी जानकारी इन्टेलीजेंस एजेन्सी के मार्फत से होती। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, सभापति महोदया, कि बाम्बे ब्लास्ट से सम्बन्धित एक्यून्ड राजस्थान में टोंक में आकर रहते हैं, बाड़मेर में आकर रहते हैं और फिर इन्वेस्टीगेशन में वे रिवील करते हैं कि हम राजस्थान में इन-इन जगहों पर रहे-हम बाड़मेर में भी रहे और अपना इन्टेलीजेंस

(श्री जगदीप धनखड़)

नेटवर्क इतना कमजोर है कि राजस्थान पुलिस को आज तक नहीं पता है कि इस प्रकार की गतिविधि हुई है। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) इन्टेलीजेन्स नेटवर्क को बहुत स्ट्रांग करने की समापति महोदया, इसलिये आवश्यकता है कि आज राजस्थान में आप देखेंगे कि स्मगलिंग बढ़ रही है। चांदी के माध्यम से हवाला राजस्थान में हो रहा है, राजस्थान के कई जिलों में हो रहा है। सीकर झुन्झुनूं, अजमेर में ज्यादा हो रहा है और राजस्थान की पुलिस उसकी रोकथाम के लिये कुछ नहीं कर रही है। वह समय दूर नहीं है जब राजस्थान हवाला रैकेटियरिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेण्ट प्लेन बन जाएगा उन लोगों के लिये।

समापति महोदया, आज आप कहीं भी देश में चले जाइये, विदेशों में चले जाइये, राजस्थान में हेरोइन फैक्ट्रीज वे बताते हैं कि कहां कहां हैं। पुलिस अधिकारियों को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें वे लोकेशन बताते हैं—चित्तौड़ में बताते हैं और जिलों में बताते हैं पर राजस्थान पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर रही है। जहां ड्रग माफिया आपरेट कर रहे हैं, जहां हेरोइन फैक्ट्रीज लगी हुई हैं वहां कितनी जबर्दस्त समस्या समाज में उत्पन्न हो सकती है। माननीय समापति महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार को सुझाव है कि राजस्थान की विकट परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रकार की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान में एक स्ट्रांग इन्टेलीजेन्स नेटवर्क की आवश्यकता है, जिस पर पूरा ध्यान दिया जाए।

श्री समापति : अब आप समाप्त करें। मैं दूसरा नाम पुकार रही हूं। 40 लोग और बोलने वाले हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : ...सवाई माधोपुर के अन्दर जो टाइगर स्किन्स का मामला हुआ, माननीय समापति महोदया, उसके इन्वेस्टिगेशन का क्या नतीजा निकला? कौन-कौन लोग इन्वाल्व थे? पर सरकार की नीति स्पष्ट है। सरकार एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को इस बात के लिये निलम्बित कर देती है कि उन्होंने तबादलों में अटेचमेंट वर्ड लिखा कि ट्रांसफर लिखा। और इसमें सरकार की कोई कन्सिटेन्सी नहीं है। ऐसा कई पुलिस अधीक्षकों ने किया है, कई डी. आई. जी. ने हैडक्वार्टर को लिखा है कि मेरे मातहत पुलिस अधीक्षक इस प्रकार कर रहे हैं पर सिंगल आउट एक को किया गया है। जिस पुलिस प्रशासन में चार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी—डायरेक्ट जनरल आफ पुलिस एवं तीन अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, बहुत-से पुलिस अधिकारी कहते हैं कि टाकिंग टर्म्स में नहीं हैं। चतुर्वेदीजी बैठे हैं, यू आर ए सीनियर मिनिस्टर, आपका उत्तरदायित्व है, आप सरकार चला रहे हैं उनमें कुछ हारमनी लाइये, बोलचाल तो शुरू करवाइये। मंत्रिमण्डल के सीनियर सदस्यों के अन्दर जो सम्बन्ध हैं उतने सम्बन्ध तो उनके अन्दर मेन्टेन करवाये।

श्री सभापति : आप बिराजें । श्रीमती उजला अरोड़ा ।

(अनुपस्थित)

श्री गोपीराम जाट ।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : माननीय सभापति महोदया, सदन में मांग संख्या-16 पुलिस पर चर्चा हो रही है और माननीय सदस्यों ने पुलिस विभाग की अच्छाइयों और कमियों पर काफी विस्तार से चर्चा की है । जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने 1991 और 1993 के पुलिस के मुकदमों के ऊपर काफी तुलनात्मक यहां पर आंकड़े प्रस्तुत किये हैं । उन आंकड़ों को देखने से यह महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान पुलिस प्रशासन में कितना सुधार हुआ कितनी चुस्ती आयी और जो परिणाम आये हैं, वे काफी सराहनीय हैं । खासतौर से पुलिस व्यवहार के ऊपर सदन में काफी चर्चा हुई है । इस चर्चा कारण में समझता हूं कि पुलिस के नियम कानून हैं जो अंग्रेजों के समय से बने हुए हैं और वर्तमान शासन पद्धति और समाज के व्यवहार के अनुकूल नहीं होने की वजह से ये उपयुक्त नहीं हैं । मैं चाहूंगा कि पुलिस की प्रशिक्षण पद्धति और इसके नियम-कानून वर्तमान आवश्यकता के अनुसार बनाये जाने चाहिये । जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सुझाव देकर जयपुर में पुलिस कमिश्नर की आवश्यकता महसूस की है । तेज गति के साथ में जयपुर का विकास और आबादी बढ़ी है और 1991 की गणना के अनुसार जयपुर की आबादी 15 लाख से अधिक है । यहां पर विश्वविद्यालय हैं, कई कालेजेज हैं । इसी के साथ-साथ जयपुर के चारों तरफ बढ़ते हुए औद्योगिक क्षेत्र और आबादी को ध्यान में रखते हुए यहां पर कानून और व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस कमिश्नरी की आवश्यकता है, मैं भी इस बात की सरकार से मांग करता हूं कि पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति की जाए । पड़ोसी राज्यों के मुकाबले में राजस्थान के अन्दर कानून-व्यवस्था बहुत अच्छी रही है बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है क्योंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है उसने पुलिस प्रशासन की ओर ध्यान दिया है । पुलिस के कर्मचारियों के वेतनमानों उनके मैस भत्ते, वर्दी भत्ते और इन चीजों के ऊपर सरकार ने जो ध्यान दिया है उससे पुलिस प्रशासन व कर्मचारियों के अन्दर काम करने की शक्ति बढ़ी है । सरकार के सहयोग ने बिल्कुल चुस्ती और दुरुस्ती के साथ काम किया है ।

मैं जयपुर जिले के अन्दर जो पुलिस व्यवस्था है उसकी ओर माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । जयपुर जिले में जिस तरह की भौगोलिक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए मैं बताना चाहूंगा कि 1993 के अन्दर जयपुर जिले में 5800 मुकदमे दर्ज हुए हैं । उन मुकदमों को देखते हुए हमारे यहां थानों की संख्या जयपुर जिले देहात में मात्र 20 है । यदि हम अजमेर से तुलना करें तो अजमेर जिले के अन्दर 5200 मुकदमे दर्ज हुए और वहां पर थाने 30 हैं । इन तुलनात्मक आंकड़ों को देखते हुए मैं

(श्री गोपीराम जाट)

माननीय गृह मंत्रीजी से मांग करता हूं कि जयपुर जिले में देहात के अन्दर थानों की संख्या और ज्यादा बढ़ाये जाने की आवश्यकता है जिससे अपराधों और दुर्घटनाओं पर रोक लगायी जा सके।

इसी के साथ-साथ मैं और मांग करना चाहूंगा कि सरकार के नियमों के अनुसार जिन थानों में तीन सौ या तीन सौ से अधिक मुकदमे दर्ज होते हैं वहां इन्चार्ज का पद भी क्रमोन्नत किया जाना चाहिये। बगरू, दूदू और सांभर ऐसे थाने हैं जहां पर एक-एक साल में पांच-पांच सौ मुकदमे दर्ज हुए। वहां पर सब इन्सपेक्टर की जगह इन्सपेक्टर का पद क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता है जिससे कि लोगों को सही न्याय मिल सके और उनके मुकदमों में जांच हो सके। जयपुर जिले के अन्दर खासतौर से मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मई, 1993 के अन्दर बोराज में शाम को 6 बजे ट्रैक्टर की चोरी हुई। उसका मुकदमा दर्ज कराने के लिये जोबनेर थाने के अन्दर गये तो उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया। मुझे वह मुकदमा झोटवाड़ा थाने में दर्ज करवाने के लिये पैरवी वहां भेजनी पड़ी। इसी तरह से राजेश हत्याकांड का मुकदमा फुलेरा में दर्ज हुआ। शाम 8 बजे जब वह जा रहा था उस वक्त कुछ लोगों ने उसको चोर समझकर मारपीट की जिससे उसकी मृत्यु हो गई और पुलिस द्वारा मेरे प्रश्न के जवाब में यह कहा गया है कि सर्दी लगने से उसकी मृत्यु हो गयी। शाम को 8–9 बजे का समय था, गर्म स्वेटर पहने हुये आदमी की सर्दी से मृत्यु नहीं हो सकती। इस तरह की जो कमियां हैं, उनको दूर करने के लिये थाने के ऊपर उच्च पद के अधिकारी की आवश्यकता है। जहां इन्सपेक्टर लगना चाहिये वहां पर सब इन्सपेक्टर जैसे लोगों से न्याय नहीं मिल पाता। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां के जो थाने हैं उन थानों को क्रमोन्नत किया जाए।

इसी के साथ-साथ जयपुर में कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं, जो आबादी····

(17 29)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन।)

बढ़ रही है उसके हिसाब से हमारी ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होने की आवश्यकता है। जहां पर सिनेमा हाल हैं, बड़े-बड़े मन्दिर हैं, जहां पर पब्लिक आवागमन काफी है उस जगह की व्यवस्था देखते हैं तो वह काफी कमजोर है। उसका कारण है कि जयपुर में पिछले 5–5, 10–10 सालों से पुलिस अफसर जम कर बैठे हैं। वे एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाते हैं और दूसरी तरफ से तीसरी तरफ चले जाते हैं, इसमें भी परिवर्तन की आवश्यकता है। काफी लम्बे समय से जो अधिकारी जमे बैठे हैं इसी का परिणाम है कि भूमि माफियाओं को भी इनसे सहयोग मिला जमीनों पर, बड़े-बड़े अधिकारी इसमें इन्वाल्व है पुलिस के कब्जे करवा रहे हैं। उसी के साथ-साथ शराब की बिक्री, शराब के ठेकेदारों को सहयोग आदि के मामले हैं। इससे आम

(श्री गोपीराम जाट)
जनता के साथ में न्याय नहीं हो पाता इसलिये पुलिस प्रशासन में परिवर्तन की आवश्यकता है। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री रूपारामजी।

(अनुपस्थित)

श्री शांतिकुमार धारीवाल।

श्री अमराराम : माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : एक मिनिट विराजें, माननीय सदस्य, मैं आपको भी अवसर देता हूं। मैं समय सीमा तय करता हूं। पांच मिनिट में मैं पहले कहूंगा और दो मिनिट बाद सात मिनट होते ही मैं दूसरे माननीय सदस्य का नाम पुकारूंगा। श्री शांतिकुमार धारीवाल सबको बुलाता हूं।

एक माननीय सदस्य : आप जब बोलते हैं, सभापति महोदय, आधा घण्टा चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं उस समय दूसरी स्थिति में होता हूं.... (व्यवधान)....

श्री शान्तिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : सभापति महोदय, यह समय सीमा मैं बोलना चालू हुआ जब ही लागू हुई।

श्री सभापति : हां, बोलिये आप, यह समय भी इसमें ही कटता है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इस अच्छी बात की मुझसे ही शुरूआत हो रही है।

श्री सभापति : आप भले आदमी हैं, आप बहुत सज्जन माननीय सदस्य हैं, आप से ही शुरूआत होगी।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : सभापति महोदय, जिस विभाग को लेकर यहां मांग पर चर्चा हो रही है, यह एक ऐसा विभाग है वाकई, जैसा धनखड़जी ने कहा कि सरकार की पूरी छवि का काफी कुछ आकलन इस विभाग की कार्य पद्धति पर निर्भर होता है। सहनशीलता से लेकर संवेदनशीलता तक और नम्रता से लेकर कर्तव्यों की पालना तक सब इस विभाग के आवश्यक अंग हैं। अगर इन चारों अंगों में से कोई भी अंग यह विभाग लापरवाही की वजह से या भ्रष्टाचार की वजह से अपना नहीं पाता तो निश्चित रूप से इसकी छवि का असर सरकार की छवि पर भी होता है।

माफिया ग्रुपों की चर्चा हुई। मैं जिस जिले का रहने वाला हूं वहां पर कई माफिया ग्रुप काम कर रहे हैं। उन माफिया ग्रुपों के सरगने कौन हैं? राजस्थान के मंत्रिमण्डल के सदस्य जानते हैं, हम जानते हैं, पुलिस के कर्मचारी और बड़े-बड़े अफसर जानते हैं लेकिन ताज्जुब है कि उनका कहीं कभी कुछ नहीं बिगड़ पाया, उनकी सम्पत्ति दिन-पर-दिन बढ़ती ही गयी और रात चौगुनी होती गयी। आज यह हालत है कि कोटा के एक सिनेमाघर के बाहर एक जूते की दुकान है उस पर झगड़ा है। जूते की दुकान के मालिक ने किसी और को वह दुकान बेच दी और सस्ते दामों पर बेच दी क्योंकि जो किरायेदार था वह खाली नहीं

(श्री शान्तिकुमार धारीवाल)

कर रहा था और जो बाजारू कीमत थी उससे एक बटा दस कीमत पर उसको बेच दी। गृह मंत्रीजी, जरा सुनिये, लिखा-पढ़ी ही करते रहेंगे आप, तो हमारा बोलना बेकार है।

श्री कैलाश मेघवाल : आप ही के नोटस ले रहा हूं।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : फिर क्या-क्या लिया, आप बता दीजिये मुझे।

श्री कैलाश मेघवाल : आप जो बोल रहे हैं।

श्री शान्ति कुमार धारीवाल : वही तो बात है न। उस खरीददार ने माफिया ग्रुप वालों से सौदा किया, उन्होंने कहा कि रात के बारह बजे तक तेरी दुकान खाली हो हो जाएगी। अब वह दुकान कैसे खाली होती है, यह देखिये आप। पिक्चर हॉल के सामने दुकान की लोकेशन है, 11 बजे वे दुकान का ताला तोड़ते हैं और जितने भी जूते थे वे बाहर फैंक देते हैं। इधर पिक्चर हॉल छूटता है और जो भी पिक्चर हॉल से बाहर निकलता है वह एक-एक जूता लेकर चला जाता है। पचासों किस्से आपको ऐसे मिलेंगे और उनको पुलिस का किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्तर पर प्रोटेक्शन मौजूद है। मैं बड़े अफसरों की बात नहीं कहता हूं, कोटा में मेरी जानकारी में पिछले कई सालों में चाहे पुलिस अधीक्षक पद पर हों, चाहे डीआईजी. पद पर लगे हों उनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं है लेकिन क्या पता या तो पालिटिकल इन्टरफियरेंस है या कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ है जिस की वजह से वे अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। जब तक आप कोई एक्शन प्लान अलग से बैठ कर इनका नहीं बनाओगे, स्टीन वर्क जो पुलिस का होता है, मुझे अगर किसी माफिया ग्रुप से तकलीफ आयी और मैं जाकर पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करवा आया तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिये आपको अपने विभाग में बाकायदा एक वर्कशाप बनाना पड़ेगा, एक कार्यशाला बनानी पड़ेगी। बड़े से बड़े पुलिस आफिसर को पोलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठ कर इसका हल निकालना पड़ेगा। यदि इसका हल नहीं निकला तो यह बीमारी छोटे से छोटे शहर में भी फैलती जा रही है क्योंकि वह जमीनों के दाम, दुकानों के दाम....(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) तब तो फिर मेरा बोलना ही बेकार हो जाएगा।

श्री सभापति : दो मिनट और बोलिये, माननीय सदस्य।

श्री शान्ति कुमार धारीवाल : सभापति महोदय, मैं बड़ा रेलेवेण्ट बोल रहा हूं।

श्री सभापति : रेलेवेण्ट बोलिये, दो मिनट और बोलिये।

श्री शान्ति कुमार धारीवाल : सजेशन ही दे रहा हूं, सभापति महोदय।

श्री परसादीलाल मीणा : बोलने के लिए बैठे हुए हैं यहां।

श्री सभापति : हां, बोलिये न तो। कृपया बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, सभापति महोदय, 12 बजे मांग पास करवा देंगे, जितने माननीय सदस्य बोलें उतने बोल लें।

श्री सभापति : नहीं, विराजिये। एक मिनट, परसादीलालजी, आप बात सुनिये।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : सभापति महोदय, बात तो मैं पूरी कहूंगा। (व्यवधान)....

श्री परसादीलाल मीणा : आप शुरू में तो आधा-आधा घण्टा बोल लेते हैं और बाद में बोलने वाले माननीय सदस्यों के लिये पांच-पांच मिनट आप बांध देते हैं। पता नहीं आप....(व्यवधान)....

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : शुरू से ही बांध आप, सभापति महोदय। (व्यवधान)....

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : सभापति महोदय, जिस सम्भाग का मैं रहने वाला हूं, वहां क्राइम रेट कोटा शहर में सब से ज्यादा है इसलिये उसकी पीड़ा मुझे है। आप मुझे समय से बांध कर इस विभाग की मांगों पर रेलेवेन्स खतम मत करिये।

श्री सभापति : समय सीमा निश्चित है, माननीय सदस्य।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : हां, समय सीमा निश्चित है और समय क्या मृत्यु भी निश्चित है, सब-कुछ निश्चित है।

श्री सभापति : हां, बस ठीक है। आप बोलिये, दो मिनट का समय है।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : अब आप बीच-बीच में मुझे टोककर तो मेरा समय वैसे ही खराब करवा रहे हैं।

श्री सभापति : हां, हो रहा है और वह भी इसी में है।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : इसी तरह से टेण्डरों की छीना-झपटी है। प्रोफेसर साहब खुद अच्छी तरह से, जानते हैं कि कोटा का क्या हाल है। चाहे नगर निगम के टेण्डर ले लें, चाहे नगर विकास न्यास के ले लें, चाहे इनके विभाग के ले लीजिये, चाहे सिंचाई विभाग के ले लीजिये कोई भी विभाग के टेण्डरों पर, खुली दादागिरी होती है। टेण्डर की पेटी पर पैर रख कर आदमी खड़ा हो जाता है कि कोई टेण्डर नहीं डालेगा, मैंने डाल दिया है। पचासों शिकायतें इस प्रकार की हुई हैं, व्यक्तिगत जानकारी में हैं राज्य मंत्रिमण्डल के वरिष्ठ सदस्यों की लेकिन इस बीमारी का आज तक कोई हल नहीं निकला। अब जब ज्यादा शोर हुआ, वारदातें ज्यादा होने लगीं और एक्स ई.एनों की, और ए. इनों की, पिटाइयां होने लगीं तो सिर्फ दो पुलिस वाले पहुंचते हैं। वे दो पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाते....

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : सभापति महोदय, यह किस पर हो रहा है? पुलिस पर हो रहा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग पर हो रहा है?

श्री सभापति : आप विराजिये, बीच में डिस्टर्ब न करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : तो फिर ये और कहेंगे कि दो मिनट बढ़ा दें।

श्री सभापति : कृपया बाधा न डालें, बोलने दें माननीय सदस्य को।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : आप नहीं समझ पाएंगी, यह बीमारी जोधपुर में नहीं है कोटा में है।

दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि तफ्तीशे चैन्ज कर दी जाती हैं। 302 के मुल्जिमों की तफ्तीश जब फाइनल स्टेज पर आने लगती है और जब यह लगता है कि यह मुल्जिम गिरफ्तार होने वाला है या इसका नाम पुलिस ने ढूंढ निकाला है तो पालिटिकल इण्टरफियरेंस से वह तफ्तीश चैन्ज कर दी जाती है और वह तफ्तीश कर के बस्ता-ए-खमोशी में डाल दी जाती है। गृह मंत्रीजी, आप कोटा जिले की जितनी तफ्तीशे चैन्ज हुई हैं उनको दिखवाएं। अगर वह फाइल आपने पूरी की पूरी मंगवा ली तो आप खुद संतुष्ट हो जाएंगे। मुझे किसी की वकालत करने की आवश्यकता नहीं है या मुझ से कहीं पूछने की आवश्यकता नहीं है, खुद संतुष्ट हो जाएंगे कि कितना बड़ा अत्याचार उन डिसीज्ड के साथ किया गया है और कितने सालों से वे फाइलें बस्ता-ए-खामोशी में पड़ी हुई हैं। उन लोगों को आज तक कोई न्याय नहीं मिल रहा क्योंकि राजनीतिक सरगने मुल्जिमान की पीठ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : सभापति महोदय, तीन-चार पाइन्ट और हैं।

श्री सभापति : नहीं, अब समाप्त करें। श्री अमराराम चौधरी। भाषण समाप्त हुआ।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : नहीं, सभापति महोदय, दो मिनट और लूंगा।

श्री सभापति : फिर आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : टाडा के दुरुपयोग की बाबत केन्द्रीय गृह मंत्रीजी ने एक बयान दिया है। उस बयान में केन्द्रीय गृह मंत्रजी ने कहा है कि टाडा का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उनकी राय यह थी कि इस कानून को ही खतम कर दिया जाना चाहिये। केन्द्रीय गृह मंत्रीजी ने आगे यह भी कहा है कि असरदार आदमी इस कानून से बच जाते है और जो गरीब लोग हैं या जिन पर किसी का साया नहीं हैं उनको इस कानून के अन्तर्गत पकड़ लिया जाता है। पुलिस इस कानून की आड़ लेकर के जबर्दस्ती लोगों को परेशान करती है। टाडा में कई लोग गिरफ्तार हैं और जो गिरफ्तार हैं उनमें से कई बेकसूर हैं। इस बेकसूरी के बारे में पिछली विधान सभा में यहां गृह मंत्रीजी खुद ने बयान दिया था कि इतने आदमी गिरफ्तार हैं और इतने आदमियों को हम करीब-करीब बेकसूर

(श्री शान्तिकुमार धारीवाल)

मानते हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार ने बावजूद केन्द्रीय हस्तक्षेप के उनका कुछ नहीं किया। उनका आज तक कुछ नहीं हुआ और नतीजा यह हुआ कि वे अजमेर की जेल में भूख-हड़ताल पर बैठे। भूख-हड़ताल तुड़ाने के लिये यहां से मुख्य मंत्रीजी को भेजा गया और किसी न-किसी प्रकार से उनको यह कहा गया कि हम कुछ न कुछ करेंगे उनके लिये। मेरा आपसे यह निवेदन है कि टाडा में जो लोग गिरफ्तार हैं और जिन पर आपको थोड़ा-सा भी यह डाउट है कि ये टाडा में गिरफ्तारी के काबिल नहीं थे कृपया उनकी रिहाई के लिये कुछ न कुछ काम करें।

श्री सभापति : समाप्त करें। श्री अमरा राम चौधरी।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : लास्ट है, साहब, यह महिलाओं वाला है। हालत यह है, गंगानगर की बात मैं बताता हूं आपको। एक असरदार व्यक्ति... (व्यवधान) ...

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक ही मिनट की ली और भागकर वापस आयी हूं मैं, मेरे को बोलने का मौका दें।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : गृह मंत्री जी, गंगानगर में एक असरदार व्यक्ति, हनुमानगढ़ टाउन में, उसकी लड़की किसी प्रेमी के साथ भाग गयी। थानेदार मय स्टाफ के ढूंढने निकल गये। एस.पी. साहब को इतला हुई कि फलाने थाने में कोई थानेदार नहीं है है तो उन्होंने पहला थानेदार था जसपाल सिंह, दूसरा थानेदार वहां पर लगा दिया, सुरेन्द्र भाटी। वे सुरेन्द्र भाटी भी उसकी तलाश में चले गये थाना छोड़कर, कई दिनों से गायब। फिर एस.पी. ने तीसरा थानेदार वहां पर विपिन शर्मा लगाया। वे भी जिस रोज लगाया उसी रोज उस लड़की की तलाश में निकल गये और फिर चौथा थानेदार लगाया और जब पांचवां थानेदार लगाया....

श्रीमती उजला अरोड़ा : वे आपको ढूंढने गये।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : पत्रकार उनके पास पहुंचे तो पत्रकारों को उन्होंने जवाब दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, राज्य सरकार के आदेश हैं कि इन इन थानेदारों से काम लो। जितने भी मैं लगाऊंगा वे चले जाएंगे, हो सकता है कि मैं ही थानेदार की कुर्सी पर बैठ जाऊं। और आखिर में यह हुआ कि सी.आई. लेवल के थाने पर उन्होंने एक सब-इन्सपेक्टर को पोस्ट किया और इस आदेश से पोस्ट किया कि अगर तू इस कुर्सी से बाहर निकल गया या यहां से तू हट गया तो मैं हाथों-हाथ ही तुझे सस्पेंड कर दूंगा। यह हाल है आपका। जितने भी निम्न स्तर के, निम्न स्तर तो नहीं कहूंगा मैं, मध्यम वर्ग के अफसर हैं, सी.आई. लेवल से लेकर हैड-कांस्टेबल तक के, अगर गलती उनकी पायी जाती है तो जो अफसर उनको बचाने के लिये कोशिश करते हैं वे निन्दा के पात्र हैं। गृह मंत्रीजी, ऐसी शिकायतों पर आपको ध्यान देना चाहिये। कोटा में दो रोज पहले एक वारदात हुई....

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री अमराराम चौधरी। भाषण समाप्त हुआ, माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : कौन-से अमरा-राम चौधरी, साहब?

श्री सभापति : सी.पी.एम.।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, सबसे पहले जिस मांग संख्या 16 पर पुलिस विभाग की चर्चा चल रही है उसमें अपने को शामिल करता हूं। जहां पुलिस पर जनता की रक्षा का दायित्व है वहीं वह भक्षक बनी हुई है। जनता का सबसे पहले जो भी फरियादी पुलिस थाने पर हाजिर होता है, पहुंचने से पहले कतराता है और बाईद वे वह पहुंच गया तो सबसे पहले सहानुभूति के बजाय उसे गालियां सुनने को मिलतीं हैं। किसी भी थाने में चले जाएं, चाहे वह राजधानी के थाने में चला जाए या किसी जिले के थाने में चला जाए। पुलिस पर आज धनबल और माफिया गिरोह हावी हैं। सबसे बड़ा राजस्थान में शराब माफिया है, वे तो इस तरह हावी हैं कि चाहे जिस शरीफ व्यक्ति को गांव या शहर से उठाकर पीट देते हैं, यहां तक कि हत्याएं कर देते हैं और जब तक शराब माफिया परमीशन नहीं दे देते उनके खिलाफ किसी भी थाने में मुकदमा दर्ज नहीं होता है। आज एक नहीं कई उदाहरण हैं, चाहे वह जुगताराम का काण्ड हो, चाहे सीकर के काण्ड हो। जहां तक फतेहपुर की शराब दुःखान्तिका का सवाल है जिसमें क्विंटलों में गांजा पकड़ा गया, जिन शराब माफियाओं के साथ पुलिस के अधिकारी ने दबिश मारी क्या उनको पता नहीं था कि इस तरह का अवैध व्यापार फतेहपुर में हो रहा है? लेकिन उस शराब दुःखान्तिका में किसी भी पुलिस अधिकारी पर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। उस फतेहपुर में दो थाने थे, एक कोतवाली और दूसरा सदर इतना ही नहीं, आज भी चाहे इधर बैठने वाले माननीय सदस्य हो चाहे सत्ता पक्ष में, चाहे जिसकी सरकार आ जाए, चाहे जो सरकार के मुखिया बन जाए राजधानी से उन पुलिस अधिकारियों को नहीं हटा सकते क्योंकि जितने भी शराब माफिया, भूमि माफिया, ठेका माफिया, जो भी हैं वे पुलिस प्रशासन पर ही नहीं सरकार पर भी हावी हैं, उनको हटाने की किसी में हिम्मत नहीं है। हमारे आज की सरकार के मुखिया मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी राजस्थान में सरपंचों को मिटा सकते हैं। लेकिन पुलिस के सरपंचों को नहीं मिटा सकते। मैं समझता हूं, राजस्थान की सरकार राजस्थान के सरपंचों को हटाने की बजाय राजस्थान के थानों से सरपंचों को हटा दे तो राजस्थान की जनता राहत महसूस कर सकती है। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं कि उस सरपंच को जो जनता पर....(व्यवधान) नहीं, स्पेशल सरपंच रखते हैं वहां। वहां से उनको नहीं हटाया जा सकता। आज रात के 11 बजे बाद इस राजधानी में या राजस्थान के किसी भी पुलिस थाने में पहुंच जाएं, मुश्किल से कोई पुलिस का अधिकारी बगैर शराब के मिलेगा। किसी भी थाने में चले जाएं आप, यही हालत है।

जहां तक उनको सहायता देने का प्रश्न है, निम्न जो कांस्टेबल स्तर के हैं उनकी

(श्री अमराराम)

सुविधाएं बढ़ाने का है. निश्चित रूप से बढ़ायी जानी चाहिये। इसका नमूना है कि जितने भी बड़े अधिकारी हैं वे अपनी जो तनख्वाह मिलती है उसे तो लाइसेंस की मानते हैं, बाकी कोई भी काम रिपोर्ट दर्ज कराने से लेकर मौका दिखाने तक, उसकी तफतीश करने तक, हर चीज की फीस बंधी हुई है। केवल तनख्वाह और सुविधाओं को तो अधिकारी यह मानते हैं कि पुलिस में वे नियुक्त हो गये इस बात की, लाइसेंस की उनको तनख्वाह मिलती है। ज्यादातर थानों में गाड़ियां हैं लेकिन जो भी फरियादी वहां जाता है, रिपोट दर्ज करने के लिये पहले पैसे लिये जाते हैं और उसके बाद, मौका मुआयना करने के लिये गाड़ी के पैसे लिये जाते हैं। जिस सरकार से और जिस विभाग से लोगों की रक्षा की उम्मीद की जाए, मैं समझता हूं कि उस विभाग के बारे में सही रूप से सरकार सचेष्ट हो। अगर ईमानदार अधिकारी हो तो, मैं निश्चित रूप से इस बात को मानता हूं कि इस पर चैक लगती है। मैंने सीकर में यह अनुभव किया है कि जब ईमानदार ए.सपी. हो वहां, तो किसी भी ट्रैफिक के सिपाही की यह औकात नहीं कि भरे चौराहे पर और कलक्ट्रेट के सामने वह किसी से चौथ वसूल कर ले। मजाल है कि एस.पी. अगर वहां का ईमानदार हो तो कोई भी सट्टा वहां चल सके, नामुमकिन है। लेकिन सारे अधिकारियों से मिलकर सट्टा चलता है, शराब माफिया लोगों को मारते हैं और चाहे जिसको पुलिस केस और आबकारी एक्ट में फंसाते हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) सही रूप से जनता का वाकई में रक्षक बनाना है पुलिस को तो जो कांस्टेबल्स की समस्याएं हैं–चाहे वे उनकी वर्दी की हों चाहे उनके भत्ते की हों, चाहे उनके वेतन बढ़ाने की हों उनको निश्चित रूप से दूर किया जाना चाहिये लेकिन ऊपर के अधिकारियों द्वारा जनता के साथ जो रक्षक की बजाय भक्षक का कार्य किया जा रहा है उस पर चैक लगाने की सबसे बड़ी जरूरत है।

जहां तक महिलाओं का सवाल है, कमजोर वर्ग के लोगों का सवाल है, पहले तो बेचारे जाते ही घबराते हैं कि वहां गाली तो मिलेगी ही मिलेगी। कमजोर तबका चाहे महिला हो, चाहे शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब या और कोई गांव का गरीब आदमी हो, थाने में जाते हुए कतराता है। मैं समझता हूं कि जो आंकड़े यहां गृह मंत्रीजी ने दिये हैं, अगर यही पुलिस का हाल रहा तो ये आंकड़े और नीचे आ जाएंगे क्योंकि जो भी पीड़ित व्यक्ति है वह थाने में जाने से कतराता है मैं समझता हूं कि पुलिस के व्यवहार में सुधार आना चाहिये और लोगों की सुननी चाहिये। आपने समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल गरासिया।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 16 पर चर्चा चल रही है। पुलिस विभाग की माननीय सदस्यों ने आज के हालात में जो समाज में उनकी तस्वीर है वह प्रस्तुत की और साथ ही साथ उनकी जो समस्याएं हैं उनके

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

निराकरण के लिये भी माननीय सदस्यों ने सरकार से आग्रह किया है। वास्तव में अगर सरकार की छवि का कोई प्रतिबिम्ब है या दर्पण है तो पुलिस ही है क्योंकि पुलिस सीधे जनता से जुड़ी हुई है। देश आजाद होने के बाद पुलिस में जनता के अनुकूल परिवर्तन होना चाहिये था, जनता की क्या अपेक्षाएं हैं उसके अनुकूल व्यवहार बदलना चाहिये था लेकिन पता नहीं ऐसा न होने के क्या कारण रहे? उसके पीछे मैनिपुलेशन हो सकता है, राजनैतिक कारण हो सकते हैं या फिर मनोबल का ही बहाना ले सकते हैं। वास्तव में समाज पुलिस से अपेक्षा करता है कि समाज के अनुसार वह ढले। समाज जिस तरह से अपेक्षा पुलिस से रखता है वह उसे पूरी करे लेकिन चाहे राजस्थान का दक्षिणी अंचल आदिवासी क्षेत्र लें, चाहे पश्चिमी क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा लें, समाज में किसी न किसी तरह से पुलिस के प्रति शिकायत- शिकवा जरूर है। आज कोई भी फरियादी थाने में जाने से क्यों डरता है, क्या कारण हैं? आज कोई भी 302 का केस कर लेता है और सजा काटकर समाज में वापस आता है तो समाज में उसकी धौंस ज्यादा बढ़ जाती है। इस तरह का कोई उदाहरण हम ले लें, पुलिस से हमेशा अपराधी को डरना चाहिये। खौफ अगर हो तो अपराधी को हो, तस्करों को हो लेकिन उसका विपरीत प्रभाव समाज पर है। इस सम्बन्ध में याद दिलाना चाहूंगा सरकार को और माननीय गृह मंत्रीजी को कि भारतीय जनता पार्टी की यह संवेदनशील सरकार है और वास्तव में हम समाज को कुछ देना चाहते हैं, समाज को राहत देना चाहते हैं। समाज का कोई भी व्यक्ति थाने में चला जाए, बड़े अधिकारी के पास में चला जाए तो अपने आप यह महसूस करे कि उसको राहत मिली, उसकी बात को प्रेम से सुना गया। उसकी शिकायत पर भी निश्चित समय पर कार्यवाही हुई तो वही फरियादी समाज में जाकर पुलिस का प्रतिबिम्ब बनेगा, वही समाज में पुलिस की तस्वीर के रूप में काम करेगा। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में अपने आप में पुलिस की जो छवि है उसमें परिवर्तन करके देश में एक उदाहरण कायम करे। जो जंग लग गया है उसमें परिवर्तन करने में समय लगेगा, जो बीमारी आयी है उसको दूर करने में समय लगेगा लेकिन हम निरूत्साही न हो जाएं या जो चल रहा है ढर्रा उसको चलने न दें। परिवर्तन ऊपर से चलते हैं। अगर सिपाही से अपेक्षा करें हम कि वह ईमानदार हो, उसका व्यवहार ठीक हो तो मैं समझता हूं कि यह अपने आप में कहीं भूल है। परिवर्तन ऊपर के अधिकारी से होगा तो नीचे के अधिकारी अपने आप उसका अनुसरण करेंगे। जिले का पुलिस अधीक्षक, कोई फरियादी उसके पास जाता है, अगर उसकी फरियाद को सुनकर उसकी निश्चित समय पर वह स्वयं जांच करेगा तो मैं समझता हूं कि नीचे का अधिकारी कभी हिम्मत नहीं करेगा दोषी को शरण देने की, और उस अधिकारी के कारण पूरे जिले में परिवर्तन आएगा, पूरे जिले के छोटे अधिकारी अपने आपको बदलेंगे। इसलिये मैं सोचता हूं कि ऊपर के अधिकारी अपने

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

व्यवहार में परिवर्तन लाएं; कार्य की गति में परिवर्तन लाएं तो छोटे अधिकारी, छोटे कर्मचारी अपने आप परिवर्तित होंगे। पुलिस का बड़ा अधिकारी अगर कोई शिकायत लेकर जाता है तो अपने छोटे अधिकारी को देता है। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) यानि कार्य बिन्दू थानेदार होता है, थानेदार ही यह जांच करेगा। इस तरह का पुलिस ने जो मानस बनाया है यह पूरा उसका प्रक्टिकल कार्य है। मैं समझता हूं कि थानेदार के ऊपर के अधिकारी को या और ऊपर के अधिकारी को जांच के लिये देंगे तथा वह उसके विपरीत और जनता की आकांक्षा के अनुसार निर्णय करेगा तो थानेदार मेनिपुलेशन का कारण बन सकता है या उसका छोटा अधिकारी मेनिपुलेशन का कारण बन सकता है, और वह अपने आप में सुधार करेगा। गरीब व्यक्ति अगर थाने में जाता है, पुलिस अधीक्षक के पास जाता है, बड़े अधिकारी के पास जाता है, और उसकी बात को सुनकर उसकी शिकायत को सुनकर एक निश्चित समय में उसका निराकरण करेंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में पुलिस की छवि निश्चित बनेगी।

जनजाति क्षेत्र जहां से हम लोग चुनकर आते हैं उस आदिवासी क्षेत्र के प्रति भी उपेक्षा होती है। उनकी शिकायतों को, समस्याओं को सरकार खुद सुने और पुलिस में वे बड़ी निर्भयता से जा सकें इसके लिये मैं चाहूंगा कि हमारे गृह मंत्रीजी, जो स्वयं ऐसी बिरादरी से आये हुए हैं, इस परिवार के मुखिया हैं, राजस्थान में एक नया परिवर्तन लाएंगे। सरकार को संवेदनशीलता का....

श्री रतनलाल ताम्बी : ऊंचे हो गये उससे तो।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : ऊंचा नहीं बोलूं नीचे बोलूं क्या ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय समाप्त हो रहा है।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय सभापति महोदय, परिवार वास्तव में इतना बड़ा है पर शायद आप समझते हैं वे अकेले हैं। अकेले नहीं हैं, पूरा राजस्थान उनका परिवार है, पुलिस विभाग उनका परिवार है मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस छोटे तबके की या हमारे राजस्थान के पूरे समाज की पुलिस से जो अपेक्षाएं आज हैं उनके अनुरूप उनकी सोच में परिवर्तन आये, अधिकारियों के प्रति समाज में सम्मान बने छोटे कर्मचारियों के प्रति सम्मान बने। मैं निवेदन करना चाहूंगा शिकायत-शिकवों के साथ-साथ कि पुलिस में वास्तव में छोटे कर्मचारियों को जो सुविधाएं दी जाती हैं वे मैं समझता हूं कि ड्यूटी के अनुसार कम हैं। 24 घण्टे वह सरकारी ड्यूटी देता है। उसके अनुसार उसको सुविधा भी मिलनी चाहिये, उसकी वर्दी के पैसे में बढ़ोतरी होनी चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि छोटे कर्मचारी सिपाही की सुविधाओं का सरकार पुनर्मूल्यांकन कराए, पुनः देखे और सुविधाएं बढ़ाएं क्योंकि अगर पेट उसका

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

खाली होगा तो उसके मन में गड़बड़ जरूर पैदा होगी। (समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी) इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसकी सुविधाएं बढ़ाकर सजग भावना बनाये रखे। यही मैं निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर): माननीय सभापतिजी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को इस बात की बधाई दूंगी कि उन्होंने मेघवालजी को गृह मंत्री बनाया। हमारे समाज में सबसे कमजोर वर्ग के जो लोग हैं–चाहे वे अनुसूचित जाति के लोग हैं चाहे जनजाति के हैं, चाहे पिछड़े वर्ग से हैं चाहे गरीब लोग हैं या किसी भी जाति के हैं उनके ऊपर ही अत्याचार ज्यादा होते हैं। उन्हीं के ऊपर पुलिस अत्याचार करती है, उन्हीं के ऊपर धनपति ज्यादा अत्याचार करते हैं और उन्हीं के ऊपर बड़े लोग भी अत्याचार करते हैं। उनकी रक्षा के लिये किसी ऐसे आदमी को गृह मंत्री बनाया जो उनकी भावना को, उनकी तकलीफ को समझ सके इसके लिये मैंने मुख्य मंत्री को बधाई दी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस भावना से मैं बधाई दे रही हूं मेरी भावना की गृह मंत्रीजी कद्र करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि राजस्थान में इस प्रकार के वर्ग के लोगों के साथ जो अत्याचार होते हैं उन पर तुरन्त कार्यवाही की जाए। क्योंकि साधारणतः यह होता है कि "जैसा राजा वैसी प्रजा"। अगर गृह मंत्रीजी पक्के मन से चाहेंगे कि इन लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं हों तो मैं नहीं मानती कि पुलिस के बड़े से बड़े कर्मचारी की यह हिम्मत हो जाए कि वह ऐसे लोगों पर अत्याचार होता देखता रहे और उसके प्रति सक्रिय नहीं हो। मुझे पूरा विश्वास है आपके आने के बाद में जो इस प्रकार के काम हुए हैं, हो रहे हैं या चल रहे हैं और जिनकी जानकरी कुछ मैंने उनको दी भी है उनके बारे में वे जरूर कदम उठाएंगे। मैं ज्यादा बोलूंगी नहीं क्योंकि मुझे भी घण्टी बजा के हमारे सभापति महोदय चुप न कर दें। आपसे दो तीन बातें जल्दी-जल्दी बोल दूं ताकि उनको घण्टी न बजानी पड़े।

पुलिस का काम होता है रक्षा करना और आम जनता के लिये कानून-व्यवस्था बनाये रखना। पहले काम होता था केवल रेवेन्यू इकट्ठा करना पटवारी का तहसीलदार का और कलक्टर का लेकिन आज जो पुलिस का काम हो गया है वह विभिन्न प्रकार का काम हो गया है। आज गांवों में रास्ता बन्द हो जाता है तो पुलिस में भागते हैं, अगर आज गांवों में जबर्दस्ती कोई मकान बनाता है तो पुलिस में भागते हैं, अगर ट्रक वाले रास्ता रोक देते हैं तो पुलिस के पास आते हैं। आज जिस प्रकार से पुलिस के विभिन्न प्रकार के काम हो गये हैं उसके बाद में पुलिस का संवेदनशील होना बहुत आवश्यक है। हर आदमी भागकर के इस आशा से पुलिस के पास में जाता है कि पुलिस के पास जाने के

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

बाद कोई न कोई रास्ता मिल जाएगा और जो हमारी तकलीफ या कष्ट है वह दूर हो जाएगा ।

(18·00)

पुलिस आफिसर्स की, पुलिस कर्मचारियों की किस प्रकार की आप ट्रेनिंग करेंगे यह आप जानें लेकिन इस प्रकार की ट्रेनिंग जरूर हो जो आपकी भावना है कि संवेदनशील सरकार होनी चाहिये । जो लोग आए उनके पास अपनी पीड़ा लेकर, उनको वे संवेदनशील होकर सुनें न कि उनके साथ दुर्व्यवहार करें, उनको गालियां दें जैसा कि आजकल थानों में होता है । एक बात से मैं पूर्णतया सहमत हूं, जो बड़े-बड़े थाने हैं वहां पर माननीय सदस्यों ने जैसा बताया था, अगर डिप्टी सुपरिन्टेण्डेण्ट ग्रेड के आदमी को रखा जाए या और भी बड़े थाने हो तो उनमें एडीशनल एस. पी. ग्रेड के आदमी रखे जाएं तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा ।

खैर, इसके बाद में मेरे सामने एक-दो बड़े संकटपूर्ण काम आये हैं. उनको मैं बताना चाहूंगी । एक महिला की अर्जी है जो बीकानेर की रहने वाली है, उसने लिखा है कि मेरी लड़कियों को बीकानेर के रामपुरा बस्ती के थानेदार बुलाते हैं । मुझे ध्यान पड़ता है, शायद इस बारे में क्वेश्चन भी आया था और जवाब दिया गया था कि उस महिला के बारे में अच्छा नहीं समझा जाता । मैं भी एक महिला हूं, इस नाते मैं सिर्फ दो मिनट महिलाओं के बारे में ही बोलना चाहूंगी । महिला अच्छी है या बुरी है ? उसके पीछे क्या मजबूरी रही होगी कि वह बुरी बनी ? कोई भी महिला पैदा होकर अपनी इच्छा से बुरी नहीं बनती । वह कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बच्चियां बिगड़ें, वह कभी नहीं चाहेगी कि उसका परिवार बिगड़े । यह कहना कि वह महिला अच्छी नहीं है इसलिये हम उसकी बच्ची को बुलाएंगे या बुला सकते हैं या इसलिये बुलाया गया तो यह जवाब बहुत गलत था । इस पत्र के बाद में मैं कहना चाहती हूं कि उस महिला की लड़कियों को बुलाया--जिस थानेदार ने या जिसने कब्जा किया, पत्र मैं आपके पास अभी भेज दूंगी, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए । यह कोई कारण नहीं है कि उसकी मां के बारे अगर कोई अच्छी भावना नहीं है तो उसकी बच्चियों के साथ खराब बर्ताव किया जाए ।

दूसरा, आपने महिला थाने खोलने की घोषणा की इसका तो मैं स्वागत करती हूं मुझे बहुत खुशी है मैं किन्तु उसके साथ एक बात जोड़ना चाहती हूं कि महिलाओं को थाने में बुलाया जाता है, मेहरबानी करके उसके बारे में कोई कानून बनाया जाए । कभी भी किसी भी महिला के बारे में कोई शक हो पर उसको अकेले थाने में नहीं बुलाया जाए, उसके साथ कोई बुजुर्ग उसके घर का हो, परिवार की औरत या आदमी हो तभी बुलाया जाए । अकेले में थानेदार या कोई पुलिस वाला किसी भी महिला के साथ में जबर्दस्ती कोई बात न पूछे । इस प्रकार कोई का कानून मेहरबानी करके आप लोग जरूर बनाएं ।.... (समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी) क्योंकि घण्टी

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

बज गयी है मैं, सभापति महोदय, आपकी इच्छा के खिलाफ नहीं बोलना चाहती।

मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिये कोई न कोई रास्ता निकालें क्योंकि ऐसा बताया गया कि थानों में थानेदार हमेशा पी लेते हैं रात को। अकेली महिला को कभी भी थाने में नहीं बुलाया जाए उनके साथ में किसी न किसी को अवश्य बुलाया जाना चाहिये। महिला थाने आप बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, या तो उनमें बुलाया जाए या अगर बहुत ही मजबूरी हो तो उनके घर जाकर वे पूछ सकते हैं लेकिन महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिये।

सिर्फ एक बात मैं और कहूंगी, आप घण्टी न बजाए मेहरबानी करके, दहेज के मामले में। मेरे यहां अभी सांगानेर में हुआ एक केस। दो साल पहले शादी हुई और लड़की मर गयी आत्म-हत्या करके। कोई भी लड़की, कोई भी औरत, कोई भी आदमी जब तक कि इनको टार्चर नहीं किया जाए, मरने के लिये कभी तैयार नहीं होता। यह हर आदमी जानता है, मैं भी जानती हूं आप सब लोग भी जानते हैं कि मरना इतना आसान नहीं है। तभी कोई मरता है जब उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसे केसेज होते हैं कि ससुराल में पहले दिन गयी और दूसरे दिन मर गयी और उसके बाद थानेदार पैसे लेकर तीसरे दिन ही उसको जमानत पर छोड़ देते हैं। मेहरबानी करके ऐसे मामलों में जमानत नहीं होनी चाहिये जब तक कि उनको 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक कोर्ट में नहीं ले जाया जाए, कोर्ट से यह मालूम नहीं हो जाय कि क्या कारण था। या मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाए तब तक इस तरह के मामले में पुलिस को जमानत लेकर नहीं छोड़ना चाहिये। धन्यवाद, सभापतिजी, आपने मुझे समय दिया।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री उगम राज मेहता।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कैलाश मेघवाल को गृह मंत्री बनाया, इस वजह से बनाया कि वे इस विभाग को सम्भालने में सक्षम हैं। मैं मेघवालजी से निवेदन करना चाहूंगा, 24-10-1990, ब्यावर की घटना का, जिस दिन फायरिंग हुई पुलिस की। उसमें आपने बताया कि हवाई फायरिंग हुई इस घटना का माननीय सभापति महोदय, को जो बिराज रहे हैं, तीन बार टेलीफोन पर मैंने निवेदन किया था उस घटना के दिन कि एक व्यक्ति मदन जोशी जो मास्टर है, उसके पांव से गोली बिल्कुल आरपार हुई, एक हरिजन के गर्दन के ऊपर से गोली निकली, एक पी. टी. आई. के मास्टर हाथ पर लगी और एक पुलिस कांस्टेबल जो ड्राइवर था उसके कांच से आंख में लगी जिसके कारण से उसकी आंख नष्ट हो गयी। उसको बीस हजार रुपये दिये गये। मैंने उसको कहा भई, आप बीस हजार रुपये में शांत कैसे हुए? उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति सर्विस में लग

(श्री उगमराज मेहता)

जाए । इसलिये मैं चाहता हूं कि उस ड्राइवर के परिवार का कोई व्यक्ति सर्विस में लग जाय । मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उसको सर्विस में लगायें । मदन जोशी जिसके पांव से गोली आर पार निकली, वह ढाई महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा । सभापति महोदय, भली-भांति आपको मालूम है, इस घटना के दिन मैंने तीन बार आपसे टेलीफोन से बात की थी । उसके बाद मैं अस्पताल में गया, डाक्टर बराबर उसकी जांच पड़ताल करते रहे । वह छुट्टी लेकर आया था, माननीय पंचायत मंत्रीजी से मैंने निवेदन किया था कि उसकी चार-पांच महीने की तनख्वाह है उसकी छुट्टी सेंक्शन करिये पर उसकी छुट्टी भी सेंक्शन नहीं की और सरकार की ओर से उसको सिर्फ पांच हजार रुपये दिये गये । परन्तु उस मदन जोशी की हालत क्या है ? जो एक छोटा-सा मास्टर है पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ? आपने जवाब दिया कि हवाई फायरिंग हुई । हवाई फायरिंग से उसके गोली पांव में आरपार कैसे हो गयी ? माननीय कैलाशजी मेघवाल से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसकी जांच पड़ताल करा कर मुझे जवाब दें ।

दूसरी घटना की ओर मैं आता हूं । 16–17 जनवरी के दिन लुलवा गांव के पास में, लुलवा बखेरों के बाड़े में दो गायें काटी गयीं । सारे गांव वालों ने सदर थाना, ब्यावर के अन्दर रिपोर्ट लिखायी परन्तु आज दिन तक सदर थाने वालों ने कोई कार्यवाही नहीं की । बार-बार मैंने सम्पर्क किया है थानेदारजी से पर थानेदारजी मिलते ही नहीं हैं कहते हैं कि छुट्टी गये । आज दिन तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की । न गिरफ्तारी की गयी । दो गायें काटने वालों से आज दिन तक कोई कोई पूछताछ नहीं की गयी ।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, ब्यावर एक ऐसा एरिया है....

श्री सभापति : आपका गला भी साथ नहीं दे रहा है ।

श्री उगमराज मेहता : आज डेढ़ महीना हो गया वहां पर ए. एस. पी. की पोस्ट खाली है । वहां पर तुरन्त ए.एस.पी लगाया जाए । आप कह रहे हैं, लगा रहे हैं, लगा रहे हैं लेकिन आज तक वहां पर ए. एस. पी नहीं लगा । वहां पर ए.एस.पी. की पोस्ट डेढ़ माह से खाली है । आई. पी. एस. वहां है नहीं और जो आई.पी.एस. लगे हुए थे वे ग्रामीण क्षेत्रों में लगा दिये । हमने कहा था कि आई. पी. एस. यहां लगाएं, चाहे अजमेर लगाएं, हमें कोई चिन्ता नहीं है । उस आई. पी. एस को कहीं भी लगाएं परन्तु हमारे यहां ए. एस. पी. की पोस्ट शीघ्र भरी जाए ।

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आई पी. सी. की धारा 411 हालांकि यह केन्द्र के अधीन है, केन्द्र ही बदल सकता है, इसके अन्तर्गत पुलिस वाले बिना वजह से व्यापारियों को तंग करते हैं । वह नान बेलेबल आफेंस है । मैं चाहता हूं कि

(श्री उगमराज मेहता)

इस प्रकार से व्यापारियों को तंग नहीं किया जाए। इसका कारण है कि किसी का बैर निकालना हो तो पुलिस वाले 411 धारा का दुरुपयोग करते हैं। अगर नान वेलेबल की जगह वेलेबल ले जाएं तो भी कोई आपत्ति नहीं है। उस पर विचार करें और इस प्रकार से उनको राहत दिलाएं।....

मेरे एरिये ब्यावर के आस-पास में बड़ी तादाद में बिहारी लोग आ रहे हैं हर हफ्ते आ रहे हैं। ये बिहारी के नाम से आते हैं पर माइग्रेटेड हैं फ्राम बंगाल, ये बंगाल से आ रहे हैं। हर हफ्ते, हर शुक्रवार को वे आते हैं और आस-पास के गांवों में जाकर बसते हैं और उनकी मीटिंगें होती हैं। दिल्ली से एक आदमी आता है हर हफ्ते और टैक्सी करके सारे एरिये में जाकर पैसा बांटता है उनको जो वहां रह रहे हैं। मैं बार-बार निवेदन करना चाहता हूं कि इस एरिये को बचाइये नहीं तो यह मिनी पाकिस्तान हो जाएगा आने वाले दिनों के अन्दर। मैं आज आग्रह करता हूं कि कैलाशजी मेघवाल से सक्षम मंत्री हैं, कि उसकी जांच पड़ताल कर उनको यहां से बाहर निकालिये नहीं तो आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति वहां पर आ रहे हैं, हर रोज, हर शुक्रवार को वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और मुसाफिरखाने में....

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री उगमराज मेहता : वे इस प्रकार से कार्यवाही करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्तियों को वहां से बाहर निकाला जाए। आज बड़ी तादाद में वहां पर धर्म परिवर्तन करने ..

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री उगमराज मेहता : की आड़ में दाढ़ी बनाने के लिये पचास रुपये व्यक्ति और औरतों को पायजामा पहनाने के लिये

श्री सभापति : वह ठीक है। आ गया आपका।

श्री उगमराज मेहता : डेढ़-डेढ़ सौ, दो-दो सौ रुपया उन गरीबों को देते हैं। उनको नमाज पढ़ने के लिये दो सौ, ढाई सौ रुपये देते हैं....

श्री सभापति : समाप्त हुआ भाषण। श्री विष्णु मोदी जी।

श्री उगमराज मेहता : इस प्रकार से धर्म परिवर्वन कराने के लिये आ रहे हैं, उनको यहां से निकाला जाए।

श्री सभापति : भाषण समाप्त हुआ, माननीय सदस्य, बिराजिये। श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, होम डिमाण्ड पर मैं कुछ कहूं उसके पहले मैं राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही दिनांक 27 अक्टूबर, 1986 की दस लाइनें पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

(श्री विष्णु मोदी)

"श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर विपक्ष सरकार का काम तो करने से रहा। हमारे पास सत्ता नहीं, सत्ता के आधार के ऊपर विधायकों के जो कर्तव्य हैं वे पूरे नहीं कर सकते हैं। उस स्थिति में एक फ्लोर रहता है असेम्बली जिसके अन्दर हम पब्लिक की ग्रिवेंसेज को वेंटिलेट करते हैं। ग्रिवेंसेज वेंटिलेट करने का अधिकार भी हमसे छीन लिया गया तो विपक्ष में बैठने का अर्थ क्या रह गया? इसका परपज क्या है? विरोध पक्ष में और स्पीकर में जान बूझकर हम कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहते हैं। यह विवाद खड़ा हो जाता है इस कारण से कि सदन की कार्यवाही कम समय तक चलती है और जनता की कुछ समस्याएं अधिक होती हैं। हर माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखना चाहेगा। राजस्थान की जनता की समस्याएं रखना चाहेगा। समस्याएं रखने का उसको अवसर नहीं मिलता। सरकार तो बच जाती है कम समय देकर। अध्यक्ष को कह दिया कि इतने दिन विधान सभा चलेगी। अब विधान सभा नियमों के आधार के ऊपर चलाने की चेष्टा करते हैं। नियमों में उन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो स्पीकर और विपक्ष के बीच में कई बार तनाव की स्थिति पैदा होती है। अध्यक्ष महोदय, यह चाहूंगा कि जनता की समस्याओं को हम रख सकें, कम से कम उतने समय तक विधान सभा की कार्यवाही चले। इस सम्बन्ध में आप अपनी शक्ति का अपने पद का और आप अपनी गरिमा का सही प्रकार से उपयोग करें तो इन सारी समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाएगा। आज सत्ता पक्ष के कई सदस्य डिबेट में भाग में लेते हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उन सदस्यों का कहना तो मंत्री वैसे ही सुन लेते हैं। हमें तो न मंत्री सुनते हैं, न कहने का मौका मिलता है। इस कारण से हम कुछ ज्यादा ही दुःखी हैं।"

सभापति महोदय, जिस तरह से आप घण्टी बजा रहे थे इसलिये मुझे कहना पड़ गया कि आप मुझे भी दो मिनट बाद घण्टी बजाकर बिठाएं तो मैं कम से कम आपके नेता का दिया हुआ वक्तव्य आपको सुनाऊं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ये आदर करेंगे।

श्री सभापति : इस पर फिर माननीय पूनमचन्दजी ने जो व्यवस्था दी थी वह भी मुझे याद है। वह मैं अभी नहीं बता रहा हूं, घंटी बजाऊंगा तब पता चलेगा।

श्री विष्णु मोदी : देश के कायदे-कानूनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन तंत्र पर है....

श्री सभापति : माननीय पूनमचन्दजी ने कहा था कि मेरे लिये सदन के सभी माननीय सदस्य बराबर हैं, मैं सबको बराबर समय देता हूं।

श्री विष्णु मोदी : सदस्य सभी बराबर हैं।

कायदे-कानून की सुरक्षा की व्यवस्था जिस पुलिस तंत्र पर है वह पुलिस तंत्र मूल रूप से अंग्रेजों का बनाया हुआ तंत्र है।

(श्री विष्णु मोदी)

22 मार्च, 1861, आज भी 22 मार्च है, आज से ठीक 133 साल पहले इंडियन पुलिस एक्ट बना था और हमारी दंड संहिताएं बनी थीं। उस वक्त जो ब्रिटिश शासन था उसने इस पुलिस को ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधिकार कैसे सुरक्षित रह सकें, कैसे उनका जो उपनिवेशन था उसके खिलाफ कोई बात नहीं उठा सके, इसके लिये उन्होंने पुलिस के कायदे-कानून बनाये थे। उन कायदे-कानूनों में जनता के हितों की रक्षा की कोई बात हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। 1902 में फिर प्रयास हुआ कि कुछ इसका ढांचा सुधारा जाए लेकिन उसमें कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन होने के बाद कोई विशेष परिवर्तन हो नहीं पाया। संथानम कमेटी जो 1958 में बनी उसने बहुत ठोस सुझाव दिये थे लेकिन वे फाइल के अन्दर बन्द रहे और उसके अन्दर कुछ ज्यादा सुधार नहीं हो पाया। आजादी के के बाद से हमारे यहां शिक्षा का प्रसार हुआ, विकास हुआ, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश को तरक्की के रास्ते पर लाया गया, आरक्षण की व्यवस्था हुई और इस तरह के काम हुए जिनसे चेतना बढ़ी। व्यस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया तो उससे लोगों को परखने का मौका मिला कि पुलिस का किस तरह से क्या काम हो रहा है। किस तरह से उनको कर्तव्य निभाना चाहिये उसको परखने का भी उनको मौका मिला। जब इन बातों को नागरिकों ने समझा, देखने की कोशिश की तो जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं, जिनके ऊपर शासन का या पुलिस तंत्र का, या कानून व्यवस्था बनाने का जिम्मा है वे काफी संदेह के घेरे में आ गये जनता यह महसूस करती है कि पुलिस से जितनी उनकी रक्षा होनी चाहिये, जितना पुलिस को तत्पर होना चाहिये. उतनी वह तत्पर नहीं है। विकास के साथ-साथ बुराइयां भी हुईं। हमारे हुक्मरानो ने यह समझा कि पुलिस सारी समस्याओं को हल कर देगी। जनसंख्या के बढ़ने, औद्योगीकरण बढ़ने के साथ जितनी तेजी से हम आगे बढ़े उतनी समस्याएं भी बढ़ीं. लेकिन हम उन समस्याओं की जड़ रूप में नहीं पहुंच सके कि आखिर ये समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं और इसका क्या कारण हो सकता है। हमने खाली यह समझा कि सारी समस्याओं का हल पुलिस हो जाएगी। लेकिन, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक पुलिस में इस तरह का वातावरण नहीं बनाया जाएगा वहां पर व्यावसायिक तरह से, सद्व्यवहारी की तरह से, सर्वामिसिववे से जब तक पुलिस व्यवहार नहीं करेगी तब तक मैं समझता हूं कि उसका कोई सीधा हल नहीं निकल पाएगा। अनेक कर्मचारी जो अच्छे होते हैं, उनको हम किन्हीं कारणों से उनका अच्छा हक नहीं दिला पाते हैं, उससे भी असंतोष आता है।

जो प्रतिवेदन आपने दिया है मैं उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान में जितने आपराधिक मामले दर्ज हुए उसमें सफलता पुलिस की मात्र 21 पर्सेण्ट है। आज हम यह मानते हैं कि पुलिस सारी बातों की व्यवस्था करेगी लेकिन आज वास्तव में कोई चोरी हो गयी, डकेती हो गयी, या और कोई

(श्री विष्णु मोदी)

अपराध हो गया, उसकी खोज पर या सफलता प्राप्त करने के लिये तो उनके पास समय ही नहीं है। उनका समय तो बाकी के और सारे कामों में निकल जाता है और वही एक कारण है कि 21 पर्सेण्ट सफलता राजस्थान के अन्दर पिछले साल में पुलिस की रही जितने मुकदमे दर्ज हुए थे उनमें। मैं समझता हूं, ये जो फिगर हैं हैं काफी चिन्ताजनक हैं। जैसे संवेदनशील सरकार है, 21 पर्सेण्ट से अगर उसकी संवेदना है, और ठीक समझती है तो मैं समझता हूं कि वह राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं करेगी। अगर पुलिस अक्षम है, सक्षम नहीं है तो उसको चुस्त करें और जो कमियां हैं उनको दुरस्त करें। खाली 21 पर्सेण्ट का प्रतिवेदन में लिखकर उससे कोई छुटकारा नहीं पाया जा सकता।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर जितनी पुलिस होनी चाहिये, आंकड़े हैं कि 870 आदमियों के पीछे हमारे भारत में एक पुलिसकर्मी है। राजस्थान का आंकड़ा तो नहीं है लेकिन इंग्लैंड में 362 आदमियों के पीछे एक पुलिसकर्मी है, फ्रांस के अन्दर 300 आदमियों के पीछे एक पुलिसकर्मी और अमरीका में 500 आदमियों के पीछे एक पुलिसकर्मी है।

श्री सभापति : क्राइम रेट भी वहां ज्यादा है, बहुत ज्यादा।

श्री विष्णु मोदी : क्राइम रेट हमारी भी कम है।

श्री सभापति : उनकी बहुत कम है।

श्री विष्णु मोदी : जो मुकदमे दर्ज हुए हैं पिछले सालों में, उससे क्राइम रेट भी बढ़ती जा रही है, आप देखेंगे।

श्री सभापति : आपके पास वे आंकड़े हों तो बताएं सदन को।

श्री विष्णु मोदी : मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने पुलिसकर्मी हैं, वे कम हैं और उनकी संख्या बढ़ायी जाए, उनको आधुनिक संचार व्यवस्था से जोड़ा जाना चाहिये, आधुनिक, अत्याधुनिक हथियार उनके पास होने चाहिये। गाड़ी व इस तरीके के ऐसे और साधन भी होने चाहिये जिससे कि वे इन

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

सबको देख सकें तथा हमारे क्राइम रेट, जितने मुकदमे दर्ज हो रहे हैं,...

श्री सभापति : बोलें, बोलें। दो मिनट और बोलें।

श्री विष्णु मोदी : उसमें बढ़ोत्तरी हो। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से...

एक माननीय सदस्य : सीकरवाद।

श्री सभापति : मेरी पहली घण्टी पांच मिनट में बज जाती है।

श्री विष्णु मोदी : एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में आज करीब-करीब हर जिले में खनिज का व्यवसाय होता है, वहां एक्सप्लोजिव खनिज निकालने वाला, दोहन करने वाला रखता है। अमूमन आज यह एक धन्धा हो गया है, एक्सप्लोजिव की चोरी जिस तेज गति से हो रही है, माननीय गृह मंत्रीजी आंकड़े उठाकर देखेंगे कि कोई ऐसा महीना नहीं जाता जबकि 50-60-70 एक्सप्लोजिव चोरी होने की एफ आई.आर. दर्ज न हो। अगर वह एक्सप्लोजिव जिस के लाइसेंस नहीं हैं वही चोरी कराकर काम में ले रहा है तो भी गलत है लेकिन मेरा डर इससे ज्यादा कहीं आगे बढ़ रहा है। मैंने कुछ समाचार पत्रों में पढ़ा है कि इस बात का बहुत ज्यादा खतरा है कि वह एक्सप्लोजिव कहीं टैररिस्टों के हाथ में नहीं लगे और उसमें कोई कहीं वह उपयोग न हो। तो मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी को विशेषकर निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की व्यवस्था करें कि जहां भी एक्सप्लोजिव चोरी की रिपोर्ट हो वह लोजिकल कन्क्लूजन पर निश्चित रूप से पहुंचे। माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री विष्णु मोदी : एक मिनट में खत्म कर देता हूं मैं। आज हमारी जो सीमा है उसके ऊपर तस्करी की जितनी वारदातें बढ़ रही हैं और जिस.... (व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता : माननीय सभापति महोदय, एक सैकण्ड, बहुत जरूरी बात है। कल पुलिस थाने में हमारा एक कार्यकर्ता गया कि हरियाणा से गुण्डे लाये गये उसके बारे बारे में क्या किया ? तो पुलिस वालों ने हमारे 20 आदमियों के खिलाफ असत्य मुकदमा कायम कर दिया। वहां के पण्डों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और उसमें मिलीभगत से यह हुआ है।

श्री सभापति : बिराजें, माननीय सदस्य, बाधा न डालें। बिराजें आप।

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, मैं खाली दो-तीन आंकड़े देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। 1991-92 और 1993 में पकड़ी गयी तस्करी के सम्बन्ध में। हेरोइन जहां 32 करोड़ रुपये की थी वहां 1993 में 52 करोड़ रुपये की हो गयी, चरस आठ करोड़ 87 लाख की हो गयी, सोना तीन लाख 61 हजार और चांदी 26,50,343 रुपये की। पिछले वर्षों से हमारी सीमा पर जो तस्करी है वह काफी बढ़ रही है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का इस पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सीमा पर तस्करी जो होती है उसमें बहुत सेंसेटिव रूप से ध्यान दें। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री श्रवण लाल। श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सभापति महोदय, यहां हमारे मित्र रहते हैं वहां जाकर हमें भूल जाते हैं।

श्री सभापति : बिराजिये। मैंने पहले पुकारा है। श्री श्रवणलाल।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : ऐसे तो मत किया करो आप। ताराजी भी भूल जाती हैं, यहां आकर बिराजती हैं तब तो ठीक है....

श्री सभापति : श्री श्रवण लाल।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : हमें याद तो रख लिया करो।

श्री सभापति : मैंने रूपारामजी को पहले पुकारा था, वे अनुपस्थित थे।

एक माननीय सदस्य : अब वे बाद में बोलेंगे।

श्री सभापति : श्री श्रवणलालजी, बोलिये।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी) : माननीय सभापतिजी, मांग संख्या–16 पुलिस पर जो चर्चा हो रही है उसके ऊपर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि थानों के अन्दर कम्प्यूटर सिस्टम लागू होने के बाद में जो स्टेशनरी की कमी पड़ती है, कोई भी अगर वहां रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये जाता है तो सब से पहले पुलिस की मांग होती है कि स्टेशनरी लेकर आओ। सौ-दो सौ रुपये की पहले स्टेशनरी मंगाते हैं उसके बाद में इसकी प्रक्रिया चालू होती है। पहले तो मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को यह निवेदन करूंगा कि थानों के अन्दर जो स्टेशनरी है वह अपने विभाग से ही दी जाये जिससे जाने वाले आदमी के पहले ही कपड़े नहीं उतारे जाएं।

नम्बर दो, पुलिस संख्या में सन् 1952 के बाद में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्राइम्स में बढ़ोतरी हुई है परन्तु पुलिस की जो संख्या है वह 12 सिपाही, एक हैड कांस्टेबल, एक थानेदार और एक एस. आई की संख्या लगा रखी है। जिस द्रुत गति से अपराध बढ़ रहे हैं उसी तरह से पुलिस की संख्या भी बढ़ायी जाए। चार लोग ड्यूटी पर होते हैं, दो गांवों में सम्मन लेकर चले जाते हैं, एक पुलिस का आदमी एफ. आई. आर. लेकर कोर्ट में चला जाता है और पीछे केवल दो मिलते हैं। अगर कहीं भी कोई झगड़ा हो गया तो थानेदार के मुंह से यह निकलेगा कि थानेदार साहब को डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर पर एस.पी. साहब ने बुला लिया और हमारे पास तो पुलिस है ही नहीं। तो इस प्रकार अपराधों को देखते हुए पुलिस की संख्या भी बढ़ायी जाए जिससे कि अपराधों को रोका जाए और इस पर कुछ नियन्त्रण रखा जाए।

नम्बर तीन, लेडीज पुलिस को क्रमोन्नत किया जाता है तो जैन्ट्स पुलिस के साथ में उसकी नियुक्ति नहीं की जाए। इनका सारा सिस्टम अलग से किया जाए जिससे कि महिलाओं को प्रोत्साहन मिले। इनकी सुविधा भी अच्छी होनी चाहिये। जैसे थानों के अन्दर कांस्टेबल को 132 रुपये प्रतिमाह मैस भत्ता मिलता है। चार रुपये तीस तीस पैसे में आज कोई चार रोटी नहीं खिला सकता, इनको + + + को 132 रुपये प्रतिमाह का मैस भत्ता मिलता है। मैं मंत्रीजी को निवेदन करूंगा, आज ही हाउस में अनाउन्स करें कि तीन सौ

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री श्रवणकुमार)

रुपये कम इनको मैस अलाउन्स दिया जाय जिससे कि जो अपराध बढ़ रहे हैं उनको कुछ हद तक रोका जा सके।

वर्दी, पुलिस को सात साल में पांच सौ रुपये वर्दी के दिये जाते हैं। 500 रुपये में एक जूते की जोड़ी नहीं आती तो सात साल तक यह वर्दी कैसे चल सकती है? स्वयं पहनने वाले इनके जो अधिकारी हैं इनसे पूछें तो इनके एक पैण्ट-शर्ट के एक हजार रुपये लगते हैं। क्या कांस्टेबल को वर्दी कोई फ्री मिलती है? ये अपराध क्यों करते हैं? अपराध इनके अधिकारी इनसे करवाते हैं। अगर इनको 5–7 साल में सात हजार रुपये वर्दी के देंगे तो अपराधों में कुछ घटौती आएगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि कांस्टेबल जो एक गरीब कांस्टेबल है, उसकी तरफ देखा जाए। उनको 500 रुपये जो सात साल में वर्दी के दिये जाते हैं, सात सौ और पांच सौ में जूते और चप्पल की जोड़ी नहीं आती है और ये सात साल तक वर्दी के भुगतने पड़ते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज ही हाउस में अनाउन्स करें और सात साल में कम से कम पांच हजार रुपये इनको वर्दी के मिलने चाहिये जिससे कि पुलिस के अन्दर मनोबल बढ़े और इनको कुछ प्रोत्साहन दिया जाए।

एक बात मैं, माननीय सभापतिजी, जो बड़ी दयनीय स्थिति है उसको भी आपके सामने रखूंगा और मंत्रीजी को यह अवगत कराना चाहूंगा आपके माध्यम से कि कोई भी थानों के अन्दर चरित्र प्रमाण पत्र लेने के लिये जब जाता है थाने वाले क्या कहते हैं? एस. पी. साहब के पास जाओ। एस. पी. साहब क्या कहते हैं कि जहां आप भर्ती हो जाओगे वहां से आएगा लैटर तब आपको चरित्र प्रमाण-पत्र देंगे। तो आप देखिए, पहले तो नौकरी मिलती नहीं है और नौकरी के लिये कहीं लाइन में खड़ा होने के लिये जाते हैं उससे पहले चरित्र प्रमाण-पत्र मांग लेते हैं। और पुलिस वाले क्या कहते हैं कि चरित्र प्रमाण पत्र तो कमाण्डेण्ट साहब मांगेंगे तब देंगे। कमाण्डेण्ट साहब को ऐसी क्या जरूरत पड़ गयी जो उस लड़के के लिये चरित्र प्रमाण पत्र थानों से मांगेंगे? इसलिये आज ही हाउस में अनाउन्स किया जाए और थानों के अन्दर उसके चरित्र रेकार्ड को देखकर उसको चरित्र प्रमाण-पत्र थानेदार से दिलाया जाए जिससे कि उस स्टूडेण्ट का मनोबल बढ़े। और जहां भी वह एप्लाई करने के लिये जाए तो उसको आगे धक्के नहीं लगें। इसलिये यह बहुत जरूरी पाइण्ट है, कृपा करके इस पर ध्यान दिया जाए।

थानों के अन्दर जो गाड़ियां हैं, जो विलिज गाड़ियां बनी थीं, 1954 के बाद में, ऐसी पुरानी से पुरानी ऐसे रूरल के थानों में दे रखी हैं जिसको अगर कोई अपराध हो जाता है तो दस धक्के मारने वालों की जरूरत होती है। अगर कहीं धक्के मारने वाले आदमी नहीं हैं तो गाड़ी भी नहीं चलेगी। इसलिये इन अपराधों को बढ़ते हुए थानों में कम से कम एक गाड़ी नयी जाए और तेल की खपत पर 100 लीटर प्रतिमाह की पाबन्दी लगा रखी है, उसको हटाकर कम से कम 200

(श्री श्रवणकुमार)

लीटर प्रतिमाह रखा जाए जिससे कि अपराधों को रोका जा सके।

सभापतिजी, पुलिस के लिये कहते हैं कि पुलिस भ्रष्ट है। इस बात को तो मैं मानता हूं कि पुलिस में 60 फीसदी लोग भ्रष्ट हैं लेकिन नेता लोग इनके ऊपर प्रेसर डाल कर इनसे गलत काम करवाते हैं इसलिये ये वशीभूत हो जाते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा और इसी कारण वे गलत काम करते हैं। मारवाड़ी में एक कहावत है कि जंगल में अगर शेर आ जाए तो गीदड़ घूम नहीं सकता, घुर में रहता है। जहां जिले का एस. पी. सख्त और सच्चा होगा उस जिले के थानेदार और सिपाही पैसा नहीं खा सकते। मारवाड़ी में कहा गया है कि बकरी को अगर कुत्ता दिख जाए तो दूध नहीं देगी, मींगनी कर सकती है। इसलिए जहां पर एस.पी., डी.आई.जी. और डी.जी. सच्चा होगा उस जिले का और उस स्टेट का कोई भी आदमी पैसे नहीं खा सकता है। यहां मैं अवगत कराना चाहूंगा कि ऊपर से नीचे तक का प्रशासन भ्रष्ट है इसलिये यहां की पुलिस में नीचे के सिपाही और थानेदार को भ्रष्ट बताया जाता है। ऊपर के अधिकारी सच्चे हो, जाएंगे तो नीचे के कर्मचारी की कोई हिम्मत नहीं है कि वह भ्रष्टाचार में लिप्त हो, परन्तु नीचे पैसा ऊपर पहुंच जाता है और चुपचाप शांति मिल जाती है। मैं ज्यादा नहीं कह कर निवेदन करूंगा कि नीचे वाले का कसूर क्या है? उसका कसूर कम है, ऊपर वाले का ज्यादा है। आपने मुझे समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री ओम प्रकाश शर्मा।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सभापति जी, रूपाराम जी को बुलवा लें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक बार माननीय सदस्य का नाम पुकारा वे नहीं थे। अब बार-बार नहीं पुकारते हैं। अब तो एक बार सूची पूरी हो जाने के बाद में ही दुबारा पुकारा जा सकता है।

श्री ओम प्रकाश जी शर्मा नहीं बोल रहे हैं तो श्री बद्री प्रसाद गुरुजी।

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़) **:** आदरणीय सभापति महोदय, पुलिस की डिमाण्ड पर चर्चा हो रही है। पुलिस का नाम जब आता है तो मन में एक कल्पना होती है, लोग सोचते हैं कि हमारा कष्ट दूर करेंगे, कोई पीड़ित व्यक्ति फरियाद लेकर जाएगा तो उसे राहत मिलेगी। कहीं लूट हुई, डकैती हुई है तो उससे राहत मिलेगी लेकिन जब हम आज देखते हैं, जब आत्मावलोकन करते हैं और इस स्थिति पर विचार करते हैं तो मन को तो पीड़ा होता है। अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे वे अच्छे सुझाव दे रहे थे। बहुत-सी बातें जो मैं बोलना चाहता था वे माननीय कालीचरण जी बोल गये।

श्री सभापति : आप नहीं बोलना चाहते हैं क्या?

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : बोल रहा हूं।

श्री सभापति : तो फिर बोलिये न।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : सभापति महोदय, पुलिस की स्थिति बड़ी चिन्तनीय और दयनीय है। मैं ज्यादा इस विषय पर नहीं बोलूंगा। मैं तो माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी राजनैतिक आधार पर लगाये गये मुकदमे हटाने की। राजनैतिक आधार पर मेरे क्षेत्र में भी काफी लोगों पर मुकदमे लगाये गये हैं, उनको हटाया जाए।

दूसरी बात, अभी माननीय विष्णु जी मोदी बोल रहे थे एक्सप्लोजिव की समस्या के बारे में। वास्तव में यह बहुत जटिल समस्या है। माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में काफी कम्प्रेशर्स चलते हैं, माइन्स भी हैं लेकिन इण्डियन एक्सप्लोजिव एक्ट में कहीं माइन्स वालों को एक्सप्लोजिव देने का कानून नहीं है। उससे क्या होता है कि एक्सप्लोजिव अवैध रूप में मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि जब सरकार स्वयं यह स्वीकार करती है कि बगैर एक्सप्लोजिव के माइन्स नहीं चल सकती हैं तो केन्द्रीय सरकार से और केन्द्रीय गृह मंत्रालय से बात करें और एक्सप्लोजिव की व्यवस्था माइन्स वालों के लिये कराएं। खेत वाले, कुएं वाले लाइसेन्स ले सकते हैं लेकिन कम्प्रेशर वाले लाइसेन्स भी नहीं ले सकते हैं। कुएं वाले बेचारे कहां लाइसेन्स लेने जाएं? कम्प्रेशर वाले ही एक्सप्लोजिव रखते हैं। इसकी आड़ में पुलिस भयंकर भ्रष्टाचार करती है। एक रुपये की चीज 10 रुपये में मिलती है। तो मैं यह चाहूंगा कि इस पर आप ध्यान दें और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से बात करके इसकी व्यवस्था कराएं।

एक समस्या आर्म्स की है। कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका आर्म्स लाइसेन्स उसके बेटे के नाम पर और किसी के नाम पर हो जाता है। अभी राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है। पहले तो थानेदार की रिपोर्ट, डीएसपी. की रिपोर्ट, एसपी. की रिपोर्ट पर कलेक्टर उसको लाइसेन्स दे देता था लेकिन आज एक नया आदेश और जोड़ दिया गया और डीजी. के यहां जो अधिकारी हैं सीआईडी. के, उनके पास वह फाइल जाती है और उनकी क्लियरेन्स मिलने के बाद आर्म्स का लाइसेंस नया दिया जाता है। ठीक है, नया लाइसेंस देने में यह प्रक्रिया अपनाएं तो कोई बात नहीं है लेकिन जब पुराना लाइसेन्स है तो उसके लिये भी यही लम्बी प्रक्रिया और वह भी लाइसेन्स जमा कराओ, स्थिति यह हो जाती है। जो आदमी मर जाता है उन्हीं के नाम से जो लाइसेन्स करते हैं उसमें तो कम से कम यह स्थिति नहीं हो।

तीसरी बात यह है कि गांवों में जो लोग रहते हैं उनके पास टोपीदार बन्दूकें हैं। गांव वाले बेचारे कानूनी प्रक्रिया नहीं समझते हैं और किसी के पिता के पास लाइसेन्स था बेटा कानून को नहीं समझता है, ग्रामीण लोग हैं, अनपढ़ हैं। टोपीदार बन्दूक मेरे क्षेत्र में तो ज्यादातर भीलों के पास हैं और दूसरे जो जंगलों में रहते हैं, टोपीदार बन्दूकों के लाइसेन्स उनके पास नहीं हैं। आप उनको थोड़ी सुविधा दें। आज उनकी बन्दूकें जब्त कर ली गयी हैं। अभी कह रहे थे अवैध हथियार पकड़े। वे अवैध हथियार नहीं हैं एक्चुअली। उसमें से ज्यादातर वे हथियार हैं जिनके लाइसेन्स लोग रिन्यू नहीं करा सके। वे कानून को

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

नहीं समझते हैं, वे समय पर नहीं पहुंच सके इसलिये वे लाइसेन्स भी रिन्यू नहीं करा सके। यह एक मोटी बात है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

चौथी बात, मैंने माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन किया था कि मेरे क्षेत्र में थानों की ऐसी हालत है कि आज कोई भी थानेदार ऐसा नहीं है जो मेरे क्षेत्र में जाना चाहता हो। स्थिति यह है कि पर्दा न उठाओ, पर्दा गिर गया तो भेद खुल जायेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री परसादीलाल मीणा

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : माननीय सभापति महोदय, आज पुलिस की मांग पर चर्चा हो रही है और गृह मंत्रीजी शायद स्थान पर ही नहीं हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह मुझे काम बता गये।

श्री सभापति : सदन में ही हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदय, पुलिस की आलोचना और प्रत्यालोचना दोनों ही होती हैं। पुलिस में अच्छे लोगों को सीआई. में रखा जाता है और जो लोग चापलूस होते हैं, जो लोग भ्रष्ट होते हैं, जो लोग चालाक होते हैं और इधर-उधर के जो लोग धंधे करते हैं, उनको थाने में तैनात किया जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वे तैनात क्यों हो जाते हैं? वे पोलिटिकल प्रेशर से होते हैं। थानों की आज हालत यह हो गयी है कि थाने में वही गरीब व्यक्ति जाएगा जिसको पुलिस की मदद की जरूरत होगी। लेकिन वह अपनी अर्जी लेकर थाने जाएगा तो उसको न्याय भी मिलेगा या नहीं क्योंकि उसकी तो रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती है। यह प्रेक्टिकल बात है, सभापति महोदय। तब दर्ज होगी जब उसके ऊपर बैंट होगा या कागज मंगवाएंगे या दूसरे साधन मंगवाएंगे। आज पुलिस की बदनामी अच्छे लोग नहीं होने के कारण हो रही है। यदि अच्छे लोगों को आज सी.आई.डी. में लगाते हैं तो वे कह रहे हैं कि हम तो सी.आई.डी. में ही अच्छे हैं, रोज-रोज यस सर-यस सर कहना होता है। एसपी. के आगे इनके बड़े से बड़े मातहत अधिकारी यस सर के अलावा और आगे कुछ नहीं बोलते हैं। एपी. ने कह दिया वह सही है। आज श्री कैलाश मेघवाल को राजस्थान के मुख्य मंत्री ने कुछ आशा के साथ गृह मंत्री बनाया है क्योंकि अनुसूचित जातियों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी जमीनों पर अतिक्रमण हो रहे हैं। उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, पुलिस थानों में उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। पहले सम्पत राम जी को भी बनाया था, भैरोंसिंह जी ने ही बनाया था, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मेघवाल जी का प्रयोग किया है इससे कितना फर्क पड़ेगा, कितना नहीं पड़ेगा यह तो भविष्य की बात है, आज मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, एससी. और एसटी. पर जो अत्याचार होते हैं, जो बलात्कार की घटनाएं होती हैं वे 1993 में सबसे

(श्री परसादीलाल मीणा)

ज्यादा हुई हैं। बलात्कार की डीएसपी. जांच करता है, इस तरह की जांच के लिये महिला डी.एस.पी. को लगाया जाए तब तो उसके बयान अच्छी तरह से हो सकते हैं। उस महिला के जिसके साथ बलात्कार की घटना हुई है, उसके बयान भी अच्छी तरह से महिला पुलिस ले सकती है, महिला पुलिस का अधिकारी ले सकता है। डीएसपी. वहां जाएगा तो अपने साथ जो घटना है उस घटना को वह महिला सही रूप से उसके सामने नहीं रख सकती है। यही कारण है कि 1993 में 113 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। मैं आपको बिलकुल सही स्थिति कहूंगा। कैलाश जी कि जैसे प्रयोग किया है एससी के संरक्षण के लिये, हमारे जिले में कलक्टर हैं बी पी. आर्य। उन्होंने आने के बाद हरिजनों की जमीन से 300–400 लोगों को कब्जे दिलाये हैं। लोग 20–20 साल से, 10-10 साल से रोते फिर रहे थे, उनकी किसी ने सुनी नहीं।

(18.40)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

यह बात तो सही है कि अगर ईमानदारी से एस.सी. का आदमी काम करने की कोशिश करे तो उसमें सुधार हो सकता है। जुगताराम प्रकरण बहुत शर्मिन्दगी और कलंक की बात थी, पर आज पुलिस जिस तरह का व्यवहार कर रही है, पुलिस का जो रवैया है उसमें परिवर्तन नहीं आया है। उसका कारण है कि पुलिस का रवैया ही, पुलिस का ढंग ही, पुलिस का तजुर्बा ही आज इस तरह का हो गया। उनके पास आधुनिक तरीके नहीं कि वे चोरी की वारदात को कबूल करा सकें। वहां तो थानों में थर्ड ग्रेड के लोग बैठे हैं। कई लोग जो पहले सिपाही भर्ती हुए थे, आज वे एएसआई. हो गये। डाइरेक्ट जो इंस्पेक्टर बनेगा या सब इंस्पेक्टर बनेगा उसको थाना इसलिये नहीं दिया जाता कि वह अनुभवी नहीं है। अनुभवी वह है जो सिपाही से जाकर ऊपर बनता है। उसका वही तरीका है जो सिपाही के समय उसका था, वही पुरानी थर्ड ग्रेड। आज जो थानों में मौतें हो रही हैं, थानों में जुगताराम जैसी घटनाएं हो रही हैं थानों में मारपिटाई की घटनाएं हो रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि थानों में अच्छे, योग्य लोगों को भर्ती होने नहीं किया जाता। जब पुलिस में भर्ती होती है तो वे ही लोग पुलिस में भर्ती होने के लिये आते हैं जिनको दुनिया में कहीं नौकरी नहीं मिलती है। आखिर में यह सोच कर कि कहीं नहीं तो अपन पुलिस में कांस्टेबल ही बन जाएं। उनको सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। वह मन से नौकरी करने के लिये नहीं आया है। पुलिस की क्या सुविधा है, क्या काम है, कितना देना पड़ता है उन कांस्टेबलों को? कितनी उनको बेगार देनी पड़ती है? कई कांस्टेबल तो दो-दो, पांच-पांच साल से अधिकारियों के यहां भैंसों के गोबर ही डाल रहे हैं, कई उनकी फुलवारी कर रहे हैं। इस तरह उनका शोषित जीवन है। वे इस तरह फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हमारा भी क्या जीवन है, क्या हम नौकरी कर रहे हैं। जब वे किसी तरह थाने में लगते

(श्री परसादीलाल मीणा)

हैं तो उसकी सारी क्षतिपूर्ति फ्रस्ट्रेट होकर करते हैं। यह जरूर है कि आज पुलिस में मैट्रिक पास व्यक्ति को ही लगाया जाता है।

मैं आपसे कहूंगा कि अगर सरकार पुलिस कांस्टेबल में बी.ए., एम.ए. भी ले तो कहीं कोई कमी नहीं है। यह कह दें कि कि अच्छे, पढ़े-लिखे, बी.ए., एम.ए. योग्यता वालों को कांस्टेबल में भी भर्ती करेंगे, पर उसकी सुविधाएं, उसका वेतन, उसके भत्ते भी उसी तरह के दें जिस तरह एक सैकण्ड ग्रेड कर्मचारी को मिलते हैं, मास्टर ग्रेड वालों को मिलते हैं, जैसे उनकी वेतन वृद्धि होती है। उनकी वेतन वृद्धि भी एसपी. की मर्जी पर है, अगर एसपी. का जरा-सा भी नो सर हो गया, यस सर नहीं कहा तो उसकी वेतन वृद्धि रूक गयी, उसका काम-काज रुक गया। आज थानों में अच्छे लोगों की कमी हैं क्योंकि अच्छे लोग थानों में तैनात नहीं किये जाते। वह सारा एसपी. की मर्जी पर है, एक महीने किसको लगा दिया, दो महीने किसको लगा दिया, 15 दिन किसको लगा दिया। स्थायी तौर पर थाने की जिम्मेदारी दी जाए की कि अगर उस क्षेत्र में चोरी हो गयी, कोई बलात्कार हो गया तो यह आपकी जिम्मेदारी है। वह कहता है, मेरे को तो यहां एक महीने रहना है, अधिक समय तक थोड़े ही रहना है। वे जानते हैं कि मेरी पोस्टिंग एसपी. की मर्जी पर है। एस.पी. यहां से कब स्थानान्तरण कर दे, यह उसको कभी पता नहीं रहता। कोई स्थायित्व नहीं है, थानों में कोई जिम्मेदारी नहीं है इसलिये आज ये सारी घटनाएं हो रही हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दहेज की हत्याएं आज बढ़ रही हैं। हैं। मेरे इलाके का एक दहेज का प्रकरण है। लालसोट की एक लड़की थी नीलम, उसकी शादी 12 जून को हुई थी। मैं भी उस शादी में गया था। किस तरह दर्दनाक उसकी हत्या की गयी! एक महीने भी वह दुल्हन नहीं रह सकी, उसकी मेंहदी भी नहीं छूट सकी और 23 जून को उसकी हत्या कर दी गयी, कुएं में डाल दी गयी। कोई मेडिकल नहीं कराया, कोई पुलिस में सूचना नहीं दी। वह दुल्हन नीलम हमारे लालसोट की बेटी थी, तुंगा में ब्याही थी। कुएं से निकल कर जीप में डाल कर ले जाकर उसका दाह-संस्कार कर दिया गया। लालसोट के लोग आये, लालसोट में एक आन्दोलन हुआ। सारा लालसोट बन्द हो गया। इलाके के लोग तुंगा पर आये और वहां उन्होंने एक शोक सभा की और सरकार से यह मांग की कि इसकी निष्पक्ष जांच कराएं। मैंने भी वहां तत्कालीन एस.पी. से बात की, पर, सभापति महोदय, आपको ताज्जुब होगा कि उस हत्या काण्ड के एक भी मुल्जिम को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उस हत्या करने वालों ने सबसे पहले पुलिस में अपना इन्तजाम किया, वहां पर भरपूर पैसा दिया। आप सोच सकते हैं, सभापति महोदय, कि वह दुल्हन थी, एक महीने भी अपने ससुराल नहीं रही उसकी हत्या होने का क्या कारण है। क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे हैं? ऐसा जघन्य

(श्री परसादीलाल मीणा)

अपराध हो और पुलिस चुपचाप बैठी रहे। उसमें मैं थानेदार का कोई दोष नहीं मानता, उसमें ए.सपी. और एडिशनल एसपी. दोनों ही इन्वाल्वड हैं, उन दोनों की जिम्मेदारी है। वे सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, सी आई डी. में फाइल भिजवा दी। क्या होगा सीआईडी. में? ऐसी घटनाएं हो रही हैं आज, और मुख्य मंत्री जी ने एक स्टेटमैण्ट दे दिया कि थानों में अब कोई मारपीट नहीं होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अगर किसी के साथ ज्यादती होगी तो हम उस थानेदार को हटा देंगे। मेरे पास आज सुबह, सभापति महोदय, आपके ही जिले के लोग आये थे। बेणीथाना गांव का वह रहने वाला था, वहां का सरपंच भी आया और 15-20 लोग आये। 20 या 18 मार्च को कोई एक कृषक अपनी गाड़ी से सरसों की बोरियां लेकर आया था। वहां पर पुलिस की एक चौकी थी, हर गाड़ी वाले से पुलिस के सिपाही 20 रुपये ले रहे थे। वह मण्डी में आया था, उसने 20 रुपये नहीं दिए उसको बन्द कर दिया। उसकी इस कदर पिटाई की है, उसका मेडिकल है। कोई मुकदमा नहीं, कोई बात नहीं, कोई लेना देना नहीं पुलिस में। तीन दिन तक बन्द रखा है उसको। उसका बाद में मेडिकल कराया। आज वह प्रहलाद सन आफ बिहारी लाल....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, उदाहरणों की कमी नहीं है, अब समाप्त करें।

श्री परसादीलाल मीणा : पुलिस में जो मार होती है, जो अत्याचार हो रहे हैं मैं उसकी बात बता रहा हूं। वह जनजाति का व्यक्ति था। उसको इस तरह मारा है, उसकी यह मेडिकल रिपोर्ट है। उसका कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। एसएचओ. स्वयं ने उसको इस तरह थाने में पटक कर मारा है कि आज वह एसएमएस. अस्पताल में इमर्जेन्सी वार्ड में भर्ती है। सरकार ने कह दिया कि अब कोई मारपीट नहीं होगी उसके बाद भी मेघवाल साहब, लगातार घटनाएं हो रही हैं। आपने यह होम मिनिस्ट्री सम्भाली है, उस थानेदार के खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये। you have made your point.

श्री परसादीलाल मीणा : अभी तो मेरे पांच मिनट भी नहीं हुए।

श्री सभापति : नहीं, मुझे तो बताया गया कि आपका पन्द्रहवां मिनट चल रहा है।

श्री परसादीलाल मीणा : कौन कहता है कि पन्द्रहवां मिनट चल रहा है?

श्री सभापति : मैं तो आया हूं तब मुझे बता कर गये हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : सवाल ही नहीं, आप देख लीजिये मेरा टाइम।

श्री सभापति : लिखा हुआ है मेरे पास। कृपया समाप्त करें।

श्री परसादीलाल मीणा : थाना मानपुर में इसी तरह की घटना हुई। ये माफिया

(श्री परसादीलाल मीणा)

लोग हैं, कहीं भी देख लो आप भूमि माफिया का आज सब जगह जोर है। कोई दुकान खाली करानी हो, किसी प्लाट पर कब्जा कराना हो, किसी को कुछ करना हो, आप माफियाओं को ले जाओ। पुलिस का कोई डर नहीं। विडम्बना की बात तो यह है कि आज इन माफियाओं को पुलिस का संरक्षण है, पुलिस अधिकारी उनमें शामिल हैं, पुलिस के अधिकारी उसमें हिस्सा रखते हैं। अगर पांच प्लाट खाली करा दिये तो दो हमें दे देना, एक आप ले लेना, इस तरह का आज भूमि माफिया का जबर्दस्त जोर जयपुर शहर में चल रहा है। आपको तो पता है, सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी के परिवार पर हमला हुआ। लोग आज यह कहते हैं कि हमने मुख्य मंत्री जी के भाई को ही इस तरह कर दिया तो आपकी क्या औकात है कि हम से लड़ोगे। आज फर्जी रजिस्ट्रियां करायी जा रही हैं, गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जे किये जा रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक होकर उन माफियाओं का सहयोग कर रही है, माफियाओं से मिली हुई है पुलिस। इस तरह की आज जो घटनाएं हो रही हैं उनके लिये कौन जिम्मेदार है ?

मैं आपको एक उदाहरण दूं, मेघवाल साहब। घाट की गूणी के नीचे आपकी जो जो चैक पोस्ट लगी हुई है, आप यदि होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाते हैं तो आप चले जाइये, उस चौकी की इन्कम एक रात की तीस और चालीस हजार के बीच है। हर ट्रक वाले से सौ रुपये का नोट लिया जाता है। रात को जब भी मैं आता हूं, मेरे को 100–150 ट्रकों की लाइन ....

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : इस तरह आज भ्रष्टाचार हो रहा है, आप उसको रोकें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने अपना पाइन्ट बता दिया उदाहरण सहित।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं।

श्री सभापति : आपने बहुत उदाहरण दे दिये, अब आप बिराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : राजधानी की नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, गृह मंत्री जी कभी देखें तो सही उसको।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्री परसादीलाल मीणा : पुलिस के लोग यह कह रहे हैं, गृह मंत्री जी, कि हम सरकार को पैसा देते हैं। किसी में हिम्मत नहीं है कि कोई हमारे ऊपर हाथ डाल दे। मैंने कई बार देखा है, लाइन लगी रहती है रोज।

श्री सभापति : माननीय परसादीलाल जी, बिराजिये। धन्यवाद आपको, समाप्त करिये। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्री परसादीलाल मीणा : महिला पुलिस के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं ।

श्री सभापति : वे महिलाओं के बारे में ज्यादा अच्छी तरह बताएंगी ।

श्री परसादीलाल मीणा : दो मिनट और, आपने महिला पुलिस थाना खोल दिया पर महिला पुलिस के लिये आपने सुविधाएं क्या दी ? आपने ऐसे थाने हर जिला हैड क्वार्टर पर खोल दिये । उनको फैसीलिटीज दीजिये, उनका कण्ट्रोल बनाइये । उनका आज शोषण किया जा रहा है । आज शिकायतें आती हैं महिला पुलिस की, कहीं भी चले जाओ आप, कि साहब हमको पोस्टिंग यहां, बार-बार हमारा ट्रान्सफर किया जाता है और बार-बार हमारा यह किया जा रहा है, आप क्यों नहीं....

श्री सभापति : आपने पाइण्ट बता दिया, बहुत लोग बोलने वाले हैं ।

श्री परसादीलाल मीणा : आप अलग कण्ट्रोलर क्यों नहीं महिला का बनाते ? आज महिलाओं के साथ जगह-जगह अत्याचार हो रहे हैं । अगर महिला पुलिस को मजबूत करेंगे, अगर महिला पुलिस को ज्यादा शक्तिशाली करेंगे, अधिकार देंगे तो जिले में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं....

श्री सभापति : अब आप विराजिये । श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-16 पुलिस विभाग के बारे में चर्चा में मैं भी शरीक होना चाहती हूं । मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने पुलिस विभाग के प्रति एक बहुत ही अच्छी पुस्तक के अन्दर सारा विवरण दिया ।

माननीय सभापति महोदय, मैं पुलिस विभाग की कार्यशैली के सम्बन्ध में कुछ अपने सुझाव देना चाहती हूं । पुलिस प्रशासन एक ऐसा प्रशासन है जैसे अपनी रीढ़ की हड्डी है और वह किस तरीके से कार्य करती हैं । अगर रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है तो फिर कार्य करने में बहुत ही असुविधा होती है । माननीय सभापति महोदय, नागरिकों के जान माल की हिफाजत करने के लिये पुलिस विभाग एक माध्यम के रूप में काम करता है । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी जिस तरह पुलिस कर्मचारी अपना समय देते हैं और जिस तरीके से वे अपना काम करते हैं उनकी देखरेख के लिये अपने को सोचना चाहिये । जब कभी भी कोई त्यौहार आता है तो हर व्यक्ति अपने जाने के का इच्छुक होता है । मगर पुलिस विभाग ऐसा है, उसको हर बात की चिन्ता रहती है कि कहीं झगड़ा न हो जाए, कहीं और कुछ न हो जाए । उनको घर जाने के लिये कोई भी सुविधा नहीं होती है । उनके लिये अपने को सोचना पड़ेगा और उनकी सुविधाओं के लिये अपने को विचार करना पड़ेगा । मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि पुलिस विभाग के बारे में अपने को बहुत ही संवेदनापूर्वक देखना पड़ेगा कि ये कितनी ड्यूटी देते हैं और इनके लिये हम क्या कर सकते हैं ।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि जयपुर के बाद में जोधपुर शहर ही बड़ा शहर है, महिला पुलिस थाना लगाने के कार्य में आप उसको भी सम्मिलित करें। इसके लिये मेरी मांग को आप ध्यान में रखें। माननीय सभापति महोदय, मैं विशेष कर जोधपुर शहर के प्रति पुलिस विभाग की 2–4 बातें ऐसी भी कहना चाहूंगी क्योंकि हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि सही बात कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। जोधपुर शहर के अन्दर सट्टा बाजारी, जुआखोरी पर पुलिस अंकुश लगाने तथा दोषी व्यक्तियों के लिये मैं चाहूंगी कि पुलिस विभाग को इस बारे में सोचना चाहिये। कहीं-कहीं तो ऐसा भी होता है कि पुलिस के अधिकारी लोग भी कुछ नशा-पता कर लेते हैं। कई दफे फोन करते हैं तो इसी बात के अन्दर उसका जवाब मिलता है, इसके बारे में भी अपने को विचार करना चाहिये।

जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र के बारे में, माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि जोधपुर के अन्दर सिवांची गेट की एक पुलिस चौकी है और मेड़तागेट पुलिस चौकी है उनको क्रमोन्नत करने के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी। स्टेट के जमाने से ही वह पुलिस चौकी पड़ी हुई है, उसको क्रमोन्नत करने के बारे में आज तक कोई विचार नहीं किया गया। पूर्व सरकार ने 35 साल तक राज किया मगर इसके बारे में कभी विचार नहीं किया कि इनको क्या करना चाहिये। अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस चल रहा है मैं उसके कारण भी मुख्य मंत्रीजी से कहूंगी कि एक महिला विधायक कह रही है उस बात को ध्यान में रखते हुए, जोधपुर की जनता की आवाज को ध्यान में रखते हुए उस पुलिस चौकी को थाने के अन्दर कन्वर्ट किया जाए तो एक बहुत ही अच्छी बात होगी।

माननीय सभापतिजी, जोधपुर शहर में पूर्व में 4 पुलिस स्टेशन थे, "ए", "बी", "सी", "डी"। इस क्षेत्र के अन्दर "बी" थाना खांडावलसा था। संवेदनशील इलाका होने के कारण 1948 में इस थाने को जहां पूर्व में पादरी साहब का दवाखाना में कार्यरत था वहां से लाकर के खांडावलसा स्थापित किया। उस थाने के पास चड़वों का बास, सिन्धियों का बास और कई ऐसे क्षेत्र थे जो कि संवेदनशील थे और हिन्दू-मुस्लिम राइट्स होने का डर रहता था। 1938 के अन्दर इस थाने को खांडवलसा में लाकर स्थापित किया और 1947 के अन्दर जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ तो 1.1.48 को इस थाने को यहां से लाकर नवचोटियों के अन्दर जहां कोतवाली चल रही थी, वहां पर स्थापित कर दिया। उस टाइम हिन्दुस्तान आजाद ही हुआ था, आदमियों के पास कोई ऐसा चारा नहीं था कि वे किस को जाकर के कहें तो जोधपुर की करीब 5 हजार जनता इकट्ठी होकर महाराजा हड़वन्त सिंहजी के पास गयी और अपनी पुकार कही कि जब यह थाना एक सिटी के अन्दर और मजमे के अन्दर है जो कि जोधपुर शहर की मुख्य सड़क है, वहां से हटा कर कोने के अन्दर आप ले गये हैं। महाराजा हड़वन्तसिंहजी

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

ने भी बहुत राज किया मगर उस टाइम हिन्दुस्तान आजाद ही हुआ था और कांग्रेस का राज था। इसलिये उनकी बात की कोई सुनवाई नहीं की गयी और उस थाने को नवचोटियों के अन्दर जो कि एक कोने के अन्दर एण्ड में आ जाता है वहां पर स्थापित कर दिया। उस थाने को अब वहां लाएं, यह मुख्य मंत्रीजी पर निर्भर करता है। मेरी मांग है, गृह मंत्रीजी आप मेरी बात, शामिल करें। उस थाने को अपग्रेड करने के लिये मैं आपसे निवेदन करूंगी, इस थाने को अपग्रेड करें। 45 साल तक पूर्व सरकार ने राज किया मगर जोधपुर की बहुत उपेक्षा की है, जोधपुर के बारे में इन्होंने कभी नहीं सोचा जो की मैं आपके सामने उदाहरण दे रही हूं। मैं निवेदन करूंगी कि इस बारे में आप थोड़ा विचार करें तो जोधपुर के अन्दर एक नयी बात होगी और लोग यह कहेंगे कि भैरों सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अन्दर एक बहुत भारी उपलब्धी हुई है।

माननीय सभापति महोदय, सिवांची गेट के ऊपर एक अजमेश्वरजी महाराज का आश्रम है, वहां 1000–1500 औरतें रोज दर्शन के लिये जाती हैं उनको बहुत ही असुविधा रहती हैं। मैंने कई दफे रिक्वैस्ट करके वहां पर पुलिस चौकी लगवायी, परन्तु जब मर्जी आये वहां के अधिकारी पुलिस चौकी हटा देते हैं तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि उस पुलिस चौकी को वहां पर कायम कर दें पुलिस चौकी अभी लगी हुई है मगर वह अस्थायी है उसको स्थायी करने के लिये आपसे अनुरोध करूंगी कि उस चौकी को वहां पर लगा दें। रहने की सारी सुविधा की गयी है, सरकार से कुछ भी नहीं ले रही है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिये मैं आपकी बहुत आभारी हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री नाथूलाल अहारी।

श्री नाथूलाल अहारी (डूंगरपुर) : माननीय सभापतिजी, आज जो पुलिस के के बारे में बहस हो रही है मैं अपने आपको उसमें सम्मिलित करता हूं। पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेण्ट है कि जो सामाजिक ढांचा है वह तमाम ढांचा पुलिस विभाग से डरता है।

(19.00)

कोइ भी केस होता है तो अधिकांश तो वहां जाते ही नहीं है, इसलिये नहीं जाते हैं कि उनके व्यवहार से डरते हैं। कई पुलिस अधिकारी अच्छे भी हैं लेकिन कोई अच्छा काम करता है तो उसका ट्रांसफर भी कर दिया जाता है, इसलिये पुलिस के बड़े अधिकारियों को चाहिये कि जो कुशल पुलिस अधिकारी/कर्मचारी है उनको मौका दिया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए।

पुलिस के जो भी थाने हैं या चौकियां हैं उन सब की हालात बहुत खराब है। उनके भवन मेरे ख्याल से अंग्रेजों की हुकूमत के टाइम से बने हुए हैं, इनके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। न विभाग

(श्री नाथूराम अहारी)

ध्यान देता है और न सरकार देती है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हजारों मकान बन गये हैं, काम के बदले अनाज योजना के तहत या जवाहर रोजगार योजना के तहत स्कूलों के भवन बने हैं, छात्रालय के भवन बने हैं लेकिन पुलिस की चौकिया है उनके भवन बिलकुल नहीं बने हैं। इनके भवन भी अच्छे बनने चाहिये। आज के युग में स्टाफ वाले भी वहां रहें, ऐसे भवन हो। जैसा मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने बताया कि पुलिस थानों के भवनों में कभी कोई एक करनी भी नहीं लगती है, यह हालत है कि उनकी ओर कोई देखता तक नहीं है। इसीलिये मेरा आपसे निवेदन है कि चाहे युद्ध स्तर पर करना पड़े पुलिस थानों के भवन अच्छे किये जाएं। यह मेरी आपसे मांग है।

इसके साथ ही पुलिस थानों में न तो गाड़ियां है, अगर गाड़ियां किसी अमुक टाइम के लिये दी भी जाती है तो वे वापस ले ली जाती है। जहां-जहां भी पुलिस थाने हैं, वहां एक जीप की व्यवस्था होनी चाहिये पर्याप्त सिपाही व्यवस्था भी होनी चाहिये। आज भी पुराने समय में जो स्ट्रैंन्थ थी वही चली आ रही है जबकि जनसंख्या इतनी बढ़ गयी है। अगर पुलिस कर्मचारी कम होंगे तो वे अच्छी तरह से देख-भाल नहीं कर पाएंगे। यह मेरी मांग है।

इसके साथ ही पुलिस में बन्दूकों के लाइसेंस रिन्यू नहीं हुए हैं, बन्दूकों को इकाट्ठा कर रखा है और पता नहीं कहां ले जाकर जमा कर रखा है, तहसील में कर रखा है या और कहीं कर रखा है। गरीब लोग जानते नहीं हैं। वह लोग कतल-वतल करने वाले तो होते नहीं हैं, वे लोग वैसे ही आत्मरक्षा के लिये रखते हैं। आपने ऐसा देखा नहीं होगा कि गांव के लोगों ने बन्दूक लेकर किसी को मार डाला हो, इसीलिये मैं आपसे यह मांग करता हूं कि इस तरह की बन्दूकें जिन-जिन थानों में, तहसीलों में जमा कर रखी हैं उनको नोटिस देकर इनके लाइसेंस रिन्यू करने चाहिये और उनके हथियार उनको वापस दिये जाने चाहिये। कई लोग तो डर के मारे जाते ही नहीं हैं। हमारे डूंगरपुर और उदयपुर डिवीजन में अधिकतर इस तरह के औजार हैं, वे बन्द कर रखे हैं। लोगों को मालूम नहीं था कि इनके लाइसेंस की आवश्यकता है, ऐसी बन्दूकें, औजार थानों में चालान करके अपने पास रख रखे हैं। इसलिये मैं आपसे यह मांग करता हूं कि जिनके औजार है उनको वापस दें, जिनको उन लोगों ने आत्मरक्षा के लिये रख रखा है।

पुलिस कर्मचारी जो भी हैं मैं तो यह मानता हूं कि उन्हें पैसे बहुत कम मिलते हैं और कभी-कभी यह भी सुनते हैं कि पुलिस कर्मचारियों को पैसे बहुत कम मिलते हैं इसलिये जनता को लूट खाओ। लूट खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे ? उनके पैसे बहुत कम हैं, सुविधाएं बहुत कम है, तनख्वाह कम है और जैसा मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने बताया कि खाने के 4 रुपये मिलते हैं। चार रुपये में तो चाय भी नहीं आती है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इसको गम्भीरता से लेकर जितनी भी सुविधाएं आज के युग में कर्मचारियों को दी

(श्री नाथूराम अहारी)

जाती हैं वे सारी सुविधाएं उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा दी जानी चाहिये ।

हमारे डूंगरपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद सृजित नहीं है । आदिवासी एरिया है और वहां कई प्रकार की गड़बड़ियां होती हैं इसलिये मैं आपसे मांग करता हूं कि डूंगरपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद सृजित किया जाए ।

हमारे खैरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर में 8-10 साल से रापा-रोला हो गया है । कहा तो यह जाता है कि मेवाड़ भील कोर आदिवासी भीलों की छावनी है लेकिन इतना रापा-रोला हो गया है कि वह तो भरते ही नहीं हैं और रिजर्वेशन कर रखा है । 12 पर्सेण्ट । वह तो केवल उन्हीं के लिये है, अगर रिजर्वेशन करना है तो आप अन्य का करो ।.... (व्यवधान)....

श्री फूलचन्द मीणा : आपने क्या किया ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान नहीं डालें ।

श्री नाथूराम अहारी : मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि मेवाड़ भील कोर में हमारे साथ जो अन्याय किया जा रहा है उसे आप दूर करें ।

इसके साथ ही हमारे डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में गणेशपुर थाने का भवन एक संतरी-हुकूमत के टाइम से है, ठीक नहीं था, बीच में नहीं था । उसको बदलने के लिये जमीन हमने आरक्षित कर ली है । मैं आपसे मांग करता हूं कि हमारे गणेशपुरा का थाना स्थापित करें और जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, आधुनिक युग के अनुसार उस थाने के भवन की व्यवस्था की जाय ।

श्री सभापति : धन्यवाद । श्री रामेश्वर भारद्वाज ।

श्री नाथूराम अहारी : सभापति महोदय, एक मिनट । गणेशपुरा थाने में टेलिफोन लगा हुआ है लेकिन चूंकि इनके पास वायरलैस सैट है इसलिये टेलीफोन बिलकुल तोड़ रखा है या पता नहीं क्या कर रखा रखा है । वहां पर टेलिफोन की व्यवस्था करें । आपने टाइम दिया उसके लिये धन्यवाद । जयहिन्द ।

श्री सभापति : श्री रामेश्वर भारद्वाज ।

(अनुपस्थित)

श्री महावीर भगोरा ।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : माननीय सभापति महोदय, आज पुलिस विभाग की मांग पर चर्चा हो रही है, मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं कि राज, राज का डण्डा, मैं शब्द बोल रहा हूं, पुलिस को हम उसका प्रतीक मानते हैं । राज का भय नहीं होने से आजादी के बाद जिस तरह का नैतिक चरित्र हमारे देश का गिर गया है उसको अगर कायम रखना है तो राज की पुलिस को हमें मजबूत और सशक्त करना होगा । पुलिस अगर ढीली-ढाली है तो देश में तस्करों, गुण्डों और बदमाशों का राज हो जाएगा, इसलिये यह जरूरी

(श्री महावीर भगोरा)

है कि पुलिस कमजोर तबकों और जिनकी रक्षा का दायित्व उसके ऊपर है उनके साथ सद्व्यवहार करे।

माउण्ट आबू से उदयपुर आने वाले मुख्य मार्ग पर मेरा विधान सभा क्षेत्र है। मेरा क्षेत्र विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्र है। उस मार्ग पर शाम को 6 बजे के बाद कोई भी वाहन अकेले नहीं गुजर सकता है। चाहे वह सूरतगढ़ के रास्ते से आये, चाहे पिंडवाड़ा के रास्ते से आये। वहां पर जो पुलिस थाने हैं चाहे मांडवा हो, चाहे बेकरिया हो उन पुलिस थानों के पास एक भी व्यवस्थित जीप नहीं है। टूटी-फूटी जीपें दे रखी हैं तो उसमें वायरलैस सेट नहीं है।

एक निवेदन और मैं करूं कि हमारे आदिवासी क्षेत्र में, भी बदमाश है। नहीं हैं ऐसी बात नहीं है। अगर एक या दो पुलिसकर्मी किसी भी अभियुक्त को पकड़ने गये क्षेत्र में तो बिना पिटे वापस नहीं आते हैं या लोग उनके कपड़े उतार लेते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि उन थानों में अतिरिक्त पुलिस बल दिया जाए।

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस की जो नफरी है वह उस क्षेत्र के थानों में बढ़ायी जाए। क्योंकि वहां पर गांवों में एप्रोच करने का बसों का या दूसरा कोई साधन नहीं है, पैदल ही 10–15–20 किलोमीटर जाना पड़ता है, बियावान जंगलों से गुजरना पड़ता है, पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरना पड़ता है। आज तक का अगर उस क्षेत्र का हम रिकार्ड देखें तो वहां पर जिस तरह की चोरियां होती हैं पुलिस उनको आज तक नहीं पकड़ पायी है। तीसरी बात, उस क्षेत्र में गायों की तस्करी होती है, गायों को मार कर खालों की तस्करी होती है। उसको आज तक पुलिस पकड़ नहीं पायी। यही कारण है कि जंगलों में पुलिस के एक–दो सिपाही जाकर हिम्मत नहीं कर सकते हैं कि गिरोह को पकड़ सकें। मेरा यह निवेदन है कि इस क्षेत्र में पुलिस की उचित व्यवस्था की जाए और पुलिस स्टेशन पर प्रत्येक थाने के साथ जीप हो, वायरलैस सेट हो और पुलिसकर्मी बढ़े।

साथ ही प्रतापगढ़ के जिस घटनाक्रम के बारे में उदयपुर के माननीय सदस्य ने मामला उठाया है, पूरा सम्भाग उस कांड के लिये आन्दोलित हुआ था। हमारे बीच में दो मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, उनको उस समय पुलिस वालों ने जेल में बन्द कर दिया था। मुझे भी तीन दिन के लिये जेल में बन्द कर दिया था। जो रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य हैं, उनको न्यायिक जांच के लिये बैठाया है, पर आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आयी है। कल एक प्रश्न उठाया था, पर क्योंकि पूछने वाले माननीय सदस्य नहीं थे इसलिये जवाब नहीं आया। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उस कांड की भी जांच करायी जाए और उसकी रिपोर्ट सदन में दी जानी चाहिये।

साथ ही मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में जो थानेदार लगे हुए हैं, वे रिटायरमेंट के करीब के हैं और लोगों के पास साधन नहीं हैं कि वे बियावान जंगल

(श्री महावीर भगोरा)

में जाकर किसी प्रकार की इन्क्वायरी कर सकें और सरकार को रिपोर्ट दे सकें यानी गरीब लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिला सकें। मैं अपनी यही बात कहकर समाप्त करता हूं। बोलने के लिये अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री नरेन्द्र बुडानिया।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदारशहर) : माननीय सभापति महोदय, पुलिस के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। मैं इस विषय में ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं करके आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि राजस्थान की पुलिस पर से जनता का विश्वास उठ चुका है और अब यदि हम जनता के लिये कुछ करना चाहते हैं तो पुलिस के प्रति विश्वास बनाना पड़ेगा। विश्ववास हम नहीं बना पाए तो हम हमारे प्रदेश में न खुशहाली ला सकते हैं, न कमजोर वर्गों के लोगों की रक्षा कर सकते हैं, न हम शांति-व्यवस्था बनाये रख सकते हैं, न हम लॉ एण्ड आर्डर रख सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में मैं मानता हूं, आपको बहुत ही कड़ी चुनौती का मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन सुधार बहुत ही आवश्यक हैं। यह पूरा सदन बैठा है, पुलिस सुधार में पूरा सदन आपके साथ में है, राजस्थान की पूरी जनता आपके साथ में है।

सभापति महोदय, विशेष रूप से एस. सी., एस. टी. पर जो अत्याचार हो रहे हैं, यह बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है। बहुत-से माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव रखा, मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप इसके ऊपर चिन्तन कीजिये कि इन अपराधों को कैसे रोका जाएगा, कैसे इनके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। आपको इनको अकाउन्टेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। आप उनकी अकाउन्टेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तो हमारे पुलिस विभाग में सुधार होना बहुत मुश्किल है और जनता का विश्वास बनाये रखना भी बहुत मुश्किल है, यह मेरा मानना है।

यह भी बात बिल्कुल सच है कि जहां पुलिस के द्वारा अत्याचार हो रहे हैं, पुलिस के प्रति हमारा विश्वास हटता जा रहा है वहीं पुलिसकर्मी भी परेशान हैं, उनकी अपनी भी बहुत समस्याएं हैं। उनके मकान की समस्या, उनकी तनख्वाह की समस्या, उनके भत्ते की समस्या, उनकी सुख-सुविधाओं की समस्या, इनको भी दूर करना पड़ेगा यानी हम किसी सिस्टम को सुधारते हैं तो हमको दोनों पक्षों से उनको देखना पड़ेगा और दोनों पहलुओं को साथ लेकर चलेंगे तब ही हम सुधार कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारी आबादी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हमारे अपराध भी उसी आनुपातिक रूप से बढ़ते जा रहे हैं, साम्प्रदायिकता भी उसी प्रकार से बढ़ती जा रही है, हड़तालें भी उसी प्रकार से

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

बढ़ती जा रही हैं, ट्रैफिक भी उसी प्रकार से बढ़ता जा रहा है। ऐसी हालत में मान लिया कि आपने बड़े अफसरों के कुछ पद सृजित कर दिये, मैं तो समझता हूं कि उससे राजस्थान की समस्याओं का हल होने वाला नहीं है, पुलिस में सुधार होने वाला नहीं है। यह तो हमारा खर्चा है जो हमें बांधना है। सही बात तो यह है कि जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, उसी आनुपातिक क्रम से हमको पुलिस बल को बढ़ावा देना होगा, भर्ती करनी पड़ेगी, उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो यह आज सम्भव नहीं। अभी कई माननीय सदस्यों ने यह बात रखी कि कोई वी. आई. पी. आ जाता है या कहीं साम्प्रदायिक दंगा हो जाता है या हड़ताल हो जाती है तो हमारी पुलिस का सारा का सारा ध्यान उस ओर आकर्षित हो जाता है। जो फोर्स जनता की सेवा के लिये बनी है वह एकदम से वी. आई. पी. की तरफ और दूसरे कामों में इधर-उधर हो जाती है। थाने खाली हो जाते हैं। कोई पीडित व्यक्ति जाता है तो उसको न अधिकारी मिलते हैं न कर्मचारी मिलते हैं, न सिपाही मिलते हैं, उसका मनोबल टूट जाता है। इसमें मेरा एक सुझाव है कि आपको वी. आई. पी. सैल अलग से बनाना चाहिये, साम्प्रदायिक दंगों के लिये अलग से फोर्स बनानी चाहिये। ट्रेण्ड फोर्स बनानी चाहिये ताकि जहां पर भी साम्प्रदायिकता की बात सामने आये तो ट्रेण्ड फोर्स जाकर उसको कन्ट्रोल करे। माननीय मंत्री महोदय, मैं तो भुक्तभोगी हूं. ऐसे-ऐसे दंगे मेरे देखे हुए हैं। जहां तक हमारी पुलिस फोर्स है, आर. ए. सी. है या कोई अनट्रेण्ड फोर्स है, उसको साम्प्रदायिकता को किस प्रकार से टैकल करना चाहिये, जनता के सामने किस प्रकार से जाना चाहिये यह नहीं आता है। सीधा डण्डा बरसाना, गोली चलाना, लाठी चलाना, इसके अलावा और कोई उनकी ट्रेनिंग होती नहीं। इसलिए मेरा सुझाव है, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि चाहे वी. आई. पी. की देखभाल का काम हो, चाहे साम्प्रदायिकता और इस प्रकार के मामले हों, उन्हें देखने के लिये एक नया पुलिस बल गठित होना चाहिये, उनकी मानिटरिंग भी उसी प्रकार से अलग होनी चाहिये। (समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक-दो बातें और कहना चाहता हूं। आज ज्यादातर देखा गया है कि फर्जी केसेज बहुत बनने लग गये हैं। हकीकत बता रहा हूं और आप सब भी जानते हैं, गृह मंत्रीजी जानते हैं कि कोई-कोई जगह पुलिस अधिकारी मातहत थानों के लोगों पर कोटा फिक्स कर देते हैं कि आपको इतने केसेज बनाने हैं। चाहे चालान बनाने हों, चाहे दूसरे नशीले पदार्थ या इधर-उधर के काम करते हों, उनको पकड़ने का काम हो तो कोटा फिक्स होता है। कोटा पूरा करने के लिये लोगों पर गलत मुकदमे बनाते हैं, फर्जी मुकदमे बना देते हैं। मैं नहीं कहता कि सारे मुकदमे फर्जी होते हैं लेकिन ज्यादातर देखने में आया है कि फर्जी मुकदमें बना दिये जाते हैं। उसके ऊपर भी मानिटरिंग होनी चाहिये। हमारा मानिटरिंग सेल होगा

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

तो हम मुकदमे बनाने से, मैं यह समझता हूं कि उनको रोक पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं, आज जिस प्रकार से आबादी बढ़ी है उसी प्रकार से हमारे थानों के क्षेत्र का रिआर्गेनाइजेशन करना चाहिये। आज यह देखने में आया है कि एक थाना है, जिसके अन्दर बहुत छोटी आबादी है, बहुत छोटे-छोटे गांव हैं तथा उसके नीचे और एक थाना है जिसके नीचे बहुत लम्बा-चौड़ा एरिया है, काम नहीं हो पाता है, सही ढंग से जनता की सेवा नहीं कर पाते हैं। इसलिये आपको इसका रिआर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा और आबादी के हिसाब से उनके कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री जगदीश प्रसाद मीणा।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट का समय और चाहता हूं और मैं कनक्लूड कर रहा हूं। मैं लम्बा-चौड़ा नहीं बोलता हूं। मेरा खुद का सर्वे है, मैं नहीं कहता कि मेरा सर्वे आप मानें लेकिन मेरा यह सर्वे है कि जहां जहां हमारे थाने खुले हुए हैं, जहां-जहां जिस गांव में हमारे पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन के अन्दर और उसके आसपास अपराध ज्यादा होते हैं। इसका क्या कारण है ? आप सर्वे करवा लीजिये। यह मेरा सर्वे है कि जहां थाना तैनात है मौजूद है, वहां पर अपराध ज्यादा क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे न कोई कारण है। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता लेकिन आप इसका सर्वे करा लीजिये तो आपको निचिश्त रूप से मालूम पड़ेगा कि

श्री सभापति : धन्यवाद। थी जगदीश प्रसाद मीणा।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे यहां के

श्री सभापति : समाप्त कीजिये। माननीय श्री मीणा।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : सभापति महोदय, मैं विधान सभा के जो प्रहरी हैं उनके बारे में एक बात कहना चाहूंगा। + + +

श्री सभापति : श्री जगदीश प्रसाद मीणा।

श्री जगदीश प्रसाद मीणा (उनियारा) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि टोंक तहसील में पुलिस थाना देवली के क्षेत्राधिकार में काफी क्षेत्र फैला हुआ है जिसमें 28 किलोमीटर की दूरी पर नासिरदा पुलिस चौकी है, 22 किलोमीटर की दूरी पर बीसलपुर की चौकी और 15 किलोमीटर की दूरी पर पनवार चौकी है। इस प्रकार लगभग 40 किलोमीटर की परिधि में देवली थाने का

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जगदीश प्रसाद मीणा)

क्षेत्राधिकार है। पुलिस जैसे विभाग पर क़ानून व्यवस्था बनाने और भयमुक्त प्रशासन देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है किन्तु इतने लम्बे क्षेत्र में एकमात्र थाना होने व सीमित स्टाफ होने से आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही रही हैं। एक-दो डकैती और मर्डर केस भी हो चुके हैं जिनका आज तक भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। उसका कारण मात्र यही है कि यहां पर थानों की संख्या पर्याप्त नहीं है और स्टाफ की काफी कमी है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा दूसरा निवेदन यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर पोलीहेड़ा चौकी स्थित है फिर भी इस राज मार्ग पर आये दिन आपराधिक तत्वों की वाहनों के साथ लूटमार करने की गतिविधियां होती रहती हैं। प्राण-घातक हमले करना आम बात है। क्योंकि पोलीहेड़ा एक चौकी होने से वहां स्टाफ सीमित है और इस राजमार्ग पर मेंदवास थाना और देवली थाने के बीच की दूरी में यह एकमात्र चौकी है और इस कारण इन घटनाओं को रोकने में असमर्थ है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक और निवेदन है। थाना मेंदवास टोंक मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है किन्तु थाने का सी. ओ. सर्किल देवली है जो इस थाने से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। मेंदवास थाने का क्षेत्र टोंक से किया किया जाए। थाने के आस-पास के लोगों को भी न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों के लिये टोंक आना पड़ता है। देवली थाने के मुकदमों संबंधी अनुसंधान के लिये सी. ओ. सर्किल देवली होने से देवली जाना पड़ता है जिससे सरकारी कामकाज में देरी होती है और उनको भत्ते दिये जाने से राजकोष पर भार पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो औरतों के केस होते हैं उनकी जांच के लिये थानों के अन्दर पुलिस अधिकारी लेडी होना जरूरी है। हमारे गांवों की औरतें गरीब और बिना पढ़ी-लिखी होती हैं। उनको पुलिस में धमका कर उनके साथ गलत व्यवहार होता है। यह अच्छा नहीं है, इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि औरतों के लिये अलग से लेडीज स्टाफ लगाया जाए ताकि उनको सही न्याय मिल पाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पुनः मांग करता हूं कि पुलिस चौकी बीसलपुर को क्रमोन्नत कर थाना बनाया जाए, पुलिस चौकी पोलीहेड़ा को क्रमोन्नत कर थाना बनाया जाए और थाना मेंदवास को सी. ओ. सर्किल देवली से हटा कर सी. ओ. सर्किल टोंक किया जाए।

श्री सभापति : माननीय श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : सभापति महोदय, इस सदन की स्थापना से आज तक जब-जब भी पुलिस के संबंध में चर्चा

(श्री शिवनाथ सिंह)

करने का अवसर मिला है तो एक बात उभर कर सामने आयी है कि सभी पुलिस से व्यथित हैं। चाहे इस पक्ष में बैठें चाहे उस पक्ष में बैठें, कोई दबी जबान से कह सकता है कोई खुलकर कह सकता है लेकिन यह बात जरूर है कि पुलिस प्रशासन से हम खुश नहीं हैं। यह बात हमें इस बात को सोचने के लिये बाध्य करती है कि क्या सरकार के प्रयत्नों में कमी है या पुलिस प्रशासन ही ऐसा हो गया है जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता।

मैं सभापतिजी, निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस में अच्छे आदमी हैं, काम्पीटेन्ट हैं, और उनको दिशा निर्देश मिलें तो वे रिजल्ट्स भी ला सकते हैं लेकिन कमी सरकार की इच्छा शक्ति में है। मैं अपने जिले की बात निवेदन करना चाहूंगा। दिल्ली में सरदार पटेल गृह मंत्री थे और हमारे जिले में श्री हकीकतरायजी एसपी. थे। पटेल साहब के पास शिकायत गयी कि डकैतियां बढ़ रही हैं, एब्डक्शन हुआ था। समीक्षा की गयी तो उन्होंने अपनी शिकायतें, अपनी दिक्कतें पटेल साहब के सामने रख दीं कि हमारे पास यह कमी है, उनके पास ये हथियार हैं, हमारे पास नहीं है, साधन नहीं हैं। उनका एक ही सेंटेंस था कि सात दिन का समय देता हूं, दुरुस्त कर सको तो कर लो वरना मैं दूसरा इंतजाम देखूंगा। हकीकतरायजी ने उसी वक्त अपना बोरिया-बिस्तर ऊंट पर लाद कर बीबी-बच्चों से कह दिया कि या तो मेरी लाश आएगी या उस डकैत की लाश आएगी। और उसका रिजल्ट आया, माननीय सभापति जी। अगर सरकार की इच्छा शक्ति है तो सब कुछ हो सकता है। आज सरकार की इच्छाशक्ति में कमी है। आज मैं यह नहीं मानता कि पुलिस के सामने दिक्कतें नहीं हैं। कठिनाइयां हैं, पुलिस स्टेशंस में कमी है, साधन उनके पास नहीं हैं और कहीं पुलिस अधिकारी भी गड़बड़ कर सकते हैं लेकिन सरकार का यह संदेश, जबान से कहने की आवश्यकता नहीं है, नजर से ही संदेश राजस्थान के ऊपर के 5–7 अधिकारी हैं उनको पहुंच जाए कि आज से पुलिस में सुधार लाना है तो अवश्य सुधार आएगा। डीजी. का एक संदेश टेलीफोन पर ही एस.पी.–जिला को पहुंच जाए तो उसके बाद में मजाल है जिले के अन्दर कोई गड़बड़ हो जाए। आज कमी उसी बात की है। सरकार पता नहीं क्यों दबी हुई है और इसलिये लोगों को शंका होती है कि सरकार इसमें सुधार नहीं करना चाहती।

सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इतने साल के बाद में भी सरकार ने वे प्रयत्न नहीं किये जो उसे करने चाहिये थे। आज बैंक चोरी की, बैंक डकैती की इतनी घटनाएं बढ़ गयी हैं और उनके पास इतने साधन गढ़ गये हैं कि आपकी पुलिस के पास वे साधन नहीं हैं।

मैं सिघाना थाने का एक केस निवेदन चाहूंगा। सामने पुलिस थाना है और सड़क के उस ओर दुकान है। सामने ट्रक खड़ा करते हैं और एक आदमी पुलिस वालों के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उधर से दुकान लूटी जाती है यह कह कर कि कितने थान आ गये। 5 थान आ गये जारी के,

(श्री शिवनाथ सिंह)

6 थान आ गये, धोती जोड़ी के। उस पुलिस वाले को पता नहीं है, ईमानदारी से उसको पता नहीं है। उसका कोई दोष नहीं था और वे दुकान का पूरा सामान लाद कर चले जाते हैं। किसी दुकान के सामने ट्रक लाकर खड़ा किया, नीचे घुस गये उधर से खुड़के किये, इधर से खुड़के कर रहे हैं। क्या हो रहा है, वह कहते हैं और उधर से दुकान लूटी जा रही है। इस प्रकार की टैक्निक उन्होंने डवलप कर ली है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसी के अनुरूप आपको अपनी पुलिस को ट्रेंड करना पड़ेगा। आज हमने पुलिस ट्रेनिंग के लिये कुछ किया नहीं है। आज हम सिपाही को दोष दें, थानेदार को दोष दें इससे काम चलने वाला नहीं है। उनको समय के अनुकूल, जिस प्रकार की वारदातें होती है उसी के अनुकूल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी।

मैं एक चिंता का विषय और निवेदन करना चाहूंगा। हमारा प्रान्त सबसे शांत प्रान्त था, वारदातें बहुत कम होती थीं लेकिन हमारे पड़ौसी राज्यों चाहे वह उत्तर प्रदेश हो चाहे पंजाब हो और चाहे हरियाणा हो वहां उग्रता ज्यादा है, जुर्म ज्यादा होते हैं। वे लोग हमारे प्रान्त में आते हैं, दो-तीन दिन रहते हैं और वारदात करके वापस चले जाते हैं। हमारे जिले की कई चोरियां हरियाणा के लोगों में मिली हैं, हमारे जिले की कई चोरियां उत्तर प्रदेश के लोगों में मिली हैं। सरकार को अपनी पुलिस को, इंटेलिजेंस को मजबूत करना पड़ेगा और कौन कहां से आते हैं इस पर निगरानी रखनी पड़ेगी। उसके लिये पुलिस बल आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। आज आप यह चाहे कि दस-बारह पुलिस कांस्टेबल्स से एक थाने को चला सकते हैं, तो नहीं चला सकेंगे। आज जुर्मों में बढ़ोतरी हुई है, आबादी में बढ़ोतरी हुई है, उस आबादी के हिसाब से हम पुलिस बल कायम नहीं करते हैं तो फिर उसके लिये हम पुलिस को दोष दें, यह ठीक नहीं है। पुलिस बल में सुधार की आवश्यकता है लेकिन उसके साथ में उनको साधन भी आप दीजिये। जिस प्रकार की कई बातें यहां कही गयीं, मैं कोई पुलिस प्रशासन को और नीचे के तबके को सर्टिफिकेट नहीं देता लेकिन उनकी दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं। उनको जब तक साधन नहीं मिलेंगे, ट्रेनिंग नहीं मिलेगी और ट्रेनिंग भी उस किस्म की जो आज के दिन चाहिये, तब तक आप सुधार नहीं कर पाएंगे। सभापतिजी, मैं और विशेष निवेदन नहीं करूंगा पर मंत्री महोदय से, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इच्छाशक्ति आप में होनी चाहिये, रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं आए।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री शांतिलाल चपलोत।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : सभापति महोदय, मैं पुलिस की मांग पर अपनी बात रखना चाहूंगा। हमारा बॉर्डर पाकिस्तान से लगा हुआ है, 1040 किलोमीटर हमारी भूमि पाकिस्तान से लगी हुई है। आये दिन पाकिस्तान से तस्करियां होती हैं, आये दिन आतंकवादी पाकिस्तान से यहां प्रवेश करते हैं, आये दिन मुठभेड़ होती है। केन्द्र सरकार ने तीन-चार करोड़

(श्री शांतिलाल चपलोत)

रुपये इसके लिये दिये कि इसको सुधारा जाए पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह केवल राज्य का विषय नहीं है कि बार्डर की सिक्योरिटी केवल राज्य करे। बार्डर की सिक्योरिटी के लिये केन्द्र सरकार को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिये। केन्द्र सरकार से हमें आग्रह करना चाहिये, हिन्दुस्तान में जितने बार्डर हैं उनमें यह सबसे बड़ा बार्डर है। कश्मीर में अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहे हैं किन्तु राजस्थान में जब बार्डर की बात आती है तो राजस्थान सरकार को ही सारा व्यय करना पड़ता है, कोई बारह-तेरह करोड़ रुपये कुल मिला कर कभी आ जाए तो कह नहीं सकता। इसलिये मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार पर इसका दबाव डालना चाहिये कि बार्डर की सिक्योरिटी करना, देश की सिक्योरिटी करना केवल प्रांत का काम नहीं है, वह केन्द्र का भी इश्यू है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : भूतपूर्व राज्य मंत्रीजी, अभी पन्द्रह दिन पहले आपको पौने दो सौ करोड़ रुपये मिले हैं बार्डर सिक्योरिटी के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत : बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि आपने दिलाये हैं तो हम आपके आभारी हैं पर इतने से काम नहीं चलेगा, यह ड्राप इन ओशन है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपने पन्द्रह करोड़ का फरमाया उसका पौने दो सौ करोड़ तो हो गया।

श्री परसादीलाल मीणा : कितने चाहिये आपको, यह बताओ।

श्री शांतिलाल चपलोत : सभापति महोदय, बार्डर पर अच्छे सोफिस्टिकेटेड वायरलैस चाहिये, बार्डर पर बुलेटप्रूफ गाड़ियां चाहिये। कई बार टैररिस्ट बुलेट-प्रूफ गाड़ियों में आते हैं और वारदात कर जाते हैं। दो-तीन सालों में हमने जरूर अच्छी जिप्सियां दी हैं वरना पहले वही महेन्द्रा की खटर-खटर गाड़ियां थी। टेररिस्ट जा रहे हैं एक किलोमीटर और आप उसके पीछे एक किलोमीटर दूर जा रहे हैं, उसको कोप नहीं कर सकते, उसको पकड़ा नहीं सकते। इसलिये मैं कहूंगा कि सोफिस्टिकेटेड वैप्न्स और अच्छे से अच्छे जाने-आने के वाहन, बुलेटप्रूफ वाहन वहां पर उपलब्ध कराने चाहिये। हिन्दूमल कोट तक हमारी फैंसिंग हो चुकी है, बाड़ हो चुकी है, उसमें करेंट भी कभी-कभी लगाया जाता है किन्तु खर्च करें केन्द्र सरकार और पूरी बार्डर पर फैंसिंग की व्यवस्था होनी चाहिये तभी टैररिस्ट की एक्टिविटीज को हम कर्ब कर पाएंगे। अनूपगढ़ में काफी एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं कभी-कभी, इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पाइंट पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये। कंटीली बाड़ के साथ-साथ बड़ी-बड़ी योजनाएं बना कर किसी भी हिसाब से दो-दो किलोमीटर तक जितने संदिग्ध व्यक्ति हैं या दो किलोमीटर तक पूरी बार्डर खाली करायी जानी चाहिये जिससे कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आकर बार्डर पर रह नहीं सके। वहां पर आप चाहे तो मिलिटरी के लोगों को या पुलिस पर्सनल जो रिटायर हो चुके हैं उनको वहां बसाने को कोई न कोई व्यवस्था

(श्री शांतिलाल चपलोत)

कारगर रूप से कर सकते हैं सभापतिजी, बहुत बड़ा डेजर्ट है। गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर का हिसाब भी कुछ बार्डर पर पड़ता है, पूरे का पूरा डेजर्ट है। किसी प्रकार की व्यवस्था करके बार्डर को सील किया जाना चाहिए और बार्डर की सुरक्षा के लिये केन्द्र सरकार पर एक दवाब हमें और कायम करना चाहिये। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उनके आवास के लिये उचित व्यवस्था हो। मुझे पता है कि आप मेरी तरफ मुखातिब हो रहे हैं मैं अधिक बात तो नहीं कहूंगा पर तस्करों, घुसपैठियों, असामाजिक तत्वों और आतंकवादियों से निपटने के लिये हमें कोई न कोई मास्टर प्लान बनाना होगा कि पांच साल में हम इतना खर्च करेंगे ही करेंगे सिक्योरिटी के पाइन्ट से और इतनी फेंसिग इतने वर्ष में पूरी कर लेंगे। जैसे हम इन्दिरा गांधी नगर के लिये प्रयत्नरत हैं उसी तरीके से देश की सुरक्षा का जहां तक प्रश्न है उसके लिये भी हमें पूरा प्रयत्नशील होना पड़ेगा।

सभापति महोदय, दो बातें मैं और कहना चाहूंगा जो हमारे विभाग से संबंधित हैं। गत वर्ष 22 मई को एक हादसा हुआ। बच्चे सोये हुए थे, आदिवासी सोये हुए थे। आठ जने सोये हुए थे कि सुबह पौने तीन बजे पुलिस के लोग गये। सूरता नाम की औरत सोयी हुई थी, पास में उसका भतीजा लिम्बा सोया हुआ था। उन्होंने जाते ही उन लोगों को पीटना चालू किया और दोनों को....

श्री सभापति : कृपया संक्षेप में कहें।

श्री शांतिलाल चपलोत : एक मिनट में बस बात समाप्त कर रहा हूं। यह बहुत इम्पार्टेन्ट मुद्दा है। सारे राजस्थान में आया है। मैं किसी की आलोचना की वजह से नहीं कह रहा हूं।

वहां पर सोये हुए थे, उन सबको भगा दिया। वह औरत दौड़ी। उसके साथ बलात्कार का प्रयत्न किया गया। उसको बलात्कार करने के बाद कुएं में डाल दिया, मंदिर के पास कुआं था। मैंने स्वयं, माननीय नन्दलालजी मीणा, जो आज मंत्री हैं उन्होंने और माननीय गुलाबचन्दजी, जो आज मंत्री हैं, उन्होंने स्पाट देखा है। वहां पर डेढ़ महीने तक पूरा आन्दोलन चला है। उसके बाद में लिम्बा को पुलिस ने मार दिया क्योंकि वह चश्मदीद गवाह था। जब सुबह हुई, वहां देखा कि सारे लोग कहां हैं तो वे जो छह लोग दूसरे बचे हुए थे उन्होंने एफ.आई.आर दर्ज करवायी। माननीय नन्दलालजी मीणा के पास गये, फिर वहां जाकर एफआईआर. दर्ज हुई। उन्होंने यह कहा कि हम ट्रेस आउट करके यह बता देंगे कि किसने यह दोष किया है, कौन पुलिसकर्मी इसके लिये दोषी है। सभापति महोदय, बड़ा खेद है कि उस दिन यह काम नहीं हुआ। उसके बाद गोलीबारी हुई। एक लड़का जो ठेला चलाने वाला था उसकी हत्या कर दी गयी। यह नृशंस कांड वहां प्रतापगढ़ में हुआ। प्रतापगढ़ में कई जगह फायरिंग हुई। चार जगह तो मुझे ध्यान है जहां फायरिंग हुई और एक ताण्डव नृत्य वहां कर दिया गया। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि जहां हम किसी को ताड़ना देते हैं तो वहां हम, मैं एक बात

(श्री शांतिलाल चपलोत)

कहना चाहूंगा, भगवान बुद्ध ने कहा है– "हे मनुष्य, तू वीणा के तार को इतना भी नहीं टंकार कि वह टूट जाए पर इतना भी ढीला मत छोड़ कि कोई सुर नहीं निकले, कोई राग ही नहीं निकले।" इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि इस कांड की विशेष जांच की जाए। ओ.पी. जैन को इसके लिये राजस्व मण्डल से नियुक्त किया गया पर मैं नहीं समझता कि उसकी कोई जांच हो पायी। इसी तरीके से 21 अगस्त को फतेहनगर में बच्चों पर नृशंस अत्याचार किये गये और पुलिस ने फायरिंग की....

श्री सभापति : श्री हरिसिंह महुआ। कृपया समाप्त कीजिये।

श्री शांतिलाल चपलोत : और देवाराम नाम के एक थानेदार ने सारी मंडी में दो सौ व्यापारियों को मारा, घर बैठी औरतों को मारा। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा प्रशासन तो बहुत संवेदनशील है पर राज्यपाल के राज में हर अधिकारी यह समझने लग गया कि हम राज्य के ऊपर हैं, किसी के नीचे नहीं है, राज्य हमारे लिये है और मन माने अत्याचार करते रहे। उसकी भी खुली जांच की जानी चाहिये। मुझे जो समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री हरिसिंह जी महुआ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, पुलिस की डिमाण्ड पर वाद-विवाद सदन में है। जो इनका वार्षिक प्रतिवेदन 1993 है, आपकी इजाजत से इसकी चार पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। वर्ष 1992 की तुलना में वर्ष 1993 में डकैती, लूट, हत्या, बलवा, नकबजनी, चोरी जैसे संगीन अपराधों में कमी रही है, केवल बलात्कार और भारतीय दंड संहिता के अन्य अपराधों में आंशिक वृद्धि रही है इस अवधि में डकैती के 90, लूट के 1038, हत्या के 1406, बलवा के 17668, नकबजनी के 7551, चोरी के 14262, बलात्कार के 493 और अन्य भारतीय दंड संहिता के 78192 कुल अपराध एक लाख इक्कीस हजार सौ घटित हुए। सभापति महोदय, दो अपराध कम हो गये तो राजस्थान के गृह मंत्री और राजस्थान के बड़े पुलिस अफसर अपने हाथ से खुद अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। लेकिन अपराध बढ़ते हैं तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से उनके खाते में मांड देने चाहिये। यह बड़ा शोचनीय विषय है, चाहे दो अपराध कम हो जाएं, चाहे दो अपराध बढ़ जाएं लेकिन संख्या एक लाख इक्कीस हजार से ऊपर है। मैं पूरे प्रकरण में मात्र पुलिस को ही दोषी नहीं मान सकता।

सभापति महोदय, जैसा आप जानते हैं स्वयं कि आज क्रिमिनल्स की मोडस-आपरेंडी चैंज हो गयी है। पहले जो क्राइम्स के तरीके थे, आज बहुत चैंज हो गये। आज जैसे यूपी. के बार्डर पर हमारा भरतपुर, अलवर और सवाई माधोपुर का कुछ पार्ट है, उधर से अपराधी आते हैं रात-रात में, कार से जीप से, मोटर-साइकिल से। उनके पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं, अपराध घटना घटित होती है और अपराध करके पार हो जाते हैं। उनके मुकाबले आज हमारे पास मैं फोर्स बहुत कम है, नम्बर वन। अपराध बढ़ा, अपराधी भी बढ़ें और

(श्री हरिसिंह)

बेरोजगारी भी बढ़ी। सभापति महोदय; "बुभुक्षितो किं न करोति पापम्", बेरोजगारी बढ़ी तो कुछ जो कमजोर चरित्र के लोग थे उन्होंने अपराध की तरफ हाथ बढ़ाया, उधर उनकी प्रवृत्ति बढ़ गयी क्योंकि वहां आसानी से उनको जीवन-यापन के साधन मुहैया हो गये और कुछ अपराध इसलिये बढ़े, सभापति महोदय, कि अपराधी बनो और तुरन्त करोड़पति बनो। वे व्हाइट कालर क्रिमिनल्स हैं और व्हाइट कालर क्रिमिनल्स, सभापति महोदय, निश्चित रूप से शराब और अन्य माफिया गिरोह हैं। मुझे इतना कहने में कोई संकोच नहीं है, गृह मंत्रीजी, कि उन सब लोगों को निश्चित रूप से पुलिस का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। बड़ी-बड़ी वारदातें हो रही हैं, थानों में अपराध घटित हो रहे हैं। यह क्या हुआ बाड़मेर में कहते हुए शर्म आ रही है। पराकाष्ठा पुलिस ज्यादतियों की और उसका कारण क्या था? शराब माफिया। आज जयपुर में आये दिन भूमियों पर कब्जे हो रहे हैं, कौन करवा रहा है? पुलिस की मिलीभगत से चोरों के सरगना सब कुछ करवा रहे हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा कि हमें पुलिस को सक्षम बनाना होगा, उनकी तादाद बढ़ानी होगी और अत्याधुनिक हथियार उनको देने पड़ेंगे पुलिस की जो सोच है उसमें भी निश्चित रूप से बदलाव आना चाहिये। अगर उस में बदलाव नहीं आता है तो डैमोक्रेसी में भी रूल ऑफ लॉ प्रिवेल कराने और रूल ऑफ लॉ के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी पूरी पुलिस की है, प्रजातंत्र फैल हो जाएगा। अगर पुलिस का अच्छा चरित्र रहा तो प्रजातंत्र स्मूथ गति से चलेगा। सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपकी यह है आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है और चूंकि अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते हैं, मुख्य मंत्री जी ने पूरे भार का साफा आपके सिर पर पहना दिया। वे तो यह कह कर दूर हो जाएंगे कि मैं क्या करूं? अगर अपराधों में कमी नहीं हो रही है। मैंने तो अनुसूचित जाति का गृह मंत्री बना रखा है। आपके आंकड़े बता रहे हैं कि अनुसूचित जाति पर अपराध बढ़े हैं, घटे नहीं। सभापति महोदय, बलात्कार के जितने केसेज हुए हैं उनमें 70 प्रतिशत अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ घटित हुए हैं, इससे ज्यादा दुर्भाग्य का विषय और कोई नहीं हो सकता। आपको सिर्फ गृह मंत्री बनाने से पूरे समाज का कंटक दूर हो या उन सबका कष्ट निवारण हो जाए, ऐसा तो नहीं हुआ है। पर आपसे कुछ अच्छी उम्मीद करते हैं।

मैंने कल आपसे जिक्र किया और बड़ी दुःखद स्थिति है कि एक बच्चे के साथ, बजाज नगर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज हुई है। 15–3–1994 को कि वहां के किसी कर्मचारी ने अप्राकृतिक मैथुन किया। रिपोर्ट दर्ज हो गयी, डाक्टर की रिपोर्ट आ गयी, बच्चे के बयान मजिस्ट्रेट के सामने हो गये लेकिन पुलिस अपराधी पर हाथ नहीं डाल रही है। कितनी दुःखद स्थिति है। ये दोनों घटनाएं मैं गृह मंत्री जी को बता चुका हूं पर बताने के बाद में भी उस पर एक्शन नहीं हुआ।

(श्री हरिसिंह)

मैं दूसरा निवेदन करूं, बयाना थाने के अन्तर्गत 22-2-1994 को मर्डर हुआ और अपराधी फरार। रोज डी.वाई.एस.पी. बयाना से वे मिल कर जाते हैं, बात करके जाते हैं कि अपराधियों में एक टीचर है, उसका नाम निकाल दो और सौदेबाजी कर लो। तकलीफ इस बात की है कि पुलिस की निगरानी में वे अपराधी हैं पर वह उनको गिरफ्तार नहीं कर रही और 302 का मर्डर का केस है। यही हाल हिण्डौन में पिछली बार हुआ वहां के चैयरमैन भारतीय जनता पार्टी के मिस्टर ओम प्रकाश मित्तल का मर्डर हो गया और अपराधी छूट गये। क्यों पुलिस की तफ्तीश की खामी के कारण छूटे। एक निरपराध आदमी को पकड़ लिया और निरपराध आदमी बचाने के लिये जितना भी शहादत थी आपकी वह होस्टाइल हो गयी।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

इसलिये आपको अपनी पुलिस का सोच भी बदलना पड़ेगा।

सभापति महोदय, आपने घंटी तो बजा दी लेकिन भ्रष्टाचार मिटाने की बहुत बड़ी बात मुख्य मंत्री जी हमारे को कह गये। मुझे खुशी है इस बात की, मैं धन्यवाद भी करूं, आपके माध्यम से कि उन्होंने राजस्थान का, जिसको एंटी करप्शन डिपार्टमेंट कहते थे, उसको नया नाम दिया राजस्थान इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो और उसका रिआर्गेनाइजेशन करके भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उसके सुपुर्द की। लेकिन नतीजा? नतीजा शून्य। आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ दूं?

श्री सभापति : महत्वपूर्ण बता दीजिये, इसमें सारा क्यों पढ़ते हैं?

श्री हरिसिंह : शेखावत ने भ्रष्टाचार के 122 मामलों में चालान की अनुमति नहीं दी जांच अधिकारी को, 122 मामलों में यह बाकायदा हिन्दुस्तान के सब पेपरों में निकला है, प्रान्तीय और नेशनल पेपरों में निकला है और इसका कोई रिफ्यूटल मुख्य मंत्रीजी की तरफ से नहीं आया। सदन में जब यह मामला उठाया तो उन्होंने कहा कि मैं इसका जवाब दूंगा, बजट भाषण के साथ में जवाब दूंगा। वह जवाब भी नहीं मिला।

सभापति महोदय, इसके अलावा दूसरा और मामला है। अन्वेषण ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस तरह के 13 प्रकरणों की सूची राज्य सरकार में कई स्तरों पर भिजवायी लेकिन कार्यवाही कुछ भी नहीं हुई। सूची में हनुमानगढ़, गंगानगर बीकानेर, जयपुर ग्रामीण व अजमेर से संबंधित कथित भ्रष्टाचार के मामले थे। इन प्रकरणों के बारे में ब्यूरो के अधिकारी ने शिकायत की है कि अन्वेषण ब्यूरों के निदेशक के हस्तक्षेप पर ये सभी मामले रफा-दफा कर दिये गये। राजस्थान के मुख्य मंत्री भ्रष्टाचार के मामलों को रफा-दफा कर दें, अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक मामलों को रफा-दफा कर दें तो इस राजस्थान ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन का क्यों समय और पैसा खर्च करवा रहे हैं? आपका इन अधिकारियों को भ्रष्टाचार की

(श्री हरिसिंह)

गिरफ्त में लाकर के उनको + + + करने का इरादा तो नहीं है? हकीकत यह है कि अधिकारियों पर आप छापे डलवाते हैं, उनका चालान पेश नहीं करते हैं और उनको + + + करते हैं। मैं सरकार पर आरोप लगा रहा हूं आपके माध्यम से। मैंने एक मामला यहीं विधान सभा में उठाया था, एक मिस्टर ओमप्रकाश, एडीशनल चीफ, पी.एच.ई.डी. का कोई एल.एम.पी. रिंग्स की खरीद में घोटाले का मामला था। मामला ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन को दे दिया। राजस्थान ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन ने तफ्तीश करके उसको अपराधी घोषित कर दिया लेकिन सरकार ने चालान पेश करने की इजाजत नहीं दी और उसको कन्फर्म कर दिया। इस प्रकार भ्रष्टाचार मिटाने का एक वातावरण राजस्थान में बनाया जा रहा है। सभापति महोदय, अन्त में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए दो बातें आपसे निवेदन करूंगा कि अभी लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत दबी जबान से बात कही थी। हमको हमारी फोर्सेस में महिला फोर्स का भी रिआर्गेनाइजेशन करना चाहिये लेकिन बहुत दबी जबान से उन्होंने एक और बात कही थी कि महिला फोर्सेस में जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं या सिपाही हैं या हैड कान्सटेबिल हैं उनके स्थानान्तरण के लिये उनके अधिकारी उनको परेशान करते हैं और इसके पीछे उनकी मंशा सही नहीं है। इसलिये गृह मन्त्री जी, आप इस ओर ध्यान दें कि कहीं शोषण की शिकार न बनें ये फोर्सेस।

एक निवेदन और करना चाहूंगा क्योंकि आपके सदन का पार्ट है। यह जानकारी मिली है कि + + + धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री पराक्रम सिंह।

श्री पराक्रम सिंह (बनेड़ा) : सभापति महोदय, पुलिस विभाग की मांग पर आपने मुझे जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद। सुबह से चर्चा चल रही है उसमें एक चीज विशेष तौर से आई कि पुलिस विभाग में अनुशासन आना चाहिये। मेरा निवेदन है कि अनुशासन तब ही आ सकता है जब इनकी बेसिक ट्रेनिंग के समय इन्हें सही रूप से हम ट्रेनिंग दें, आज के इस आधुनिक युग के अन्तर्गत इनकी ट्रेनिंग करें और जिस पुरानी पद्धति पर चले आ रहे हैं उसे छोड़ें। इनका 9 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होता है। अगर कहीं दंगा हो गया या कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो तीन महीने की ट्रेनिंग वालों को भी वहां भेज दिया जाता है। वहां से जब वापस लौट कर आते हैं तो उनका जो लगाव ट्रेनिंग के प्रति होता है वह टूट जाता है, उनकी जो एक गति चल रही थी ट्रेनिंग के अन्दर वह ब्रेक हो जाती है और वे सही रूप से ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं। मेरा निवेदन है कि यह ट्रेनिंग 9 महीने से बढ़ा कर एक साल तक की जाए और आज जिस तरह से हमारे समाज में अपराध की

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री पराक्रम सिंह)

घटनाएं घट रही हैं उसके अन्दर इनको आधुनिक ट्रेनिंग दी जाए।

महिलाओं की फौज जो हमने पुलिस में खड़ी कर दी पर, मैं महुआ से पधारे सदस्य का समर्थन करता हूं कि महिलाओं को आप थाने में लगाते हैं जहां उन्हें बैठने की कोई सुविधा नहीं। अगर उन्हें किसी कारणवश रात को रुकना पड़े तो उनके लिये कोई जगह नहीं और ड्यूटी पर अगर किसी महिला को भेजते हैं तो अकेली को भेज देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये। महिलाओं को जहां-जहां भी ड्यूटी पर लगाया जाए तो उसकी साथी महिला जरूर होनी चाहिये।

जहां तक ए.एस.आई. की वर्दी का सवाल है इन्हें सरकार वर्दी तो देती है लेकिन सिलाई का पैसा नहीं देती। मैं चाहूंगा, गृह मंत्री जी, कि उन्हें सिलाई का पैसा भी दिया जाए। इसके साथ जहां ए. एस.आई. को मोटर साइकिल का अलाउन्स मिलता है वह मात्र 75 रुपया है, जो बरसों से चला आ रहा है। पेट्रोल के दाम काफी बढ़ गये और 75 रुपये के अन्दर तो मेरे ख्याल में पांच लीटर पैट्रोल भी नहींउपलब्ध होता। महीने में कम से कम दस या बीस लीटर पैट्रोल का अलाउन्स लगभग 200 रुपया इनका करना चाहिए ताकि ये दौड़-भाग कर सकें अपराधी को पकड़ने के लिए।

तीसरा, मैं मेरे क्षेत्र की बात कहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो थाने हैं ? एक तो बनेड़ा और एक गुलाबपुरा। बनेड़ा थाने का क्षेत्र बहुत लम्बा-चौड़ा है और वहां की जो स्ट्रैन्थ है वह भी बहुत कम है। बरसों से रायला के लिये नये थाने की मांग हम करते आ रहे हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा, आपका भी विधान सभा क्षेत्र मेरे से लगा हुआ है और आपके क्षेत्र के कुछ गांव भी मेरे थाने में आते हैं, अगर आप रायला के अन्दर एक थाना और खोलेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आपको भी राहत मिलेगी। आपके जो गांव मेरे बनेड़ा थाने में लगते हैं बनेड़ा थाने का डिवीजन हो जायेगा।

एक निवेदन और करना चाहता हूं रायला के लिये इसलिये कि बानड़वाला से लेकर भीलवाड़ा तक हाई-वे ऊपर कोई पुलिस थाना या चौकी नहीं है। रायला का थाना खुलने से हाई-वे के ऊपर जो एक्सीडेंट या अपराध हो रहे हैं उनको रोकने में हमें गति मिलेगी। आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामगोपाल बैरवा।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : सभापति महोदय, आज मांग संख्या 16 : पुलिस विभाग पर जो चर्चा की जा रही है, उस पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। मान्यवर राजस्थान की कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है लेकिन यह विभाग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है। इसमें कुछ पुलिस प्रशासन की अपनी मन मर्जी भी है और कुछ इसमें कमियां भी हैं। जब मैं पुलिस प्रशासन की

(श्री रामगोपाल बैरवा)

कमियों का जिक्र करता हूं तो मान्यवर, दूर-दराज के इलाकों में एक थाने के अन्तर्गत 100–100 गांवों का कण्ट्रोल करना एक तरह से असम्भव है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो इतने ज्यादा गांव एक थाने में लगते हैं वहां पर थाने और नये खोले जाएं और जो थाने अभी हैं उनमें स्टाफ और बढ़ाया जाए।

इसी तरह से दूसरी गाड़ी की समस्या है। बहुत से थानों के अन्दर अभी तक सरकार के द्वारा कोई साधन उपलब्ध नहीं करवाया गया है। इससे जो घटना घटित होती है सम्बन्धित अधिकारी के समय पर वहां नहीं पहुंचने के कारण मुल्जिम वहां से फरार हो जाता है और पुलिस प्रशासन उनको पकड़ने में कामयाब नहीं होता है।

इसी तरीके से आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं को अपनी बात कहने का पूरा हक नहीं मिलता है। इसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर महिलाओं के थाने खोले जाएं।

इसी तरीके से पुलिस प्रशासन में कार्यरत कर्मचारियों के लिये जो वर्दी की व्यवस्था की जाती है, वह वर्दी सिली सिलाई मिलती है। इससे किसी को उसकी लम्बाई कम पड़ती है, किसी को कुछ। मैं चाहता हूं कि यह वर्दी उनके लिए सिली हुई नहीं दी जाकर उनको कपड़ा दिया जाए। जहां ये पुलिस प्रशासन की कुछ मजबूरियां थीं वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की अनियमितताएं हैं जिसके कारण से लगातार गांवों के दूर-दराज के इलाकों में गरीबों के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय होता जा रहा है।

जहां तक गांवों में दूर-दूराज के इलाकों की बात है वहां महिला और पुरुष आज अशिक्षित हैं। जब वे अपना केस दर्ज करवाने के लिये थाने में जाते हैं तो रिपोर्ट लिखवाने के लिये उनसे स्टेशनरी मांगी जाती है और उचित कार्यवाही करने के लिये जब मौका स्थल पर उनसे कार्यवाही करने की मांग की जाती है तो प्रशासन के द्वारा उनसे गाड़ी मांगी जाती है और उचित कार्यवाही उनके पक्ष में की जाए तो इसके लिये उनसे रुपये मांगे जाते हैं। स्टेशनरी से लेकर रुपये वसूल करने का यह फार्मूला ग्रामीण क्षेत्रों में आज खूब प्रचलित है और यह व्यवस्था लगातार गांवों में चली आ रही है।

इसी तरह से एस.सी. और एस.टी. के साथ बराबर अन्याय बरता जा रहा है। यातायात विभाग से सम्बन्धित जब बात करते हैं तो सम्बन्धित अधिकारी जो यातायात में लगाये जाते हैं, वाहनों को रोकते हैं। चालक के पास लाइसेंस नहीं होता है या और किसी तरह की अनियमितताएं पायी जाती हैं

(20.00)

तो लाइन में खड़ा कर देते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है बल्कि पैसा लेकर उनको छोड़ दिया जाता है। प्रशासन की लापरवाही की वजह

(श्री रामगोपाल बैरवा)

से सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि पुलिस प्रशासन पर सही कन्ट्रोल किया जाएं तो सही उपलब्धि हो सकती है।

इसी तरह से गांवों में कोई घटना होती है और ऊपर के अधिकारियों से इस बात की शिकायत की जाती है तो ऊपर के अधिकारी नीचे के अधिकारियों को बचाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह का एक केस बीस दिन पहले हमारी कान्स्टीट्युएन्सी में हुआ था। खातोली थाने के अन्तर्गत बीस बीघा जमीन का मामला था। जिस व्यक्ति के द्वारा वह फसल बोयी गयी उसीके द्वारा उस फसल को कटवा कर खड़ा कर दिया गया। लेकिन पुलिस प्रशासन और एस एच ओ. से मिली भगत कर दूसरे व्यक्ति ने सात बीघा और दस बीघा में एक साथ तीन तरफ से खड़े होकर उस फसल को निकलवा दिया। मान्यवर, मैंने इस मामले में ऊपर के अधिकारियों से बातें की तो उन्होंने इस बात को माना और कहा कि हम इस बात की जांच करवाएंगे। उन्होंने दूसरे एस.एच.ओ. को तफ्तीश के लिये जारी किया। जब उस एस.एच.ओ. ने सही तफ्तीश लाकर अधिकारियों को दी तो उस अधिकारी को बचाने के लिये सम्बन्धित अधिकारी ने दुबारा वह तफ्तीश डिप्टी के नाम कर दी और आज वह केस अधिकारी को बचाने के लिये रफा-दफा कर दिया गया है। (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

वह जो बीस बीघा में सरसों की फसल है करीब 40 हजार उसकी कास्ट है और 20 हजार रुपये उसने फसल को पैदा करने में लगाये हैं इसलिये, मान्यवर, एक गरीब के साथ 60 हजार का अन्याय किया गया है और पुलिस प्रशासन आज कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि पुलिस प्रशासन द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों से राहत जनता को दिलाने है तो ऊपर के अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी को वहन करना होगा। वे नीचे के अधिकारियों को बचाने का प्रयास न करें। समय-समय पर माननीय मंत्री महोदय भी इस तरह के पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करें और उनको दण्ड दें। इस तरह की कार्यवाही करें जिससे जनता को राहत मिल सके।

श्री सभापति : श्री जगदीश चन्द दरक।

श्री जगदीश चन्द दरक (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं सदन में पुलिस विभाग पर होने वाली चर्चा में निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में पुलिस विभाग को मोटे-मोटे तौर पर बांटे तो 4–5 हिस्सों में उसका विभाजन कर सकते हैं। एक हिस्सा आई.जी से लेकर एडीशनल एस.पी. तक का उसके बाद दूसरा आता है बड़े-बड़े जो कोतवाली स्टेशन्स हैं उनमें एस.आई. लेवल और नीचे के हैड कान्स्टेबल और अन्य कान्सटेबल का, तीसरा हिस्सा आता है होम गार्ड का चौथा हिस्सा आता है ट्रैफिक पुलिस का और पांचवा सी.आई.डी. और एनफोर्समेंट ब्रांच का जो आज पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार

(श्री जगदीश चन्द्र दरक)

के अन्दर इन्क्वायरीज के रूप में चल रही है, अलग से बना दिया गया है।

सभापति महोदय, जनता का ज्यादातर कार्य व सम्पर्क उस क्षेत्र की कोतवाली और उस कोतवाली में रहने वाले कोतवाल, हेड कांस्टेबल और वहां जितने भी कांस्टेबल्स हैं, उनसे पड़ता है। परन्तु जनरली यह देखा गया है, जैसा पूर्व में काफी माननीय सदस्यों ने कहा कि उनको ट्रेनिंग की बहुत बड़ी कमी है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उनको नैतिकता की शिक्षा दी जाए कि किस तरह से मानवता के साथ और नम्रता से व्यवहार जनता के साथ किया जाए। कभी-कभी तो यह देखने में आया है उनकी रूडनेस से और उनकी बात-चीत से और सी. आई. लेवल तक के जितने भी आफिसर्स हैं वे जनता के साथ में इस तरह बात करते हैं कि जनता का माहौल भभक उठता है और सिटी के अन्दर अनरेस्ट क्रीयेट हो जाता है। मेरा निवेदन है कि इस मामले में मंत्री महोदय ध्यान दें और उनकी समुचित ट्रेनिंग की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिये। 20 साल पुरानी परिपाटी जो चली आ रही है उसको खतम किया जाना चाहिये। अपराधियों के साथ भी बड़े साइन्टिकफिक तरीके से पेश आकर उनसे अपराध कबूल कराने के बहुत से तरीके ईजाद हो चुके हैं। आज सबसे बड़ी कमी राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट में जो है वह यह है कि कि साइन्टिकफिक और आधुनिक मैजर्स हमारे यहां बिलकुल यूज नहीं हो रहे हैं। डिस्ट्रिक प्लेसेज पर, जैसे भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, 14 लाख की आबादी है, आज वहां कोई हत्या हो जाती है या बहुत बड़ी डकैती पड़ जाती है तो न वे फिंगर प्रिन्ट एक्सपर्टस हैं न एक्सपर्ट डाक्टर हैं, न एक्सपर्ट मैजर्स हैं। घूमते-फिरते हैं और पुराने लोगों से आयडिया लेते हैं कि यहां सांसी होंगे, सांसी को पकड़ा जाए कंजर होंगे, कंजर की बस्तियों में जाया जाए। खाली अनुमान के आधार पर अपराधी को पकड़ने का प्रयास किया जाता है जबकि काफी साइन्टिकफिक मैजर्स पुलिस डिपार्टमेंट यूज करने लग गया है। राजस्थान सरकार को अगर उसके ऊपर बजट भी खर्च करना पड़े तो करना चाहिये लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्लेसेज पर इस तरह के सारे एक्सपर्टस् उपलब्ध कराने चाहिये ताकि अपराधी को पकड़ने में सुविधा हो सके। आज जो हम खाली 21 प्रतिशत अपराध पकड़ पा रहे हैं उसके पर्सेन्टेज में भी काफी अच्छी बढ़ोतरी मिल सकती है।

पुलिस चौकियों के मामले में और पुलिस कर्मियों के मामले भी काफी कमी महसूस की जा रही है। मैं अपनी कांस्टीट्यूएन्सी भीलवाड़ा नगर की बात बताता हूं। आज ढाई लाख की बस्ती वाले उस नगर में खाली 6 चौकियां पुलिस की हैं। उसके तहत की 25 कालोनियां यू. आई. टी. के द्वारा डवलप कर दी गयी हैं और एक-एक कालोनी में 8-8, 10-10, 15-15 हजार की आबादी हो गयी है। हमेशा चौकियों की डिमाण्ड बनी रहती है। 25 कि. मी. के एरिया के अन्दर भीलवाड़ा शहर बस गया है। मेरा निवेदन है होम मिनिस्टर महोदय से कि इस ओर ध्यान दें

(श्री जगदीश चन्द दरक)

और भीलवाड़ा नगर जो इण्डस्ट्रियल सिटी के रूप में या मिनी मेनचेस्टर के रूप में राजस्थान में डवलप हो रहा है वहां ज्यादा से ज्यादा पुलिस चौकियां खोलने का प्रयत्न करें।

मेरा एक और निवेदन है शान्ती व्यवस्था के बारे में और जैसा पूर्व में बताया गया वी. आई. पीज. के बारे में कि अलग से ब्यूरो होना चाहिये और उसके लिये अलग से आफिसर्स रहने चाहिये। जो सेन्सेटिव एरियाज हैं वहां पर कॉमन पुलिस को भेजने के बनिस्पत एक्सपर्टस् आफ दी सब्जेक्ट को शांति व्यवस्था के लिये भेजा जाए। अलग एक डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट में बने, उसी रूप में उसके द्वारा उस पर पुलिस नियन्त्रण रहे तो सुन्दर ढंग से सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भीमराज।

(अनुपस्थित)

श्री भरत सिंह।

श्री भरतसिंह (खानपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आदरणीय गृह मंत्रीजी का ध्यान कोटा जिले की सांगोद तहसील में सी. ओ. का आफिस खोलने के ऊपर दिलवाना चाहता हूं। क्यों मैं मांग कर रहा हूं? उसके लिये मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान जो पुलिस की उपलब्धियां बतायी हैं, उस पर दिलाना चाहता हूं—"भारत-पाक सीमा तस्करी के नियन्त्रण से सम्बन्धित उपलब्धियां।" पुलिस ने जो अपनी उपलब्धियां बताई हैं उसमें दर्शाया है कि 62 करोड़ रुपये की तस्करी पकड़ी गयी। जो पुलिस की उपलब्धि है वह इस सदन के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये क्योंकि जो पकड़ा गया 62 करोड़ का माल है वह कोई सोना नहीं है। 60 करोड़ का माल अफीम, चरस और हेरोइन है और यह वह माल है जो हमारे राजस्थान में बन रहा है और तस्करी से पाकिस्तान जाते वक्त चार सौ लोग जो पकड़े गये हैं उनसे बरामद हुआ में। केवल एक करोड़ का सोना और अन्य चीजें पकड़ी गयी हैं जबकि 62 करोड़ की तस्करी में से 60 करोड़ रुपये का हेरोइन, अफीम और चरस पकड़ा गया है। चीजें कहां से आ रही हैं और कहां पैदा हो रही हैं इस पर गृह मंत्रीजी को गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। अफीम कोटा संभाग में पैदा होती है, मध्य प्रदेश में पैदा होती है। अफीम का रकबा तो घटा है, तस्करी में पकड़े गये अफीम का अंश तो घटा है लेकिन हेरोइन और चरस का बढ़ा है। इसका मतलब यह है कि जो अफीम पैदा करते हैं उन लोगों ने इसे उद्योग बना लिया है और एक पैरेरल इण्डस्ट्री राजस्थान में चल रही है। अगर आपने 60 करोड़ की तस्करी पकड़ी है तो वह 60 करोड़ चोरी का माल है और जो लोग इस धन्धे में लगे हैं वे उसमें सफल हुए हैं। 120 करोड़ की इण्डस्ट्री तो आप मान कर चलिये और उसको रोकने के लिए इस बजट में जो पुलिस के प्रोविजन हैं उसमें कहीं कोई नहीं दर्शाया गया

(श्री भरत सिंह)

है कि हम किस प्रकार से इतने बड़े धन्धे को रोकेंगे। यह मैं समझता हूं, समूचे राजस्थान और प्रदेश के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। इतने लोग, इतना लम्बा-चौड़ा करोड़ों का कारोबार है, कोटा सम्भाग में और मध्य प्रदेश के अन्दर घर-घर में कारखाने लग गये हैं और अफीम को हेरोइन के रूप में बना कर उसका उपयोग हो रहा है। नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है और धन्धा बढ़ रहा है। राजस्थान सरकार और माननीय गृह मंत्रीजी इस विषय पर जब अपना वक्तव्य दें इस सदन में तब वे अपना सोच दर्शाएं कि किस प्रकार से वे इसे रोकेंगे।

इसी के बैकग्राउण्ड में निवेदन है कि सांगोद वर्तमान में रामगंज मण्डी सी.ओ. के अन्तर्गत लगता है। रामगंज मण्डी में जो सी. ओ. है उसके पास सात थाने हैं और आपके मापदण्ड हैं कि एक सी. ओ. के पास तीन से अधिक थाने नहीं होने चाहिये। जो क्राइम रेट है वह रामगंजमण्डी के अन्दर दुगुनी है, सांगोद और रामगंजमण्डी बरसात में चार महीने कट जाते हैं इसलिये सी. ओ. बराबर वहां दौरे भी नहीं कर पाते हैं और क्योंकि सांगोद, झालावाड़ और बारां जिले की एडजाईनिंग तहसील है इसलिये पर सी. ओ. आफिस कायम हो। मैं गृह मंत्रीजी को इस बात पर जोर दूंगा कि वे विशेष सैल इस बात के लिये कायम करें, अफीम की प्रवृत्ति हेरोइन की तस्करी के रूप में हो रही है उस पर एक पोस्ट क्रीएट कर के अभियान चला कर इसको रोका जाए अन्यथा इसमें बढ़ोतरी होगी और बढ़ोतरी हो रही है। तीन साल पहले 35 करोड़ की तस्करी पकड़ी गयी थी, आज 62 करोड़ की पकड़ी है। अगर कोई सोना पकड़ा जाता है तो वह राष्ट्र के काम में भी आता है मगर यह केवल आंकड़े के रूप में 60 करोड़ की है, इसको जला कर नष्ट करना पड़ता है क्योंकि और कुछ काम तो आती नहीं है। इसलिये सरकार को इस दिशा में विशेष प्रयास करने होंगे और इस प्रवृत्ति को रोकना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि वर्तमान में कोटा के डी. आई. जी. ने अपने स्तर पर इस दिशा में कार्य किये हैं और उन्हें काफी सफलता मिली है। इसलिये यदि सरकार प्रयास करेगी तो मैं समझता हूं कि इस पर भी रोक लगेगी। यह राजस्थान के लिये गम्भीर समस्या बनी हुई है इसे रोका जाए।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री जोगेश्वर गर्ग।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री विजयेन्द्रपाल सिंह।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : सभापति महोदय, मैं कुछ जनरल बात ही कहूंगा। मेरे कट मोशन हैं करप्शन के के ऊपर पुलिस विभाग के अन्दर जो करप्शन व्याप्त है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। यह जो साल है और एक-दो साल जो पहले निकले हैं, 1992-93, 93-94, आप जानते हैं कि इण्टरनेशनल लेबर पर क्या हो रहा है? अगर इनको ईयर्स ऑफ टेरेरिज्म कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा और इनको

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

कहा भी गया है ईयर्स ऑफ टेरेरिज्म। वे वहां से परकोलेट करते हुए हिन्दुस्तान और राजस्थान तक तो पहुंचते ही हैं। यह क्यों हो रहा है? करप्शन और क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है, इसको अगर हम जानने की कोशिश करेंगे, विचार करेंगे, सोचेंगे और समझेंगे तो यह समझ में आएगा। आज एक बात आयी लिबरलाइजेशन और उसके साथ ही लिबरेशन की, मोरल्स के लिबरेशन की। लिबरवाइजेशन आता है इकोनोमिक फील्ड के अन्दर जो परमिसिव सोसायटी आज अपने सामने दिखाई दे रही है, वह क्यों आ रही है? जी. टी. वी. के कारण और दूसरे जो शॉट कट्स हम ढूंढ़ रहे हैं। आज किसी को स्कूटर पर घूमने की मंशा नहीं है, सीधा शॉट कट निकाल कर मर्सिडीज में बैठना चाहते हैं। यह सब जगह है पुलिस विभाग में हो या कोई दुकान चला रहा हो या कुछ और हो। उसके कारण क्राइम रेट बढ़ रही है और करप्शन भी बढ़ रहा है। इसीलिये मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को कि इसके लिये हम विचार करें। माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि क्राइम रेट, यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा है और हिन्दुस्तान में कम है। यह गलतफहमी है क्योंकि अगर हम पापुलेशन से इसको रिलेट करें तो वहां पर ज्यादा हो सकती है पर फिगर्स देखी जाए तो यहां पर ज्यादा है। एक एक्सप्लोजन ऑफ पोपुलेशन हुआ है जिसके कारण हमारी क्राइम रेट बढ़ गयी है।

(20.15)

(श्री हरिशंकर भामड़ा, अध्यक्ष, पदासीन।)

अब पुलिस विभाग के बारे में कुछ कहूंगा....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बिराजिये। कुछ बोलना चाहते हैं।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

क्लोज सर्किट टी. वी. व्यवस्था का विस्तार

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : ये बीच में कहां से?

श्री जगदीप धनखड़ : On a point of information. I have been granted. Permission Yield for a minute.

वी. पी. सिंहजी की स्पीड तो खतम हो नहीं सकती कभी। कभी सेमीफाइनल, कभी क्वार्टर फाइनल। फाइनल तो खेलते ही नहीं हैं।

माननीय अध्यक्षजी, हम आपको बधाई देते हैं कि आपने क्लोज सर्किट टी. वी. की व्यवस्था कर दी है पर हमें जानकारी मिली है कि आप यह व्यवस्था इतनी विस्तृत करने की सोच रहे हैं कि जयपुर शहर की सुप्रसिद्ध चौपड़ तक यह पहुंचने वाली है। अध्यक्षजी, हम जानना चाहते हैं कि क्या इस प्रकार की कोई योजना आपने बना ली है? और यदि हां तो इसको आप कब तक इम्पलीमैण्ट करने की सोच रहे हैं? क्योंकि, माननीय अध्यक्षजी, यदि आप सिर्फ चौपड़ तक ही यह व्यवस्था करेंगे तो ग्रामीण इलाकों के साथ भेदभाव होगा। मैंने शुरू में कहा था कि लाइव टेलीकास्ट हो ताकि राजस्थान की सम्पूर्ण जनता को

(श्री जगदीप धनखड़)

पता लग सके कि सदन की कार्यवाही में क्या हो रहा है। अगर आप इसको चौपड़ तक ही सीमित रखेंगे तो उन इलाकों का क्या होगा जिनका प्रतिनिधित्व हम करते हैं और ग्रामीण इलाकों का क्या होगा जो इस व्यवस्था से वंचित रह जाएंगे ?

श्री कालीचरण सराफ : बड़ी चौपड़ तक तो पहुंचने दो फिर गांवों में भी पहुंच जाएगा। Somthing is better than nothing.

श्री जगदीप धनखड़ : आप तो शहर से आते हैं इसलिये शहर की बात कहेंगे। हम तो गांव का साथ नहीं छोड़ सकते।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, सदन की जो गोपनीयता है जिस की हमने कसम खायी है, गोपनीय रहनी चाहिये हमारी सारी कार्यवाही। क्या, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको सड़क और चौपड़ तक ले जाया जाएगा ? अगर वहां तक ले जाया जा रहा है तो हमारे क्षेत्र में भी पहुंचा दो इसको, क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष : सदन में आने के लिये जितनी आपने कसमें खाई हैं यदि उनका आप पालन करें तो आपका अहित नहीं होगा। बाकी यह डिपेण्ड करता है इस पर कि हम अपने आपको कितना एक्सपोज करना चाहते हैं, हमारे व्यवहार पर डिपेण्ड करता है।

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय, बड़ी चौपड़ तक ले जा रहे हैं क्या वास्तव में ?.... (व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : पर चौपड़ तक जा रही है कि नहीं जा रही है ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था कि पुलिस विभाग के अन्दर करप्शन इसलिये है और जो ए.सी.डी नाम बदल कर रखा है आर. एस. बी. आई.।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट। एक तो कल मैं सब पार्टियों के मुख्य सचेतक और नेताओं से यह निवेदन करूंगा कि उन्हीं लोगों के नाम बोलने के लिये दें जो मंत्रीजी का उत्तर सुनने तक यहां धैर्यपूर्वक बैठे रहें।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक समय भी बांध दिया कीजिये।

श्री अध्यक्ष : हां, ये दिये हैं।.... ....(व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : जो रहते हैं उनको यह पुरस्कार मिलता है।

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके पीछे जो सभापति आते हैं वे हम को बोलने नहीं देते पूरा। सही ईमानदारी की बात तो यह कि हम जो बैठते हैं उनको पूरा बोलने का समय मिल नहीं पाता है।

श्री अध्यक्ष : आपको शायद पता नहीं है कि मेरी नीति यह है कि शुरू में जो बोलते हैं उनको कम बुलवाया जाता है और जो लास्ट में बोलते हैं उनके लिये

(श्री अध्यक्ष)

ज्यादा प्रतिबन्ध नहीं है। इसलिये आप बोलिये, कोई प्रतिबंध नहीं है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, अब यह नीति लागू करवा दीजिये।

श्री अर्जुनदास मदान : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक बहुत विनम्र आग्रह है कि अगर हाऊस 10 बजे बाद चले तो कम से कम यहां भोजन की व्यवस्था तो हो जाए। पार्टी की तरफ से न हो तो कम से कम यहां से हो जाए। अब क्या होता है कि वहां सर्किट हाउस में जाते हैं। 11 बजे....

श्री अध्यक्ष : तो आप यह बात मुझे यहां हाउस में कह रहे हैं ? यह कहां कहनी चाहिये ?

श्री अर्जुन दास मदान : नहीं, अध्यक्ष महोदय, हाउस के तो मालिक आप हैं।

एक माननीय सदस्य : आपको 125 रुपये मिलते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुके क्या ? आप बोले कि नहीं ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण सूचना है और वह यह है कि शाम को सात बजे बाद जो माननीय विधायकगण अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं बोलते हैं वह प्रेस के माध्यम से दो-तीन दिन से नहीं पहुंच पा रही है। क्योंकि प्रेस कवरेज नहीं हो पा रहा है। इसकी भी व्यवस्था करें तो मैं समझता हूं कि काफी संवेदनशीलता रहेगी।

श्री अध्यक्ष : कल हम 7 बजे के बाद हाउस नहीं चलाएंगे। यह तय कर लिया है, कल 7 बजे तक आपको आफ कर देंगे। आज तो जो हो गया सो हो गया। (व्यवधान) कल कम से कम कह रहा हूं, आपने मांग की है तो।

श्री किशनाराम नाई : अध्यक्ष महोदय, होली की छुट्टी के लिये 26 तारीख का क्या आदेश है ? 26 को होली है, 27 को होली है और 28 को भी होली है।

श्री अध्यक्ष : बिजनस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुला रहा हूं 24 को, यह उसमें तय होगा।

मांग संख्या 16 पर विचार

श्री विजेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि यह करप्शन पुलिस विभाग के अन्दर आप्टिमम क्यों है ? इसके बारे में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि फेमस प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, यू.एस.ए. के प्रोफेसर हैं क्रिमिनोलोजी के एण्ड पुलिस अथारिटी है, उन्होंने यहां आकर स्टडी करके एक किताब लिखी है "Police & Political Development in India" by David H. Bailey. Now he is a very famous American writer on police. उसने लिखा है कि हिन्दुस्तान के अन्दर इस विभाग के अन्दर सबसे ज्यादा करप्शन व्याप्त है। उसके बारे में उसने सुझाव भी दिये हैं और अमेरिका के अन्दर जो सिस्टम है वही यहां पर करना चाहते हैं। परन्तु किसी ने इस पर विचार नहीं किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अमेरिका के अन्दर

(श्री विजेन्द्रपाल सिंह)

ग्राफ्ट सिस्टम के बारे में, ग्राफ्ट और करप्शन एक ही बात है, उसने स्टडी करके कहा है, उसने शुरूआत की है कि ऐसा सिस्टम रखा जाए, एमीडी. वगैरह से काम नहीं चलेगा। आप ऐसे इन्फार्मर्स रखें डिपार्टमेंट के अन्दर ही जो आपको बताते जाएं कि उसने किया, उसने ऐसा किया और उसको कम्पाइल करें। यह नहीं बताएं कि कौन आफिसर उसमें है जो इन्फार्मर है और उन्हीं में से आना चाहिए। यह जो वेली साहब ने कहा है इस पर विचार किया जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ए.सी.डी. आता कहां से है? पुलिस से, और वो के वो ही आफिसर्स वो के वो ही करप्ट। जो अच्छे आफिसर्स हैं वे ए.सी.डी. में जाना ही नहीं चाहेंगे। ए.सी.डी. को आज तो आर.एस.बी.आई. कहेंगे आप। ऐसा अगर अपन एक गुण बनाएं और ऐसी थिंकिंग आगे चले कि ऐसे लोगों को अन्दर लें तो कुछ काम हो सकता है। ए.सी.डी. या आर.एस.बी.आई. पुलिस डिपार्टमेंट ही है। यह बात सही है कि जो बड़े-बड़े आफिसर्स हैं उनकी छवि अच्छी है और वह परकोलेट नीचे तक होनी चाहिये पर नहीं होती है। पुलिस डिपार्टमेंट ज्यादा करप्शन प्रोन इसीलिये है कि दूसरे विभागों में तो उनको ढूंढना पड़ता है कि कहां से हम करप्शन के लिए रास्ते ढूंढे इनको तो रास्ता ढूंढना ही नहीं पड़ता, कहीं भी जाएं वहां तैयार। इसलिये एक इमेज की बात मैं सामने रखना चाहता हूं।

मैं दूसरी बात की मंत्री महोदय को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि माडर्नाइजेशन पर भी विचार किया जाए। अभी तक 303 चल रही हैं जो ओब्सोलीट वैपन है। ए के. 47 या ए के. 55 के सामने यह 303 क्या काम कर सकती है? आप ही, मंत्री महोदय, इसके बारे में विचार करें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो जीप्स आप देते हैं पेट्रोल की, यह पेट्रोल बहुत कम उनको मिलता है। वे चलाना ही नहीं चाहते क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। टेलीफोन सुविधा भी सब थानों में नहीं है। आसीन्द थाने में एक जगह टेलीफोन है, हमारे बदनौर और शम्भूगढ़ में टेलीफोन सुविधा भी नहीं है। यूरोप और अमेरिका के अन्दर तो सिस्टम ही दूसरा है कि वहां पर जो भी पुलिस विभाग है वह रेस्पांसिबल, जैसे यहां पंचायत समिति को है, वहां पर काउन्टीज के प्रति रेस्पांसिबिलिटि है। जब काउन्टीज को रेस्पांसिबिलिटी होती है। छोटे एरिया के अन्दर होती है तो वे अगर बदमाशी करते हैं तो पकड़े जाते हैं।

मैं एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जयपुर के अन्दर रेपिड ट्रैफिक मूवमेंट के लिये भी आज विचार करेंगे तब जाकर 10–15 साल के अन्दर हम आगे इसमें प्रगति कर पाएंगे। यही बात मैं आपके सामने मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री राम नारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय अध्यक्ष जी, आज सुबह से पुलिस प्रशासन पर बहस चल रही है और माननीय

(श्री रामनारायण चौधरी)

सदस्यों के दोनों तरफ से ही बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आये हैं। अब मैं कौन-सी बात कहूं जिसका रिपीटीशन नहीं हो? एक कही हुई बात को दुबारा कहूं वह मुझे जंच नहीं रहा है। माननीय सदस्यों के विचार सुनने के बाद मान्यवर मेरे विचार यह बने हैं, एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि यह अंग्रेजों के जमाने की पुलिस है और समय-समय पर पुलिस में परिवर्तन आया लेकिन आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। मान्यवर, यह आमूलचूल परिवर्तन क्या है? क्या परिवर्तन आना चाहिये, यह कोई नहीं कहता। शिक्षा की मांग आएगी, जहां कहीं भी मंत्री जाएगा, कोई भी जाएगा तो सब कहेंगे कि हमारे देश की शिक्षा बेकार है, इसके अन्दर आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिये। कोई यह नहीं कहता कि क्या परिवर्तन होना चाहिये। तो पुलिस के बारे में भी ढांचे में क्या परिवर्तन हो, यह किसी ने नहीं कहा, अंग्रेजों का नाम तो ले दिया। आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य विदेशों के बारे में कुछ अच्छी बातें बता रहे थे, मैं उनसे जानना चाहता था, मान्यवर, कि क्या दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां भारतवर्ष के अन्दर जो पुलिस सिस्टम है इससे भिन्न कोई सिस्टम हो? वह अगर अच्छा है तो माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि उसकी आजमाइश आप राजस्थान में करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दुनियां के अधिकांश देशों में पुलिस की एवीडेंस कोर्ट मानती है, हमारे यहां पुलिस जो भी कहती है उसको सही नहीं माना जाता।

श्री रामनारायण चौधरी : उसको एवीडेंस एक्ट कहो या दूसरी और बात, दूसरे देश बरसों से स्वतन्त्र हैं जिनका स्टैण्डर्ड आफ लिविंग उस सीमा तक पहुंच गया है। उन लोगों के सामने भारतवर्ष इतने हजारों साल से गुलाम देश है, गुलामी, डबल गुलामी और तिहरी गुलामी के अन्दर जो देश गुजरा है, मान्यवर, हजारों साल के अन्दर आजराजस्थान के अन्दर 40 प्रतिशत एजुकेशन है और 50 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, वहां ग्रोथ की बात माननीय मुख्य मंत्रीजी कहते हैं। कितना दबाव, कितना प्रेशर, काउण्टर प्रेशर कैसी माली हालत और समाज की व्यवस्था, इन सब बातों से यूरोप और अमेरिका से भारतवर्ष की सोशल लाईफ का मुकाबला हम नहीं कर सकते। पुलिस स्टेशन की व्यवस्था, मान्यवर, मैं सहमत हूं कुछ बातों से जैसे पुलिस की जो स्ट्रैन्थ आज है, थानों में राजस्थान के अन्दर अमेरिका, इंग्लैण्ड और फ्रांस का जिक्र किया, हमारे और उनमें बहुत अन्तर है। मान्यवर, वहां की सोशल लाइफ में तेजी से आ रहे परिवर्तन, और बढ़ती हुई बेरोजगारी, के साथ-साथ क्राइम भी इन वर्षों के अन्दर विदेशों में हर मुल्क में बढ़े हैं। कम्युनिस्ट कण्ट्री को आप छोड़ दीजिये, वहां तो पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। बाकी जो दूसरे डेमोक्रेटिक कण्ट्रीज हैं, वहां सब जगह बढ़ा है। एक जीता-जागता उदाहरण, जयपुर की राजमाता गायत्री देवीजी गयी थीं फ्रांस के अन्दर, उनके काफिले को जहां लूट लिया जाता है, तो मान्यवर, अन्दाजा लगाइए कि कौन वहां पर सुरक्षित है। हमारे देश में एवं

(श्री रामनारायण चौधरी)

प्रदेश में ऐसी हालत विदेशियों के साथ बहुत कम होती है। किसी की जेब काट ली हो, कुछ कर लिया हो तो अलग है लेकिन राजमाता गायत्री देवी के काफिले को पूरा लूट लिया गया तो किसी देश के अन्दर हमारे देश से ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। मैं कोई वकालत नहीं कर रहा हूं राजस्थान सरकार की लेकिन जो स्थिति मुल्क की है, वह मैं पूरे सन्दर्भ में निवेदन करना चाहता हूं कि हम किसी भी प्रदेश की या राजस्थान प्रदेश की पुलिस के मोरल को इस तरीके से नहीं गिराएं कि उसका असर कानून और व्यवस्था पर हो।

मान्यवर, किसी भी मुल्क की हिफ़ाजत के लिये दो ही एजेन्सी हैं-बाहर के लिये फौज और इण्टरनल सिक्योरिटी के लिये पुलिस। इन दोनों की ही जितनी सक्षम और आज के जमाने के हिसाब से वैज्ञानिक शिक्षा-दीक्षा और हथियार और आज के जो क्राइम्स हैं, जुर्म हैं उन जुर्मों के सन्दर्भ में प्रोपर ट्रेनिंग और एजुकेशन की व्यवस्था हम नहीं करेंगे तो पुलिस को हम कितना भी बुरा बनाएं, थानों को बुरा बनाएं, सर्किल आफिसर्स को बुरा बनाएं, एस. पी. को बुरा बनाएं, आई.जी., डी.आई.जी. किसी को भी बुरा बनाएं, जिम्मेदारी हमने इनको दे रखी है और वह लोग जिम्मेदारी निभाने की चेष्टा करते हैं। मान्यवर, कल्पना कीजिये गांधीजी की कल्पना, महात्मा बुद्ध की कल्पना, भगवान महावीर की कल्पना, तो वे तो सारे देश को और समाज को अपने जैसा ही मानते थे। अब यहां पास में बैठकर कोई जेब काट ले तो कैसे आप संभालोगे ? सारी व्यवस्था इसी हिसाब से करनी पड़ेगी। तो मान्यवर, माननीय गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जो परिवर्तन इन दिनों में, इन बरसों में आया, चार-पांच साल में, स्पीकर महोदय, यदि निष्ठा हो-यहां पर एक निर्दलीय माननीय सदस्य बोल रहे थे कि निष्ठा हो और कुछ करने का इरादा हो तो कुछ किया जा सकता है। पुलिस के अन्दर भर्ती में इतना बड़ा करप्शन था कि जिसकी कोई हद नहीं थी राजस्थान के अन्दर। आज भी होगा, मैं नहीं कह सकता। लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है, पुलिस की भर्ती के अन्दर इस समय, इन तीन-चार साल के अन्दर बिल्कुल ईमानदारी चल रही है। कहीं लुक-छिपकर कोई खा रहा हो, वह बात अलग हो सकती है। लेकिन भर्ती में ईमानदारी चल रही है। यह हो सकता है कि किसी की पुलिस फोर्स के अन्दर मित्रता हो, रिश्तेदारी हो, वह अपने रिश्तेदार को कहीं फंसा देगा, वह एक अलग बात है। लेकिन पैसे के बूते के ऊपर इस समय पूरा भ्रष्टाचार है थानों में। (व्यवधान) .... मैं भर्ती की बात कह रहा हूं....

श्री जगदीप धनखड़ : पुलिस की भर्ती के अन्दर जबरदस्त भ्रष्टाचार है।

श्री रामनारायण चौधरी : वह आपकी जानकारी में होगी। मैं मेरी जानकारी के हिसाब से बोल रहा हूं। मेरी जानकारी जो मेरी है।

श्री जगदीप धनखड़ : चार साल में जितना भ्रष्टाचार हुआ, उतना पहले कभी नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष : इनको आप बोलने दीजिये, ये अपने हिसाब से बोल रहे हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं कांग्रेस राज के बाद से कह रहा हूं कि कांग्रेस का शासन था उस वक्त इसकी व्यवस्था हुई थी, वह व्यवस्था बराबर चल रही है, उसमें गिरावट नहीं आयी है । जहां तक पुलिस की भर्ती का सवाल है, कोई उसका इनिशिएटिव यहां से हुआ हो आज के वक्त में, वह नहीं कहता, कांग्रेस का शासन था उस वक्त ही कोई चीफ मिनिस्टर ने कर दी हो, वह मैं नहीं कहता लेकिन पुलिस के उस समय के आई.जी. और डी आई.जी. ने व्यवस्था की थी और यह व्यवस्था आज तक भी चल रही है । उसमें कमी आयी होगी, मैं कोई प्रूफ की बात नहीं करता मैं तो मेरी जानकारी के आधार पर कहता हूं । इसका अगर आप कर सकते हैं तो आप थानों की भी कर सकते हैं. मान्यवर आप व्यवस्था कीजिये ।

आम तौर पर जो डाइरेक्ट आई पी. एस. और आई.ए.एस. आफिसर्स हैं, उनके अन्दर प्रतिभा, ईमानदारी निष्ठा, डिवोशन एण्ड डेडिकेशन टू दी ड्यूटी है । उनकी ट्रेनिंग, उनकी ग्रूमिंग इसी तरह की होती है । उन लोगों को जिम्मेदारी, माननीय सदस्य बोल रहे थे इनको आप जिम्मेदारी दीजिये, राजस्थान का डाइरेक्टर जनरल आफ पुलिस यदि निष्ठा रखता है तो जो दूसरे माननीय सदस्य बोल रहे थे । मैं उनकी बात में मेरी बात मिलाता हुआ कहता हूं कि कोई मजाल नहीं किसी सुपरिटेण्डण्ट ऑफ पुलिस की कि वह अपने जिले की व्यवस्था नहीं करे । डी.जी. की व्यवस्था राजस्थान के चीफ मिनिस्टर और राजस्थान के होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, उनके विश्वास का लो, कैसा भी लो । जिस डी.जी पर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर और राजस्थान की गवर्नमेण्ट का विश्वास नहीं है तो क्यों आप ऐसे आदमी को रखो ? दूसरा काम दो । लेकिन राजस्थान के हित के अन्दर महत्वपूर्ण और निश्चित निर्णय लीजिये और उनको जिम्मेदारी सौंपिये कि हम यह शासन चाहते हैं और इस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं । किसी भी थाने से, किसी भी जिले से, किसी भी दुखियारे की शिकायत नहीं आनी चाहिये, वह रोता हुआ नहीं आना चाहिये । यह आप उनको प्रोग्राम दीजिये । देखिये, उसमें परिवर्तन आता है कि नहीं आता । आएगा, निश्चित आएगा । लेकिन इसमें अगर आप कमी रखेंगे तो उसका इलाज मान्यवर, नहीं हो सकता ।

आज आप पुलिस में भर्ती करते हो । एक माननीय सदस्य सुझाव दे रहे थे कि बी.ए., एम.ए. और सैकण्डरी से ऊपर के लड़कों को आप लीजिये और उनको ट्रेनिंग दीजिये । आज के हिसाब की ट्रेनिंग दीजिये इस लाइन पर ट्रेनिंग दीजिए । यह भी, मान्यवर, एक सुझाव आया था कि आज जो पुलिस के जिम्मे के काम नहीं हैं उन कामों को आप पुलिस को मत दीजिये, उनके लिए अलग पुलिस खड़ी कर दीजिये । आज एक्साइज के अन्दर उनकी पुलिस है कि नहीं । किसी डिपार्टमेण्ट के

(श्री रामनारायण चौधरी)

अन्दर सैल्स टैक्स में, एक्साइज में, ट्रांसपोर्ट में, यदि पुलिस असिस्टैण्ट की जरूरत है तो उनके लिये अलग-फोर्स बना दीजिये। भारत सरकार ने बना रखी है अलग-अलग। कहीं इण्डस्ट्रियल फोर्स है, कहीं दूसरी है, कहीं दूसरी है। इस तरह को अलग बना दीजिये। यह पुलिस जो आपके इन्तजाम के लिये, प्रदेश की सिक्योरिटी के लिये है, प्रदेश के लोगों की हिफाजत के लिये है, उसके अन्दर वी. आई. पीज. के लिये, दूसरों के लिये अलग फोर्स आप बनाइये और उनको उस तरीके से ट्रेन कीजिये। यह पुलिस आप इस लाइन पर ही बनाइये।

जो पुराने लोग हो जाते हैं आज उनकी उपयोगिता है, मान्यवर, लेकिन उनको काम दीजिये जो उनका अनुभव है उस हिसाब से ही। आप उनको डाकुओं के पीछे लगा देंगे तो कहां डाकू पकड़ लेंगे वे? उनके पैर सीधे नहीं टिकेंगे। दौड़ लगानी पड़े तो कहां से वे दौड़ लगा देंगे? उनको सूझबूझ है, अनुभव है तो उनको आप वैसा ही काम दीजिये। जवान लोगों को ट्रेन करें। मान्यवर, प्रधान मन्त्री और दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिये जो स्पेशल गार्ड लगा रखी है, अगर पुराने थानेदारों और पुराने हवलदारों को लगा देंगे, वे इन्तजाम कर लेंगे? उनका खुद का ही नहीं होगा। ऐसा मौका आया तो वे खुद ही लड़खड़ा कर गिर जाएंगे। तो पुलिस के अन्दर आमूलचूल परिवर्तन इस दृष्टि से भी कीजिये और उनमें निष्ठा पैदा कीजिये। और एक बड़ा अच्छा सुझाव आया था कि मिलीटरी के अन्दर किसलिये जवान जान दे देता है? वह इसलिये दे देता है कि कुछ तो उनकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग होती है और दूसरे यह कि पीछे उनकी चिन्ता कम रहती है। बच्चों की पढ़ाई है, हिफाजत है, अच्छी उनको सैलेरी मिलती है, आगे का भविष्य उनको अच्छा नजर आता है। अब यहां पर दाल-रोटी का नहीं, उनको आप कनशेसन देकर खाना खिलाते हैं। सुबह के खाने का पता नहीं, शाम के खाने का पता नहीं। किस प्रकार से वह सिपाही ऐसा आपको देगा कि वह अपनी ड्यूटी को निभा सकेगा कि नहीं निभा सकेगा। उनके बच्चों की शिक्षा का इन्तजाम करिये, अलग उनके लिए स्कूल खोलिये, उनके लिए होस्टल्स खोलिये, उनके अन्दर कॉन्फीडेन्स पैदा कीजिये, उनका मोरल हाई कीजिये, उनको अच्छी सैलेरी दीजिये। देखिए, दूसरे लोगों से मत मुकाबला करिये दो फोर्स का, एक मिलिटरी फोर्स और एक पुलिस फोर्स। इनका मुकाबला टीचर से मत करो, इनका मुकाबला फोर्थ क्लास का हमारा एम्पलाई है उससे मत करो, उसका मुकाबला एल. डी. सी., यू. डी. सी. से मत करो। ये दो फोर्स हैं जिसके ऊपर भारतवर्ष ही नहीं दुनिया का कोई भी देश टिका हुआ है। आज यदि व्यवस्था नहीं हो, मान्यवर, तो कोई आदमी अपने घर आसानी से सुरक्षित नहीं पहुंच सकता। तो मैं इतनी वकालत नहीं करना चाहता हूं लेकिन सिद्धान्तः मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं यह भी नहीं चाहता कि पुलिस फोर्स किसी के लायक नहीं है। यह सब कुछ है। मैं

(श्री रामनारायण चौधरी)

गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आपके ऊपर मुख्य मंत्रीजी ने विश्वास किया है, आप योजना बनाए। आपका सौभाग्य है और हमारा भी सौभाग्य है कि हमारे समाज का वह वर्ग जो सब दृष्टि से कमजोर है, हजारों-हजारों साल से उपेक्षित रहा है वह आज राजस्थान का होम मिनिस्टर है। परिवर्तन करके देखिए, रिजल्ट लाइये और चोरियां, डकैतियां, आगजनी और इन सब पर आप काबू पाइये। थानेदारों को हिदायत दीजिये कि असत्य केस दर्ज नहीं करें, लोगों के अन्दर इस बात की चेष्टा होनी चाहिये कि असत्य मुकदमे दर्ज नहीं करें। मान्यवर, 90 पर्सेण्ट मुकदमे असत्य दर्ज होते हैं। क्या करेगा थानेदार ? क्या करेगा एस.पी. ? क्या करेगा डी.वाई.एस.पी. ? मर्डर केस होगा तो जानबूझकर गलत आदमियों को, दुश्मनों को फंसा देंगे। 323 का केस होगा उसके अन्दर शिकायत दर्ज कर देंगे कि मेरे घर में आकर पीटा और उस पर 452 का बन जाएगा। जब तक उसके पुलिस हथकड़ी नहीं लगाएगी तब तक 323 में उनको सन्तोष ही नहीं होता। तो दोनों तरफ है, मान्यवर। समाज की चेतना, समाज का शिक्षण और पुलिस का प्रशिक्षण, ये दोनों-तीनों जरूरी हैं। ऐसा नहीं होगा तब तक चाहे हमारा प्रदेश हो, चाहे देश हो उसमें वे वांछित रिजल्ट नहीं आ सकते जो हम लाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं, सदन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री जयन्ति लाल।

(अनुपस्थित)

श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16–पुलिस विभाग की चर्चा में मैं सम्मिलित हो रहा हूं। आज सुबह से सदन में चर्चा हो रही है, सभी माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की है कि मुकदमों की संख्या बढ़ रही है एवं पुलिस संवेदनशील नहीं है तथा पर सरकार ध्यान आकर्षित किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुकदमों की संख्या क्यों बढ़ रही है ? इस बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा कि इसके क्या क्या कारण हैं। मैं तो जहां तक सोचता हूं, मुकदमे बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण कोई है तो नीति निर्धारकों के सोच की कमी है और इस प्रदेश में धन कमी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेरोजगार छात्र लाखों की संख्या में घूम रहे हैं एम. ए. किये हुए, परन्तु उनकी नौकरियों की कोई व्यवस्था नहीं है। उनके बाल-बच्चे हो जाते हैं और वे दर-दर की ठोकरें खाते हैं। उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं होता तो वे चोरियां करते हैं, डकैती करते हैं और लूट करते हैं। इस बारे में भी सरकार को सोचना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा सबसे बड़ा कारण बाल विवाह है। आज हिन्दुस्तान के अन्दर बाल विवाह रोकने का कानून बना हुआ है परन्तु 2–2, 3–3 साल के बच्चों के विवाह कर देते हैं। बाद में जब वे बड़े होते हैं 18 साल के

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

तो लड़का आई. ए. एस. हो जाता है और लड़की अनपढ़ रह जाती है इस कारण उनके बीच में मतभेद होता है और फैक्शनबाजी चलती है। या तो उसको दहेज के कारण से मारते हैं या उसको अशिक्षा के कारण मारते हैं या और किसी प्रकार से टार्चर करते हैं। इस पर भी सरकार को सोचना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरा सबसे बड़ा कारण कानून में सरलीकरण और लचीलापन है। कानून आज बने हुए हैं लेकिन एक फरियादी अपने मुकदमे को लेकर थाने में जाता है तो थानेदार उससे पैसा लेते हैं। वह वकील के पास जाएगा तो वकील उससे पैसा लेते हैं, कोर्ट में जाएगा तो रीडर, बाबू और चपरासी तक पैसे लेते हैं। अस्पताल जाएगा तो डाक्टर उससे पैसा लेता है, इस प्रकार जो व्यवस्था बनी हुई है। बाद में मुलजिम पांच साल तक पेशी में फिरता है और वकील को पैसे देकर वह बरी हो जाता है। तो उसको क्या न्याय मिलता है? इस कारण को भी सरकार को सोचना पड़ेगा कि कानून ऐसे सुदृढ़ बनें जिससे लोगों में कानून के प्रति विश्वास जगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज टी.वी. पर वीडियो कैसेट और फिल्में ऐसी दिखायी जाती हैं जिससे नैतिक शिक्षा का हनन हुआ है। मेरा विनम्र निवेदन है कि टी.वी. और सिनेमा इस प्रकार की जो फिल्में प्रदर्शित करते हैं उन पर रोक लगानी चाहिये। ऐसी नैतिक शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिये जिसमें अनुशासन हो और आगे जाकर देश का, प्रदेश का नाम वे रोशन कर सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा गांवों में जो झगड़े होते हैं वे सैटलमैण्ट अधिकारियों व पटवारियों की गलती के कारण होते हैं जिससे आम काश्तकार बहुत परेशान है। वे रिकार्ड में हेराफेरी करते हैं, कोई पैसा देता है तो उसका नाम डाल देते हैं। बाद में मुकदमे-बाजी बढ़ती है, कोई माप को लेकर, कोई खेत का रिकार्ड में नाम इधर-उधर हो जाने के कारण से झगड़ते हैं। इस प्रकार सैटलमैण्ट के अधिकारियों और पटवारियों की गलतियों को मद्दे नजर रखना पड़ेगा और उनको सुधारना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा कारण है, पुलिस को असीमित अधिकार देना। आज जैसे 109 के मुकदमे बनते हैं, 107 और 151 के मुकदमे बनते हैं, तो यहां से एक डी. जी. का आदेश चला जाता है कि मार्च खत्म हो रहा है, आपने मुकदमों के टार्गेट अचीव किये कि नहीं किये, ज्यादा से ज्यादा 109 और 110 के मुकदमे बनाकर भेजो। अब आप सोचिये, 109 एक ऐसा मुकदमा है जिसमें राष्ट्र-पति को भी पावर नहीं है जितनी पुलिस को पावर दे रखी है। कोई भी आदमी राह चलता हो, कोई आदमी बस स्टैण्ड पर बैठा हो, जिस समय इनको टार्गेट अचीव करने होते हैं उन लड़कों को या उन आदमियों को पकड़ कर थाने में ले जाकर बन्द कर देते हैं और 109 के

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

अन्दर पेश कर देते हैं। ऐसे अधिकार जो उनको दिये गये हैं उन पर भी आपको सोचना पड़ेगा।

माननीये अध्यक्ष महोदय, आज 151 और 107 की कार्यवाही पार्टीज पर की जाती है। एक पार्टी को 151 में बन्द करके उस पर चालान कर दिया जाता है पर दूसरी पार्टी पर ऐसा नहीं करती। मेरा आपसे निवेदन है, कानून में यह है कि अशांति फैलने की सम्भावना हो, शांति-व्यवस्था बिगड़ने का अंदेशा हो तो दोनों पार्टीज को 107 और 151 में बन्द करना चाहिये लेकिन ऐसा करते नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सब कारणों से मुकदमे बढ़ रहे हैं जिन पर सरकार को विचार करना पड़ेगा और जनता की भावना के अनुरूप विवेचन करना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस जो संवेदनशील नहीं है, इस बारे में मैं दो मिनट में आपको निवेदन करना चाहता हूं। आज सभी कर्मचारियों की हड़ताल होती है तो उनके वेतन-भत्ते और किराये बढ़ जाते हैं। लेकिन पुलिस अनुशासन में रहती है। पुलिस हमेशा यह सोचती है कि अपने जो भी अधिकारी हैं उनके आदेशों की पालना करें और जो भी सरकार के नियम हैं उनका पालन करें। मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार अनुशासन में रहने वाली पुलिस के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी करनी चाहिये। मैं पुलिस अधीक्षक और प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी निवेदन करता हूं कि कोई भी फरियादी आपके पास आए तो उस फरियादी को इज्जत दे और उनकी भावना की कद्र करें और उनके साथ जो कुठाराघात हुआ हो उसका निराकरण करने का प्रयत्न करें और यह समझ कर कि अगर उसकी जगह खुद स्वयं थाने में होते तो वह जैसा व्यवहार चाहते हो वैसा का वैसा व्यवहार फरियादी के साथ करेंगे तो किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रहेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं दो मिनट में मेरे क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मेरे यहां रास एक पंचायत हैडक्वार्टर है, वहां 15 हजार की पापुलेशन है। उसके आसपास में बावरा चौकी है जो बहुत पुरानी स्टेट टाइम की बनी हुई है। उसको अगर पुलिस थाने में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वहां के ग्रामीणों को 50 किलोमीटर आनन्दपुर कालू थाने में जाने हेतु रास्ता नहीं काटना पड़ेगा और जल्दी न्याय मिल जाएगा। इसलिये रास चौकी को कन्वर्ट करने का जल्दी से जल्दी आदेश प्रदान करें। आनन्दपुर कालू बहुत पुराना थाना है जिसमें आस पास के 50-100 गांव हैं लेकिन वहां जीप की व्यवस्था नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर आप जीप मुहैया कराएं।

मेरा एक शार्ट में निवेदन है कि एट्रोसिटी एक्ट के आज मुकदमे गांवों में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। एट्रोसिटी के हिसाब से मुकदमे होते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है पर उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिये,

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

उनके साथ न्याय होना चाहिये। परन्तु इस एक्ट का दुरुपयोग करके किसी भी व्यक्ति को फंसा दिया जाता है और फंसा करके इसकी जांच डी.वाई.एस.पी. रैंक के व्यक्ति द्वारा करायी जाती है, हालांकि यह सेन्ट्रल का एक्ट है। अध्यक्ष महोदय, डी.वाई.एस. पी. के पास बहुत ज्यादा काम होता है, 4–4, 5–5 थाने उसको देखने होते हैं, मेरा निवेदन है कि थानेदार रैंक के अधिकारी से इसकी जांच करायी जाए और अधिकार दिये जाएं जिससे उनको न्याय मिल सके। आपने जो समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मीना अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी का ध्यान पुलिस विभाग की ओर ले जाना चाहता हूं। भारतीय दण्ड संहिता के अन्दर अनेक धाराओं का वर्णन किया गया है परन्तु पुलिस विभाग उन धाराओं का किस प्रकार से दुरुपयोग करता है उसका एक चश्मदीद उदाहरण मैं आपके सामने दूंगा। 452 नम्बर की जो धारा है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी के घर में जाकर मारपीट करे तो उसके खिलाफ 452 का मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन पुलिस कर्मचारी या अधिकारी, दोषी व्यक्तियों से पैसा लेकर उनके खिलाफ सही धारा लगाकर उन्हें फंसाते नहीं एवं उन्हें छोड़ देते हैं। मेरे यहां पहुंना में कुछ व्यक्तियों ने 13.2.94 को कैलाश चन्द्र कम्पाउंडर के घर जाकर, सरकारी निवास पर जाकर मारपीट की। उसे घर से मारते-मारते बाजार में ले गये, मारते-मारते बाजार में घुमाया और फिर उसे छोड़ा गया। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस विभाग ने कानूनी पेचदगियों के कारण 452 में मुकदमा दर्ज न कर 451 में मुकदमा दर्ज किया और दोषी व्यक्तियों को छोड़ दिया। पुलिस विभाग दोषी व्यक्तियों से मिल गया, उनसे पैसे खा गया एवं दोषी व्यक्तियों को बाइज्जत थाने से छोड़ दिया गया। और पिटने वाले के साथ में इस कदर ज्यादती की कि जिससे जनता में रोष हुआ। श्रीमान् से मैं यही निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के दोषी अधिकारियों को सजा दिलायी जाए। मैं स्वयं एस. पी. साहिब के पास गया। एस.पी. साहब ने आश्वासन दिया कि मैं इसकी अच्छी तरह से जांच करवाऊंगा। उन्होंने डीवाई. एस.पी. कपासन, भरतसिंह जी एवं थानेदार राशमी, माधोसिंह जी से इनक्वायरी करायी। उन्होंने एस.पी. साहब को सही रिपोर्ट नहीं दी और 452 की धारा के स्थान पर 451 ही रखा जिससे कि दोषी व्यक्ति मुक्त हो गये। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि डी.वाई.एस.पी. एवं थानेदार को अविलम्ब लाइन हाजिर किया जाए। उस कम्पाउंडर का मात्र इतना ही दोष था कि ग्राम पहुंना के अन्दर एक बंगाली कम्पाउंडर जिसने फर्जी डिग्री रख रखी है और वह वहां पर क्लीनिक चलाता है उससे कम्पाउंडर ने कहा कि आप इस प्रकार से फर्जी तरीके से इस गांव में इलाज

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

कर रहे हैं, इससे कितने ही इंजेक्शन लैप्स हो गये हैं और मेरे यहां परेशानी के कारण बनते हैं। लोग हमारे पर ब्लेम लगाते हैं, कम्पाउंडर साहब, या डाक्टर साहब अच्छा इलाज नहीं कर रहे हैं। इंजेक्शन बंगाली के वहां लगाया जाता है और दोषारोपण चिकित्सालय पर किया जाता है। उन्होंने यह बात गांव में कही। उस बंगाली को कही तो बंगाली ने कुछ असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर उस कम्पाउंडर को पिटवाया, गांव में घुमाया। अत: मेरा अध्यक्ष महोदय के द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन है कि ऐसे दोषी डी.वाई.एस.पी. और थानेदार को अविलम्ब लाइन हाजिर किया जाए। मैंने एक प्रार्थना पत्र गृह मंत्री जी को दिया था, परन्तु आज दिन तक सुनवाई नहीं हुई है। अत: मैं सदन के माध्यम से आग्रह करता हूं कि दोषी व्यक्तियों को सजा दिलाएं।

मैं पुलिस विभाग की तारीफ भी करता हूं। पुलिस विभाग में काफी अधिकारी और कर्मचारी लोग कर्तव्यनिष्ठ, सेवाभावी एवं कर्मशील हैं। मेरे क्षेत्र से छुपाकर एक जीप 361 किलो अफीम ले जायी जा रही थी। ग्राम राशमी में एक थाना है वहां पर कई कांस्टेबल हैं, उन्होंने बड़े प्रयत्न से अफीम ले जा रही गाड़ी का पीछा किया। भीलवाड़ा निवासी अम्बालाल चौधरी है उससे 361 किलो माल बरामद किया, गोलियां चलायीं, एवं इस प्रकार से बहादुरी का कार्य किया। उस व्यक्ति का नाम भंवरपाल सिंह हैड कांस्टेबल है। ऐसे व्यक्तियों को इनाम भी दिलाया जाना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : डा० जितेन्द्र सिंह।

डा० जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पुलिस व्यवस्था के बारे में कहना चाहूंगा। राजस्थान एक अमन पसन्द स्टेट है और सम्भवत: हिन्दुस्तान में क्राइम की दर सबसे कम राजस्थान में है। ब्रिटिश शासन के समय जो कानून था पुलिस व्यवस्था के बारे में, 100 साल में उसमें बहुत कम परिवर्तन हुआ है। खाकी वर्दी गांवों के अन्दर महज एक आतंक का पर्याय है। महोदय, डाक्टर होने के नाते ऐसे वीभत्स क्षण मैंने देखे हैं। इमरजेन्सी के अन्दर दुर्घटनाग्रस्त कोई व्यक्ति आता है चाहे स्टैब किया हुआ हो चाहे जीप की टक्कर से मर कर आया हुआ हो, डाक्टर इन्तजार कर रहा है उसका ट्रीटमेंट करने के लिये लेकिन वह बाउण्ड है। जब तक पुलिस आकर उसका मेडीकोलीगल नहीं बना लेती, प्रोसीडिंग्स नहीं कर लेती, पूछताछ नहीं कर लेती तब तक डाक्टर को उसको पड़े-पड़े ब्लीड टू डेथ देखना पड़ेगा। जब 1988 में पहली बार मैं उप चुनावों में जीत कर आया था, मैंने सदन के माध्यम से इस अति गम्भीर घटना जो एक प्रोसीडिंग होती है, डेली हॉस्पीटल में, इमरजेन्सी वार्डस में, वह मैंने निवेदन किया था। इसके बारे में केरल असेम्बली में भी प्रश्न उठा था और अतत: उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद यह निर्णय सामने आया कि अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति हास्पिटल में एडमिट होता है तो पुलिस के आने के पहले डाक्टर उसकी

(डा. जितेन्द्र सिंह)

चिकित्सा कर सकता है। मैं नहीं जानता कि आज से पांच साल पहले उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को अब भी फॉलोअप किया जा रहा है या नहीं। इसकी सूचना पूर्ण रूप से डाक्टर्स को हास्पिटल्स में कर दी जाए मैं आपको बता सकता हूं, हिन्दूराव हास्पिटल दिल्ली का एक अति महत्वपूर्ण अस्पताल है। वहां कोई मेडिको-लीगल केस एडमिट नहीं किया जाता है और वहां से आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट को रैफर किया जाता है। यही स्थिति है आपके एसडीएमएम. या संतोकबा दुलर्भ जी की, कोई मेडिकोलीगल केस नहीं किया जाता है। कारण क्या है ? आज सब लोग पुलिस को मदद देने को तैयार हैं लेकिन एक कानूनी व्यवस्था इस तरह से जकड़ी हुई है। मैंने अपनी आंखों से देखा, एक वारदात हुई। जहां मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल मौजूद थे। उन्होंने पुलिस को फोन किया। जब पुलिस से इनक्वायरी हुई कि कौन बोल रहे हैं तो उन्होंने फट से फोन रख दिया। बोले, Well, gentleman, I don't want to rush to the courts again and again. जब एक बहुत संजीदा व्यक्ति के यह स्टेटमैण्ट हैं तो एक साधारण आदमी क्या मदद करेगा पुलिस की ? आप उसको चक्कर कटाएंगे। मैंने देखा है, एक अस्पताल में एक अमन पसन्द आदमी एक सड़क से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को लाता है। डाक्टर उसको एडमिट करता है और उससे कहता है जनाब, यहीं तशरीफ रखिये आप, पुलिस आ रही है। पुलिस वहां आती है, सबसे पहले उन्हीं का रपट में नाम दर्ज होता है। उसने मदद की है मानवता के नाते। वह इस बात के लिये तो बाउन्ड नहीं है कि वह कोर्ट के सौ चक्कर काटता रहे। इस कानून में संशोधन करना पड़ेगा वरना कोई मदद करने को नहीं आएगा पुलिस की। आप उसका समय बरबाद कर रहे हैं। आपने तो इस केस में उसको लपेट लिया। मुझे अपने क्षेत्र का एक केस पता है जिसमें रात को चोर दो व्यक्तियों को पेड़ से बांधकर चले गये। एक व्यक्ति का खेत पड़ौस में था। उसने उनको खोला, पानी पिलाया और पुलिस में इत्तला दी। रिजल्ट क्या हुआ ? रिजल्ट यह हुआ कि जो श्रीमान उनकी मदद करने को आये थे उनको पुलिस अपनी जीप में बिठाकर वहां से ले गयी और उनके साथ बड़ी बदतमीज़ी से पेश आयी। कौन मदद करेगा ? महोदय, यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर सोचना अत्यन्त जरूरी है।

(21.00)

महोदय, दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा पुलिस की पूछताछ व्यवस्था के बारे में। क्या पुलिस के पास अब भी वह सौ साल पहले वाला आतंक का डण्डा ही है पूछताछ के लिये ? महोदय, आज ब्रिटिश या यूरोपियन सोसाइटी के अन्दर पूछताछ का नजरिया बदल गया। और भी बहुत-से तरीके हैं, लाई-डिटेक्टर है आपके पास, आपके पास सजेशंस हैं, आपके पास साइकोथैरेपी है, आपके पास साइको ऐनेलिसिस है, महोदय, मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूं, मैं स्वयं मेडिकल का विद्यार्थी था, हमें मैण्टल हॉस्पिटल के अन्दर ट्रेनिंग के लिये जाना पड़ता था। एक गम्भीर हत्या के अपराधी को इण्टेरोगेशन

(डा. जितेन्द्र सिंह)

के नाते, सजेशंस के नाते मैं डील कर रहा था। पुलिस उसको दस दिन तक मार-मार कर नहीं उगलवा पायी; वह बुरी तरह टूट चुका था। महोदय, मैं तो एक स्टूडेण्ड था, मेडिकल स्टूडेण्ड था, मैंने आधे घण्टे उससे इण्टेरोगेशन किया। बात की, सजेशंस दिये। वह अन्त में फूट-फूट कर रो पड़ा। उसने स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की और क्यों की है यह उसने सारे कारण बताये। महोदय, इतनी जघन्य हत्या के अपराधियों को सजेशंस के माध्यम से अगर जरा-सी तसल्ली की जाए तो आपको बीस-बीस दिन तक दौड़ नहीं लगानी पड़े, आप बड़ी सहजता से इस तरह के केसेज को ट्रीट कर सकते हैं। महोदय, रिफोरमेशन बहुत जरूरी है। महोदय, आज पुलिस सुधार गृह, जेलें, जिसमें कैदी जाता है तो वह बाद में कैदी की जगह हत्यारा होकर बाहर निकलता है। उसके दिल में आक्रोश होता है, वह आकर रिवेंज लेने की कोशिश करता है। उसको वे सात साल चुभते हैं जो वह हत्या के आरोप में जेल में बंद हुआ। वह कभी भी आपके सामने एक अच्छा पुरुष होकर नहीं निकलेगा। व्यवस्था जेल में ऐसी ठीक करनी पड़ेगी, उसे वाकई सुधार गृह आपको बनाना पड़ेगा। यह सोच का विषय है।

महोदय, एक छोटी-सी, देहाती स्थिति की बात बताता हूं। गांव के अन्दर जब चोरियां होती हैं तो सबसे पहले खोजी जाते हैं वहां, पग्गा कहते हैं उनको। वे देखते हैं कि यहां से ऊंट गया था, ये जूते के पांव के निशान हैं, किस गांव तक जाते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि इस ग्रामीण डाइग्नोसिस को हम भूल चुके हैं और आज इजरायल जैसे विकसित देश के अन्दर फिलिस्तीनी उग्रवादी अन्दर घुसते हैं तो वहां पर पर उन्होंने अपनी फोर्स बनायी है इजरायल में। आप खेती की शिक्षा तो ले रहे हैं इजरायल से लेकिन यह शिक्षा हिन्दुस्तान या राजस्थान से इजरायल की तरफ चली गयी। उनके पास में एक फोर्स है जो डाइग्नोस करती है कि रात को किस पर्टीकुलर के लोग इजरायली टैरिटरी में एण्टर हुए है। आपको उसे पुनर्जीवित करना पड़ेगा। यह बहुत छोटी-सी बात है लेकिन कुछ चंद लोगों को इस बात का आपको कन्फरमेशन देना पड़ेगा। महोदय, आप पशुओं की कैसे काउंटिंग करते हैं सैंक्चुरीज के अन्दर ? बाई फुट प्रिन्ट्स अपराधियों के पांव के निशानों से, अब भी नीमकेथाने में, खेतड़ी में ऐसे बहुतेरे लोग है, शेखावाटी के अन्दर भी हैं, जो बता देते हैं कि यह ऊंट किस का था, ये पांव के जूते किसके थे। आपको उनको महत्व देना पड़ेगा। महोदय, समय बहुत हो गया, मैं तो यही कहूंगा कि पुलिस अपना अजरिया बदले यह पुलिस मेमोरियल सर्किल है, इस बात का सब लोगों को संदेश है कि पुलिस अमन पसन्द नागरिक के साथ प्रेम का व्यवहार करे तो वही रेसीप्रोकल रिप्लाई पुलिस के साथ होगी, अमन पसन्द नागरिक पुलिस की मदद करेगा। इस तरह से आप उनको कानूनी दायरों के अन्दर घुमाते रहे तो कोई अमन पसन्द आदमी पुलिस की मदद करनेके लिये तैयार नहीं होगा। महोदय, मैं इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल पाटीदार।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह हमारे देश की बाह्य सुरक्षा हेतु मिलिटरी का महत्व है उसी तरह से हमारे देश एवं प्रदेश की आन्तरिक सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस का होना अति आवश्यक है। लेकिन पुलिस संवेदनशील हो और अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह सजग हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस का दायित्व है कि वह संवैधानिक नियमों की पालना कराये। समाज के व्यक्तियों के सम्मान की रक्षा करे, उनकी सुरक्षा करे और उनकी सम्पति की सुरक्षा करे। बहुत हद तक, मैं यह कहना चाहूंगा कि पुलिस डिपार्टमेण्ट के उच्च अधिकारियों द्वारा प्रदेश में पूर्ण रूप से शान्ति बनायी हुई है, बनी रहेगी, लेकिन जो आदर्श उच्च श्रेणी के पुलिसकर्मी प्रस्तुत कर रहे हैं उसका अनुकरण निचली श्रेणी के पुलिसकर्मी, थाना लेबल के अधिकारी नहीं करते हैं थानों को आज जनता सबसे अधिक भ्रष्टाचार वाला डिपार्टमेण्ट मानती है। थानों ने ही हमारे प्रदेश की प्रतिष्ठा को, पुलिस की प्रतिष्ठा को गिराया है। हमारे थानों में ऐसे कितने ही दुष्कृत्य होते हैं जो आये दिन अखबारों में पढ़ने को मिलते हैं कहीं थानों में बलात्कार होता है, कहीं पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है। जुगताराम जैसे जघन्य काण्ड हमारे थानों में हो जाते हैं जो शर्मनाक है और ऐसे ही कृत्यों की वजह से पुलिस को हेय दृष्टि से देखा जाता है। माननीय गृह मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस के ऊपर अंकुश बनाएं सारे राजस्थान के थाना अधिकारियों का स्थान परिवर्तन किया जाए, सारे विधायकगण यही चाहते हैं। सारे थाना अधिकारी यही समझते हैं कि हम अभी भी राष्ट्रपति शासन के दौरान जी रहे है, वे निरंकुश हो चुके है। आज उन्हें एहसास कराया जाए कि प्रदेश में भारतीय जानता पार्टी की सरकार बैठ चुकी है। उनके अंकुश के रूप में एम.ए.लए. चुनकर आ चुके हैं और आपको मनमानी नहीं करने दी जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, थाने वालों की बात कहता हूं। आज हमारा किसान ट्रैक्टर ट्रोलियों को बैलगाड़ियों की तरह से उपयोग में लेता है। वह उसमें अपनी उपज भरकर मण्डी ले जाता है या दस-बीस व्यक्तियों को बैठाकर रिश्तेदारी में जाता है कोई भी पुलिस वाला सड़क पर मिल जाता है हाथ दे देता है और सौ, पचास रुपये उस गरीब किसान से, गरीब ट्रैक्टर मालिक से ऐठ लेता है। मेरा गृह मंत्री महोदय से निवेदन है कि थानों को इस बाबत अधिकृत नहीं किया जाए कि वे ट्रैक्टरधारी किसानों को किसी भी तरह से परेशान करें।

माननीय गृह मंत्री जी, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जिस तरह पिता की जमीन पिता के मरने के बाद पुत्र के नाम ट्रांसफर हो जाती है उसी तरह से जो पुरखों के हथियार है और पुरखे मर चुके हैं तो वे हथियार उनके नाम आसानी से, आसान प्रक्रिया के दौरान ट्रांसफर हो जाने चाहिये जिससे किसानों को सुरक्षा की दृष्टि से हथियार आसानी से उपलब्ध हो सकें। किसानों को बंदूकों के लाइसेंस भी

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

जारी किए जाएं, ऐसी प्रक्रिया भी माननीय गृह मंत्री अपनाएं। मेरे क्षेत्र पिड़ावा के अन्तर्गत एक गांव आता है, मैं आपको पुलिस की कारगुजारी बताता हूं, गांव का नाम है गेलानी। वहां एक घर में चोर घुसे, उन्होंने चोरी की। बाई दी वे घर वाले जाग गये, उन्होंने चोरों को पकड़ा, मारा पीटा और पकड़ कर थाने ले गये। थानेदार ने उल्टा जिनके घर चोरी हुई थी उनको डांटा और उनको धमकी दी कि मैं आपके खिलाफ केस बनाऊंगा, आप लोगों ने इनको काहे को पीटा। और चोरों को छोड़ दिया। इसी तरह से सुमेल थाने के थानाधिकारी ने भी असत्य केस बनाये। आग लगाने वाला कोई और था, गांव से बाहर का था और निर्दोष व्यक्तियों को आग के केस में फंसाया गया। एक चोरी, कंजरों ने की थी। कंजर पास ही कुएं पर ठहरे हुए थे, लोगों ने कंजरों को देखा। लोगों ने शिकायत की तो थानाधिकारी की यह हिम्मत नहीं है कि वह कंजरों के डेरे पर जाकर कंजरों से माल बरामद करे। हमारा प्रतिनिधि-मण्डल जब थाने पहुंचा और उनसे कहा कि आप कंजरों के डेरे में छापा मारिये, माल बरामद कीजिये तो थानाधिकारी कहता है कि मुझे और मदद की आवश्यकता है। मुझे यदि एसपी. साहब कुछ गारद उपलब्ध करा दें तो मैं डेरे में छापा मार सकता हूं। यदि उसकी कंजरों के डेरे में जाकर छापा मारने की हिम्मत नहीं है तो थाने में काहे को बैठा है? माननीय गृह मंत्री महोदय, ऐसे थानाधिकारियों का तुरन्त स्थानान्तरण करें। मेरे यहां एक गांव है हिम्मतगढ़ जो कि मेन रोड से करीब 15–20 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां आसपास 10–20 गांव लगे हुए हैं। बरसात के दिनों में यदि कोई दुर्घटना घट जाए तो उस गांव से पुलिये स्टेशन तक पहुंचने में काफी परेशानी होती है। माननीय गृह मंत्री जी मेरे हिम्मतगढ़ गांव में एक पुलिस चौकी की स्थापना करें। मैं अंत में यही आशा रखता हूं कि गृह मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी सरकार की गरिमा को बनाये रखते हुए प्रदेश में पुलिस व्यवस्था को सही करेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल।

(अनुपस्थित)

श्री रामस्वरूप जी।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आज जो पुलिस विभाग की डिमाण्ड पर बहस हो रही है उस पर निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धर्म को मानने वाली सरकार, श्रीराम के मन्दिर को बनाने वाली सरकार, गऊ और ब्राह्मणों के गुणगान करने वाली सरकार के सामने मैं अपनी वेदना सुना रहा हूं। बहुत गम्भीर मसला है। मेरी बहनें कम से कम सुनेंगी तो उनको भी पता लग जाएगा कि क्या हुआ है उनके साथ माननीय अध्यक्ष महोदय समय का ध्यान रखें, ये बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। समय का ध्यान मैं रखूं या आप?

श्री रामस्वरूप : मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिये मैं सबसे पहले कहूंगा कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ है। माननीय गृह मंत्री जी, आप भी अनुसूचित जाति के गृह मंत्री बने हैं। उस समय लोगों ने मिठाइयां बांटी थीं कि अब तो अनुसूचित जाति, जनजाति का कल्याण अवश्य होगा लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, मैंने धर्म की बात इसलिये की थी कि मेरे क्षेत्र में धर्म के साथ ही कुठाराघात हुआ है। मेरे जिला सवाई-माधोपुर के क्षेत्र टोडाभीम के अन्दर 4 महन्तों की हत्या हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में पहले भी निवेदन किया था कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। कदमघुट्टी स्थान अनुसूचित जनजाति के 12 गांवों का माना हुआ स्थान है जिसमें 150–200 बीघा तक जमीन है और वहां पर एक विशाल मन्दिर बना हुआ है। सारे क्षेत्र के श्रद्धालु लोग वहां दर्शनों के लिये आते हैं, लाखों लोगों का मेला वहां पर लगता है। उसका महन्त एक ब्राह्मण था जाति से। रात में ही बदमाश आये, डकैत आये, चोर आये, गुण्डे आये और पीछे से किले पर चढ़े। चढ़ने के बाद में पहले तो तो महन्तजी ने उनका मुकाबला किया और आखिर में यह हुआ कि एक बम के के द्वारा उनकी हत्या वहीं मन्दिर में ही कर दी गयी। पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था। कोई बात नहीं, हत्या हो गयी, हमने सोचा अब नहीं होगी। सुनो, फिर आगे क्या हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा हमारा खुर्री है जहां पर साध बाबा का बहुत बड़ा मन्दिर है, साध लोग जहां आते हैं। यहां आकर सिर झुकाते हैं और अपने धर्म की पूजा करते हैं। वहां के मन्दिर के महन्त को भी मार दिया गया। वह भी जाति से ब्राह्मण था। तीसरे, मैं निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पदमपुर है वहां पर भी एक बहुत बड़ा मन्दिर हमारे समाज का है। वहां के भी महन्त की हत्या इसी प्रकार बदमाशों के द्वारा कर दी गयी थी। चौथा मैं निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मसला है। हमारे यहां पर खेमला वाले नगले बाबा की धूनी है। एक नगले वाले बाबा हुए थे, बहुत बड़े तपस्वी, सिद्धपुरुष हुए थे। वहां जयपुर के लोग भी जाते हैं। उसके महन्त को भी जो अपने कमरे में सो रहे थे, रात्रि में ही उनको जगाया। कोई जानकार आदमी भी उसके साथ थे। उसने अपना दरवाजा खोलने के बाद में उसका गला घोंट कर अन्दर ही मारकर पटक गये। चार-चार महन्तों की हत्याएं और वह भी चारों ब्राह्मण हत्याएं। इस तरह की जब-जब भी हत्याएं हुई हैं तो भगवान को अवतार लेना पड़ा है। आपके राज्य में इस प्रकार की हत्याएं हो रही हैं। यह कोई मजाक की बात नहीं है, कोई पार्टी की बात नहीं है हकीकत है। आप मालूम कर लेना कि चार महन्त मारे गये या नहीं मारे गये। यहां हमारे बड़े-बड़े आफिसर्स बैठे हुए हैं, ठाकुर साहब यहां बैठे हुए हैं, और भी यहां बैठे हुए हैं, होम मिनिस्टर साहब भी यहां बैठे हुए हैं और सब के मालिक आप बैठे हैं, अध्यक्ष महोदय। चार-चार हत्याएं हुई हैं और आज तक उन हत्याओं का पता नहीं लगा है। इसका परिणाम क्या सामने आया ? इन चारों के हत्यारे खुले आम घूम रहे हैं। मेरे नांदोती के अन्दर घूम रहे हैं हत्यारे खुले आम। उन्होंने क्या किया,

(श्री रामस्वरूप)

अध्यक्ष महोदय, सुनोगे तो आपको भी दुःख होगा। + + +

मेरे एक अनुसूचित जाति के भाई और बहिन डहरा मोड़ पर दोनों साथ-साथ जा रहे थे। उन्हीं बदमाश और गुण्डों ने दोनों को दिन दहाड़े रोक लिया जंगल के अन्दर। रोकने के बाद में क्या किया उन्होंने? उस बहिन के पास कुछ गहने भी थोड़े-बहुत। उसके भाई को पेड़ से बांधा और उस बहिन की इज्जत उन लोगों ने उस भाई के सामने लूटी। हंसो, मेरी बहिन, कितनी हंसती हो आपकी इज्जत लूटी हमारी तो नहीं। आपको हंसी आती है। गांव वाले आये, माननीय अध्यक्ष महोदय। गांव वालों ने उस बैरवा जाति के भाई को बाद में छुड़ाया। गुण्डे सीधे बन्दूक की नोक पर चले गये और आज भी नांदौती के अन्दर खुले आम घूम रहे हैं। आप पूछ लीजिये जाकर पुलिस विभाग को। आपका पुलिस विभाग देखता रहता है रोजाना और गुण्डे उनके पास आकर बैठते हैं। ये 5 घटनाएं मेरे क्षेत्र में हुई हैं। इन घटनाओं को मैं सदन में नहीं कहूंगा तो और कहां कहूंगा क्यों भेजा है मुझे वहां की जनता ने यहां पर? इसीलिये भेजा है, माननीय गृह मंत्री जी। आपके गृह मंत्री होने की जो उनको खुशी हुई थी आज वह दुःख में बदल रही है। आओ मेरे क्षेत्र के अन्दर देखो और सुनो लोगों की पुकार। यह अन्याय हुआ। इसका पता तो लगाओ। फिर आपको बैठने का क्या अधिकार है यहां पर? न हमको अधिकार है इस प्रकार का। जब मेरी बहन की इज्जत ही लुट जाएगी तो क्या बचा हमारे पास? गोलियां चल रही हैं, हत्यारे दिनों दिन इज्जत को लूट रहे हैं। यह सब कुछ क्यों होता है? यह नहीं कि पुलिस ही गलती पर है इसमें। पुलिस में भी अच्छे लोग हैं लेकिन उनकी भी कुछ सीमाएं हैं। साधन नहीं हैं उनके पास और व्यवस्थाएं नहीं हैं उनके पास। मेरा यह निवेदन है कि इस पर अंकुश लगाओ।

अध्यक्ष महोदय मेरा थाना टोडाभीम 50 साल पुराना थाना होगा। उस थाने में आज तक कोई बिल्डिंग नहीं, किवाड़ नहीं हैं बल्कि एक बूचड़खाने जैसी हालत हो रही है थाने की। शहर के बीच में आ गया थाना, चारों तरफ से घिरा हुआ है थाना। अपराधियों को न दण्ड दे सकते हैं, न सख्ती से बोल सकते हैं उनके साथ। इस प्रकार का हमेशा दबाव रहता है उन लोगों के ऊपर। इसलिये आप वहां कम से कम थाना बढ़ाएं। 250 गांवों के बीच में एक थाना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या करेंगे पुलिस वाले? कुल 10 सिपाही वहां पर रहते हैं। अपराधी लोगों को उनकी परवाह नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि दूसरा थाना और खोला जाए। और मालघाट चौकी को थाना बनाया जाए ताकि अपराध बन्द हो। वहां पर न तो उनकी जीप दे रखी है। और 6 महीने से टेलीफोन का कनेक्शन कटा हुआ पड़ा है। जब टेलीफोन ही नहीं होगा थाने के अन्दर तो सूचना कैसे दी जाएगी? आज 6 महीने हो

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामस्वरूप)

गये हैं कोई टेलीफोन की व्यवस्था नहीं है। मैंने जाकर कहा थानेदार से कि क्या बात है, तुम्हारा टेलीफोन कभी नहीं बोलता है। तो वे कहने लगे कि क्या करें, साहब, इसका बिल ही नहीं दिया गया है। तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। जिला सवाईमाधोपुर का रिकार्ड जला दिया गया, एसपी आफिस में रिकार्ड दिया, आग लगा दी पुराने रिकार्ड में। पिछली बार आग लगी थी, हमारे मंत्री महोदय यहां पर विराजमान हैं, सारे सर्विस के रिकार्ड और दूसरे रिकार्ड सब जला दिये। यह धांधलेबाजी इतनी बड़ी सवाईमाधोपुर के अन्दर हो रही है। क्या इस रिकार्ड के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है? माननीय मंत्री महोदय, आप इसको नोट करो। जलाया है, इतनी बड़ी हेराफेरी की है क्योंकि उसमें घोटाले थे बहुत बड़े, क्या उसका पता लगाकर आपने जिम्मेदार आफिसर को दण्ड दिया है? कुछ भी नहीं किया है।

दूसरे मैं निवेदन करूंगा कि मेरे यहां पर अब तक जितने भी मुकदमें दर्ज कराये गये हैं उनमें सबसे ज्यादा मुकदमे भाइयों के होते हैं। आप हिदायत दें पुलिस वालों को कि दो भाई लड़कर आएं तो कम से कम एक दिन तो इन्तजार कर लें मुकदमा दर्ज करने में। बड़े-बड़े अपराध जो लोग करते हैं उनके तो मुकदमे दर्ज होते हैं दो-दो और चार-चार दिन में, एसपी. के दबाव से, डी आई.जी. के दबाव से, बड़े-बड़े आफिसर्स दबाव देते हैं तब मुकदमे दर्ज होते हैं बदमाशों के और दो भाई लड़ जाते हैं, किसी कारण से उनमें कोई उत्तेजना हो जाती है गांव के अन्दर तो उनका मुकदमा तुरन्त दर्ज कर लिया जाता है। और उसमें भी महिलाओं को लिखाया जाता है सबसे पहले क्योंकि लिखने में पैसा मिलता है और फिर उन नामों को हटाने में भी पैसा मिलता है, दोनों में पैसा मिलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रस्ताव है आपके माध्यम से कि जब भी भाइयों के मामले आएं तो कम से कम वहां के जन-प्रतिनिधि या वहां के पांच आदमियों को बुलाकर कहा जाए कि भाइयों को समझा दो। वे समझ भी जाते हैं, अगर एक दिन मुकदमा लेट कर दिया जाता है तो दूसरे दिन राजीनामा हो जाता है, 90 परसेन्ट केसेज में राजीनामा हो जाता है। तो कम से कम भाइयों के मामले में इन्तजार करे, तुरन्त मुकदमा दर्ज नहीं किया जाए।

तीसरा, राजस्थान के अन्दर आपने महिला पुलिस बना रखी है, लेकिन उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं है आपने अभी तक। सुबह मैं आया था तो यहां पर एक महिला थी, उसकी गोद में बच्चा था। पुलिस की महिला थी। आ रही थी अपने बच्चे को लेकर। वह कहती है कि हमको न किसी प्रकार का भत्ता मिलता है न किसी प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। यहां तक कहा उसने कि हमको कोई पदोन्नति नहीं मिलती है। सिपाही हैं तो सिपाही से ही रिटायर हो जाते हैं। उनका कोई रखवाला ही नहीं है। उनको पदोन्नति दी जाए। वे महिलाएं हैं, आखिर वे भी हमारी बहिन हैं। उनको ऐसी दृष्टि से क्यों देखते हैं?

(श्री रामस्वरूप)

पुलिस विभाग में सबसे अच्छा अफसर वह माना जाता है जो सौ गाली दे लगातार, रुके नहीं सौ गाली देता हुआ। ट्रेनिंग दी जाती है गाली देने की। वे अफसर यह नहीं देखते हैं कि मेरी बहिन है, यह भी पुलिस में नौकरी करने आयी है, कम से कम इसको गाली तो नहीं दें। उनको भी गाली दे-देकर सम्बोधित करते हैं। क्या-क्या भद्दी गालियां उनके साथ दी जाती हैं, कइयों ने तो आत्महत्या कर ली। पिछले साल की बात है एक मेरी बहिन ने तो आत्महत्या तक कर ली थी। उसके साथ गलत व्यवहार हुआ था पुलिस विभाग में। कम से कम इस बात का ध्यान रखा जाए और गाली-गलौच की जो भाषा पुलिस विभाग ने पकड़ रखी है उसमें संशोधन किया जाए। अच्छी प्रेम की भाषा बोलें ये लोग भी ताकि उस महिला के साथ अन्याय न हो। उनकी तनख्वाह बढ़ायी जाए, उनके भत्ते बढ़ाये जाएं। हरियाणा की तरह इनको रोडवेज के अन्दर फ्री घूमने की सुविधा दी जाए। सारी सुविधाएं आप इनको बढ़ाओगे तभी इनके साथ कुछ अच्छा हो सकता है।

पुलिस विभाग का हमने एक नजरिया बना रखा है कि पुलिस विभाग बदमाश विभाग है, पुलिस के लोग बदमाश होते हैं, इनका तो चरित्र अच्छा नहीं होता। यह हमने मान रखा है। बेटे को भी बाप जब बार-बार कपूत ही कपूत कहेगा तो बेटा कपूत भी हो जाता है। इसलिये हमको पुलिस विभाग को कपूत ही कपूत नहीं कहना चाहिये, बदमाश नहीं कहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इसलिये मैं आपको कहता हूं आप अच्छे हो रहे हैं अब। रोज यही कहता हूं अच्छे हो रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : इनमें भी अच्छे लोग हैं, उनको सम्मान देना चाहिये। लेकिन सम्मान किनको मिलता है? वीरता तो करते हैं मेरे भाई ये प्रहरी, जो खड़े हैं, इनको पदक मिलना चाहिये। पदक कौन ले जाते हैं? अफसर लोग ले जाते हैं पदक। आप भी उन्हीं को देते हो पदक। मेहनत करते हैं ये, गोली खाते हैं ये मुकाबला करते हैं डकैतों का ये और पदक लेते हैं अफसर लोग। मैं बताता हूं दो साल पहले हुआ था एक मामला यह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जैसे बोलते आप हो और मदेरणा जी नेता हैं।

श्री रामस्वरूप : छीपाबड़ौद का मामला है, छीपाबडौद में ऐसा ही हुआ था पिछली बार। हथियार बरामद किये, 12 बोर की बन्दूक बरामद की, जेवर बरामद किये, सारी चीजें बरामद की और पुरस्कृत कौन हुए? आई.जी., डी. आई. जी और एस. पी.। 26 जनवरी और 15 अगस्त को वे ही पुरस्कृत होते है, इनका कहीं नाम ही नहीं, निशान ही नहीं। ये तो यूं ही मरने को तैयार हैं, इनको खाली मौत के लिये भेजा जाता है। इनकी छुट्टियां नहीं। इनकी भी बहिन होती है जो राखी बांधने वाली होती है, इनके भी मां होती है जो दुलार करती है इनको, इनके भी परिवार है। लोग कहते हैं, बदमाशी करते हैं पुलिस

(श्री रामस्वरूप)

वाले थाने के अन्दर। घर वाली का कोई इन्तजाम नहीं, रहने की कोई व्यवस्था नहीं, वे फिर क्या करेंगे रो-धोकर ? मंत्री महोदय, आप भी अपने परिवार के बीच रहते हो, आप भी उनको साथ रखते हो मंत्री बने हो उसके बाद से। इनकी कोई परवाह नहीं। क्या इनके स्त्री नहीं है जो आप इनके क्वार्टर बना दो किसी प्रकार के ? इनके कोई क्वार्टर तक नहीं। कालोनियां बसा रखी हैं, यह ए.जी. कालोनी, यह फलाने अफसरों की कालोनी। आज तो मिलिटरी वाले भी अपने साथ रखते हैं। लेकिन राजस्थान की पुलिस ने क्या बुरा कर दिया आपका जो बीबी-बच्चों से दूर रहकर तरसते रहते हैं ? फिर क्या करते हैं ? दारू पीते हैं जमकर, बीड़ी पीते हैं जमकर उस गम को मिटाने के लिये। उसका परिणाम है कि आज टी.बी. अस्पताल में चले जाओ, हम हर दूसरा मरीज पाएंगे पुलिस का। आप कौन हो कि मैं पुलिस का हैड कांस्टेबल हूं, मेरे टी बी हो गयी। टीबी का हर दूसरा मरीज, पूछेंगे तो पुलिस विभाग का आदमी है। हैड कांस्टेबल है, सिपाही है या और कोई होगा। सिपाही के टी.बी. हो जाती है गम के मारे बीड़ी पीकर, दारू पीकर। ये सारी आदतें हमने डाली हैं। आप लोग इनको रहवास की सुविधा दें, क्वार्टर बनाएं। इनकी ड्यूटी निश्चित कीजिये। ये कोई जानवर हैं क्या जो 24 घण्टे ड्यूटी देते रहें ? कर दो इनकी भी चार घण्टे की ड्यूटी, आठ घण्टे की ड्यूटी या दस घण्टे की ड्यूटी। आधी रात को कहीं से आते होंगे, तुरन्त दूसरी जगह भागना पड़ जाता है इनको। ये सारे कारण हैं जिनके कारण इनको बदनाम किया जा रहा है और इनमें ऐसी हीन भावना पैदा हुई है। आप सुविधाएं बढ़ाएं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी। ये भी मानव हैं, ये भी हमारे भाई हैं, क्यों इनको इतनी नीची दृष्टि से देखा जाता है ? वह हालत तो हमारे नेताओं की भी हो चुकी है। नेताओं का भी कोई सम्मान मत मानो जितना दिया जा रहा है, कि नहीं मिल रहा। हमारी भी हालत खराब है। लोग कहते हैं, कौन ? नेताजी ? ये खादी वाले ? हमारे भी नाम कई जगह बदनाम हो चुके है। इनमें भी अच्छे लोग हैं, कद्र करो आप इनकी। इनका स्टैण्डर्ड बढ़ाओ, इनकी भाषा सुधारो, इनको सम्मान दो और थानों के अन्दर अच्छे कार्यक्रम करवाओ। थानों के अन्दर कभी बढ़िया कार्यक्रम नहीं होते हैं। मैंने एक उदाहरण पेश किया है मेरे क्षेत्र के अन्दर, मैंने थानों के अन्दर सत्संग करना शुरु कर दिया है। महात्माओं को लाता हूं, प्रवचन करवाता हूं ताकि उन लोगों का जीवन अच्छा बन जाए। धर्म की शिक्षा दिलाता हूं, क्योंकि आप कानून के जरिये कभी अपराधों को नहीं रोक सकते। जब तक धर्म का उपदेश उनको नहीं मिलेगा....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, आपको माननीय सदस्य के बारे में धारणा बदलनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : मुझे इस बात की खुशी है कि ये इस बात की तो पैरवी कर रहे हैं कि पुलिस वालों को भौतिक सुविधाएं

(श्री अध्यक्ष)

नहीं हैं, अगर ये उनको उस लोक की तो तैयारी करवा ही रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : मेरा सुझाव है कि हम उनको दें गांधी जी की शिक्षा, नैतिक शिक्षा, गीता का पाठ, रामायण का पाठ। इस प्रकार की भावना थानों में पैदा हो जाए ताकि आने वाले अपराधी समझें कि हम अच्छी जगह आये हैं। आते ही उनको शान्ति मिले। ये आते ही उनकी मारपीट शुरु कर देते हैं, न तो अपराधी देखते हैं न सज्जन देखते हैं। यह कहां का न्याय है कि आते ही मारपीट करना शुरु कर दो? लेकिन करें क्या? परिपाटी ही ऐसी बना रखी है आपने, ट्रेनिंग ही ऐसी दी है। सौ गालियां देना सिखाते हो शुरु से इनको। इनके अफसर गाली देते हैं तो ये भी गाली देना शुरु कर देते हैं। क्या बुराई कर रहे हैं? बहनों को गाली देते नहीं चूकते आपके अफसर तो। इसलिये मेरा निवेदन है कि थानों के अन्दर नैतिकता पैदा की जाए, लोगों में अच्छी भावना पैदा की जाए, इनके प्रति विश्वास रखा जाए। मेरी बहनों को तो, जिनको आपने पुलिस विभाग में लगाया है, कम से कम वो करें। वे बहनें हैं, अबला हैं, अपने बच्चे लेकर वहां पहुंच जाती हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उनकी तनख्वाह बढ़ायी जाए, उनकी पदोन्नति की जाए, उनकी सुविधाएं बढ़ायी जाएं। मैं यही कहता हुआ, आपने मुझे जो अवसर दिया है, पुनः मैं निवेदन करूंगा, एक मसला और रह गया।

श्री अध्यक्ष : अवसर नहीं, खुला अवसर दिया है।

श्री रामस्वरूप : एक मसला और रह गया, एक बहुत बड़ा काण्ड जो बाड़मेर के अन्दर हुआ जुगताराम के साथ, उसको मैं कहे बगैर आज भी नहीं रहूंगा। आज उस जुगताराम का, मेरी समझ में नहीं आया, न अखबार में नाम है न कहीं और जगह नाम है। जिसके साथ अन्याय हुआ है, मुझे यह तो बताया जाए कि उसके साथ क्या किया? क्या उसका इलाज हो रहा है? कि नहीं हो रहा है? कोई सहायता दी गयी है या नहीं दी गयी है? उसको अखबारों से सब से हटा दिया गया, एकदम नाम ही हट गया। जुगताराम का नाम ही हट गया। कम से कम सदन में इस बात की जानकारी दें, माननीय गृह मंत्री जी, कि आपने जुगताराम के साथ क्या किया? अस्पताल में है या घर है? क्या उसको आपने सहायता दी है किसी प्रकार की? उसके इलाज के लिये आपने क्या व्यवस्था कर रखी है? इसलिये मैं पुनः निवेदन करता हुआ कि आप मेरे क्षेत्र की कानून व्यवस्था को सुधारें, थाने की बिल्डिंग बनवाएं, टेलीफोनों को सही करवाएं, महिला पुलिस के साथ जो अभद्र व्यवहार हो रहा है, इनको जो सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, उनको स्थायी किया जाए, बार-बार, अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद पेश करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री राकेश मेघवाल।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 16 के तहत पुलिस विभाग पर चर्चा हो रही है, जिसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जवाब देना उसको पूरा।

श्री राकेश मेघवाल : ऐसा है, जुगता राम की पत्नी के बारे में आप और हम नहीं बोल सकते हैं, वह तो मंत्री महोदय ही बोलेंगे।

हमारे परम सम्माननीय मुख्य मंत्री जी को तहे दिल से बधाई देता हूं, उनका हार्दिक अभिनन्दन करता हूं कि उन्होंने मेघवाल साहब को गृह मंत्री बनाया।

श्री कालीचरण सराफ : जुगताराम का जवाब देने के लिये।

श्री राकेश मेघवाल : इससे हमारी अनुसूचित जाति-जनजाति का गौरव भी बढ़ाया है और इस समाज का हौसला भी बुलन्द किया है। इन जातियों ने भी मुख्य मंत्री जी को बधाई दी है, वे दुआएं करते हैं। आज हमारे समाज का गौरव इतना बढ़ा है कि जिसको राजस्थान की जनता कभी भूल नहीं सकती। आज जगह, हर अखबार में मुख्य मंत्री जी के साथ एक ही बात आती है–मेघवाल, मेघवाल, मेघवाल। श्री मेघवाल के साथ में मेरा भी हौसला बुलन्द होता है क्योंकि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने शपथ दिलायी थी कैलाश जी मेघवाल को और हमारे क्षेत्र में लोगों ने कैलाश जी जगह खाली मेघवाल सुन लिया और मिठाई बांट दी। इसलिये मैं मुख्य मंत्रीजी को बार-बार बधाई देता हूं कि मुझे भी गृह मंत्री जी की छत्रछाया में रहने का सौभाग्य मिला।

वर्तमान में पुलिस में जो भी कमियां हैं, जो भी कुरीतियां हैं, वह मैं आपसे निवेदन करता हूं। जनता की जो भी आकांक्षाएं आप पर निर्भर हैं उनको आप निश्चित रूप से पूरा करेंगे और जनता में व पूरे सदन में होने वाले आक्रोश को निश्चित ही दूर करेंगे। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि राजस्थान की जनता को अच्छी प्रशासनिक सेवा दिलाएं जिससे आम जनता को राहत मिले और जैसे मेघ गरजता है वैसे आप इस गृह मंत्री के पद पर हमेशा मेघ की तरह गरजते रहें।

श्री अध्यक्ष : मेघवाल की तरह नहीं।

श्री राकेश मेघवाल : और इस कार्य में आगे बढ़ते रहें। अध्यक्ष महोदय, आज आपके माध्यम से सदन में पूरे राजस्थान की चर्चा हो रही थी। अभी माननीय सदस्य बड़े-बड़े ज्ञाता हैं और इस बारे में ज्यादा जानते हैं। मैं सभी बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं क्योंकि हर आदमी उसी बात को दोहराएगा तो फिर सदन का समय बेकार में नष्ट होगा। जो समस्या आज पूरे राजस्थान में है, आम आदमी की जो इच्छा है वही हमारी इच्छा है, इसलिये उन बातों को दोहराने में कोई फायदा नहीं है।

(श्री राकेश मेघवाल)

मैं मुख्य बात मेरे क्षेत्र में मेरे जिले पर आ जाता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि मेरे नागौर जिला मुख्यालय पर व मकराना में महिला पद नियुक्त करवाएं। आज नागौर में मेरे ख्याल से एक भी महिला पद नियुक्त नहीं किया गया है। मंत्री महोदय मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा के लिये मंत्री रहेंगे, यह मेरी कामना है और इस कामना को और भी आगे बढ़ाना है। इसलिये नागौर पर पूरा विशेष गौर करें।

अध्यक्ष महोदय, परबतसर के थाने को क्रमोन्नत किया जाए। परबतसर की घनी आबादी को मद्देनजर रखते हुए तभी जनता के आक्रोश पर काबू किया जा सकता है। परबतसर तहसील मुख्यालय है इसलिये आवश्यकता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि बोरावड़ में पुलिस थाना नियुक्त किया जाए क्योंकि हिन्दू-मुस्लिम का हमेशा आपसी मतभेद बना रहता है और यह आपसी मतभेद कभी–कभी झगड़े का इतना भयंकर रूप ले लेता है कि मकराना पहुंचते-पहुंचते काफी समय लग जाता है। मकराना की संगमरमर की रोड बनी हुई है आपकी सरकार के राज में इसलिये वहां जाते-जाते ही फिसल जाते हैं आदमी और मकराना थाने तक पहुंच नहीं पाते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बोरावड़ मकराना से 6 किलोमीटर दूर है और मकराना और बोरावड़ के बीच में मार्बल मण्डी है, उसके आसपास के गांवों की जनता को मद्देनजर रखते हुए वहां बोरावड़ में पुलिस थाना नियुक्त किया जाए जिससे ग्राम जनता में होने वाले आक्रोश पर काबू पाया जा सके क्योंकि मकराना का एक अंग है बोरावड़ और वहां हिन्दू-मुस्लिम का हमेशा आपसी मतभेद होता रहता है। इससे पूर्व में भी एक बार, क्योंकि आप तो हमेशा मंत्री रहे हैं, आपको पता है, भयंकर झगड़ा हुआ था और मकराना में अरबों-खरबों के संगमरमर की तोड़-फोड़ हुई और 2–3 जानें भी चली गयी थीं। ऐसे भयंकर झगड़ों पर काबू पाने के लिये मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि ग्राम बोरावड़ में पुलिस थाना नियुक्त किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग में जो भी सुविधा, भत्ते दिये जा सकें वे दें जिससे पुलिस आम जनता से भत्ता न ले, क्योंकि भूखे भजन न होय गोपाला।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, पॉइण्ट ऑफ आर्डर। कम से कम सरकारी मुख्य सचेतक को तो स्पीकर और अध्यक्ष के बीच में नहीं आना चाहिये। इस प्रकार की अनदेखी यदि सरकारी मुख्य सचेतक ही करेंगे तो समझ में नहीं आता कि नये सदस्यों का क्या हाल रहेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम आज एक मंत्री महोदय के साथ यह बात हुई, झुककर नहीं आये, झुकते वे कभी हैं ही नहीं, बिल्कुल इरेक्ट रहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था दी जाए तो कम से कम यह जानकारी हो इस प्रकार का डिसरिगार्ड मंत्री महोदय ने किया आज, सरकारी मुख्य सचेतक कर रहे हैं पता नहीं वरिष्ठ मंत्री भी यदि करने लग जाएगे तो स्थिति क्या होगी ?

श्री अध्यक्ष : मैंने कुछ नहीं देखा।

श्री राकेश मेघवाल : माननीय मंत्री महोदय, एक गौर करने वाली बात है, मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान मेरे परबतसर क्षेत्र के एस. एच. ओ. भगवानसिंह के बारे में ज्यादा समय में न कह कर एक ही बात निवेदन करता हूं कि इसको तुरन्त निलम्बित किया जाकर पूरे क्षेत्र की जनता में होने वाले आक्रोश को काबू में किया जाए। यह अति आवश्यक है। नहीं तो आपके मकान पर 2–4 दिन में 2–4 बसें भरकर आएंगी। इसको रोकने के लिये मैं आपसे बार-बार निवेदन करता हूं कि भगवानसिंह एस. एच. ओ. परबतसर को तुरन्त निलम्बित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिये मैं तहेदिल से आपका हार्दिक अभिनन्दन करता हूं, धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रूपाराम।

श्री रूपाराम (मकराना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 पुलिस के बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कुछ कहना चाहता हूं। शुरू में ही आज मैंने कहा था कि पहला बोलने का मेरा नम्बर आना चाहिये, कोशिश भी रही लेकिन आज भी फिर मेरा दुर्भाग्य रहा कि ज्यों ही बोलने में नम्बर आया डेढ़ मिनट के लिये मैं बाहर चला गया था। इससे मैं समझता हूं कि मुझे अभी देर से ही बोलने की आदत डाल लेनी चाहिये। देर से बोलते हैं तो हमारे लिये समस्या एक ही आती है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जो चीज हम सोचकर आते हैं, तो हर माननीय सदस्य के बोलने पर सोचता हूं, यह तो हट गया लेकिन कोई न कोई उस सब्जेक्ट पर बोल देते हैं और फिर हमें तो बात को दोहराना पड़ता है। और समस्या नहीं है लेट बोलने की, मैं बोल सकता हूं, जैसे मेरे कुछ शब्द माननीय सदस्यों ने दोहराये, दोहराये नहीं जो मैं बोलने वाला था वह उन्होंने बोल लिया इसलिये मैं अगर दुबारा बोलूंगा तो दोहराये जाने वाली बात होगी।

एक माननीय सदस्य : कविता सुनाइये।

श्री रूपाराम : कविता पहले ही? तो सुनिये :

मात-पिता, गुरु और देवों से कभी
नहीं जो डरते,
पुलिस के सामने मैंने देखा उनको
भी पानी भरते।

मेरे कहने का मतलब यह है कि "भय बिन प्रीत नहीं। अति भय की कोई रीत नहीं।" मेरे हिसाब से मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, यानि वही बात है वीणा के तार खींचने वाली। यह बात मैं मेरे विचार से बता रहा हूं कि पुलिस के पास पावर होना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : उसमें यह और जोड़ देते साथ साथ कि "पुलिस में कोई मीत नहीं।"

श्री रूपाराम : सभी माननीय सदस्यों ने एक ही बात कही कि पुलिस है जुल्म करती है। मुझे इस बात से खुशी है कि जो 199 माननीय सदस्य है उनमें किसी ने

(श्री रूपाराम)

यह नहीं बताया कि यह हमारी वजह से करती है या उनकी वजह से करती है। यह पुलिस आखिर करती क्यों है ? पुलिस के आगे क्या है ? पुलिस के पीछे क्या है ? पुलिस के ऊपर क्या है ? पुलिस के नीचे क्या है ? कहीं न कहीं हम भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें भागीदार होंगे। एक आदमी जब जुल्म करता है या एक आदमी जब किसी दूसरे आदमी से लड़ता है तो मेरे हिसाब से, मैं मेरी बता रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, इसमें राजनीतिज्ञों का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारा और कहीं तो बस चलता नहीं, जोर चलता नहीं और पुलिस वालों को धमकाते हैं। बड़े अफसरों को हम कहते हैं और वे नीचे से नीचे तक उतार देते हैं उस बात को। इसमें खुद हम अपने जमीर को क्यों नहीं देखें ? अगर पुलिस में खामियां आ गयी हैं या धीरे-धीरे सालों से ग्राफ नीचे जा रहा है या धीरे-धीरे अभी तक भी आ रही हैं। तो, जैसा इससे पहले मेरे से मिलते-जुलते कद के ही, माननीय सदस्य ने बताया, अब पुलिस तीन महीनों में एकदम से ही ठीक हो गयी ? इस बात से मैं तो बिल्कुल ही सहमत नहीं हूं। हो सकता है ठीक हो गयी हो लेकिन मैं इस बात से भी हैं सहमत नहीं होऊंगा कि ज्यादा खराब हो गयी थी। यह तो वही बात है कि जानते तो सब हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इस पुलिस विभाग में आमूल परिवर्तन करना है तो माननीय मंत्रीजी को बहुत जोर लगाना होगा। अकेले नहीं, और मंत्रियों को साथ लेकर। मुझे मालूम नहीं क्या प्रक्रिया है लेकिन····

श्री सुजान सिंह यादव : ये तो ब्रह्मचारी हैं, पूरा जोर लगा देंगे।

श्री रूपाराम : यह एक अजीब बात है कि इस कुर्सी पर बैठने के लिये हम सभी लालायित रहते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि जो भी इस गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठता है वह केवल सुनने के लिये ही बैठता है ? अगर ये भी इस कुर्सी पर नहीं रहेंगे तो जिस तरह से सभी माननीय सदस्यों ने बोला ये भी इसी तरह से बोलेंगे। क्या कोई कभी इस दुःख भरी या साहस भरी शुरूआत को करने में अपने आपको सक्षम बनाएगा ? यह साहस भरा कदम होगा, एक जागरूकता का नमूना होगा, अगर आप में कुछ कर गुजरने की क्षमता है तो कर दिखाइये वरना वक्त निकल जाएगा और न जाने यह सौभाग्य किसको मिलेगा क्योंकि धीरे-धीरे कोई चीज बढ़ती जाती है तो एक जगह जाकर उसका अन्त तो होता ही है। अगर हम कह रहे हैं कि पुलिस विभाग में धीरे-धीरे खामियां बढ़ रही हैं तो या तो उन खामियों को रोका जाए या फिर बदला जाए। नहीं तो एक बात है, मंत्री महोदय, इस शुरूआत को करना ही है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप शुरूआत करें। अब यह हो सकता है कि कहीं आपके हिस्से में अच्छी बात या जनता की दुआ लिखी नहीं हो जैसे, "सकल पदारथ है जग माहीं, करमहीन नर पावत नहीं।" अगर आपके भाग्य में ही नहीं लिखी है तो बात दूसरी

(श्री रूपाराम)

है। कई बार अज्ञानता की वजह से ही ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न को हम नहीं पा सकते। ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न को जब हम नहीं पाएंगे तो सच्चे सुख को, आत्मीय सुख को भी नहीं पा सकते। कोशिश तो अच्छे काम के लिये सब करते रहते हैं। मेरी तो आपको राय है कि आप इस शुभ काम के लिये काम करें।....(व्यवधान).... मैं धन्यवाद नहीं अभी एक-दो दोहे और बताऊंगा आपको अगर आप कुछ जागरूकता का नमूना दें तो मैं कहूंगा—

सोई है जिनकी आत्मा दूजे को क्या जगाएंगे।
चोट लगी गर दिल में तो हाथ में मलहम न लगाएंगे।

दूसरी बात है—

आप रहें न रहें खुशबू सुकर्मों की फैलती रहे,
हम कहें न कहें जनता सदा सुख में खेलती रहे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ में यही राय दूंगा अगर सच्चे मन से हम सभी 199 माननीय सदस्य यह चाहते हैं। अगर यह समस्या बढ़ रही है तो आखिर इस समस्या के बढ़ने का राज क्या है? हमें खुद को थोड़ा-सा सुधारना होगा। मेरी छोटी-सी राय है कि अगर हम सब चाहें तो चार घण्टे में मैं आमूल परिवर्तन होकर जो खामियां बता रहे हैं इस पुलिस विभाग में वे खत्म हो सकती हैं। हमारी अगर यह अंगुली उठाने की आदत बंद हो जाए एक बार। इस अंगुली को उठाने का मतलब है अगर एक आदमी एक गुना दोषी है तो हम तीन गुना है। क्योंकि प्रकृति का एक अजीब खेल है जो बिलकुल निष्पक्ष चलती है। हम तीन गुना वाली यानी दूसरों के अवगुणों को न बताकर हमारे खुद के गुणों को देखेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे समाज में और हमारे समाज से निकले हुए जो पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी हैं, जो हमारे भाई हैं, हमारे समाज का अंग हैं वे भी धीरे-धीरे अपने में सुधार करेंगे। मैं इससे पहले जो बोलना चाहता था वह माननीय रामस्वरूपजी ने बता दिया कि मंदिर की तरह थाने में भी पूजा होनी चाहिये। नैतिकता, मानवता तथा ईमानदारी जैसी उनको शिक्षा देनी चाहिये। आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलाल वर्मा।

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 16 के अंतर्गत पुलिस विभाग के बारे में चर्चा चल रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी को कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहले तो यह कहना चाहूंगा कि डग विधान सभा क्षेत्र अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र है। अशिक्षा मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा है इसकी वजह से पुलिस विभाग द्वारा कुछ क्षेत्रों में ज्यादतियां की जाती हैं। डग, पगारिया, भवानीमण्डी के जो थाने हैं वहां अधिकांश रूप से अनुसूचित जाति के लोगों के साथ ज्यादती देखी गयी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से

(श्री बाबूलाल वर्मा)

निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र में भी थोड़ा ध्यान देकर इस वर्ग के लोगों को न्याय दिलाएं।

दूसरी बात मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि कोटा, झालावाड़, चित्तौड़ ऐसे जिले हैं जिनमें कि अधिकांश रूप से अफीम और स्मैक की तस्करी बहुत अधिक मात्रा में होती है। झालावाड़ जिले में भी देखा होगा कि सबसे ज्यादा स्मैक हमारे क्षेत्र में बनती है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि ये समाज के लिये ऐसी चीजें हैं कि यदि इन चीजों पर काबू नहीं किया गया तो आने वाला समाज जो कि युवा वर्ग से है, उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। संक्षेप में मैंने यह बात कही है माननीय मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें और इन बातों पर ध्यान देकर समाज को एक राहत दिलाएं। इतना ही कहकर मैं मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय मैं जुगताराम प्रकरण और गांवों में पुलिस की जो स्थिति है उसके बारे में बोलने चाहूंगा कि "बहुत प्रगति हुई देवालय की, पूजा मदिरालय जा पहुंची। लगता है आने वाला है मौसम फिर से अंगारों का।" सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ज्यादती करती है लेकिन उससे ज्यादा पुलिस पर ज्यादती हम राजनीतिक नेता पोलीटिकल इण्टरफीयरेंस करके करते हैं। पुलिस वाला हमारे सिलेण्डर भरवाएं, यदि क्रिकेट का मैच है तो पुलिस वाला उसके पास दिलवाए, यदि लता मंगेशकर नाइट हो रही है तो पुलिस वाला उसके पास वी. आई. पीज. को दिलवाएं, मंत्रियों को दिलाएं, मंत्रियों के चहेतों को दिलाएं। आज इस तरह की बेगारी ली जाती है तो क्या पुलिस का मनोबल ऊंचा रहेगा? ...(व्यवधान) यह मेरे पर जितना भार है उतना आप पर भी भार है।

श्री टीकमचन्द कान्त : आप तो बोलते जाओ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सबसे ज्यादा एक प्रश्न उभरकर आता है कि पुलिस आरक्षी केन्द्र है उसको जनमानस में किस तरह से परिभाषित किया जाता है यह आरक्षी केन्द्र है या भयग्रस्त केन्द्र है? आज एक साधारण आदमी भयग्रस्त होकर थाने की तरफ देखता है। कोई भी आदमी थाने की तरफ मुंह करके भी नहीं जाना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि थाने में वह रिपोर्ट लिखाने जाएगा तो उसके साथ बदतमीजी का व्यवहार होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक नयी परिपाटी है कि कोई भी भला आदमी, इन्टलेक्चुअल, हाई के लिवर का आदमी या किसी भी तरह की कोई महिला जाती है तो उनके सामने पुलिस का सलूक वह होता है कि दूसरे मुल्जिम को लाकर उससे दो-तीन जूत मारते हैं, उसके डण्डा मारते हैं जिससे कि डेटरेन्ट व्यू लेकर अगला आदमी भयग्रस्त हो जाए और कोई भी उसको इल्लीगल कंसीडरेशन पास-आन करना है तो वह कर दे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या जन-सहभागिता पुलिस के

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

साथ रहेगी ? क्या जनता सहयोग करना चाहेगी ? क्या जनता निर्भय होकर थाने में प्रवेश करना चाहेगी ? और अपने दुःख-दर्द प्रेषित करना चाहेगी ? मेरा यही कहना है कि आज पोलिटिकल इन्टर-फीयरेंस पुलिस के साथ हो रहा है और राजनीतिक नेताओं की पुलिस के जितने भी आफिसर्स है उनके ऊपर 24 घण्टे तलवार रहती है कि किसी भी एस.पी. को, किसी भी एडीशनल एस. पी. को कभी हटाया जा सकता है और वे टोटली पोलिटिकल लोगों की मरसी पर रहते हैं। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शाश्वत सत्य की बात कह रहा हूं कि पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वे छोटे अधिकारियों से मन्थली हजारों रुपये रिश्वत के लेते हैं। उनका यह कहना होता है कि हम इसलिये लेते हैं कि हमको ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है। ऐसी दोषी व्यवस्था में क्या आपकी पुलिस स्वस्थ प्रशासन दे सकती है, यह अहम् प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हर थाने के साथ एक सिटिजन्स काउंसिल होनी चाहिये, नागरिकों की परिषद् जो कि इस तरह के कोआर्डिनेशन और लिंक के रूप में काम करे। पुलिस थर्ड डिग्री मैथड यूज करती है। आज पुलिस के जितना भी डिटेक्शन है, इन्वेस्टिगेशन है वह बाबा आदम के जमाने का है, वही थर्ड डिग्री मैथड है। आज भी यदि चोर को पकड़वाया जाता है, बुलवाया जाता है तो वही थर्ड डिग्री मैथड से चरखे पर उसको चढ़ाया जाता है जबकि लाई-डिटेक्टर और नई थिरैपी आई हैं, माडर्न इन्वेंशन आये हैं। उनके द्वारा साइकोलोजिकल ट्रीटमेंट देकर उनको नई-नई तौर-तरीकों से आत्मसात करके, इंडल्ज हो कर उसमें इन्वेस्टीगेशन किया जा सकता है। लेकिन पुलिस आज भी जाहिल है, जंगली है ऐसी एक आम आदमी की धारणा है। इस धारणा को बदलने के लिये पुलिस में क्वालिफाइड पर्सन्स लेने पड़ेंगे हमको, एक तरह से हमको पुलिस में सदाशयता और सद्‌गुणों की भरमार करनी पड़ेगी। आज क्या कारण है कि कोई भी डीवाई.एस.पी., ए.एस.पी. और एस. पी. से तो मिलना चाहता है. डरता नहीं लेकिन थाने में जाते उसको मौत आती है ? क्योंकि थाने में पहुंचने का मतलब एक कसाई के पास पहुंचना है। बराबर मानती है जनता, यही मापदण्ड अभी भी बदला नहीं है, अभी भी यही है। यह बात बहुत अच्छी है कि माननीय मंत्री महोदय के पास जो कोई भी विधायक जाता है और अपनी बात कहता है कि जनता के साथ यह हो रहा है तो सहानु-भूतिपूर्ण रवैया रखते हुए उसे देखते हैं, सुनते हैं आगे कितनी सफलता मिलती है या नहीं मिलती है, यह तो अलग बात है। आज पुलिस से मकान खाली करवाया जाता है, आज पुलिस से जो भी मन चाहा, काम करवा लिया। जितने भी अपराध हैं पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

करते हैं और बड़े-बड़े राजनेता करवाते हैं। यह मनोवृत्ति हटेगी तो ही पुलिस से हमको कोई हैल्प मिल सकेगी।

इसी के साथ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हीनियस आफेंस के लिये पुलिस की नयी इन्वेस्टीगेशन एजेन्सी होनी चाहिये। बड़े-बड़े वी आई पी. आते हैं। उनकी ड्यूटी पर पुलिस चली जाती है और उसी दौरान यदि कोई आफेंस हो जाता है तो उसको लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं होता है। उसमें 24 घण्टे, 48 घण्टे की ढिलाई दे दी जाती है। उसके कारण से कई अपराध डिटेक्ट होने से रह जाते हैं।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कई जगह पुलिस के लिये वास्तव में बिल्डिंग्स नहीं हैं, थानों में पुलिस कर्मियों के रहने के लिये भी जगह नहीं। इसके लिये थानों में पुलिस कर्मियों के फैमिली क्वार्टर्स ज्यादा से ज्यादा होने चाहिये जिससे कि वे मानवीय हो सकें, सहज हो सकें और उनमें भी दायित्व का बोध हो सके। साम्प्रदायिक तनाव के क्षेत्र में स्पेशल फोर्स कायम करके उनको वायरलैस, टेलीफोन, कम्युनिकेशन के नये इन्स्ट्रूमेंट्स आपरेट्र्स, है ये उपलब्ध करवाये जाने चाहिये। जो भी सैलेरी दी जाती है, मैं कहता हूं कि पुलिस वालों को सैलेरी अधिक से अधिक दी जानी चाहिये। अच्छे से अच्छा क्वालिफाइड स्टाफ रखा जाना चाहिये तभी हम एक अच्छे आरक्षी केन्द्र की जो बैगर्स नहीं होगा, भयमुक्त होगा उसकी कल्पना कर सकेंगे कि कोई भी आदमी जैसे मन्दिर में जाकर भगवान से कुछ भी कह सकता है उसी तरह से पुलिस के देवालय में जाकर अपनी कोई बात कह सकता है, कोई शिकायत कर सकता है, परिवाद कर सकता है। ऐसा माहौल, ऐसा ऐन्वायर्नमैंट दिया जाए और वह जो पुलिस के थानों में पोल्यूशन है उसको कन्ट्रोल किया जाए तभी जाकर हम आरक्षी केन्द्रों को जनता के लिये वास्तव में उपयोगी बना सकेंगे।

इसके अलावा यह भी कहना है कि एक कांस्टेबल जो 8 घण्टे की ड्यूटी दे कर आया है उसको कहा जाता है कि अब आप जाइये, मंत्री महोदय के यहां नाइट ड्यूटी दीजिये। वह नाइट ड्यूटी देते समय सो जाता है ऐसी स्थिति होती है। हरियाणा और पंजाब में केवल 8 घण्टे की ड्यूटी है। पुलिस वालों से बेगार हम लेते हैं और उनकी क्वालिटी और स्टैण्डर्ड को हम डाउन करते हैं। उनको वे सब सुविधाएं हम देते नहीं है जिससे कि पुलिस वाले अच्छी से अच्छी सेवाएं हमें दे पाएं। उन को कोई भी सुविधा जिसके लिये वे रिक्वायरमैंट करते हैं, नहीं दी जाती है तो उनसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद करना भी गलत है।

इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि जयपुर शहर में 500 अन-आथोराइज्ड गार्ड्स वी.आई.पीज. के एक्स मिनिस्टर्स के, एक्स पुलिस आफिसर्स के, पुलिस के एक्स पर्सन्स के दिये गये हैं कि गुरुमुखी लैंग्वेज में इनको खतरा है और यह पुलिस

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

वाले आज भी करते हैं। कोई गोबर उठाता है कोई कपड़े धोता है और कोई और घर के काम करता है। उसके बाद 5 साल बाद में जब वह पुलिस डिपार्टमैण्ट में वापस आएंगे तो उनका मनोबल क्या होगा? वे दो-दो पैसे की भीख नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे? उन्होंने सीखा क्या है? झाड़ू देना। उन्होंने क्या सीखा है? वी.आई.पी. के बरतन मांजना, रोटी करना। ऐसी स्थिति में जयपुर शहर में, माननीय गृह मंत्री महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, इस बात को मैंने व्यक्तिशः सही रूप में देखा है कि गत 30 दिन में जयपुर में 300 केसेज के मुल्जिम नहीं पहुंचे और उस पर जयपुर पुलिस लाइन का यह आदेश एक छपा हुआ सील पर गया न्यायालय में कि यहां पर पुलिस उनके पास नहीं है इसलिये मुल्जिम को ट्रायल के दिन नहीं भेजा जा सकता है। और दूसरी तरफ आपने 500 आदमियों को बेगार पर भेज रखा है। आज की तारीख में पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारियों के पास। जो 10-10 15-15 साल पहले रिटायर हो गये, जिन पर आज तक किसी ने खरोंच तक नहीं की उनकी सुरक्षा के नाम पर, क्योंकि उन्होंने गुरुमुखी भाषा में 5 लाइन में लिख दिया कि उनके जीवन को खतरा है। वे तो खुद ही खतरा हैं उनके जीवन को क्या खतरा हो सकता है? ऐसी स्थिति में वे 500 गार्ड्स जो बन्धक बन गये है,--कानून की भाषा में बन्धक है, उन बन्धकों को विमुक्त करवाइये और वापस लीजिये सेवा में। तो मैं समझता हूं कि पुलिस के जाप्ते में कमी पड़ गयी, ऐसा आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगा। यह अहम् मुद्दा है और संवेदनशील है।

इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वे भी अच्छे प्रोवाइड किये जाएं, व्हीकल्स इनको दिये जाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि कानून की भाषा में पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि वह चालान की कापी खुद की स्टेशनरी से खर्च करके न्यायालय में पेश करे। राजस्थान में जितने भी न्यायालय हैं उनसे बेगार लेते हैं। यह बात मैं कानूनी रूप से वकील होने के नाते कह रहा हूं और यह बेगार पुलिस की स्टेशनरी से ली जाती है। यह बन्द की जाए और जुडीशियली अपने पैसे से जो भी मुल्जिमों को कापी दी जाती है वह प्रोवाइड करें। जब जुडीशियल के लोग पुलिस से यह अपेक्षा करेंगे कि चालान की कापी अनेक मुल्जिमों के लिये बनाकर दे तो पुलिस वाले भी स्टेशनरी लेंगे। एक रिफिल लेते हैं, दस्ते लेते हैं और इसके अलावा चाय-पानी का खर्चा लेते हैं और 100 150 का दण्ड तो वैसे ही ले सकते हैं। तो आप स्टेशनरी प्रोवाइड कीजिये, चालान की कापी न्यायालयों को खुद की ओर से मत भिजवाइये, कोई भी कानून आपसे यह अपेक्षा नहीं करता है।

एफ.आई.आर. के बारे में, माननीय मंत्री महोदय, मेरा यह कहना है कि कोई भी व्यक्ति थाने में रिपोर्ट करने जाएगा तो आधे घण्टे से ज्यादा इन भयग्रस्त जगहों पर नहीं बैठेगा, ऐसा सभी थानों को आदेश दीजिये और फिर उसके बाद पुलिस खुद

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

उसके पास आकर कार्यवाई करेगी। आज होता क्या है कि कोई बच्चा या महिला जैसे-तैसे थाने में पहुंच जाते हैं तो उन्हें 4-5 घण्टे तक यातना में जीवन काटना पड़ता है, उनको लगता है कि दूसरी पार्टी का टेलीफोन आएगा तो कहीं हमको ही तो लाक-अप नहीं कर देंगे।··· (व्यवधान) ···

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सारे थानों में हो रहा है क्या ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : जी, ऐसा है, आप सुनिये। इस वक्त आपका काम सुनने का है। यह आपके समझ के परे की चीज है। आप माइण्ड एप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां आपका दृष्टि भेद है।

(22.00)

मेरा निवेदन करना यह है कि एक कम्प्यूटर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर होना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि रात को जयपुर शहर में 2 बजे किसी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस कार के 2-4 आदमी इन्जर्ड हो जाते हैं तो पुलिस के पास क्या सिस्टम है कि जो भी इन्जर्ड होते हैं उनके घर वालों को बुला सके ? यदि कम्प्यूटराइज सिस्टम हो तो रात को ही यह मालूम पड जाए कि आर. एच.क्यू. 249 जयपुर के हैं। इस आदमी की कार है, इसके ये टेलीफोन नम्बर हैं। रेडी रेफरेंसेज रखे जाए। आप माडनाइज कीजिये, कम्प्यूटराइज्ड कीजिये पुलिस को। आपके पास पैसा है, अक्ल है फिर क्यों नहीं प्रयास किये जाते हैं ? तो मेरा यह निवेदन है कि आप पुलिस को नवीनतम साधनों से सुसज्जित कीजिये, पुलिस को जनता की सहभागिता के करीब लाइये कि जनता सहयोग की दृष्टि से देखे, जनता किसी भी तरह का संकोच नहीं करे, जनता को किसी तरह की रुकावट नहीं हो और भयमुक्त होकर जा सके।

इसके अलावा मुझे यह भी कहना है कि आज सड़क खोदी जाती है और ट्रैफिक वालों को पता नहीं है, ट्रैफिक बदल दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, कामर्शियल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, लेकिन ट्रैफिक वालों से यह नहीं पूछा जाता है कि ये इधर बनें कि नहीं बनें। एक कामर्शियल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उसमें 100 चैम्बर किराये पर दे दिये जाते हैं। उनमें 200-300 कार आती है, वे कारें सड़कों पर खड़ी रहती हैं। सड़क एक तरह से कार पार्किंग का प्लेस बन जाता है और ट्रैफिक की अव्यवस्था हो जाती है। इतना दूरगामी दृष्टिकोण, इरादा रखते हुए, क्यों नहीं अनुशासित ढंग से पुलिस काम करती है ? और क्यों नहीं ट्रैफिक पुलिस से पूछा जाता है ? इसलिये आज जयपुर शहर की ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वह चरमरा गयी है। ऐसी स्थिति में पुलिस को और ट्रैफिक विभाग को बड़ा संवेदनशील और दूरगामी परिणाम से परिचित होना चाहिये।

इसके अलावा मुझे यह भी कहना है कि पुलिस का शारीरिक सौष्ठव बनाये रखने के लिये भी प्रतियोगिताएं होनी चाहिये। पुलिस में भी रीति-नीति, मान-मर्यादा और नैतिक मूल्यों का ज्यादा से ज्यादा समावेश

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

हो, इसके लिये भी आपको अलग से एक प्रकोष्ठ बनाना चाहिये ताकि पुलिस के प्रति जो गिरी हुई आस्था है, एक ऐसी भावना कि पुलिस वास्तव में अत्याचारी है, वो हटे और एक नयी शक्ल आ सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग की मांगों पर 118 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे और उन 118 कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने वाले 60 के करीब माननीय विधायक हैं। किसी ने एक किये, किसी ने दो किये। इन 118 ही कटौती प्रस्तावों का अगर आपने अध्ययन किया हो, अध्यक्ष महोदय, तो इसमें करीब-करीब 100 प्रस्ताव ऐसे हैं जो सामान्य रूप के हैं पुलिस की व्यवस्था के बारे में, थानों की स्थापना के बारे में, पुलिस की ढिलाई के बारे में या पुलिस की अक्षमता के बारे में 20-25 ऐसे प्रस्ताव हैं जो कि आइडेन्टिफाई किये जा सकते हैं, कि जिनके कुछ अलग से मसले हैं और जिन्होंने यहां बहुत प्रकरणों का भी जिक्र किया है। यह मैं निवेदन इसलिये कर रहा हूं कि अभी तक की जो परिपाटी है उसके अनुसार कटौती प्रस्ताव एडमिटेड माने गये हैं और सबका लिखित जवाब भेजना पड़ेगा लेकिन जो सामान्य तरह के कटौती प्रस्ताव हैं उनका जवाब मैं दे रहा हूं उनका उसमें समावेश हो जाएगा। उनके अलावा 20-25 ऐसे हैं जो व्यक्तिगत प्रकरणों के रूप में आइडेन्टिफाइड हैं, उनके व्यक्तिगत रूप से लिखित में जवाब भिजवा दिये जाएंगे, यह मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : सामान्य का जवाब सामान्य भेज दो।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं सामान्य में तो पुलिस की असफलता, पुलिस की कार्य प्रणाली की असफलता है, उसका जितना आप चाहो उतना जवाब भेज दें। आपने पढ़े होंगे, आप देखिये, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं, मैं तो इस व्यवस्था को पसन्द करता हूं लेकिन जो स्थिति है वह आपके सामने है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य नाम की संस्था जब पैदा हुई, जिस किसी मानव समूह ने राज्य की स्थापना की होगी, उस समय राज्य का पहला अंग पुलिस था, उसको चाहे किसी रूप में सम्बोधित किया जाए। इसलिये मानव सृष्टि के प्रारम्भ से राज्य नाम की संस्था के साथ उद्भव होने वाली इस संस्था को अनेकों उतार-चढ़ावों से गुजरना पड़ा है। अलग-अलग देशों के बारे में भी हम चर्चा करते हैं, इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी बनती जा रही है लेकिन राजस्थान और हिन्दुस्तान के पुलिस विभाग की जब हम आलोचना करते हैं, या प्रत्यालोचना करते हैं या समालोचना करते हैं तो हमें दूसरे देशों की या दूसरी फ्यूडल पुलिस थी उसको, जो डिक्टेटोरियल रिजीम की पुलिस थी उसको, जो ब्रिटिशर्स पुलिस थी उसको अलग निकालना पड़ेगा। इसलिये निकालना पड़ेगा कि हमारे यहां पर पुलिस का महकमा जिस तरह का है और जिस तरह के लोग

(श्री कैलाश मेघवाल)

पुलिस में नौकरी में आ रहे हैं उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि आर्थिक पृष्ठभूमि और हमारे समाज की धार्मिक पृष्ठभूमि है, आर्थिक पृष्ठभूमि है, सामाजिक पृष्ठभूमि है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इन पृष्ठभूमियों को हम हमारी पुलिस का अध्ययन आलोचना या उसका छिद्रान्वेषण करने में, उसकी स्क्रीनिंग करने में नकार कर नहीं चल सकते क्योंकि कुछ सोशियोलोजिकल ट्रूथ्स हैं, कुछ सोशियोलोजिकल फैक्ट्स हैं। इसलिये एक आवाज उठी कि हर थाने में वीकर सेक्शन का आदमी भी किसी न किसी रूप में तैनात रहना चाहिये। अब इसके पीछे क्या भावना है कि उस थाने में अगर कोई राजपूत लगा हुआ है प्रभारी अधिकारी और शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी जाता है और राजपूत के खिलाफ कोई शिकायत है तो नैचुरली हमारा जो हिस्टोरिकल, हमारा जो इमोशनल, हमारा जो कास्ट का सिस्टम है उसमें कास्ट की इमोशनल टाइज होती हैं, धर्म की इमोशनल टाइज होती हैं, सम्प्रदाय की इमोशनल टाइज होती हैं और वे किसी न किसी रूप में सब्कांशस में प्ले करने में आ जाती हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद देश में जिस तरह से पुलिस की रचना है उस पुलिस की आलोचना, समालोचना और प्रत्यालोचना करने में मैं विश्वास करता हूं। कई बार ऐसे स्वीपिंग रिमार्क्स पुलिस के बारे में कर भी दिये गये हैं। मेरा अपना ख्याल है, करीब 25 साल पहले जस्टिस मुल्ला ने एक टिप्पणी कर दी थी, उस टिप्पणी का उल्लेख यदा-कदा पुलिस की आलोचना करने में किया जाता रहा है। उस पुलिस फोर्स से हमको काम लेना है उसमें सुधार करना है और इसीलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर जो पुलिस का प्रशिक्षण है, उस प्रशिक्षण को पुख्ता करने की आवश्यकता है। जब चर्चा होती है तो मैं कई बार हमारे मित्रों से कहता हूं कि फौज का मतलब है हुक्म मानना का, अगर फौज का मतलब हुक्म का मानना नहीं हो तो फौज नहीं चल सकती। यदि हुक्म देने वाला कहता है कि गिर जा तो उसको गिरना ही है। यह स्थिति इसलिये कि इस सीमा तक प्रशिक्षण होता है तभी वह फौजी अपने प्राणों का बलिदान देकर अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करता है। पुलिस भी इसी तरह की एक फोर्स है, उसको पुलिस के रूप में प्रशिक्षित करने में हम असमर्थ रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे सदन की भावना थी कि पुलिस में सुधार आएं, सारे माननीय सदस्यों का विचार था कि पुलिस की जिस तरह की आज की कार्य पद्धति है, आज की कार्य प्रणाली है, उसमें सुधार आये और शान्ति व्यवस्था कायम होने के साथ ही अपराध कम हों और जहां अपराध होते हैं उनका अन्वेषण होकर अन्वीक्षा के आधार पर अपराधी को दण्डित किया जाए। सारे सदन की सामान्य भावना है, इसके लिये यह आवश्यक होगा कि हम सब एक सामूहिक प्रयत्न करें। सामूहिक प्रयत्न इस बात का करें कि हमारी पुलिस बने। अगर हमारी पुलिस पुलिस बन गयी, गृह मंत्री से लगाकर

(श्री कैलाश मेघवाल)

डी.जी. से लगाकर नीचे तक अगर पुलिस और पुलिस का एक परिवार है तो मैं सोचता हूं कि सदस्यों की भावनाएं पूरी होंगी। उस पुलिस को हम कभी जातिवाद के आधार पर, कभी सम्प्रदाय के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर प्रभावित करने की कोशिश नहीं करें और उसको उस सीमा तक प्रशिक्षित कर दें कि वह इन दबावों में, सामाजिक दबावों में और जो सामाजिक इमोशनल टाइज है, इनके दबावों में नहीं आए तो अपने आप में एक बार पुलिस की कार्य प्रणाली में सुधार होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय, भैरोंसिंह जी शेखावत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुझको जो बहुत कठोर दायित्व दिया गया है, वह मेरी बहुत बड़ी कसौटी है, मेरी बहुत बड़ी परीक्षा है।

श्री जगदीप धनखड़ : यह मिलीजुली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों कहते हो ? (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नहीं, मिलीजुली सरकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बारबार कहते हैं। राजस्थान प्रान्त में एक बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित नहीं हुई है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये अपनी जगह से बोलें। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : ये अनुशासन को भंग कर रहे हैं। माननीय सदस्य अपनी जगह से बोलें। माननीय सदस्य अपनी जगह पधारें, उसके बाद में बोलें।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, कई सदस्यों के बारे में मेरी अच्छी धारणा है। किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के बारे में भी मेरी धारणा अच्छी है और वे दिल्ली रिर्टन भी हैं और एक दिल्ली रिर्टन आदमी इस तरह की बात कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं, कोई आधार नहीं है। यह कोई मिश्रित सरकार नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है....

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। आई एम आॅन ए पाइंट आफ आॅर्डर।

श्री कैलाश मेघवाल : यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी होकर कुछ लोगों ने समर्थन दिया है।

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर। हां।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय. माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि राजस्थान में वे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गृह मंत्री हैं....

श्री नरपत सिंह राजवी : बिल्कुल सही कहा है।

श्री जगदीप धनखड़ : मेरा पाइंट आॅफ आॅर्डर यह है कि राजस्थान में जो

(श्री जगदीप धनखड़)

सरकार है वह मिलीजुली सरकार है.... (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : कौन से रूल में है ? रूल कोट करें।

श्री जगदीप धनखड़ : भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। इस सरकार में आठ मंत्री निर्दलीय विधायक हैं।

श्री नाथूसिंह : ये श्रीमन् कौन से रूल में उठा रहे हैं पाइंट आफ आर्डर ?.... (व्यवधान)

श्री मांगीलाल मेघवाल : यों ही सब + + +कर रहे हैं अनावश्यक।

श्री रामनारायण डूडी : आठ-आठ मंत्री जब निर्दलीय विधायक हैं....

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन इस बात की व्यवस्था दे कि क्या राज्य में जो सरकार है वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो निर्दलीय विधायक हैं वे भारतीय जनता पार्टी में समावेश हो चुके हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका जवाब दे देना चाहता हूं।

श्री नरपत सिंह राजवी : आप जब जनता दल छोड़ कर कांग्रेस में आये, वह व्यवस्था नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : मुझे कोई एतराज नहीं होगा। यह पाइंट आफ आर्डर नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा उठाया है। मैं इसका एक ही जवाब देना चाहता हूं कि केन्द्र में कांग्रेस की सरकार जो निर्दलियों के आधार पर बची थी अगर वह कांग्रेस की सरकार नहीं है तो यहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। अन्यथा निर्दलियों के आधार पर केन्द्र में समर्थन लेकर के उस सरकार को कांग्रेस की सरकार कहने वाले हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र में कांग्रेस की सरकार में कोई भी निर्दलीय सांसद मंत्री नहीं था। माइनॉरिटी गवर्नमेंट होने में और मदद लेने में फर्क है। अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी जो बात कह रहे हैं, केन्द्र सरकार के बारे में, वह बिल्कुल विपरीत है।

श्री कैलाश मेघवाल : अविश्वास का प्रस्ताव जब पास हुआ....

श्री रामनारायण डूडी : आठ-आठ मंत्री निर्दलीय हों वह सरकार कैसी है ? वह बीजेपी की सरकार नहीं हो सकती, निर्दलियों की बैसाखियों पर चलने वाली सरकार है।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस की सरकार एब्सोल्यूट मैजोरिटी की सरकार है, कांग्रेस के पास अपने आप में सक्षम बहुमत है।

+ + +नाम अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री जगदीप धनखड़ : केन्द्र में कांग्रेस ने कभी भी कहीं भी अन्य दल के सांसद को मंत्री नहीं बनाया है।

श्री अध्यक्ष : वैसे तो मुझे....

श्री नाथूसिंह : यह पाइंट ग्राफ ग्रार्डर कैसे हुआ ? पाइंट ऑफ ग्रार्डर है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : ग्राप मेरे से भी बहस कर रहे हैं क्या ? मैं यह निवेदन कर रहा था कि वैसे तो मुझे इस तरह के पाइंट ग्रॉफ ग्रार्डर पर कोई व्यवस्था देना उचित प्रतीत नहीं होता लेकिन चूंकि पाइंट ग्राफ ग्रार्डर रेज करने वाले सुप्रीम कोर्ट के महाधिवक्ता हैं इसलिये मुझे उनको पाइंट ग्राफ ग्रार्डर पढ़कर सुनाना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि मैं पढ़ कर सुना दूं उसके बाद फिर वे उसका ग्रर्थ समझ लेंगे ग्रौर मुझे ग्रर्थ समझने के लिये बाध्य नहीं करेंगे।

श्री जगदीप धनखड़ : बाध्य तो वैसे भी नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष : (1) A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such Articles of the Constitution as regulte the business of the House and shall raise a question which is within the cognizance of the Speaker.

(2) A point of order may be raised in relation to the business before the House at the moment :

Provided that the Speaker may permit a member to raise point of order during the interval between the termination of one item of business and the commencement of another if it relates to maintenance of order in, or arrangement of business before the House.

(3) Subject to conditions referred to in sub-rules (1) and (2), a member may formulate a point of order and the Speaker shall decide whether the point raised is a point of order and if so, give his decision thereon, which shall be final.

(4) No debate shall be allowed on a point of order, but the Speaker may if he thinks fit, hear membeıs before giving his decision.

(5) A point of order is not a point of privilege.

(6) A member shall not raise a point of order–(a) to ask for information or (b) to explain his position; or (c) when a question on any motion is

(श्री अध्यक्ष)

being put to the House or (d) which may be hypothetical or (e) that Division bells did not ring or were not heard

295. Raising a matter which is not a point of order. —

A member who wishes to bring to the notice of the House any matter which is not a point of order shall give notice to the Secretary in writing stating briefly the point which he wishes to raise in the House together with reasons for wishing to raise it, and he shall be pe mitt d to raise it only after the Speaker has given his consent and at such time and date as the Speaker may fix" I think, it is sufficient और मुझे इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है।

श्री नाथू सिंह : समझ गये। समझ में आ गया श्रीमान्।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, अब हमको उस परिप्रेक्ष्य को और उस पृष्ठभूमि को भी समझना पड़ेगा कि आज अपराध किस तरह के हो रहे हैं, उन अपराधों का अनुसंधान, अन्वेषण करने की क्या हमारी तैयारी है। आज अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देखे तो कई तरह के अपराधों में वृद्धि होती चली जा रही है और राष्ट्रीय स्तर पर भी देखे, अन्य राज्यों के आंकड़े भी देखें और राजस्थान की स्थिति भी देखें तो अपराधों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। लेकिन इस बढ़ोतरी में नये-नये आयाम आ रहे हैं। यहां पर माफिया गिरोह की बात की गयी, अध्यक्ष महोदय, माफिया गिरोह राजस्थान में हैं। जमीन पर कब्जा कराने वाले माफिया गिरोह हैं. मकान खाली करवाने वाले माफिया गिरोह हैं, शराब के माफिया गिरोह हैं जो बाहुबल और धनबल से पुलिस को भी प्रभावित करते हैं लेकिन क्या एक सत्य को हम भुला सकते हैं कि जितने भी माफिया गिरोह हैं या जिनको भी कह दिया जाए, चाहे वे तस्करों के माफिया गिरोह हों, चाहे असामाजिक तत्वों के माफिया गिरोह हों, चाहे वे सटटे-बाजों के हों, चाहे वे दूसरे माफिया गिरोह हों, ये सब माफिया गिरोह क्या अपने आप में अस्तित्व में हैं? इन माफिया गिरोहों का कहीं अस्तित्व है तो, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस की उनसे मिलीभगत हो सकती है लेकिन वह पुलिस की मिलीभगत क्या किसी राजनेता या राजनेता से समीपता रखने वाले व्यक्ति के बिना हो सकती है? यह एक सवाल मैं खड़ा करना चाहता हूं। यह इसलिये खड़ा करना चाहता हूं कि अगर राजस्थान से माफिया गिरोह को खत्म करना है तो हम सबको अपनी एक सोच शुद्ध करनी पड़ेगी कि पुलिस वाला जो कोई भी इस तरह के माफिया गिरोह के साथ समझौता

(श्री कैलाश मेघवाल)

रखता है, साझेदारी रखता है, उनसे किसी भी तरह का सम्बन्ध रखता है, उनको प्रोटेक्शन देता है उस पुलिस वाले का न कोई समर्थन करे और उसको दण्डित कराने में हम सब मिलकर कानूनी रास्ता अपनाएं। यह हमारा दृढ़ निश्चय होगा तो यह माफिया गिरोह खत्म हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य शक्ति से बड़ी कोई शक्ति है क्या! राज्य शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं लेकिन राज्य शक्ति के हिस्सेदार जब इस तरह के माफिया गिरोहों को संरक्षण देते हैं या राज्य शक्ति के हिस्सेदारों के साथ समीपता रखने वाले लोग जब इस तरह के माफिया गिरोह को संरक्षण देते हैं तो इनको समाप्त करने में और इन पर हाथ डालने में एतराज हो सकता है। आज हमारे पास आतंकवाद की समस्या इस देश में है, राजस्थान भी उससे अछूता नहीं। आज घुसपैठ की समस्या है, राजस्थान उससे भी अछूता नहीं। आज कई तरह की आई. एस. आई वकिंग चल रही है, कई तरह की वकिंग यहां चल रही है, इन सब बातों में, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि अपराध केवल आई. पी. सी. के सामान्य अपराध नहीं रह गये हैं। आई पी सी के सामान्य अपराध नहीं रहने के साथ दूसरे अपराध भी हैं। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक चकाचौंध, वैभव का जीवन बिताने की जो एक लालसा आज लोगों में जग रही है विकाशशील सोच के साथ, उस वैभव की लालसा ने अपराध कराये हैं। ये दहेज हत्याएं क्या हैं आज? ईजी मनी। दहेज हत्या क्यों करना चाहता है आदमी, कि दहेज लाओ नहीं तो हत्या कर दूंगा? आज अडल्टेशन क्यों करना चाहता है आदमी? आज कालाबाजारी क्यों करना चाहता है आदमी? आज ट्यूशंस क्यों करना चाहता है आदमी? आज दूसरे तरह के नियम तोड़ने और रिश्वत खोरी की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है? यह आर्थिक वैभव के आधार पर जीवन बिताने की जो चकाचौंध के अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : इसका एक कारण और भी है कि कानून जानने वाले भी कानून को तोड़ रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइंट ऑफ आर्डर उठा देते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पाइंट ऑफ आर्डर का जवाब है यह।

श्री जगदीप धनखड़ : घनश्यामजी किसी भी हालत में नहीं रुकेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इस बात से शत-प्रतिशत सहमत हूं, लेकिन यहां पर आज चर्चा में एक बात आयी कि कानूनों का व्यवहारिक पक्ष हमारे यहां नहीं देखा गया है। ऐसे कानून हैं। शारदा एक्ट कब पास हुआ, लेकिन शारदा एक्ट की पालना में कम और उल्लंघन में ही ज्यादा सारा व्यवहार चल रहा है। अब होता क्या है, अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी विडम्बना है कि एक गांव में तो शारदा एक्ट के विपरीत शादियां

(श्री कैलाश मेघवाल)

लगातार हो रही हैं और किसी गांव में या तो किसी सद्भावना से या कभी ईर्ष्या से या किसी से प्रतिशोध लेने की वजह से शिकायत हो गई तो पुलिस भी बीच में आ जाती है।

श्री रामनारायण चौधरी : शारदा एक्ट का किसने उठाया ? आप तो कुछ आमूलचूल परिवर्तन का बताइये।

श्री कैलाश मेघवाल : आमूलचूल परिवर्तन तो नहीं होगा, धीरे-धीरे इन्हीं बातों में सुधार आएगा।

अब जैसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आज महिलाओं के बारे में बात की जाती है, शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात की जाती है, यह साधारण प्रक्रिया नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सामाजिक परिवर्तन एक अंगड़ाई ले रहा है। महिलाओं की इस देश में संस्कृति क्या रही है, पति को परमेश्वर माना है। जिस देश की संस्कृति में यह सिखाया जाता हो उस देश की महिला आज अगर बराबरी की हिस्सेदारी मांग रही है, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में तो यथास्थितिवाद पर एक चोट हो रही है। यही हालत शिड्यूल्ड कॉस्ट, शिड्यूल्ड टाइब्स की है। आज एक गांव गांव में शिड्यूल्ड कॉस्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जो हालत है उन हालात् की वजह से आज हमारा स्वाभिमान अंगड़ाई ले रहा है। स्वाभिमान का जीवन जीने के लिये वे जब अपना सिर ऊंचा करते हैं, उस समय साम्प्रदायिक और परम्परावादी सोच का यथास्थितिवाद है, वह आता है। यथास्थितिवाद पर जब-जब भी चोट होगी, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रैक्स आएगी, उस क्रैक्स को कोई नहीं रोक सकता। उस क्रैक्स को मीट-आउट करने के लिये राज्य की संस्था के साथ आप सब की भावना है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि महिलाओं पर अत्याचार कम हों, यह राजस्थान की पुलिस का प्रयत्न रहेगा। अनुसूचित जाति और जनजाति स्वाभिमान से जीवन जी सकें और उनकी पूरी सुरक्षा रहे, वे जातिगत दुराग्रहों और जातिगत पूर्वाग्रहों के किसी भी तरह से शिकार नहीं हों, यह राजस्थान की पुलिस का पहला उद्देश्य रहेगा। जो सब तरफ से एक भावना व्यक्त की गयी है, मुझे गृह मंत्री बनाने के पीछे जो भावना देखी गयी है, जिस उद्देश्य का हेतु पढ़ा गया है, वह हेतु भी यहां पर आपके सामने आया है।

मैं इसके साथ ही एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अब हम पुलिस के व्यवहार की बात बहुत करते हैं, उनको प्रशिक्षण का। पुलिस का व्यवहार किन परिस्थितियों में यहां तक आ गया है ? पुलिस में वही क्रूड मेथड, थर्ड डिग्री मेथड। एक संघर्ष चलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी वकील हैं, मैं भी वकील हूं और हमारे कई माननीय सदस्य वकील हैं, वे इस बात को जानते हैं कि अपराध होता है पर अपराध होने के बाद, जैसा मण्डावा से आने वाले माननीय विधायक कह रहे थे कि 323 का अपराध

(श्री कैलाश मेघवाल)

होने के बाद भी एग्रीव्ड पार्टी चाहती है 307 बन जाए, तीन सौ और कुछ बन जाए, क्योंकि उसमें एक प्रतिशोध की भावना आ जाती है। एक संघर्ष चालू होता है और एग्रीव्ड पार्टी अभियुक्त सजा दिलाने के लिये प्रयत्नशील हो जाती है और कोई भी अभियुक्त, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो नहीं देखा जो स्वयं कह दे कि मैंने अपराध किया है। सौ में एक आधा कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट वाला मिल जाएगा, बाकी हर अपराधी सजा से बचने के लिये प्रयत्नशील रहता है। यह एक संघर्ष अपराध होने के साथ ही चालू होता है, उस संघर्ष के बीच सन्तुलन का काम पुलिस को करना पड़ता है। इस सन्तुलन में मेडिकल विभाग अलग आ जाता है, अब मेडिकल विभाग का कोऑपरेशन मिल रहा है कि नहीं, यह भी देखने की बात है। इस सन्तुलन में आपकी प्रोसीक्यूशन ब्रांच अलग आ जाती है, उसको भी देखना पड़ता है कि उसका सहयोग मिल रहा है कि नहीं इस सन्तुलन में गवाहों की स्थिति भी एक ऐसी बन जाती है कि उनका सहयोग मिल रहा है कि नहीं। इस सारे माहौल में आज का जो हमारा प्रोसीक्यूशन का तौर-तरीका है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। हम जो लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग टेक्निकल हैं वे न तो हमारे यहां अपना सके हैं पूरी और न अपनाने की हमारी तैयारी है, लेकिन अगर हमें थर्ड-डिग्री मेथड को निकालना है, आज के जो क्रूड मेथर्ड हैं इन्वेस्टिगेशन के, दूर करना है तो हमको इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। इस दिशा में हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जबकि हम एक कम्पैक्ट-वर्किंग करें, मैं इस बात को देखूंगा। कई बार हमारे यहां शिकायत आती है इन्वेस्टीगेशन अफसर की, कि लाश लेकर चले जाते हैं, डाक्टर परवाह नहीं करते हैं और पार्टी पहुंच जाती है तो डाक्टर जलील और करते हैं, वे आते ही नहीं अब वहां पुलिस वाला होल्ड-इन हो जाता है। छह घण्टे लाश पड़ी रह जाए, जिसकी लाश है वह अलग से परेशान, इन्वेस्टीगेशन अलग परेशान। इधर से कई बार राय के लिये जाती है प्रोसीक्यूशन में। माननीय किशनगढ़ से आने वाले विधायक ने एक सुझाव दिया है और मैं उनके सुझाव का हृदय से स्वागत करता हूं क्योंकि नेशनल लॉ कमीशन की जिन रिपोर्टस पर प्रोसीक्यूशन को पुलिस से अलग करने का निर्णय लिया है, वह निर्णय उस समय जल्दी में लिया गया निर्णय मैं मानता हूं। इस बारे में क्या किया जा सकता है, एक सामूहिक राय हम बनाएंगे कि जब पुलिस के पास प्रोसीक्यूशन था, तब कन्विक्शन रेट्स और कन्विक्शन मुकदमे के गवाह लाने की स्थिति तबकी ज्यादा अच्छी थी या आज जबकि प्रोसीक्यूशन ब्रांच अपने आप में अलग है? जब जाते हैं राय के लिये तो रख दो, देख लेंगे, यह करेंगे। वह एक थर्ड एजेन्सी हो गयी है सुपर इन्वेस्टीगेटिंग एजेन्सी के रूप में। उसको भी हमको देखना है कि इन दोनों व्यवस्थाओं में हमारे आज की हिन्दुस्तान की परिस्थितियों में कौनसी व्यवस्था अपराधी को निष्पक्ष रूप से, कानूनी तरीके से सजा दिलाने में

(श्री कैलाश मेघवाल)

सफल रहेगी। उस बारे में हम विचार करेंगे यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

आज कई माननीय विधायकों ने एक बात उठायी, कहीं थाने चाहिये, कहीं चौकी चाहिये, कहीं क्या चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात स्वीकार करता हूं कि इस पर जितना अध्ययन होना चाहिये वह नहीं हुआ है। हमारे पुलिस विभाग में रिआर्गेनाइजेशन विंग आलरेडी वर्क करती है, जिसका प्रभारी एक आई. जी. पी. के स्तर का अधिकारी होता है। सम्पूर्ण राजस्थान में रिआर्गेनाइजेशन किस तरह से किया जाए, थानों का, चौकियों का, डिप्टी एस. पी. के सर्कल का, इसकी तीन महीने में एक रिपोर्ट मैं मांगना चाहता हूं। इस तरह के आदेश मैं आज ही दे रहा हूं कि तीन महीने के अन्दर-अन्दर सारे राजस्थान में पुलिस का जो ढांचा है, उस ढांचे के पुनर्गठन में कितनी चौकियां बढ़ायी जाएं, कितने थाने बढ़ाये जाएं, कितने डीवाई. एस.पी. बढ़ाये जाएं और पुलिस व्यवस्था किस तरह सुचारु की जाए, किस तरह वह काम्पेक्ट वर्किंग में आये? तीन महीने के अन्दर-अन्दर यह रिपोर्ट आने के बाद ये जो मांगें हैं, मैं सोचता हूं कि सभी माननीय विधायकों की मांगों का समावेश में करने में मैं सफल रहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यहां एक बात कही गयी और एक बात को मैं स्वीकार करता हूं और मैं जिसका शिकार होता हूं कि हमारे यहां न्याय मिलने में भी पैसे का बहुत बड़ा रोल रहता है। आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि....

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं नहीं जानता इस इस बात को।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। मैं इसलिये जानता हूं कि ये जगदीप जी धनखड़ सुप्रीम कोर्ट तक वकालात करते हैं। अब बड़ी फीस देने वाला बड़ा आदमी फीस देकर इनको वहां तक एन्गेज कर सकता है। कानूनी पेचिदगियों में—justice delayed is justice denied, यह उलझाया जा सकता है। गरीब आदमी इस तक नहीं पहुंच सकता है इसलिये गरीब आज भी न्याय से वंचित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात मैंने इसलिये कही कि राजस्थान के शिड्यूल्ड कॉस्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग जो आज गरीब हैं, उनको किसी तरह की कानूनी सहायता जो मिलती है और जो हमने प्रोविजन किया है, क्या किया है? मुफ्त कानूनी सहायता के प्रकोष्ठ बना कर, उसमें मुंशी की फीस जो होती, उतनी फीस हम वकीलों को देना चाहते हैं। उस फीस में जगदीप जी धनखड़ अगर किसी केस में वकील हुए हों तो मुझे बता दें। जब इस तरह के वकील उनको नहीं मिल सकते, तो मैं सोचता हूं कि उस सारी व्यवस्था को देखना पड़ेगा। पुलिस यह अपना प्रथम कर्तव्य मानेगी, राजस्थान में शिड्यूल्ड कॉस्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जमीन पर किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति का कब्जा है, उस कब्जे को हटाने में पूरी तैयारी से पुलिस काम करेगी, उसमें किसी

(श्री कैलाश मेघवाल)

दबाव में नहीं आएगी। आज हमारा पहला कर्त्तव्य यह हो जाता है कि राजस्थान के इन गरीबों की जो जमीन दबा रखी है, अलाटमेण्ट के द्वारा, और कई तरीके हैं—पावर ऑफ अटार्नी अलग है, कब्जा अलग है और कोई तरीका अलग है, या वैसे ही साझे से जो जमीन दे रखी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पुलिस का यह पहला कर्तव्य होगा कि राजस्थान के शिड्यूल कॉस्ट, शिड्यूल ट्राइब्स के जमीन के मालिक और मकानों के मालिक इस बात से आश्वस्त होकर चलें कि राजस्थान की वर्तमान सरकार उनको इस बारे में पूरी सुरक्षा देगी और राजस्थान की पुलिस उस काम में अगुवाई से काम करेगी, मुस्तैदी से काम करेगी।

इसके साथ ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा, उस बारे में मैं न बोलूं तो ही अच्छा है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं और वह मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मैं मण्डावा के माननीय विधायक की इस बात से सहमत हूं, उन्होंने बहुत परिपक्व रूप से अपनी बात रखी कि सब भ्रष्ट नहीं हैं और यह सही भी है। यहां पर जितने भी मुद्दे आये हैं—कोई तफ्तीश ठीक हो गयी इस तरह का कोई मुद्दा आया हो कि साहब वहां पर एक मर्डर केस हो गया था, वहां पर तफ्तीश ठीक होकर अदालत में चालान पेश हो गया, ऐसा किसी ने उठाया हो तो बता दो। कहीं पर चोरी हो गयी, वह चोरी पकड़ी गयी, मुलजिम पकड़े गये, चालान हो गया, ऐसा किसी ने कोई केस यहां उठाया हो तो बता दो। कहीं बलात्कार हो गया है, उसमें मुलजिम पकड़े गये, सारी कार्यवाही होकर के चालान पेश हो गया, ऐसा कोई है क्या? हमारी पुलिस की उपलब्धियां बहुत हैं। उन उपलब्धियों को यहां पर उजागर इसलिये नहीं किया जाता है कि यह मंच है छिद्रान्वेषण का और कमियों का। पुलिस के बारे में शुरु से अन्त तक जो कमियां रही हैं, वे कमियां यहां पर आती हैं और इसलिये एक वातावरण ऐसा बनता है कि पुलिस भ्रष्ट है, पुलिस में कमियां हैं। बाकी हमारी पुलिस का कार्य बहुत ही उल्लेखनीय रहा है अगर दूसरे प्रदेशों की पुलिस से तुलना करें। हमारे यहां डकैतों को मारा है, अब इसमें एक दो डकैत नहीं पकड़े जाएं, तो जो डकैत पकड़ गये, जिनको मार गिराया, जो डकैती का मीनेस खत्म किया, क्या उस उपलब्धि को, उस क्रेडिट को हम उसे नहीं देंगे? हमारे यहां पर हत्या के कई मुकदमे पकड़े गये, अब हो सकता है कभी ब्लाइन्ड मर्डर हुए हों।

मैं इस बात को मानकर चलता हूं, यहां जो वकील बैठे हुए हैं, कि कई ब्लाइन्ड मर्डर होते हैं और कई प्लाण्ड मर्डर होते हैं लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि राजस्थान की धरती पर होने वाला मर्डर छिप नहीं सकता। मर्डर तो मेरा कहना है कि मुंह से बोलता है। कत्ल तो मुंह से बोलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिये इसको भी मैं मानता हूं कि कई केसेज में जो काली भेड़ें हैं जो काली भेड़ें सारे पुलिस विभाग को बदनाम करने पर तुली हुई हैं। ऐसी काली भेड़ों को

(श्री कैलाश मेघवाल)

आइडेन्टिफाई किया जायेगा। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को इसका तबका निगराकार बनाया जायेगा कि कहीं मर्डर हुआ है या कहीं बलात्कार हुआ है या कहीं संगीन जुर्म हुआ है तो उसकी सीधी चौकसी वे रखें जिससे कि छोटे लेवल का सब इन्सपेक्टर और इन्सपेक्टर लेवल का आदमी जो कई तरह के रिश्वत के दबाव या राजनीतिक दबाव या और कोई जातिवादी दबाव से बंधकर अपराधियों को बचाने की कोशिश करता है, वह उस कोशिश में सक्षम नहीं हो। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी पुलिस कई मामलों में और कुल मिलाकर अच्छा काम कर रही है। लेकिन जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि यहां वही मसले आते हैं जिनमें कमी रह गयी या जो नहीं हुए। चोरियां हमारे यहां बहुत पकड़ी गयीं, हत्या के मामले....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि पुलिस प्रशासन शासन का प्रमुख अंग है जिसके आधार पर राज्य के कार्यकलापों का इवेल्यूएशन होता है। कल्याणकारी योजनाएं अलग हैं। शान्ति और व्यवस्था रखना, अपराध न हों और अपराध होने पर अपराधी को दण्डित करना यह शासन का प्रमुख कर्त्तव्य है। उस कर्त्तव्य के बारे में आज यहां चर्चा हुई है। मैं कुछ बातें आपके सामने इसलिये रख रहा हूं कि अगर मैं आपको घुसपैठ का रिकार्ड बताऊं तो पुलिस ने बड़ा शानदार काम किया है। पाकिस्तान से अवैध रूप से आने वाले, पाकिस्तान में अवैध रूप से जाने वाले घुसपैठियों, बंगाली, बर्मी और अन्य लोगों की हमारी जो तस्वीर है। 1991-92-93 की, एक शानदार तस्वीर है, हम ठीक काम कर रहे हैं लेकिन अगर उस ठीक काम में भी दो-चार प्रतिशत गलत काम हो गया तो वह गलत काम उजागर होता है। अखबारों में भी वही छपता है, वही गलत काम उजागर होता है और इसलिये जो हमारा सही काम हो रहा है उसकी तस्वीर सामने नहीं आती। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से, मेरे अच्छे मित्र हैं भाई विष्णु मोदी, वे आज यहां नहीं है। वे बोलकर चले गये लेकिन उनके दूसरे मित्र हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : हमारी बात का तो जवाब दे दो।

श्री कैलाश मेघवाल : हां मैं दे रहा हूं, आपका भी दे रहा हूं। आपका तो देना ही है। आप आखिर दो दिन से शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब के नाम से मेरे से नाता जोड़ रहे हैं तो मैं भी उस नाते को जोड़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, इस देश की एक परिपाटी है और यह शायद हमारे यहां ही है कि जो मिला हुआ है उसके प्रति तो हैं दुखी और जो नहीं मिला हुआ है उसकी चेष्टा करते हैं। जो बैठे हुए हैं उनकी कोई चिन्ता नहीं करता है और जो नहीं हैं, उसकी चर्चा होती है। यह है इस देश की परम्परा।

श्री कैलाश मेघवाल : आपके कटाक्ष का स्वागत करते हुए, मैं इसलिये मेरे मित्र

(श्री कैलाश मेघवाल)

का नाम ले रहा था, पुष्कर से आने वाले माननीय विधायक का कि उन्होंने एक बात यहां कही....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ये जनजाति वाले तो दुश्मन हो गये और वे मित्र हो गये ?

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं कोई दुश्मन नहीं है। रामस्वरूप जी मेरे भाई हैं वे दो दिन से नाता जोड़ रहे हैं मेरे से।.... (व्यवधान)....

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर हम वाद-विवाद करते हैं और मैं यह मान कर चलता हूं कि यह राजस्थान की जनता का प्रतिनिधि सदन है। राजस्थान की जनता आपकी, मेरी, हमारे पुलिस विभाग की और सारे जनसेवकों की मालिक है। उस राजस्थान की जनता के प्रतिनिधि जब यहां पर बैठते हैं....

श्री अध्यक्ष : आप पुलिस को क्या दे रहे हैं यह बताइये आप, आंकड़े बताइये कि क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है।

श्री कैलाश मेघवाल : पांच मिनट बाद। इसलिये कि पुष्कर से आने वाले विधायक ने एक बात कही। वे पढ़े लिखे हैं, दिल्ली रिटर्न हैं और उन्होंने कहा कि राजस्थान में चालान का प्रतिशत 21 है....

श्री जगदीप धनखड़ : दिल्ली रिटर्न मुख्य मन्त्री जी हैं, अध्यक्ष महोदय भी हैं और आप स्वयं हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : हां, मैं भी हूं। तो अपनी ज्यादा जिम्मेदारी है, आखिर अपन दिल्ली रिटर्न हैं। जैसे पहले फोरेन रिटर्न होते थे, उनको बड़ा मानते थे कि फोरेन रिटर्न हैं इसलिये तो कह रहा हूं कि दिल्ली रिटर्न हैं अपन लोग, अपनी ज्यादा जिम्मेदारी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ज्यादा जिम्मेदारी मानकर दिल्ली रिटर्न होने से तो तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो आप लोग।....

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकर अफसोस हुआ कि उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि राजस्थान में चालानी प्रतिशत 21 प्रतिशत है। वे 21 प्रतिशत का आंकड़ा कहां से लाये ? मैंने व्यक्तिगत भी उनको पूछा कि आपको कहां से मिला आंकड़ा, क्योंकि राजस्थान की जो रिपोर्ट हमने प्रस्तुत की है विधान सभा में उस में 1991 में चालानी प्रतिशत 80.85 प्रतिशत था और चोरी का माल बरामदगी का 69.09 प्रतिशत था। 1992 में चालानी प्रतिशत 81.61 प्रतिशत था और बरामदगी प्रतिशत 60.20 प्रतिशत था। 1993 में चालानी प्रतिशत 81.79 प्रतिशत था और बरामदगी प्रतिशत 67.46 प्रतिशत था। वे अनुपस्थित हैं लेकिन जो बातें प्राइमाफेसी गलत जंची, असत्य कथन किये गये, उनका जवाब देता हूं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मन्त्री महोदय, यह आंकड़ों का पेड़ आप ही के बाग में नहीं उगता, मेरे मित्र के बाग में भी उगता है।

श्री कैलाश मेघवाल : आपके मित्र के बाग में तो कैसे पेड़ उगते हैं, मैंने बता दिये। अब टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आपके मित्र हैं या माननीय सदन के माननीय सदस्य हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपका भी मित्र हूं, माननीय चौधरी साहब, अपनी भी मित्रता है। ये औपचारिक रिश्ते भी हैं और मित्रता भी है।

श्री अध्यक्ष : यहां जो बैठे हैं वे सभी मेरे मित्र हैं, कोई शत्रु नहीं है मेरा तो।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके लिये नहीं कहा।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य बड़ी अच्छी वक्तव्य कला के आदमी हैं। मुझे इस इस बात की खुशी है और मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स में होते हुए भी इतनी अच्छी वक्तव्य कला उनमें है। इन विधायक महोदय ने चार महन्तों की हत्या का जिक्र किया है, चार की हत्या का। तीर्थ स्थल कदमकुण्डी के महन्त की हत्या 1986 में हुई थी, यह तो सही है न ? और 1986 में जब हुई थी तो उसकी तफ्तीश होकर के उस तफ्तीश में मुलजिम सोहनलाल खाती, निवासी मुण्डा पथ थाना सैंपूर जिला मथुरा उत्तर प्रदेश के विरुद्ध अपराध साबित हुआ और उसका चालान प्रस्तुत कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 1986 की घटना है। दूसरी घटना माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके महन्त सादर बाबा की हुई थी। इस सादर बाबा की हत्या 1984 में कहीं हुई थी और वह हत्या भी उत्तर प्रदेश में कहीं हुई थी। टोडाभीम के थाने पर इस तरह का कोई अपराध दर्ज नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, 1984 में महन्त जी की हत्या हुई थी। तीसरे महन्त जी की हत्या 28-2-92 को हुई थी और 28-2-92 को महन्त जी हत्या होने के बाद तफ्तीश हुई और तफ्तीश के बाद अभियुक्तगत जगमोहन तथा श्रीमन मीनगान निवासी बगराई थाना बजीरपुर के विरुद्ध चालान 10-8-93 को पेश कर दिया गया तो दो हत्याओं में दोनों जगह चालान पेश कर दिये गये। एक हत्या यहां जमा नहीं हुई। जिस हत्या का 84, 86, 92 से सम्बध है। लेकिन मैं उनकी जागरूकता की तारीफ करता हूं कि आखिर वे इस मामले को सदन में लाये।"" (व्यवधान) " दो चालान हुए न, आपने तो यह कहा कि चालान ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला हत्यारों का। जो आपकी भाषा थी ""(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : वह हत्या तो हो गई उसकी जिम्मेदारी तो पुलिस पर है। पुलिस प्रोटेक्शन तो नहीं दे सके ना उसको।

श्री परसादीलाल मीणा : वह दहेज की हत्या वाला मामला, नीलम हत्याकाण्ड का बस्सी थाने का 281–93....

श्री कैलाश मेघवाल : उसको मैं देखूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक

(श्री कैलाश मेघवाल)

विषय पर और जवाब देना चाहता हूं क्योंकि महुआ से आने वाले माननीय विधायक यहां पर बैठे हैं और महुआ से आने वाले माननीय विधायक ने बार-बार जब भी अवसर आया, कहा कि 122 मुकदमों का चालान रोक दिया, भ्रष्टाचार को मिटाने वाली सरकार ने। मैं इस बात के लिये कुछ स्पष्टीकरण इसलिये देना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि राज्य अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा यह तफ्तीश की जाती है और प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट में इस तरह का एक प्रावधान है, धारा 19 के अन्तर्गत। उसमें जब तफ्तीश पूरी हो जाती है और जब चालान की स्टेज आती है तो जो रिमूविंग ऑथोरिटी है, जो अधिकारी रिमूव कर सकता है उस रिमूविंग ऑथोरिटी की स्वीकृति से ही चालान पेश किया जा सकता है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

और यह मैं आपके सामने आंकड़े पेश करना चाहता हूं.........(व्यवधान)........

श्री हरिसिंह (महुआ) : हाई कोर्ट का जजमेंट हो गया, मंत्री महोदय, कि उसमें चालान के लिये स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : हाई कोर्ट के जजमेंट की मुझे कोई जानकारी नहीं।

श्री हरिसिंह : अभी रीसेन्टली हुआ है।

श्री कैलाश मेघवाल : अगर रीसेन्ट जजमेंट हुआ है तो मैं उसको पढ़ लूंगा।

श्री भंवरसिंह चौधरी : वह निर्णय भिन्न बात पर हुआ है, उस पर नहीं है.... (व्यवधान)....वह इस तरह है कि एज ए गवर्नमेंट सरवेन्ट किया है, तो स्वीकृति चाहिये और गवर्नमेंट सरवेन्ट का नहीं किया है तो आवश्यकता नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, वह निर्णय हुआ है तो देख लिया जाएगा। लेकिन मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं और वह एक पोजीशन में आपके सामने स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता हूं क्योंकि यह बार-बार चार्ज लगाया जाता है कि भ्रष्टाचार को नाक से निकालने वाले मुख्यमंत्री बचा रहे हैं, ऐसा ऐसा कतई नहीं है। दफा 18 में निश्चित रूप से विवेक दिया गया है और वह विवेक इसलिये दिया गया है किसी बड़े अधिकारी या कर्मचारी को डोक में खड़ा करने के पहले यह देखना आवश्यक है कि जो ऐवीडेन्स कलेक्ट हुई है वह ठीक हुई है या नहीं, जो ऐवीडेन्स कलेक्ट हुई उसके बाद उसको सजा होगी कि नहीं। जिस तरह का अपराध किया है उस अपराध की तुलना में, और रेयरेस्ट आफ दी रेयर केसेज में....(व्यवधान)....

श्री रामनारायण चौधरी : यह कौन देखेगा ? वह तो इन्वेस्टीगेटिंग ऑफिसर है, एजेन्सी है, आथोरिटी वही है।

श्री कैलाश मेघवाल : रिमूविंग अथॉरिटी।····(व्यवधान)····

श्री रामनारायण चौधरी : + + + की बात यही है, अध्यक्ष महोदय, कि नीचे इन्वेस्टीगेशन हुई। जांच करने वाले अधिकारी ने दोषी पा लिया, दोषी पाकर इनको मंजूरी के लिये भेज दिया, अब ये किस अथोरिटी से उसको रोक रहे हैं। यह बेइमानी की बात हुई। यहां आप + + + अफसरों को बचाना चाहते हैं। ····(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, आप तो मंत्रीजी यह कर दीजिये कि यह डिसीजन पोलिटिकल बेसेज पर यह चालन पेश करना चाहिये या नहीं करना चाहिये। फिर तो तफ्तीश का कोई अर्थ ही नहीं रहा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आदेश प्रसारित करने के लिये आपको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है? क्यों डिले कर रहे हैं आप, उन कारणों को बताइये।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे अफसोस इस बात का है। कि जब एक तथ्य मैं रख रहा हूं उसको सुनने की तैयारी नहीं है। लीगल पोजीशन जो है उसको सुनने की तैयारी नहीं है। लीगल पोजीशन मैंने कहा कि रिमूविंग आथोरिटी पहले अपना माइण्ड अप्लाई करेगी।

श्री अध्यक्ष : आपने मेरी बात मानी नहीं। इसीलिये मैं कह रहा हूं कि कानून जानने वाले जब कानून तोड़ते हैं तो अपराध होता है। मैं बार-बार यह बात कह रहा हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : अब मैं आपसे निवेदन करूं। मैं वे आंकड़े रख देता हूं

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बात बताई····

श्री अध्यक्ष : आप मेरे से से बिना पूछे क्यों खड़े होते हैं? यहीं आप कानून तोड़ रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार कार्मिक विभाग से वर्ष 1991 में 15 प्रकरणों में, वर्ष 1992 में 20 प्रकरणों में तथा वर्ष 1993 में 12 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति दी गई है। इस समय फरवरी, 1994 तक राज्य सरकार के स्तर पर कुल 52 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु लम्बित हैं जिसमें तीन प्रकरण 1991 के, 8 प्रकरण 1992 के, 39 प्रकरण 1993 के तथा 2 प्रकरण वर्ष 1994 के हैं। इन 52 प्रकरणों में से तीस प्रकरणों में दिनांक 17-2-94 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अभियोजन स्वीकृति हेतु इसमें विचार-विमर्श किया जा चुका है। यह तो है राज्य स्तर के अधिकारियों की स्थिति जिसमें मुख्य मंत्री जी को सैंक्शन अवार्ड करनी पड़ती

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री कैलाश मेघवाल)

है । दूसरे में मैं छोटे विभागाध्यक्ष का बताऊं ।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने जो सवाल किया था वह सवाल यह था कि जब इन्वेस्टीगेटिंग ऑथोरिटी ने चालान के लिये स्वीकृति दी तो यह जो विवेक का आपने उल्लेख किया है, यह उनको क्यों है । मैंने मंत्रीजी को सुना है और उसके हिसाब से यह विवेक इसलिये है कि अपाइन्टिंग ऑथोरिटी इसमें यह निर्णय करती है कि जो दोष हुआ है क्या उस दोष का अपराध वह अपने स्तर पर डिपार्टमेंटल एक्शन लेकर उसकी पूर्ति कर सकते हैं या उसको आगे भेजना जरूरी है । इसलिये यह विवेक उनको दिया गया है । यदि इन्वेस्टीगेशन में यह हो कि वह अपने स्तर पर उनको दण्डित कर दें तो चालान की इजाजत नहीं देंगे और लगता है कि उनके द्वारा जो दण्ड है वह पर्याप्त नहीं है और मिलना चाहिये तो चालान की देंगे । इसलिये यह विवेक की व्यवस्था की गयी है । मैंने स्थिति स्पष्ट की है, मैं उसके फैक्टस में नहीं जाना चाहता हूं । स्थिति यह है इसलिये रिमूविंग ऑथोरिटी को यह अधिकार है । अब वे एक-एक केस में कैसे अपना विवेक प्रयोग करते हैं वह भिन्न भिन्न है ।

श्री कैलाश मेघवाल : सैंक्शन आथोरिटी को अपना माइण्ड अप्लाई करना पड़ता है टोटल इन्वेस्टीगेशन पेपर्स पर । अब मैं इसको यहीं समाप्त करते हुए क्योंकि आपको भी जवाब देना जरूरी था, फैक्ट्स ये हैं, आप मेरे से मिल लीजिये ।

अब मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि राजस्थान की पुलिस को सुधारना है और आज का दिन ऐसा होता है कि हमारे पुलिसकर्मी इस बात की भी अपेक्षा रखते हैं कि राज्य सरकार उनके बारे में क्या सोचती है, तो मैंने वे कन्सेशन और वे सुविधाएं राजस्थान की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, सदस्यों की भावना के अनुरूप तो वह नहीं बन पायी हैं, मैं भी सन्तुष्ट नहीं हूं लेकिन वित्तीय स्थिति जब बीच में आती है तो उसको देखते हुए पुलिस विभाग, जेल विभाग तथा गृह रक्षा विभाग में जो मैस अलाउन्स दिया जा रहा है उसमें 25 रुपये प्रति माह की वृद्धि की जाएगी । अभी हम 125 रुपये कांस्टेबल को दे रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको बढ़वाइये । तीन सौ रुपया मिलता है उनको । आप ही अकेले हैं जो उदार हो सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप पहले उनकी सुन लीजिये । इतने में आपका पेट भर गया, और तो सुन लीजिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : इसको तो बढ़वाइये पहले, नहीं तो शुरूआत ही गड़बड़ हो जाएगी ।

श्री अध्यक्ष : पहले पूरी सुन लीजिये ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस विवाद में नहीं जाना

(श्री कैलाश मेघवाल)

चाहता। प्रतिपक्ष जब सत्ता में था उस समय के आंकड़े भी मेरे पास हैं। कभी 5 रुपया, कभी 10 रुपया बढ़ाया गया है, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं उस विवाद में जाना नहीं चाहता, हमारी वित्तीय स्थिति···· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 87, 88, 89 दस रुपये से ज्यादा नहीं बढ़ाया आपने।

श्री अध्यक्ष : शांतिलालजी, अच्छा नहीं लगता।

श्री रामनारायण चौधरी : जब के 10 रुपये आज 50 के बराबर हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्यों की भावना का स्वागत करता हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मुख्य मंत्रीजी ने जो सदन में कहा है मैं उसको दोहरा रहा हूं। मुख्य मंत्रीजी ने सदन में यह कहा है कि हम राजस्थान के कर्मचारियों को केन्द्र के कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते दे रहे हैं उसमें हमारी पुलिस फोर्सेज भी हैं। अब केन्द्र के समान आप दे रहे हैं, केन्द्र की पेरामिलिटरी फोर्सेज के बराबर। पेरामिलिटरी फोर्सेज के बराबर आप वेतन तो दे रहे हैं लेकिन उनके बराबर आप उनका फूडिंग एण्ड क्लोथिंग अलाउन्स नहीं दे रहे हैं। जब मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हम केन्द्र से इनकी सिमिलिटरी कर रहे हैं। या फिर आपको देना है तो दिल्ली पुलिस के बराबर इनको वेतन दीजिये। अगर पेरामिलिटरी फोर्सेज के बराबर रखते हैं तो उनके बराबर आप उनको अलाउन्स दीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, महुआ ने आने वाले माननीय विधायक ने जो कहा, वह पे एण्ड अलाउन्स का मामला है जो राजस्थान सरकार और केन्द्र सरकार के पे एण्ड अलाउन्सेज हैं वह इसमें एप्लाई नहीं होता इसलिये अभी तक वर्तमान में 125 रुपया कान्टेबल को मिलता था 132 रुपया हैड कांस्टेबल को मिलता था और 140 रुपया आ. ए. सी. के कान्सटेबल और हैड कांस्टेबल को मिलता था उसमें 25 रुपये की वृद्धि कर दी गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, थानों में, पुलिस लाईन में और आर.ए.सी. में रसोड़े चलते हैं। अभी भी फ्यूल, दूसरी तरह का आता है, 50 नये गैस कनेक्शन सरकार अपनी तरफ से उनको उपलब्ध कराएगी। पुलिस थानों में अभी तक 746 लोगों को मोटर साईकल भत्ता मिल रहा था 75 रुपये प्रति माह इन 746 में 438 हमने और जोड़ दिये हैं और कुल 1200 पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं छोटे लेवल के, उनको मोटर साइकिल का भत्ता दिया जाएगा 75 रुपया प्रतिमाह। पुलिस विभाग में 1242 लांगरी नियुक्त हैं, जिन्हें वर्तमान में 250 रुपया, 300 रुपया, 350 रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जा रहा। इन सभी 1242 लांगरियों को 600 रुपये प्रतिमाह दिये जाएंगे। पुलिस

(श्री कैलाश मेघवाल)

लाइनों में बिजली के पंखों के लिये 4 लाख रुपये दिये जाएंगे। पुलिस लाइनों, आर. ए. सी. लाइनों तथा थानों में शौचालय तथा स्नान गृहों के निर्माण हेतु 40 लाख दिये जायेंगे। थानों एवं चौकियों में पेयजल सुलभ कराने हेतु 30 लाख रुपये दिये जाएंगे। थानों तथा चौकियों में बिजली के कनेक्शन तथा फिटिंग हेतु 30 लाख रुपये दिये जाएंगे। पुलिस स्पोर्टस फण्ड में 10 लाख रुपये दिये जाएंगे। पुलिस कल्याण कोष में 15 लाख रुपये दिये जाएंगे। पुलिस आवास हेतु, आवास की बहुत बड़ी प्रोब्लम है ठीक है, हम उसको पूरी कर सकेंगे कि नहीं, बजट में तो एक करोड़ का प्रावधान हुआ है लेकिन आज राज्य के मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने हमारे निवेदन पर उस 1 करोड़ के बदले में पांच करोड़ रुपया आवास के लिये देने की स्वीकृति दे दी है।

जेल विभाग के बारे में चूंकि जेल की मांगें हैं, जेल की मांगें यहां नहीं ली जायेंगी....

एक माननीय सदस्य : बार्डर होम गार्ड वालों की आप यहां पर, जयपुर में ड्यूटी लगाते हैं।— (व्यवधान)....

श्री कैलाश मेघवाल : होम गार्ड का यही है, होम गार्ड भी इसमें इन्क्लूडेड है।

जेल विभाग से सम्बन्धित घोषणाएं माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 जेलों में गैस कनेक्शन हेतु 2 लाख रुपये दिये जाएंगे।

जेल के सम्बन्ध में वर्दी धुलाई भत्ते को 10 रुपये प्रतिमाह से बढ़ा कर 15 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा ताकि यह पुलिस में देय वर्दी धुलाई भत्ते के समान हो जाएगा। नाई, कुक तथा धोबी की सेवाएं प्राप्त करने के लिये, नाई आकर कर जाए, धोबी कपड़े धो जाए, आदि के उनको 24 लाख रुपये जेल विभाग को उपलब्ध कराये जाएंगे। अब तक जेल के प्रहरियों को सूती वर्दी मिलती थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस सूती वर्दी के स्थान पर टेरीकोट की वर्दी तथा वूलन वर्दी हेतु 12 लाख रुपये उनको दिये जाएंगे। पुलिस विभाग में नियुक्त कांस्टेबलों की भांति जेल विभाग के प्रहरियों को भी मच्छरदानियों हेतु 3 लाख 30 हजार रुपये दिये जाएंगे। जेल के कर्मचारी कल्याण कोष में 5 लाख रुपये दिये जाएंगे।

अब गृह रक्षा विभाग से सम्बन्धित जो लाभ दिया है उसके बारे में, अध्यक्ष महोदय। वर्तमान में ड्यूटी पर बुलाये जाने पर 22 रुपये प्रतिदिन दैनिक भत्ता दिया जाता है उसको बढ़ाकर 30 रुपये प्रति दिन किया जाएगा। इससे 31 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा। वर्तमान में प्रशिक्षण पर बुलाये जाने वाले गृह रक्षकों को पांच रुपये, सात रुपये प्रति दिन दिया जाता था इस राशि को बढ़ाकर 10 रुपये प्रति दिन किया जाएगा। वर्तमान में गृह रक्षकों को एक रुपया

(श्री कैलाश मेघवाल)

प्रति सप्ताह की दर से वर्दी धुलाई का भत्ता दिया जाता है जिसको बढ़ा कर पांच रुपये प्रति सप्ताह दिया जाएगा। अभी तक उनको कोई चिकित्सा सुविधा नहीं दी जाती थी, ड्यूटी पर बीमार होने पर, घायल होने पर गृह रक्षकों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। उनके स्पोर्ट फण्ड में भी एक लाख रुपये दिये जाएंगे और गृह रक्षा विभाग के कर्मचारी कल्याण कोष में भी दो लाख रुपये दिये जाएंगे। इसके साथ एक नीतिगत निर्णय लिया है कि गृह रक्षकों को पुलिस और जेल विभाग में भर्ती में प्रिफरेंस दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला पुलिस की कहीं भी ड्यूटी लगती है, तो आज यह निर्णय लिया गया है कि महिला पुलिस जहां भी ड्यूटी पर जाएगी, एक नहीं जाएंगी, दो पुलिस कांस्टेबल हमेशा साथ जाएंगी, उनकी ड्यूटी उसी रूप में लगेगी और उनके लिए महिलाओं के स्टेटस के हिसाब से साधन-सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाएगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : महिलाओं की पदोन्नति के लिये ? (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैस अलाउन्स को तो बढ़वाइये, देख लिया इनका जो नजारा है, मैस अलाउन्स तो बढ़वाइये। यह बहुत ही अहम मुद्दा है। 25 रुपये बिल्कुल कम हैं और हमारी मांग थी कि तीन सौ रुपये किये जाएं और उस आधार पर किए जाएं क्योंकि पेरिटी मेण्टेन की जाए। अब हम आप से ही आस लगा सकते हैं, आप ही उनको सहारा दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप पहले पूरा सुन लीजिये।

श्री भीमसेन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा + + + का क्या ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष, महोदय, मैं सदस्यों की भावनाओं से मुख्य मंत्रीजी, जो वित्त मन्त्री हैं उनको अवगत करवा दूंगा और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरी पूरी पैरवी रहेगी कि वे इस भत्ते में बढ़ोतरी करें।

श्री जगदीप धनखड़ : तो फिर कल घोषणा कर दें।

श्री कैलाश मेघवाल : यह जो व्यवस्था है, आप भी जानते हो। इसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं पूरी पैरवी करूंगा, इतना ही आज आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब आगे चलिये आप।

+ + + अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री कैलाश मेघवाल : इसके साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में आन्दोलन के मुकदमे कई चल रहे हैं, विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनों के, श्रमिक आन्दोलनों के, छात्र आन्दोलनों के। मेरी यह कोशिश रहेगी और विशुद्ध रूप से इन आन्दोलनों के जो मुकदमे हैं जिसमें कोई गम्भीर हिंसा का कोई तत्व नहीं है ऐसे मुकदमे छात्रों से, श्रमिकों से और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से विदड्रा करने की सरकार आज घोषणा करती है।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सदन में घोषणा की थी कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर जो मुकदमे हैं वे पहले वापस ले लिये जाएंगे। माननीय गृह मंत्रीजी अब कह रहे हैं वह घोषणा बहुत पहले हो चुकी है। वे कब तक वापस ले लेंगे, तारीख की घोषणा करें। एक निश्चित तारीख यदि घोषित नहीं करेंगे तो जैसे पहले घोषणा हुई थी और उसका जो नतीजा निकला वही इस घोषणा का निकलेगा।

श्री अध्यक्ष : यह आपने पूछ ही लिया कि वकील कार्य की घोषणा करेंगे वे कितने लेंगे उसमें। ....(व्यवधान) एक बात सुनिये, आप इसकी प्रक्रिया जानते हैं .

श्री जगदीप धनखड़ : यहां तो हमें आपका संरक्षण प्राप्त है।

श्री अध्यक्ष : जो मुकदमे अदालतों में हैं उसमें हर मुदमे में आपको अदालत की स्वीकृति लेनी पड़ेगी और अदालत की स्वीकृति लेने के लिये जाएंगे तो वकील खड़ा हो जाएगा और फिर वह बहस करेगा, डेट लेगा। इसमें मंत्रीजी क्या बताएंगे कि कितना टाइम लगेगा।

श्री जगदीप धनखड़ : निश्चित अवधि तक दरख्वास्त लगा देंगे।

श्री अध्यक्ष : आप इनसे यह पूछ लीजिये कि यह प्रक्रिया चालू कब करेंगे? खतम कब होगी यह आपके हाथ की बात नहीं है, चालू कब करेंगे, यह बता दीजिये। यह पूछ लीजिए आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह प्रक्रिया चालू कब करेंगे, मंत्री महोदय?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, कई स्टुडेण्ट्स पर केस हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय मंत्रीजी, कब तक कर देंगे?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रक्रिया कल से ही चालू समझूंगा। ये मुझे इस बात की सूचना दें।

मांग संख्या 16 का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष से किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,75,84,46,000/– (दो अरब पिचहत्तर करोड़ चौरासी लाख छियालीस

(श्री अध्यक्ष)

हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

मांग स्वीकार की गयी ।

(सदन की कार्यवाही कल दिनांक 23-3-94 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 22.56 बजे बुधवार, दिनांक 23 मार्च, 1994 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 497 की सूची)

चित्तौड़गढ़ तहसील में 75% से 100% फसल खराबा गांवों की सूची

क्र. सं.	नाम ग्राम	नाम कार्य	स्वीकृत राशि	स्वीकृत श्रमिक	नियोजित श्रमिक
1.	रिठोला	1. रिठोला माईनर (सिंचाई विभाग)	3.00	50	20
2.	घाघसा	1. घाघसा माईनर (सिंचाई विभाग)	3 00	50	26
		2. उदयपुर मेनरोड से घाघसा तक सड़क (प. स.)	0·40	20	—
3.	बोजून्दा	1. बोजून्दा से चिकसी सड़क (सा. नि. वि.)	5.00	100	—
4.	सावा	1. सावा रेगरान मौहल्ले में खुरंजा निर्माण (पंचायत समिति)	0·50	15	5
		2. सावा में प्रा. वि. का कमरा व बरमदा (पं. समिति)	0.50	10	—
5.	माताजी की ओरड़ी	1. प्रा. वि. माताजी की ओरड़ी (पंचायत समिति)	0.40	10	—

1	2	3	4	5	6
6.	घोसूण्डा	1. ओडून्द से घोसूण्डा रेल्वे स्टेशन वाया गाडरियावास तक सड़क (सा. नि. विभाग)	5.00	100	45
		2. घोसूण्डा तालाब पाल दुरस्ती (पं. समिति)	0.50	20	—
		3. शमशान घाट रास्ता दुरस्ती	0·50	20	—
7.	गाड़रियावास	1. नेतावल महाराज से गाड़रियावास सड़क (सा. नि. वि.)	5.00	100	—
8.	वैंजनाथिया	1. वैंजनाथिया से नेतावल महाराज तक सड़क (पंचायत समिति)	0.20	30	10
9.	कसाराखेड़ी	1. प्रा. वि. कसाराखेड़ी चारदीवारी	0.40	15	—
10.	शिवसिंहका खेड़ा	1. प्रा. वि. कमरा निर्माण (पं. स.)	0.50	20	—
11.	नारेला	1. नारेला से लक्ष्मीपुरा चतरपुरा होकर काठोड़िया एप्रोच रोड (पंचायत समिति)	0·80	25	—
12.	लक्ष्मीपुरा	,, —,,—,,—	,,	,,	,,
13.	गोपालपुरा	1. प्रा. वि. चारदीवारी	0·40	15	—
14	शिशोदियों का सांकला	1. प्रा. वि. एक कमरा	0.50	20	—

1	2	3	4	5	6
15.	चतुरभुज का खेड़ा	1. प्रा. वि. बाउंड्रीवाल	0.30	15	—
16.	किला	(नगरपालिका क्षेत्र)	—		—
17.	चन्दरिया (रामदेवजीका)	—,,—	—		—
	कुल कार्य— 18	योग	26.80	635	106

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 500 का प्रारुप

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन का प्रबन्ध राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को सौंपने की प्रस्तावित शर्तों का प्रारूप

1. यह समझौता दिनांक 1–4–1992 से लागू माना जायेगा।

2. आरसीडीएफ एवं यूनियन्स को उनके उत्पादन, एकत्रीकरण, प्रोसेसींग तथा दूध से उत्पादित वस्तुओं तथा उनको बाजार में विक्रय के लिये एनडीडीबी आवश्यक आर्थिक एवं प्रबन्धन सहायता देगी।

3. दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत है कि आरसीडीएफ को कार्य संचालन हेतु दूध एवं उससे उत्पादित वस्तुओं के क्रय एव विक्रय मूल्य का निर्धारित पशु आहार एवं पशु स्वास्थ्य सेवाओं आदि के सम्बन्ध में आरसीडीएफ को पूर्ण स्वतन्त्रता होगी।

4. आर.सी.डी.एफ. को राजस्थान राज्य के अन्दर एवं बहार दूध, दूध से बनी वस्तुयें एवं पशु आहार को विक्रय करने एवं क्रय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5. आर.सी.डी.एफ. के प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा एनडीडीबी की सिफारिश के अनुसार की जावेगी।

6. एनडीडीबी को इस समझौते के अनुसार अपने कर्त्तव्यों की पूर्ति के लिये राज्य सरकार निम्न कार्यवाहियां करेगी—

   (क) आर.सी.डी.एफ. को यह निर्देश दिया जावेगा कि यूनियन्स के चुनाव दिसम्बर, 92 तक स्थगित कर दिये जावें।

   (ख) प्रारम्भ में बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर एवं फैडरेशन का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा एनडीडीबी की सहमति से मनोनीत किया जावेगा।

   (ग) सहकारिता आंदोलन में जनतांत्रिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए एनडीडीबी की सिफारिश के अनुसार आर.सी.डी.एफ. एवं युनियन्स के बाइलाज में में समुचित संशोधन किया जावेगा।

   (घ) आर.सी.डी.एफ. द्वारा भविष्य में क्रियान्वयन के लिये चालू योजनाओं के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि बदस्तूर मिलती रहेगी।

(ङ) प्रिवेंशन ऑफ फूड एडलट्रेशन एक्ट एवं तत्तसम्बन्धी आदेश एवं नियमों का कठोरता से क्रियान्वयन किया जावेगा।

(च) आर.सी.डी.एफ. एवं यूनियन्स तथा पशुपालन एवं दुग्ध विकास से सम्बन्धित सरकारी विभागों के बीच समन्वय के लिये दुग्ध विकास के लिये टेक्नोलोजी मिशन के माध्यम से आपसी सहयोग स्थापित किया जायेगा।

(छ) आर.सी.डी.एफ एवं यूनियन्स को लाभप्रद एवं उपयोगी इकाई बनाने हेतु एनडीडीबी द्वारा दी जाने वाली आर्थिक एवं प्रबन्धन सम्बन्धी सहायता के लिये सरकार को समर्थन एवं सहयोग देगी।

7. दोनों पक्ष इस पर भी सहमत है कि व्यवस्था के कुशल संचालन के लिये एन डीडीबी की प्लान्ट एवं मशीनरी को संशोधित या बदलने के लिये पूर्ण स्वतंत्रता होगी। यदि आवश्यक होगा तो एनडीडीबी समय-समय पर इस क्षेत्र के कुशल सलाहकारों की सेवायें ले सकेगी।

8. आर.सी.डी.एफ. के वर्तमान नियमों के अनुसार एन.डी.डी.बी. को वर्तमान में रिक्त स्थानों को सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा भरने का अधिकार होगा। आर-सीडीएफ को भी यह अधिकार होगा कि वह एनडीडीबी से या अन्य संगठनों से आपसी स्वीकृति के आधार पर अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर ले सकेगी।

9. एनडीडीबी उन चालू योजनाओं का उन शर्तों के साथ क्रियान्वयन भी करेगी जो कि राजस्थान के विभिन्न विभागों द्वारा आरसीडीएफ को धनराशि उपलब्ध कराये जाने के लिये लगायेगी।

10. इस समझौते के अन्तर्गत जितनी अवधि तक एनडीडीबी का प्रबन्ध रहेगा उस अवधि के दौरान होने वाली समस्त आर्थिक हानि के लिये एनडीडीबी उत्तरदायी होगी तथा वहन करेगी। लेकिन आर्थिक हानि का मूल्यांकन करते समय आरसीडीएफ एवं यूनियन्स के असेट की घिसाई एवं अवमूल्यन (डेप्रीसियेशन) को नहीं गिना जावेगा।

11. इस समझौते के प्रभावी दिनांक 1-4-1992 से पहले के आर्थिक नुकसान के बारे में दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि आरसीडीएफ एवं यूनियन्स के पुनर्वास के लिये भारत सरकार की "सहकारी संस्थाओं को सहायता" की योजना जो एनडीडीबी द्वारा क्रियान्वित की जावेगी और जिसमें वर्तमान में यह प्रावधान है कि असेट्स के अवमूल्यन (डेप्रीसियेशन) के अलावा जो भी आर्थिक हानि अब तक आर.सी.डी.एफ. एवं यूनियन्स को भी है वह 50-50 के

के आधार पर राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार के द्वारा वहन की जावेगी।

12. चूंकि एनडीडीबी द्वारा प्रबन्धन संभालने का मुख्य उद्देश्य यह है कि वह योजना को लाभप्रद बनायेगी अतः इस बात पर भी सहमति हुई कि जिन यूनियन्स में घाटे की स्थिति हो या क्षमता कम हो तो उनका विलय दूसरे संघों के साथ किया जा सकेगा। आर.सी.डी.एफ. और एनडीडीबी संयुक्त रूप से इस प्रकार के कम क्षमता वाले यूनियन्स की पहचान करके सूची बनायेगी और आर.सी.डी.एफ राजस्थान सरकार को सूचित करेगी कि इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही जानी है। तद्नुसार राज्य सरकार 3 माह के अन्दर लेकिन दिसम्बर, 92 से पहले इन सुझावों की क्रियान्विति करेगी।

13. आर.सी.डी.एफ का वितीय वर्ष 1 अप्रेल से 31 मार्च तक होगा।

14. आर.सी.डी.एफ. एवं यूनियन्स के लेखों की जांच के लिये आडीटर नियुक्ति करने का अधिकार आर.सी.डी.एफ. को होगा। राज० सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत सहकारी समितियों का ऑडिट राज्य सरकार समय-समय पर करायेगी।

15. दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत है कि नेशनल डेयरी प्रोजेक्ट (ओएफ–II और ओएफ (III) के अन्तर्गत एनडीडीबी द्वारा आर.सी.डी.एफ./यूनियन्स को दी जाने वाली आर्थिक सहायता दिनांक 29-10-91 के एग्रीमेन्ट जो आर.सी.डी. एफ. और एनडीडीबी के बीच हुई थी बदस्तूर जारी रहेगी। यदि आर.सी.डी.एफ. के द्वारा एनडीडीबी से अतिरिक्त धनराशि की मांग की जावेगी तो एनडीडीबी अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु अपनी शर्तें निर्धारित कर सकेगी। आर.सी.डी.एफ./यूनियन्स को यह अधिकार होगा कि वह एनडीडीबी, राज्य सरकार व बैंक आदि से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेगी। जिसकी शर्तें आर सीडीएफ सम्बन्धित वितीय संस्थाओं के साथ तय कर सकेगा।

16. राज्य सरकार इस बात से सहमत है कि आर.सी.डी.एफ./यूनियन्स से संबंधित किसी कानूनी मुकदमें व विवाद में जो एनडीडीबी के खिलाफ दायर किया जावेगा उसका सारा खर्चा मुआवजा आदि आर.सी.डी.एफ./यूनियन्स भरपाई करेगी। जब भी एनडीडीबी के खिलाफ कोई मुकदमा दायर किया जावेगा जिसका आर.सी.डी.एफ./यूनियन्स से सम्बन्ध होगा तो ऐसे मुकदमें में आर.सी.डी.एफ./यूनियन्स स्वयं को पार्टी बनाने के लिये कानूनी कदम उठायेगा। मानो कि वह मुकदमा आर.सी.डी.एफ./यूनिन्यस के खिलाफ दायर किया हो।

17. यदि कोई ऐसी आकस्मिक परिस्थिति खड़ी हो जिसके कारण दोनों पक्ष इस समझौते की शर्तों को एव कर्त्तव्यों का पालन करने में अपने आपको असमर्थ पावे तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श करेंगे कि इस समझौते को जारी रखा जावे या नहीं ।

18. आर.सी.डी.एफ./यूनियन्स को कोई भी तकनीकी सलाह या प्रबन्धन सुविधा देने के लिये एनडीडीबी कोई शुल्क वसूल नहीं करेगी ।

19. इस समझौते के अन्तर्गत यदि कोई विवाद खड़ा हो जाता है तो पहले यह कोशिश की जावेगी कि वह विवाद आपसी बातचीत से शांतीपूर्वक हल कर दिया जावे ।

20. यदि शांतिपूर्वक समझौता न हो तो राज्य सरकार द्वारा एनडीडीबी की सलाह से विवाद का मुद्दा पंच फैसले के लिये सौंप दिया जावेगा । जो आरबीट्रेशन एक्ट 1940 के प्रावधानों से नियंत्रित होगा ।

21. जब तक दोनों पक्ष इस समझौते को समाप्त कर लेने का निर्णय नहीं लेते हैं तब तक आर्थिक एव प्रबन्धन सहायता एनडीडीबी देती रहेगी । जो भी पक्ष इस समझौते को समाप्त करने का इच्छुक हो यह दूसरे पक्ष को कम से कम 3 माह का नोटिस देगा ।

परिशिष्ट–3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

हरिजन महिलाओं को खानों का आवण्टन

503. रामेश्वर लाल भाटी (सुजानगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1993 में जोधपुर स्थित केरू व अन्य खनन क्षेत्रों में खानें आवंटित की गई है ? यदि हां, तो आबंटित खानों में में कितनी खानें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जन जाति को आबंटित की गई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि 'मैला प्रथा" से मुक्ति पाने के उद्देश्य से हरिजन महिलाओं द्वारा भी खान आवण्टन हेतु आवेदन किया गया था ? यदि हां, तो इनमें से कितनी महिलाओं को खानें आवंटित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त हरिजन महिलाओं को आवंटित खानें खनन योग्य नहीं है ? यदि हां, तो ऐसी खानें आवंटित किये जाने के क्या कारण रहे तथा सरकार उन्हें कब तक चयन योग्य बनाने का विचार रखती है ?

(4) एक से अधिक खानें कितने व्यक्तियों/महिलाओं के पास है ? मय नाम सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त क्षेत्र में आबंटित खानों में से 219 खानें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को आबंटित की गई। विवरण परिशिष्ट "अ" के अनुसार सदन के पटल पर रख दिया है।

(2) 1993 में उक्त क्षेत्र की खानें आवंटित करने हेतु दो हरिजन महिलाओं ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये परन्तु उनमें यह नहीं लिखा कि वे खान का आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र "मैला-प्रथा" से मुक्ति पाने हेतु दे रही है। विवरण परिशिष्ट "ब" सदन की मेज पर रख दिया है।

(3) जी नहीं।

(4) उक्त क्षेत्र में एक से अधिक खानें 532 व्यक्तियों/महिलाओं के पास हैं विवरण परिशिष्ट "स" सदन के पटल पर रख दिया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

तहसील मुख्यालय खैरवाड़ा में छात्रावास

504. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि खैरवाड़ा तहसील मुख्यालय पर विभाग का कोई छात्रावास नहीं है ? यदि हां, तो सरकार कब तक छात्रावास खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां । राज्य सरकार वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता व आवश्यकता का आंकलन कर छात्रावास खोलने का निर्णय लेती है ।

जाखम परियोजना से कृषकों को सिंचाई सुविधा

505. **श्री नारायण लाल मीणा** (लसाड़िया) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जाखम परियोजना की बांई एवं दांयी मुख्य नहर के सभी सिस्टम (प्रणाली) की टेल पर (अन्तिम छोर) के कृषकों को सिंचाई की सुविधा मुहैया नहीं होती है ? यदि हां, तो क्यों और किन-किन कारणों से ?

(2) जाखम परियोजना में कुल कितने बीघा सिंचित क्षेत्र है तथा सिंचित क्षेत्र में ली गई ? यदि नहीं, तो ऐसी कितनी भूमि है, जिसमें काश्तकार सिंचाई कर रहे हैं ?

(3) क्या सरकार इस भूमि को सिंचित करने एवं कमाण्ड एरिया घोषित कर नियमन कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सिस्टम की कुछ नहरों की टेल पर पानी नहीं पहुंचता है ।

(2) जाखम परियोजना में कुल 1,31,205 बीघा सिंचित क्षेत्र है । इस में 6330 बीघा वन भूमि एवं 8335 चारागाह की भूमि शामिल है । लगभग 1610 बीघा वन भूमि एवं 2238 बीघा चारागाह भूमि में काश्तकार सिंचाई कर रहे हैं ।

(3) जी नहीं । चारागाह एवं वन विभाग की भूमि पर काबिज काश्तकारों के विरुद्ध राजस्व एवं वन विभाग द्वारा अतिक्रमी मानकर इनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ।

ओडवाड़िया घाटोल में सड़क निर्माण

506. **श्री जितेन्द्र नीनामा** (घाटोल) ; क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या विधान सभा क्षेत्र घाटोल में अकाल राहत कार्यों के तहत ओडवाडिया ग्राम में सड़क निर्माण कार्य चालू किया गया है ? यदि हां, तो उस गांव की गस्त

(श्री जितेन्द्र नीनामा)

गिरदावरी में कितना प्रतिशत खराबा आया है ? क्या यह भी सही है कि 75% खराबा वाले गांवों को छोड़कर 50% खराबा वाले गांवों को राहत कार्यों में प्राथमिकता दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। ग्राम ओड़वाडिया में गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार 50 प्रतिशत से 74 प्रतिशत खराबा आंका गया है। यह सही नहीं है कि 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत खराबा वाले गांवों को छोड़कर 50% से 74% खराबा वाले गांवों को राहत कार्यों में प्राथमिकता दी गई है।

शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत अकादमियों को सुविधाएं

507. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में शिक्षा विभाग के अधीन कौन-कौन सी अकादमियां कब-कब से कार्य कर रही हैं ? इनकी कार्यप्रणाली एवं संचालन के क्या-क्या नियम हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान साहित्य अकादमी कब से कार्य कर रही है ? इसकी कार्यप्रणाली एवं संचालन की क्या प्रक्रिया है एवं वर्तमान में अकादमी की क्या स्थिति है ?

(3) क्या अकादमी एक स्वशासी एवं नियमित निकाय है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने एक तरफा आदेशों के तहत अकादमी की संचालिका एवं सरस्वती सभा की बैठकों पर पाबंदी लगा दी है ? यदि हां, तो किन कारणों से एवं क्यों ?

(4) अध्यक्ष द्वारा सचिव एवं संचालिका सदस्यों (कौन-कौन से) के विरुद्ध किन-किन आरोपों के अन्तर्गत कब-कब कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं एवं इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं तो क्यों ? अब कब तक कार्यवाही अपेक्षित है ?

(5) जयपुर स्थित अध्यक्षीय कार्यालय कब से कार्यरत है ? अकादमी की ओर से कार्यालय को क्या-क्या सुविधायें प्राप्त हो रही है ? क्या अब ये सुविधायें बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो किन कारणों एवं नियमों के अन्तर्गत ?

(6) क्या बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(7) जयपुर स्थित अध्यक्षीय कार्यालय को पुनः कब से सुविधायें मिलना प्रारम्भ कर दी जायेगी ? क्या पूर्व में भी उदयपुर से अन्यत्र अध्यक्षीय कार्यालयों को ये सुविधायें प्राप्त होती रही हैं ? यदि हां, तो अब क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग के अधीन निम्नलिखित अकादमी कार्यरत हैं :—(1) राज. सिन्धी अकादमी, जयपुर स्थापित–1978, (2) राज. उर्दू अकादमी, जयपुर–1979 (3) राज. ब्रजभाषा अकादमी, जयपुर-198० (4) राज. संस्कृत अकादमी, जयपुर-

(शिक्षा मंत्री)

1980 (5) राज. साहित्य अकादमी, उदयपुर 28.1.58, (6) राजस्थानी भा. सा. एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर–25.1.83 ।

(2) राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर की स्थापना 28 जनवरी, को हुई। अकादमी अभी अपने स्वीकृत विधान में दिए गये प्रावधानों के अनुसार संचालित व कार्यरत हैं। शिक्षा विभाग के अधीन अकादमी है और प्रतिवर्ष राज्य सरकार से अकादमी को वार्षिक अनुदान योजाना और गैर योजना मद में आवश्यकताओं तथा वित्तीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रवृतियों और संचालन के लिए प्राप्त होता है। इसकी कार्य प्रणाली इस प्रकार है–विधान के अनुच्छेद सं. 13 में गठित सरस्वती सभा अकादमी का वार्षिक बजट, नियमादि स्वीकृत करती है। यह शक्ति विधान के अनुच्छेद सं. 14 के अन्तर्गत सरस्वती सभा को सन्निहित हैं।

अकादमी विधान की अनुच्छेद सं. 17 के अन्तर्गत, संचालिका को उसकी कार्य समिति है, की शक्तियां और कृत्य उल्लिखित हैं। संचालिका अकादमी के समस्त कार्यो के संचालन के लिए उत्तरदायी है और संचालिका द्वारा आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं। अकादमी के पदाधिकारी विधान के अनुच्छेद सं. 7 के अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव है जांच संचालिका के पदेन, सदस्य हैं। अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष सहयोग, पुरस्कार आदि की विज्ञप्तियां जारी की जाती है और उन पर समिति की संस्तुतियां प्राप्त कर संचालिका द्वारा निर्णय किया जाता है। समारोह प्रकाशन इत्यादि के संदर्भ में भी संचालिका का निर्णय अन्तिम होता है। सरस्वती सभा व संचालिका के निर्णय की क्रियान्विति कार्यालय द्वारा की जाती है। वर्तमान में संचालिका के निर्णयों को लेकर अध्यक्ष और संचालिका के सदस्यों, कोषाध्यक्ष, सचिव के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया है जिससे गतिरोध उत्पन्न हो रहा है। इसी तरह वित्तीय सहयोग समिति की बैठक 21.12.93 की संस्तुतियों अध्यक्षजी ने संचालिका की बैठक दिनांक 22.12.93 में विचारणीय विषयों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं करने दी और उन पर आगे विचार करने का लिया जिससे विभिन्न सहयोग के संदर्भ में अभी तक निर्णय नहीं हो सके हैं।

(3) राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर राज्य सरकार के शिक्षा विभाग अधीन कार्यरत है। राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अकादमी विधान का रजिस्ट्रीकरण 8 नवम्बर, 62 को हुआ। राज्य सरकार ने अकादमी अध्यक्ष और संचालिका सदस्यों के मध्य विवाद तथा आरोप-प्रत्यारोपों और साहित्यकारों के आरोपों आदि को देखते हुए अपने पत्र दिनांक 17.1.94 से संचालिका/सरस्वती सभा की बैठकों पर आक्षेपों के निर्णय होने तक रोक लगा रखी है। राज्य सरकार द्वारा आक्षेपों पर निर्णय होने पर यथा-निदेश बैठक बुलाई जा सकेगी।

(4) अध्यक्ष द्वारा सचिव को कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया है, हां–

(शिक्षा मंत्री)

कतिपय पत्रों में स्पष्टीकरण चाहे हैं। जिनका उत्तर सचिव द्वारा यथाविधि दिया गया है। संचालिका सदस्यों को अकादमी-अध्यक्ष ने कारण बताओ नोटिस यदि कोई जारी किया गया हो तो इसकी जानकारी नहीं है वैसे भी अकादमी विधान के अनुसार अध्यक्ष सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए सक्षम नहीं है। अतः अध्यक्ष के कारण बताओ सूचनापत्र के संदर्भ में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं हैं।

(5) राज्य सरकार द्वारा श्री वेद व्यास को अकादमी अध्यक्ष राज्यादेश दिनांक 2.9.93 से मनोनीत किया गया। श्री वेद व्यास ने अकादमी में 35 वर्षों में पहली बार अलग से अध्यक्षीय कार्यालय जयपुर हेतु भवन किराया दिनांक 1.10.93 से लिया जिसका राज्य सरकार ने अनुमोदन नहीं किया और संचालिका द्वारा भी अनुमोदित नहीं है। अकादमी की ओर से अध्यक्ष महोदय को उनके कार्य संचालन के लिए अग्रांकित सुविधाएं उपलब्ध हैं :–

(अ) रियायती दर पर राजस्थान में सर्किट हाउस तथा दिल्ली में राज. हाऊस में ठहरने की सुविधा।

(ब) अकादमी के स्वीकृत पद के अन्तर्गत एक कनिष्ठ लिपिक (निजी सचिव के रूप में।)

(स) अकादमी के स्वीकृत पद के अन्तर्गत एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी।

(द) अध्यक्ष जी द्वारा अकादमी कार्य से किए गये टेलीफोन, डाक तार आदि का व्यय।

(य) अकादमी प्रयोजन से की गई यात्राओं हेतु प्रथम श्रेणी विभागाध्यक्ष के अनुरूप यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता आदि और स्थानीय यात्राओं पर प्रति ट्रिप 30 रु स्थानीय यात्रा भत्ता (लघुयात्रा)

ये सुविधाएं यथावत दी जा रही है। यह सही नहीं है कि इन्हें बंद कर दिया गया। अलग से अध्यक्षीय कार्यालय के लिए भवन किराया और मासिक वाहन भत्ता राज्य सरकार की अनुमति। संचालिका की स्वीकृति तक अकादमी द्वारा स्थगित रखा हुआ है।

(6) जी नहीं। कोई राशि बकाया नहीं है।

(7 जयपुर में अध्यक्ष महोदय को सुविधाएं यथावत मिल रही है और पूर्व में भी उदयपुर से नियुक्ति अध्यक्षों को ये सुविधा दी जाती रही है और अब भी दी जा रही हैं।

बूंदी जिला मुख्यालय के अस्पताल का क्रमोन्नयन

508. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिला मुख्यालय पर 150 शैय्याओं का अस्पताल है ? यदि हां, तो क्या इसे 200 शैय्याओं में क्रमोन्नत कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा तीन श्रेणियों के अस्पताल खोले जाते हैं ? यदि हां, तो पृथक-पृथक श्रेणी के अस्पताल खोले जाने के क्या मापदण्ड है ?

उत्तर

(1) जी हां, बून्दी जिला मुख्यालय पर 150 शैय्याओं का अस्पताल है, जी नहीं, योजना मद में समुचित वित्तीय संसाधन के अभाव में इसे क्रमोन्नत किया जाना सम्भव नहीं हो सका।

(2) राज्य सरकार द्वारा तीन श्रेणी के अस्पताल खोले जाने का सामान्यतया कोई प्रावधान नहीं है। बल्कि पूर्व से स्थापित चिकित्सालयों को उनकी उपादयेता को मध्य नजर रखते हुए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत क्रमोन्नत किये जाने का प्रावधान है।

भीलवाड़ा डेयरी में घी के स्टॉक में कमी

509. जगदीश चन्द दरक (भीलवाड़ा) : क्या डेयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अप्रेल 1991 से मई 1991 की अवधि में भीलवाड़ा स्थित डेयरी में 1800 किलो घी कम पाये जाने का मामला प्रकाश में आने पर जांच करवाई गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि जांच पश्चात् एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अग्रेत्तर क्या कार्यवाही की गई ? जांच रिपोर्ट एवं अब तक हुई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, जांच रिपोर्ट के आधार पर सदर पुलिस थाना भीलवाड़ा में इस प्रकरण की एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई थी।

भीलवाड़ा पुलिस स्तर पर जांच की कार्यवाही लम्बित है। श्री आर.एस गठाला मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा द्वारा की गई जांच की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त फैडरेशन स्तर पर प्रबन्ध संचालक, राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन जयपुर द्वारा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत जांच भी करवाई गई। जांच प्रतिवेदन दिनांक 15.3.94 को प्राप्त हुआ है। इस प्रकरण से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दिनांक 18 3.94 को चार्जशीट जारी की गई है। साथ ही राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 के तहत कार्यवाही हेतु निर्धारित कमेटी के समक्ष भी मामला प्रस्तुत किया जा रहा है।

परिशिष्ट "क"

जांच प्रतिवेदन

भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, भीलवाड़ा बाबत डेयरी में घी एवं जीप नीलामी में गबन एव दुरुपयोग के :

अध्यक्ष, भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., भीलवाड़ा द्वारा अपने पत्र दिनांक 10-2-1992 से भीलवाड़ा डेयरी में निर्मित घी एवं जीप नीलामी में हुई अनियमितना की जानकारी देते हुए बताया कि डेयरी के प्रबन्ध संचालक द्वारा सभी कानूनों की अवहेलना करते हुए भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए मनमानी कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि वर्ष 1991-92 माह अप्रेल से जून के महिनों में घी घोटाले की कोई भी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई है और न संचालक मण्डल के द्वारा लिये गये प्रस्तावों के विरुद्ध सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही ही की गई जिससे दुग्ध दाताओं में असंतोष व्याप्त है।

इसी प्रकार संघ की जीप नं. आर. जे. ई. 5904 जिसे पूर्व में नीलाम की गई थी, उसकी रकम संघ कार्यालय में जमा नहीं हुई है और न पत्रावली ही उपलब्ध कराई जा रही है।

इस प्रकार का एक पत्र प्रस्तुत होकर प्रकरण सतर्कता समिति में दर्ज होकर अतिरिक्त कलक्टर एवं सचिव, जिला सतर्कता समिति भीलवाड़ा के पत्रांक एफ 4 (92) सतर्कता/134159 दि. 13-2-1992 के अन्तर्गत निम्न हस्ताक्षरकर्ता को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाकर जांच प्रतिवेदन चाहा गया।

प्रकरण की विस्तृत जांच हेतु कार्यालय पत्र संख्या 313 दिनांक 15-2-92 से तत्संबंधित स्टोक व उत्पादन रजिस्ट्रार एवं जीप नीलामी से सम्बन्धित रेकार्ड व स्पेशल आडिट से उनके पास उपलब्ध रेकार्ड व आडिट प्रतिवेदन तलब कर जांच कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

श्री चांदमल लोढ़ा, निरीक्षक आडिट सहकारी समितियां, भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, भीलवाड़ा के समक्ष जिनके पास डेयरी द्वारा संधारित

रजिस्टर व रेकार्ड उपलब्ध था, की विस्तृत समीक्षात्मक विश्लेषण किया गया तो प्राथमिक तौर पर निम्न अनुसार तथ्य प्राप्त हुए—

(1) प्रबन्ध संचालक, भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., भीलवाड़ा के पत्र संख्या 3315–20 दिनांक 9-7-91 से संघ के उत्पादन शाखा के जिन रेकार्डों को गम्भीर अनियमितताओं के संदेह में सीज किया गया था उनकी जांच हेतु पत्र श्री उपाध्याय, उप-प्रबन्धक (प्लान्ट) के माध्यम से निरीक्षण हेतु किये गये जो उनके पास सुरक्षित है।

(2) उप मुख्य अंकेक्षक, सहकारी विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 6-8-1991 के तहत विशेष आडिट हेतु (1) प्रबन्ध संचालक संस्था, (2) श्री हरिश राजपुरोहित, उप प्रबन्धक (प्लान्ट) एवं (3) श्री समवर्ति अंकेक्षण की कमेटी से कराने के निर्देश दिये गये, परन्तु क्रम सं. 1 व 2 द्वारा तत्सम्बन्धित आडिट में कोई सहयोग नहीं दिया गया। फलस्वरूप समवर्ती अंकेक्षक द्वारा ही प्रतिवेदन उप मुख्य अंकेक्षक (दुग्ध) सहकारी समितियां, राज. जयपुर को पत्र सं. 7213 दि. 24-10-1991 से भिजवाया गया है, परन्तु विभागीय स्तर से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

(3) भीलवाड़ा डेयरी द्वारा संधारित घी उत्पादन का रजिस्टर व स्टोक रजिस्टर का अवलोकन किया गया तो सम्बन्धित कर्मचारी जिन्हें यह कार्य सुपुर्द किया गया है, के द्वारा घी उत्पादक रजिस्टर से निर्मित घी स्टोक रजिस्टर में दर्ज किया जाता रहा है।

उक्त जांच समवर्ति अंकेक्षक श्री लोढ़ा के समक्ष उपलब्ध स्टोर रजिस्टर की जांच की गई तो माह अप्रेल, 91 में पृष्ठ संख्या 102 पर 30-4-91 को 3784 किलो घी पोते में से 50 किलो घटाकर 3734 कर दिया गया जबकि वास्तविक स्थिति अनुसार इसके पूर्व मार्च, 91 के स्टोक रजिस्टर पेज नं. 101 पर 31-3-91 को 2979 किलो घी पोते होना बताया लेकिन 29-3-91 को 270 किलो घी की आवक को कटिंग करके 220 किलो घी करके 31-3-91 का बैलेन्स मिलान किया गया है, जो संदेश प्रकट करता है।

माह अप्रेल, 91 में 1-4-91 को 2879 किलो पोते बता रखा है जबकि 30-4-91 को बैलेन्स 3784 किलो में 50 किलो काट कर पुनः 3734 किलो घी ही

बेलेन्स रख दिया है तथा इसी अनुरूप मई, 91 में भी प्रारम्भिक पोते में 3784 किलो को काटकर 3734 किलो कर दिया गया है।

इस प्रकार की स्थिति के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि उक्त अवधि में कार्यरत टेक्नीकल सुपरवाईज ने 50 किलो घी का स्टोक में कमी बताकर गबन (दुरुपयोग) कर 3356-50 पैसे की डेयरी को हानि पहुंचाई है।

इसी प्रकार माह मई, 91 के स्टाक रजिस्टर के पृष्ठ सं. 103 पर दिनांक 3-5-91 को प्रारम्भिक पोते 5949 किलो घी में आवक उत्पादन घी 840 किलो जुड़ने पर योग 6789 किलो घी होता है जिसमें 3435 किलो घी इस्यू करने पर 3354 किलो घी पोते रहना चाहिये, जबकि बैलेन्स में 2484 किलो घी बताकर 870 किलो घी कम बताया।

इसी प्रकार दि. 5-5-91 को 3204 किलो के बेलेन्स पर कुछ संदेह होने पर उप प्रबन्धक, उत्पादन एवं सहायक प्रबन्धक, श्रीमाली की उपस्थिति में स्टोक का भौतिक सत्यापन किया गया तो स्टोक के अनुसार 3204 किलो घी के बजाय 2235 किलो उपलब्ध मिला जो नये सिरे से संधारित स्टोक रजिस्टर (जिस पर श्री वी. एस. टाइ के हस्ताक्षर है) के, प्रारम्भिक पोते के सत्यापन अनुसार 969 किलो कम मिला।

उक्त स्थिति के विवरण से स्पष्ट है कि स्टोक रजिस्टर में कांटफांस करने व मात्रा कम बताकर बेलेन्स में कमी से कुल 1839 किलो घी कम बताया जिसके कारण मई, 1991 के घी स्टेटमेंट में हानि निर्धारित हानि सीमा 3 प्रतिशत से 13·31 प्रति अधिक रही जिसके अनुसार घी निर्मित 2228·75 किलो बनता है जिसकी लागत 1,49,615;98 पै. होती है। इस प्रकार संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों की मिली भगत व रेकार्ड में कांटफांस कर घी की मात्रा कम बताई जिससे फैडरेशन को उक्त हानि हुई।

2. तरल दुग्ध में फेट व एस. एन. एफ. में हानि :

तरल दुग्ध में फेट की जांच के सम्बन्ध में फैडरेशन द्वारा निर्धारित 4/91 से जून, 91 तक के प्रपत्रों की जांच की गई तो पाया कि—

(1) माह अप्रेल, 91 के स्टेटमेंट के अनुसार दुग्ध में फेट 1.46 व एस. एन. एफ. में 3.97 प्रतिशत हानि दर्शाई गई है जबकि राजस्थान को आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि. जयपुर द्वारा फेट व एस. एन. एफ. में क्रमश: 1.50 प्रतिशत से 2 प्रतिशत हानि निर्धारित है इस प्रकार

प्लान्ट अधिकारियों ने एस. एन. एफ. में 1.97 प्रतिशत यानि 1687–16 किलो की अधिक हानि बताकर फैडरेशन को 48100–16 पै. की हानि पहुंचाई।

इसी क्रम में माह मई, 91 में 2.50 प्रतिशत व 3–18 प्रतिशत फेट व एस.एन.एफ में हानि बताकर (292-06 किलो) फेट व एस.एन.एफ में 648.85 किलो कुल 30963-83 पैसे की हानि पहुंचाई।

माह जून, 91 में 6 जून, 61 के विवरण अनुसार फेट व एस.एन.एफ. में 6-63 प्रतिशत व 5-84 प्रतिशत हानि बताई जो निर्धारित हानि 5-13 प्रतिशत (249-98 किलो व 3-84 प्रतिशत (505-15 किलो) जिसकी लागत 25070-96 पैसे बनती है कि हानि पहुंचाई।

उपरोक्त विवरण एवं स्थिति के पुनरावलोकन से साफ जाहिर है कि फैडरेशन के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा अपने दायित्वों व अधिकारों का दुरुपयोग किये जाने के कारण फैडरेशन को सम्पूर्ण निम्नांकित हानि तालिका विवरण अनुसार 4/91 से जून, 91 की अवधि में मुल 2,57,107.43 पैसे की हानि हुई जिसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का होकर वे इसके व्यक्तिशः जिम्मेदार माने जाने चाहिए।

हानि का विवरण

माह	फेट व एस.एन.एफ.	घी	स्टोक में कमी	योग
अप्रेल, 91	48,100.16	—	3556 60	51,456.66
मई, 91	30,963.83	1,49,615.98	—	1,80,579.81
जून, 91	25,070.96	—	—	25,070.96
योग	1,04,134.95	1,49,615.98	3356.50	2,57,107.43

3. जीप नीलामी में बरती गई अनियमितता :

डेयरी संघ की जीप नं. आर.जे.ई. 5904 की नीलामी सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन किया गया व सम्बन्धित लिपिक श्री घनश्यामसिंह आ. नरेन्द्रसिंह राणावत नि. छापड़ेल के बयान लिये गये, जिनके द्वारा दी गई सूचना अनुसार जीप

का इन्जिन कार्य करने लायक नहीं रहने की स्थिति में मरम्मत कराने पर होने वाले सम्भावित अधिक खर्चे को दृष्टिगत रखते हुए तत्सम्बन्धित रिपोर्ट प्रबन्ध संचालक के पास प्रस्तुत होकर दिये गये निर्देशों के तहत निलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की गई ।

जीप नीलामी सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पत्रावली अनुसार प्रबन्ध संचालक के हस्ताक्षर-युक्त नोटिस-पत्र जरिये पत्र सं. 2289 दिनांक 13.8.87 द्वारा जीप सार्वजनिक नीलामी द्वारा दिनांक 31.8.87 को संघ कार्यालय पर 2 से 4 बजे के बीच कराने की विज्ञप्ति जारी होकर उसकी विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रचार प्रसार करना अंकित है । परन्तु पत्रावली में अन्य उपलब्ध विवरण अनुसार जीप नीलामी स्वरूप जो तुलनात्मक विवरण तैयार कर उस पर नीलामी कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर हैं वह दिनांक 22.9.87 का ही संधारित होकर सदस्यों के हस्ताक्षर भी इसी दिनांक के हैं, इससे स्पष्ट है कि जीप नीलामी वास्तविक दिनांक 31.8.87 को नहीं होकर 22.9.87 को सम्पन्न हुई, जिसके प्रमाण स्वरूप कोई दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है । ऐसी स्थिति में जीप नीलामी की जो कार्यवाही की गई पूर्ण तथा अनियमित एवं अवैधानिक है जिसका दायित्व निर्धारण सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से प्राप्त होने पर किया जा सकता है ।

जीप नीलामी स्टेटमेन्ट अनुसार सबसे अधिक रकम की बोली 42,000-/ रुपये की श्री मोहब्बत सिंह राठौड़ की होना अंकित है जिन्हें प्रसारित विज्ञप्ति की शर्तों अनुसार 50 प्रतिशत राशि उसी समय व शेष राशि दूसरे दिन वाहन ले जाने से पूर्व जमा कराना चाहिए था और जमा नहीं होने पर राशि जब्त करने के प्रावधानों के तहत प्रथम किश्त जब्त करने व नई नीलामी करने का निश्चय किया गया है परन्तु श्री राठौड़ द्वारा 50 प्रतिशत ही राशि यानि 21,000-/ रुपये जमा कराई हुई है तथा शेष राशि वक्त जांच तक जमा नहीं होना जाहिर आया तथा फिर भी डेयरी अधिकारियों द्वारा किये गये मौखिक आदेशों से जीप उन्हें सुपुर्द की गई जो स्पष्टतया प्रसारित नीलामी विज्ञप्ति एवं नियमों के विपरित है ।

इस प्रकार प्रबन्ध संचालक द्वारा नियमों व नीलामी नोटिसों की स्पष्टतया अवहेलना करते हुए न तो पूर्ण राशि ही वसूल की और न निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत शेष 50 प्रतिशत राशि जमा हुए ही प्रथम किश्त की राशि जब्त करने और न राशि जमा कराये ही जीप हस्तान्तरित करदी, यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि जीप नीलामी के बाद बिना राशि जमा हुए कब व किसे जीप दी गई कोई दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है इससे जाहिर है कि अधिकारियों की मिली भगत से बिना रकम जमा हुए जीप किसे सुपुर्द की ज्ञात नहीं होता है, यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के जीप ले गया तो क्यों नहीं उसके विरुद्ध चोरी के जुर्म में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है । इसके साथ ही बकाया राशि की वसूली के भी कोई प्रयास नहीं

किये गये जो इनकी लापरवाही का द्योतक है। जिसके सभी सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिशः जिम्मेदार माने जाने चाहिए।

उक्त सम्पूर्ण स्थिति के पुनरवलोकन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि अध्यक्ष, भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक संघ लि., भीलवाड़ा द्वारा अपने पत्र में जिन स्थितियों का उल्लेख करते हुए डेयरी फैडरेशन के तहत निर्मित घी व जीप नीलामी में जिन अनियमितताओं की जानकारी दी गई वो सत्य सिद्ध है ऐसी स्थिति में प्रबन्ध संचालक व सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों जिनकी मिली भगत से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर जिस प्रकार की अनियमित कार्यवारी को प्रोत्साहन दिया उससे फैडरेशन को उक्त हानि हुई जिसके लिये सभी सम्बन्धित को उत्तरदायी माना जाना उचित होकर उनके विरुद्ध नियमानुसार निर्धारित नियमों के अनुसार मामला पंजीकृत कर कार्यवाही की जाना नियमानुकूल होगा, जिससे इस प्रकार की भविष्य में पुनरावृति न हों।

जांच प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही स्वरूप विचारार्थ प्रस्तुत है।

ह०/–
(आर.एस. गठाला)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, भीलवाड़ा

अकालग्रस्त जिलों को अनुदान

510. श्री लक्ष्मण सिंह (मीम) : क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के कौन-कौन से जिलों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है ?

(2) उक्त जिलों में से किन-किन जिलों में घास की समस्या के समाधान हेतु परिवहन अनुदान (सब्सिडी) देने के आदेश सरकार द्वारा पारित किए गए हैं ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अभावग्रस्त ग्राम घोषित किये जाते हैं ना कि जिले। राज्य के बारां, भरतपुर, झालावाड़, कोटा एवं सीकर जिले को छोड़कर शेष 25 जिलों के ग्रामों को अधिसूचना दिनांक 31-1-94 के द्वारा अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

(2) जिला कलक्टरों की रिपोर्ट पर जिला अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, जालोर, जोधपुर, पाली, उदयपुर, राजसमन्द व जयपुर के अभावग्रस्त क्षेत्रों के पशुओं को सस्ती दर पर चारा उपलब्ध कराने के लिये चारा परिवहन अनुदान दिये जाने की स्वीकृति जारी की गई है। जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(परिशिष्ट 'क', 'ख', 'ग')

राजस्थान सरकार
सहायता विभाग

जयपुर, दिनांक : 14.2.1994

पत्रांक : एफ 5 (2) सग्रा/चारा/93–94/2678–95

जिला कलक्टर,
अजमेर/बाड़मेर/भीलवाड़ा/बीकानेर/चूरू/
जालौर/जोधपुर/पाली एवं उदयपुर

विषय :–चारा परिवहन अनुदान स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत वर्तमान में आपके जिले में प्रभावित पशुओं को सस्ती दर पर चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निर्देशानुसार निम्न प्रकार परिवहन अनुदान दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1.	राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में चारा परिवहन करके लाये जाने वाले चारे पर	30 रुपये प्रति क्विन्टल
2.	राज्य से या बाहर से गन्ना या हरा चारा लाने पर	25 रुपये प्रति क्विन्टल
3.	राज्य के बाहर के राज्यों, यथा हरियाणा/पंजाब/उत्तरप्रदेश/मध्यप्रदेश आदि राज्यों से लाये जाने वाले चारे पर	40 रुपये प्रति क्विन्टल

यह भी सुनिश्चित किया जावे कि अनुदान तब ही देय होगा जबकि चारा/हरा चारा का परिवहन एक जिले से दूसरे जिले अथवा राज्य के बाहर से किया जाएगा। 50 किलोमीटर से कम दूरी पर अनुदान देय नहीं होगा। चारा परिवहन अनुदान स्वीकृति करने बाबत विस्तृत दिशा-निर्देश संलग्न है।

भवदीय
विशिष्ठ शासन सचिव (सहायता)

संलग्न :—1

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर व कोटा।
2. वित्त सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रबन्ध संचालक, राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन सरस संकुलन, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. निजी सचिव, पशुपालन मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, सहायता राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, सहायता सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव सहायता जयपुर।

ह०
विशिष्ठ शासन सचिव (सहायता)

चारा परिवहन अनुदान स्वीकृति के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश

चारा परिवहन की स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं :–

(क) परिवहन अनुदान देने की शर्तें :

1. यह अनुदान तब ही देय होगा जबकि चारा/हरा चारा का परिवहन एक जिले से दूसरे जिले में किया जा रहा है अथवा राज्य के बाहर से लाया जा रहा है । 50 किलोमीटर से कम की दूरी पर यह अनुदान देय नहीं होगा ।

2. यह चारा जिलाधीश की स्वीकृति से चारा डिपो पर निर्धारित दर पर बेचा जायेगा ।

3. उन्हीं संस्थाओं को अनुदान मिलेगा जिनको राज्य सरकार अथवा जिलाधीश ने अनुमोदित किया है ।

4. एजेन्सी/स्वयं सेवी संस्था अनुदान की सभी शर्तों की अनुपालना करेगी ।

(ख) मूल्य निर्धारण :

1. जिलाधीश या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, एजेन्सी/स्वयं सेवी संस्था द्वारा लाये चारे के सभी कागजात देखकर, परिवहन अनुदान की राशि घटाकर मूल्य निर्धारित करेगी और विक्रय दर 'बिना लाभ बिना हानि' के आधार पर निर्धारित करते समय चारे की क्रय कीमत में 3/–रुपये प्रति क्विण्टल की दर से जोड़ दिया जायेगा, जो वितरण एवं छीजत लागत की पूर्ति करेगी ।

2. कीमत निर्धारित करते वक्त क्रय करने की दर तथा उसके परिवहन के बिल की जांच की जायेगी और यह देखा जायेगा कि यह दरें बाजार दर के आसपास ही हैं और बहुत ऊंची नहीं है ।

(ग) **प्रमाणीकरण :**

1. जिलाधीश या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि चारा कहां से लाया गया है और कहां वितरण करना है या किया जायेगा ।

2. जहां से चारा लाया गया है उस स्थान की पंचायत या नगरपालिका का प्रमाण पत्र व वहां के धर्मकांटे की रसीद संलग्न होनी चाहिए ।

3. राज्य के बाहर से अगर चारा लाया गया है तो राज्य में घुसने से पूर्व सीमा चौकी की रसीद संलग्न होनी चाहिये ।

4. जिस क्षेत्र से चारा लाया है उस क्षेत्र की सबसे नजदीक नगरपालिका या परिषद की चुंगी नाके द्वारा दिया गया राहदारी-पास भी संलग्न होना चाहिए ।

5. यदि राज्य के अन्दर से चारा लाया गया है तो जिस स्थान से लिया गया है वहां की नगरपालिका या परिषद की चुंगी नाके का राहदारी पास संलग्न होना चहिये ।

6. चारा जिले के मुख्यालय पर, या जिला कलक्टर द्वारा निर्देशित अन्य स्थान पर लाया जाने पर धर्मकांटे पर तुलवाया जावेगा । धर्मकांटे की रसीद चारे का अन्तिम तोल का आधार माना जायेगी, जिसकी तस्दीक वहां उपस्थित पटवारी तथा तहसीलदार या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति करेंगे ।

(घ) 1. चारा वितरण के लिए चारा डिपो की स्वीकृति एवं विक्रय दर का निर्धारण जिलाधीश एवं उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जावेगा ।

2. वितरण डिपो का निरीक्षण सम्बन्धित तहसीलदार 15 दिन में एक बार अवश्य करेंगे और उस निरीक्षण की रिपोर्ट सहायता विभाग को भिजवाई जाएगी ।

3. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चारे का कार्य कर रही संस्था चारा वितरण का कार्य "बिना लाभ बिना हानि" के आधार पर कर रही है और इस बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुये बिलों की जांच समय-समय पर की जायेगी।

4. आम तौर पर जब चारा विक्रय केन्द्र पर पहुंचता है तो हल्के के पटवारी को उस वक्त उपस्थित रहना चाहिए ताकि वह प्राप्त और वितरण किये गये चारे की मात्रा के सम्बन्ध में जांच आसानी से कर सके। लेकिन पटवारी की उपस्थिति के लिए ट्रकों को रोकना आवश्यक नहीं होगा। पटवारी की अनुपस्थिति में गिरदावरी या अन्य वरिष्ठ राजस्व अधिकारी से प्रमाणीकरण करा लिया जाना चाहिए।

5. चारे के वितरण की तस्दीक करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित पटवारी और तहसीलदार की होगी और इसके लिए स्वयं सेवी संस्था और एजेन्सी को तस्दीक करवाने के लिए चक्कर न काटना पड़े, इसकी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

(ब) अनुदान भुगतान :

1. अनुदान भुगतान के लिए सभी दस्तावेज मूल रूप से पटवारी और तहसीलदार से प्रमाणित करवा कर प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने चाहिये। और उनका भुगतान, प्रस्तुत करने के एक सप्ताह में हो जाना चाहिये। तस्दीक करने का काम भी पटवारी और तहसीलदार स्वयं करना चाहिए ताकि स्वयं सेवी संस्थाओं को भटकना न पड़े।

2. कार्बन कॉपी या फोटो प्रति पर भुगतान नहीं किया जाये, जिससे कि दोहरा भुगतान की आशंका न रहे। भुगतान मूल बिलों पर ही होना चाहिए।

3. सम्बन्धित तहसीलदार की ड्यूटी होनी चाहिये कि सभी अनुदान बिल शीघ्रातिशीघ्र तस्दीक होकर उनका भुगतान समय पर हो जाए ताकि चारा वितरण के कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो।

4. परिवहन अनुदान, चारे की वास्तविक मात्रा जो जिलाधीश द्वारा जिला मुख्यालय या जिले के अन्य निर्धारित स्थान पर निश्चित धर्मकांटे की तस्दीक शुदा रसीद पर देय होगा। इसकी व्यवस्था पहले से ही हो जानी चाहिए ताकि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो।

विशिष्ठ शासन सचिव (सहायता)

331

1635

परिशिष्ट–22 मार्च, 1994–परिशिष्ट

परिशिष्ट–"ख"

राजस्थान सरकार

सहायता विभाग

जयपुर, दिनांक : 1 मार्च, 1994

पत्रांक : एफ 5 (2) सग्रा/चारा/93–94/4377–84

जिला कलक्टर,
राजसमन्द !

विषय :–चारा परिवहन अनुदान स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में आप द्वारा दिनांक 21.1.94 को प्रेषित सूचना अस्पष्ट एवं अपूर्ण होने के कारण आपको दिनांक 7.2.94 को लौटा दी गयी थी । आपके जिले से परिपूर्ण सूचना दिनांक 14.2.94 को प्राप्त हुई और उसके पूर्व ही विभागीय पत्र क्रमांक एफ 5 (2) सग्रा/चारा/93–94/2678–95 दिनांक 14.2.95 द्वारा राज्य के ऐसे 9 जिलों के लिए चारे की मांग प्राप्त हो चुकी थी, चारा परिवहन अनुदान के संबंध में निर्देश प्रसारित कर दिये गये थे ।

आपके जिले में प्रभावित पशुओं की सस्ती दर पर चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निर्देशानुसार निम्न परिवहन अनुदान दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1.	राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में चारा परिवहन करके लाये जाने वाले चारे पर !	30 रुपये प्रति क्विंटल
2.	राज्य से या बाहर से गन्ना या हरा चारा लाने पर !	25 रुपये प्रति क्विंटल

3. राज्य के बाहर के राज्यों, यथा हरियाणा/पंजाब/उत्तरप्रदेश/मध्यप्रदेश आदि राज्यों से लाये जाने वाले चारे पर। — 40 रुपये प्रति क्विंटल

यह भी सुनिश्चित किया जावे कि अनुदान तब ही देय होगा कि जब चारा/हरा चारा का परिवहन एक जिले से दूसरे जिले अथवा राज्य के बाहर से किया जाएगा। 50 किलोमीटर से कम की दूरी पर अनुदान देय नहीं होगा। चारा परिवहन अनुदान स्वीकृति करने बाबत विस्तृत दिशा निर्देश संलग्न है।

इस सन्दर्भ में पत्र क्रमांक एफ 2 (1) (1) स.श्रा/लेखा/बजट/93/3702–30 दिनांक 24.2.94 द्वारा आपके जिले को अभाव वर्ष सम्वत् 2050 में स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा बिना लाभ बिना हानि के आधार पर चारा व्यवस्था पर परिवहन अनुदान स्वीकृत करने हेतु लाख रुपये की राशि का आवंटन भी किया जा चुका है। आपकी सुविधा के लिए इस स्वीकृति की एक प्रति संलग्न है।

भवदीय

(एन. के. सेठी)

विशिष्ट शासन सचिव

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:—

1. संभागीय आयुक्त, उदयपुर।
2. वित्त सचिव, वित्त विभाग, राज., जयपुर।
3. प्रबन्ध संचालक, राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन, सरस संकुलन, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. निजी सचिव, पशुपालन मंत्री, राज. जयपुर
5. निजी सचिव, सहायता राज्य मंत्री (5 प्रतियों सहित) राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, सहायता सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राज., जयपुर।

ह०

(एन. के. सेठी)

विशिष्ट शासन सचिव

परिशिष्ट-"ग"

राजस्थान सरकार

सहायता विभाग

पत्रांक : एफ 5 (2) सहा/चारा/93-94/5045-52

जयपुर, दिनांक : 7.3.94

जिला कलक्टर,
जयपुर ।

विषय :-चारा परिवहन अनुदान स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके जिले में प्रभावित पशुओं को सस्ती दर पर चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निर्देशानुसार निम्न प्रकार परिवहन अनुदान दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1.	राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में चारा परिवहन करके लाये जाने वाले चारे पर	30 रुपये प्रति क्विंटल
2.	राज्य से या बाहर से गन्ना या हरा चारा लाने पर	25 रुपये प्रति क्विंटल
3.	राज्य के बाहर के राज्यों, यथा हरियाणा/पंजाब/उत्तरप्रदेश/मध्यप्रदेश आदि राज्यों से लाये जाने वाले चारे पर	40 रुपये प्रति क्विंटल

यह भी सुनिश्चित किया जावे कि अनुदान तब ही देय होगा जबकि चारा/हरा चारा का परिवहन एक जिले से दूसरे जिले अथवा राज्य के बाहर से किया जाएगा। 50 किलोमीटर से कम की दूरी पर अनुदान देय नहीं होगा। चारा परिवहन अनुदान स्वीकृति करने बाबत विस्तृत दिशा-निर्देश संलग्न है।

भवदीय
(एन. के. सेठी)
विशिष्ट शासन सचिव

संलग्न :-एक !

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :—

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर
2- वित्त सचिव, वित्त विभाग, राज. जयपुर
3. प्रबन्ध संचालक, राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन, सरस संकुल, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. निजी सचिव, पशुपालन मंत्री, राज. जयपुर
5. निजी सचिव, सहायता राज्य मंत्री, राज. जयपुर
6. निजी सचिव, सहायता सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, सहायता, जयपुर

ह०
(एन. के. सेठी)
विशिष्ट शासन सचिव

पर्यटन स्थल झरपीर (बून्दी) का विकास

511. श्री रामनारायण (नैनवां) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले में स्थित साम्प्रदायिक सद्भावना के प्रतीक माने जाने वाले झरपीर (झरमहादेव एवं पीर बाबा की मजार) नामक स्थान को पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए सरकार द्वारा "तीस जिला तीस काम" योजनान्तर्गत विकसित करने एवं आवागमन युक्त बनाने के उद्देश्य से राशि स्वीकृत की गई थी?

(2) यदि हां, तो कितनी राशि का कार्य हो चुका है तथा अब कितनी राशि का कार्य करवाया जाना है? कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त स्थान की रमणीकता बनाए रखने एवं सुरक्षा करने के उद्देश्य से क्षेत्र के 25 गांवों ने चन्दा एकत्रित करके उक्त स्थान पर निर्माण करवाया है? यदि हां, तो उक्त स्थान को विकसित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सहयोग दिया जा सकेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त स्थान को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार तथा कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। तीस जिले तीस काम योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991–92 में बून्दी जिले में स्थित झरमहादेव तक सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु 1.71 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी।

(2) सम्पर्क सड़क के निर्माण पर सार्वजनिक निर्माण विभाग बून्दी द्वारा 1,66,700/–रु. की राशि व्यय कर कार्य कराया गया है।

(3) चन्दा एकत्रित कर निर्माण कार्य करवाने के सम्बन्ध में पर्यटन विभाग को जानकारी नहीं है। झर महादेव तथा पीर बाबा की मजार पर अधिकांशत: श्रद्धालुओं का आवागमन है। इसको विकसित करने की वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(4) पर्यटन विभाग अपने सीमित वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य के विकास की योजना बनाता है। वर्तमान में झर महादेव को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की कोई योजना पर्यटन विभाग के विचाराधीन नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र

512. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या उद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जगदीप धनखड)

(1) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कहां-कहां औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का सरकार का विचार है ?

(2) किशनगढ़ शहर में स्थित औद्योगिक क्षेत्र में आवागमन की समस्या के निराकरण हेतु सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ़ (सांवतसर) का विस्तार एवं सिलोरा रोड पर राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं. 8 किशनगढ़ भीलवाड़ा रोड पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रीको के विचाराधीन है।

(2) रीको के वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा आवागमन हेतु सड़क का निर्माण किया जा चुका है। शहर से औद्योगिक क्षेत्र के लिये आने जाने हेतु सार्वजनिक आवागमन की कोई व्यवस्था नहीं है। जिला कलक्टर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम तथा सम्बन्धित जिला परिवहन अधिकारी द्वारा कार्यवाही कर इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जायेगा।

विधान सभा क्षेत्र बागीडोरा के छात्रावास

513. श्री पूंजा लाल (बागीडोरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा के विधान सभा क्षेत्र बागीडोरा में विभाग के कितने छात्रावास हैं एवं कितने छात्र आवास करते हैं ? प्रति माह प्रति छात्र कितनी खाद्य एवं अन्य आवश्यक सामग्री अथवा राशि उपलब्ध कराई जाती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि क्षेत्र के पंचायत समिति मुख्यालय आनन्दपुरी एवं तहसील मुख्यालय बागीडोरा में छात्रों के लिए कोई समाज कल्याण छात्रावास/आश्रम विद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां उक्त प्रकार के छात्रावास खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले के बागीडोरा विधान सभा क्षेत्र में समाज कल्याण के 8 छात्रावास संचालित हैं। जिनमें 200 छात्र/छात्राएं आवास कर रहे हैं। विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं पर भोजन, वस्त्र, तेल, साबुन, जूते, मौजे, तौलिया आदि पर 250/ रु. प्रति छात्र व्यय किया जाता है। जिसका मदवार विवरण निम्न प्रकार है :—

परिशिष्ट 'क'

राहत कार्य स्वीकृत करने के मापदण्ड

1. अभावग्रस्त क्षेत्रों में चलाये जाने वाले राहत कार्य 'राहत कार्य–1994' के नाम से सम्पादित किये जायेंगे।

2. 'राहत कार्य–1994' के अन्तर्गत कार्यों को स्वीकृत करने के लिये जिला कलक्टर सक्षम होंगे। कार्यों की स्वीकृति तथा संचालन की वही प्रक्रिया होगी जो एम्लायमेंट एश्योरेन्स स्कीम होती है। पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले राहत कार्यों की स्वीकृति भी जिला कलक्टर द्वारा ही दी जावेगी।

3. राहत कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखा जावेगा :–

   (1) राहत कार्य इस दृष्टिकोण को रखकर चलाये जावें कि उनके माध्यम से राज्य में स्थाई सम्पदाओं का निर्माण हो।

   (2) राज्य के सीमित साधनों को दृष्टिगत रखते हुये योजनागत कार्यों हेतु विभागों में उपलब्ध धनराशि तथा राहत कार्यों पर व्यय होने वाली राशि के बीच में समन्वय बैठाया जाना आवश्यक है। अतः जिस क्षेत्र में विभागीय कार्य बड़े पैमाने पर चल रहे हों, वहां राहत कार्य कम खोले जाने चाहिये तथा जिस क्षेत्र में विभागीय कार्यों पर रोजगार उपलब्ध नहीं है, वहां राहत कार्य खोलकर रोजगार दिया जाना चाहिये।

   (3) पिछले वर्षों के अधूरे कार्यों को सर्वाधिक प्राथमिकता देते हुये राहत कार्य प्रारम्भ किये जावें। इनमें भी ऐसे अधूरे रहे कार्यों को प्रथमतः हाथ में लिया जावे जो 15 जुलाई, 1994 तक पूर्ण हो सकते हों।

   (4) सम्बन्धित सभी विभागों को यह स्पष्ट कर दिया जावे कि जो कार्य अकाल राहत कार्य समाप्त होने पर अधूरे रहेंगे उन्हें अपने बजट से पूरा करवाने का दायित्व सम्बन्धित विभाग का होगा और सम्बन्धित विभाग अपने बजट में ऐसे कार्यों के लिए समुचित प्रावधान रखेंगे।

(5) निर्मित स्थाई सम्पदाओं के संधारण की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी। सभी सम्बन्धित विभाग अपने बजट में इस हेतु उचित प्रावधान रखेंगे।

(6) नये कार्य केवल उन्हीं क्षेत्रों में प्रारम्भ किये जावें जहां सर्वाधिक खराबा हो और जिला कलेक्टर्स इस बात के लिये आश्वस्त हों कि उस क्षेत्र में कोई अधूरे कार्य अवशेष नहीं है।

(7) नये कार्यों के चयन में भारत सरकार की एम्प्लायमेंट एश्योरेन्स स्कीम के दिशा-निर्देशों की पालना की जावे।

4. वे ही कार्य अकाल राहत कार्य के रूप में स्वीकृत किये जावें, जिनमें मजदूरी पर व्यय 60 प्रतिशत तथा सामग्री पर 40 प्रतिशत से अधिक न हो। यह अनुपात हर कार्य पर न होकर सारे जिले में खर्च होने वाली राशि पर होगा। किसी जगह सामग्री पर अधिक व्यय व किसी जगह कम व्यय हो सकता है, लेकिन सामग्री पर व्यय पूर्ण जिले के लिए 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये।

5. नये कार्यों को चयन करते वक्त निम्न प्रकार के कार्य भी स्वीकृत किये जा सकते हैं—

(1) राजकीय भवनों की चारदीवारी बनाने का कार्य।

(2) गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले या छोटे व सीमान्त कृषकों के कुए जो अधूरे रह गये हों, उन्हें पूरा कराने का कार्य। (इनमें मजदूरी राहत कार्यों के रूप में दी जावे तथा सामग्री का व्यय किसान स्वयं वहन करेगा)

(3) मिडिल/सैकण्डरी/हायर/सैकण्डरी स्कूल भवन का निर्माण।

(4) पटवार घर/ग्राम सेवक क्वार्टर/उचित मूल्य की दुकान/तहसील भवन/अस्पताल भवन/पुलिस चौकी/पुलिस थाना भवन का निर्माण।

(5) सामुदायिक कुओं को गहरा कराने का कार्य।

(6) सिचाई विभाग के बन्धों की कच्ची नहरों में डि-सिल्टिंग का कार्य, बशर्ते कि सिचाई विभाग डि-सिल्टिंग के पश्चात उनकी लाइनिंग का कार्य स्वयं के बजट से पूर्ण करें।

6. जिले प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए सड़क कार्य स्वीकृत करने की आवश्यकता हो तो सड़क कार्य निम्न प्राथमिकता के अनुरूप स्वीकृत किए जा सकते हैं :–

(1) ऐसे पंचायत मुख्यालय, जो अभी तक सड़क से न जुड़े हों, को जोड़ने वाली ग्रेवल रोड़ को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जावे।

(2) तत्पश्चात् ऐसे गांवों को ग्रेवल रोड़ से जोड़ा जावे जिनकी जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुरूप 1000 से अधिक हो और जो अब तक सड़क से न जोड़े जा सके हों।

(3) जिन पंचायत समिति क्षेत्रों में उपरोक्तानुसार प्रथम व द्वितीय वरीयता के सड़क कार्य लिए जाने की न तो आवश्यकता हो और न सम्भावना हो वहां जिला अकाल राहत पर्यवेक्षण समिति के अनुमोदन के पश्चात् जिले से गुजरने वाली ऐसी 'स्टेट हाइवेज' या 'मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स' (जिन पर ट्रैफिक की बहुतायत है) जो वर्तमान में 5·5 मीटर से कम चौड़ी है, उन पर 5·5 मीटर तक चौड़ा करने के लिए ग्रेवल/मेटल कार्य, बशर्ते कि सार्वजनिक निर्माण विभाग इन चौड़ी की गई सड़कों पर डामरीकरण का कार्य अपने योजना मद से करवाने के लिए सहमत हो।

7. सी० डी० वर्क्स :–

जिन सड़कों पर सी. डी. वर्क्स कराये जाने आवश्यक हो, या विद्यमान सी. डी. वर्क्स की मरम्मत आवश्यक हों, ऐसे सी. डी. वर्क्स भी राहत कार्यों के अन्तर्गत प्रारम्भ कराए जा सकते हैं, लेकिन इस संबंध में शर्त यह होगी कि सी. डी. वर्क्स पर सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी तथा सामग्री के अनुपात से अधिक सामग्री लगने की स्थिति में अधिक लगने वाली सामग्री पर पर होने वाला व्यय सार्वजनिक निर्माण विभाग को अपने मद से उपलब्ध करवाना होगा एवं यह भी सुनिश्चत करना होगा कि ऐसे सी. डी. वर्क्स वर्षा से पूर्व ही पूर्ण हो जावें।

एम जी. एम. स्कूल, शास्त्री नगर, जयपुर

516. श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर शहर में किन-किन माध्यमिक स्कूलों को सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने एम. जी. एम. पब्लिक स्कूल ए–47, शास्त्री नगर, जयपुर को मान्यता प्रदान की है ? यदि हां, तो कब व कितने समय के लिए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त स्कूल के पदाधिकारियों के विरुद्ध सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस स्कूल के पदाधिकारियो के विरुद्ध धोखाधडी, गबन, स्कूल के फण्ड से दुरुपयोग से संबंधित कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की सूचना सरकार को मिली है ? यदि हां, तो सरकार ने संस्था के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या इस स्कूल को मारग्रेगोरियस जेको वाइस सिरियन ऑर्थोडिक्स चर्च चलाता है व क्या यहां ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती है ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में संचालित मान्यता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों की सूची संलग्न है।

(2) जी हां। एम. जी. एम. पब्लिक स्कूल ए–47, शास्त्रीनगर, जयपुर को 1-7-1985 से 30-6-86 तक को उच्च प्राथमिक स्तर की अस्थाई मान्यता प्रदान की गई थी।

(3) जी हां। संस्था पदाधिकारियों के विरुद्ध बिना मान्यता प्राप्त किये स्कूल का संचालन करने, धन का दुरुपयोग करने, छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करने, अभिभावकों के साथ धोखाधड़ी करने संबंधी शिकायतें राज्य सरकार प्राप्त हुई हैं।

(4) जी हां। स्कूल के पदाधिकारियों के विरुद्ध धोखाधड़ी किये जाने सम्बन्ध में श्री एम. जे. स्टीफन द्वारा न्यायालय अपर मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग क्र. सं. 7 जयपुर शहर में प्रस्तुत इस्तगासा के आधार पर दिनांक 5-10-93 को थाना शास्त्रीनगर, जयपुर में अभियोग सं. 334/93 धारा 420, 467, 468 471, 120 ता. हि. के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया गया था जो अन्वेषणाधीन है। राज्य सरकार को प्राप्त शिकायत की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

(5) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

जयपुर शहर के मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय

क्रम संख्या	नाम विद्यालय
1	2
1.	जनता कन्या माध्यमिक विद्यालय, झोटवाड़ा, जयपुर
2.	आकाशदीप बालिका माध्यमिक विद्यालय, चान्दपोल बाजार, जयपुर
3.	आदर्श ज्ञान बालिका माध्यमिक विद्यालय, सूरजपोल बाजार, जयपुर
4.	दी माडर्न बालिका माध्यमिक विद्यालय, ब्रह्मपुरी, जयपुर
5.	रोशनलाल बाल विद्या मन्दिर बालिका माध्यमिक विद्यालय, जयपुर
6.	राजेन्द्र कन्या माध्यमिक विद्यालय, जवाहर नगर, जयपुर
7.	श्री अम्बिका बालिका माध्यमिक विद्यालय, मानसरोवर, जयपुर
8.	शारदा कन्या माध्यमिक विद्यालय, मालवीय नगर, जयपुर
9.	न्यू ब्राइट बेज कन्या माध्यमिक विद्यालय, कान्ति नगर, जयपुर
10.	मां विद्या निकेतन बालिका माध्यमिक विद्यालय, शास्त्रीनगर, जयपुर
11.	महेश्वरी बालिका माध्यमिक विद्यालय, चौड़ा रास्ता, जयपुर
12.	श्री हरि राम साबू विकास बालिका माध्यमिक विद्यालय, सुभाष नगर, जयपुर
13.	श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी मा. वि., जयपुर
14.	श्री श्वेताम्बर जैन माध्यमिक विद्यालय, जयपुर
15.	श्री गुरुनानक माध्यमिक विद्यालय, जयपुर
16.	दयानन्द माध्यमिक विद्यालय, जयपुर
17.	साधु वासवानी विद्यालय, जयपुर
18.	संजय माध्यमिक विद्यालय, जयपुर
19.	जयपुर शिक्षा समिति, जयपुर
20	खण्डेलवाल वैश्य माध्यमिक विद्यालय, जयपुर

1	2
21.	भैरव पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, हटवाड़ा रोड़, जयपुर
22.	नवजीवन केन्द्र हैप्पी स्कूल, गणगौरी बजार, जयपुर
23.	अजीत विद्या निकेतन, एन. बी. सी., जयपुर
24.	दी माडर्न हैप्पी स्कूल, किशनपोल, जयपुर
25.	चित्रगुप्त स्कूल भिण्डों का रास्ता, जयपुर
26.	जयसिंधु पब्लिक स्कूल, झोटवाड़ा, जयपुर
27.	आदर्श बाल शाला, मुरलीपुरा, जयपुर
28.	हंस विद्या मन्दिर, अवधपुरी गोपाल पुरा, जयपुर
29.	श्री परशुराम आदर्श बाल विद्या मन्दिर, जयपुर
30.	महावीर बाल विद्या निकेतन, जयपुर
31.	तिलक बाल मन्दिर, कमला नेहरू, हसनपुरा, जयपुर
32.	प्रेरणा पब्लिक स्कूल, जयपुर
33.	प्रिंस आदर्श स्कूल, गांधी नगर, जयपुर
34.	नेहरू मेमोरियल स्कूल, मोतीनगर, जयपुर
35.	शारदा शिक्षा निकेतन पब्लिक स्कूल, विश्वकर्मा क्षेत्र, जयपुर
36.	एस. बी. एस. पब्लिक स्कूल, चौमू रोड़, जयपुर
37.	टाईनी ब्लासम स्कूल, सिविल लाइन, जयपुर
38.	सरस्वती शिशु निकेतन, शास्त्री नगर, जयपुर
39.	महेन्द्र बाल निकेतन, अम्बाबाड़ी, जयपुर
40.	ज्ञान ज्योति विद्यालय, विद्याधर नगर, जयपुर
41.	सेंटमीरा स्कूल प्लाॅट नं. 61, कृष्णा नगर, जयपुर
42.	सुरेन्द्र बाल भारती, सांगानेर रोड़, जयपुर
43.	रावत बाल विद्या निकेतन, जयपुर
44.	इण्डियन पब्लिक स्कूल, बरकत नगर, जयपुर
45.	एस. एम. डी. पब्लिक स्कूल, हरिनोदा, जयपुर
46.	टेगौर विद्यापीठ, मोतीनगर, जयपुर

1	2
47.	केशव बाल निकेतन, हसनपुरा, जयपुर
48.	निदना बाल भारती विकास नगर, जयपुर
49.	रविन्द्र निकेतन, अजमेर रोड़, जयपुर
50.	गांधी विद्यापीठ, किशनगढ़ रेनवाल, जयपुर
51.	भारतीय बाल विद्या मन्दिर, जयपुर
52.	सन फ्लावर विद्यालय, टोंक फाटक, जयपुर
53.	आदर्श जनता बाल विद्यालय, बापू नगर, जयपुर
54.	आल सेंट विद्यालय, एम. आई. रोड, जयपुर
55.	जनता आदर्श विद्यालय, दुर्गापुरा, जयपुर
56.	बाल विद्या मन्दिर, सी-स्कीम, जयपुर
57.	विद्या विहार, नाहरी का नाका, जयपुर
58.	नव निर्माण बाल निकेतन, सांगानेर रोड, जयपुर
59.	आशा बाल मन्दिर, हटवाड़ा रोड़, जयपुर
60.	नितिन पब्लिक स्कूल, टोंक फाटक, जयपुर
61.	इमानुअल मिशन स्कूल, झोटवाड़ा, जयपुर
62.	विकास विद्या आश्रम दादी का फाटक, झोटवाड़ा, जयपुर
63.	अल्फा अकेडमी, खातीपुरा, जयपुर
64.	टैगोर बाल निकेतन, शास्त्रीनगर, जयपुर
55.	भारतीय विद्या निकेतन, सोडाला, जयपुर
66.	आदर्श ज्ञानधारा, झोटवाड़ा, जयपुर
67.	श्री आदि गौड़ ब्राह्मण विद्यालय, जयपुर
68.	विक्टोरिया विद्यालय, जयपुर
69.	आदर्श विद्या मन्दिर, किशनगढ़ रेनवाल, जयपुर

प्रदेश में वरिष्ठ चिकित्सकों के रिक्त पद

517. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के कितने पद रिक्त हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सी. ए. एस. की वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पदों पर पदोन्नति में बरती गई ढिलाई के कारण यह पद रिक्त है ? यदि हां, तो सरकार इन रिक्त पदों को कब तक पदोन्नति से भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के 263 पद रिक्त हैं, परन्तु प्रायः सभी पदों पर चिकित्सा अधिकारी पदस्थापित हैं।

(2) वर्ष 1988–89 तक वर्षवार रिक्त पदों के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उक्त वर्ष तक 197 चिकित्सकों का चयन कर दिनांक 24-12-93 को पदोन्नति आदेश जारी कर दिये गये हैं। पदोन्नत चिकित्सा अधिकारियों के पदस्थापन प्रक्रिया जारी है। वर्ष 1988–89 से आगे के वर्षों की वर्षवार पदोन्नति कर शेष रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र आयोजित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

राज्य में बेरोजगार इन्जीनियर्स

518. श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : क्या आयोजना (जन शक्ति) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पिछले 12 सालों में कितने सिविल इन्जिनियरिंग में पास डिग्रीधारी एवं डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को नौकरियां दी गई ?

(2) क्या उपरोक्त तकनीकी बेरोजगारों के स्थायी या अस्थाई तौर पर नियुक्ति देने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है ? यदि हां, तो इन्हें रोजगार देने की सरकार की क्या योजना है ?

(3) क्या इन 12 सालों से इंजिनियरिंग पासशुदा जो अभ्यार्थी ओवर ऐज हो चुके हैं या ओवर ऐज होने वाले हैं उन्हें रोजगार देने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, क्या तो इन बेरोजगार इंजिनियरिंग पास युवाओं को सरकार बेरोजगारी भत्ता देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पिछले 12 सालों में 2856 सिविल अभियांत्रिकी स्नातक एवं 2680 सिविल डिप्लोमाधारियों को नौकरियां दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) राज्य सरकार द्वारा अधिकाधिक रोजगार सृजन के प्रयास किये जा रहे हैं।

(आयोजना जन शक्ति मंत्री)

राज्य की पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजना में विनियोजन के निर्धारण के समय ऐसे रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों/विकास मदों को प्राथमिकता दी जा रही है जिनमें रोजगार की संभावना अधिक है। राज्य की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना संभव नहीं है।

निगम में नियुक्त कर्मचारी/अधिकारी

519. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम में वर्तमान में किस-किस पद पर कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से कितने अधिकारी/कर्मचारी निगम के अपने हैं, तथा कितने अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर हैं ?

(3) इनमें से किस-किस के जिम्मे क्या-क्या कार्य निर्धारित है ? इन्हें आवण्टित कार्य राज्य सरकार के मापदण्डों से अधिक है अथवा कम ?

(4) इनमें से कितने अधिकारी/कर्मचारी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हैं।

उत्तर

(1) राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम में वर्तमान में 43 अधिकारी एवं 140 कर्मचारी कार्यरत हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) इनमें से एक अधिकारी एवं 88 कर्मचारी निगम के हैं तथा 43 अधिकारी एवं 52 कर्मचारी विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।

(3) निगम मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को जो कार्य आवंटित किए हैं उनकी सूची परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। आदेशित कार्य विवरण अनुसार सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्य सम्पन्न किया जा रहा है। निर्धारित मापदण्ड अनुसार है।

(4) इनमें से 22 अधिकारी/कर्मचारी अनुसूचित जाति के हैं तथा 7 अनुसूचित जन जाति के हैं। विवरण सलग्न है। (परिशिष्ट 'ब')।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है।)

ओंडेला बांध की सुरक्षा व्यवस्था

520. श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर जिला स्थित ओंडेला बांध की सुरक्षा हेतु

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

5-6 वर्ष पूर्व कोई योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस योजना की क्रियान्विति में कुछ कार्य भी करवाये गये थे ? यदि हां, तो इस पर कुल कितनी राशि व्यय की गई थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि बांध की सुरक्षा नहीं होने से काफी भूमि सिंचाई के बिना बेकार पड़ी हुई है एव पशुओं के लिए पीने का पानी उपलब्ध नहीं है ?

(4) क्या सरकार इस बांध के शेष रहे कार्य को पूरा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं तो, क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, योजना की प्रति परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां, इस योजना पर कुल 2.08 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं, इस बांध की मोरी तल नीचे डूब में 90 एकड़ भूमि आती है। यह सभी भूमि आती है और वर्तमान में अधिकतर भूमि उर्मिला सागर के कमाण्ड में है। इस डूब में आई भूमि का मुआवजा भुगतान करने पर समस्त योजना आर्थिक रूप से उपादेय नहीं रहती। अतः अब इस योजना पर आगे कोई कार्यवाही करना उचित नहीं है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

बस्सी निर्वाचन क्षेत्र में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त एनीकट/बंध

521 श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार पिछले वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बस्सी में हुई अतिवृष्टि से टूटे हुए तालाबों, बांधों, एनीकटों की मरम्मत एवं निर्माण अकाल राहत में कराना आवश्यक समझती हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

तहसील बस्सी में अतिवृष्टि में क्षतिग्रस्त सिंचाई विभाग के बांधों की मरम्मत हेतु सिंचाई विभाग को आवश्यक धनराशि का आवंटन 1.2.94 को कर दिया गया है। बाढ़ व अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त एनीकटों के अकाल राहत में पूर्ण कराने सम्बन्ध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिये हैं बशर्ते कि ये एनीकट सिंचाई विभाग के बांधों के कैचमेन्ट पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हैं। क्षतिग्रस्त पंचायत तालाबों को अकाल राहत के अन्तर्गत पूर्ण कराने के के बारे में भी आदेश जारी किये जा रहे हैं।

शाहबाद बालिका माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका का रिक्त पद

522. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि किशनगंज विधान सभा क्षेत्र के जिला बारां के शाहबाद बालिका माध्यमिक विद्यालय में गत 3 वर्ष से प्रधानाध्यापिका का पद रिक्त है ?

(2) क्या यह सही है कि रिक्त पद को भरने के लिए शाला प्रभारी द्वारा कई बार पत्र लिखे गये हैं ? यदि हां, तो रिक्त पद नहीं भरने के कारण क्या रहे ?

(3) विद्यालय के प्रधानाध्यापिका का पद अब कब तक भर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) प्रधानाध्यापिका का पद 29.8.92 से रिक्त है।

(2) जी हां। विभागीय पदोन्नति समिति अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण पद रिक्त है।

(3) विभागीय पदोन्नति समिति अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरा जा सकेगा।

मेडिकल परीक्षाओं में आन्तरिक परीक्षक

523. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय नियमों के तहत एम.डी./एम.एस./एम.सी.एच. परीक्षाओं में आन्तरिक परीक्षक दो वर्ष के अन्तराल से रोटेशन से नियुक्त किये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या इन नियमों का पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? गत 5 वर्षों में (एम सी एच.) परीक्षाओं में नियुक्त परीक्षकों का विवरण व नामावली सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मेडिकल परीक्षाओं में विभागाध्यक्ष ही आन्तरिक परीक्षक बनता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया जाता है ?

(3) क्या राजस्थान विश्वविद्यालय के इन संकायों में आन्तरिक परीक्षक रोटेशन से बनते हैं ? यदि हां, तो मेडिकल संकाय में ऐसा क्यों नहीं होता है ? क्या मेडिकल संकाय में भी रोटेशन से आन्तरिक परीक्षक नियुक्त करने की प्रणाली विकसित करने का विचार है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार एम.डी./एम.एस./एम.सी.एच परीक्षाओं में आंतरिक परीक्षक दो वर्ष के अन्तराल से रोटेशन से

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

नियुक्त किये जाते हैं, परन्तु विभागाध्यक्ष हर बार संयोजक के रूप में नियुक्त किया जाता है, और दो आंतरिक परीक्षकों में से सदा ही वह एक परीक्षक रहता है। जहां तक दूसरे परीक्षक का सवाल है, उसकी नियुक्ति रोटेशन प्रणाली से ही की जाती है, यदि उस विभाग में एक से ज्यादा योग्य आंतरिक परीक्षक कार्यरत हैं।

गत 5 वर्ष में एम.सी.एच. परीक्षाओं में नियुक्त परीक्षकों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। परीक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जाती है।

(2) जी हां। यह सही है कि स्नातकोत्तर मेडिकल परीक्षाओं में एक आंतरिक परीक्षक विभागाध्यक्ष ही होता है, क्योंकि संयोजक के रूप में कार्य करना होता है।

(3) जी हां। राजस्थान विश्वविद्यालय के नियम संख्या–25(3) (बी) में मेडिकल संकाय के अतिरिक्त परीक्षक नियुक्त किये जाने का प्रावधान है कि "एक व्यक्ति जिसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षक नियुक्त किया जाता है, को पुनः परीक्षक नियुक्त किये जाने हेतु कम से कम एक वर्ष का अन्तराल आवश्यक है।"

जहां तक मेडिकल संकाय में परीक्षक नियुक्त करने का प्रश्न है, एम.डी./एम.एस/डिप्लोमा कोर्सेस हेतु आंतरिक परीक्षकों की नियुक्ति रोटेशन प्रणाली से ही की जाती है। विभागाध्यक्ष साधारणतः एक आंतरिक परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है एवं दूसरे आंतरिक परीक्षक की नियुक्ति रोटेशन प्रणाली से हर दो वर्ष बाद की जाती है।

एम.सी.एच. परीक्षाओं हेतु रोटेशन प्रणाली राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आगामी परीक्षाओं से लागू की जा रही है।

गत 5 वर्षों में एम. सी. एच. परीक्षाओं में नियुक्त परीक्षकों का विवरण

वर्ष	ए.सीएच. परीक्षा का नाम	आंतरिक परीक्षक का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4
जनवरी, 89	यूरोलोजी	1–डा. के.सी. गंगवाल, प्रा. एवं विभागाध्यक्ष	
		2–डा. एस.सी. माथुर, आचार्य	
फरवरी, 89	न्यूरो सर्जरी	1–डा. एस.आर. धारकर, प्रा. एवं विभागाध्यक्ष	
		2–डा. पी.पी.एस. माथुर, आचार्य	
जुलाई, 91	प्लास्टिक सर्जरी	1–डा. मालती गुप्ता, प्रा. एवं विभागाध्यक्ष	
		2–डा. पी.के. छाजेड़, सह आचार्य	
	यूरोलोजी	1–डा. एस. सी. माथुर, प्रा. एवं विभा.	
		2–डा. आर के. गुप्ता, आचार्य	
	पेडियेट्रिक सर्जरी	1–डा. ए. के. शर्मा, प्रा. एवं विभा.	
		2–डा. एन. एस. शेखावत, आचार्य	

1	2	3	4
दिसम्बर, 91	प्लास्टिक सर्जरी	1–डा. मालती गुप्ता, आ. एवं विभा. 2–डा. पी. के. छाजेड़, सह आचार्य	
अक्टूबर, 92	यूरोलोजी	1–डा. एस. सी. माथुर, आ. एवं विभा. 2–डा. आर. के. गुप्ता, आचा.	
अक्टूबर, 92	पेडियेट्रिक सर्जरी	1–डा. एस. के. शर्मा, आ. एवं विभा. 2–डा. एन. एस. शेखावत, आचार्य	
अक्टूबर, 92	न्यूरो सर्जरी	1–डा. एस. आर. धारकर, आ. एवं विभा. 2–डा. पी. पी. एस. माथुर, आचार्य	
मार्च, 93	प्लास्टिक सर्जरी	1–डा. मालती गुप्ता, आ. एवं विभा. 2–डा. पी. के. छाजेड़, सह आचार्य	
मार्च, 93	न्यूरो सर्जरी	1–डा. एस. आर. धारकर, आ. एवं विभा. 2–डा. पी. पी. एस. माथुर, आचार्य	
जुलाई, 93	प्लास्टिक सर्जरी	1–डा. मालती गुप्ता, आ. एवं विभा. 2–डा. पी. के. छाजेड़, सह आचार्य	

जुलाई, 93	यूरोलोजी	1-डा. एस. सी. माथुर, आ. एवं विभा. 2-डा. आर. के. गुप्ता, आचार्य
जुलाई, 93	पेडियेट्रिक सर्जरी	1-डा. ए. के. शर्मा, आ. एवं विभा. 2-डा. एन. एस. शेखावत, आचार्य
दिसम्बर, 93	प्लास्टिक सर्जरी	1-डा. मालती गुप्ता, आ. एवं विभा. 2-डा. पी. के. छाजेड़, सह आचार्य
दिसम्बर, 93	न्यूरो सर्जरी	1-डा. एस. आर. धारकर, आ. एवं विभा. 2-डा. पी. पी. एस. माथुर, आचार्य

परिशिष्ट–4

परिशिष्ट "क"

(तारांकित प्रश्न संख्या 488 की सूची)

विधान सभा क्षेत्रवार लगाये गये श्रमिकों का विवरण

क्र.सं.	नाम विधान सभा क्षेत्र	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत श्रमिक	कार्यरत श्रमिक
1.	माण्डल	114	4500	3380
2.	सहाड़ा	93	4410	2806
3.	भीलवाड़ा	52	1745	1292
4.	माण्डलगढ़	43	2020	1191
5.	जहाजपुर	75	3220	2289
6.	शाहपुरा	104	3625	2774
7.	बनेड़ा	92	3570	2687
8.	आसीन्द	96	4345	3280
	योग :	669	27435	19699

परिशिष्ट-5

(तारांकित प्रश्न संख्या 499 की सूचना)

राज्य में बंद पड़ी एक्सरे मशीन की सूचना

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान एक्स-रे मशीन बन्द पड़ी है ।	बन्द रहने की अवधि
1	2	3
जिला अजमेर		
1.	अमृत कौर चिकित्सालय, ब्यावर	विद्युत कनेक्शन के अभाव में
2.	अमृत कौर चिकित्सालय	कन्डम
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नसीराबाद	14.8.93
4.	राजकीय चिकित्सालय, विजयनगर	15.2.92
5.	जे. एल. एन. चिकित्सालय, अजमेर	स्थापित होनी है ।
6.	जे. एल. एन. चिकित्सालय, अजमेर	जनवरी, 94
7.	जे. एल. एन. चिकित्सालय, अजमेर	स्थापित होनी है ।
8.	जे. एल. एन. चिकित्सालय, अजमेर	—यथा—
9.	जे. एल. एन. चिकित्सालय, अजमेर	16.3.91
जिला भीलवाड़ा		
1.	महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा	1993
2.	क्षय निवारण केन्द्र, भीलवाड़ा	30.4.93
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिजौलिया	27.10.93
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बनेड़ा	1993
5.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहाजपुर	15.5.90
6.	सैटेलाइट चिकित्सालय, शाहपुरा	13.6.90

1	2	3
जिला नागौर		
1.	राजकीय चिकित्सालय, नागौर	10/93
2.	राजकीय चिकित्सालय, डीडवाना	7.7.92
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेड़तासिटी	13.12.93
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जायल	28.2.94
जिला टौंक		
1.	सहादत चिकित्सालय, टौंक	28.10.90
2.	सहादत चिकित्सालय, टौंक	सितम्बर 93
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उनियारा	स्थापित होनी है।
जिला बून्दी		
1.	सामान्य चिकित्सालय, बून्दी	2/85
जिला झालावाड़		
1.	सामान्य चिकित्सालय, झालावाड़	21.5.88 कन्डम
2.	जिला क्षय निवारण केन्द्र, झालावाड़	4/78
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खानपुर	9/93 रेडियोग्राफर का पद रिक्त
4.	राजकीय चिकित्सालय, अकलेरा	8/91 रेडियोग्राफर का पद रिक्त
5.	राजकीय चिकित्सालय, भवानीमंडी	7/93
जिला कोटा		
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोडक	3/93 डार्क रूम अनुपयुक्त
2.	एम.बी.एस. अस्पताल, कोटा	5.1.93
3.	एम.बी.एस. अस्पताल, कोटा	23.12.92
4.	एम.बी.एस. अस्पताल, कोटा	24.12.83
जिला स. माधोपुर		
1.	सामान्य चिकित्सालय, स. माधोपुर	1984

354

1	2	3
2.	सामान्य चिकित्सालय, करौली	1.9.91
3.	सामान्य चिकित्सालय, करौली	4/84
4.	जिला क्षय निवारण केन्द्र जिला सवाई माधोपुर	भवन उपलब्ध नहीं है।
जिला बीकानेर		
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नोखा	30.11.92
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीकमपुर	1986
3.	संयुक्त चिकित्सालय, बीकानेर	10.9.91
4.	—यथा—	5.7.91
5.	—यथा—	—
6.	—यथा—	—
जिला चूरू		
1.	सामान्य चिकित्सालय, रतनगढ़	5/76 कन्डम
2.	सामान्य चिकित्सालय, रतनगढ़	कनेक्शन के अभाव में बन्द
3.	बागला सिटी डिस्पेन्सरी, चूरू	4/85 कन्डम
4.	राजकीय चिकित्सालय, सरदारशहर	1972
5.	रैफल चिकित्सालय, डूंगरगढ़	26.5.92
6.	रैफल चिकित्सालय, बीदासर	1987
जिला गंगानगर		
1.	राजकीय चिकित्सालय, गंगानगर	7.2.94
2.	राजकीय चिकित्सालय, गंगानगर	पहिये खराब है मूल निर्माता कम्पनी नहीं बनाती है एक्सरे मशीन चालू है।
3.	राजकीय चिकित्सालय, गंगानगर	11.8.78
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करणपुर	10/93

1	2	3
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायसिंह नगर	5/91
	जिला बांसवाड़ा	
1.	महात्मा गांधी चिकित्सालय, बांसवाड़ा	5/92
2.	महात्मा गांधी चिकित्सालय, बांसवाड़ा	—
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तलवाड़ा	8/93
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आनन्दपुरी	1992
5.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छोटा डूंगला	स्थापित नहीं हुई
	जिला चित्तौड़गढ़	
1.	सामान्य चिकित्सालय, चित्तौड़गढ़	10.10.89
2.	जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़	स्थापित नहीं हुई
3.	जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़	12.12.90
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अरनोद	—
5.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मण्डफिया	—
	जिला डूंगरपुर	
1.	सामान्य चिकित्सालय, डूंगरपुर	1990
2.	सामान्य चिकित्सालय, डूंगरपुर	14.6.82
3.	सामान्य चिकित्सालय, डूंगरपुर	1990
4.	क्षय निवारण केन्द्र, डूंगरपुर	6/83
	जिला राजसमंद	
1.	टाऊन अस्पताल, नाथद्वारा	—
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलवाड़ा	स्थापित होनी है।
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खमनोर	स्थापित होनी है।
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देलवाड़ा	—यथा—

(356)

1	2	3
जिला उदयपुर		
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सराड़ा	स्थापित होनी है।
2.	संयुक्त चिकित्सालय संघ, उदयपुर	6 माह से बंद
3.	संयुक्त चिकित्सालय संघ, उदयपुर	8 माह से बंद
4.	—यथा—	6 माह से बंद
5.	संयुक्त चिकित्सालय संघ, उदयपुर	10 वर्ष से बंद
जिला बाड़मेर		
1.	राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर	कन्डम
2.	राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर	कन्डम
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौहटन	2 वर्ष से बंद
जिला जैसलमेर		
1.	जवाहर चिकित्सालय, जैसलमेर	स्थापित करनी है।
2.	—यथा—	29.8 84
जिला जालौर		
1.	सामान्य चिकित्सालय, जालौर	15.6.93
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीलमाल	7/92
जिला जोधपुर		
1.	राजकीय चिकित्सालय, बिलाड़ा	कन्डम
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भोपालगढ़	27.10.93
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीपाड़शहर	—
4.	राजकीय चिकित्सालय, फलौदी	कन्डम
5.	राजकीय चिकित्सालय, पावटा	9.10.91
6.	उम्मेद चिकित्सालय, जोधपुर	—

1	2	3
7.	उम्मेद चिकित्सालय, जोधपुर	—
8.	—यथा—	—
9.	महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर	10/91
10.	—यथा—	—
11.	—यथा—	1/94
12.	—यथा—	कन्डम
13.	—यथा—	—
14.	एम.डी.एम. चिकित्सालय, जोधपुर	स्थापित होनी है।
15.	कमला नेहरू वक्ष चिकित्सालय, जोधपुर	21.1.91
16.	—यथा—	13.5.93

जिला पाली

1.	बांगड चिकित्सालय, पाली	कन्डम
2.	—यथा—	—
3.	—यथा—	—
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानी	मशीन फिट करदी चालू नहीं है।
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोसेलाव	1985
6.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैतारण	28.1.93
7.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगडी नगर	स्थापित करनी है।
8.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खारची	—यथा—

जिला सिरोही

1.	सामान्य चिकित्सालय, सिरोही	9.3.88
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेवदर	स्थापित की जानी है।
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रोहिडा	1992

1	2	3
जिला अलवर		
1.	सामान्य चिकित्सालय, अलवर	2 वर्ष से
2.	रैफरल चिकित्सालय, बानसूर	कमरे का निर्माण कार्य चल रहा है।
3.	रैफरल चिकित्सालय, बरडोद	कन्डम
जिला भरतपुर		
1.	सामान्य चिकित्सालय, भरतपुर	1/94
जिला धौलपुर		
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाडी	1.10.88
जिला दौसा		
1	राजकीय चिकित्सालय, दौसा	1988
जिला जयपुर		
1.	बी.डी.एम. चिकित्सालय, कोटपुतली	1.11.93
2.	सरपदमपत मातृ शिशु क. केन्द्र, जयपुर	15.2.93
3.	—यथा—	26.8.93
4.	एम. एम. चिकित्सालय, जयपुर	कन्डम
5.	—यथा—	—
6.	—यथा—	—
7.	—यथा—	10.4.93
8.	—यथा—	कन्डम
9.	—यथा—	कन्डम
10.	—यथा—	कन्डम
11.	—यथा—	कन्डम

1	2	3
12.	—यथा—	कन्डम
13.	—यथा—	कन्डम

जिला झुन्झुनू

1.	राजकीय चिकित्सालय, चिड़ावा	1968

जिला सीकर

1.	कल्याण चिकित्सालय, सीकर	31.5.91
2.	—यथा—	31.3.91
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खण्डेला	बिजली कनेक्शन के अभाव में
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दांता	स्थापित की जानी है।
5.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुहाला	28.10.93
6.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाटन	स्थापित की जानी है।
7.	सा. स्वास्थ्य केन्द्र, पीपराली	पॉवर लाइन खराब है।

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 726 की सूची

कनिष्ठ लेखाकारों की सूची जिन्हें खण्डीय लेखाकारों के विरुद्ध पदस्थापित किया गया तथा उनके कार्यग्रहण करने की तिथि

क्र.सं.	खण्डीय लेखाकार का नाम	कार्य ग्रहण करने की तिथि
1	2	3
1.	सुखदेव दास बिस्सा	9-9-1992
2.	शंकर गिरी गोस्वामी	9-9-1992
3.	महेश चन्द्र गुप्ता	5-9-1992
4.	श्याम स्वरूप गुप्ता	16-9-1992
5.	अनिल कुमार जैन	5-9-1992
6.	हीरालाल पोरवाल	9-9-1992
7.	रमेश चन्द्र सचदेवा	7-9-1992
8.	हरिप्रकाश शर्मा	4-9-1992
9.	रमेश कुमार शर्मा	24-10-1992
10.	नरेन्द्र सिंह	5-9-1992
11.	हरिओम सोमवंशी	12-10-1992
12.	मोहनलाल विजय	9-9-1992
13.	हजारीलाल यादव	9-9-1992

1	2	3
14.	आर. एल. अग्रवाल	7-12-1992
15.	गणेशदान बिठ्ठू	27-11-1992
16.	सुभाष चन्द्र	15-12-1992
17.	सुरजभान चौधरी	1-12-1992
18.	आर. एल. गोयल	14-9-1993
19.	हीराराम	28-11-1992
20.	कैलाशचन्द्र जैन	9-12-1992
21.	पारसमल जैन	4-12-1992
2	गोविन्द प्रसाद शर्मा	30-12-1992
23.	श्यामसुन्दर शर्मा	11-12-1992
24.	अशोक कुमार जैन	26-2-1993
25.	एस. के. भार्गव	17-5-1993
26.	बजरंगलाल व्यास	25-2-1993
27.	लक्ष्मण सिंह	22-2-1993
28.	शान्तिलाल जैन	24-2-1993
29.	रमल लाल व्यास	2-9-1993
30.	रामजीलाल जैन	4-9-1993
31.	राजेन्द्र कुमार मेवादा	30-8-1993
32.	शौकतअली गौरी	6-9-1993
33.	विजयचन्द भटनागर	27-9-1993
34.	महेन्द्र कुमार गोयल	28-8-1993
35.	गुरुशरण गुप्ता	21-8-1993

1	2	3
36.	जगदीश चन्द्र चौधरी	25-8-1993
37.	किशोरीलाल कक्कड़	8-9-1993
38.	जोगेन्द्र सिंह लाहार	18-9-1993
39.	नित्यानन्द मिश्रा	4-9-1993
40.	दाऊलाल प्रजापत	25-8-1993
41.	दुर्गाप्रसाद शर्मा	28-8-1993

परिशिष्ट–ब

राजस्थान सरकार के अधीन खण्डीय लेखाकार के रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	खण्ड का नाम	तिथि जिससे पद रिक्त है
2	2	3
1.	सार्वजनिक निर्माण यांत्रिक खण्ड, अजमेर	9/91
2.	जलदाय खण्ड, बून्दी	21-4-92
3.	सार्वजनिक निर्माण खण्ड–11, भरतपुर	1-9-93
4.	जलदाय खण्ड, भरतपुर	9-1-93
5.	सार्वजनिक निर्माण खण्ड, बाड़ी	5-1-93
6.	सार्वजनिक निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, ब्यावर	3-1-93
7.	जलदाय शहर (पी एण्ड डी) खण्ड, बीकानेर	1-3-94
8.	जलदाय ई.गा.न.प. डिग्गी निर्माण खण्ड, बीकानेर	1-11-93
9.	सी.ए.डी. जालूवाला खण्ड, बीकानेर	1-1-94
10.	सी.ए.डी.ई.गा.न.प. केपीटल वर्क्स खण्ड-11 छतरगढ़	18-4-93
11.	मोहनगढ़ ईंट भट्टा सी ए.डी.ई.गा.न.प. खण्ड, बीकानेर	2-5-93
12.	सी ए.डी.ई.गा.न.प. पालूसर खण्ड, बीकानेर	29-4-93
13.	सी.ए.डी.ई.गा.न.प. छतरगढ़, खण्ड-11 छतरगढ़	22-9-93
14.	सी.ए.डी. फील्ड टेस्टिंग एण्ड क्वालिटी कन्ट्रोल खण्ड-1, बीकानेर	27-2-88
15.	सी.ए डी.ई.गा.न.प केपीटल वर्क्स, खण्ड-1 बीकानेर	1-2-94
16.	सार्वजनिक निर्माण प्रोजेक्ट खण्ड, बारां	9-6-93
17.	जलदाय खण्ड, बारां	11/90

1	2	3
18.	सिंचाई खण्ड, बारां	1-4-89
19.	सिंचाई बीसलपुर प्रोजेक्ट, बारां	1-4-89
20.	सार्वजनिक निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बाड़मेर	3-2-93
21.	जलदाय खण्ड, भीनमाल	8-9-93
22.	जलदाय खण्ड, बांसवाड़ा	27-7-92
23.	सिंचाई खण्ड, बांसवाड़ा	1-12-93
24.	एरियर सेल टू 8वां खण्ड, छतरगढ़	15-4-86
25.	जाखम प्रोजेक्ट बांयी नहर खण्ड, धरियाबाद	1-11-93
26.	सार्वजनिक निर्माण खण्ड, धौलपुर	5-12-93
27.	बीसलपुर प्रोजेक्ट यांत्रिक एवं स्टोर खण्ड, देवली	1-5-92
28.	जलदाय खण्ड, डीडवाना	14-2-86
29.	अनूपगढ़ शाखा, सिंचाई खण्ड-11 घडसाना	लगभग 6-7 वर्ष
30.	ई.गां.न.प. क्वालिटी कन्ट्रोल खण्ड-1, जैसलमेर	22-9-86
31.	ई.गां.न.प. 29वां खण्ड, जैसलमेर	27-7-92
32.	ई.गां.न.प. फील्ड कार्यशाला खण्ड, जैसलमेर	27-7-78
33.	ई.गां.न.प. 21वां खण्ड, जैसलमेर	1-11-93
34.	सार्वजनिक निर्माण जिला खण्ड-11, जोधपुर	2-6-93
35.	जलदाय शहर (पी. एण्ड डी.) खण्ड-1, जोधपुर	16-1-91
36.	जलदाय जोधपुर लिफ्ट केनाल खण्ड-1, जोधपुर	10-2-93
37.	सिंचाई खण्ड-1, जोधपुर	16-5-93
38.	सार्वजनिक निर्माण खण्ड-11, झुन्झुनू	7-7-90
39.	सार्वजनिक निर्माण जिला खण्ड (दक्षिण), जयपुर	1-2-94
40.	सार्वजनिक निर्माण यांत्रिक खण्ड-1, जयपुर	1-9-93
41.	सार्वजनिक निर्माण यांत्रिक खण्ड-11, जयपुर	6-10-93

1	2	3
42.	सिंचाई खण्ड-1, जयपुर	1-3-94
43.	जलदाय शहर दक्षिण (पी एण्ड डी) खण्ड, जयपुर	20-9-93
44.	जलदाय ड्रिलिंग एण्ड हैण्डपम्प खण्ड, जयपुर	31-12-93
45.	जलदाय जिला ग्रामीण खण्ड-1, जयपुर	7-11-93
46.	सार्वजनिक निर्माण शहर खण्ड, कोटा	1-6-90
47.	जलदाय शहर (पी एण्ड डी) खण्ड, कोटा	3-9-93
48.	जलदाय जिला ग्रामीण खण्ड, कोटा	1-12-91
49.	सिंचाई चम्बल प्रोजेक्ट खण्ड, कोटा	2-1-93
50.	क्वालिटी कन्ट्रोल खण्ड, कोटा	28-5-93
51.	ई.गां.न.प. मुख्य नहर टेल खण्ड, मोहनगढ़	1-1-88
52.	ई.गां.न.प. फलोदी खण्ड, मोहनगढ़	1-1-88
53.	सी ए.डी.ई.गां.न.प. भवन निर्माण खण्ड-11, जैसलमेर	5/93
54.	ई.गां.न.प. फील्ड यांत्रिक खण्ड, नाचना	1-10-87
55.	जलदाय खण्ड, पाली	9/93
56.	जलदाय ड्रिलिंग एण्ड हैण्डपम्प खण्ड, पाली	1.1.88
57.	जलदाय खण्ड, प्रतापगढ़	4/87
58.	ई.गां.न.प. पुगल प्रोजेक्ट खण्ड-1; फलोदी फलारी	10-9-93
59.	ई.गां.न.प. विश्व खाद्य कार्यक्रम खण्ड-11(मु.) जैसलमेर	9/88
60.	ई.गां.न.प. यांत्रिक खण्ड, फलोदी	2/85
61.	जलदाय जोधपुर लिफ्ट केनाल खण्ड-111 फलोदी	17-4-93
62.	पोकरण फलोदी (एस एण्ड आई) खण्ड ई.गां.न.प. फलोदी	4-1-94
[illegible]	सिंचाई आर एण्ड पी स्टोर खण्ड, रावतभाटा	12-3-92

(366)

1	2	3
64.	जलदाय खण्ड, शाहपुरा, (भीलवाड़ा)	4/87
65.	सूरतगढ़ शाखा सिचाई खण्ड, श्रीविजय नगर	9/89
66.	जलदाय खण्ड, तारानगर	29-10-93
67.	सिचाई खण्ड-11, उदयपुर	9-11-93
68.	जलदाय जिला ग्रामीण खंण्ड, उदयपुर	3-7-93
69.	सार्वजनिक निर्माण ए.डी.वी.रा. राजमार्ग खण्ड शाहपुरा (जयपुर)	14-10-92
70.	जलदाय बी.एल.सी. प्रोजेक्ट, खण्ड, जैसलमेर	17-3-93
71.	नर्मदा नहर प्रोजेक्ट खण्ड, जालौर	22-12-93
72.	जलदाय खण्ड, राजसमन्द	1-6-93

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 727 का विवरण

वर्ष	केन्द्रीय सहायता
1	2
1973-74	45.06
1974-75	55.80
1975-76	52.34
1976-77	58.00
1977-78	93.89
1978-79	116.81
1979-80	121.04
1980-81	158.79
1981-82	188.77
1982-83	256.62
1983-84	182.99
1984-85	174.21
	52.18
1985-86	306.03
	31.74
1986-87	445.07

1	2
1987-88	739.53
1988-89	615.79
1989-90	378.20
1990-91	478.74
	32.00
1991-92	578.16
1992-93	695.29

नोट :—प्रत्येक वर्ष की वार्षिक योजना के ऊपर व्यय की गई उक्त राशि के अतिरिक्त राशि राज्य सरकार के स्वयं के संसाधनों से वहन की गई।

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 739 की प्रति

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 की प्रति

नियम 75–दुकानों की अवस्थिति :

(1) कोई अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा, विदेशी या भारत निर्मित विदेशी मदिरा या भांग (हैम ड्रग) की खुदरा बिक्री के लिए अपनी दुकान सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित स्थान पर ही रखेगा।

(2) देशी मदिरा, विदेशी या भारत निर्मित विदेशी मदिरा के खुदरा बिक्री के लिए कोई दुकान, महाविद्यालय स्तरीय शैक्षणिक संस्थान, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, अस्पताल, पूजा स्थल या लोक मनोरंजन के स्थान, किसी कारखाने या मजदूर या हरिजन कालोनी से 200 मीटर की दूरी में अवस्थित नहीं होगी।

(3) कोई खुदरा दुकान, संबंधित जिला आबकारी अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना एक स्थान से दुसरे स्थान पर स्थानान्तरित नहीं की जायेगी।

(4) जिला आबकारी अधिकारी को लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से, किसी दुकान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने की शक्ति होगी और किसी दुकान के ऐसे स्थानान्तरण के लिए अनुज्ञाप्तिधारी को कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा।

(5) देशी मदिरा, विदेशी मदिरा और भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर या भांग (हैम्प ड्रग) की खुदरा बिक्री के लिए कोई दुकान राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनों ओर 150 मीटर की दूरी के भीतर अवस्थित नहीं होगी। किन्तु यह शर्त नगर निगम/नगर परिषद/

नगर पालिका की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र पर लागू नहीं होगी ।

परन्तु आबकारी आयुक्त मदिरा दुकान की अवस्थिति की उपर्युक्त शर्तों में आपवादित परिस्थितियों में, ऐसा करने के लिये लिखित में पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् शिथिलता दे सकेगा ।

स्पष्टीकरण :–

(1) नियम 75 के उप नियम (2) के प्रयोजन के लिए एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में "पूजा स्थल" से दुकान की दूरी के संबंध में निर्वचन केवल उन पूजा स्थलों के बारे में लागू होंगे जो जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी गई सूची में दर्ज हैं ।

(2) हरिजन कालोनी से ऐसा कोई नगरपालिका वार्ड अभिप्रेत होगा जिसमें अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार उस वार्ड की कुल जनसंख्या की पचास प्रतिशत से अधिक हैं ।

(3) महाविद्यालय पर किसी सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल की संस्थान से भिन्न किसी शैक्षणिक संस्था के पास अवस्थित कोई दुकान उस संस्था के बन्द होने के समय से कम से कम एक घण्टे बाद ही खोली जावेगी ।

(4) "लोक मनोरंजन के स्थान" से केवल नाट्यगृह और सिनेमाहाल अभिप्रेत होगा ।

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 740 की सूची

टोडाभीम के ग्रामों की सूची मय जनसंख्या 1991 के अनुसार

क्र. सं.	गांव का नाम	कुल जनसंख्या	अनु. जाति	अनु. जनजाति
1	2	3	4	5
1.	चैनपुरा	623	354	—
2.	मीना पट्टी	528	26	446
3.	रामपुरा	473	—	43
4.	सन्देरा	665	137	—
5.	राजपुरा	895	156	—
6.	तालचिड़ा	1451	491	511
7.	गढ़ी	484	183	6
8.	बाड़ा	650	273	172
9	तिमावा	1820	458	1037
10.	घोलेटा	1499	387	576
11.	आधिया खेड़ा	1306	377	26
12.	बाढ़ केमरी	611	—	—
13.	मीला पाडा	1236	248	681
14.	वाला खेड़ा	950	114	—
15.	मालू पाडा	756	241	23

1	2	3	4	5
16.	घाटोली	337	6	331
17.	गुडा चन्द्रजी	6770	1075	1412
18.	गिदानी	508	106	317
19.	राजा हेडा	750	169	—
20.	मूहाना	743	56	1
21.	गुणा	629	200	—
22.	भंवरवाडा	707	75	—
23.	माचडी	794	117	—
24.	खुर्द	196	—	—
25.	नयावास	173	—	60
26.	भांवरा गूजर	425	60	4
27.	जाहरा	1223	175	546
28.	मोठडा	551	216	254
29.	घडागा	221	73	148
30.	ढहरिया	1652	318	942
31.	बाढ़ नादौती	—	—	—
32.	बाढ सिकानन्दपुर	—	—	—
33.	सिकानन्दपुर	238	44	48
34.	इब्राहीमपुर	262	—	—
35.	बाढाबादीजपुर	956	119	—
36.	केमरी बुजुंग	2858	589	—
37.	घामादीकापुरा	392	—	—

1	2	3	4	5
38.	मेढेकापुरा	684	—	—
39.	जिन्दकापुरा	734	—	—
40.	मेहतकापुरा	471	—	—
41.	छंडकापुरा	844	—	—
42.	तेसगांव	2644	420	—
43.	ककला	274	—	—
44.	झीलई	363	—	—
45.	रलावता	1129	327	—
46.	खेडला	840	—	—
47.	रोसी	3088	621	796
48.	चक खेमला	—	—	—
49.	केमला	3950	546	1579
50.	मिलकसराय	1127	172	532
51.	हाफजाबाद	—	—	—
52.	कुजेला	2582	481	1654
53.	खेड़ली	804	74	—
54.	बाढवडागांव	—	—	—
55.	नयापुरा	757	129	—
56.	बडागांव	863	75	—
57.	होदाहेली	156	—	—
58.	केमा	1788	369	520
59.	बाढवरदाला	—	—	—
60.	बरदाला	2845	539	1162

1	2	3	4	5
61.	नादौती	3502	745	691
62.	भिरना	772	231	—
63.	अलूदा	807	213	444
64.	बाढ भिरना	—	—	—
65.	दलपुरा	702	157	421
66.	जीतकीपुर	1128	360	—
67.	लोदा	747	99	183
68.	हुरलोदा	576	206	258
69.	पाल	2192	567	160
70.	लालसर	966	259	—
71.	मोडवाडा	498	35	—
72.	गांवडी	642	81	480
73.	चिरांवडा	2534	397	—
74.	घोलादातर	234	—	—
75.	गढमोरा	3732	774	350
76.	रेवासा	829	75	36
77.	रायसना	2544	388	1306
78.	गढ़खेडा	2227	576	735
79.	खोयली	693	47	129
80.	पालडी	187	34	152
81.	सलाबद	1883	385	834
82.	बागोर	1578	381	21
83.	बाढबागोर	—	—	—
84.	बामोरी	831	215	—

1	2	3	4	5
85.	मोरची खालसा	—	—	—
86.	गुडली	540	101	459
87.	गडीखेमपुर	134	68	—
88.	मोरचीजागीर	—	—	—
89.	खुराचैनपुरा	641	132	492
90.	शहर	3964	979	488
91.	लाहवद	1239	338	592
92.	सौप	4358	708	2678
93.	बाढापिचौनात	700	25	64
94.	सावटा	204	—	—
95.	अन्तहेडा	396	64	331
96.	करणपुर	419	86	—
97.	अनन्तपुरा	575	160	299
98.	मानकपुरा	1474	415	82
99.	किडावली	370	8	—
100.	पटोली	2189	374	53
101.	मजेड़ा	1466	225	761
102.	दांतली	969	321	263
103.	मेहदीपुर	1096	591	80
104.	गहरोली	446	202	6
105.	सांकरवाडा	1477	294	1014
106.	भूडा	889	420	300
107.	पाडलाखालसा	1967	478	682
108.	पाडला जागीर	295	—	—

1	2	3	4	5
109.	संकरपुरडोरका	675	439	207
110.	सरसेना चक न. 1	437	—	397
111.	सरसेना चक न. 2	—	—	—
112.	भेसीना	1004	309	—
113.	मुठैपुर	207	—	63
114.	भाडीसा	1610	479	—
115.	मैंसापट्टीखुर्द	1190	359	92
116.	मैंसापट्टीकलां	1190	245	25
117.	चूरपुरा	477	173	212
118.	माधोपुर	435	146	73
119.	मातासूला	1771	706	899
120.	पारली	579	173	297
121.	जोधपुरा	634	80	454
122.	खिरखिरी	1208	257	812
123.	नागलमांडल	2411	350	1373
124.	बिशनपुरा	687	271	69
125.	अजीजपुर	1704	644	748
126.	मिर्जापुर	704	267	317
127.	गोपालपुर	612	25	543
128.	जकमहेन्द्रवाडा	—	—	—
129.	महेन्द्रवाडा	242	127	—
130.	आसोरा	271	—	—
131.	मकवरा	455	—	—
132.	कानेटी	2	—	123

1	2	3	4	5
133.	भीमपुर	485	406	—
134.	सुजानपुरा	1053	603	335
135.	सहुराखर	1617	352	940
136	दादपुर	1054	183	612
137.	मानभोज	1544	23	1168
138.	नन्दीपुर	123	—	69
139.	त्रिसूल	781	671	—
140.	भूनकी	30	—	—
141.	जैसनी	1122	226	535
142.	मैरडा	969	—	845
143.	खेडी	2736	723	1497
144.	तुर्कपुर	42	—	42
145.	मण्डेरु	1842	286	1368
146.	गढीवाल	—	—	—
147.	गाजीपुर	686	—	620
148.	चक गाजीपुर	555	—	207
149.	माचडो	1477	404	722
150.	विजयवाडा	755	229	73
151.	लाडपुर	114	—	101
152.	कमालपुरा	2433	373	1158
153.	एदलपुर	690	12	430
154.	भण्डारी अन्दरुनी	551	114	6
155.	राजोर	964	181	634
156.	मखटोट	482	14	464

1	2	3	4	5
157.	मोहनपुरा	333	11	298
158.	खोहरा	2794	476	1607
159.	पदमपुरा	2282	292	1156
160.	गजूपुरा	557	271	286
161.	बैरोज	1384	451	429
162.	गोरडा	1365	160	829
163.	राजोली	1037	67	815
164.	धवान	1446	177	995
165.	नाद	1175	79	1051
166.	मोहनपुरा	1442	395	866
167.	गावडी	633	130	395
168.	जाहसगढमोरडा	5013	2157	346
169.	भण्डारीबैरुनी	1059	368	48
170.	नागलशेरपुर	4063	549	2547
171.	करीरी	1739	307	1074
172.	कन्जोली	1978	280	—
173.	पहाडी	2748	510	1254
174.	कुटीला	38	—	6
175.	बिजपुरी	291	—	—
176.	ऊरदैन	952	254	—
177.	खिलजीपुरमीना	349	80	269
178.	खिलजीपुरबाढा	418	265	—
179.	बाढमोहरसिंहपुरा	406	—	—
180.	लोहरखेडा	607	187	—

1	2	3	4	5
181.	जादवाडा	271	15	—
182.	मेहसवा	4410	893	2280
183.	मोटवाडा	1066	183	662
184.	ह्मयपुर	567	56	464
185.	किरवाडा	1620	715	620
186.	ग्रोरेज	565	21	166
187.	शेखपुर	2000	531	1201
188.	रानोली	2112	649	983
189.	कलवाडी	585	43	368
190.	पट्टीशेखपुरा	—	—	—
191.	अखावाडा	817	168	579
192.	गाजीपुर	411	—	—
193.	बहादुरपुर	985	131	816
194.	चकबहादुरपुर	—	—	—
195	मोपुर	2144	450	887
196.	सहजपुर	643	14	526
197.	निसुरा	3366	692	—
198.	खानपुर	1278	587	—
	योग	213670	45294	70884

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 742 की सूची

Government of Rajasthan
Planning (Gr. II) Department

No. F. 6(1)/Plan/Gr.II/86 Jaipur, dt. 26-6-1992

All Secretaries to Government,
All Heads of Department,
Concerned with Plan

Sub : Reorganization of the State Level Planning and Development Coordination Committee-Amendment thereof.

Sir,

I am directed to inform you that it has been decided to to reorganize the State Level Planning and Development Co-ordination Committees, in supersession of this Department's letter No. F. 6 (1) Plan/Gr. II/85, dated 29-4-1986. The reorganized committees wou ld be as follows :—

1. Agriculture Production, Marketing, Cooperation, Ware-housing and Soil Conservation.
2. Animal Husbandry, Dairy Development, Sheep and Wool and Fisheries Departments.
3. Rural Development and Panchayati Raj, DPAP, DDP, IRDP, JRY, NABARD and other programmes Schemes of SS and IRD Department.
4. Irrigation Department, Public Health Engineering Depart-ment and Ground Water Department.

5. Indira Gandhi Canal Project and CAD (IGNP, Chambal and Mahi) and Colonisation.

6. Social Welfare and Component Plan, UNICEF/CARE Programmes, Woman and Child Development and Tribal Area Development Departments.

7. Industry, State Enterprises, Energy and Mines.

8. Buildings, Roads, Housing, Town Planning, NRY and National Capital Region.

9. Education (including Technical Education), Labour, Employment and Science & Technology.

10. Tourism, Transport, Publicity, Forest and Environment Departments.

11. Medical & Health, Family Welfare and Ayurved Department.

Apart from the concerned Secretaries and Heads of Departments the Standing Members would be as follows :—

1. Secretary Policy Planning	All Committees
2. Secretary Finance	
3. Secretary Twenty Point Programme	
4. Secretary Planning	
5. Development Commissioner	Committees at Sl. No. 3, 4, 6, 9 and 11
6. Agriculture Production Secretary	Committees at Sl. No. 3, 4, and 5
7. Secretary Cooperation	Committees at Sl. No. 2, 3 and 6

8.	Secretary Revenue	Committees at SI. No. 1, 2 and 6
9.	Secretary SS & IRD	Committees at SI. No. 1, 5, 7 and 8
10.	Secretary Revenue	Committees at SI. No. 6
11.	Secretary PHED	Committees at SI. No. 6, 7 and 8
12.	Chairman, RSEB	Committees at SI. No. 3, 4, 6, 7 and 8

Yours faithfully,
(Rajeeva Swarup)
Dy. Seeretary to Government

परिशिष्ट "ब"

राज्य स्तरीय आयोजना एवं विकास समन्वय समितियों की आयोजित बैठकों का वर्षवार विवरण

वर्ष	संख्या	वर्ष	संख्या
1973	5	1983	21
1974	13	1984	30
1975	19	1985	16
1976	21	1986	12
1977	15	1987	6
1978	32	1988	9
1979	34	1989	9
1980	52	1990	10
1981	28	1991	4
1982	28	1992	11
	246		127

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 743 की सूची

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में स्थित सर्किट हाउसेज की सूची

क्र.सं.	नाम जिला	नाम क्षेत्र	जहां सर्किट हाउस स्थित हैं
1.	उदयपुर	गिर्वा	उदयपुर
2.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
3.	डूंगरपुर	डूंगरपुर	डूंगरपुर
4.	सिरोही	आबू रोड़	आबू पर्वत

परिशिष्ट–18

अतारांकित प्रश्न संख्या 747 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 1977 से 1985 तक निर्माण कार्य–बस्सी का विवरण

योजना का नाम	कार्य का नाम	ग्राम का नाम	व्यय की गई राशि	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5
1. लघु सिंचाई योजना वर्ष 1979	दुबली बांध	दुबली	7.54	पूर्ण
2. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत	नई का नाथ एनीकट	नई का नाथ	4.13	अपूर्ण
	अखैपुर एनीकट	अखैपुरा	4.78	"
	जीतावाला एनीकट	जीतावाला	3.62	"
	खेड़ी एनीकट	खेड़ी	1.23	"

1		2	3	4	5
3.	अकाल राहत मद के अन्तर्गत	गिरधर बास एनीकट	गिरधरवास	0.77	पूर्ण
		पाटन बांध	पाटन	6.53	,,
		जटवाड़ा गाइड बांध	जटवाड़ा	5.52	,,
		पृथ्वीपुरा बांध	पृथ्वीपुरा	1.95	,,
		पीलिया गाइड बांध	पीलिया	2.07	,,
		झाजवाड़ बंध	झाजवाड़	2.91	,,
		मोहनपुरा गाइड बंध	मोहनपुरा	2.81	,,
		बैनाड़ा ,, ,,	बैनाड़ा	1.93	,,
		कोडिया ,, ,,	कोडिया	0.48	,,
		बांसखों बाढ़ बचाव	बांसखों	1.47	,,
		घाटा एनीकट	घाटा	0.71	,,
		दूबली नहर	दूबली	1.12	,,
		कालियावास एनीकट	कालियावास	10.96	अपूर्ण
		दोपुर ,,	दोपुर	2.15	,,

1	2		3	4	5
"	खजूरिया	एनीकट	खजूरिया		
	जाटान	"	जाटान	1.60	अपूर्ण
	सांमरिया	"	सांमरिया	1.97	"
	हनुमानपुरा	"	हनुमानपुरा	1.00	"
	चारणवास	"	चारणवास	1.37	"
	गुढ़ा	"	गुढ़ा	2.37	"
	चैनपुरा	"	चैनपुरा	2.33	"
	रोजवाड़ी	"	रोजवाड़ी	1.44	"
			योग :	74.73	

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 752 की सूची

स्वामी केशवानन्द बी. एस. टी. सी. ट्रेनिंग स्कूल, जयपुर में वर्ष 1966 में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षार्थियों की सूची

क्र.सं.	रोल नं.	नाम मय पिता के
1	2	3
1.	6678	अमरसिंह/सरदारसिंह
2.	6679	अर्जुनलाल/लक्षाराम
3.	6680	इकबालसिंह/दलेलसिंह
4.	6681	ईश्वरप्रसाद/रामचन्द्र
5.	6682	उदयराम/मंगलनाथ जोगी
6.	6683	ओमप्रकाशअर्जुनलाल मलिक
7.	6684	ओमप्रकाश/मनोहरलाल
8.	6685	कलेक्टरचन्द/मूलचन्द
9.	6686	कल्याणसिंह/रामसिंह
10.	6687	कालूसिंह/ब्रह्मासिंह
11.	6688	किसनसिंह/शेरसिंह
12.	6690	कंवरसिंह/नत्थुसिंह
13.	6691	कंवरसिंह/रघुनाथसिंह
14.	6692	गजराज/थानसिंह
15.	6693	गुरुदयाल/मईमतराम
16.	6694	गोरीशंकर/ताराचन्द

1	2	3
17.	6695	घासीराम/कन्हैयालाल
18.	6696	चन्द्रकिरण/कृपाराम
19.	6697	चन्द्रसिंह/टालीराम
20.	6698	जगदीशचन्द्र/दीलीपसिंह
21.	6699	जगतसिंह/केहरसिंह
22.	6700	जयप्रकाश/नत्थराम
23.	6701	जयसिंह/रिशालसिंह
24.	6702	श्रीमती ज्योत्स्निय/गोविन्दराम
25.	6703	टेकचन्द/हरीसिंह
26.	6704	टेकचन्द/तोताराम
27.	6705	डीपीशरण/माईराम
28.	6706	तीर्थदास/नेनूमल
29.	6705	तेजराम/मत्थुराम
30.	6708	दिगम्बरसिंह/हरनारायण
31.	6709	दीपचन्द/लक्ष्मीनारायण
32.	6710	पतसिंह/छोटा
33.	6711	मनीराम/हरीसिंह
34.	6712	धर्मपाल/त्रिवेणीप्रसाद
35.	6713	धर्मवीर/समीरचन्द
36.	6714	धर्यासिंह/रामस्वरूप
37.	6715	पूरीसिंह/किसनलाल
38.	6716	नगपालसिंह/मोतीराम
39.	6717	नत्थीसिंह/बंशीराम

1	2	3
40.	6718	नारायणदास/नत्थुमल
41.	6719	मुगलउस्माल/अजीमबक्स
42.	6720	प्रकाशचन्द/हरपाल
43.	6721	प्रतापसिंह/आशाराम
44.	6722	फतेसिंह/मुख्तयारसिंह
45.	6723	बजरंगप्रसाद/रघुवीरसिंह
46.	6724	बलेश्वरसिंह/शिवचरण
47.	6725	बाबूलाल/किसनलाल
48.	6726	भुट्टाराम/जीवसिंह
49.	6727	महावीरसिंह/कमलसिंह
50.	6728	महावीरप्रसाद/रामेश्वर
51.	6729	महाराम/उदाराम
52.	6730	मोतीराम/वासमल
53.	6731	मोहनलाल/इतवारीलाल
54.	6732	मंगलराम/महरराम
55.	6733	मालाराम/ब्रह्मानन्द
56.	6734	रमेशचन्द्र/केवलसिंह
57.	6735	रमेशचन्द्र/शिवचरण शर्मा
58.	6736	रघुनन्दन/हवेलीराम
59.	6737	राजकुमार/परसराम
60.	6738	राजेन्द्रप्रसाद/पोराराम
61.	6739	रामपंवार/बहादुरराम

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	रा.उ.प्रा.वि. पाटन	1	8	—	1	8	—
22.	,, बेनाड़ा	1	10(शा.शि)	—	1	10	1
23.	,, ढानीकिसना पटेल	1	6(,,)	—	1	6	—
24.	,, पड़ासोली	1	10(,,)	—	1	10	—
25.	,, मनोहरपुरा	1	5(,,)	—	1	5	—
26.	,, बराना	1	6(,,)	—	1	6	—
27.	,, बुतवाकला	1	6	—	1	6	—
28.	,, हीरावाला	1	6(शा.शि.)	—	1	6	—
29.	,, कल्याणपुरा	1	4(,,)	—	1	4	—
30.	,, चाकसू	1	20(,,)	1	1	20	1
31.	,, नं. 3	1	8	—	1	8	—
32.	,, तीतरिया	1	7	—	1	7	—
33.	,, केरड़ाखुर्द	1	5	—	1	5	—

1	2		3	4	5	6	7	8
34.	रा.उ.प्रा.वि.	दलाला	1	7	1	1	7	1
35.	,,	आकोड़िया	1	3	—	1	3	—
36.	,,	ठिकरिया मिनान	1	4	1	1	4	1
37.	,,	गुजरान	1	3	—	1	3	—
38.	,,	हरिपुरा	1	6	—	1	6	—
39.	,,	जीजवाड़ा	1	5	—	1	5	—
40.	,,	उदयपुरिया	1	6(शा.शि.)	—	1	6	—
41.	,,	कोलिया	1	5	—	1	5	—
42.	,,	टूटोली	1	6	—	1	6	—
43.	,,	हरिनारायणपुरा	1	6	—	1	6	—
44.	,,	बडिदिया	1	3	—	1	3	—
45.	,,	बापूगांव	1	6	—	1	6	—

1	2	3	4	5	6	7	8
46.	रा.उ.प्रा.वि. रूपवास	1	7	—	1	7	—
47.	,, तामबड़िया	1	3	—	1	3	—
48.	,, अजलपुरा	1	9(शा.शि.)	—	1	9	—
49.	,, कंवरपुरा	1	6(,,)	—	1	6	—
50.	,, छादलकला	1	5	—	1	5	—
51.	,, थली	1	8(शा.शि.)	—	1	8	—
52.	,, बाड़ापदमपुरा	1	11(,,)	—	1	11	—
53.	,, जानकीबल्लभपुरा	1	6	—	1	6	—
54.	,, सांवलिया	1	6	—	1	4	—
55.	,, कुमारियावास	1	7(शा.शि.)	—	1	7	1
56.	,, छोटारानीवास	1	6	—	1	5	—
57.	,, बादबागपुरा	1	5(शा.शि.)	—	1	5	—
58.	रा.बा.उ.प्रा.वि. कानोता	1	14	—	1	14	—

1	2	3	4	5	6	7	8
59.	रा.बा.उ.प्रा.वि. तूंगा	1	9	—	1	8	—
60.	" बांसखोह	1	9	1	1	9	1
61.	" भूर	1	8	—	1	7	—
62.	" कोटखावदा	1	6	—	1	6	—

1	2	3
62.	6740	रामदत्त/सुखदेवसिंह
63.	6741	रामप्रकाश/सीताराम
64.	6742	रामसिंह/मनोहरलाल
65.	6743	रामसिंह/केहरसिंह
66.	6744	हरपालसिंह/नन्दासिंह
67.	6745	रूपराम/रामचन्द्र
68.	6746	लक्खाराम/रिन्दुजी
69.	6747	वेदपाल/हीरालाल
70.	6748	श्यामलाल/सुरजभान
71.	6749	शिवचन्दलाल/गोरचन्दलाल
72.	6750	शिवचरणसिंह/चिरंजीवसिंह
73.	6751	शिवदत्तशर्मा/रामजीलाल
74.	6752	श्रद्धानन्द/मंजूरसिंह
75.	6753	श्रीकृष्ण/शिवदयाल
76.	6754	श्रीराम/शीतलमल
77.	6755	सियानन्द/मतरसिंह
78.	6756	सुरेशचन्द्र/तुलसीराम
79.	6757	सूरजलालस्वामी/टिकचंद
80.	6758	सन्तलाल/छतरचन्द
81.	6759	हरवंस/भूरसिंह
82.	6760	हवासिंह/सुखलालसिंह
83.	6761	हवासिंह/गिरतारसिंह
84.	6762	हेतराम/दिन्दाराम शर्मा
85.	6763	त्रिलोकचन्द/सुन्दरलाल

परिशिष्ट–13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 753 की सूची)

बांसवाड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्रों में निम्नानुसार कन्या माध्यमिक विद्यालय हैं :—

क्र.सं.	नाम विधान सभा		कन्या माध्यमिक विद्यालय का नाम
1.	बांसवाड़ा	1.	नई आबादी
		2.	सरेड़ी बड़ी
		3.	गढ़ी
		4.	बोरी
		5.	पालोदा
2.	कुशलगढ़	6.	लोहारिया
3.	बागीडोरा	7.	सज्जनगढ़
		8.	बागीडोरा
		9.	आनन्दपुरी
		10.	अरथुना
		11.	गोलाना
4.	दानपुर	12.	खान्दू कालोनी
		13.	ठीकरिया
		14.	तलवाड़ा
5.	घाटोल	15.	शून्य (कोई विद्यालय नहीं)

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 757 का विवरण)

बस्सी विधान सभा क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को स्वीकृत/कार्यरत पदों की सूचना

क्र. सं.	नाम विद्यालय	स्वीकृत			कार्यरत		
		व. अ.	अध्यापक	च. श्रे क.	व. अ.	अध्यापक	च.श्रे क.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	रा. उ. प्रा. वि. रेल्वे बस्ती	1	14	—	1	14	—
2.	,, दामोदरपुरा	1	6	1	1	6	4
3.	,, मोहनपुरा	1	9	1	1	9	1
4.	,, खोडीमानसर	1	9	1	1	9	1
5.	,, टोडामाटा	1	7(शा.शि.)	—	1	7	1
6.	,, फालियावास	1	5	—	1	5	—
7.	,, जीतावाला	1	8(शा.शि)	1	1	8	1

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	रा. उ. प्रा. वि. बुरथल	1	7	—	1	7	—
9.	,, पीयोलिया	1	6	—	1	6	—
10.	,, पालाघाटा जटान	1	6(शा.शि.)	1	1	6	1
11.	,, कासीपुरा	1	8	—	1	8	—
12.	,, मुण्डल	1	7	—	—	6	—
13.	,, दनाऊकला	1	6	—	1	6	—
14.	,, गढ	1	11(शा.शि.)	—	1	11	—
15.	,, भूडला	1	10(शा.शि.)	1	1	10	1
16.	,, मटेरी	1	10	—	1	9	—
17.	,, टहटड़ा	1	8	—	1	8	—
18.	,, मालीहालाखोली	1	11	—	1	11	—
19.	,, दयालपुरा	1	8	—	1	8	—
20.	,, हंसमहल	1	7	—	1	7	—

परिशिष्ट–16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 758 की सूचना)

पंचायत समिति कुचामनसिटी, जिला नागौर (राज.)

शिक्षाकर्मी प्रायोजना के अन्तर्गत शिक्षाकर्मी विद्यालयों के कार्यरत शिक्षाकर्मियों का विवरण :

क्र. सं.	नाम शिक्षाकर्मी	निवास स्थान	जाति	कार्यरत स्थान
1	2	3	4	5
1.	श्री नरपतसिंह	रूपपुरा	राजपूत	रा. प्रा. वि. रूपपुरा
2.	,, प्रलाद सिंह	रूपपुरा	राजपूत	रा. प्रा. वि. रूपपुरा
3.	,, श्रवणसिंह	रूपपुरा	राजपूत	रा. प्रा. वि. रूपपुरा
4.	,, मोलाराम	सिडियास	मेघवाल	रा. प्रा. वि. सिडियास
5.	श्रीमती राजकंवर	सिडियास	राजपूत	रा. प्रा. वि. सिडियास
6.	श्री धन्नालाल	पालडी	कुम्हार	रा. प्र. वि. पालडी

1	2	3	4	5
7.	श्री रामदेव भाटी	पालडी	बावरी	रा. प्रा. वि. पालडी
8.	,, सांवताराम	पालडी	गुर्जर	रा. प्रा. वि. पालडी
9.	,, सुरेन्द्रसिंह	उलाना	राजपूत	रा. प्रा. वि. उलाना
10.	,, हरकपा राम	उलाना	गुर्जर	रा. प्रा. वि. उलाना
11.	,, पृथ्वी सिंह	गुढा	राजपूत	रा. प्रा. वि. गुढा
12.	,, नेमाराम	रेवासा	जाट	रा. प्रा. वि. रेवासा
13.	,, सोहन लाल	रेवासा	जाट	रा. प्रा. वि. रेवासा
14.	,, बजरंग लाल	रेवासा	दरोगा	रा. प्रा. वि. रेवासा
15.	,, जीवन राम	रेवासा	गुर्जर	रा. प्रा. वि. रेवासा
16.	,, महेन्द्र सिंह	खुसिया	राजपूत	रा. प्रा. वि. खुसिया
17.	,, सुगनाराम	खुशिया	गुर्जर	रा. प्रा. वि. खुशिया
18.	,, हरदेवराम	गंवारिया	जाट	रा. प्रा. वि. गंवारिया
19.	,, नेमाराम	गंवारिया	जाट	रा. प्रा. वि. गंवारिया

1	2	3	4	5
20.	श्री तुलछाराम	घरवाणी	जाट	रा. प्रा. वि. घरवाणी
21.	,, रामचन्द्र	घरवाणी	बलाई	रा. प्रा. वि. घरवाणी
22.	,, मोहनलाल	बाटलियां	गुर्जर	रा. प्रा. वि. बाटलिया
23.	,, घन्नाराम	बाटलियां	गुर्जर	रा. प्रा. वि. बाटलिया
24.	,, मालूराम	मालासिया	मीणा	रा. प्रा. वि. नालासिया
25.	,, घीसाराम	मालासिया	जाट	रा. प्रा. वि. नालासिया
26.	,, गोपाराम	भाटीपुरा	जाट	रा. प्रा. वि. भाटीपुरा
27.	,, नाहरराम	भाटीपुरा	मीणा	रा. प्रा. वि. भाटीपुरा
28.	,, मूलाराम	नानणा	जाट	रा. प्रा. वि. नानणा
29.	श्रीमती भूली देवी	नानणा	जाट	रा. प्रा. वि. नानणा
30.	श्री हनुमानसिंह	कोका की ढाणी	राजपूत	रा. प्रा. वि. कोका की ढाणी
31.	,, बजरंगलाल	कोका की ढाणी	जाट	रा. प्रा. वि. कोका की ढाणी
32.	,, बजरंगलाल	गुसाईयो की ढाणी	जाट	रा. प्रा. वि. गुसाईयो की ढाणी

1	2	3	4	5
33.	,, रामेश्वनलाल	गुसाईयो की ढाणी	जाट	रा. प्रा. वि. गुसाईयो की ढाणी
34.	,, रेखाराम	गुदलीनाडी	जाट	रा. प्रा. वि. गुदलीनाडी
35.	,, जगदीश प्रसाद	गुदलीनाडी	जाट	रा. प्रा. वि. गुदलीनाडी
36.	,, मगाराम	खोरण्डा	जाट	रा. प्रा. वि. खोरण्डा
37.	,, तुलछाराम	खोरण्डा	गुर्जर	रा. प्रा. वि. खोरण्डा
38.	,, सूजाराम	बावड़ी	जाट	रा. प्रा. वि. बावड़ी
39.	,, मनसुखलाल	बावड़ी	जाट	रा. प्रा. वि. बावडी
40.	श्रीमती सरोज सैन	बावड़ी	नाई	रा प्रा. वि. बावड़ी
41.	श्री रूधाराम	माधासुखा	जाट	रा. प्रा. वि. माधासुखा
42.	,, अमरसिंह	माधासुखा	राजपूत	रा. प्रा. वि. माधासुखा
43.	,, सोहन लाल	माधासुखा	कुम्हार	रा. प्रा. वि. माधासुखा
44.	,, मुंशीलाल	अजीतपुरा	जाट	रा. प्रा. बि. अजीतपुरा
45.	,, रामचन्द्र	अजीतपुरा	जाट	रा. प्रा. वि, अजीतपुरा

परिशिष्ट—17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 766 का विवरण)

क्र. सं.	स्वीकृत पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	रिक्त रहने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	4	1	3	2 वर्ष से
2.	वरिष्ठ चिकि. अधिकारी	4	1	1	2 वर्ष से 2 पद केंद्र इन एबेन्स
3.	मेलनर्स श्रेणी-1	1	1	—	
4.	मेलनर्स श्रेणी-2	4	4	—	
5.	स्टाफ नर्स (ओ. टी.)	2	2	—	
6.	प्रसाविका	2	2	—	
7.	एल. एच. वी.	1	1	—	
8.	लेब. टेक्निशियन	2	2	—	

1	2	3	4	5	6
9.	प. क. कार्यरती	1	1	—	
10.	वाहन चालक	2	1	1	5 माह से
11.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	3	—	
12.	वरिष्ठ लिपिक	3	3	—	
13.	कनिष्ठ लिपिक	1	1	—	
14.	रेडियोग्राफर	1	1	—	
15.	स्वीपर	1	1	—	

परिशिष्ट–18

(अतारांकित प्रश्न संख्या 769 का विवरण)

(राशि लाखों में)

नाम चिकित्सालय	वर्ष	भवन आवंटन	व्यय	उपकरण आवंटन	व्यय	दवाईयां आवंटन	व्यय	फर्नीचर आवंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
महात्मा गांधी	89-90	32.19	24.24	35.25	35.25	37.00	37.00	1.00	1.00
चिकित्सालय	90-91	20.53	20.77	49.70	49.70	37.00	37.00	—	—
	91-92	21.10	14.72	22.22	22.22	50.00	50.00	—	—
	92-93	8.34	8.55	—	—	52.00	55.00	—	—
उम्मेद चिकित्सालय	89-90	23.10	27.37	31.50	31.47	24.00	24.00	—	1,10,639/-
	90-91	23.07	23.07	31.00	31.90	26.57	26.57	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91-92	16.04	13.82	32.73	32.71	29.00	28.78	—	14,992/-
	92-93	14.79	11.92	12.41	16.41	36.50	36.50	—	—
न्यू टीचिंग,	89-90	18.77	25.68	—	—	6.50	6.50	—	—
अस्पताल	90-91	35.42	32.85	—	—	6.00	6.00	—	—
	91-92	31.25	68.17	27.25	27.25	7.50	7.50	—	—
	92-93	28.47	28.70	4.15	4.15	9.00	9.00	—	—

परिशिष्ट–19

अतारांकित प्रश्न संख्या 785 की सूची

बहु-उद्देश्य (पॉलिक्लिनिक) पशु चिकित्सालयों में स्वीकृत पदों का विवरण

क्र.सं.	स्थान	सहायक निदेशक	वी.एस.	वी.ए. एस.	एक्स-रे टैक्निशियन	डार्क रूम सहायक	पशु धन सहायक	ड्रेसर	ड्राइवर	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	वरिष्ठ लिपिक	कनिष्ठ लिपिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	जयपुर	1	4	7	1	–	9	6	3	18	1	1
2.	उदपुर	1	4	2	1	1	6	5	2	16	1	1
3.	अजमेर	1	4	1	1	1	7	5	1	12	1	1
4.	बीकानेर	1	4	1	1	1	6	4	1	13	1	1
5.	कोटा	1	4	1	1	1	5	5	1	14	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	जोधपुर	1	4	1	1	1	6	5	1	15	1	1
7.	अलवर	1	5	2	1	1	7	3	–	10	1	1
8.	बांसवाड़ा	1	4	2	1	1	6	1	–	5	1	–
9.	सीकर	1	5	2	1	1	7	2	–	7	1	1
10.	भरतपुर	1	4	1	1	1	6	2	–	8	1	1

परिशिष्ट–20

अतारांकित प्रश्न संख्या 786 की सूची

विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के पशु चिकित्सालय/औषधालय में स्वीकृत स्टाफ का विवरण

क्र.सं.	संस्था का नाम	सृजित पद				
		सहायक शल्य पशु चिकित्सक	पशु चिकित्सा सहायक	प्रधान सहायक	पट्टी बंधक	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
1	2	3	4	5	6	7
1.	पशु चिकित्सालय, किशनगढ़	1	—	2	1	3
2.	पशु चिकित्सालय, रूपनगढ़	1	—	2	—	3
3.	पशु चिकित्सालय, अरोई	1	—	2	—	3
4.	पशु चिकित्सालय, कोटडी	1	1	1	—	3
5.	पशु चिकित्सालय, करकेडी	1	—	2	—	3

1	2	3	4	5	6	7
6.	पशु चिकित्सालय, बांदर सिंघरी	1	—	2	—	3
7.	पशु चिकित्सालय, तिलोनिया	1	1	1	—	2
1.	पशु औषधालय, बोराडा	—	1	1	—	2

परिशिष्ट–21

(अतारांकित प्रश्न संख्या 787 की सूचना)

राज्य में स्थापित अवशीतन केन्द्रों की सूचना

क्र. सं.	अवशीतन केन्द्र	संबंधित दुग्ध संघ	स्थापना वर्ष	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	तिजारा	अलवर	1979	कार्यशील
2.	कोटपूतली	जयपुर	1980	बन्द है। (1987 से)
3.	दौसा	जयपुर	1980	कार्यशील
4.	गंगापुर सिटी	टोंक-सवाई माधोपुर	1981	कार्यशील
5.	मालपुरा	,,	1979	कार्यशील
6.	ब्यावर	अजमेर	1981	बन्द है। (1992 से)
7.	विजयनगर	,,	1982	बन्द है। (1992 से)
8.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	1984	कार्यशील
9.	डूंगरपुर	,,	1982	कार्यशील
10.	डूंगरगढ़	चूरू	1986	कार्यशील
11.	सरदारशहर	चूरू	1980	कार्यशील
12.	लूनकरणसर	बीकानेर	1979	कार्यशील
13.	बज्जू	,,	1985	कार्यशील
14.	छतरगढ़	,,	1986	कार्यशील
15.	सूरतगढ़	श्रीगंगानगर	1985	कार्यशील
16.	नोहर	,,	1985	कार्यशील
17.	बालोतरा	जोधपुर	1981	कार्यशील
18.	बाड़मेर	,,	1981	[illegible]

1	2	3	4	5
19.	पोकरन	,,	1979	कार्यशील
20.	मेड़ता सिटी	जोधपुर	1980	कार्यशील
21.	फलौदी	जोधपुर	1985	कार्यशील
22.	नागौर	,,	1982	कार्यशील
23.	पाली	पाली	1980	कार्यशील
24.	फालना	पाली	1985	कार्यशील
25.	रेवदर	जालौर-सिरोही	1988	कार्यशील
26.	झुन्झुनूं	सीकर-झुन्झुनूं	—	बन्द है।

उपरोक्त अवशीतन केन्द्रों के अतिरिक्त कुछ स्थानों पर जैसे धौलपुर, भरतपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, घड़साना, श्रीगंगानगर, टौंक, जैतारण आदि में आइस फैक्ट्री द्वारा एवं सवाई माधोपुर, सीकर और रींगस में इन्स्टेन्ट चिल्लर द्वारा दूध को ठण्डा किया जाता है।

परिशिष्ट–22

(सन्दर्भ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा श्री कालीचरण सराफ)

विभिन्न वितरकों पर बकाया राशि की स्थिति (1993–94) तक

जोन पार्टी का नाम	देरी में जमा होने में बकाया राशि लगभग (9-3-94) (लाख रुपये)	लम्बित बिलों की राशि लगभग (9 मार्च, 94 तक) (लाख रुपये)	दूध जो वापस हुआ एवं बूथों पर बकाया राशि जो उनकी अमानत राशि में समायोजित करनी है (लाख लगभग)	बैंक गारन्टी तथा अमानत राशि (लाख रुपये में)	कुल बकाया (9-3-94) (लाख लगभग)
1	2	3	4	5	6
... क्वालिटी ट्रेड	5·38	1·35	0·25	3·50	0·28 (×)
अपोलो फ्रेटकैरीयर	5·98	0·80	0·35	3·50	1·33 एवं 1·37 की शास्ति

	2	3	4	5	6
मदार फ्रेटकैरीयर	4·04	0·80	0·20	3·00	0·04
. जैन कैरीयर प्रा. लि.	40·07	0·80	0·35	3·00	—
ग	19·47	3·75	1·15	13·00	1·65 एवं 1·37 की शास्ति

अब तक विभिन्न पार्टियों से पेनल्टी के रूप में वसूली गई राशि—रुपये 3·00 लाख (लगभग)

(×) मै. क्वालिटी ट्रेड ने उक्त बकाया चुकाने के लिये चैक दिनांक 11-3-94 को दे दिया है।

शुद्धि-पत्र

क्र. सं.	स्कम्भ में	पंक्ति में	अशुद्ध	शुद्ध
1.	64	4	परिशिष्ट 4	परिशिष्ट 5
2.	68	21	,, 5	,, 6
3.	73	7	,, 6	,, 7
4.	89	6	मांग	मांग
5.	106	23	परिशिष्ट 7	परिशिष्ट 8
6.	107	29	,, 8	,, 9
7.	111	8	,, 9	,, 10
8.	112	2	,, 10	,, 11
9.	116	5	,, 11	,, 12
10.	122	4	,, 12	,, 13
11.	122	28	,, 13	,, 14
12.	129	11	,, 14	,, 15
13.	137	फोलियो	अरांताकित	अतारांकित
14.	140	9		राज्य
15.	141	6	सामुदायक	सामुदायिक
16.	132	31	परिशिष्ट 15	परिशिष्ट 16
17	143	7	,, 16	,, 17
18.	144	20	,, 17	,, 18
19	165	14	,, 19	,, 20
20.	167	16	,, 20	,, 21
21.	176	20	श्री अघ्यक्ष	श्री अध्यक्ष
22.	195	9	समम	समय
23.	197	202 फोलियो	थगन आदि पर चर्चा	स्थगन
24.	222	फोलियो	विशेष उल्लेख तहत	तहत विशेष उल्लेख
25.	255	25	परिशिष्ट 21	परिशिष्ट 22
26.	275	32	श्री जगदीप घनव.ड	श्री जगदीप [illegible]
27.	284	1	(दीपेन्द्र सिंह)	(श्री [illegible]
28.	639	फोलियो	पिरशिष्ट	[illegible]